ग्रन्थ माला, खंड 46, अंक 16

सोमवार, 18 दिसम्बर, 1995
27 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पन्द्रहवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT
No. 55
Date 27.1.97

(खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलि मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा के दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 के
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढिए
29	नीचे से 17	श्री जे॰ चोक्का राव	श्री जे॰ चोक्का राव
54	1	(क) से (ग)	(क) से (घ)
103	1	दिल्ली में दूरभाषों का कार्याकरण	दिल्ली में दूरभाषों का कार्यकरण
112	14	श्री मन्णिकराव होडल्या गावीत	श्री माणिकराव होडल्या गावीत
222	नीचे से 11	सुधार-कार्या	सुधार-कार्य
225	13	2926	2826
270	नीचे से 6	2969	2869
335	21	गुजात	गुजरात
355	20	(घ)	(च)
367	4	श्री धर्मण्ण मोड्यूया सादुल	श्री धर्मण्ण मोंड्यूया सादुल
385	नीचे से 4	2983	2963
390	नीचे से 6	2870	2970
410	अंतिम पंक्ति	(ख)	(ख) से (व)
421	15	(क)	(क) और (ख)
422	नीचे से 10	श्री धर्मण्ण मोंड्यूया सादुल	श्री धर्मण्णा मोंड्यूया सादुल
463	नीचे से 12	(क)	(क) और (ख)
495	नीचे से 18	(क) से (ख)	(क) से (ग)
510	नीचे से 16	(ङ॰)	(घ)
588	नीचे से 15	(श्री गिरधर गोमांग)	(श्री गिरधर गमांग)
608	नीचे से 17	(ग) और (घ)	(ख) और (ग)
638	2	श्री वसुदव आचार्य	श्री बसुदेव आचार्य
681	नीचे से 15	श्री एस॰एम॰लाल जान बारा	श्री एस॰एम॰ लालजान वारा

विषय सूची

दशम माला, खंड 46, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 16, सोमवार, 18 दिसम्बर, 1995/27 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कालम
वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1–2
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	261 से 280 (14.12.95)	2–28
	281 से 300 (15.12.95)	29–54
	301 से 320 (18.12.95)	54–86
अतारांकति प्रश्न संख्या :	2707 से 2897 (14.12.95)	86–329
	2898 से 3127 (15.12.95)	329–548
	3128 से 3358 (18.12.95)	548 –792

लोक सभा

सोमवार, 18 दिसम्बर, 1995/27 अग्रहायण 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वप्रथम एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सदन के सदस्यों की ओर से वियतनाम जनवादी गणराज्य की नेशनल असेम्बली के वाईस चेयरमैन महामहिम श्री डेंग क्वान थुई और वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हुए हैं।

शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्यगण निम्नलिखित हैं :

1. श्री त्रिन्ह त्रान, सांसद
2. श्री न्यूयेन हॉंग पुरन, सांसद
3. श्री न्यूयेन ची बेन, सांसद
4. सुश्री होआंग थी अन्ह टूयेट, सांसद
5. सुश्री न्यूयेन थी अन, सांसद
6. श्री ले न्गोक सान्ह, सांसद
7. श्री न्यूयेन मिन्ह हॉंग, सांसद
8. श्री न्यूयेन वान हार्यू, सांसद
9. श्री हा वन नोई, सांसद

यह शिष्टमंडल आज प्रातः दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम यह कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद हो। उनके माध्यम से हम वियतनाम जनवादी गणराज्य की स्टेट काउंसिल के प्रेजीडेंट, नेशनल असेम्बली, वहां की सरकार और मित्र लोगों के प्रति अपनी शुभकामनायें प्रेषित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे प्रकोष्ठ में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मेरी भेंट हुई थी और मैंने उन्होंने जो कुछ कहा उस पर चलने का निर्णय लिया है। परन्तु, साथ ही जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने हेतु सांविधिक संकल्प पारित करना भी आवश्यक है, जो शायद हम आज नहीं लेंगे। परन्तु, कृपया पहले हम इस विषय पर कोई निर्णय लें और संभवतः कल इसे लेंगे। कल 19 तारीख है और मुझसे कहा गया है कि 19 तारीख में कोई विशेषता होती है, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इस बारे में थोड़ा कनवे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बाद में कर दीजिए।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि हमें आज सभा स्थगित करनी पड़ेगी। सभा कल 19 दिसम्बर, 1995 के 11 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

तेल के आयात बिल में वृद्धि

*261. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए रुपये के अवमूल्यन के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिलों में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान अनुमानतः कितनी अतिरिक्त वृद्धि होगी; और

(घ) सरकारर द्वारा आयात बिलों में इस अतिरिक्त वृद्धि को पूरा करने हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जबकि अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में हालिया परिवर्तनों के कारण अब तक की गई सौदे की मात्राओं के लिए भारतीय रुपए के संबंध में आयात बिल में वृद्धि हुई है, फिर भी 1995-96 के आयात बिल में निश्चित वृद्धि, आयात की जाने वाली मात्राओं और वर्ष 1995-96 की बाकी अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर निर्भर होगी।

(ग) वर्ष 1995-96 के अंतर के निश्चित प्रभाव का पता चलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

आई.एस.डी./एस.टी.डी. सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र

*262. **डॉ वसंत पवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितने आई. एस. डी./एस. टी. डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आबंटित किए गए;

(ख) उनमें से राज्य–वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र वर्ग–वार बेरोजगार युवकों और विकलांग व्यक्तियों, आदि को दिए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भी ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का आबंटन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1993-94 और 1995-96 के दौरान प्रदान किए गए आई एस डी/एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या क्रमशः 14605 और 26281 है।

(ख) एस टी डी/आई एस डी सार्वजनिक टेलीफोन (पी सी ओ) की संशोधित नीति के तहत बेरोजगार व्यक्तियों को 24.7.93 से 31.3.95 तक प्रदान किए गए एस टी डी/आई एस डी सार्वजनिक टेलीफोनों (पी सी ओ) का सर्किल–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बेरोजगार युवकों को 1.4.93 से 23.7.93 की अवधि तक आबंटित आई एस डी/एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोनों (पी सी ओ) का तथा विकलांग व्यक्तियों के बारे में पिछले दो वर्षों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ग) जी हां।

(घ) 1994-95 के दौरान प्रदान किए जाने वाले एसटीडी आईएसडी सार्वजनिक टेलीफोन (पीसीओ) के निर्धारित लक्ष्यों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्किलों/जिलों के नाम	बेरोजगार व्यक्तियों को प्रदत्त एस टी डी/ आई एस डी पीसीओ	
	24.7.93 से 31.3.94 तक	95-96 के दौरान
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	379	1550
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–
असम	177	476
बिहार	72	272
गुजरात	749	2719
हरियाणा	237	866
हिमाचल प्रदेश	44	93
जम्मू तथा कश्मीर	14	72
कर्नाटक	626	2154
केरल	660	1600
मध्य प्रदेश	1348	2417
महाराष्ट्र	1769	2028
उत्तर पूर्व	43	118
उड़ीसा	167	447
पंजाब	385	1471
राजस्थान	584	2163
तमिलनाडु	208	1125
उत्तर प्रदेश (पूर्व)		
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	532	2836
पश्चिम बंगाल	–	264
बम्बई	515	1492
कलकत्ता	345	1297
दिल्ली	62	511
मद्रास	47	310
	8963	26281

1995-96 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य

	यूनिट का नाम	
1.	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4700
2.	असम	350
3.	बिहार	1300
4.	गुजरात	5250
5.	हरियाणा	1500
6.	हिमाचल प्रदेश	350
7.	जम्मू और कश्मीर	150
8.	कर्नाटक	5150
9.	केरल	6750
10.	मध्य प्रदेश	3200
11.	महाराष्ट्र	6750
12.	उत्तर पूर्व	350
13.	उड़ीसा	900
14.	पंजाब	5250

1	2	3
15.	राजस्थान	3950
16.	तमिलनाडु	3750
17.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3950
18.	पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	550
19.	बम्बई	4500
20.	कलकत्ता	3400
21.	दिल्ली	8300
22.	मद्रास	4700

अल्पसंख्यकों हेतु 15-सूत्री कार्यक्रम

*263. **श्री शरद पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पीछे है; और

(ख) देश में उक्त कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां) : (क) मई 1983 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

मद संख्या 1 से 7 जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण और सुरक्षा तथा उन तरीकों से संबंधित है जिसमें साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटा जाना चहिए। इन मुद्दों के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय नोडल एजेन्सी है। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिए इसके वास्तविक कार्यान्वयन का दायित्व उन्हीं पर है। अधिकांश राज्य इस संबंध में शून्य रिपोर्ट भेज रहे हैं। तथापि, कुछ राज्यों अर्थात हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में जिला साम्प्रदायिक दंगों के संदर्भ में जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, साम्प्रदायिक दंगों के मामलों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, साम्प्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से संबंधित तथा जिला मैजिस्ट्रेटों/पुलिस अधीक्षकों को स्थानान्तरित करने के बारे में सूचित किया है। मद संख्या 8 से 11 सेवाओं में भर्ती के मामले से संबंधित है। पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व तथा भर्ती/चयन बोर्डों में अल्पसंख्यक सदस्यों के नामांकन पर गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली का राज्य पुलिस सेवाओं में 2% से 8% तक प्रतिनिधित्व है। इस संबंध में पंजाब और नागालैंड से सूचना नहीं मिल रही है। अन्य सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना एकत्र नहीं की गई है। अल्प संख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि सार्वजनिक रोजगार एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके।

मद संख्या 12 से 15 के संबंध में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से नियमित रूप से सूचना नहीं मिल रही है। अल्प संख्यकों समुदाय के पिछड़ा वर्गों को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई है। इस संबंध में 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में पिछड़ गये राज्यों में राजस्थान, असम, गुजरात आदि राज्य प्रमुख हैं।

(ख) त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रणाली के अतिरिक्त, 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(एक) प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में अल्प संख्यकों संबंधी 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

(दो) प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना के संबंध में सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है।

(तीन) 15-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी संबद्ध राज्यों/संघ शासित प्रदेशों कल्याण मंत्रालय की ओर से अर्ध-सरकारी पत्र भेजे गये थे।

(चार) 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की राज्य स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

(पांच) 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय एवं कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्रियों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन किया।

(छह) गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण जैसे शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय एवं कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्रियों द्वारा मुख्य मंत्रियों को अर्ध-सरकारी पत्र भेजे गये।

(सात) 15-सूत्री कार्यक्रम एंव अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार किये जाने की आवश्यकता पर विभिन्न स्तरों पर बल दिया जा रहा है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड का अनुबंध

*264. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने दिल्ली, मद्रास और

कलकत्ता स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष संपर्क केन्द्रों के उन्नयन हेतु एरिकसन नामक एक विदेशी कम्पनी के साथ अनुबंध किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मद्रास और कलकत्ता स्थित अन्तर्राष्ट्रीय गेट–वे एक्सचेंजों के उन्नयन हेतु विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। दूरसंचार उपकरणों के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विक्रेता मेसर्स एरिकसन से प्राप्त बोलियों का व्यापक आर्थिक–तकनीकी मूल्यांकन करने के पश्चात जिनकी बोली सबसे कम थी और तकनीकी रूप से स्वीकार्य थी, उनको ठेका दिया गया था। 26.58 करोड़ रुपये के सी आई एफ लागत कीमत पर यह ठेका दिया गया था।

स्वतंत्र टी. वी. चैनल

*265. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी भारतीय और विदेशी कंपनियां सरकार की अनुमति से स्वतंत्र टी. वी. चैनल चला रही हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन कंपनियों को टी. वी. चैनल की अनुमति प्रदान करते समय कुछ शर्तें रखी थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दूरदर्शन उपग्रह नेटवर्क से स्वतंत्र चैनलों के माध्यम द्वारा अपने कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रसारण कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दूरदर्शन की अन्य टी. वी. चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा के बारे में सरकार के क्या विचार हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) स्वतंत्र टी. वी. चैनल चलाने वाली भारतीय और विदेशी कम्पनियों को भारत भूमि से कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, निम्नलिखित भारतीय कम्पनियों को विदेशी उपग्रह पर एक ट्रांसपोडर किराए पर लेने के लिए पट्टा प्रभार और विदेश से अपलिंक सुविधा लेने के लिए भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा देने की अनुमति दे दी गई है :–

(1) मैसर्स बी आई टी. वी (2) मैसर्स उशोदया इंटरप्रासिज लि. (31) मैसर्स उदय टीवी प्राइवेट लि., (4) मैसर्स सृष्टि विडियो कारपोरेशन लि, (5) मैसर्स सुमंगली पब्लिकेशन प्रा. लि. (6) मैसर्स एशियानेट (7) मैसर्स कांटिनेनटल टेलीविजन लि.।

(घ) दूरदर्शन फिलहाल, पैनमसेट से किराए पर लिए हुए ट्रांसपोंडरों के जरिए उपग्रहों की इन्सेट सीरिज और विदेश सेवा के जरिए अपने कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है।

(ङ.) दूरदर्शन, अपने दर्शकों की रूचि को बनाए रखने हेतु कार्यक्रमों की गुणवत्ता/विषय–वस्तु में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

*266. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस, मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद–वार कितनी राजसहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को वापस लेकर एक नई योजना आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां। एल पी जी, एस के ओ, तथा एच एस डी पर सामान्य राज सहायता के अतिरिक्त सरकार ने वर्ष 1988 में यह निर्णय लिया कि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित पहाड़ी क्षेत्रों में एल पी जी तथा मिट्टी के तेल के परिवहन की लागत पर राजसहायता दी जाए। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए वास्तविक परिवहन लागत के प्रति एम एस तथा एच एस डी पर एक निर्धारित परिवहन शुल्क वसूल किया जाता है। तथापि, असम राज्य में इन उत्पादों की कीमतें अन्य राज्यों के समान ही तय की जाती हैं बशर्ते कि बिक्री कर, स्थानीय प्रभार आदि को छोड़कर ऐसी कीमतें, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एवं नागालैंड राज्यों के लिए निर्दिष्ट कीमतों से अधिक न हों।

(ख) उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मिट्टी के तेल एवं एल पी जी (घरेलू) पर भाड़ा राज सहायता की अनुमान्ति मात्रा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

	मिट्टी का तेल	एल पी जी
1992-93	25.72	21.25
1993-94	26.61	25.80
1994-95	27.80	31.19

उत्तर पूर्वी राज्यों को भी एम एस तथा एच एस डी पर भाड़ा राज सहायता दी जाती है। अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

	एम एस	एच एस डी
1992-93	4.09	11.78
1993-94	4.27	13.97
1994-95	4.55	16.89

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एनरॉन और रिलायन्स द्वारा पेट्रोलियम की मांग

*267. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरॉन और रिलायन्स कम्पनियों ने शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही पन्ना और मुक्ता तेल क्षेत्रों से पेट्रोलियम उत्पादों को निकालना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन कम्पनियों के संघ (कनसोर्टियम) से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कुवैत द्वारा उड़ीसा में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

*268. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/इंडियन आयल कारपोरेशन ने उड़ीसा में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने हेतु कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तेलशोधक कारखाने पर कार्य कब से आरम्भ होगा तथा कब तक इसके पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में पूर्वी भारत में 6 एम एम टी पी ए क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना के लिए आई ओ सी ने 16.9.95 को कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन (के पी सी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्णतया कार्यक्रम सहित प्रस्तावित रिफाइनरी परियोजना के ब्यौरे का निर्णय विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण का अनुमोदन पहले ही प्रदान कर दिया है। विस्तृतः व्यवहार्यता रिपोर्ट को मई, 1996 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

उग्रवादियों की गतिविधियां

*269. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** :

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गत चार महीनों के दौरान उग्रवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई हिंसक घटनाओं की जानकारी हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या कुछ घटनाओं से उग्रवादियों के अंतर्राज्जीय संपर्क होने का भी पता चला हैः और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उग्रवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) पिछले चार महीनों अर्थात अगस्त–नवम्बर, 1995 के दौरान उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं की संख्या, इससे पहले से चार महीनों के दौरान सूचित हुई घटनाओं से कम थी। अप्रैल–जुलाई, 1995 के दौरान सूचित हुई 3406 घटनाओं की तुलना में अगस्त–नवम्बर, 1995 तक की अवधि में 3143 घटनाएं सूचित हुई।

(ग) सिक्ख आतंकवादियों के अन्तर्राज्जीय सम्पर्क तथा कश्मीरी और मुस्लिम उग्रवादी, यूनाईटिड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम, आल असम स्टूडेन्टस यूनियन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड, सहित अन्य उग्रवादी विघटनकारी ग्रुपों के साथ उनके संबंध होने की बात ध्यान में आई है।

(घ) चूंकि "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अतः यह संबंधित राज्य सरकार का कार्य है कि वह इस संबंध में विविध तरीके खोजे और ठोस उपाय करें। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के उग्रवादी–विरोधी अभियानों के बीच तालमेल तथा राज्यों के बीच आतंकवादी/विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाभप्रद सूचना का आदान–प्रदान बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पुलिस का आधुनिकीकरण करने, बेहतर हथियारों की आपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर तथा अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती इत्यादि करके मदद दी जा रही है। कुछ विशिष्ट उपायों में शामिल हैं :–

(i) सूचना का आदान–प्रदान करने, रणनीति तैयार करने तथा उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने के लिए ज़िला/मंडलीय/राज्य स्तर पर समन्वय समितियां गठित करना।

(ii) मंत्रालय में एक नोडल ग्रुप का गठन करना जहां उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना का आदान–प्रदान किया जाता है और उसे तुरन्त कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

(iii) सीमावर्ती क्षेत्रों में तीक्ष्ण निगरानी रखना।

(iv) सीमा चौकियों के बीच दूरी कम करने के लिए अतिरिक्त चौकियों का स्थापित करना।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील स्थानों में बाड़ व फ्लड लाईट लगाना।

डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

*270. श्री प्रबीन डेका :

श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान किन–किन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है और 1995-96 के दौरान किन–किन डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है और उनका राज्य–वार अलग–अलग ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) डाकघरों का श्रेणी–वार, दर्जा बढ़ाने से संबंधित मानदण्ड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान किसी भी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा नहीं बढ़ाया गया है और वर्ष 1995-96 के दौरान भी किसी उपडाक घर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान जिन अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया, उनका डाक सर्किल–वार ब्यौरा विवरण संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाने को उप डाकघर खोलने की योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

विवरण-I

उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए मानदण्ड

किसी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा तभी बढ़ाया जाता है जब इसके प्रधान डाकघर के अधिकार–क्षेत्र में आने वाले उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है, अर्थात् मूल प्रधान डाकघर और नए प्रधान डाकघर के अधिकार–क्षेत्र में कम से कम 20 उप डाकघर होने चाहिएं।

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर का उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए मानदण्ड

1. विभाग द्वारा निर्धारित समय–मानकों के अनुसार अतिरिक्त विभागीय डाकघर का न्यूनतम दैनिक कार्यभार कम से कम पांच घंटे होना चाहिए।

2. सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटा 2400/- रु० से अधिक और जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में, आरंभ में डाकघर आत्मनिर्भर होना चाहिए और पहली वार्षिक पुनरीक्षा के समय आगे चालू रहने के लिए 5 प्रतिशत लाभ होना चाहिए। लाभ और घाटे का मूल्यांकन, विभाग द्वारा अपनाए गए आय और लागत के फार्मूले के आधार पर किया जाता है।

3. 20 लाख और अधिक आबादी वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी 1.5 कि. मी. से कम तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 2 कि. मी. से कम नहीं होनी चाहिए। यदि वह कोई वितरण डाकघर है, तो इसके निकटतम वितरण डाकघर की दूरी 5 कि. मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

विवरण-II

उन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का डाक सर्किलवार विवरण, जिनका वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान दर्जा बढ़ाया गया।

क्रम सं०	डाक सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या जिनका विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया गया	
		1994-95	1995-96 (अक्तूबर 95 तक)
1.	दिल्ली	1	–
2.	गुजरात	2	1
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1
4.	केरल	2	–
5.	मध्य प्रदेश	2	–
6.	महाराष्ट्र	2	–
7.	पंजाब	1	–
8.	राजस्थान	–	1
9.	तमिलनाडु	–	1
10.	उत्तर प्रदेश	2	–
	कुल :	13	4

[हिन्दी]

विशिष्ट मशीनें लगाना

*271. श्री केशरी लाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु विशिष्ट मशीनें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मशीनें किन–किन कोयला खानों में लगाई गई हैं; और

(घ) इससे कोयले की गुणवत्ता को किस सीमा तक बनाए रखा गया है?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा कोयला रख–रखाव संयंत्रों (सी. एच. पी.) फीडर ब्रेकरों, स्व–प्रतिदर्शित्र (ऑटो सेम्पलर्स) तथा ऑन–लाइन ऐश ऐनेलाइजर्स (राख विश्लेषकों) की वाशरियों में स्थापना कर दी गई है। .

(ग) और (घ) विवरण I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

(ग) कोल इंडिया लि०/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की खानों में कुल 233 कोयला रख–रखाव संयंत्रों (सी.एच.पी.) /फीडर ब्रेकरों की, जिनकी 232.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्थापित क्षमता है, ऑटो सेम्पलरों (स्व–प्रतिदर्शित्रों) और 10 ऑटो ऐनलाइजर्स (स्व–विश्लेषकों) की कोयला वाशिरियों में स्थापना कर दी गई है, जिसका ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रेषित किए गए कोयले की गुणवत्ता को पर्याप्त रूप में बनाए रखा गया है। कोल इंडिया लि० द्वारा किए गए प्रति मिलियन टन प्रेषण के संबंध में शिकायतों की संख्या में गिरावट आ रही है, जोकि नीचे दिए गए आंकड़ों से प्रदर्शित होती हैं :–

वर्ष	प्रेषित किए गए प्रति मिलियन टन कोयले के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या
1993-94	1.72
1994-95	1.44
अप्रैल–अक्तूबर, 95	0.73

विवरण-II

कंपनी का नाम		खान का नाम जिसमें कोयला रख–रखाव संयंत्र (सी. एच. पी.) / फीडर ब्रेकरों की स्थापना की गई है
कोल इंडिया लि०	1.	कापासरा
	2.	राजमहल
	3.	खांटोडीह
	4.	सामला
	5.	दालुरबंद
	6.	मोइरा
	7.	टीलाबोनी
	8.	बंकोला
	9.	शंकरपुर
	10.	सिदुली
	11.	बहुला
	12.	चोरा
	13.	न्यू केन्दा
	14.	नाबा कजोरा
	15.	पारसकोली
	16.	बंसरा
	17.	टोपोसी
	18.	बेलबेद
	19.	नार्थ सियरसोले
	20.	कुनुस्टोरिया
	21.	अमृतनगर
	22.	परासिया 6 और 7
	23.	सोनपुर बाजारी
	24.	गिरीमिंट
	25.	सोदेपुर
	26.	परबेलिया
	27.	चीनाकुरी 1 और 2 पिट्स
	28.	चीनाकुरी 3
	29.	धेमो मेन
	30.	समला सं. 1 इन्क्लाइन
	31.	समला सं. 3 इन्क्लाइन
	32.	दालुरबंद सं. 4 पिट
	33.	दालुरबंद सं. 8 पिट
	34.	हरीपुर 1 और 2 इन्क्लाइन
	35.	नकराकोंडा 8 और 9
	36.	श्यामसुन्दरपुर (सर पी यूनिट)
	37.	खन्द्रा
	38.	विसहेशवरी खन्द्रा
	39.	टीलाबोनी (पुरानी एस. एस. पुर यूनिट)
	40.	सिंधा 4 और 5 पिट्स
	41.	दुवेशवरी 2 इन्क्लाइन

42. भामुरई 4 इन्कलाइन
43. बी. सी. इन्क्लाइन
44. नरसुन्दा इन्क्लाइन
45. मोंथडीह इन्क्लाइन
46. सोदेपुर 3 "ए" इन्क्लाइन
47. पारसकोली 1 और 6 पिट्स
48. श्यामसुन्दरपुर (ईस्ट सीतलपुर यूनिट)
49. धनसर
50. कटरास
51. झुनकुन्दर
52. साउथ बलिहारी
53. महुदा
54. दमोदा–T
55. कनकनी
56. दामागोरिया
57. कुस्टोरे–T
58. तेतुलमारी
59. कटरी
60. गोविंदपुर–T
61. गोविंदपुर–TT
62. केसलपुर
63. नार्थ अमलाबाद
64. नूडखुँरकी
65. नूडखुँरकी–TT
66. ब्लाक–TT 7 (प्रथम)
67. गोलकडीह–T
68. गोलकडीह–TT
69. सेन्द्रा बंसजोरा
70. ब्लाक–TT (द्वितीय)
71. मुरईडीह–T
72. मुरईडीह–TT
73. भंवरा
74. कुस्टोरे–TT
75. जमुनिया–T
76. जमुनिया TT
77. बेनीडीह
78. नार्थ तिसरा–T
79. नार्थ तिसरा–TT
80. साउथ तिसरा
81. सुदामडीह
82. अंगरपाथरा/गैसलीटांड
83. मूडीडीह
84. भट्टडीह
85. दमोदा–TT
86. भुरकुंदा
87. गिड्डी "ए"
88. गिड्डी "सी"
89. सौंदा
90. सयाल नार्थ
91. डकरा
92. बचरा
93. के.डी. हेसलांग
94. सिरका
95. सेल. धौरी
96. रोहिणी–T
97. रोहिणी–TT
98. पिपरवार–T3
99. पिपरवार –TT
100. सयाल साउथ
101. कूजू
102. चैनपुर
103. अमलो
104. धोरी
105. टर्मी
106. कथारा
107. सवांग

108. जारंगडीह
109. कारगली
110. कबरीबद
111. राजरप्पा
112. खास महल
113. गिड्डी (डब्लू)
114. बंकी
115. मानिकपुर
116. सुराकाचर
117. कुसमुंडा
118. विश्रामपुर ओ. का.
119. चुर्चा
120. दुमन हिल
121. बिजूरी
122. कोरिया–I
123. कोरिया–II
124. वेस्ट झगराखंड
125. जमूना भू.ग.
126. गेवरा/दीपीका
127. एन. सी. पी. एच.
128. कुन्दा
129. गोविंदा
130. राजनगर ओ. का.
131. कुरासिया
132. जमूना ओ.का.
133. राजनगर भू.ग. आर. ओ.
134. भटगांव
135. धनपुरी भू.ग.
136. झीमर
137. राजगमर
138. बलगी
139. दिलवाडी
140. धनपुरी ओ. का.
141. अमलई भू. ग.
142. न्यू – छछई
143. नवगांव
144. नवरोज़ाबाद
145. बिरसिंगपुर
146. उमरई
147. पाली
148. पिनौरा
149. कुटमा
150. कटकोना
151. चिरीमिरी
152. वेस्ट चिरीमिरी
153. लक्ष्मण
154. राजेन्द्र
155. पांडवपुर
156. मंड
157. चल
158. महामाया
159. भरतपुर
160. जगन्नाथ
161. बालन्दा
162. हिंगिर रामपुर
163. अनंता
164. कलिंगा
165. बेलपहाड़
166. लाजकुरा
167. समलेश्वरी–I
168. समलेश्वरी–II
169. लखनपुर–I
170. लखनपुर–II
171. लिंगराज–I
172. लिंगराज–II
173. लिलारी

174. जयंत
175. दुधीचुआ
176. गोरबी
177. बीना
178. झिंगुर्दा
179. काकरी
180. निगाही
181. सितेवाड़ा भू. ग.
182. इकलेहरा भू. ग.
183. ई. डी. सी. भू. ग.
184. शिवपुरी भू. ग.
185. राजपुर भू. ग.
186. चांदामेटा भू. ग.
187. पाथाखेड़ा–TT भू. ग (पीकेड़ी–TT)
188. सतपुरा भू. ग.
189. नकोड़ा भू. ग.
190. बेल्लोरा घुगुस एसडीजी.
191. पतनसौंजी भू. ग.
192. सस्ती भू. ग
193. न्यू माजरी भू. ग.
194. भामोरी भू. ग.
195. सुरकी भू. ग.
196. शिवपुरी ओ. का.
197. एच. एल. सी. भू. ग.
198. उकनी
199. गौरी
200. उमरेर ओ. का.
201. पाथाखेड़ा भू. ग.
202. कम्पटी भू. ग.
203. कम्पटी ओ. का.
204. इन्डेर भू. ग.
205. न्यू माजरी ओ. का
206. दुर्गापुर ओ. का.
207. घुगुस भू. ग.
208. बल्लारपुर ओ. का.
209. वानी भू. ग.
210. पिपला भू. ग.
211. चांदा रैयतवाड़ी भू. ग.
212. शोभापुर भू. ग.
213. सरनी भू. ग.
214. घुगुस ओ. का
215. एच. एल.पी. ओ. का. और भू. ग.
216. पदमपुर ओ. का.
217. सस्ती ओ. का.
218. बेल्लोरा और टरोड़ा ओ. का.
219. नीलजय फेस–T
220. न्यू घुपतला
221. चारगांव

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०

कोयला रख–रखाव संयंत्र (सी.एच.पी) का नाम	संयोजित खानों की संख्या
रूद्रमपुर सी.एच.पी. (के.जी.एम. एरिया)	05
येलन्दु सी.एच.पी. (वाई.ए. एरिया)	05
कोम्ह्रापुरम् सी.एच.पी. (एम.एन.जी. एरिया)	05
जी.डी.के –I सी.एच.पी. (आर.जी.एम.एरिया)	08
एफ.सी.आई.सी.एच.पी. (आर.जी.एम.एरिया)	04
6 इंक/ओ.का–III सी.एच.पी (आर.जी.एम.एरिया)	06
ओ.का.–I सी.एच.पी. (आर.जी.एम.एरिया)	07
शांतिखानी सी.एच.पी. (बी.पी.ए.एरिया)	09
के.के.–I–सी.एच.पी. (एम.एम.एरिया)	05
के.के.–5–सी.एच.पी.(एम.एम.एरिया)	02
आर.के.पी.–1 सी.एच.पी.(आर.के.पी.एरिया)	07
आर.के.पी.–2 सी.एच.पी. (आर.के.पी.एरिया)	08

कोल इंडिया लि० में आटों सेम्पलर्स (स्व-प्रतिदर्शित)

1. गेवरा
2. कुशमुण्डा

3. राजमहल
4. भरतपुर
5. जयन्त
6. दुधीचुवा

कोल इंडिया लि० की वाशरियों में स्थापित राख विश्लेषक (एश ऐनलाइजर्स)

वाशरी का नाम	राख विश्लेषकों की संख्या
1	2
पाथरडीह वाशरी	2
मुनीडीह वाशरी	1
राजरप्पा वाशरी	2
स्वांग वाशरी	2
कथारा वाशरी	1
नन्दन वाशरील	1
सुदामडीह वाशरी	1
	10

[अनुवाद]

गरीबों के उत्थान हेतु कल्याण योजनाएं

*272. श्री तारा सिंह :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों के उत्थान हेतु लागू की गई विभिन्न कल्याण योजनाओं की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं का उचित ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्का बालू) : (क) से (ङ.) जी, हां। सरकार समय-समय पर गरीबों के उत्थान के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करती है।

इस मंत्रालय में विभिन्न स्तरों के साथ-साथ योजना आयोग तथा परामर्शदात्री समिति आदि जैसे अन्य मंचों पर कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की जाती है।

मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवधिक रिपोर्ट मंगाई जाती हैं। अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की भी जांच की जाती है। यदि इन रिपोर्टों/शिकायतों में किसी कमी या समस्या का उल्लेख किया जाता है, तो तत्काल उपचारी उपाय किए जाते हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों को काफी उच्च स्तर पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री/मंत्री/विभाग के प्रभारी सचिव शामिल हैं।

[हिन्दी]

गुर्दे का अवैध व्यापार

*273. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गुर्दे का अवैध व्यापार संबंधी राज्य-वार कितने मामलों का पता चला है;

(ख) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) चूंकि "पुलिस" एवं "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है कि वे उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में चलाई जा रही किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कदम उठाएं। तथापि, केन्द्र सरकार ने "मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994" (1994 का 42वां) अधिनियमित किया जोकि गोआ, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों में 4 फरवरी, 1995 को लागू हुआ। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य सरकारों ने भी अब इस अधिनियम को अंगीकृत कर लिया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, मानव अंगो को निकाले जाने, उनके भंडारण तथा प्रत्यारोपण को विनियमित करना और मानव अंगों के व्यावसायिक रूप से लेन-देन को रोकना है। अब अन्य राज्य सरकारों को उपर्युक्त अधिनियम को अगीकृत करने पर विचार करना है।

[अनुवाद]

सीसा-रहित पेट्रोल पम्प

*274. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सीसा-रहित पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे और पेट्रोल पम्प खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ये पेट्रोल पम्प कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश में आज की स्थिति के अनुसार सीसा रहित चार महानगरों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में और इन महानगरों से निकलने वाले राजमार्गों के साथ–साथ तथा आगरा शहर में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार चुने हुए 218 खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं :

	शहर में	राजमार्ग पर	योग
दिल्ली	100	14	114
बम्बई	46	5	51
कलकत्ता	31	5	36
मद्रास	10	4	14
आगरा	3	–	3
योग :	190	28	218

(ख) से (घ) जैसे–जैसे मांग बढ़ेगी सीसा रहित पेट्रोल इन महानगरों में और राजमार्गों के साथ–साथ और अधिक खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने 31.12.1998 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में तथा 1999-2000 तक सारे देश में सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति करने के निर्देश तेल कंपनियों को दिए हैं।

[हिन्दी]

तेल छिद्रण कार्य

*275. **श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन नए स्थानों पर तेल छिद्रण कार्य शुरू किया गया;

(ख) इन प्रयासों के फलस्वरूप कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1992-93, 1993-94, 1994-95 के वर्षों के दौरान पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तटवर्ती अपतटीय क्षेत्रों के साथ–साथ कैमबे, सौराष्ट्र, राजस्थान, कावेरी, कृष्णा–गोदावरी, उपरी असम, असम–अराकान, बंगाल, हिमालय की तराई तथा गंगा घाटी, विंध्य के परतदार बेसिनों के जमीनी क्षेत्रों में 190 नयी संरचनाओं/स्थानों पर वेधन कार्य किया गया था।

(ख) इसके परिणामस्वरूप करीब 73 मिलियन टन हाइड्रोकार्बन के भंडार स्थान पर स्थापित हुए हैं।

(ग) बोली के चौथे, पांचवें तथा छठे अन्वेषण दौर के तहत भारत सरकर ने विभिन्न विदेशी/भारतीय कंपनियों या इनके परिसंघों का विभिन्न करारों को देने के लिए अनुमोदन दिया है। इसके संबंध में विवरण निम्नानुसार है :

चौथा दौर

ब्लाक का नाम	कंपनी/परिसंघ का नाम	राज्य/बेसिन
जीएन–ओएन–90/3	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी तथा मफतलाल इंडस्ट्रीज दोनों भारतीय कंपनियों का परिसंघ।	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
केजी–ओएस–90/1	अमेरिका के मैसर्स अल्वियन इंटर–नेशनल रिसोर्सेज इंक, आस्ट्रेलिया के मैसर्स काप्लेक्स रिर्सोसिज लि० कनाडा के मैसर्स नाइको रिसोर्सेज तथा भारत की हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का परिसंघ।	कृष्णा गोदावरी अपतट
आरजे–ओएन–90/1	नीदरलैंड का शेल इंडिया प्रोडक्शन डेवेलपमेंट बी वी	राजस्थान
सीवाई–ओएस–90/1	भारत के एच ओ ई सी, अमेरिका के बाल्को एनर्जी इंक तथा भारत के टाटा पेट्रोडाइन का परिसंघ	कावेरी अपतट
जीके–ओएन–90/2	अमेरिका के मैसर्स पैन एनर्जी रिसोर्सेज, आस्ट्रेलिया के स्टलिंग रिसोर्सेज, अमेरिका की आकलैंड आयल कंपनी, आस्ट्रेलिया की पैन, पेसिफिक पेट्रोलियम, एन एल तथा भारत के ट्रांस एशिया कंसल्टैंट्स	गुजरात कच्छ तटवर्ती

पांचवां दौर

ब्लाक का नाम	कंपनी/परिसंघ का नाम	राज्य/बेसिन
आरजे–ओएन–90/4	एस्सार आयल लि. भारत	राजस्थान
आरजे–ओएन–90/5	एस्सार आयल लि. भारत	राजस्थान
बीबी–ओएस/5	एस्सार आयल लि. भारत	बम्बईअपतट
सीवीई–ओएस/2	एचओईसी, बडौदा, टाटा पेट्रोडाइन भारत, दिल्ली वाल्को एनर्जी, अमेरिका	कावेरी अपतट
केजी–ओएस/6	कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, वीडियाकॉन इंटरनेशनल लि. भारत	कृष्णा गोदावरी अपतट

जीके–ओएस/5	अमेरिकन की रेक्सवुड कारपोरेशन तथा आकलैंड आयल कंपनी	गुजरात–कच्छ अपतट

छठा दौर

ब्लाक का नाम	कंपनी/परिसंघ का नाम	राज्य/बेसिन
सीबी–ओएन/2	अमेरिका की मैसर्स सैम्सन इंटरनेशनल लि. बड़ौदा का एच ओ ई सी तथा अहमदाबाद की जी एस पी सी	कैम्बे तटवर्ती
सीबी–ओएन/7	अमेरिका की मैसर्स सैम्सन इंटरनेशल लिमिटेड	कैम्बे तटवर्ती
सीबी–ओएस/1	अमेरिका की वाल्को एनर्जी इंक, नई दिल्ली का टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लि. तथा बड़ौदा की एच ओ ई सी	कैम्बे अपतट

[अनुवाद]

संरचनात्मक सुधार

*276. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संरचनात्मक सुधारों का देश में गरीब जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान, घरेलू उपभोक्ता व्यय के पंचवर्षीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) संबंधी आंकड़ों का प्रयोग करके लगाया जाता है, ऐसे पिछले दो सर्वेक्षण वर्ष 1987-88 तथा 1993-94 में आयोजित किए गए थे, सुधार पश्चात् की अवधि में किए गए 1993-94 सर्वेक्षण के उप–प्रतिदर्श–1 पर आधारित कुछ अनंतिम परिणाम उपलब्ध करवाए गए हैं, किन्तु ये परिणाम चुने किए गए प्रतिदर्श परिवारों के केवल आधे परिवारों से संबंधित हैं, उपभोक्ता व्यय संबंधी तुलनीय एनएसएस आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण इस स्तर पर गरीबी पर आधार संरचनापरक सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय पुरस्कारों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड

*277. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत रत्न पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पदम श्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों के चयन करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पुरस्कार हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पृथक कितने पुरस्कार दिये गये हैं; और

(घ) पुरस्कृत व्यक्तियों की सूची और उनके व्यवसाय और जिस क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है, का संक्षिप्त ब्यौर क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) "भारत रत्न", "पद्म विभूषण", "पद्म भूषण", और "पद्म श्री", प्रदान करने संबंधी मानदण्ड/दिशानिर्देश, राष्ट्रपति के सचिव के कार्यालय द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं के विनिमय–5 में निहित हैं : (1) सं०–1–प्रेस./55 दिनांक 8 जनवरी, 1955, (2) सं–2–प्रेस/55 दिनांक 8 जनवरी, 1955, (3) सं०–3–प्रेस/55 दिनांक 08 जनवरी, 1955 और (4) सं०–5–प्रेस/55 दिनांक 08 जनवरी, 1955। विनियम 5 का पाठ इस प्रकार है :–

(i) "भारत रत्न" के मामले में – "यह अलंकरण कला–साहित्य और विज्ञान के संवर्द्धन की दिशा में असाधारण सेवा के लिए तथा उच्चतम कोटि की जन सेवा की मान्यता स्वरूप प्रदान किया जाएगा।"

(ii) "पदम विभूषण" के मामले में – "यह अलंकरण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।"

(iii) "पद्म भूषण" के मामले में – "यह अलंकरण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।"

(iv) "पद्मश्री" के मामले में – "यह अलंकरण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।"

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही का प्रसारण

*278. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही के प्रसारण संबंधी समूचे मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने

की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जनशक्ति, आधारभूत सुविधाओं तथा संसाधनों की बाध्यताओं के कारण दूरदर्शन राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही की सीधी कवरेज उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*279. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक घरानों के सक्रिय सहयोग से व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कौशल विकास, मजदूरी–रोजगार और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना सहित इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए उत्सुक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कई प्राइवेट पार्टियों ने पेशकश की है; और

(च) यदि हां, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें दी जाने वाली रियायतों और सहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (च) सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में व्यापारिक घरानों तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी का हमेशा स्वागत किया है तथा प्रोत्साहित किया है, वस्तुतः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी पर स्पष्ट रूप से फोक्स डाला गया है।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डीडब्लूसीआरए), जनसहयोग (पीसी), लाभग्राहियों का संगठन (ओबी), ग्रामीण प्रौद्योगिकी स्कीम को प्रोत्साहन (एआरटीएस), केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी आर एस पी) तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्लू एस पी) के क्षेत्रों को शामिल करके जन कार्रवाई तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उत्थान परिषद् (कार्पाट) के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

गरीबी उन्मूलन के संबंध में सरकारी प्रयासों को तेज करने हेतु निजी क्षेत्रक को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) अपने विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल उन्नयन तथा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा सहायता प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इसके अलावा, फरवरी, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि है, जिसमें ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए दानकर्ता को कर छूट का लाभ दिया जाता है। इसे प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 में संशोधन के परिणाम स्वरूप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 सी सी ए तथा 80 जी जी ए के तहत 100 प्रतिशत आयकर से छूट के लिए पात्र गतिविधियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। शुरू से अब तक आठ करोड़ रुपये से अधिक की राशि का दान राष्ट्रीय विकास निधि में प्राप्त हुआ है।

निजी रेडियो और टेलीविजन केन्द्र

*280. **श्री राम कापसे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निजी रेडियो/टेलीविजन केन्द्रों के लिए अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) देश के लिए व्यापक प्रसारण कानून बनाने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) फिलहाल कोई समय–सीमा नहीं बतायी जा सकती हैं।

बजट घाटा

*281. **श्री रामपाल सिंह :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के बजट घाटे में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने–कितने वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया गया था तथा वास्तविक घाटा कितना कितना रहा;

(घ) सरकार द्वारा वित्तीय घाटे को अनुमानित आंकड़ों तक न रख पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में तथा बढ़ते बजट को नियंत्रित करते हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) बजटीय घाटा राजस्व और पूंजी खातों दोनों की कुल प्राप्तियों की अपेक्षा कुल व्यय की अधिकता द्वारा मापा जाता है। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में इसके 5000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्राप्तियों और व्ययों में असंतुलन होने के कारण वर्ष के दौरान बजट घाटे में अस्थायी वृद्धि हो सकती है।

(ग) 1992-93 से लेकर तीन वर्ष के लिए वित्तीय घाटे से संबंधित स्थिति जिसे सरकार की सभी स्रोतों से आवश्यक कुल निवल

उधार के रूप में परिभाषित किया जाता है; नीचे सारिणी में दी गई है:

(करोड़ रुपये)

वित्तीय घाटा

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े
1992-93	34408	36722	40173
1993-94	36959	58551	60257
1994-95	54915	61035	-*

* इन लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) मूल बजट की तुलना में घटबढ़ को नीचे स्पष्ट किया गया है :

1992-93 : मुख्यतया आयोजना खाते और राजसहायता पर अधिक व्यय के साथ-साथ कर राजस्व में कमी के कारण।

1993-94 : मुख्यतया कर राजस्व में कमी और आयोजना, रक्षा और राजसहायता पर अधिक व्यय के कारण।

1994-95 : लघु बचत संग्रेहों के लिए राज्यों को आयोजना, राजसहायता और ऋणों पर अधिक व्यय के कारण।

(ङ) कर राजस्वों में अधिकतम वृद्धि करने और व्यर्थ एवं परिहार्य व्यय में कटौती करने को प्राथमिकता दी जा रही है। घाटे को उचित स्तर तक नियंत्रण में रखने के लिए पूरे वर्ष इसकी ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती है।

विदेशी मुद्रा भंडार

*282. **श्री जे. चौक्का राव :**

श्री के. मुरलीधरन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 अक्तूबर, 1995 तक विभिन्न घटकों सहित विदेशी मुद्रा भंडार कितना था;

(ख) क्या अक्तूबर, 1995 के अंत में भुगतान-संतुलन में कोई कमी आई थी; और

(ग) यदि हां, तो भुगतान-संतुलन में हुई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कमी का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) दिनांक 31 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा उनके संघटक निम्नानुसार है :

	अमरीकी मिलियन डालर
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तिया	17,753
सोना	4,408
विशेष आहरण अधिकार	39
जोड़ :	22,200

(ख) और (ग) अप्रैल-अक्तूबर, 1995 के लिए भुगतान संतुलन आंकड़ों का विस्तृत ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में संचलन, जो मोटे तौर पर विदेशी ऋण और भुगतान स्थिति में सुधारों को प्रतिबिम्बित करता है, दर्शाता है कि अप्रैल-अक्तूबर, 1995 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 2986 मिलियन अमरीकी डालर तक की कमी आई। अप्रैल-अक्तूबर, 1995 के दौरान डी जी सी आई एवं एस आंकड़ों के अनुसार, व्यापार घाटा 2701 मिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 1995-96 के दौरान चालू लेखा खाते के विस्तार की, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.5 प्रतिशत के निरंतर स्तर पर बने रहने की आशा है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

*283. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बंधुआ एवं बाल श्रम प्रथाओं के उन्मूलन हेतु कानूनों को ठीक से लागू करने में विफल रहने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इन कुरीतियों को समाप्त करने संबंधी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं किए जाने के लिए भारत की निन्दा की है;

(ख) यदि हां, तो भारत एवं अन्य विकासशील देशों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कौन-कौन से मुख्य आरोप लगाए हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) अभिसमयों और सिफारिशों की अनुप्रयोज्यता पर अं.श्र.सं. की विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट, 1995 में, अं.श्र.सं. के 1930 के बलात् श्रम से संबंधित अभिसमय संख्या 29 के अनुसमर्थन के भारत द्वारा कार्यान्वयन के संबंध में अपनी टिप्पणी में बंधुआ श्रमिकों और दासता में बालकों को पहचान करने, स्वतंत्रता दिलाने और पुनर्वास के लिए विशेष प्रयास किए जाने का सुझाव दिया है। विशेषज्ञ समिति ने यह भी टिप्पणी की है कि भारत में इस प्रथा की स्थिति में कोई विशेष सुधार हुआ प्रतीत नहीं होता है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर जून, 1995 में मानकों की अनुप्रयोज्यता संबंधी अं.श्र.सं. की अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन समिति में विचार-विमर्श किया गया था। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने मानकों को अनुप्रयोज्यता संबंधी समिति को आश्वासन दिया है कि विशेष समिति द्वारा व्यक्त की गयी सुविचारित चिंता भारत सरकार को इस अभिसमय को और अधिक कारगर ढंग से लागू करने में इसके प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित ही करेगी। उन्होंने दासता वाले बालकों सहित बंधुआ श्रमिकों को नियमित आधारर पर पहचान करने, मुक्ति दिलाने और पुनर्वास के बारे में सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों का भी ब्यौरा दिया। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अंत में भारत ने सम्मेलन समिति के इन निर्णयों पर आपत्ति की कि अं. श्र.सं. के अधिसमय संख्या 29 के अंतर्गत सभी प्रकार का बाल श्रम बलात् श्रम है और यह प्रस्तुत किया कि अं.श्र.सं. की विशेष समिति को इस विषय की पुनरीक्षा करनी चाहिए। समिति ने भारत सरकार की व्यापक मौखिक और लिखित रिपोर्ट को नोट किया और इस तथ्य को मान्यता प्रदान की कि भारत सरकार ने समिति की सूचना मुहैया करवा के अं.श्र.सं. के साथ

सहयोग किया है। समिति ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि सभी प्रकार के बंधित श्रम का उन्मूलन करने के लिए सभी संभव प्रयासों को बेहतर और सुदृढ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकार के प्राधिकारी स्थानीय स्तर पर और अधिक सक्रिय हों। समिति ने सरकार से इस संबंध में कार्रवाई अंगीकार किए जाने और उसे उपलब्ध करवाए गए सभी संसाधानों का उपयोग करने का भी अनुरोध किया है ताकि अतिशीघ्र तथा 2000 ई. से पहले ही निश्चित रूप से वास्तविक बेहतर प्रगति हासिल की जा सके। मानकों की अनुयोज्यता संबंधी समिति की रिपोर्ट में भारत के विरुद्ध कोई विशेष अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

अनेक देशों में अभिसमय संख्या 29 के कार्यान्वयन, अनेक विकाशील देशों सहित, की विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षा की गयी और उन देशों में से कुछ के संबंध में इसकी टिप्पणियों पर मानकों की अनुप्रयोज्यता संबंधी समिति में भी समान रूप से विचार–विमर्श किया गया था।

कृषि तथा फार्म उत्पादों का निर्यात

*284. **श्री के. टी बान्डायार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातित कृषि उत्पादों का मूल्यवार और जिन्स वार कुल प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या फार्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ग) कृषि और फार्म उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा इस समय क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(घ) क्या सरकार ने फार्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त लाभ/प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या कुछ कृषि उत्पाद केवल निर्यात के लिए निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो जिन्स वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि अन्य उत्पादों का (चाय, काफी और कपास सहित परंतु समुद्री उत्पादों को छोडकर) 9183.37 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ जो भारत के कुल निर्यात का 11.1% बनता है। निर्यात किए गए कृषि जन्य उत्पादों का ब्यौरा डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) से (च) कृषि जन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है – निरीक्षण क्रिया विधियों को सरल बनाना), चुनिन्दा मदों पर से न्यूनतम निर्यात मूल्य और पात्रात्मक प्रतिबंध हटाना, रियायती ऋणों का प्रावधन करना, अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद विकसित करना, निर्यातोन्मुख इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ कृषि क्षेत्र को देना और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50% बिक्री की अनुमति देना, घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए कच्ची काजूगिरी का मुक्त आयात करना, काली मिर्च के निर्यात पर 31.3.96 तक 2% निर्यात उपकर बंद करना 1.12.95 से 31.12.95 के बीच मध्य पूर्वी देशों को उपभोक्ता पैकेटों में वायुयान से किया गया 600 मी. टन इलायची के निर्यात की लागत पूरा करने के लिए 20 रु. प्रति कि. ग्रा. की दर से सहायता देना, निर्यात विकास लागत पूरा करने के लिए 1.12.95 से 31.12.95 की अवधि के दौरान 600 मी. टन इलायची के निर्यात के लिए 35 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से इलायची निर्यातकों को सहायता देना, 31.3.96 तक इलायची पर 2% निर्यात उपकर की छूट देना, विशिष्ट देशों को नष्ट होने योग्य विशिष्ट उत्पादों के निर्यात पर वायु भाड़ा इमदाद देना, हवाई अड्डों पर प्रशीतन भंडारों का प्रावधान करना।

(छ) और (ज) सभी कृषि जन्य उत्पादों का बिना किसी प्रतिबंध के उस सीमा तक निर्यात किया जा सकता है जहां तक ऐसे निर्यात वाणिज्य मंत्रालय के प्रकाशन निर्यात एवं आयात नीति, 1 अप्रैल, 1992–31 मार्च 1997 के अध्याय 16 भाग 1, 2 और 3 के साथ पठित पैरा 123 द्वारा विनियमित होते हों। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सरकार की यह नीति है कि जनता के उपभोग की वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति इस तरह से दी जाए कि इससे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से समझौता न करना पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार प्रतिबंध निर्धारित करती है जैसे – लाइसेंसिंग, दालों, अनाजों, तेल बीज, दुग्ध, दुग्ध उत्पाद और चीनी जैसी मदों पर मात्रात्मक सीमा रखना और न्यूनतम निर्यात मूल्य रखना। साथ ही सरकार का उद्देश्य कृषकों के लाभार्थ कृषि क्षेत्र से मिलने वाली विदेशी मुद्रा आय को अधिकतम करना है;

[हिन्दी]

प्रसाधन सामग्री एवं इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी

*285. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 में सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क नियमों में परिवर्तन के बाद से प्रसाधन सामग्रमी एवं इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रसाधन सामग्री और इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी के संबंध में सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा तीन वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किए गये; और

(घ) सराकर द्वारा इन वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रसाधन सामग्रियों और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क की दरों को कम करने की सरकारी नीति से तस्करी में कमी हुई है। प्राप्त आसूचना रिपोर्टों और अभिग्रहण संबंधी आंकड़ों से

प्रसाधन सामग्रियों और इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं की तस्करी करने की प्रवृत्ति में कमी होने का पता चलता है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रसाधन सामग्रियों और इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी के संबंध में दर्ज किए गए अभिग्रहण संबंधी मामलों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :

	1993-94	1994-95	1995-96
प्रसाधन सामग्रियां	52	59	35*
इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	2075	2000	1228*

* केवल अक्तूबर 1995 तक

(घ) क्षेत्रीय कार्यालय प्रसाधन सामग्रियों और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी सहित तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए सतर्क हैं।

[अनुवाद]

ऊन उद्योग का विकास

*286. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऊनी उद्योग का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रौद्योगिकी के उन्नयन सहित इसे क्षेत्र के लिए चयन किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में तत्संबंधी कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां। अन्य बातों के साथ-साथ प्रति भेड़ उत्पादकता बढ़ाने, मशीनरी का तकनीकी उन्नयन, डिजायन तथा शिल्पियों के हुनर में सुधार करने तथा पारंपरागत बाजार से बाहर अप्रयुक्त निर्यात संभावना का उपयोग करने के लिए एक उद्यमशील विपणन नीति अपनाने पर स्थान केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) ऊनी उद्योग का विकास करने के लिए विभिन्न उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है।

विदेशी मुद्रा भंडार

*287. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1995, 1 सितम्बर, 1995, 1 अक्तूबर, 1995 1 नवम्बर 1995 और 1 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में विदेशी मुद्रा का कितना भंडार था;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान अमरीकी डालर और अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर में कोई उतार-चढ़ाव आया था;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितना उतार-चढ़ाव आया और प्रत्येक माह के दौरान इसकी अधिकतम और न्यूनतम दर कितनी-कितनी रही एवं प्रत्येक माह के दौरान इसका औसत दर कितना था;

(घ) रुपए के विनिमय मूल्य को स्थिर रखने हेतु सरकार और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या रुपये का वर्तमान मूल्य उसके वास्तविक अवमूल्यन के समान है, और

(च) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1991, 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल, 1993, 1 अप्रैल 1994 और 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार रुपये के मूल्य का कितना प्रतिशत अवमूल्यन हुआ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) 1 अगस्त, 1995 से 1 दिसम्बर, 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकारों सहित भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार निम्नानुसार था :

भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार

(मिलियन अमरीकी डालर)

के अनुसार अथशेष	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार
1 अगस्त, 1995	24,347
1 सितम्बर, 1995	23,449
1 अक्तूबर, 1995	23,477
1 नवम्बर, 1995	22,200
1 दिसम्बर, 1995	21,782

(ख) जी, हां।

(ग) अगस्त, 1995 से नवम्बर, 1995 तक के लिए प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये की महीना वार उच्चतम, न्यूतनतम और औसत विनिमय दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों के अनुरुप स्तरों पर रुपए की विनिमय दर को स्थिर बनाने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने तथा मांग को घटाने के लिए भी बड़ी संख्या में उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं : (i) अनिवासी (बाह्य) रुपया सावधि जमाराशियों (एन आर ई) और अनिवासी गैर प्रत्यावर्तित रुपया सावधि जमाराशियों (एन आर एन आर) पर ब्याज की दरों में वृद्धि करना (ii) 27.10.95 को मौजूद स्तर पर एन आर ई तथा एन आर एन आर जमाराशियों और 24.11.95 को मौजूद स्तर पर एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों में वृद्धि के संबंध में बैंकों को नकदी प्रारक्षित अनुपात की आवश्यकताओं में छूट (iii) 90 दिन से अधिक और 6 महीने तक की अवधि की परिपक्वताओं के लिए अमरीकी डालरों में मूल्यवर्गित लदान पश्च निर्यात ऋणों (पी.एस.सी.एफ.सी.) पर ब्याज दर में वृद्धि (iv) आयात वित्तपोषण पर ब्याज दर अधिभार। इसके अतिरिक्त सरकार ने जी डी

आर/एफ.आर.एन./एफ.सी.सी.बी. को जारी करने, इनकी प्राप्तियों और उनके प्रयोग का भारत में प्रेषण से संबंधित आवश्यकताओं में कुछ संशोधन भी किया है।

(ङ) और (च) संदर्भित तारीखों पर दरों की तुलना में प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 6 दिसम्बर, 1995 को रुपए की विनिमय दर में प्रतिशत अवमूल्यन (–)/अधिमूल्यन (+) नीचे दिए गए हैं :

निम्न तारीख को मूल्य की तुलना में	निम्न के मुकाबले 6 दिसम्बर, 1995 को रुपये का अवमूल्यन (–)/अधिमूल्यन (+)			
	अमरीकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	डयूश मार्क	जापानी येन
1	2	3	4	5
3 अप्रैल, 1991	–43.21	–35.11	–51.73	–58.52
2 अप्रैल, 1992	–10.77	–0.70	–22.81	–32.84
2 अप्रैल, 1993	–10.15	–11.14	–19.01	–20.35
4 अप्रैल, 1994	–9.93	–14.07	–23.88	–11.97
4 अप्रैल, 1995	–9.68	–5.50	–5.53	+6.49

विवरण

रुपए की विनियम दर [रुपया प्रति विदेशी मुद्रा]

महीना वार दर

महीना	अमरीकी डालर			पौंड स्टर्लिंग		
	निम्नतम	उच्चतम	औसत	निम्नतम	उच्चतम	औसत
1995						
अगस्त	31.9400	31.4050	31.5808	50.6588	48.7663	49.5849
सितम्बर	34.1500	31.3200	33.1752	53.6563	49.4800	51.7342
अक्तूबर	35.6600	33.8300	34.5372	56.2400	53.3588	54.5095
नवम्बर	34.9350	34.2750	34.7405	56.2400	53.3588	54.5095
महीना	डयूश मार्क			जापानी येन @		
	निम्नतम	उच्चतम	औसत	निम्नतम	उच्चतम	औसत
1995						
अगस्त	22.7025	21.3013	21.9108	35.6738	32.1363	33.5040
सितम्बर	23.9500	21.7225	22.6759	34.5038	32.1600	33.0550
अक्तूबर	25.5975	23.5288	24.4238	34.5875	33.3325	34.1173
नवम्बर	25.5975	23.5288	24.4238	35.3363	33.3825	34.2758

@ रुपया प्रति 100 येन।

बैंकिंग सेवा में सुधार

*288. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अगस्त–सितम्बर, 1995 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन–किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और इसमें क्या–क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इस योजना से देश में ग्राहकों और महिला उद्यमियों को किस हद तक सहायता मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) वित्त मंत्री ने दिनांक 28.8.95 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक को संबोधित किया था। इस बैठक की कार्यसूची में अन्य मामलों के साथ–साथ बैंकों में ग्राहक सेवा, कम्प्यूटरीकरण, अनिष्पादित आस्तियों, बैंक दस्तावेजों से संबंधित कानूनी ढांचे में कमी, महिला उद्यमियों की सहायता करने आदि से सम्बंधित मदों को भी शामिल किया गया था। विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप, यह महसूस किया गया था कि बैंकों को ग्राहक सेवा में सुधार के लिए यथासंभव शीघ्र आगे और कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बात पर भी सहमति हुई कि महिला

उद्यमियों की सहायता करने और कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात जैसे क्षेत्रों में उनकी उचित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को नवोन्मेषी तरीके ढूढ़ने चाहिए। इन मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ उठाया गया है। आशा की जाती है कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

मसालों का निर्यात

*289. **डा. वसंत पवार :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेषकर चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः माह में वर्ष 1994 की तदनुरूप अवधि की तुलना में कुल कितनी मात्रा में मसालों का निर्यात किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(ख) क्या निर्यातकों को कुछ माल वापस भेजा गया है।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिये निर्यात संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है; और

(ङ) मसालों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मसालों का मूल्य नीचे दिया जा रहा है :–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1992-93	418.64
1993-94	547.25
1994-95 (अ)	607.34
1995-96 (अप्रैल–अक्तूबर)	375.12
1994-95 (अप्रैल–अक्तूबर)	301.92

(अ) अनन्तिम

(स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता/नौवहन बिल/निर्यातकों की विवरणियां, आदि)

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित मसालों के देशवार ब्यौरे डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिकांक में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां ससद पुस्कालय में उपलब्ध हैं।

(ख) तथा (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 20 मी. टन काली मिर्च की केवल एक खेप (माह जनवरी, 1994 में लदान की गई थी) ही उसके निर्यातक को पुनप्रसंस्करण के लिए वापस प्राप्त हुई क्योंकि उसमें फफूंदी दिखाई दे रही थी जो यानान्तरण के दौरान पानी के रिसाव के कारण लगी थी। वह माल पुनप्रसंस्करण के बाद पुनः पोतलदान कर खरीदार को भेजा गया था।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए मसालों के निर्यात का 626 करोड़ रु. मूल्य का लक्ष्य रखा गया है। 8वीं योजना के दस्तावेज के अनुसार वर्ष 1996-97 के मसालों का निर्यात 447 करोड़ रु० मूल्य (1991-92 कीमतों पर आधारित) होने का अनुमान है।

(ङ) सरकार/मसाला बोर्ड ने मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :–

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्वालिटी मूल्यांकन तथा उन्नयन ;

(2) करी पाउडर, मसाला तेल तथा तेलराल, ब्राण्डयुक्त उपभोक्ता पैकेटबन्द मसालों, निर्जलीकृत हरी काली मिर्च, आदि के रूप में मूल्यवर्धित मसालों का निर्यात संवर्धन ;

(3) मौजूदा बाजारों में बाजार–आधार सुदृढ़ करना और नए–नए बाजारों का पता लगाना ;

(4) विदेशी बाजारों में अलग–अलग निर्यातकों द्वारा निश्चित ब्राण्डों के संवर्धन हेतु सहायता प्रदान करना ;

(5) भारतीयता के चिह्न के रूप में लोगों और उपभोक्ता पैकों में मसालों की क्वालिटी को लोकप्रिय बनाना।

(6) बिक्री–सह–अध्ययन प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करान, घुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों में भाग लेना और क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना;

(7) क्वालिटी उन्नयन, भारत से मूल्यवर्धित मसालों के निर्यात संवर्धन और मसाला उत्पादक क्षेत्रों में आय तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से मसाला बोर्ड द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से एक परियोजना चलाई जा रही है।

(8) प्रयोगशाला की स्थापना और आईएसओ–9000 की प्रमाणिकता ठहराने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना;

(9) करी पाउडर/स्थलीय मसाला विनिर्माण एकक की स्थापना संबंधी परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट देना;

(10) कीटनाशक दवा अवशिष्ट की मानीटरिंग संबंधी सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना;

(11) मध्य–पूर्व के बाजारों को उपभोक्ता पैकों में इलाइची के निर्यात पर 20 रु० प्रति किग्रा. की दर से हवाई–भाड़ा सहायता प्रदान करना;

(12) माह दिसम्बर, 1995 के दौरान इलाइची के निर्यात हेतु 35 रु० प्रति किग्रा. की दर से निर्यात प्रोत्साहन;

(13) इलाइची के निर्यात पर दिनांक 1.12.1995 से 31.3.1996 तक की अवधि के दौरान 2 प्रतिशत की दर से निर्यात उपकर के भुगतान से छूट।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की टिप्पणियां

*290. **श्री तारा सिंह :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने यह सुझाव दिया है कि भारत अपने वित्तीय घाटे को कम करे तथा संरचनात्मक सुधारों में तीव्रता लाए ताकि मुद्रा स्फीति की दर को कम किया जा सके और निजी निवेश के लिये संसाधनों में वृद्धि हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) जून 1991 में प्रारंभ की गयी सरकार की समायोजन और सुधार की नीति एक ओर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और स्थायीकरण तथा दूसरी ओर संरचनात्मक सुधारों के दोहरे सिद्धान्त पर आधारित है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय को लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने के लिए ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अवसंरचनात्मक विकास में लगाते हुए अधिक कारगर और प्रतिस्पर्द्धात्मक अर्थव्यवस्था और प्राइवेट निवेश के लिए निर्बाध संसाधनों का निर्माण करना है। भारत के सुधार कार्यक्रम के प्रेक्षक, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी शामिल है, इस नीति का मूल्य–स्थिरता सहित अनवरत विकास को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीके के रूप में समर्थन करते हैं।

(ग) सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से परिहार्य व्यय को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए सभी संभव उपचारात्मक कार्य कर रही है। राज्य सरकारों को भी इसका पालन करने को कहा गया है। जहां तक संरचनात्मक सुधारों का संबंध है, यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

उत्पाद शुल्क नीति में परिवर्तन

*291. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पाद नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परिवर्तनों से किस प्रकार आयातों में कमी और निर्यात में वृद्धि की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) उत्पाद तथा सीमा शुल्क टैरिफ में हाल के बजटों में किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य कर ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाना तथा कराधान की दरों को कम करना था। इनका उद्देश्य भारतीय उद्योग की लागत कम करना और उसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना भी था। शुल्क की दरों के फैलाव में कमी करने ; शुल्क की दरों को उदार बनाने ; अन्य उपयोग आधारित छूटों की संख्या में कमी करने; माडवेट योजना को पूंजीगत माल तथा पेट्रोलियम उत्पादों सहित अन्य वस्तुओं पर लागू करने, वर्गीकरण सूची तथा मूल्य सूची फाइल करने की प्रथा को समाप्त करने; लघु उद्योग इकाइयों को सामान्य छूटों में और ढील देने तथा इन्हें लागू करने और निर्धारितियों के स्वयं के बीजकों द्वारा गेट पासों को प्रतिस्थापित करने जैसे कुछेक अन्य परिवर्तनों द्वारा भी इन्हें पूरक बनाया गया है।

पूर्वोक्त उपायों से स्वदेशी उत्पादन बढ़ने, मुकदमेबाजी कम होने तथा भारतीय निर्यातों को और अधिक प्रतियोगी तथा लाभकारी बनाकर उनमें बढ़ोत्तरी होने की आशा है। जहां तक आयातों का संबंध है, उनकी मात्रा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

राज्यों को वित्तीय सहायता

*292. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपनी खराब वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता अथवा अनुदानों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो 1994-95 और 1995-96 में अब तक राज्य–वार कुल कितनी राशि की मांग की गई तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्राप्त सूचनाओं पर आधारित एक विवरण संलग्न है। यह विभाग राज्य सरकारों को आवश्यक सूचना हेतु अलग से लिख रहा है। यदि कोई अतिरिक्त सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त होती है तो उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

विवरण

राज्यों द्वारा अपनी वित्तीय बाधाओं के निवारण के लिए मांगी गई विशेष केन्द्रीय वित्तीय सहायता अथवा अनुदान तथा वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 और 1995-96 (12.12.1995 तक) के दौरान मुहैया कराई गई धनराशि

1	2	3		4
क-1994-95				(रुपए करोड़ में)
क्र.सं.	**राज्य**	**मांगी गई धनराशि**		**मुहैया कराई गई धनराशि**
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	आंध्र प्रदेश सिंचाई–II परियोजना के शेष घटक के कार्यान्वयन के लिए	कुछ नहीं
2.	असम			
	(i)	—	शेष सभी ऋण, पांच वर्ष के ब्याज सहित, के पुर्नभुगतान पर अधिस्थगन	सहमत नहीं
	(ii)	220.00	बाजार से अतिरिक्त ऋण लेन–देन	30.00
	(iii)	300.00	वर्ष 1993-94 तक के कुल घाटे की पूर्ति के लिए अग्रिम योजनागत सहायता	कुछ नहीं
3.	हिमाचल प्रदेश			
	(i)	550.00	भाखड़ा और व्यास प्रबन्धन परिषद (बी०बी०एम०बी०) से ऊर्जा के बंटवारे और पास–पड़ोस के राज्यों में ऊर्जा की आपूर्ति के संबंध में इन राज्यों द्वारा देय 1100.00 करोड़ रुपए की शेष ऋण के एवज में	सहमत नहीं
	(ii)	100.00	राज्य में सरकारी क्षेत्र के दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रभावी करने के लिए	कुछ नहीं
	(iii)	268.74	वर्ष 1993-94 के दौरान मुहैया कराए गए 269.74 करोड़ रुपए के अग्रिम योजनागत सहायता को पूर्ण अनुदान या दीर्घकालिक ऋण में बदलने के लिए	सहमत नहीं
4.	जम्मू और कश्मीर			
	(i)	535.00	बजटीय घाटे की भरपाई के लिए अग्रिम योजनागत सहायता	
	(ii)	195.00	सुरक्षा से संबंधित व्यय के लिए	973.00
	(iii)	733.00	वसूली को प्रभावी बनाए बिना वर्ष 1994-95 के दौरान भुगतान किए जाने वाले 733.00 करोड रुपए का पुनर्योजन	(विशेष योजनागत सहायता)
5.	केरल	100.00	बाजार से अतिरिक्त ऋण लेन–देन	50.00

1	2	3		4
6.	मणिपुर			
	(i)	35.00	बकाया देयताओं को सरल बनाना	सहमत नहीं
	(ii)	119.00	मणिपुर के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज	कुछ नहीं
	(iii)	10.00	आतंकवाद से निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए अनुरोध	कुछ नहीं
7.	मेघालय	50.00	ओवर ड्राफ्ट के निपटान के लिए राजस्व साधन अग्रिम/अल्पकालिक ऋण	कुछ नहीं
8.	नागालैंड			
	(i)	152.75	शुरूआती घाटा, केन्द्र सरकार के पैटर्न पर मंहगाई भत्ते आदि की भरपाई के लिए	12.00 (योजनागत ऋण)
	(ii)	80.00	तीव्र वित्तीय तंगी को नियंत्रित करने के लिए अग्रिम योजनागत सहायता/राजस्व साधन अग्रिम	कुछ नहीं
9.	उडीसा	250.00	राज्य के वार्षिक योजना 1994-95 के लिए धनराशि मुहैया कराने हेतु संसाधनों में अंतराल को पूरा करने के लिए मध्य आवधिक ऋण	कुछ नहीं
10.	पंजाब	310.00	रंजीत सागर बांध और शाहपुर कांडी परियोजना के कार्य संचालन के लिए	कुछ नहीं
11.	उत्तर प्रदेश			
	(i)	51.50	अनपारा "बी" थर्मल पावर परियोजना के स्थानीय लागत अनुसार व्यय की 50 प्रतिशत राशि मुहैया कराने हेतु	कुछ नहीं
	(ii)	24.00	वर्ष 1993-94 में बुनकरों को ऋण राहत हेतु दी गई अग्रिम योजनागत सहायता के एवज में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
ख 1995-96				
1.	अरूणाचल प्रदेश	20.20	कैपिटल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए	विचाराधीन
2.	असम			
	(i)	50.00	बोडोलैंड स्वायत परिषद् के लिए एकमुश्त अनुदान	विचाराधीन
	(ii)	67.50	वर्ष 1994-95 में 90 करोड़ रुपये के अल्पबचत किस्तों की निकासी के एवज में समायोजित अल्प बचत ऋणों को जारी किए जाने के लिए हुए निर्णय की पुनरीक्षा हेतु	सहमत नहीं
	(iii)	136.00	अप्रैल 1995 में दिए राजस्व साधन अग्रिम को आवधिक ऋण में बदलने हेतु।	सहमत नहीं
	(iv)	-	यू.टी.आई. जैसे संगठनों द्वारा अल्प बचत में निवेश पर	

1	2	3		4
			लगाए गए प्रतिबंधों के बदले संसाधन प्रचालन में आयी गिरावट की प्रतिपूर्ति हेतु बाजार से ऋण के लेन–देन में आनुपातिक वृद्धि	सहमत नहीं
	(v)	-	ऋण और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायत का स्थान	सहमत नहीं
3.	हिमाचल प्रदेश	516.00	वर्ष 1994-95 के अंत तक के 416.00 करोड़ रुपए के कुल घाटे के संबंध में राज्य की वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण राज्य में सरकारी क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि से उद्भूत वित्तीय जिम्मेदारियों के निर्वाह हेतु 100.00 करोड़ रुपए।	विचाराधीन
4.	जम्मू और कश्मीर	62.00	केन्द्रीय पैटर्न पर अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत संबंधी राज्य सरकार की अपेक्षा की पूर्ति के लिए	वार्षिक योजना 1990-91 में कमी के संबंध में लगाई गई 45.12 करोड़ रुपए की सामान्य सहायता में से राज्य सरकार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पुनः चालू की गई थी।
5.	मणिपुर	19.50	राज्य पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए	विचाराधीन
6.	उड़ीसा	2100.00	ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए	कुछ नहीं
7.	पंजाब	259.00	रंजीत सागर बांध को पूरा करने के लिए	विचाराधीन
8.	उत्तर प्रदेश			
	(i)	31.00	गैर ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों के ऋणों को आस्थगित करने के लिए	कुछ नहीं
	(ii)	772.54	राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के संबंध में मार्च, 1995 तक यू.पी.एस. ई.बी. द्वारा आर.ई.सी की देनदारी के निपटान के लिए	विचाराधीन

वस्त्र का निर्यात

*293. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालर के संदर्भ में वस्त्र निर्यात की वृद्धि दर में चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के प्रथम छमाही में 1994-95 की संगत अवधि की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 और 1995-96 की प्रथम छमाही के दौरान वस्त्र निर्यात की अलग–अलग वृद्धि दर कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने उक्त वृद्धि दर में गिरावट के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के पूर्वार्द्ध तथा चालू वर्ष की इसी अवधि के दौरान वस्त्र निर्यातों की वृद्धि पर हस्तशिल्प, पटसन तथा कयर सहित क्रमशः 26.6 प्रतिशत तथा 13.5 प्रतिशत थी।

(ग) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान निम्न वृद्धि दर प्रमुखतः मुख्य वस्त्र तथा परिधान आयातक देशों में फुटकर कार्यकलापों में मंदी तथा गिरावट के कारण है।

वस्त्र तथा क्लोदिंग के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठाती रही है जिनमें क्रेता–विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत सामग्रियों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण आदि की वर्धित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 1996-98 के लिए परिधान हकदारी (कोटा) नीति का नवीकरण करने का निर्णय भी लिया है ताकि इसे और अधिक प्रभावी तथा स्थिर बनाया जा सके। संशोधित नीति के क्लोदिंग निर्यातों के बढने की प्रत्याशा है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग हेतु आयोग/समितियां

*294. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र उद्योग के कार्यकरण में सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गत वर्ष के दौरान कितने आयोगों तथा समितियों का गठन किया गया;

(ख) उन आयोगों/समितियों द्वारा दिये गये मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयोगों/समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने समग्र रूप से वस्त्र उद्योग के कार्यचलन में सुधार करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से पिछले एक वर्ष के दौरान कोई आयोग अथवा समिति गठित नहीं की है। तथापि, वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न घटकों द्वारा पैदा की गंई विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए समय–समय पर छोटी छोटी समितियां तथा ग्रुप गठित किए जाते हैं। इस समय सुश्री मीरा सेठ, सदस्या, योजना आयोग की अध्यक्षता में जुलाई, 1995 में गठित ऐसी एक समिति हथकरघा क्षेत्र का अध्ययन कर रही है।

[हिन्दी]

दसवां वित्त आयोग

*295. **श्री गिराधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व में से राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अंश का कोई प्रतिशत निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या राज्य सरकारों की आवश्यकताएं और व्यय सीमा में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हिस्सा यथोचित है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसमें वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) दसवें वित्त आयोग ने भी संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत रेल यात्री किराए के बदले अनुदानों के अतिरिक्त आयकर से हुई शुद्ध आय का 77.5 प्रतिशत बेसिक उत्पाद शुल्कों से हुई शुद्ध आय का 47.5 प्रतिशत और अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों का संपूर्ण शुद्ध अर्थागम (यूनिट ट्रस्ट के शेयरों को छोड़कर) को राज्यों को अन्तरित करों की सिफारिश की है। दसवें वित्त आयोग ने प्रशासन, विशेष समस्याओं के निराकरण, वित्तीय राहत के पद में व्यय तथा स्थानीय निकायों के सुधार/उन्नयन हेतु अनुदानों की सिफारिश भी की है। दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की ऋण स्थिति पर भी विचार किया गया है तथा यथा आवश्यक ऋण राहत हेतु सिफारिश भी की है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और वर्तमान वर्ष 1995-96 के दौरान (अनुदानों का राज्यों को) अन्तरण दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किया गया है। इसके अतिरिक्त दसवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों की सकल प्राप्तियों के 26 प्रतिशत को केन्द्रीय करों में राज्यों के अंश के रूप में अन्तरित करने की एक वैकल्पिक योजना और अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के बदले अतिरिक्त 3 प्रतिशत को राज्यों को अन्तरित करने की भी सिफारिश की है। अन्तरण की वैकल्पिक योजना के लिए संविधान में यथा आवश्यक संशोधन के साथ–साथ राज्यों से विस्तृत विचार–विमर्श भी अपेक्षित है।

(ग) और (घ) समेकित समाधान की सिफारिश करने हेतु दसवें वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्यों की वित्तीय संसाधनों के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। आयोग ने केन्द्र की संसाधन उपलब्धता और राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा व्यवस्थाओं का समग्र मूल्यांकन करने के बाद अधिनिर्णय लेकर एक निष्पक्ष, स्वतंत्र विवाचक के रूप में कार्य किया है। दसवें वित्त आयोग ने राज्यों द्वारा राजस्व वृद्धि और व्यय नियंत्रण दोनों के ही मामले में कुछेक मानों को अपनाकर राज्यों की राजस्व प्राप्तियों और गैर–योजनागत व्यय का अपना निजी मूल्यांकन किया है, ये मानक दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों में शामिल की गई अवधि (1995-2000) में राज्यों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के दौरान उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों पर समान

रूप से लागू किए गए हैं। आयोग ने अंतरण और अनुमानित अंतरण से पहले राज्यों के गैर–योजनागत घाटे पर विचार करने के बाद राज्यों को अंतरण से होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें गैर–योजनागत राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया है। राज्यों के गैर–योजनागत राजस्व व्यय में दर्शाई गई राज्यों की आवश्यकता दसवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय से पूरी हो जाती है। दसवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत वर्ष 1995-2000 के दौरान राज्यों को होने वाले कुल अंतरण का अनुमान वर्ष 1990-95 में नवें वित्त आयोग के 106036.43 करोड़ रुपए की तुलना में 2,26,643.30 करोड रुपए है।

(ड.) से (छ) सरकार ने राज्यों को अनुमोदित शेयर सहित दसवें वित्त आयोग का अधिनिर्णय मंजूर कर लिया है और फिलहाल इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आय तथा मजदूरी संबंधी राष्ट्रीय नीति

*296. **श्रीमती शीला गौतम :**

डा० मुमताज अंसारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आय तथा मजदूरी के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का उद्देश्य और इस नीति को किन–किन क्षेत्रों में लागू किया जाए;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) आय तथा मजदूरी के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इलायची का मूल्य

*297. **श्री के.एम. कैप्पू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इलायची के विपणन हेतु गुवाटेमाला के साथ कोई व्यापार–गुट बनाने की कोई योजना बनायी है;

(घ) क्या सरकार को इलायची मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने तथा इलायची निर्यातकों को इस निधि से प्रोत्साहन देने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इलायची के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) छोटी इलायची के उत्पादन में वृद्धि, गवाटेमाला से कड़ी कीमत प्रतिस्पर्धा की वजह से निर्यात में गिरावट और सीमित घरेलू मांग के परिणामस्वरूप नवम्बर, 1995 में इलायची की कीमतें घटकर लगभग 189 रु० प्रति किग्रा. रह गई जबकि माह नवम्बर, 1994 में यह 266.14 रु० प्रति किग्रा. रही थीं।

(ग) हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्वाटेमाला के इलायची निर्यातकों के साथ मिलकर काम करने की संभावना का पता लगाने के प्रयास किए तो गए हैं लेकिन इस बारे में अब तक कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

(घ) और (ड.) सरकार ने दीर्घावधि उपाय के रूप में इलायची उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा एक निधि बनाए जाने का प्रस्ताव किया है जिससे घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए भारत तथा विदेशों दोनों जगहों में इलायची का विपणन किया जा सके।

(च) सरकार/मसाला बोर्ड ने इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :–

1. मध्य दिनांक 6 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए मध्य–पूर्व के बाजारों को उपभोक्ता पैकों में निर्यात पर 20 रु० प्रति किग्रा. की दर से हवाई भाड़ा सहायता प्रदान करना;
2. माह दिसंबर, 1995 के दौरान निर्यात हेतु 35 रु० प्रति किग्रा. की दर से निर्यात प्रोत्साहन ;
3. इलायची के निर्यात पर दिनांक 1.12.1995 से 31.3.1996 तक की अवधि के दौरान 2 प्रतिशत की दर से निर्यात उपकर के भुक्तान से छूट;
4. इलायची की नीलामी प्रणाली को सुव्यवस्थित करना;
5. अनुनय द्वारा निर्यात जरूरतें पूरी करने के लिए नीलामियों में निर्यात योग्य ग्रेडों की निरन्तर आवक सुनिश्चित करना;
6. मध्य–पूर्व के बाजारों में प्रेस/दूरदर्शन/इनफ्लाइट संवर्धन, आदि के जरिए प्रचार/संवर्धन कार्य करना ;
7. व्यापार वार्ताओं के लिए मध्य–पूर्व के देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना ;
8. महत्वपूर्ण बाजारों में सहभागिता द्वारा भारतीय इलायची का प्रयोग लोकप्रिय बनाना;
9. मध्यपूर्व के बाजरों में लोगों संवर्धन अभियानों और ब्राण्ड प्रचार संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए लोगों वाले भारतीय ब्राण्ड

के उपभोक्ता पैकेटों को लोकप्रिय बनाना।

कृषि उत्पादों का निर्यात

*298. **श्री काशीराम राणा :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व में कृषि उत्पादों के निर्यात में देश का हिस्सा क्या रहा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश में कृषि उत्पादों का कुल निर्यात उनके उत्पादन की तुलना में बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कृषि जन्य वस्तुओं का अनुमानित विश्व व्यापार 300 बिल्यिन अमरीकी डालर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व व्यापार में भारत का अनुमानित हिस्सा 0.9 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) निर्यात की गई कृषि जन्य वस्तुओं में शामिल हैं–बासमती और गैर–बासमती चावल, तम्बाकू, काजू, मसाले, खाद्य तेल, ग्वारगम, शेलक, फल और सब्जियां। निर्यात की गई कृषि वस्तुओं का विस्तृत विवरण डीजीसीआई एन्ड एस कलकत्ता द्वारा विदेश व्यापार आंकड़ों में प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रतिया संसद पुस्कालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल हैं – निरीक्षण प्रक्रियाओं का सरल बनाना, चुनिंदा मदों पर न्यूनतम निर्यात कीमत एवं मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करना। रियायती ऋण का प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास, ईओयू/ईपीजेड योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभों को कृषि क्षेत्र तक बढ़ाना तथा घरेलू टैरिफ एरिया में 50 प्रतिशत बिक्री की अनुमति देना, घरेलू आपूर्ति बढाने के लिए अपरिष्कृत काजू गिरी का मुक्त आयात करना, काली मिर्च के निर्यात पर दिनांक 31.3.96 तक 2 प्रतिशत निर्यात उपकर समाप्त करना, मध्यपूर्व के देशों को 1.12.95 से 31.12.95 के बीच उपभोक्ता पैकेटो में वायुयान से निर्यात की गई इलायची की 600 एम टी की निर्यात लागत को पूरा करने के लिए 20 प्रतिशत रु० प्रति किग्रा० की दर से सहायता देना ताकि निर्यात विकास लागत को पूरा किया जा सके, इलायची पर 2 प्रतिशत के निर्यात उपकर को दिनांक 31.3.96 तक समाप्त करना, विशिष्ट गंतव्यों को निर्यात किए जाने वाले जल्दी खराब होने वाले विशिष्ट उत्पादो पर वायुभाड़ा इमदाद देना, हवाई अड्डों पर कोल्ड स्टोरो का प्रावधान करना।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

*299. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक सकल घरेलू उत्पाद में किस हद तक गिरावट आई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये किसी योजना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पॉल) : (क) जी नहीं। वस्तुतः वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (1990-91 की कीमतों की उत्पादन लागत पर) ने अब तक किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों के प्रति काफी सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एम. ओ) के पास उपलब्ध अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक वृद्धि, जो 1991-92 के संकट वर्ष में 0.9 प्रतिशत तक घट गई थी, में 1992-93 और 1993-94 के प्रत्येक वर्ष में 4.3 प्रतिशत तक का तीव्र सुधार हुआ; वर्ष 1994-95 में यह और बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई तथा के.सा.सं० द्वारा इसके चालू वर्ष 1995-96 में 6 प्रतिशत तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा तैयार की गई आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में इस अवधि में प्रतिवर्ष 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की संकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

बैंक कर्मियों द्वारा भारी संख्या में नौकरी छोड़कर जाना

*300. **श्री सी. श्रीनिवासन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारी भारी संख्या में नौकरी छोड़कर निजी संगठनों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंकिग क्षेत्र से प्रतिभा–पलाधन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा, देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) कुछ बैंक अधिकारियों ने वित्तीय संस्थाओं और गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नौकरी शुरू करने या दूसरे स्थानों पर अच्छे कैरियर के अवसर प्राप्त करने के लिए समय–पूर्व सेवा निवृत्ति ली है। गैर–सरकारी क्षेत्र के किसी भी संस्थान में नौकरी शुरू करने के लिए बैंकों के अधिकारियों को अपने–अपने संस्थानों से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होती है। गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थायें अपने स्वयं के आकार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियो को बडी संख्या में आकर्षित और

आमेलित नहीं कर सकती हैं। बैंकों से इतने पैमाने पर अधिकारी नौकरी छोड़कर नहीं जा रहे हैं कि उसके लिए किसी प्रकार के विशेष निवारात्मक उपाय की जरूरत हो।

बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

*301. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

श्री एस. एम. लालजान वाशा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान स्थापित बड़ी विद्युत परियोजनाओं का स्थान-वार एवं क्षमता-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान स्थापित की जाने वाली ऐसी विद्युत परियोजनाओं का स्थान-वार एवं क्षमतावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सभी परियोजनाएं किस तारीख से काम करना आरम्भ कर देंगी?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (ग) सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए मेगा विद्युत परियोजनाओं के बारे में अपनी नीति की 10 नवम्बर, 1995 को घोषणा की है, जिसमें 1000 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता वाली परियोजना, जोकि एक से अधिक राज्यों की विद्युत आपूर्ति करती हो, ऐसी परियोजना, जोकि एक से अधिक राज्यों की विद्युत आपूर्ति करती हो, ऐसी परियोजना को मेगा परियोजना परिभाषित किया गया है। इस नीति के अधीन विगत के दो वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में कोई मेगा विद्युत परियोजना अधिष्ठापित किए जाने की आयोजना है। तथापि, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 1000 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाले कवरक्का सुपर ताप विद्युत संयंत्र, चरण-2 का पश्चिम बंगाल में 1993-94 में निर्माण (जिसे चालू कर दिया गया है) किया है और 1000 मेगावाट की अनुमोदित क्षमता वाले तलचेर सुपर ताप विद्युत संयंत्र, चरण-1 उड़ीसा को जनवरी, 1996 में चालू किए जाने की योजना है।

उर्वरकों की कमी

*302. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में इस समय रासायनिक उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) देश में प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) तथा म्युरिक्ट आफ पोटाश (एम ओ पी) की उपलब्धता वर्तमान में उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त है।

यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य, वितरण और संचलन के नियंत्रणाधीन है। रबी 1995-96 के दौरान 107.62 लाख मीट्रिक टन (एल एम टी) की अनुमानित मांग की तुलना में नवम्बर, 95 तक उपलब्ध 39.01 एल एम टी थी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए) के अंतर्गत कुल आबंटन का 36 प्रतिशत है। रबी 94.95 की इसी अवधि की उपलब्धता की तुलना में अधिक है तथा बिक्री के हिसाब से पर्याप्त है। 1994-95 तथा 1995-96 के रबी मौसम के प्रथम दो महीनों के दौरान यूरिया की तुलनात्मक उपलब्धता तथा बिक्री को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

यूरिया का स्वदेशी उत्पादन अत्यधिक रहा है। अप्रैल से सितम्बर, 95 के दौरान वास्तविक उत्पादन 75.38 लाख मीटरी टन था जो 1994-95 के दौरान इसी अवधि की तुलना में 8.29 एल एम टी अधिक हैं। अक्तूबर-नवम्बर, 95 के दौरान यूरिया का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि से 1.39 एल एम टी अधिक है और यूरिया के स्वदेशी उत्पादन में इस बढ़ोत्तरी को वर्ष के शेष भाग के दौरान बने रहने की संभावना है। अक्तूबर, 95 और नवम्बर, 95 के दौरान यूरिया की आयातित आवकें (6.74 एल एम टी) है जो गत वर्ष की इसी अवधि (5.81 एल एम टी) की तुलना से अधिक रही है। अप्रैल, 95 से नवम्बर, 95 तक कुल आवकें गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 14.42 एल एम टी की तुलना में 22.05 एल एम टी रही है। स्वदेशी उत्पादन और आयातों को दर्शाने वाला विवरण -II संलग्न है।

संचलन में बाधाओं, फसल पैटर्न में अत्याशित परिवर्तनों के कारण मांग में अचानक हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप एवं देर से हुई वर्षा आदि के कारण हुई अस्थाई तथा स्थानीय प्रकृति की कमियों को वैकल्पिक स्त्रोतों से आपूर्ति करके पूरा किया गया है। उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धि, संचलन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न अभिकरणों के बीच संघन अंतरापृष्ठ बनाये रखा गया। उर्वरक विभाग द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी रखे जाने के साथ-साथ प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में मांग-आपूर्ति स्थिति की आपूर्तिकर्ताओं के साथ साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है जिसमें राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय से भी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।

डी ए पी और एम ओ पी जिन्हें अगस्त 92 से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, की उपलब्धता भी मांग की तुलना में संतोषजनक रही है। डीएपी और एमओपी की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण -I

दिनांक : 14.12.95

रबी 1994-95 (30.11.95 तक) की तुलना में रबी 95-96 के दौरान यूरिया की ई सी ए आवंटन (स्वदेशी एवं आयातित) उपलब्धता तथा बिक्रीयों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	रबी 1994-95						रबी 1994-95					
		कुल ईसीए आवंटन	1.10.94 को अथशेष भंडार	30.11. 94 तक प्रेषण	30.11 94 तक उपलब्धता	30.11. 94 तक बिक्री	ईसीए उपलब्धता प्रतिशत	कुल ईसीए आवंटन	अथशेष भंडार 1.10.95 तक	30.11. 95 तक प्रेषण	30.11. 95 तक उपलब्धता	30.11. 95 तक बिक्री	ईसीए उपलब्धता प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	1102.97	105.55	326.23	433.18	342.75	39%	1194.49	63.53	332.72	396.25	282.25	33%
2.	कर्नाटक	351.35	15.14	144.49	159.63	125.63	45%	398.75	23.02	155.90	178.92	109.25	45%
3.	तमिलनाडु	510.40	28.48	171.20	199.68	176.46	39%	539.55	38.69	186.63	225.32	1180.84	42%
4.	गुजरात	537.30	28.84	173.24	202.88	166.84	38%	621.55	23.71	162.94	186.65	124.37	30%
5.	मध्य प्रदेश	550.50	36.86	223.95	260.81	201.91	47%	649.85	40.54	203.82	244.36	173.14	38%
6.	महाराष्ट्र	666.60	48.72	199.38	248.10	134.20	37%	671.77	48.12	225.07	273.19	128.30	41%
7.	राजस्थान	539.50	55.22	163.27	218.49	158.49	40%	605.00	56.03	182.88	238.91	174.72	39%
8.	हरियाणा	643.50	32.62	187.81	220.42	170.25	34%	737.00	43.00	245.58	288.58	218.83	39%
9.	पंजाब	1122.00	44.60	324.33	300.33	288.43	33%	1067.00	155.28	278.07	433.35	284.56	41%
10.	उत्तर प्रदेश	2603.70	135.56	694.54	830.10	498.22	32%	2677.40	191.28	730.98	922.26	542.20	34%
11.	बिहार	601.08	25.04	164.53	189.57	135.14	32%	659.00	45.70	176.40	222.10	163.58	34%
12.	उड़ीसा	108.50	10.34	33.08	43.42	29.58	40%	137.38	17.04	48.51	65.55	32.67	48%
13.	पं. बंगाल	558.83	12.12	105.08	117.20	93.89	21%	569.17	29.66	124.29	153.95	97.48	20%
14.	आसाम	27.50	0.04	15.77	15.81	8.38	57%	28.36	1.01	8.59	9.60	5.71	34%
15.	अन्य	191.43	16.24	50.31	66.55	48.21	35%	205.33	19.40	42.81	62.21	50.06	3%
	योग	10109.26	596.77	2977.21	3573.98	2584.80	35%	10761.60	796.01	5105.10	3901.20	2667.96	36%

विवरण-II

खरीफ और रबी (अक्तूबर-नवम्बर) 1994 और 1995 के दौरान यूरिया का उत्पादन और आयात

(आंकडे लाख मी. टन में)

		1994	1995
1.	खरीफ (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान उत्पादन	67.09	75.38
2.	अक्तूबर–नवम्बर के दौरान उत्पादन	24.51	25.90
3.	कुल उत्पादन	91.60	101.28
4.	खरीफ (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान आयात	8.61	15.31
5.	अक्तूबर–नवम्बर के दौरान आयात	5.81	6.74
6.	अप्रैल–नवम्बर के दौरान कुल आयात	14.42	22.05

विवरण-III

खरीफ और रबी (अक्तूबर) 1994 और 1995 के दौरान डी ए पी और एम ओ पी की उपलब्धता एवं बिक्री

(आंकडे लाख मी. टन में)

		डी ए पी		एम ओ पी	
		1994	1995	1994	1995
1.	खरीफ (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान उपलब्धता	23.48	26.37	10.63	13.09

2.	खरीफ (अप्रैल–सितंबर) के दौरान बिक्री	18.46	17.90	7.05	9.26
3.	खरीफ के दौरान बिक्री की तुलना में प्रतिशत उपलब्धता	127%	147%	151%	141%
4.	अक्तूबर के दौरान उपलब्धता	8.03	13.63	5.14	5.24
5.	अक्तूबर के दौरान बिक्री	2.39	5.13	1.50	1.47
6.	अक्तूबर के दौरान बिक्री की तुलना में प्रतिशत उपलब्धता	336%	266%	343%	356%

रक्षित विद्युत संयंत्र

*303. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनके अपन उद्योगों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योगों को रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का विचार उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) जी, हां। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि ये कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र अधिष्ठापित किए जाने और संस्थागत तंत्र का विकास किए जाने को प्रोत्साहन दें ताकि कैप्टिव विद्युत संबंधी आवेदनों को तत्परता से स्वीकृति प्रदान करके कैप्टिव विद्युत यूनिटों के लिए विद्युत क्षेत्र में सुविधाजनक रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी जा सके और ग्रिड द्वारा अधिशेष विद्युत को खरीदने के लिए विकासकर्ताओं हेतु युक्ति युक्त टैरिफ का निर्धारण किया जा सके और अन्य औद्योगिक यूनिटों को तीसरी पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सुगमता से विद्युत की बिक्री की जा सके।

खनन पट्टे

*304. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु सरकार के पास विभिन्न राज्यों के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद भी ये प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास कब से लंबित हैं;

(ग) आवदेकों को पट्टा मजूर किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ) खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं इसलिए तत्संबंधी अनुरोध भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों के पास ऐसे अनुरोधों के लम्बित रहने के बारे में केन्द्र सरकार कोई निगरानी नहीं करती है। लौह अयस्क प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध होने के नाते एम एम आर डी एक्ट की धारा 5(1) के अनुसार उसके लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित है। ऐसी पूर्व अनुमति के लिए नौ प्रस्ताव निम्न सूची के अनुसार केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं :

राज्य	प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी
आंध प्रदेश	2.1.1995	राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।
उड़ीसा	10.2.1995	इस्पात मंत्रालय से सूचना की प्रतीक्षा है।
कर्नाटक	20.3.1995	कार्रवाई चल रही है।
बिहार	20.9.1995	राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।
मध्य प्रदेश	22.9.1995	कार्रवाई चल रही है।
कर्नाटक	17.10.1995	राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।
कर्नाटक	18.10.1995	कार्रवाई चल रही है।
कर्नाटक	18.10.1995	कार्रवाई चल रही है।
उड़ीसा	27.11.1995	कार्रवाई चल रही है।

14.12.1995 तक एम एम आर डी एक्ट की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध गैर आणुविक और गैर ईंधन खनिजों के संबंध में ऐसी पूर्व अनुमति के कुल 96 प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पड़े हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है जिसमें अन्य संबंधित मंत्रालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ परामर्श करना, प्रस्ताव के साथ भेजी गयी संपूर्ण सूचना एकत्र करना आदि शामिल हैं। ऐसे प्रस्तावों पर विधि के उपबंधों के अनुसार पूरी जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लियाा जाता है और उनका निपटान कर दिया जाता है।

नैम की भूमिका को सक्रिय बनाना

*305. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में नैम (गुट निरपेक्ष देशों की संस्था) की भूमिका को सक्रिय बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे और हाल ही में गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में इन प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत द्वारा अन्य देशों, विशेष रूप से अपने पडोसी देशों के साथ परामर्श करके क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हा।

(ख) ग्यारहवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस आंदोलन की सतत् वैधता और संगतता की पुष्टि की गई और इस बात पर बल दिया गया कि इस आंदोलन को शांति संवर्द्धन एवं सामजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और संपूर्ण भागीदारी की भावना जागृत करने के लिए कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य से गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका को सक्रिय बनाने और गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों में एकता एवं एक जुटता संवर्द्धित करने के प्रस्ताव किए गए ताकि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति एवं दृष्टिकोणों को समन्वित करके विकसित देशों के समक्ष उनकी तर्क–वितर्क की क्षमता को सुदृढ किया जा सके तथा संयुक्त राष्ट्र में एवं समान हित के मसलों से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकीकृत कार्रवाई की पहल की जा सके। न्यूयार्क स्थित गुट–निरपेक्ष आंदोलन समन्वय ब्यूरो को इन प्रस्तावों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। भारत इन विचार विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग लेगा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

*306. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की विद्युत संयंत्रों का आकलन करने सम्बन्धी वर्तमान भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) विद्युत संयंत्रों का मूल्यांकन किए जाने के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका का निर्धारण विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा–29 और 30 में किया गया है। इन धाराओं के प्रावधानों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 और 30 का ब्यौरा

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29(1) के अनुसार प्रत्येक स्कीम, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना के जरिए निधि का निर्धारण किया जाता है, इस राशि के अनुरूप पूंजीगत व्यय का अनुमान होता है, इसे तैयार किए जाने पर तुरंत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा 19.10.94 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त प्रावधानों के अधीन 100 करोड़ रूपये से अधिक की अनुमानित पूंजीगत व्यय वाली राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत उत्पादन कम्पनी की प्रत्येक विद्युत स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 29(1) में उल्लेख की गई किसी भी स्कीम को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य बिजली बोर्ड अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनी के लिए स्कीम के बारे में ब्यौरे, लागत अनुमान तथा स्कीम से प्राप्त होने वाले लाभों समेत, अन्य प्रमुख विशेषताओं को, संबंधित राज्य सरकार के राजपत्र एवं स्थानीय समाचार–पत्र में निर्धारित समयावधि से दो महीने पहले प्रकाशित करना होगा, ताकि इससे पूर्व इच्छुक लाइसेंस धारी/अन्य व्यक्ति इस स्कीम के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें। यदि कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके आधार पर समुचित संशोधन किए जाने के पश्चात् स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ख) अधिनियम की धारा 29(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई किसी भी स्कीम को स्वीकृति देने से पहले के. वि. प्रा. द्वारा अधिनियम की धारा 30 में निर्धारित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है। के.वि. प्रा. द्वारा जिन मामलों पर विचार किया जाता है उसमें –परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता, पूंजी एवं राजस्व व्यय, इससे संभावित लाभ एवं राजस्व, निष्क्रमण संबंधी व्यवस्था, परिणामी जल–ताप मिश्रण एवं तकनीकी, राष्ट्रीय विद्युत नीति और समय–समय पर भारत सरकार के अन्य दिशा–निर्देशों के अनुरूप के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित आर्थिक एवं अन्य पैरामीटर शामिल हैं।

कनाडा की कम्पनी के साथ विद्युत परियोजना समझौता

*307. **श्री सुलतान सलाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा की किसी कम्पनी ने निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और प्रस्तावित विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है; और

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं को किन–किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए भारत सरकार ने किसी भी कनाडियन कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, जवाहरपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में जवाहरपुर ताप विद्युत केन्द्र (2x400 मे.वा.) अधिष्ठापित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कनाडियन कंपनी, मै. पेसिफिक इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 17.11.1993 को हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, जिला इड्डुकी, केरल में वैस्टर्न कलार हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (5मे.वा.) जोकि मै. आइडियल प्रोजेक्ट एंड सर्विसिज (प्रा.) लि.) द्वारा अधिष्ठापित की जा रही है, मै. कनाडियन हाइड्रो डेवलपर्स/एमएमसी कनाडा इन्टरप्राइजेज, कनाडा के सह–प्रायोजक के साथ केरल राज्य बिजली बोर्ड ने 29.9.1992 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

[हिन्दी]

इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य

*308. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर ने देश में इस्पात विकास निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो यह निधि कब से आरंभ की गई और मार्च, 1995 के अंत तक इस निधि में कितनी धनराशि जमा हुई;

(ग) मार्च, 1995 के अंत तक इस्पात उद्योग को अनुसंधान और विकास कार्य के लिए इस निधि से कुल कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) सरकार ने शेष राशि खर्च करने के लिए क्या निर्देश जारी किए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात क्षेत्र में आधुनिकीकरण और विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने हेतु जून, 1978 में इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) का गठन किया गया था। सरकार ने मुख्य इस्पात उत्पादकों नामतः स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) इंडियन आयरन स्टील कंपनी (इस्को) और टाटा आयरन स्टील कंपनी (टिस्को) तथा तदुपरांत राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) के विभिन्न इस्पात उत्पादों के कारखाना बाह्य मूल्यों को एक "अवयव" के रूप में इस्पात विकास निधि से जोड़ने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) को प्राधिकृत किया था। यह शुल्क 21/22.4.94 से समाप्त कर दिया गया। जून, 1978 से मार्च, 1995 तक इस शुल्क के जरिए कुल 4521.63 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गयी थी।

(ग) चूंकि इस्पात विकास निधि द्वारा वित्त पोषित प्रमुख कार्यकलापों में अनुसंधान एवम् विकास कार्य शामिल नहीं था, इसलिए अध्ययन और सर्वेक्षण कार्य (निम्न वोलैटाइल युक्त मध्यम कोककर कोयले का परीक्षण) के लिए 31.3.1995 तक केवल 5 लाख रुपए की राशि संवितरित की गयी।

(घ) मुख्य उत्पादकों को उनकी आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजनाओं के निधियन के लिए इस्पात विकास निधि से ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस्पात विकास निधि का इस्तेमाल कतिपय अनुसंधान कार्यक्रमों के निधियन, लघु उद्योग निगमों को छूट का भुगतान करने तथा संयुक्त संयंत्र समिति की आर्थिक अनुसंधान इकाई (ई. आर. यू) पर आये खर्च को पूरा करने जैसे अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है।

निधि का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है जिसका गठन निम्नानुसार है :

सचिव (इस्पात)	–	अध्यक्ष
सचिव (व्यय)	–	सदस्य
सचिव (योजना आयोग)	–	सदस्य
विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात	–	सचिव

समिति ने विभिन्न प्रयोजनों जिनमें एस डी एफ से ऋण की मंजूरी वसूली योग्य ब्याज दरें आदि शामिल हैं, के लिए एस डी एफ के उपयोग की अनुमति देता है।

[अनुवाद]

यूरिया पर राजसहायता

*309. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित यूरिया और आयात किए गए यूरिया पर अलग–अलग प्रति टन कितनी राजसहायता दी जाती है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान यूरिया का कितनी मात्रा में आयात करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की कितनी मात्रा की खपत हुई और यूरिया का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान कुल कितनी राजसहायता दी गई और चालू वर्ष में कितनी राजसहायता देने का अनुमान है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) प्रचलित प्रतिधारण मूल्यों पर माल भाड़ा अनुदान दरों के आधार पर वर्ष 1994-95 के दौरान देश में उत्पादित यूरिया पर अनुदान 2232 रुपए प्रतिटन था। आयातित यूरिया के मामले में वर्ष 1994-95 के दौरान हस्ताक्षरित (संविदा) ठेकों के अनुसार आयातित यूरिया पर अनुदान 3643 रुपए प्रतिटन था।

(ख) यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता और अनुमानित मांग के बीच का अंतर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया की खपत और आयात के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(लाख टन)

वर्ष	खपत	आयात (सरकारी खाते में)
1992-93	149.06	18.57
1993-94	158.10	28.08
1994-95 (अनुमानित)	172.80	28.70

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान नियंत्रित उर्वरकों पर अनुदान का कुल व्यय 5241.02 करोड रुपए था। चालू वर्ष के लिए इस हेतु 5400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

*310. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 100 करोड़ रुपये से कम वित्तीय लागत की विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय के प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों के अधीन भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1994 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक विद्युत संबंधी स्कीम जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजीगत व्यय होने का अनुमान होता है, ऐसी स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। इस प्रकार की प्रारंभिक वित्तीय सीमाओं का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है, ताकि छोटी स्कीमें राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपने ही स्तर पर स्वीकृत की जा सकें। वित्तीय सीमा 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाने से संबंधित निर्णय की सरकार द्वारा व्यापक एवं औपचारिक समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, बढ़ती हुई परियोजना लागत और विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित मामले में राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्ता प्रदान किए जाने को मद्देनजर रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि 100 करोड़ रुपये से 400 करोड रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं, जिनके ठेके प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर दिए गए हैं, इनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात

*311. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान रासायनिक उर्वरकों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया; और

(घ) उन उर्वरकों का देश में उर्वरक-वार विक्रय मूल्य क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) तीन प्रमुख उर्वरक हैं जिनका इस समय आयात किया जाता है। डी ए पी और एम ओ पी असरणीबद्ध उर्वरक है और इनका आयात स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। यूरिया के आयात सरणीबद्ध हैं।

वे देश जिनसे 1994-95 के दौरान यूरिया का आयात किया गया तथा इसकी मात्रा एवं लागत भाड़ा मूल्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

उर्वरक विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1994-95 के दौरान डी ए पी और एम ओ पी का आयात क्रमशः 8.25 लाख मीट्रिक टन तथा 10.48 लाख मीट्रिक टन रहा है। इसमें द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः 158.73 करोड़ रुपए तथा 22.76 करोड़ रुपए के लागत भाड़ा मूल्य पर जर्मनी से लगभग 4.33 लाख मीट्रिक टन तथा कनाडा से 0.65 लाख मीट्रिक टन एम ओ पी का आयात शामिल हैं। शेष आयात निजी व्यापार खाते में किए गए जिनके ब्यौरे उर्वरक विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(घ) यूरिया जो मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत एक मात्र उर्वरक है, का सांविधिक अधिकतम खुरदा मूल्य 3320.00 प्रति मीट्रिक टन हैं अन्य उर्वरकों जैसे डी ए पी और एम ओ पी के मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं जैसाकि तदर्थ रियायत योजना के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। खरीफ, 1994 के दौरान डी ए पी और एम ओ पी के राज्यवार बिक्री मूल्य संबंधी विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

यूरिया की देशवार मात्रा तथा 1994-95 के दौरान आयातित इसके लागत भाड़ा मूल्य

क्र. सं.	देश	1994-95	
		मात्रा लाख मी. टन में	लागत भाड़ा मूल्य रु. करोड़ में
1.	बंगलादेश	0.87	46.35
2.	बुल्गारिया	0.21	15.66
3.	सी आई एस	11.29	634.47
4.	इण्डोनेशिया	1.02	63.91
5.	कुवैत	3.07	178.00
6.	लीबिया	2.00	110.01
7.	कतार	2.80	153.50
8.	रोमानिया	0.99	48.90
9.	साउदी अरेबिया	4.23	236.25
10.	यू ए ई	2.22	116.57
	योग :	28.70	1603.62

नोट : इसके अलावा 6.55 करोड़ रुपए के लागत भाडा मूल्य पर 0.14 लाख मी. टन यूरिया का एम एफ एल द्वारा उनके कैपटिव उपभोग के लिए आयात किया गया।

विवरण -II

खरीफ 1994 के दौरान उर्वरकों का मूल्य (एमओपी)

क्रमांक	नाम	डीएपी	एमओपी
		(रु. प्रति टन)	
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8038.00	4100.00
2.	कर्नाटक	7600.00	3850.00
3.	तमिलनाडु	8380.00	3863.00
4.	केरल	8301.00	3818.00
5.	गुजरात	7400.00	3800.00
6.	मध्य प्रदेश	7650.00	3800.00
7.	महाराष्ट्र	7490.00	3800.00
8.	राजस्थान	7980.00	3990.00
9.	हरियाणा	7900.00	3900.00
10.	पंजाब	7200.00	3900.00
11.	उत्तर प्रदेश	8450.00	4140.00
12.	बिहार	8038.00	4080.00
13.	उड़ीसा	7600.00	3800.00
14.	पश्चिम बंगाल	7769.00	3800.00
15.	आसाम	8250.00	3750.00

* बिक्री कर को छोड़कर

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

*312. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 1988 में स्थापित किये जाने के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्राधिकरण को शीघ्र चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन सरकार द्वारा इसमें निहित किए गए अथवा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और प्रबंध करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास सुविधाएं

*313. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राजमार्गों के किनारे व्यापक स्तर पर पार्किंग, पेट्रोल डीजल पम्प और जलपाल गृह इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं तेल कंपनियों ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी योजना शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। तथापि पेट्रोलियम मंत्रालय बाद में स्कीम से हट गया था और पेट्रोल/डीजल के आउट-लैट अब इस स्कीम के हिस्से नहीं होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अधीन प्रचालित मार्गस्थ सुविधाओं के लिए पहले से अभिज्ञात स्थल क्रमशः विवरण-I में और II संलग्न हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस स्कीम में कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं।

विवरण-I

मार्गस्थ सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र की स्कीमों के राज्यवार आवंटन

क्रम सं.	राज्य	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	रा.रा. 4 पर पालामनेर
2.	असम	रा.रा. 37 पर 338 किमी. (जाखल-बांडाल)
3.	बिहार	रा.रा. 28 पर पिपरोकोठी
4.	गोवा	रा.रा. 17 पर नागोआ

5.	गुजरात	रा.रा. 8 पर वापी
6.	हिमाचल प्रदेश	रा.रा. 21 पर नौनी
7.	कर्नाटक	रा.रा. 4 पर किट्टूर
8.	केरल	रा.रा. 17 पर काकारजीचेरा
9.	महाराष्ट्र	रा.रा. 8 पर मनीर
10.	मध्य प्रदेश	रा.रा. 3 पर कालाघाट
11.	मणिपुर	रा.रा. 39 पर 256-257 किमी.
12.	उड़ीसा	रा.रा. 5 पर रामेश्वर
13.	राजस्थान	रा.रा. 8 पर गोमती का चौराहा
14.	तमिलनाडु	रा.रा. 7 पर सत्तूर
15.	त्रिपुरा	रा.रा. 44 पर कुमारघाट
16.	उत्तर प्रदेश	रा.रा. 2 पर खाने के निकट 115 किमी.
17.	पश्चिम बंगाल	रा.रा. 34 पर फरक्का के निकट

विवरण-II

यात्री उन्मुख मार्गस्थ सुविधाओं की निजी क्षेत्र की स्कीमें।

क्रम सं०	राज्य और स्थान
1.	रा.रा. 8 पर 360 किमी. गांव अमज़ारा, डूंगरपुर (राजस्थान)
2.	रा.रा. 4 पर 400/475-490-625 किमी. गांव कालीकोप जिला बेलगांव, कर्नाटक।
3.	रा.रा. 31 पर 805-806 किमी. गांव ताजानगंज, जिला कूच बिहार, पश्चिम बंगाल।
4.	उत्तर प्रदेश में रामपुर और बरेली के बीच गांव माध्यान उदयराज, के निकट रा.रा. 24 पर 192/600 किमी.
5.	रा.रा. 2 के इलाहाबाद–वाराणसी खंड का 242 किमी. गांव मेस्की जिला इलाहाबद (उ.प्र.)।
6.	गढ़ मुक्तेश्वर और मुरादाबाद (उप्र) के बीच रा.रा. 24 पर 131/2 किमी.
7.	मध्य प्रदेश में रा.रा. 6 के दुर्ग–राजनन्द गांव खंड पर 325 किमी.
8.	रा.रा. 8 (हरियाणा) के 74 किमी. पर धाओहेड़ा में।
9.	जम्मू तथा कश्मीर में 246/247 किमी. पर रा.रा. 1 ए
10.	रा.रा. 24 (उ.प्र.) के 100 किमी. गजरौला के निकट गावं स्वराजपुर।
11.	कलकत्ता कृष्णनगर (पश्चिम बंगाल) में रा.रा. 34 के 103 किमी. पर।
12.	रा.रा. 15 (राजस्थान) के 15/400-15/610 किमी. के बीच।
13.	रा.रा. 9, जिला नलगोंडा, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद विजयवाड़ा सड़क पर गांव नकटपल्ली 83 किमी.
14.	रा.रा. 15 जिला फिरोजपुर (पंजाब) में गांव गुनियाल में 393.399 किमी. पर।
15.	पनवल पंजिम खंड, महाराष्ट्र में पनवल से रा.रा. 17 का 457 किमी.
16.	बंगलौर–कृष्णागिरी, तमिलनाडु में गांव मोदुनिसपल्ली, जिला धर्मपुरी, रा.रा. 7 पर 46 किमी.
17.	गांव कारूंगापल्ली, जिला किलोन, केरल में रा.रा. 47 पर 471.10 किमी. से 471.30 किमी. के बीच।
18.	जिला अलवर (राजस्थान) में रा.रा. 8 पर दो प्लाट, एक 358 किमी. पर और दूसरा 361 किमी. पर। उद्यमियों को पुष्टि करनी है।
19.	पश्चिम बंगाल में जिला बर्दवान के दुर्गापुर–बीनोइया खंड में पारघाट बाजार के निकट कलकत्ता से लगभग 162 किमी. रा.रा. 2 पर 507 किमी. पर।
20.	पश्चिम बंगाल में कलकत्ता–खड़कपुर, रा.रा. 6 पर 111 किमी.।
21.	रा.रा. 3 (राजस्थान) के जयपुर–अजमेर खंड में गांव बागडू में 294 किमी.।
22.	रा.रा. 1, गांव बपरोर, जिला पटियाला (पंजाब) के 217/195 किमी. पर।
23.	रा.रा. 24 बरेली (उ.प्र.) के बरेली सीतापुर खंड के 284 किमी. पर।
24.	सुंदरगढ़ और बिलासपुर (हि.प्र.) के बीच रा.रा. 21
25.	रा.रा. 2, गांव उदयपुर, धनबाद (बिहार) पर बारवाडा से 2.5 किमी. और आसनसोल से 6.5 किमी.
26.	असम में रा.रा. 31, गांव राखाल दूबी, जिला बोंगईगांव में 962-963 किमी.।
27.	महाराष्ट्र में थाणे जिले में रा.रा. 8 पर 498/880 किमी.।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*314. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम का कारोबार कितना था और उसे कितना लाभ/हानि हुई;

(ख) उसी अवधि के दौरान गत वित्तीय वर्ष के तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एककों का कार्य निष्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अप्रैल–सितम्बर, 1995 तथा पिछले वित्तीय वर्ष (1994-95) के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन के संबंध में जानकारी विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) अप्रैल–सितम्बर, 1995 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर. आई. एन. एल.) एम. एस. टी. सी. लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच. एस. सी. एल.) तथा भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी. आर. एल.) के मामले में लक्ष्य और वास्तविक कारोबार के बीच कमी रही है। मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड मेकन, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच. एस. सी. एल.) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी. आर. एल.) तथा स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एस. आई. आई. एल.) के मामले में लक्ष्य और वास्तविक लाभ/हानि के बीच कमी रही है।

किए जा रहे उपचारात्मक उपाए संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कारोबार (करोड़ रु.)		लाभ/हानि (करोड़ रु.)		कारोबार (करोड़ रु.)		लाभ/हानि (करोड़ रु.)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
	अवधि (अप्रैल–सितम्बर, 1995)				अवधि (1994-95)			
'सेल'	6503.00	6509.00	(+)266.00	(+)433.20	13380.00	13867.00	(+)530.00	(+)1163.33
आरआईएनएंल	1346.95	1259.01	(–)196.91	(–)158.05	2462.00	2208.57	(–)352.00	(–)347.76
केआईओसीएल	202.19	220.49	(+)25.36	(+)37.31	387.66	369.34	(+)57.07	(+)63.56
मायल	29.7920	42.2065	(+)2.8525	(+)7.0884	82.7572	80.0190	(+)15.3233	(+)10.7312
एनएमडीसी	141.25	268.84	(+)28.70	(+)63.29	280.92	299.73	(+)57.17	(+)101.68
मेकन	85.00	94.1950	(+)4.50	(+)10.7040	152.00	206.6667	(+)9.00	(+)10.3940
एमएसटीसी	133.14	55.73	(+)3.49	(+)3.55	197.09	177.67	(+)8.16	(+)8.52
एचएससीएल	169.58	167.92	(–)67.35	(–)70.30	387.33	390.42	(–)98.21	(–)95.85
बीआरएल	46.90	35.2302	(–)0.2179	(–)7.5768	82.7828	65.2204	(–)9.7654	(–)13.5811
एफएसएनएल	25.7523	28.1423	(+)4.3624	(+)4.8576	55.00	62.2550	(+)8.0110	(+)10.8631
'सिल'	11.81	12.68	(+)0.06	(–)0.10	22.50	20.86	(–)2.36	(–)1.98

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	किए जा रहे उपचारात्मक उपाय
भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड	
कारोबार तथा लाभ/हानि में कमी	1. उच्च मूल्य की मदों पर ध्यान केन्द्रित करना।
	2. परिवर्तित उत्पादों का तकनीकी गठन।
	3. कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश करके ऊपरी लागतों में कमी करना।
	4. नई प्रौद्योगिकी का आयात।
2. एम.एस.टी.सी. लिमिटेड	
केवल कारोबार में कमी	1. बिना बिके स्टाक की बिक्री करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
	2. कार्यकलापों का विविधीकरण
3. एच.एस.सी.एल.	
कारोबार तथा लाभ/हानि में कमी	1. अनुवर्ती महीनों में कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
4. आर.आई.एन.एल.	
कारोबार में कमी	1. सड़क मार्ग से ढुलाई में वृद्धि।
	2. रेलवे प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई

5.	एस.आई.आई.एल.	
	लाभ में कमी	1. कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए सबमर्ज्ड आर्क फर्नेश को चालू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
6.	मेकन	
	लाभ में कमी	1. विपणन प्रयासों को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

*315. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि निजीकरण से राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को प्राथमिकताओं पर पुनः विचार करके राजमार्गों के लिये निधियों के आवंटन में वृद्धि हेतु उपाय खोजने चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है; और

(घ) इसके अनुसरण में राजमार्गों के विकास में सुधार के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) कुछ विशेषज्ञों ने यह चिंता व्यक्त की है कि केवल निजीकरण करने से राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तदनुसार सरकार आवंटन में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है जो संसाधनों की उपलब्धता और अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर निर्भर होगी।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का उपलब्ध निधियों के अंतर्गत विकास और रख-रखाव किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रायल्टी की दरें

*316. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न खनिजों की राज्य-वार रायल्टी दरें कब निर्धारित की गई थीं;

(ख) इस समय विभिन्न राज्यों में राज्यवार प्रत्येक खनिज की रायल्टी दरें क्या हैं;

(ग) ऐसे प्रमुख खनिज कौन से हैं जिनके बारे में रायल्टी की दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपने प्रस्ताव भेजे हैं और सरकार की इन प्रस्तावों पर क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) कोयला, लिग्नाइट एवं निर्माण हेतु रेत को छोड़कर प्रमुख खनिजों के लिए रायल्टी की दरें 17.2.1992 को अधिसूचित की गई थीं। ये दरें, असम और पश्चिम बंगाल जहां पर 5.5.1987 की अधिसूचित की गई दरें लागू हैं, को छोड़कर सभी राज्यों में लागू हैं। रायल्टी की दरों को संलग्न विवरण में दिया गया है। गौण खनिजों के लिए रायल्टी की दरें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग से अधिसूचित की जाती हैं।

(ग) और (घ) खान मंत्रालय ने कोयला, लिग्नाइट और निर्माण हेतु रेत को छोड़कर प्रमुख खनिजों के लिए वर्तमान रायल्टी दरों पर विचार करने और साथ-साथ सरकार को रायल्टी की नई दरों की सिफारिश करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है। इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए अध्ययन दल ने सभी राज्य सरकारों को प्रश्नावलियां भेजी हैं। 17 राज्य सरकारों तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ एवं दमन और दीव ने अपने-अपने उत्तर अध्ययन दल को भेजे थे तथा अध्ययन दल द्वारा उन पर समुचित विचार किया गया। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1995 में सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

विवरण

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में असम और पश्चिमी बंगाल राज्य के सिवाय लागू स्वामित्व की दरें :

1.	एगेट	तिहत्तर रुपये प्रति टन
2.	(i) ऐपाटाइट	
	(क) 27% $पी_2ओ_5$ से अधिक युक्त अयस्क	सत्तर रुपये प्रति टन
	(ख) 20% $पी_2ओ_5$ से $पी_2ओ_5$ तक युक्त अयस्क	चालीस रुपये प्रति टन
	(ग) 20% से कम $पी_2ओ_5$ युक्त अयस्क	सत्रह रुपये प्रति टन

(ii)	शैल फास्फेट	
(क)	30 प्रतिशत $पी_2 ओ_5$ से ऊपर	एक सौ बावन रुपये प्रति टन
(ख)	25 प्रतिशत $पी_2 ओ_5$ से ऊपर और 30 प्रतिशत $पी_2 ओ_5$ तक	छियानवे रुपये प्रति टन
(ग)	20 प्रतिशत $पी_2 ओ_5$ से ऊपर और 25 प्रतिशत $पी_2 ओ_5$ तक	छप्पन रुपये प्रति टन
(घ)	20 प्रतिशत $पी_2 ओ_5$ तक	तेईस रुपये प्रति टन
3. ऐस्बेस्टास		
(क)	क्रिसोटाइल	सात सौ छब्बीस रुपये प्रति टन
(ख)	ऐम्फिबोस	अट्ठाईस रुपये प्रति टन
4. बैराइट्स		
(क)	श्वेत (हिमश्वेत और उच्चतर हिमश्वेत सहित)	चौवन रुपये प्रति टन
(ख)	आफकलर	तीस रुपये प्रति टन
5. बाक्साइट		चौंतीस रुपये प्रति टन
6. ब्राउन इलमेनाइट (ल्यूकायक्सीन)		एक सौ तेरह रुपये प्रति टन
7. कैडमियम		एक टन अयस्क में कैडमियम धातु के प्रति एक प्रतिशत पर चौहत्तर रुपये और आनुपातिक आधार पर।
8. कैल्साइट		चवालीस रुपये प्रति टन
9. चीनी मिट्टी जिसे काओलिन भी कहा जाता है (जिसके अंतर्गत वालक्ले भी हैं) और श्वेत शैल		
(क)	अपरिष्कृत	चौदह रुपये प्रति टन
(ख)	प्रसंस्कृत (जिसके अंतर्गत घुली हुई भी है)	बासठ रुपये प्रति टन
10. क्रोमाइट (संपीड़ित अपूर्णशील अयस्क और सांद्र दोनों)		
(क)	जिसमें 42% से कम $सीआर_2 ओ_3$ और उससे ऊपर हो	दो सौ पचपन रुपये प्रति टन
(ख)	जिसमें 47% से कम $सीआर_2 ओ_3$ और 40% से अधिक $सीआर_2 ओ_3$ हो :	एक सौ पैंतीस रुपये प्रति टन
(ग)	जिसमें 30% से 40% तक $सीआर_2 ओ_3$ हो	नब्बे रुपये प्रति टन
(घ)	जिसमें 30% से कम $सीआर_2 ओ_3$ हो	तेईस रुपये प्रति टन
11. ताम्र अयस्क		एक अन अयस्क में ताम्र धातु के प्रति एक प्रतिशत पर सत्रह रुपये और अनुपातिक आधार पर
12. कोरंडम		दो सौ दस रुपये प्रति टन
13. हीरा		गर्तमुख पर विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत
14. डायास्पोर		तिरासी रुपये प्रति टन
15. डोलोमाइट		पच्चीस रुपये प्रति टन
16. फेल्सपार		पन्द्रह रुपये प्रति टन
17. अग्निसह मृत्तिका (जिसमें प्लास्टिक पाईप, अश्वमुद्रणीय और प्राकृतिक पोजोलेनिक मृत्तिका भी है)		तेरह रुपये प्रति टन

18.	पलूओरस्पार (जिसे पलूओराईट भी कहा जाता है)		
	(क) जिसमें 85% या अधिक सीएफ$_2$ है		दो सौ सत्तर रुपये प्रति टन
	(ख) जिसमें 70% या उससे अधिक सीएफ$_2$ किंतु 85% सीएफ$_2$ से कम है	:	एक सौ सत्तर रुपये प्रति टन
	(ग) जिसमें 30% या उससे अधिक सीएफ$_2$ किंतु 70% सीएफ$_2$ से कम है		एक सौ तेरह रुपये प्रति टन
	(घ) जिसमें 30% सीएफ$_2$ या उससे कम है		पैंतालीस रुपये प्रति टन
19.	गार्नेट (अपघर्षक)		पैंतालीस रुपये प्रति टन
20.	स्वर्ण		(क) अयस्क के प्रति टन में स्वर्ण प्रत्येक ग्राम पर ग्यारह रु. और अनुपातिक आधार पर
			(ख) उपोत्पाद स्वर्ण दस रुपये प्रति ग्राम
21.	ग्रेफाइट		
	(क) 80% या उससे अधिक नियत कार्बन सहित		एक सौ पचासी रुपये प्रति टन
	(ख) 40% या उससे अधिक नियत कार्बन सहित किंतु 80% नियत कार्बन से कम		एक सौ रुपये प्रति टन
	(ग) 20% या उससे अधिक नियम कार्बन सहित किंतु 40% नियत कार्बन से कम	:	चालीस रुपये प्रति टन
	(घ) 20% नियत कार्बन से कम		पच्चीस रुपये प्रति टन
22.	जिप्सम		बीस रुपये प्रति टन
23.	इलमेनाइट		चौंतीस रुपये प्रति टन
24.	लोहा		
	(i) अयस्क लम्पस		
	(क) जिसमें 65% या अधिक लोहा हो		अठारह रुपये प्रति टन
	(ख) जिसमें 62% या उससे अधिक किंतु 65% से कम लोहा हो	:	दस रुपये पचास पैसे प्रति टन
	(ग) जिसमें 60% या उससे अधिक किंतु 62% से कम लोहा हो		सात रुपये प्रति टन
	(घ) जिसमें 65% से कम लोहा हो		पांच रुपये प्रति टन
	(ii) अयस्क चूर्ण		
	(अ) चूर्ण अयस्क के खनन से और चिककश किये जाने के अनुषंग में उत्पादित प्राकृतिक चूर्ण भी है।		
	(क) जिसमें 65% या उससे अधिक हो		तेरह रुपये प्रति टन
	(ख) जिसमें 62% या उससे अधिक लोहा हो किंतु 65% से कम लोहा हो		सात रुपये प्रति टन
	(ग) जिसमें 62% से कम लोहा हो		पांच रुपये प्रति टन
	(आ) निम्नग्रेड अयस्क जिसमें 40% या उससे कम लोहा हो के सज्जीकरण और/या सांद्रण द्वारा निर्मित सांद्रण पर	:	दो रुपये पच्चीस पैसे प्रति टन

25.	कायनाइट	
	(क) जिसमें 40% और उससे ऊपर ए एल$_2$ ओ$_3$ है	पचासी रुपये प्रति टन
	(ख) जिसमें 40% से कम ए एल$_2$ ओ$_3$ है	चालीस रुपये प्रति टन
26.	सीसा अयस्क	एक टन अयस्क में धातु के प्रति एक प्रतिशत पर आठ रुपये और आनुपातिक आधार पर
27.	चूना घोल (चूनेदार और बालू खड़िया सहित)	पच्चीस रुपये प्रति टन
28.	चूना पत्थर (जिसमें कंकड भी है)	
	(क) एल पी ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5% से कम है)	पचास रुपये प्रति टन
	(ख) अन्य	पच्चीस रुपये प्रति टन
29.	मैग्नेजाइट	पच्चीस रुपये प्रति टन
30.	मैग्नीज अयस्क	
	(क) मैग्नीज डाइआक्साइड (जिसमें 78% या उससे अधिक एम एन ओ$_2$ और 4% या उससे कम लोहा है)	एक सौ सात रुपये प्रति टन
	(ख) 46% एम. एन. और उससे ऊपर	चालीस रुपये प्रति टन
	(ग) 35% एम. एन. और उससे ऊपर किंतु 46% एम. एन. से कम	तेईस रुपये प्रति टन
	(घ) 25% एम. एन. से ऊपर किंतु 35% एम. एन. से कम	सत्रह रुपये प्रति टन
	(ङ) 25% एम. एन. से कम	सात रुपये प्रति टन
31.	अभ्रक	
	(क) अपरिष्कृत अभ्रक	चौंतीस रुपये प्रति 100 कि.ग्रा.
	(ख) अभ्रक अपशिष्ट और कतरन	चौदह रुपये प्रति 100 किलोग्राम
32.	मोनेजाइट	एक सौ तेरह रुपये प्रति टन
33.	निकल अयस्क	एक टन में निकल धातु के प्रति एक प्रतिशत पर दो रुपये पच्चीस पैसे और आनुपातिक आधार पर
34.	ओकर	दस रुपये प्रति टन
35.	बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्न (एगेट और हीरा के सिवाय)	गर्तमुख पर विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत
36.	पाइराइटस	एक टन में गंधक युक्त पाइराइटस के एक टन पर साठ पैसे प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
37.	पाइरोफलाइट	बाईस रुपये प्रति टन
38.	क्वार्टज सिलिका बालू और सोना बालू	बारह रुपये प्रति टन
39.	क्वार्टजाइट	बारह रुपये प्रति टन
40.	रूटाइल	दो सौ पच्चीस रुपये प्रति टन
41.	भराई के लिए बालू	चालीस रुपये प्रति टन
42.	सेलेनाइट	पचास रुपये प्रति टन
43.	सिलिमेनाइट	नब्बे रुपये प्रति टन

44.	चांदी	तीन सौ चालीस रुपये प्रति धातु किलोग्राम
45.	स्लेट	चालीस रुपये प्रति टन
46.	टेल्क, स्टीटाइट ओर सोफ्स्टोन	
	(क) कीटनाशक ग्रेड	तेईस रुपये प्रति टन
	(ख) कीटनाशक ग्रेड से भिन्न	छप्पन रुपये प्रति टन
47.	टंगस्टन अयस्क	प्रति टन में डब्ल्यू ओ$_3$ की प्रति प्रतिशत अयस्क पर तीस रुपये प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
48.	यूरेनियम	0.05% मात्रा तक यू$_3$ ओ$_8$ युक्त शुष्क अयस्क के लिए जिसमें 0.01% बढ़ोतरी/कमी के लिए एक रुपया प्रति मीट्रिक टन अयस्क की आनुपातिक बढ़ोतरी/कमी है, तीन रुपये पचास पैसे
49.	वरनी कयूलाइट	अटठाइस रुपये प्रति टन
50.	बोलास्टोनाइट	: अस्सी रुपये प्रति टन
51.	जस्ता अयस्क	अयस्क के प्रति टन में जस्ता धातु की प्रतिशतता का सोलह रुपये प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
52.	तुरंसावा	एक सौ अस्सी रुपये प्रति टन
53.	सभी अन्य खनिज जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	: गर्तमुख पर विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विपणन ढांचे में सुधार की योजना

*317. **श्री तारा सिंह : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड "सेल" ने अपने संपूर्ण विपणन ढांचे में सुधार करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घाटे में चल रहे (सेल) के एककों को भी अर्थक्षम बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां। "सेल" ने अपनी विपणन कार्य प्रणाली और संरचना में सुधार करने की योजना बनाई है।

(ख) विपणन प्रणाली सहित कार्य नीति, संरचना एवं पद्धतियों मे परिवर्तन करते रहना "सेल" में एक सतत् प्रक्रिया है। विपणन प्रणाली में किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :

1.0 विपणन नीतियां

1.1 व्यापक ग्राहक संपर्क "सेल" के विपणन कार्यपालक ग्राहकों के परिसर में उनसे संपर्क कर रहे हैं, आर्डर बुक कर रहे हैं तथा उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

1.2 बाजारोन्मुखी उत्पाद मिश्र बाजार आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद मिश्र को समायोजित करने के लिए विपणन तथा उत्पादन कार्मिकों की परस्पर बार-बार नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अधिक से अधिक उत्पादन ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

1.3 गुणवत्ता में सुधार बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से नई इकाइयों से, का मुकाबला करने के लिए "सेल" ने अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में फिनिशिंग मिलों में प्रौद्योगिकीय सुधार, इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण, अपेक्षित सुविधाओं की स्थापना, बेहतर प्रचालन अनुशासन आदि कार्य शामिल हैं।

1.4 आर्डर बुकिंग प्रणाली में संशोधन "सेल" ने एक नई आर्डर बुकिंग प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली में पारस्परिक रूप से पहले से स्वीकार की गई शर्तों पर आर्डर बुक किए जाते हैं तथा वार्षिक आधार पर ग्राहकों की सप्लाई की बचनबद्धता दी जाती है।

1.5 ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध दीर्घकालीन संबंध स्थापित करने के लिए "सेल" ग्राहकों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक वर्ष/दो वर्ष के लिए सप्लाई करने के संबंध में समझौता ज्ञापन भी करता है।

1.6 ग्राहक सेवा में सुधार करना ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए फील्ड स्तर के कार्मिकों की प्राधिकृत करने, बिक्री के पश्चात् शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने आदि सहित इस प्रणाली में कई सुधार लागू किए गए हैं।

1.7 **आंतरिक ग्राहक संतुष्टिक आदर्श** "सेल" ने आंतरिक ग्राहक संतुष्टि की अद्वितीय अवधारणा शुरू की है। इसमें संगठन में प्रत्येक विभाग सप्लाई करने वाले विभाग का आंतरिक ग्राहक होता है।

1.8 **संयंत्रों में विपणन अभिविन्यास** : बाजार की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होने के लिए संयंत्र में लगभग सभी स्तरों पर बाजार अभिविन्यास संस्कृति लाई जा रही है।

2.0 संगठन संरचरना

2.1 ग्राहकों को शीघ्र उत्तर देने के लिए विपणन संगठन में सूचना उपलब्ध कराने के स्तरों की संख्या में कमी की गई है।

2.2 ग्राहक सेवा के प्रत्येक पहलू पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आर्डर बुकिंग आदि के कारोबार कार्यों को बिक्री, सुपुर्दगी आदि के प्रचालन कार्यों में भिन्नता की गयी है।

2.3 ग्राहकों के साथ पारस्परिक रूप से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और ग्राहकों की मांगों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष इस्पात संयंत्रों अर्थात् मिश्र इस्पात संयंत्र तथा सेलम इस्पात संयंत्र में इकाई आधारित विपणन की अवधारणा कार्यान्वित की गई है।

2.4 ग्राहकों को उन्नत "अप्लीकेशन इंजीनियरिंग" सहायता के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु केन्द्रीय विपणन संगठन में तकनीकी सेवा विंग का पुनर्गठन किया गया है।

2.5 सूचना के तीव्रतर आदान प्रदान के लिए सी. एम. ओ. मुख्यालय में प्रबंधन सूचना और अन्य सहायता दलों का पुन वर्गीकरण किया गया।

2.6 बाजार अभिविन्यास में वृद्धि करने तथा बाजार और उत्पाद विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विपणन में तथा संयंत्रों एवं आर. डी. सी. आई. एम. की कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया गया है।

3.0 अवसंरचनात्मक सहायता

3.1 ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए सभी संयंत्रों तथा विपणन संगठन की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न कार्यालयों को एक दूसरे से जोडने के लिए भी "सेल" की योजना है।

3.2 **स्टाक यार्ड विकास** : संभाल में सुधार करने, सामग्री को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए "सेल" अपने अधिकांश प्रमुख स्टाक यार्डों का आधुनिकीकरण कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1994-95 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा मिश्र इस्पात संयंत्र को छोड़कर सेल की सभी इकाइयों ने लाभ कमाया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने, गुणवत्ता में सुधार करने, तकनीकी आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने, उत्पादन लागत में कमी करने आदि के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कुछ इकाइयां पहले ही चालू की जा चुकी हैं। 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन और वित्तीय निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है।

मिश्र इस्पात संयंत्र मिश्र इस्पात संयंत्र के प्रचालन में सुधार करने के लिए "सेल" ने कई कदम उठाए हैं। 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान मिश्र इस्पात संयंत्र की बिक्री और वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है।

सड़क नेटवर्क

*318. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के अंत तक देश में सड़क नेटवर्क कुल कितना था;

(ख) कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत कितना है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत यातायात होता है;

(घ) क्या सड़कों के नेटवर्क की आधी सड़कें कच्ची हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) और अधिक सड़कों को पक्की करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस. राजशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1992 के अंत में देश में कुल सड़क नेटवर्क की लम्बाई 20,65,209 कि.मी. थी (उपलब्ध नवीनतम आंकडों के अनुसार)।

(ख) सडक नेटवर्क से राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई का प्रतिशत लगभग 1.65% है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सडकों पर होने वाले कुल यातायात का लगभग 40% यातायात होता है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) भारत सरकार, मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोडकर अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, इनकी पूरी लम्बाई पक्की सतह युक्त है।

स्पंज आयरन का उत्पादन

*319. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्पंज आयरन उद्योग स्पंज–आयरन के उत्पादन के लिये उच्चस्तर के लौह अयस्क का आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च ग्रेड के लौह अयस्क पैलेट तथा केलिब्रेटिड लौह अयस्क स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल हैं। लौह अयस्क पैलेटों की उपलब्धता सीमित है क्योंकि देश में लौह अयस्क पैलेटों के उत्पादन में फिलहाल केवल 2 इकाइयां लगी हुई हैं। इनमें से एक इकाई शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना के अंतर्गत प्रचालनरत है तथा दूसरी इकाई अपनी क्षमता के अनुसार निष्पादन नहीं कर पा रही है। स्पंज लोहा ग्रेड के केलिब्रेटिड लौह अयस्क की उपलब्धता भी सीमित है।

जवाहर रोजगार योजना

***320. श्री खेलन राम जांगड़े :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितने श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए लक्ष्यों को वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य सरकारों को दी जाती है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (अब तक) के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित वर्षवार लक्ष्य तथा संबंधित उपलब्धियां (राज्यवार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार लक्ष्य और उपलब्धि

(लाख श्रम दिन)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96*	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	659.76	677.93	1025.61	1028.90	1145.23	812.25	742.72	209.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.01	6.52	10.01	4.85	9.38	5.58	9.51	0.83
3.	असम	119.72	109.72	228.90	278.24	211.97	263.29	178.63	64.01
4.	बिहार	937.94	1036.16	1467.71	1474.25	1340.30	986.88	1372.41	528.49
5.	गोवा	8.36	8.12	10.12	8.53	7.84	6.45	7.94	4.31
6.	गुजरात	236.73	235.03	211.40	232.64	240.49	258.48	230.59	74.17
7.	हरियाणा	33.71	32.63	38.64	33.29	33.29	33.96	34.63	7.02
8.	हिमाचल प्रदेश	29.77	26.16	33.73	34.54	28.68	28.87	24.27	8.22
9.	जम्मू व कश्मीर	62.87	43.01	72.75	32.16	117.10	88.04	101.70	17.17
10.	कर्नाटक	441.08	418.29	718.01	651.30	513.63	499.67	514.02	130.95
11.	केरल	138.63	134.54	113.47	120.43	97.10	101.01	108.01	34.09
12.	मध्य प्रदेश	643.77	709.66	766.00	849.24	1015.23	1075.25	958.16	248.54
13.	महाराष्ट्र	838.77	823.53	1378.27	1188.50	1119.11	1100.73	974.58	294.81
14.	मणिपुर	9.84	5.23	14.84	6.68	5.78	7.16	5.78	4.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मेघालय	11.61	8.90	16.89	9.55	7.82	8.50	7.88	2.11
16.	मिजोरम	4.37	4.78	5.24	6.32	4.08	5.72	4.15	1.46
17.	नागालैंड	20.74	15.47	14.74	16.02	11.51	8.47	11.82	0.00
18.	उड़ीसा	306.52	326.39	557.70	522.96	676.65	604.51	671.79	211.75
19.	पंजाब	24.67	31.78	29.93	38.57	25.39	24.36	28.25	0.00
20.	राजस्थान	340.62	339.09	426.66	450.37	497.35	545.58	335.06	119.03
21.	सिक्किम	6.66	13.42	8.19	10.14	6.10	7.08	5.38	3.94
22.	तमिलनाडु	671.94	767.86	853.62	881.10	815.47	1027.68	876.61	402.67
23.	त्रिपुरा	18.10	13.94	22.04	23.41	13.19	29.02	12.94	10.33
24.	उत्तर प्रदेश	1389.00	1496.29	1779.57	1791.16	1298.55	1395.94	1371.35	479.02
25.	पश्चिम बंगाल	557.24	525.55	563.81	554.03	613.39	580.82	455.79	159.15
26.	अंडमान निकोबार	4.47	1.71	3.27	1.81	2.46	2.59	2.26	0.31
27.	दादर व नगर हवेली	3.55	2.70	2.73	2.34	2.29	2.07	2.36	0.28
28.	दमन व दीव	1.63	0.2	1.63	0.59	1.48	0.55	1.55	0.31
29.	लक्षद्वीप	2.55	2.68	2.62	2.21	1.38	1.91	1.45	0.50
30.	पांडिचेरी	3.32	3.81	5.16	4.27	3.08	4.72	3.16	2.90
		7537.95	7821.02	1038326	10258.40	9865.45	9517.07	9054.75	3019.65

*सितम्बर 95 तक

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्र

2707. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के अजमेर केन्द्र को कार्यक्रमों के निर्माण करने और वहां से विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए सशक्त बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या उपरोक्त केन्द्र के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिये उसमें आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त केन्द्र का विस्तार स्वतंत्र और उच्च शक्ति के आकाशवाणी केन्द्र के रूप में विस्तार हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस केन्द्र के विस्तार के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) वर्तमान में, आकाशवाणी के पास अजमेर से कार्यक्रम निर्माण या विविध भारती सेवा आरंभ करने की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन

2708. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चंडीगढ़ में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची की कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है और संघ राज्य क्षेत्र के लोगों को कब तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) में प्रत्येक वर्ष दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

1992-93	2901
1993-94	2268
1994-95	13603
30.11.95 तक	3629

(ख) चंडीगढ़ में श्रेणीवार 30.11.95 तक की प्रतीक्षा सूची नीचे दी गई है:

ओ वाई टी	24
सामान्य	12540
विशेष	152
योग	12716

(ग) 1995-96 के दौरान चंडीगढ़ के लिए 20 हजार टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य संसाधन समय पर उपलब्ध हो जाएं। इससे, प्रतिक्षा सूची में इस समय दर्ज आवेदकों को मार्च, 1996 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की संभावना है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में चंडीगढ़ सहित संपूर्ण देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

कोकिंग कोयले का खनन

2709. **श्री ललित उरांव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1994-95 (अक्तूबर, 1995 तक) बिहार में विभिन्न राष्ट्रीयकृत कोयला खानों से कितनी मात्रा में कोकिंग कोयला निकाला गया;

(ख) इसमें से बिहार को और बिहार से बाहर आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार सरकार को भुगतान की गई रायल्टी का वर्षवार ब्यौरा क्या है और अभी कितनी रायल्टी का भुगतान किया जाना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बिहार राज्य में कोल इंडिया लि. की विभिन्न खानों में किए गए कोककर कोयले के उत्पादन के वर्षवार ब्यौरे को नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)
1991-92	39.11
1992-93	38.85
1993-94	38.37
1994-95	35.55
1995-96	16.92 (अनन्तिम)

(अक्तूबर, 95 तक)

(ख) कोल इंडिया लि. प्रस्तुत सूचना के अनुसार बिहार में और बिहार से बाहर कोककर कोयले के उत्पादन में से वर्षवार आपूर्ति की गयी मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(मी. टन में)

वर्ष	बिहार	बिहार के अलावा
1991-92	22.63	11.51
1992-93	22.84	16.97
1993-94	23.42	16.21
1994-95	23.02	13.90
1995-96	12.21	7.52 (अनन्तिम)

(अक्तूबर, 95 तक)

(ग) कोल इंडिया लि. के अनुसार बिहार सरकार को वर्षवार रायल्टी के रूप में अदा की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1991-92	319.81
1992-93	504.31
1993-94	555.05
1994-95	613.18
1995-96	336.42 (अनन्तिम)

(अक्तूबर, 95 तक)

31.10.1995 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में शेष अदा की जाने वाली राशि 4.64 करोड़ रु. की थी।

[अनुवाद]

लॉज बंद करना

2710. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में सभी लॉज, होटल और गेस्ट हाउसों को बंद करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) रिहायशी क्षेत्रों में क्षेत्रवार कितने गेस्ट हाउस, लाज और होटल बंद किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात को राजसहायता

2711. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति प्रभावी रूप से बहाल रखने हेतु केन्द्र सरकार से हथियारों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और दिनांक सितम्बर, तक दिए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए, केन्द्र सरकार से हथियार मांगने संबंधी गुजरात सरकार का ऐसा कोई अनुरोध सरकार के समक्ष लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य में प्रभावी रूप से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को वर्ष 94-95 के दौरान क्रमशः 22.75 लाख रु. 458.89 लाख रु. 474.14 लाख रु. की एक विशेष वित्तीय सहायता, तटीय निगरानी योजना के संबंध में हुए व्यय की पूर्ति हेतु प्रदान की गई थी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

2712. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले गए हैं;

(ख) कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने के मामले लम्बित हैं; और

(ग) इन एक्सचेंजों को कब तक बदल दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल दिया गया है।

(ख) 30.9.95 की स्थिति के अनुसार 546 टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तन के लिए लंबित है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार सभी मैक्स III तथा मैक्स II (एल/एफ टाइप) इलैक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से मार्च, 1997 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों मे परिवर्तित किए जाने की संभावना है।

मैक्स II यू एस टाईप तथा अन्य मैक्स I इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों को उनकी उपयोगी मियाद पूरा हो जाने पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

हैड वर्क्स का नियंत्रण

2713. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार रोपड़, हारिके और फिरोजपुर हैड वर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास रहेगा;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इन "हैड वर्क्स" को अभी तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को नहीं सौंपा है;

(ग) क्या जून, 1994 में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस मामले को सुलझाने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित करने के संबंध में उनसे अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ग) जी हां।

(घ) रोपड, हारिके और फिरोजपुर के मुख्य कार्यों के नियंत्रण को भांखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को अंतरित करने सहित जल से संबंधित बहुत से अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उन्हें हल करने के लिए जल संसाधन मंत्री जी ने जुलाई और अगस्त, 1992 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ कुछ बैठकें कीं। तथापि, किसी-न-किसी वजह से और बैठकें नहीं की जा सकी और पहले की गई बैठकों में लिए गए निर्णयों को अंतिम रूप भी नहीं दिया जा सका।

राजस्थान को अपेक्षित रावी-व्यास जल तथा सतुलज जल में उसका हिस्सा पंजाब और हरियाणा में विभिन्न संपर्क/नियंत्रण बिन्दुओं के जरिए उपलब्ध कराया गया है और केवल तीन मुख्य कार्यों को अंतरित करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। सर्वोत्तम व्यवस्था यह रहेगी कि सभी साझेदार राज्य भांखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की तकनीकी समिति जिसमे राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व है द्वारा किए गए वितरण का सम्मान करें और विभिन्न नियंत्रण बिन्दुओं पर सही आपूर्ति पहुंचाये।

विकलांग बच्चे

2714. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बच्चों की तुलना में स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों का प्रतिशत क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विकलांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन विकलांग बच्चों को विशेष सुविधाए प्रदान करने का है जो व्हील चेयर अथवा अन्य प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं; और

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मुख्य योजनाएं निम्नलिखित है जिसके अंतर्गत विकलांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(i) विकलांग व्यक्तियों के संगठनो को सहायता।

(ii) विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास और

(iii) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना।

(ग) और (घ) यद्यपि पहिएदार कुर्सियों का प्रयोग करने वाले विकलांग बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई विशिष्ट प्रस्ताय नहीं है फिर भी विकलांग बच्चों के लिए उन स्कूलों में जो सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करते है से ऐसी सुविधाएं होने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग बच्चों का शैक्षिक स्तर इस प्रकार है:

(जनसंख्या प्रति हजार)

	साक्षर नहीं	प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर	सेकेन्ड्री स्तर तथा इससे ऊपर
ग्रामीण	701	203	53	35
शहरी	462	298	110	123

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चयनित शैक्षनिक संख्यिकी 1993-94 के अनुसार वर्ष 1993-94 के लिए कुछ दाखिला अनुपात इस प्रकार है:

प्राथमिक	(1 से 5)	104.5
उच्च प्राथमिक	(6 से 8)	67.7

टिप्पणी कुल दाखिला भुगतान को समतुल्य आयु समूहों में संबंधित वर्गों में अनुमानित बाल जनसंख्या के दाखिले को प्रतिशतता के अनुपात में पारिभाषित किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार/राजस्थान में टेलीफोन तथा डाक घर सुविधा

2715. श्री राम टहल चौधरी :

श्री कुंजी लाल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा राजस्थान में जिलेवार कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन तथा डाक घर सुविधाएं है;

(ख) प्रत्येक ग्राम पचायत में उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) इनमें से कितनी पंचायतों के डाक घरों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है तथा इस सुविधा के विस्तार हेतु क्या किया जाना है; और

(घ) राज्य के प्रमुख नगरों में जिलेवार स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध करने हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) (i) बिहार और राजस्थान में 30.11.1995 और 31.10.1995 तक सार्वजनिक सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः 8376 और 7985 है। जिलावार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ii) बिहार और राजस्थान में डाक घर की सुविधा से युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः 8254 और 7691 है। 30.11.95 तक के जिलावार ब्यौरें क्रमशः संलग्न विवरण III और IV में दिए गए हैं।

(ख) (i) सरकार द्वारा अपनाई गई, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अनुसार, वर्ष 1997 तक बिहार और राजस्थान सहित देश के प्रत्येक गांव में उत्तरोत्तर रूप से सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान किए जाने की परिकल्पना है।

(ii) तथापि, देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाक–घर की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। ग्राम पंचायतों में डाकघर प्रदान करने का, सरकार का उद्देश्य, दूरी, जनसंख्या तथा आय जैसे मानदंडों और निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के अध्ययधीन है।

(ग) 30.11.1995 की स्थिति के अनुसार बिहार और राजस्थान में तार सुविधा युक्त (टेलीग्राफ फैसिलिटी) डाकघरों की संख्या क्रमशः 1391 और 1277 है।

जहां कहीं भी परियात की मात्रा का औचित्य बनता है, तार (टेलीग्राफ) की सुविधा प्रदान की जाती है।

(घ) स्पीड–पोस्ट सेवा की शुरूआत, परियात और आवागमन संबंधी मानदंडों के औचित्य के आधार पर की जाती है जिनसे वित्तीय और प्रचालनात्मक व्यवहार्यता तथा ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताएं सुनिश्चित होती हैं यह एक, सतत् प्रक्रिया है।

बिहार और राजस्थान में मौजूदा स्पीड पोस्ट स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

विवरण-I

बिहार में 30.11.1995 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों का जिला वार ब्यौरा

क्र.सं०	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	अरारिया	159

1	2	3
2.	औरंगाबाद	126
3.	भोजपुर	184
4.	बक्सर	100
5.	भागलपुर	168
6.	बांका	114
7.	बेगूसराय	250
8.	बोकारो	63
9.	बेतिया	215
10.	भभुआ	88
11.	छपरा	184
12.	चतरा	60
13.	चौबासा	208
14.	दरभंगा	376
15.	धनबाद	100
16.	देवधर	58
17.	दुमका	140
18.	डाल्टनगंज	143
19.	गोपालगंज	163
20.	गोड्डा	60
21.	गया	304
22.	गिरिडीह	216
23.	गुमला	65
24.	गड़वा	81
25.	हजारीबाग	221
26.	जमुई	81
27.	जहानाबाद	86
28.	जमशेदपुर	127
29.	खगडिया	147
30.	कटिहार	156
31.	किशनगंज	103
32.	लोहारडगा	35
33.	मुंगेर	157
34.	मधुबनी	361
35.	मोतिहारी	300
36.	मुजफ्फरपुर	295
37.	मधेपुरा	144
38.	नवादा	99
39.	नालंदा	160
40.	पटना	335
41.	पुरनिया	164
42.	रांची	1758
43.	रोहताश	177
44.	सिवान	219
45.	समस्तीपुर	323
46.	साहबगंज	94
47.	सीतामढ़ी	257
48.	सहरसा	159
49.	सुपौल	103
50.	वैशाली	210
	कुल :	8376

विवरण-II

राजस्थान में 31.10.1995 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं०	जिले का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	अजमेर	260
2.	अलवर	408
3.	बांसवाडा	262
4.	बाडमेर	375
5.	भरतपुर	284
6.	भीलवाड़ा	328
7.	बीकानेर	172
8.	बूंदी	126

1	2	3
9.	चित्तौडगढ	309
10.	चूरू	276
11.	धौलपुर	135
12.	डुंगरपुर	179
13.	जयपुर और दौसा	579
14.	जैसलमेर	120
15.	जालोर	263
16.	झालावाड़	226
17.	झुझुनू	264
18.	जोधपुर	331
19.	कोटा और बारां	260
20.	नागौर	455
21.	पाली	316
22.	सवाई माधोपरु	280
23.	सीकर	308
24.	सिरोही	146
25.	श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़	486
26.	टौंक	218
27.	उदयपुर और राजसमंद	610
	कुल	7985

विवरण-III

30.11.95 की स्थिति के अनुसार बिहार में डाकघर युक्त ग्राम पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं०	जिले का नाम	डाकघर युक्त ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	अरारिया	154
2.	औरंगाबाद	170
3.	भोजपुर	205
4.	बक्सर	131
5.	भागलपुर	184
6.	बांका	106
7.	बेगूसराय	204
8.	बोकारो	93
9.	बेतिया	151
10.	भभुआ	65
11.	छपरा	551
12.	चतरा	76
13.	चौबासा	284
14.	दरभंगा	252
15.	धनबाद	69
16.	देवघर	66
17.	दुभका	122
18.	डाल्टनगंज	102
19.	गोपालगंज	170
20.	गोड्डा	93
21.	गया	190
22.	गिरिडीह	174
23.	जुमला	168
24.	गडवा	22
25.	हजारीबाग	54
26.	जमुई	108
27.	जहानाबाद	116
28.	जमशेदपुर	180
29.	खगडिया	112
30.	कटिहार	173
31.	किशनगंज	85
32.	लोहारडगा	73
33.	मुंगेर	140
34.	मधुबनी	306
35.	मोतिहारी	98
36.	मुजफ्फरपुर	281
37.	मधेपुरा	160
38.	नवादा	122
39.	नालंदा	227

1	2	3
40.	पटना	241
41.	पुरनिया	170
42.	रांची	251
43	रोहताश	159
44.	सिवान	237
45.	समस्तीपुर	281
46.	साहबगंज	93
47.	सीतामढी	238
48.	सहरसा	145
49.	सुपौल	149
50.	वैशाली	153
	कुल :	8254

विवरण-IV

30.11.95 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में डाक-घर सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों का जिला वार ब्यौरा

क्र.सं०	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	अजमेर	271
2.	अलवर	422
3.	बांसवाडा	196
4.	बाडमेर	305
5.	भरतपुर	332
6.	भीलवाड़ा	344
7.	बीकानेर	157
8.	बूंदी	146
9.	चित्तौडगढ	302
10.	चूरू	278
11.	धौलपुर	137
12.	डुंगरपुर	173
13.	जयपुर और दौसा	567
14.	जैसलमेर	224
15.	जालोर	125
1	2	3
16.	झालावाड़	209
17.	झुझूंनू	264
18.	जोधपुर	224
19.	कोटा और बारां	288
20.	नागौर	398
21.	पाली	298
22.	सवाई माधोपुर	384
23.	सीकर	308
24.	सिरोही	134
25.	श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़	469
26.	टौंक	196
27.	उदयपुर और राजसमंद	540
	कुल :	7691

विवरण-V

बिहार और राजस्थान में स्पीड पोस्ट कार्यालय प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम के ब्यौरे

बिहार	राजस्थान
(i) नेशनल नेटवर्क	(i) नेशनल नेटवर्क
1. पटना	1. जयपुर
2. जमशेदपुर	2. जोधपुर
3. रांची	3. उदयपुर
4. धनबाद.	
(ii) प्वाइंट टु प्वाइंट एसपीसी	(ii) प्वाइंट टु प्वाइंट एसपीसी
1. पटना – दरभंगा	1. अलवर
2. पटना – कटिहार	2. भरतपुर
3. पटना – बेगूसराय	3. ब्यावर
4. पटना – मोतीहारी	4. भीलवाडा
5. पटना – पुर्णिया	5. कोटा
6. पटना – बेतिया	6. पाली
7. पटना – मुंगेर	7. अजमेर
8. पटना – गिरिडीह	8. श्रीगंगानगर

9. पटना – बोकारो स्टील सिटी
10. पटना – गया
11. पटना – सिवान
12. पटना – भागलपुर
13. पटना – मुजफ्फरपुर
14. गिरिडीह – कलकत्ता
15. बोकारो स्टील सिटी – कलकत्ता
16. बोकारो स्टील सिटी – धनबाद
17. बोकारो स्टील सिटी – रांची
9. पिलानी
10. बीकानेर
11. माउंट आबू
12. जैसलमेर

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

2716. श्री महेश कनोडिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जिला तथा ग्रामीण स्तर पर टेलीफोन प्रणाली सामान्यतया खराब रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज जिलावार कार्यरत हैं; और

(घ) प्रत्येक गांव में कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे तथा कुल मिलाकर टेलीफोन प्रणाली के कार्यचालन में सुधार लाने हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) उपस्कर तथा अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर सभी गांवों को 1997 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे। समग्र सुधार हेतु तैयार की गई योजनाएं संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण-I

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों की जिलेवार संख्या

क्र. सं०	जिलों का नाम	एक्सचेजों की संख्या
1.	अहमदाबाद (गांधी नगर सहित)	53
2.	अमरेली	42
3.	भरूच	51
4.	भावनगर	53
5.	बनासकॉठा (पालनपुर)	81
6.	जामनगर	55
7.	जूनागढ़	65
8.	खेड़ा	101
9.	मेहसाणा	107
10.	पंचमहल (गोधरा)	56
11.	राजकोट	84
12.	साबर कॉठा (हिम्मत नगर)	88
13.	सुरेन्द्र नगर	54
14.	सूरत	43
15.	बडोदरा	48
16.	वल्साड डॉग सहित	46
17.	कच्छ	93
	जोड :	1120

विवरण-II

टेलीफोन प्रणाली के समग्र कार्यकलापों के सुधार हेतु किए जा रहे उपाय

1. सभी मैक्स–II लाइन फाइंडर एक्सचेजों को, उनकी मियाद समाप्ति से पूर्व आर्क डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदला जा रहा है।

2. सभी मियाद समाप्त इलै. मैकेनिकल मैक्स -I एक्सचेंजों को डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों से बदला जा रहा है।

3. जिन इलेक्ट्रो–मैकेनिकल एक्सचेजों की मियाद समाप्त नहीं हुई है, वहां एस टी डी उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जा रहे हैं।

4. इंटर एक्सचेंज जंक्शनों के कार्य–कुशलता में सुधार करने के लिए मल्टी एक्सचेंज एरिया के स्थानीय जंक्शन नेटवर्क में डिजीटल सूक्षम तरंगी तथा ऑप्टीकल फाइबर प्रणालियां क्रमिक रूप से शुरू की जा रही हैं।

5. लंबी दूरी के नेटवर्क में संकुलन (भीडभाड) समाप्त करने के लिए, ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों व पारेषण माध्यमों का विस्तार किया जा रहा है।

6. एक माध्यम फेल हो जाने पर, समूचा परियात लडखडाने न लगे, इसके लिए विविध पारेषण माध्यमों की व्यवस्था की जा रही है।

7. उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग परियात के सुचारू प्रवाह हेतु सभी गौण स्विचन क्षेत्र मुख्यालयों में "ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेजों" की व्यवस्था की जा रही हैं।

8. ग्रामीण नेटवर्क में विश्वसनीय पारेषण माध्यमों को लागू किया जा रहा है।

9. दूरसंचार सेवाओं के बेहतर अनुरक्षण हेतु, उच्चतर कुशला हासिल करने के उद्देश्य से, स्टाफ को प्रशिक्षित /पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है।

10. स्थानीय टेलीफोनों को सेवा देने वाली खुली तारों को धीरे धीरे भूमिगत केबलों से बदला जा रहा है।

11. नेटवर्क में कोई नया इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंज नहीं लगाया जा रहा है।

12. खराबियों की गुंजाइश वाली कोई भी पेपरकोर केबलें नेटवर्क में नहीं लगाई जा रही है।

[अनुवाद]

संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

2717. श्री शिव शरण वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने आगरा नगर की औद्योगिक इकाइयों से संपीडित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के संबद्ध ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) आगरा शहर में वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) दिए जाने की योजना है। सी एन जी के वितरण के लिए दो बिक्री केन्द्रों की पहचान कर ली गई है। एक वितरण नेटवर्क के माध्यम से आगरा और फिरोजाबाद क्षेत्र में उद्योगों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की भी योजना है। उक्त उद्देश्य के लिए 0.6 एम एम एस सी एम डी गैस का आवंटन किया गया है।

रेडियो पेजिंग सेवा

2718. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो पेजिंग क्या है तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या आकाशवाणी पर रेडियो पेजिंग सेवा उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो इसकी समय–सारणी सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सेवा को श्रोताओं द्वारा कितना उपयोग किया जा रहा है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) रेडियो पेजिंग एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए ऐसे व्यक्ति को संकेत प्रेषित किया जाता है जो एफ एम ट्रांसमीटर के एक उपवाहक का प्रयोग करते हुए चल रहा है। यह सेवा, व्यक्ति के पास निहित पेजर या रिसीवर पर दर्शाए अंकों या संदेश की सामग्री के रूप में ग्राहक को सावधान करने या बुलाने संबंधी सूचना पहुंचाने में सहायता करती है।

(ख) और (ग) जी, हां। यह सेवा आकाशवाणी के एफ एम ट्रांसमीटरों से दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, सूरत, कोचीन तथा हैदराबाद में 24 घंटे और पुणे, राऊरकेला, नागपुर, इन्दौर, भोपाल, पटना, इलाहाबाद, बरेली एवं जालंधर में 18 घंटे उपलब्ध है।

(घ) इस समय 18,000 ग्राहक आकाशवाणी की पेजिंग सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन

2719. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 नवंबर, 1995 के "द इकोनामिक टाइम्स" में "हिच ओवर औक्टराय हिट्स डॉट लाइन एक्सपेंशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विस्तार लक्ष्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी आपरेटरों के चलते, जिनके पास बाजार पर कब्जा जमाने का समय और अवसर होगा, दूरसंचार विभाग को भारी संख्या में उपभोक्ताओं को खोना न पड़े, क्या कार्यवाही की गई है या फिर किये जाने का विचार है; और

(ङ) महानगरों में प्रतीक्षा सूची में उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें 31 मार्च, 1996 तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापक डिजीटल स्विचिंग उपस्कर के लिए 17 लाख लाइन की निविदा में, प्रति प्रस्ताव में, जिसे विक्रेताओं को सूचित किया गया था, कार्य स्थल पर वितरण किए जाने तक की लेवी शमिल थी। 13.07.1995 को विक्रेताओं को यह स्पष्ट किया गया था कि जहां कहीं भी चुंगी से छूट लागू नहीं है, वहां भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर चुंगी, दूरसंचार विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

(घ) 13.03.1995 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित अधिकांश आवेदको को मार्च, 1996 तक दूरभाष सेवा उपलब्ध कराए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा को गुणवत्ता मे उल्लेखनीय वृद्धि लाए जाने के उपाय भी किए जा रहे हैं जिससे कि अभिदाता, दूरसंचार विभाग के साथ प्रतिस्पर्धा करने वालों के पक्ष मे नहीं चले जाएं। विद्यमान वायस और डाटा सेवाएं जैसे आई एस डी एन, इंटरनेट कनेक्शन और आई एन के अलावा अनेक आधुनिकतम सेवाएं या तो शुरू कर दी गयी हैं या शुरू किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(ङ) महानगरों में, वर्ष 1995-96 में दूरभाष सेवा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य 31 मार्च, 1996 तक 6,87,700 है जिसे चार महानगरों में विद्यमान प्रतीक्षा सूची को शामिल किए जाने की अपेक्षा पर्याप्त से अधिक समझा गया है।

दिल्ली में दूरभाषों का कार्याकरण

2720. श्री मृत्युंजय नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम पर इस समय कार्यरत दूरभाषों का टेलीफोन–एक्सचेंजवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे दूरभाषों का उचित ढंग से कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु इन पर प्राथमिकता अथवा अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) लोक सभा व राज्य सभा के माननीय सदस्यों के नाम से कार्यरत सरकारी टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 759 है। एक्सचेंज वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पूर्व सांसदों के टेलीफोनों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) और (ग) जी हां। माननीय सांसद विशेष शिकायत बुकिंग नं० 178 पर अपने निजी टेलीफोनों की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर दर्ज शुदा सभी शिकायतों पर वरीयता पूर्वक ध्यान दिया जाता है तथा मुख्य महाप्रबंधक व महाप्रबंधक स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें अनुवीक्षित किया जाता है।

(घ) लागू नहीं होता।

विवरण

माननीय सांसदों के दिल्ली टेलीफोन मंडल के क्षेत्राधिकारगत् सरकारी कनेक्शनों की एक्सचेंज-वार सूची

1.	**केन्द्रीय क्षेत्र**		
	सेना भवन	-	409
	राजपथ	-	110
	किदवई भवन	-	194
	जोर बाग	-	33
2.	**उत्तरी क्षेत्र**		
	शक्ति नगर	-	1
3.	**पूर्वी/यमुनापार क्षेत्र**		
	मयूर विहार	-	1
4.	**पश्चिमी क्षेत्र-II**		
	राजौरीगार्डन	-	1
5.	**दक्षिणी क्षेत्र-I**		
	चाणक्यपुरी	-	3
	वसंतकुंज	-	1
6.	**दक्षिणी क्षेत्र-II**		
	ओखला	-	1
	नेहरू प्लेस	-	5
			759

डा. अम्बेडकर पुरस्कार

2721. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डा. "अम्बेडकर पुरस्कार" देने संबंधी मानदंडों एवं निर्देशों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाएं

2722. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर–कोकिंग कोयले में राख के अनुपात को कम करने के लिये अब तक देश में कितनी धोवनशालायें स्थापित की गई हैं और ये किन–किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इस समय प्रत्येक धोवनशाला की क्षमता और उसके वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में कोई गैर–कोकिंग कोयला धोवनशाला खोली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर कोकिंग कोयला धोवनशाला स्थापित करने की औसत लागत कितनी है और उनमें कितने लोगों को रोजगार मिला है और उनमें प्रतिवर्ष कितने टन कोयले को धोया जाता है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) इस संबंध में शायद माननीय सदस्य अ–कोककर कोयला में राख की मात्रा कम किए जाने के संबंध में स्थापित की गई वाशरियां की संख्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अभी तक अ–कोककर कोयले का परिष्करण किए जाने हेतु कोल इंडिया लि. के अधीन कोई वाशरी कार्यरत नहीं है। किंतु दो अ–कोककर कोयला वाशरियों, एंव पिपरवार में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. और दूसरी बीना में नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. के अधीन, जिनकी कुल क्षमता 11 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है, निर्माणाधीन हैं।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. ने निम्न स्थानों पर चार अ–कोककर कोयला वाशरियों को स्थापित किए जाने का भी निर्णय लिया है – महानदी कोलफील्ड्स लि. में कलिंगा तथा अनंता–भरतपुर, साउथ ईस्टर्न

कोलफील्ड्स लि. में दीपीका और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में सस्ती के स्थान पर, जिनकी कि निजी निवेश के साथ "स्व–निर्मित स्व–चालित" योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 20.70 मिलियन टन की कुल क्षमता के साथ स्थापना की जाएगी।

किसी अ–कोककर कोयला वाशरी की स्थापना किए जाने के मामले में अंतर्गस्त औसत पूंजीगत लागत स्थापित क्षमता के प्रति टन 25 करोड़ रु. की रेंज में आती है। सामान्यतः अपेक्षित श्रमशक्ति 50 से 75 प्रति मिलियन टन की क्षमता की रैंज में आती है, जोकि आकार पर, प्रौद्योगिकी पर और वाशरी में उपलब्ध की गई नवीनीकरण की सीमा पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

पेट्रोल के नए खुदरा बिक्री केन्द्र

2723. श्री अन्ना जोशी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान तेल चयन बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र में पेट्रोल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र स्वीकृत किए गए;

(ख) क्या पेट्रोल के नए खुदरा बिक्री केन्द्र संबंधी व्यक्तियों को आवंटित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 1994-95 के दौरान तेल चयन बोर्ड (महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव) द्वारा अनुशंसित सभी 11 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आशय पत्र जारी कर दिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय भाषाएं

2724. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह माह के दौरान दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिये (8वीं अनुसूची में उल्लिखित) प्रत्येक राष्ट्रीय भाषा को कितने समय का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भाषाओं की पूरी उपेक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा किसी भाषा विशेष में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों हेतु कोई निश्चित समय आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा क्षेत्रों में गश्त

2725. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त तेज करने की आवश्यकता है जहां बाड़ लगाना संभव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) जी, हां।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निगरानी बुर्जो का निर्माण करना, नाकाओं की संख्या में वृद्धि करना, अत्याधुनिक गैजेट्स, जीपों, ट्रैक्टरों, मोटर साइकिलों और मोटर बोटों की आपूर्ति करना तथा सुमेघ क्षेत्रों में सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, शामिल है।

प्रमुख जलाशयों में गाद का जमाव

2726. श्री जे. चोक्का राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि आंध्र प्रदेश में अधिकांश प्रमुख जलाशयों में तेजी से गाद का जमाव हो रहा है और उनकी जल भंडारण क्षमता में कमी आ रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्यों को वित्तीय सहायता देकर गाद के इस जमाव को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जलाशयों की गाद एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और गाद को समायोजित करने में जलाशयों में प्रावधान किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में श्री राम सागर, निजाम सागर, हिमायत सागर, कुमबुम सरोवर और कदाम जैसे प्रमुख जलाशयों में गाद जो क्रमशः 14, 45, 49, 22 और 19 वर्षों की अवधि में कुल भंडारण का 25.05%, 56.76%, 26.56%, 2.04% और 37.10% के क्रम से है।

(ख) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय तीसरी पंचवर्षीय योजना से भारत में 29 नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। श्री राम सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और मच्छकुंड जलग्रहण क्षेत्र उपर्युक्त योजना में शामिल किए गए हैं। इन उपायों से कुछ सीमा तक जलाशयों में गाद दर कम होने की संभावना है।

(ग) मार्च, 1994 तक उपलब्ध राज्य वार सूचना निम्नलिखित है:

राज्य/जलग्रहण क्षेत्र		प्राथमिकता क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उपचारित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1. आंध्र प्रदेश			
(i)	मच्छकुंड	1.12	0.89
(ii)	पोचमपाड	4.02	0.44
(iii)	निजाम सागर	1.92	0.25
(iv)	नागार्जुन सागर	9.94	0.17
2. महाराष्ट्र			
(i)	नागार्जुन सागर	21.23	0.10
(ii)	निजाम सागर	1.92	0.11
(iii)	पोचमपाड	25.50	0.17
3. कर्नाटक			
(i)	निजाम सागर	1.20	0.34
(ii)	नागार्जुन सागर	34.16	0.51
4. उड़ीसा			
(i)	मच्छकुंड	0.67	0.56

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

2727. श्री श्रीकांत जैना : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों का गांवों से शहरों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विशेषकर केरल में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) नौकरी की तलाश में लोग लगातार गांवों से कस्बों की ओर जा रह हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। विशेष रूप से केरल राज्य के लिए प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन निम्नानुसार है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम*	(लाख रुपये में)
1993-94	9019.34
1994-95	10358.11
1995-96	10748.09

* गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम शामिल हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन

2728. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में 1994-95 और 1995-96 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : केरल में वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 (अप्रैल–अक्तूबर, 1995) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम : केरल

क्र. सं.	सूत्र कोड	सूत्र विवरण	इकाई	94-95			95-96 अप्रैल, 95 – अक्तूबर, 95		
				लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01क	ए. ग्रा. वि का (परिवार)	सं.	40767	46294	114	–	–	–
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रमदिवस)	सं.	9710000	10101000	104	5220483	3547000	68
3.	01ग	लघु उद्योग इकाईयां (पंजी.)	सं.	–	–	–	–	–	–
4.	05क	अधिशेष भूमि का वितरण	एकड	9230	239	3	1062	31	3
5.	07क	सुलझी पेयजल समस्या (गांव)	सं.	235	220	94	621	47	8
6.	08क	सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्र	सं.	5	0	0	–	–	–
7.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)	सं.	15	0	0	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 08घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो, बीसीजी)	सं.	532000	571589	107	310158	306532	99
9. 09क	परिवार नियोजन नसबंदी	सं.	115000	136086	118	–	–	–
10. 09ख	समतुल्य नसबंदी – आईयूडी, सीसी, ओपी	सं.	66056	48740	74	–	–	–
11. 09ग	ए.बा. वि. सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	सं.	99	99	100	80	99	124
12. 09घ	आंगनवाडियां (सचंयी)	सं.	12425	10220	82	10255	13208	129
13. 11क	अ.जा. के परिवारों की सहायता	सं.	63000	51647	82	20010	7024	35
14. 11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	सं.	5600	6101	109	2655	917	35
15. 14क	आबंटित आवास स्थल (परिवार)	सं.	3000	4351	145	1620	409	25
16. 14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	सं.	–	–	–	–	–	–
17. 14ग	इंदिरा आवास योजना (आवास)	सं.	12570	5988	48	13297	2536	19
18. 14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए मकान	सं.	13000	19525	150	5633	10140	180
19. 14ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	सं.	1200	1444	120	520	1361	262
20. 15	गंदी बस्तियों का सुधार (जन.)	सं.	25000	22684	91	10833	11608	107
21. 16क	निजीभूमि पर वृक्षारोपण	सं.	30000000	21286000	71	25410000	2698000	11
22. 16ख	शामिल क्षेत्र – सार्वजनिक व वन भूमि	हैक्टे.	16000	10865	68	13552	14038	104
23. 19ख	शक्तिचलित पम्पसैट	सं.	1000	13883	1388	5550	6215	112
24. 19ग	उन्नत चूल्हे	सं.	40000	60414	151	18667	24360	130
25. 19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	सं.	1500	1956	130	500	235	47

तेल चयन बोर्ड के चयन संबंधी नियम

2729. श्री तारा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चयनित उम्मीदवारों के पेनलों को साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात् संबंधित तेल चयन बोर्ड व एस. एल. सी. एवं सह सचिव को अंतिम रूप देने और भेजने के लिए सभी तेल चयन बोर्डो हेतु नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हा, तो देश में उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें तेल चयन बोर्डो ने 24 घटे के अंदर योग्यता पैनल नहीं भेजे हैं; और

(ग) नियमों की अवहेलना करने के लिए इन तेल चयन बोर्डो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) तेल चयन बोर्डो को पहले से ही यह परामर्श दिया गया है कि किसी विशिष्ट स्थान के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के 24 घंटों के भीतर उन्हें योग्यता सूची को अंतिम रूप दे देना चाहिए और राज्य स्तर के समन्वयक को इससे अवगत करा देना चाहिए। तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियो, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होने और बीमारी, दौरे आदि जैसे सदस्यों के व्यक्तिगत कारणों की वजह से वे कभी–कभी अधिक समय लेते हैं।

855 मामलों में तेल चयन बोर्डो ने साक्षात्कार के 24 घंटों के भीतर संबंधित तेल कंपनियों को योग्यता सूची के संबंध में सूचित नहीं किया।

डाक वितरण प्रणाली का यांत्रिकीकरण

2730. श्री आर. सुर्रेन्द्र रेड्डी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मत्रालय ने डाक का शीघ्रता से वितरण कराने हेतु देश की डाक वितरण प्रणाली के यांत्रिकीकरण का कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में लम्बी दूरी की डाक कम समय मे बांटने हेतु डाकियों को अक्तूबर, 1995 में परीक्षण के तौर पर मोपेड्स दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या इस यंत्रीकृत डाक वितरण प्रणाली का दिल्ली के अन्य क्षेत्रों तथा देश के महानगरों और बड़े शहरों तक विस्तार किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी वित्तीय जटिलतायें एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। आरंभ में यह योजना सीमित रूप से प्रयोगात्मक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली, बम्बई और हैदराबाद में शुरू की गई है।

(ख) जी हां। दिल्ली में अक्तूबर, 1995 में ऐसे क्षेत्रों के डाकियों को प्रयोगात्मक आधार पर 10 मोपेड दी गई हैं जहां एक पता दूसरे पते से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होता है, विशेष रूप से हाल ही में विकसित हुए आवासीय क्षेत्रों मे।

(ग) विस्तृत और भारी मात्रा वाली डाक गश्तों में कार्य करने वाले डाकियों के उपयोग के लिए रोहिणी और पटपडगंज डाकघरों को पांच-पांच मोपेड सप्लाई की गई हैं।

(घ) और (ङ) एक वर्ष की अवधि के पश्चात् इस योजना की पुनरीक्षा करने और पुनरीक्षा के परिणामों के आधार पर इसका विस्तार अन्य स्थानों में करने का प्रस्ताव है।

सीमा पर पकड़े गए घुसपैठिये

2731. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान सितम्बर, 1995 तक, क्षेत्रवार कितने आतंकवादी पकड़े गए;

(ख) कितने घुसपैठियों को वापस भेजा गया;

(ग) कितने घुसपैठिये स्थानीय अधिकारियों के सुपुर्द किये गये;

(घ) क्या कई घुसपैठिये नहीं पकडे जा सकते हैं; और

(ङ) घुसपैठ रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बंद करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ङ) पडोसी देशों के साथ बहुत लम्बी भू-सीमा होने के अलावा, भारत की विस्तृत तटीय सीमा भी है। अनेक पुश एण्ड पुल कारणों से देश में घुसपैठ होती है, जो एक गम्भीर और सतत समस्या है। इसको रोकने के लिए किए गए उपायों में सम्मिलित हैं :- सीमा सुरक्षा बल की विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, गश्त गहन करना, सीमा सुरक्षा बल की नदी-तटीय जल विंग को खडा करना, भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा-सडकों के निर्माण, और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, भारत-पाक सीमा के संवेदनशील हिस्सों में तेज रोशनी की व्यवस्था करना, निगरानी बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी, निगरानी उपकरणों और लाईट विजन उपकरणों की व्यवस्था करना, बीच-समुद्र में नौसेनिक-पोतों द्वारा गहन निगरानी रखना, टेरीटोरियल वाटर में तट-रक्षक-नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी रखना और नौसेना (तट रक्षक), कस्टम और राज्य पुलिस की संयुक्त टुकडियों द्वारा, समुद्री किनारे के साथ-साथ उथले समुद्र में गश्त लगाना, इत्यादि। इसके अलावा, विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम (पी. आई. एफ) और मोबाईल टास्क फोर्स (एम.टी.एफ) योजना, जैसी योजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन, घुसपैठियों का पता लगाने के लिए आईडेन्टीफाईड राज्यों द्वारा किया जाता है। घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा बल, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं। उनका पता लगाना और वापस भेजना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, यह सच है कि लम्बी-सीमा होने और कई स्थानों, नदी-तटीय, पर्वतीय और कई सेक्टरों में झाझर सीमा होने के कारण किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद बहुत से घुसपैठियों का पता नहीं लग सकता/वापस नहीं भेजा जा सकता।

भूजल संसाधन

2732. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूजल संसाधन के विकास और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र के सहयोग से क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) देश के किन-किन क्षेत्रों में जांच/प्रयोग के आधार पर ऐसे प्रयासों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) अब तक क्या उपलब्धि हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगयया नायडू): (क) से (ग) सहकारिता क्षेत्र के सहयोग से भूजल संसाधनों के विकास और प्रबन्ध के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। हाल ही में केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के विकास और प्रबन्ध में सहकारिताओं की उभरती भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला में अपनाई गई सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को परिचालित की गई हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि

2733. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार के पास कीमतों में निरन्तर वृद्धि पर नियंत्रण हेतु कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें सरकार द्वारा शासित होती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान सितम्बर, 1992 तथा फरवरी, 1994 में पेट्रोल एवं डीजल की भंडारण स्थल कीमत को संशोधित कर दिया गया है तथा कीमत में वृद्धि नीचे दी गई हैं :

(रुपया/प्रति कि. लि.)

	सितंबर, 1992	फरवरी, 1994
एम एम–87	997.10	1000.00
डीजल	997.10	750.00

उत्पादन लागत, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

नई पाइपलाइन

2734. **श्री गुरूदास कामत :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट से गैस पाइपलाइन और नोहारकटिया से नुमालीगढ रिफाइनरी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन का प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पाइपलाइन की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) लाकवा से नुमालीगढ रिफाइनरी तक गैस की आपूर्ति के लिए गैस पाइपलाइन के निर्माण के हेतु गेल के प्रस्ताव के संबंध में सरकार ने 5.12.1995 की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्रथम चरण का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

जोरहाट–नुमालीगढ कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना के संबंध में ओ आई एल से 1996-97 से 2006-2007 की अवधि के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के संबंध में कच्चे तेल की नवीनतम रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव का आशोधन करने और इसे दोबारा भेजने का अनुरोध किया गया है।

दलित इसाईयों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

2735. **श्री के० एम० मैथ्यू :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री राम विलास पासवान :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री राम निहोर राय :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री सत्य देव सिंह :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दलित इकाइयों को अनुसुचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने और उन्हें अनुसूचित जातियों का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का दलित इसाईयों और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य दलितों को आरक्षण के लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति मूल के ईसाईयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में वे किसी धर्म में आस्था रख सकते हैं।

(घ) से (च) अन्य पिछड़े वर्गों की तरह आरक्षण के लाभ दलित ईसाईयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के दलितों के उन वर्गों को पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं जो भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए गए हैं।

मानवधिकार का उल्लंघन

2736. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एमनेस्टी इंटरनेशनल की हाल ही में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें भारत सरकार और भारतीय सुरक्षा बलों पर मानवधिकारों का व्यापक रूप से उल्लंघन करने, हजारों व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक नजरबंद रखने और विचाराधीन तथा हिरासत में लिए गए अन्य व्यक्तियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) जुलाई, 1995 के शुरू में प्रकाशित एमनेस्टी इंटरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट की सरकार को जानकारी है, जो विश्वभर में अनेक देशों से संबंधित है। तथा कथित रिपोर्ट में भारत से संबंधित अध्याय में लगाए गए व्यापक आरोपों में कहा गया है कि हजारों राजनैतिक कैदियों को, बिना आरोप या विचारण के गिरफ्तार किया गया है और यह कि भारत में नजरबंदियों को यंत्रणा देना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना एक सामान्य बात है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस और सेना की अभिरक्षा में इनमें से सैकड़ों व्यक्तियों

की मृत्यु हो जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी पहली रिपोर्टों में भी इसी प्रकार के व्यापक और आम स्वरूप के ताबड़–तोड़ आरोप लगाती रही है जिनका सरकार द्वारा सदैव दृढ़ता से खंडन किया गया। प्रश्नाधीन वार्षिक रिपोर्ट में लगाए गए आम स्वरूप के आरोपों के खण्डन में विस्तृत जवाब, उसमें उल्लिखित कुछ विशिष्ट घटनाओं के संबंध में तथ्यात्मक ब्यौरों के साथ, लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन को उपलब्ध कराये गए हैं ताकि वह इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल को आगे भेजे और निहित स्वार्थों वाले तत्वों द्वारा किए गए प्रचार का प्रतिवाद करने में इसका उपयुक्त प्रयोग किया जा सके।

नैप्था तथा सरलीकृत प्राकृतिक गैस का निर्यात

2737. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष नेप्था तथा सरलीकृत प्राकृतिक गैस का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इसका कितनी मात्रा में निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(ख) उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान नेफ्था एवं एन जी एल का निर्यात निम्नानुसार है :

(मात्रा : मिलियन टन)

उत्पाद	1993-94	1994-95*	1995-96* (अप्रैल–अक्तूबर)
	मात्रा	मात्रा	मात्रा
नैफ्था	1.625	2.249	1.464
एन जी एल	0.782	0.585	0.345

*अनंतिम

(ख) घरेलू मांग को पूर्णतः पूरा करने के उपरांत अधिशेष मात्रा का निर्यात किया जाता है। अतएव नैफ्था तथा एन. जी. एल. के निर्यातों की मात्रा घरेलू आपूर्ति मांग के संतुलन पर आधारित है।

[हिन्दी]

जाली नोट

2738. **श्री रामपाल सिंह :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी संख्या में 500 रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय बाजार में जाली करेंसी नोटों के इस रेकेट में कुछ पड़ोसी देशों का हाथ होने का संदेह है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस कलेन्डर वर्ष के दौरान अब तक 500 रु. मूल्य के कुल 201 जाली करेंसी नोट बरामद किए गए हैं।

(ख) और (ग) चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है अतः किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अंतर्गत मामले दर्ज करना, उनकी जांच पड़ताल करना और उपयुक्त कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा मामले में निरंतर सतर्कता बरतने के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर प्रैस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं ताकि जनता असली और जाली करेंसी नोटों के बीच अन्तर समझ सके।

[अनुवाद]

लंबित परियोजनाएं

2739. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

श्री राम सिंह कस्वां :

श्री कुंजी लाल :

श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री पवन दीवान :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओ का ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है और उनसे कितना लाभ होने की संभावना है;

(ख) उक्त परियोजनाए कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने

की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) स्वीकृति के लिए लंबित नई सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार/संघ शासित प्रदेशवार विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग में ये परियोजनाएं समय–समय पर प्राप्त हुई। इनके लंबन के कारण हैं – अंतर्राज्यीय मुद्दों का न सुलझना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पर्यावरणीय /वन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति का प्राप्त न होना और राज्यों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन न होना।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग ने स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाओं के संबंध में टिप्पणियों की अनुपालना एवं मूल्यांकन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ आवर्ती समीक्षा बैठकों का आयोजन करना शुरू किया है। केन्द्रीय जल आयोग ने मझौली सिंचाई परियोजनाओं के शीघ्र मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए हैं।

(ङ) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का कितनी जल्दी अनुपालन करती है और पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति ले लेती हैं।

विवरण

स्वीकृति के लिए लंबित नई सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	लाभ (हजार हैक्टेयर में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	9	4868.08	1006.96	सलाहकार समिति द्वारा 5 परियोजनाएं इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गयीं कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाए। अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान न होने के कारण सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना पर विचार–विमर्श आस्थगित कर दिया गया। तीन परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है जिसमें राज्य सरकार का विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को हल करना अपेक्षित है।
2. असम	3	545.37	82.22	सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाए। शेष दो परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों पर सुलझाई जानी अपेक्षित है।
3. बिहार	15	4019.24	770.00	सलाहकार समिति द्वारा छः परियोजनाएं इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गयीं कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाए। अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान न होने के कारण सलाहकार समिति द्वारा दो परियोजनाओ पर विचार–विमर्श आस्थगित कर दिया गया। शेष सात परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
4. गुजरात	10	289.94	47.32	सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना स्वीकार्य करने योग्य पाई गई बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। नौ परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
5. हरियाणा	2	1501.88	117.46	सलाहकार समिति द्वारा ये परियोजनाएं स्वीकार करने योग्य समझी गयीं बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपाल कर लिया जाए।

1	2	3	4	5
6. हिमाचल प्रदेश	2	861.70	26.53	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को सुलझाना होगा।
7. जम्मू एवं कश्मीर	6	102.11	59.42	सलाहकार समिति द्वारा दो परियोजनाएं स्वीकार करने योग्य समझी गयीं बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। शेष चार परियोजनाओं के बारे में राज्य को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
8. कर्नाटक	3	2932.77	396.15	सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना स्वीकार करने योग्य उचित समझी गई बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया जाए। शेष दो परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
9. केरल	2	338.03	67.15	सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना स्वीकार की गई बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। शेष परियोजनाओं के बारे में विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
10. मध्य प्रदेश	16	9574.77	1883.40	सलाहकार समिति द्वारा पांच परियोजनाएं स्वीकार करने योग्य उचित समझी गई बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। सलाहकार समिति द्वारा दो परियोजनाओं को इसलिए आस्थगित कर दिया गया क्योंकि इनके बारे में पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी आयोजना और पर्यावरण एवं वन सबंधी स्वीकृति हेतु कार्रवाई की रूपरेखा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। शेष पांच परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
11. महाराष्ट्र	33	4145.74	685.33	सलाहकार समिति द्वारा 23 परियोजना के स्वीकार करने योग्य समझा गया बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। शेष दस परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
12. मणिपुर	1	2899.00	150 मेगावाट	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार करने योग्य समझा गया बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया जाए और राज्यों में जलमग्नता संबंधी मामलों को सुलझा लिया जाए।
13. उड़ीसा	8	1584.13	324.66	एक परियोजना को निवेश संबंधी स्वीकृति हेतु योजना आयोग को अनुशंसित किया गया है। चार परियोजनाओं को सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार योग्य समझा गया बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। शेष तीन परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मुद्दों को सुलझाना है।
14. पंजाब	5	14441.69	176.84	सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना स्वीकार करने योग्य समझा गया बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। शेष चार परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
15. राजस्थान	12	1101.64	697.29	सलाहकार समिति द्वारा चार परियोजनाओं को स्वीकार करने योग्य समझा गया बशर्ते कि राज्य द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। सात परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है। एक परियोजना को

1	2	3	4	5
				योजना आयोग के पास निवेश संबंधी स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
16. तमिलनाडु	3	283.96	74.21	सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना स्वीकार करने हेतु उचित समझी गयीं बशर्ते कि अंतर्राज्यीय दृष्टि से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाए। शेष दो परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
17. उत्तर प्रदेश	11	848.23	492.18	सलाहकार समिति ने सात परियोजनाओं को स्वीकार करने हेतु स्वीकार्य पाया बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किया जाए। शेष चार परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।
18. पश्चिम बंगाल	1	35.00	24.49	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मामलों को सुलझाना है।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन देना

2740. श्री रतिलाल वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन महीनों के दौरान जिला वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) क्या ये टेलीफोन ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) टेलीफोन कनेक्शन पाने हेतु प्रतीक्षा सूची में जिला वार इस समय कितने व्यक्ति हैं;

(ङ) क्या राज्य में टेलीफोन के और कनेक्शन देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(च) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) विभाग ने 95-96 के दौरान गुजरात में 163100 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	तीन महीने (अगस्त, 95 अक्तूबर, 95) के दौरान दिए गए टेलीफोन कनेक्शन	31.10.95की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1.	अहमदाबाद (गांधी नगर सहित)	3581	57179
2.	अमरेली	650	2341
3.	भावनगर	389	13804
4.	भड़ौच	435	8640
5.	बनासकांठा (पालनपुर)	823	4519
6.	भुज	493	8383
7.	जामनगर	402	4006
8.	खेड़ा (नदियाड)	693	6160
9.	महसाणा	282	13614
10.	जूनागढ़	243	9749
11.	पंचमहल (गोधरा)	684	4273
12.	राजकोट	1027	15198
13.	साबरकांठा (हिम्मतनगर)	613	3685
14.	सुरेन्द्र नगर	86	2399
15.	सूरत	1276	44474
16.	वडोदरा	3355	25367
17.	वलसाण (डांग सहित)	1050	13197
	जोड़ :	16082	236988

[हिन्दी]

बच्चों को गोद लेना

2741. श्री पंकज चौधरी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस सयम ऐसे कितने संगठन हैं जो बच्चों को गोद लेते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त संगठन धन की लालसा में इन बच्चों को भारतीय दम्पत्ति की बजाय विदेशी दंपत्तियों को गोद दे रहे हैं और इस सबके बावजूद ये संगठन लेने/देने संबंधी नियमों का पालन भी नहीं कर रहे है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) इस समय दिल्ली में सात मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसियां हैं जो बच्चों के दत्तकग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न हीं उठता।

विवरण

दत्तकग्रहण के लिये बच्चे प्रदान करने वाले दिल्ली स्थित संगठनों की सूची

1. पालना

   दिल्ली बाल कल्याण परिषद्,

   कुदसिया बाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

2. बाल कल्याण गृह,

   68, राजा गार्डन, नई दिल्ली-27

3. होली क्रॉस सोसल सर्विस सेन्टर,

   34, डा. मुखर्जी नगर (पश्चिम) दिल्ली-9

4. उदयन,

   एस. ओ. एस. चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इण्डिया,

   1, डाक्टर लेन, गोल मार्केट, नई दिल्ली।

5. शिशु सैंगोपन गृह,

   सेंट माइकेल चर्च कंपाउड, जंगपुरा, नई दिल्ली।

6. मिसिनरीज ऑफ चैरिटी,

   12, कमीश्नर लेन, दिल्ली।

7. मातृ छाया,

   1262, सेक्टर ए, पाकेट--बी,

   वसंत कुंज, नई दिल्ली।

[अनुवाद]

1984 के दंगा पीड़ितों का पूनर्वास

2742. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1984 के दंगा पीड़ितों को दी गई राहत और उनके पुनर्वास के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने पीड़ित व्यक्तियों का अभी पुनर्वास किया जाना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) दिल्ली में 1984 के दंगा पीड़ितों को दी गई राहत और पुनर्वास पैकेज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दिल्ली में 1984 के दंगों के सभी पात्र पीडितों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध करा दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार के निर्देशों के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए हैं :–

1. मृत्यु अथवा घायल होने की स्थिति में मुआवजा :

दंगों के दौरान मारे गए अथवा घायल हुए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को मुआवजें के रूप में वित्तीय सहायता दी गई है। मृत्यु के मामले में 20,000/- रु० प्रति मौत की दर से तथा घायल होने पर 500/- रु० से 2000/- रु० के बीच मुआवजा दिया गया है। अब तक निपटाए गए दावों की संख्या निम्न प्रकार है :

	निपटाए गए दावों की संख्या	किया गया व्यय
(i) मृत्यु	2564	512 लाख
(ii) घायल होने पर	2603	54.62 लाख

2. रिहायशी इकाइयों के मामले में मुआवजा :

दंगों से प्रभावित परिवारों की रिहायशी इकाइयों को नुकसान होने पर निम्नलिखित दरों से मुआवजे का भुगतान किया गया है :–

(i) पूर्ण क्षति होने पर 20,000/- रुपये की दर से।

(ii) आंशिक रूप में क्षति होने पर 2,000/- से 10,000/- रुपये की दर से।

दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 3567 रिहायशी इकाईयों के संबंध में मुआवजे के रूप में 583.68 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

3. विवाह हेतु सहायता

दंगों से प्रभावित विधवाओं या उनकी पुत्रियों के पुनर्विवाह हेतु क्रमशः 5,000/- रु० तथा 3,000/- रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और अब तक 7.12 लाख रु० की राशि खर्च करके 228 मामले निपटाए जा चुके हैं :–

पुत्री विवाह के 214 मामले।

पुनर्विवाह के 14 मामले।

4. पेंशन का भुगतान :

दंगों से प्रभावित हुई उन विधवाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए 400 रु० की तदर्थ राहत दिनांक 18.3.87 से प्रदान की गई है जिनके कमाऊ सदस्य अथवा भावी कमाऊ सदस्य मारे गए थे। 16.3.90 से राहत राशि को बढ़ाकर 1,000/- रु० कर दिया गया था। इसके अलावा, दिनांक 18.6.90 से विधवाओं को 1,000/- रु० की आंशिक पेंशन उस समय तक प्रदान की गई थी, जब तक कि उनका एक पुत्र/पुत्री कमाऊ सदस्य नहीं बन जाता है। इस समय 200 विधवाएं पेंशन प्राप्त कर रहीं है, जिसमें से 35 विधवाओं को अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की गई थी। इन 35 विधवाओं में से 22 विधवाएं अभी भी अतिरिक्त पेंशन प्राप्त कर रही हैं। जबकि शेष 13 मामले सत्यापन प्रक्रिया के अधीन हैं। 66 वृद्ध व्यक्ति यह राहत प्राप्त कर रहे है। इस योजना के तहत कुल व्यय 250 लाख रुपये हैं।

5. विधवाओं/बच्चों के रोजगार :

दंगा प्रभावि विधवाओं/बच्चों का पुनर्वास सनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा रोजगार देने हेतु एक योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अभी तक कुल 684 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

6. मकान (टेनेमेंट) का आवंटन :

दंगा के दौरान प्रभावित बहुत से परिवारों ने विभिन्न कारणों से अपने घरों को छोड दिया। प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार कर लागू की गई है। इन परिवारों को अब तक 2181 टेनेमेंट आवंटित किए गए हैं जबकि 670 आवासीय स्थल रोहिणी में आवंटित किए गए हैं।

7. गैर-बीमा शुद्ध व्यापारिक संपत्ति का मुआवजा :

नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित हुई गैर–बीमा शुद्ध व्यापारिक सम्पत्तियों को हुई क्षति का 50 प्रतिशत अथवा 50,000/- रु०, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता दी गई है। इस श्रेणी के अधीन 3415 मामले कवर किए गए जिन पर 477 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

8. सहायक इकाईयां :

दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा तिलक विहार में एक सहायता इकाई स्थापित की गई है जहां कुल मिलाकर 58 विधवाओं को अनाज की पैकिंग तथा मसालों को पीसने का काम देकर लाभकारी रोजगार दिया गया है।

9. बैंक ऋण प्रदान करना :

वाणिज्यिक संस्थानों ने दंगा प्रभावित परिवारों को उदारता से ऋण प्रदान किए हैं ताकि वे अपनी आर्थिक गतिविधियां पुनः शुरू कर सकें।

10. बच्चों को वजीफा प्रदान करना :

1948 के दंगों से प्रभावित विधवाओं के बच्चों को 50/- रु० प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल व कालेज जाने वाले छात्रों के लिए 100/- रु० की दर से वजीफा स्वीकृत किया गया है, जिसका वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाता है। 3057 मामलों में भुगतान किया गया है जिस पर 1993-94 की अवधि में 18.59 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा राहत देना

2743. श्री मोहन रावले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में लम्बे समय तक खराब रहे टेलीफोन के लिए उनके टेलीफोन बिलों में टेलीफोन उपभोक्ताओं को वर्ष–वार कितनी राहत दी गई है;

(ख) टेलीफोनों के लम्बे समय तक खराब रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) एम टी एन एल द्वारा टेलीफोन अभिदाताओं को उनके बिलों में दी गई राहत के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	राशि (रूपयों में)
1992-93	4661.00
1993-94	157471.00
1994-95	2436645.00

(ख) दिल्ली में लंबी अवधि तक दोष बने रहने के मुख्य कारण हैं–केबलों की चोरी होने से भूमिगत टेलीफोन केबलों में खराबी होना तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा सीवरेज, विद्युत, जल आपूर्ति, जल निकास (ड्रेनेज), बागवानी आदि के लिए खुदाई कार्य के दौरान केबलों को क्षति पहुचना।

इसके साथ–साथ केबलों की बाहरी परत को क्षति पहुंचने से केबलों में पानी विशेषकर वर्षाऋतु के दौरान, के रिसाव या उनमें नमी आने के कारण और भी कई टेलीफोन खराब हो जाते हैं। हालांकि केबलो की खराबी का पता लगाने और उनकी मरम्मत करने तथा फिर शीघ्र ही टेलीफोन दोष को ठीक करने के सभी प्रयास किए जाते हैं, फिर भी कई बार इस कार्य में अधिक समय लग जाता है।

(ग) ऐसा कोई विशिष्ट मामला जानकारी में नहीं आया है जबकि किसी कर्मचारी की लापरवाही से टेलीफोन खराब पड़ा रहा हो। तथापि, संबद्ध कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखे जाने के समय दोष को ठीक करने में उसके अधिक विलम्ब करने के मामले का उल्लेख किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) दीर्घ–कालिक उपाय के रूप में, एम टी एन एल सुरक्षित तरीके से केबल बिछाने के लिए डक्टों का निर्माण कर रहा है। अब पेपर कोर केबलों के स्थान पर जेली युक्त केबलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पानी के रिसाव या नमी रूकने से टेलीफोनों में बार–बार दोष उत्पन्न नहीं होगा।

मियाद समाप्त पुरानी पेपर कोर केबलों के स्थान पर नई केबलें बिछाई जा रही हैं। दिल्ली के नागरिकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे खुदाई कर कोई कार्य शुरू करने से पहले "खुदाई पूर्व डायल" सेवा नम्बर 344921 पर इसकी सूचना दें। जहां तक केबलों की चोरी का संबंध है, जब कभी भी ऐसी घटना होती है तो इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज कराई; जाती है तथा दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाती है।

टेलीफोनों का स्थानांतरण

2744. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन धारकों द्वारा देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टेलीफोनों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोनों को शिफ्ट करने की अनुमति या तो तब दी जाती है जब पंजीकरण के लिए पहले आवेदन पत्र की तारीख उस विशिष्ट श्रेणी की रिलीज अवधि में पड़ती है जिस एक्सचेंज में इसको शिफ्ट किया जाना है अथवा यदि गैर ओ. वाई. टी. तथा विशेष श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गये मामले में टेलीफोन ने कम–से–कम डेढ़ वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो और ओ. वाई. टी. श्रेणी में कम से कम 6 महीने तक कार्य किया हो।

बाहरी बाकीदार निर्माताओं से एक करोड़ की वसूली

2745. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी हेतु कार्यक्रम तैयार करने के लिए कुछ निर्माताओं को ठेके दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ निर्माताओं को अग्रिम धनराशि का भुगतान भी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उन निर्माताओं से अग्रिम धनराशि वसूल कर ली गई है जो ठेके के अनुसार कार्यक्रमों को पूरा करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ.) इन निर्माताओं से अभी कितनी धनराशि वसूली जानी है; और

(च) बकाया धनराशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, चूक का कोई मामला नहीं हुआ तथापि, दूरदर्शन ने कुछ मामलों में चूककर्ता निर्माताओं से अग्रिम धन वसूल कर लिया है तथा कुछ अन्य मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ङ.) और (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले की आपूर्ति

2746 डा. आर. मल्लू : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्मी तथा बारिश के मौसम में विद्युत संयंत्रों जैसे अत्यधिक खपत वाली संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सामान्यतः विद्युत गृहों की मांग को पूर्णतः पूरा किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों के दौरान अधिकांश अवधि में प्रत्येक विद्युत गृह को आपूर्ति उन्हें प्रदान की गई दीर्घावधि संयोजनों से कम नहीं रही है। कोयले का उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप खुले में किए जा रहे हैं और इन क्रियाकलापों में उत्पादन के मामले में मौसमी अंतराल आना अपरिहार्य है। विद्युत गृहों से उनके पास कोयले का स्टाक पर्याप्त मात्रा में रखे जाने की अपेक्षा की जाती है ताकि मौसमी अन्तराल के कारण तथा परिवहन नेटवर्क में अवरोध आने के कारण आपूर्ति में आए अन्तराल को पूरा किया जा सके। कोयला कंपनी गर्मी का मौसम शुरू होने से पूर्व कोयले का स्टाक भी तैयार करती हैं ताकि जहां तक व्यवहार्य हो कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा रखा जा सके।

कोयला कंपनियां कोयले का अधिकतम उत्पादन किए जाने का पूरा प्रयास कर रही हैं और वे इसकी सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति, जिसमें

विद्युत गृह शामिल हैं, योजना आयोग के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दी गई वार्षिक योजना के अनुसार आपूर्ति कर रही हैं। विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है और इस पर नियमित रूप से एक अन्तर–मंत्रालीय समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है, इस संबंध में जहां भी अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। किन्तु, कोयले का आयात स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है और विद्युत गृह इस मामले में सहमति हुए स्तर से अधिक मांग में हुई किसी तरह की वृद्धि को पूरा किए जाने हेतु आयात के माध्यम से अपनी आपूर्ति की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन किए जाने हेतु अब गृहीत खनन किए जाने का विकल्प भी अब उपलब्ध है।

दूरदर्शन के कार्यक्रम

2747. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अपने कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों को डीडी (दो) से डीडी (एक) पर स्थानांतरित कर दिया है और उनके समय में भी परिवर्तन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और क्या औचित्य है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। इम्तिहान, जुनून, कानून और अजनबी नामक धारावाहिकों को डीडी–1 पर सांय 10.30 बजे के स्लॉट पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ग) दूरदर्शन, अन्य बातों के साथ–साथ प्रक्रम में प्रत्येक चैनल पर नए और पुराने कार्यक्रमों को समझदारी से मिलाकर समय–समय पर अपनी समग्र कार्यक्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न चैनलों की कार्यक्रम समय सूची बनाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

2748. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन–किन स्थानों पर अनुसूचितयों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) ऐसे प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) इन केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना है जो 1992-93 में शुरू की गई थी। कॉट गुल, कासमतूर, विनवल तथा पथराज में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को 54.12 लाख रुपए की राशि निर्युक्त की गई थी। ये केन्द्र 1994-95 में स्थापित नहीं किए जा सके राज्य सरकार ने 1995-96 के लिए अनुदान को उपयोग करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है।

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। अवस्थिति के बारे में निर्णय, जहां ये केन्द्र स्वीकृत किए जाने हैं, पहले नहीं लिए गए हैं, लेकिन यह सम्बन्धित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों पर आधारित हैं। पहले से स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	नाम और पता	कार्यकलाप	1993-94		1994-95	
			राशि	लाभप्राप्तकर्ता	राशि	लाभप्राप्तकर्ता
1.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, विधर्म नागरू, खामला, मालवीय नगर, नागपुर–440010	शिल्प केन्द्र	39,965	30	68,400	30
2.	अखिल भारतीय मेगास्वरगीया समाज प्रबोधन संस्था, 16, प्रकाश अपार्टमेंट, कदने रीवली–कल्याण (पूर्व) जिला– थाणे-421306	कम्प्यूटर	—	—	2,67,575	30

1	2	3	4	5	6	7
3.	नक्लभाउ प्रतिष्ठान नवल नगर, तहसील व जिला धुला	कम्प्यूटर	—	—	2,67,575	30
4.	अहिल्या देवी महिला मण्डल 98, सूबेदार ले आउट, एक्सटेंशन– नागपुर–24	कताई तथा बुनाई	—	—	20,790	30

[अनुवाद]

चोरी छिपे टेलीफोन सुनना

2749. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवंबर, 1995 के "स्टेट्समैन में आर्मीमेन हैल्ड फार टैपिंग गवर्नर्स फोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां। तथापि सेना अधिकारियों ने समाचार पत्रों में ऐसी किसी टैपिंग होने का खण्डन किया है।

(ग) मणिपुर पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के परिणामों के आधार पर उपर्युक्त निवारक उपाय किए जाएंगे।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2750. श्री राम नाईक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन एवं नागर हवेली की स्वतंत्रता के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था वे सम्मान पेंशन एवं अन्य सुविधाओं के पात्र नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में गोवा मुक्ति संग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम लाल राही) : (क) वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गोवा, दमन, और नागर हवेली की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन सम्मान पेंशन और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्। पात्रता की शर्तों को शिथिल करने, परीक्षण के लिए विशेष समिति बनाने आदि के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) चूंकि सरकार ने केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उन स्वतंत्रता सेनानियों को पहले ही मान्यता दे दी है जिन्होंने गोवा, दमन और नागर हवेली की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, बशर्ते कि आवेदनकर्ता स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन निर्धारित शर्तें पूरी करता हो, इसलिए सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

सिंचाई परियोजनाएं

2751. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही मझौली तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनमें से कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त योजना अवधि में उक्त परियोजनाओं के पूरा हो जाने से कुल कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) (क) से (घ) उड़ीसा की चालू बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न है। आठवीं योजना के दौरान 12 परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम है।

विवरण

उड़ीसा की चालू वृहद, मध्यम एवं विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाएं

करोड़ रुपए में/क्षमता हजार हेक्टेयर

परियोजना का नाम	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति		पूरा करने की संभावित तारीख
	अद्यतन अनुमानित लागत	3/92 के अंत तक व्यय	8वीं योजना परिव्यय–	1992-95 के दौरान प्रत्याशित व्यय	चरम क्षमता	सृजित क्षमता 3/95 तक	
1	2	3	4	5	6	7	8
क. वृहद							
1. अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	480.96	73.29	256.00	53.13	213.60	10.94	8वीं योजना से आगे
2. अपर कोलाब सिंचाई	157.97	81.00	76.00	67.31	88.76	32.92	8वीं योजना
3. सुवर्ण रेखा सिंचाई	1013.68	168.33	795.00	54.34	187.46	–	8वीं योजना से आगे
4. रेंगाली सिंचाई परियोजना	1892.50	142.35	480.00	57.11	423.60	–	–वही–
5. महानदी चित्रपला	105.90	6.84	87.00	26.10	35.95	–	–वही–
6. पोट्टेरु सिंचाई	1.77	–	–	–			–वही–
ख. मध्यम							
1. अपर जोक सिंचाई	83.13	31.74	19.09	24.80	16.40	5.00	8वीं योजना
2. बदनाला	91.75	48.77	12.00	24.80	13.74	4.00	8वीं योजना
3. हरिहर जोरे	58.59	31.64	13.00	12.73	13.70	–	8वीं योजना
4. हरभंगी	93.82	44.16	22.21	17.78	15.97	–	8वीं योजना से आगे
5. रघुआ चरण–II	40.80	10.48	18.00	11.35	3.59	–	8वीं योजना
6. देव	52.28	1.43	80.00	6.49	15.64	–	8वीं योजना से आगे
7. बाधालाटी	45.44	3.71	22.00	3.54	3.68	–	8वीं योजना से आगे
8 सापूआप दाजोर	33.21	2.37	33.00	6.67	3.75	–	8वीं योजना
9. बिरूपमघुटी –	11.46	6.76	3.20	3.14	8.09	0.50	8वीं योजना
सतीगुडा	1.50 (राज्य हिस्सा)		–	0.50	–	–	8वीं योजना
10. तितलागढ	21.13	0.16	10.20	0.97	3.03	–	8वीं योजना से आगे
केंद्रीय क्षेत्र परियोजना							
क. वृहद चालू							
1. पोट्टेरु सिंचाई परियोजना	102.39	77.43	**	18.42	109.88	10.85	8वीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8
ख. मध्यम चालू							
2. सतीगुडा सिंचाई		4.52	2.74	–	13.59	11.81	–वही–
ग. आधुनिकीकरण							
1. दरारों के लिए हीराकुड बांध को सुदृढ़ करना	25.39	3.65	22.00	1.33	–	अतिरिक्त लाभ नहीं	8वीं योजना से आगे
2. हीराकुड वितरण प्रणाली	81.82	2.66	20.00	2.19	–	–वही–	–वही–
3. रशिकुल्या चरण–II	55.00	0.38	7.40	0.30		–वही–	–वही–
4. घानेई	4.40	0.40	1.55	0.10		–वही–	–वही–
5. जयमंगल	0.63	0.07	0.19	0.10		–वही–	8वीं योजना
6. सालिया	2.82	0.27	2.60	0.15		–वही–	8वीं योजना से आगे
7. बुधाबुदियानी	4.53	0.20	0.32	0.32		–वही–	–वही–
8. उटलेई	6.44	0.25	2.20	0.05		–वही–	–वही–
9. सेपाल	0.74	0.30	0.10	0.10		–वही–	8वीं योजना
10. हीराधरवती	1.34	0.05	0.78	0.10		–वही–	8वीं योजना से आगे
11. खडखई	0.26	0.18	0.01	0.75		–वही–	–वही–
12. नेसा	0.39	0.14	0.10	0.05		–वही–	–वही–
13. ओकाला वितरणी	0.21	0.16	0.07	0.03		–वही–	–वही–
14. चुलकीनाला का पुनः चक्रण	0.35	0.03	0.16	0.20		–वही–	–वही–
15. सलगुड़ी एवं दसमौजा नहर	1.87	0.25	0.31	1.50		–वही–	–वही–
16. डेल्टा विकास योजना	600.75	7.02	100.00	14.62		–वही–	–वही–

* = केंद्रीय क्षेत्र से राज्य सरकार को स्थानांतरित।

** = यह परियोजना योजनागत नहीं है। 94.83 करोड़ रुपए तक के व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2752. प्रो. प्रेम धूमल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को संसद सदस्यों से हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में उपायुक्तों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में सहयोग नहीं मिलने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी उपायुक्तों तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रो. प्रेम धूमल, संसद सदस्य, लोक सभा तथा श्री महेश्वर सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में संबंधित उपायुक्त एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के असहयोग के बारे में शिकायतें की हैं।

शिकायतें सामान्यतः निम्न प्रकार की हैं :

1. अनुशासित एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों को आरंभ न किया जाना।
2. निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति।
3. जब सांसद निर्माण स्थल का निरीक्षण करना चाहता है, तब जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं।
4. अनुमान यथासमय तैयार नहीं किए।

5. अनुशासित निर्माण कार्यों को मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न किए जाने के बारे में जिला कलेक्टर सांसद को शीघ्र सूचना नहीं देते हैं।

6. शिलान्यास/उद्घाटन समारोहों के दौरान जिले के अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं।

7. जब कभी सांसद द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, तब कलेक्टर तत्काल उत्तर नहीं देते हैं।

8. सांसद के पत्रों के उत्तर विलम्ब से दिए जाते हैं तथा उनके उत्तर उपायुक्त द्वारा स्वयं नहीं दिए जाते हैं।

9. अनुशासित निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए धनराशि को अवमुक्त न करना।

10. सांसद द्वारा अनुशासित निर्माण कार्यों में अधिकारियों द्वारा संशोधन।

(ग) मामले को संबंधित जिला कलेक्टरों/राज्य सरकारों के साथ यह अनुरोध करते हुए उठाया गया है कि वे माननीय सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उपयुक्त उपचारात्मक अभ्युपाय करें। कतिपय मुद्दों पर माननीय सांसदों को उत्तर भेज दिए गए हैं। ऐसे मामलों में, जब कभी विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, मामले को सम्बद्ध जिला कलक्टरों/राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है तथा उचित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पनबिजली परियोजनाएं

2753. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी पनबिजली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिकल्प सलाहकार सेवा मांगी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं को विशेष सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने लखवार व्यासी बहु प्रयोजनीय परियोजना के लखवार, आर्च ग्रेविटी बांध के डिजाइन के लिए 3.321 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक की अनुमानित लागत पर मै. कोयने एट वेलियर से परामर्शी सेवाओं के लिए अनुरोध किया है। भारत एवं फ्रांस की सरकारों के बीच वित्तीय विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर पहली सितबर, 1994 को किए गए।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु आश्रम स्कूल

2754. डा. परशुराम गंगवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने आश्रम स्कूल खोले गये;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक आश्रम स्कूल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संख्या स्वीकृत की गई :

(1) 1992-93 में 48

(2) 1993-94 में 41 द्वितीय चरण के निर्माण सहित 64

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। खोले जाने वाली आश्रम स्कूलों की संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

वार्षिक योजना

2755 श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक योजना 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और अब तक की क्या उपलब्धि है;

(ख) ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये है; और

(ग) इन क्षेत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) विकास के लक्ष्य पंचवर्षीय योजना के लिए समग्र रूप से प्रति वर्ष औसत के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औसत वार्षिक विकास के क्षेत्रीय लक्ष्य तथा 1993-94 एवं 1994-95 में उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। 1995-96 के लिए आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वार्षिक योजनाओं में परिव्ययों में वृद्धि की व्यवस्था है। 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए कुछ सरकारी क्षेत्र योजना परिव्ययों में क्रमशः 23.95 प्रतिशत 12.06 प्रतिशत तथा 14.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण

क्षेत्रीय वार्षिक औसत विकास लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र. सं.	क्षेत्र	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कारक लागत पर प्रतिवर्ष जीवीए की विकास दर का * अनुमानित प्रतिशत	कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद विकास वृद्धि दर (क्यू)	* (ए)
1.	कृषि वानिकी तथा मात्स्यिकी	3.1	2.9	2.4
2.	खनन तथा उत्खनन	8.0	4.8	5.7
3.	विनिर्माण	7.3	3.6	8.7
4	विद्युत गैस तथा जलापूर्ति	7.8	5.9	7.2
5.	निर्माण	4.7	1.2	4.0

* स्रोत आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज खंड-I

स्रोत राष्ट्रीय लेखा आंकड़े 1995

क्यू – स्रोत त्वरित अनुमान

ए – अग्रिम अनुमान

संगठित अपराध से आंतरिक सुरक्षा को खतरा

2756. श्री सुधीर सावंत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संगठित अपराध से आंतरिक सुरक्षा को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान, उद्योगपतियों, बैंकर्स, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के साथ संगठित अपराध की सांठगांठ की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो देश में तोड़–फोड़ करने के पाकिस्तान और संगठित अपराध के प्रयासों का मुकाबला करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या संगठित अपराध द्वारा व्यक्तियों, सामान और धनराशि भेजने के लिए माध्यम के रूप में नेपाल का प्रयोग किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ) सरकार, स्थिति की गंभीरता और पाकिस्तान द्वारा समर्थित एवं मदद प्राप्त तस्करों एवं अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा देश की सुरक्षा को पैदा किए गए गंभीर खतरे से अवगत है। बम्बई बम विस्फोट आदि जैसी हाल की कुछ घटनाओं के कुछ अभियुक्तों से की गई पूछताछ से यह पता चला है कि पाकिस्तानी आई एस आई देश में विनाशकारी गतिविधियों में संलिप्त रही है। सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों से तोड़–फोड़ और विनाशक गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से सीमा के विभिन्न स्थलों से होकर भारत में, प्रशिक्षित उग्रवादियों को भेजने की पाकिस्तानी आई एस आई की योजनाओं का संकेत मिलता है। देश के भिन्न–भिन्न हिस्सों में आई एस आई प्रशिक्षित व्यक्तियों की बडी संख्या में हाल ही में हुई गिरफ्तारियों से, कुछ ओवर ग्राउंड संगठनों की सांठ गांठ तस्करों के अंडरग्राउंड संगठनों के साथ होने का पता चला है। सरकार, स्थिति के प्रति सचेत है और इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठा रही है। जिनमें शामिल हैं: आसूचना तंत्र को सुचारू बनाना, केन्द्र और राज्य की एजेंसियों द्वारा आसूचना के विनिमय सहित समन्वित कार्रवाई सुभेदय क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ–साथ सघन गश्त लगाना। सरकार, अपराधी गिरोहों और राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों तथा व्यापारियों के बीच संभावित सांठगांठ के प्रति भी जागरूक है। इस समस्या से निपटने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल ग्रुप भी बनाया गया है जो कि जानकारी का संग्रहण और जांच करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों, राजनीतिज्ञों अथवा नौकरशाहों के साथ अपराधियों की सांठगांठ को तोड़ा जा सके, अपेक्षित कार्रवाई के बारे में निर्णय होगा।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में चैनल तीन और चार

2757. प्रो. के. वी. थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चैनल तीन और चार मेट्रो सेवा ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इनके कार्य शुरु करने की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) और (ख) हालांकि, दूरदर्शन के डी डी-3 और डी डी-4 चैनल सेवाएं एक उपयुक्त डिश एन्टीना प्रणाली की सहायता से केरल राज्य सहित पूरे देश में उपलब्ध हैं, तथापि, डीडी-4 चैनल सेवा स्थलीय तौर पर आंवटित समय स्लॉट में राज्य के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले की जाती है। केरल में डीडी-3 चैनल सेवा को स्थलीय तौर पर रिले करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयले की आपूर्ति

2758. श्री राम निहोर राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के दुधी–चुवा सीमेंट कारखाने को सेंट्रल कोल फील्ड्स से कोयला दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कितनी मात्रा में कोयला दिया गया;

(ग) क्या सी. सी. एल., नियमित रूप से पूर्ण मात्रा में कोयले की

आपूर्ति करता रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोयला मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दुधीचुवा सीमेंट कारखाना नामक कोई सीमेंट एकक विद्यमान नहीं है।

(ख) से (घ) इस प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी अंशदान

2759. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे स्कूलों विशेषतः इसाई कान्वेंट्स तथा मुस्लिम इस्लामिक स्कूलों को जिन्हें विदेशी अंशदान प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी है, की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी विदेशी पूंजी देशवार प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले संगठनों को शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित अपने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पूर्व पंजीकरण करवाना अथवा पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है। इसाई कान्वेंट्स और मुस्लिम इस्लामिक स्कूलों के लिए अलग से आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान संगठनों द्वारा सूचित किए गए विदेशी अभिदाय के देशवार आंकड़ें अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

गोवा में संचार नेटवर्क

2760. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा संचार विभाग की संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा इसका विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने हेतु कार्यान्वित की गई विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसमें अब तक कितना निवेश किया गया है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ख) इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कुल व्यय सहित कितना लक्ष्य वास्तव में निर्धारित किया गया है तथा अब तक कितना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है;

(ग) गोवा में दूरसंचार नेटवर्क में कितनी प्रगति हुई है तथा राज्य की निर्धारित दूरसचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में दूरसंचार नेटवर्क के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए निजी/विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है तथा इस समय उनकी क्या स्थिति है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) :

(क) **डाकघर** :

गोवा राज्य में पिछले तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95) के दौरान 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 2 विभागीय उप डाकघर खोले गए। वर्ष 1995-96 में गोवा राज्य में 1 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 1 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार :

दूरसंचार विभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने, विस्तार करने और आधुनिक बनाने के लिए कार्यान्वित की गई विकास योजना तथा अब तक किए गए निवेश व प्राप्त परिणामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) **डाकघर** :

डाकघर काउंटर सेवाओं का कम्प्यूटर आधारित आधुनिकीकरण करने की योजना के अधीन गोवा के तीन डाकघरों अर्थात् पणजी प्रधान डाकघर, मैपुसा उप डाकघर और मारगो उप डाकघर को 12 लाख की लागत के साथ 1995-96 के कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

दूरसंचार :

इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा, इसमें शामिल कुल लागत तथा निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों के साथ, संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) **डाकघर** :

गोवा में एक संतोषजनक मेल नेटवर्क सहित 249 डाकघर हैं।

दूरसंचार :

मार्च, 1995 में प्रक्षिप्त टेलीफोन मांग के अनुसार गोवा में सन् 2005 तक टेलीफोनों की अनुमानित मांग 1,24,913 हो जाएगी।

(घ) **दूरसंचार** :

गोवा के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने के बाद औद्योगिक उद्यमियों से प्राप्त ज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न-III में दिया गया है। इसके अलावा, मूलभूत और मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए लाइसेंस देना विचाराधीन है।

विवरण-I

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोआ दूरसंचार जिले में कार्यान्वित विकास योजना का ब्यौरा।

(i) उपस्कर क्षमता में वृद्धि

	शहरी	ग्रामीण	कुल
1992-93	1320 लाइन	1224 लाइन	2544 लाइन
1993-94	12200 लाइन	2848 लाइन	15048 लाइन
1994-95	8200 लाइन	10188 लाइन	18388 लाइन

(ii) प्रदान किए गए नए कनेक्शन

	शहरी	ग्रामीण
1992-93	1783 लाइन	936 लाइन	847 लाइन
1993-94	9160 लाइन	7371 लाइन	1789 लाइन
1994-95	13506 लाइन	6323 लाइन	7183 लाइन

(iii) एस टी डी प्रदान करना

1992-93 4 स्टेशन

1993-94 19 स्टेशन

1994-95 4 स्टेशन

(iv) ग्रुप डायलिंग

वर्ष 1994-95 के दौरान गोआ दूरसंचार जिले में सभी स्टेशनों को ग्रुप डायलिंग सेवा प्रदान की गई।

(v) ग्राम पंचायत टेलीफोन

गोआ दूरसंचार जिले में कुल 186 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से 180 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया निवेश

1992-93 13.95 करोड़ रुपये

1993-94 12.80 करोड़ रुपये

1994-95 28.69 करोड़ रुपये

विवरण-II

वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों सहित कार्यान्वयनाधीन योजनाएं/परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की वास्तविक स्थिति	पी/ई कॉस्ट (रु. में)
1	2	3	4
1.	1.5 के डीटीएएक्स, पणजी	वास्तविक संस्थापना की जा रही है।	3,31,88,446/-
2.	पणजी में 3के ई -10- बी का विस्तार	उपस्कर आने की संभावना है।	5,96,98,399/-
3.	मारगो में 2के ई -10- बी का विस्तार	1 के का विस्तार पूर्ण	2,32,05,441/-
4. (क)	कैलनगुटे 1.5के आरएलयू	वास्तविक संस्थापना पूर्ण	1,05,61,600/-
(ख)	1.5के से 2के में विस्तार		1,00,88,846/-
5.	पोरवोरिम में 1के आरएलयू का विस्तार	उपस्कर आने की संभावना	2,51,18,960/-
6.	भेरसेस में 2के आरएलयू	95-96 के दौरान 1के लिए उपस्कर उपलब्ध होने की संभावना	3,10,72,015/-
7.	मैपुका में 3.5के (एमबीएम) सी–डॉट	उपस्कर के लिए आदेश दिया गया है। फरवरी 96 में सप्लाई संभावित	7,41,90,381/-
8.	वास्को में 1.5के सी–डॉट (एमबीएम) का विस्तार	उपस्कर के लिए आदेश अभी दिया जाना है।	3,86,43,406/-
9.	मैपुका कैलनगुंटे 8 एमबीएस डिजीटल माइक्रोवेव	पूर्ण	94,71,554/-
10.	मोबोर–मारगो 2जीएचजेड डिजीटल माइक्रोवेव	पूर्ण	89,48,054/-
11.	मैंड्रीम–पेरनम 10 चैनल यूएचएफ	कार्य चल रहा है	13,41,701/-
12.	पणजी–पेरनम ओ एफ सी	पूर्ण	47,33,600/-
13.	अंजुना–कैलनगुंटे पीसीएम	पूर्ण	30,17,317/-
14.	अंजुना–सियोलिम पीसीएम	पूर्ण	24,39,18/-
15.	मैपुका–तिविम पीसीएम	पूर्ण	27,03,283/-

विवरण-III

1	2	3	4
	गोवा में निवेश		(लाख रु. में)
1.	गोवा टेलीकम्युनिकेशन्स लि.	आप्टीकल लाइन अर्पिनेटिंग उपस्कर	270
2.	गोवा टेलीकम्युनिकेशन्स लि.	18 जीएचजेड माइक्रोवेव उपस्कर	
3.	गोवा टेलीकम्युनिकेशन्स एण्ड सिस्टम	वीएचएफ/यूएचएफ एण्ड माईक्रोवेव कम्युनिकेशन्स	352
4.	जयंती बिजनेस मशीन्स लि.	2 लाइन टेलीफोन	
5.	जयंती बिजनेस मशीन्स लि.	डैस्क टॉप फैसीमाइन मशीन	
6.	जयंती बिजनेस मशीन्स लि.	कार्डलैस टेलीफोन्स	266
7.	एक्सईडीडी टेलीकॉम लि.	मल्टी एक्सेस रुरल रेडियो वायरलैस	
	सभी मदों के लिए कुल प्रस्तावित निवेश		= 8.88 करोड रु.

ऊपर कृष्णा परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2761. श्री जी. मल्ले गौडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने कर्नाटक में कृष्णा नदी जल क्षेत्र परियोजना के लिए वित्त प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) अब तक विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) शेष धनराशि जारी करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-II के लिए विश्व बैंक द्वारा संस्वीकृत सहायता की कुल राशि 211 मिलियन अमरीकी डालर हैं, जो 618.08 करोड़ रुपये के बराबर है।

(ग) नवम्बर, 1995 तक 151.53 मिलियन अमरीकी डालर की राशि जो 427.91 करोड़ रुपए के बराबर है बैंक द्वारा निर्मुक्त की गई थी।

(घ) और (ङ) पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलू के कारण प्रतिपूर्ति में अस्थाई रुकावट आई थी। जैसे ही इसका समाधान हो जाता है, प्रतिपूर्ति प्रारंभ हो जायेगी।

सिंचाई परियोजनाएं

2762. श्री हरमोहन राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चल रही मझौली और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, इनकी अनुमानित लागत कितनी है और इनसे क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु पश्चिम बंगाल की लंबित पडी मझौली और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओ का ब्यौरा क्या है और इनके लंबित पडे रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में चल रही बृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये है।

(घ) पश्चिम बंगाल की स्वीकृति के लिए लंबित नई बृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न-II में दिए गये है।

(ङ) परियोजनाओ की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणो की टिप्पणियों की अनुपालना और पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करती है।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल की चालू बृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	वर्ष 92-93 के दौरान व्यय	वर्ष 93-94 के दौरान व्यय	वर्ष 94-95 के दौरान व्यय	कार्यकारी बल द्वारा 95-96 के लिए परिव्यय	चरम क्षमता (हजार हैक्टेयर में	पूरा करने का कार्यक्रम
			करोड़ रुपए में					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	**बृहद परियोजनाएं**							
1.	दामोदर घाटी निगम की बराज सिंचाई प्रणाली	60.00	2.11	3.92	2.70	7.00	515.36	8वीं योजना
2.	कंगसावती	205.41	7.41	9.03	7.00	10.00	401.66	8वीं योजना से आगे
3.	तीस्ता बराज–चरण-I	695.00	29.88	55.85	60.00	80.00	533.52	8वीं योजना से आगे
ख.	**मध्यम परियोजनाएं**							
1.	महनालो	9.84	0.43	0.36	0.65	0.65	12.38	8वीं योजना
2.	साली सिंचाई	2.00	0.03	0.03	0.02	0.10	0.59	–वही–
3.	बाराभम	2.77	0.05	0.03	0.10	0.10	2.73	–वही–
4.	गोलमारजोर	1.82	0.10	0.05	0.15	0.15	7.00	–वही–
5.	रामचन्द्रपुर	4.83	0.27	0.27	0.27	0.20	2.56	–वही–
6.	साली व्यवपर्तन	3.70	0.04	0.05	0.03	0.15	2.27	–वही–
7.	मोटीरिजोर	1.90	0.05	0.04	0.10	0.05	1.08	–वही–
8.	हुनम्बा	5.48	0.34	0.40	0.40	0.40	2.78	–वही–
9.	टटका	7.60	0.37	0.91	0.80	0.80	2.48	–वही–
10.	पाटले	2.85	0.21	0.19	0.30	0.40	2.16	–वही–
11.	बीको	4.15	0.31	0.12	0.30	0.30	1.59	–वही–
12.	लिवानियाजोर	3.09	0.18	0.15	0.35	0.25	1.59	–वही–
13.	पारगा	2.50	0.08	0.10	0.15	0.10	0.92	–वही–
14.	करियर	2.65	0.18	0.13	0.22	0.15	0.51	–वही–
15.	खैरा बेरिया	2.64	0.21	0.11	0.40	0.40	0.57	8वीं योजना
16.	यूटेरी	4.82	0.02	0.03	0.10	0.40	1.20	–वही–
17.	रानीचक पम्प	4.91	0.34	0.09	0.20	0.20	1.25	–वही–
ग.	**चालू विस्तार, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण**							
1.	कंगसावती जलाशय का आधुनिकीकरण	186.07	0.18	0.06	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	मयूराक्षी जलाशय की विशेष मरम्मत	10.00	0.39	0.80	0.70	–		
3.	मिदनापुर नहर की विशेष मरम्मत	1.50	0.16	0.09	0.25	–		
4.	मयूराक्षी का आधुनिकीकरण	60.00	0.01	0.01	–	–		
5.	दामोदर घाटी निगम के बराज का आधुनिकीकरण	100.00	0.32	0.01	0.01	–		
6.	बंधु सिंचाई का विस्तार	5.42	1.16	0.52	0.45	0.45		

विवरण-III

पश्चिम बंगाल की नई वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ हेक्टेयर में	मूल्यांकन की स्थिति
वृहद				
1.	दोलांग जलाशय परियोजना	32.05	24,490	डिजाइन, जल विज्ञान, निर्माण संबंधी मशीनों के पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार ने करनी है, जो उन्हें मार्च से जून, 1993 की अवधि के दौरान भेजी गई है।
2.	कंगसावती परियोजना का आधुनिकीकरण	311.07 (1985)	3,40,000	परियोजना को सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त पर 311.07 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार ने इस परियोजना को बाद में संशोधित किया जिस पर अगस्त, 1993 में सलाहकार समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया जिसमें बाढ़ अध्ययन करने अथवा रिपोर्ट में संशोधन करने के सुझाव दिये गये। राज्य सरकार ने इसकी अनुपालना करनी है।
3.	अपर कंगसावती परियोजना	43.80	5,91,150	परियोजना को सलाहकार समिति द्वारा जून, 1980 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त पर स्वीकृत किया गया।
मध्यम		.....शून्य.....		

कलकत्ता में विमान द्वारा डाक पैकेट भेजना

2763. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) के डाकपाल की ओर से बीमा पैकेट/मनीआर्डर तथा अन्य आवश्यक डाक पैकेट विमान द्वारा भेजने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल डाक सर्किल से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं हवाई जहाज द्वारा भेजी जाती हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएं हवाई जहाज द्वारा तभी भेजी जाती हैं, जब सामान्य डाक शुल्क के अतिरिक्त हवाई शुल्क का भुगतान भी किया गया हो।

कोयले का लदान

2764. श्री हरिन पाठक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या लदान के समय कोयले का भारतीय मानक आई एस 436/1964 के अनुसार संयुक्त नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या लदान कोल इंडिया लि. द्वारा यांत्रिक साधनों यथा वेल्ट कन्वेयर या तीव्र लदान प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रैक में चुने हुये माल डिब्बों से नमूना लेने में कोयला खानों द्वारा आमतौर पर कितना समय लगता है; और

(ङ) कोयला खानों को एक रेक के लदान के लिए कितना समय दिया जाता है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोयले के नमूने का गुणवत्ता के संबंध में निर्धारण किया जाना, कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 की धारा 3(ए) के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार के कोयला नियंत्रक ने भारतीय मानक ब्यूरो से नमूना लेने की प्रक्रिया को वास्तविक तथा व्यवहार्य बनाने के लिए संशोधित किए जाने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जीलगोरा, धनबाद के अध्ययन पर आधारित है और कोयला नियंत्रक द्वारा लदान स्थल पर किए गए प्रयोगों द्वारा आगे की पुष्टि से, कोयला नियंत्रक द्वारा कोयले का नमूना लिए जाने की एक सरल पद्धति परिचालित की गई है, जो कि उनकी संयुक्त नमूना व्यवस्था के अंतर्गत प्रेषणों की गुणवत्ता का सत्यापन किए जाने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा अंगीकृत की गई है।

(ख) और (ग) को. इं. लि. के अनुसार वैगनों में कोयले का लदान आंशिक रूप से बेल्ट कन्वेयर तथा त्वरित (रेपिड) लदान पद्धति के माध्यम से और आंशिक रूप से पे–लोडरों के द्वारा की जा रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान रेपिड लदान तथा रोपवे/बेल्ट कन्वेयर के जरिए को. इं. लि. द्वारा कोयले का प्रेषण क्रमशः 20.30% तथा 4.94% है।

(घ) को.इं.लि. के अनुसार रैकों का लदान किए जाने के बाद नमूना लिए जाने के मामले में 2 से 4 घंटे के बीच की अवधि लगती है।

(ङ) रेलवे के नियमों के अंतर्गत किसी रैक का लदान किए जाने के मामले में कोलियरिओं को निम्नलिखित अवधि निःशुल्क रूप में प्रदान किए जाने की अनुमति है।

यंत्रिकृत लदान

(ए) 113 चार पहिया वैगन (एफ डब्लयू डब्ल्यू) से कम आकार के रैकों के लिए 5 घंटे

(बी) 113 एफ डब्लू डब्लू से ऊपर के आकार के रैकों के लिए 8 घंटे

श्रमिक लदान

(ए) 133 एफ डब्लू, डब्लू, से कम के आकार के रैकों के लिए 8 घंटे

(बी) 133 एफ डब्लू, डब्लू, से ऊपर के आकार के रैकों के लिए 10 घंटे

कोयला क्षेत्र में भारत चीन संयुक्त कार्य दल

2765 मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में भारत–चीन संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में समझौते में दिये गये निगम की कार्यविधि क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कोयले पर एक भारत–चीन कार्यकारी दल, कोयला क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाए जाने के मामले में एक औपचारिक ढांचा (फ्रेमवर्क) मुहैया करने हेतु, स्थापित किया गया है। इस कार्यकारी दल के परस्पर सहयोग को बढ़ाए जाने हेतु समय–समय पर उठाए गए कदमों पर हुई प्रगति का मूल्यांकन तथा समीक्षा भी की जाती है। भारतीय पक्ष की ओर से कार्यकारी दल का नेतृत्व सचिव, कोयला मंत्रालय और चीन पक्ष का नेतृत्व चीन के उपमंत्री, कोयला उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2766. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्जे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में भारतीय तेल निगम के कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा पेट्रोल, डीजल और स्नेहक सामग्रियों की बिक्री की जा रही है;

(ख) क्या इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के सेवा के स्तर को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि खर्च किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.12.1995 को कर्नाटक में इंडियन आयल कारपोरेशन के 381 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप कार्यरत थे।

(ख) जी, हां।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के सेवा मानकों को बढ़ाने के लिए 1.12 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता है।

आकलन समिति

2767. श्री रवि राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग की निविदा आकलन समिति ने 14 आधारभूत सेवा लाइसेंसों के लिए बताई गई (कोट की गई) अधिकतम फीस को अनुचित माना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। निविदा मूल्यांकन समिति ने मूलभूत टेलीफोन सेवाओं के संबंध में 10 सेवा क्षेत्रों के लिए उद्धृत शुल्क को वाजिब नहीं पाया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है और सूचीबद्ध पक्षकारों से नई वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

विवरण

सर्किल का नाम	श्रेणी	एच1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत लेवी (करोड़ रु. में)	अनुबंध निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा परिकल्पित वाजिब लेवी (करोड रु. में)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	सी	3.3	81.00
असम	सी	4.41	294.22
बिहार	सी	244.0	602.22
हिमाचल	सी	1.705	323.04
कर्नाटक	ए	5796.00	6520.47
मध्य प्रदेश	बी	29.40	897.43
उत्तर पूर्व	सी	1.785	147.57
राजस्थान	बी	1110.00	1700.67
तमिलनाडु	ए	4520.25	8208.28
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बी	13.65	1924.44

गृह-कर का भुगतान न किया जाना

2768. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 1995 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "रिच मेन डिफाल्टर्स आन हाउस टैक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) गृह–कर न देने वाले गृह मालिकों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा उनसे जुरमाना सहित गृह–कर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामराज) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के गठन के परिणामस्वरूप, दिल्ली में संपत्ति कर से संबंधित विषयवस्तु अब दिल्ली विधानसभा के वैधानिक क्षेत्राधिकार में आती है तथा यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार का विषय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को इस विषय की पहले से ही जानकारी है तथा इस विषय पर कोई निर्णय लेना उस सरकार का कार्य है।

दलित विकास बैंक की स्थापना

2769. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में दलितों के आर्थिक उत्थान हेतु एक दलित विकास बैंक की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना 1989 में पहले ही कर दी है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की आय सृजन योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के युवा उद्यमियों को इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 23 राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आय सृजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रति लाभग्राही 50,000 रुपए लागत वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है ताकि सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वासित किया जा सके। उपर्युक्त सभी योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना है जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दान योजना के तहत उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्राप्त सुविधाओं के अतिरिक्त है।

तीस्ता बैराज परियोजना

2770. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस्ता बैराज परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत कितनी है, इससे क्या–क्या लाभ होंगे और यह परियोजना कब शुरू की गई थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त परियोजना हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसमें केन्द्रीय अंशदान कितना है;

(ग) इस पर अभी तक कुल कितना खर्च किया गया है;

(घ) उक्त परियोजना से इस समय कितने क्षेत्र की सिंचाई की जाती है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु): (क) तीस्ता बराज परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 695.00 करोड़ रुपए है। इसमें 5,27,000 हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की परिकल्पना है।

(ख) परियोजना हेतु आठवीं योजना परिव्यय 315.00 करोड़ रुपए हैं। इस परियोजना की 1983-84 में 5.00 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी और 1986-87 तथा 1987-88 प्रत्येक में 10.00 करोड़ रुपए प्राप्त हुई। आठवीं योजना के लिए 150.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन किया गया है। आठवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान अनुमोदित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 111.00 करोड़ रुपए हैं।

(ग) मार्च, 1995 तक अनुमानित व्यय 517.73 करोड़ रुपए है।

(घ) जून, 1995 तक सृजित अनुमानित क्षमता 94,150 हेक्टेयर है।

(ङ) परियोजना की आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

आई. एस. डी. सुविधा

2771. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के लिए आई. एस. डी सुविधा इस समय उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सुविधा का विस्तार कुछ और देशों में करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, इस समय भारत से 236 देशों को आई एस डी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल, कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विश्व के लगभग सभी देशों को आई एस डी सुविधा उपलब्ध है, जो ऐसी सेवा का लाभ उठाने में सक्षम हैं।

(ग) ऊपर "ख" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. अलास्का
2. अल्बानिया
3. अल्जीरिया
4. ऐंडोरा
5. अंगोला
6. ऐंग्विला
7. ऐंटिग्वा (बारबुडा)
8. अर्जेंटीनाइन
9. आर्मेनिया
10. अरूबा
11. ऐसेंशन
12. आस्ट्रेलिया
13. आस्ट्रिया
14. अजर्बेजान गणतंत्र
15. ऐजोरेस
16. बहमास
17. बहरीन
18. बांग्लादेश
19. बार्बाडोस
20. बेलारस
21. बेल्यिम
22. बेलाइज
23. बेनिन
24. बर्मुडा
25. भूटान
26. बोलिविया
27. बोपुटस्वाना
28. बोस्निया व हर्जेगोविना
29. बोत्स्वाना
30. ब्राजील
31. ब्रूनेई
32. बुल्गारिया
33. बुर्किना फासी
34. बुरूंडी
35. कमरून
36. कनाडा
37. कैनेरी द्वीप
38. बर्डेअंतरीप
39. केमन द्वीप
40. सैंट्रल अफ्रीकी गणतंत्र
41. चाड
42. चिली
43. चीन
44. खीष्ट द्वीप
45. सिरकेई
46. कोकोस कीलिंग द्वीप
47. कोलंबिया
48. कामरोख
49. कांगो
50. कुक द्वीप
51. कोष्टा रीका
52. कोट डी आइवरी
53. क्रोशिया
54. क्यूवा
55. साइप्रास (निकोशिया)
56. जेक गणतंत्र
57. डेनमार्क
58. दिएगो गाशिया
59. जिबूटी
60. डोम्निका द्वीप
61. डोन्निकी गणतंत्र
62. इक्वेडोर
63. मिस्र
64. अल साल्वाडोर
65. भूमध्यीय गिनी
66. ऐरिट्रिया
67. ऐस्टोनिया
68. इथियोपिया
69. फाकलैंड
70. फैरो द्वीप

71. फिजी गणतंत्र
72. फिनलैंड
73. फ्रांस
74. फ्रेंचगिनी
75. फ्रेंच पोनिशिया
76. गीबीनी गणतंत्र
77. जाम्बिया
78. जार्जिया
79. जर्मनी
80. घाना
81. जिब्राल्टर
82. यूनान
83. ग्रीनलैंड
84. ग्रेनडा
85. ग्वेडेलोप
86. ग्वाम
87. ग्वाटेमाला
88. गिनी
89. गिनी बिसाड
90. गापना
91. हेती
92. हवाई
93. हॉडरास
94. हागकांग
95. हंगरी
96. आइसलैंड
97. इण्डोनेशिया
98. ईरान
99. इराक
100. आयरलैंड
101. इजरायल
102. इटली
103. जमाइका
104. जापान
105. जार्डन
106. कंपूचिया
107. कजाकिस्तान
108. केन्या
109. किगिजस्तान
110. किरीबाती
111. उत्तरी कोरिया
112. दक्षिण कोरिया
113. कुवैत
114. लाओस
115. लात्विया
116. लेबनान
117. लेसोथो
118. लाइबेरिया
119. लीबिया
120. लिएस्टीन
121. लिथ्आनिया
122. लैग्जम्बर्ग
123. मकाओ
124. मकदुनिया
125. मैडागास्कर
126. मडेरा द्वीप
127. मलायी
128. मलेशिया
129. माल्दीवज
130. माली
131. माल्टा
132. मारियाना द्वीप (सैपान)
133. मार्शल द्वीप
134. मार्टिक
135. मकरिटानिया
136. मारिशस
137. मायोटे
138. मैक्सिको
139. माइक्रोनेशिया
140. माल्दीवा
141. मोनेको
142. मंगोलिया
143. मात्सेरात
144. मोरक्को
145. मोजांबिक
146. म्यामार
147. नामीबिया
148. नारू
149. नेपाल
150. नीदरलैंड्स
151. नीदरलैंड्स
152. न्यू कलदूनिया
153. न्यूजीलैंड
154. निकारागुआ
155. नाइजर
156. नाइजीरिया
157. न्यू द्वीप
158. नाफोक द्वीप
159. नार्वे
160. ओमान
161. पाकिस्तान
162. पलाऊ
163. पानामा
164. पापुआ न्यू गिजी
165. पराग्वे
166. पेरु
167. फिलीपींस
168. पोलैंड
169. पुर्तगाल
170. पुएर्तोरिको
171. कतार
172. रेडनियन
173. रोड्रिइस द्वीप
174. रोमानिया
175. रूसी संघ
176. रवाडीज गणतंत्र
177. सैमआ अमरीकी
178. पश्चिमी सैमोआ
179. सान मैरीनो
180. साओटोम व प्रिंसिप
181. सऊदी अरब
182. सैनेगल
183. सिशेल्स
184. सिएरा लियोन
185. सिंगापुर
186. स्लोवाक गणतंत्र
187. स्लोवेनिया
188. सुलेमान द्वीप
189. सोमालिया
190. दक्षिणी अफ्रीका
191. स्पेन
192. श्रीलंका
193. सेंट हेलेना
194. सेंट किटस नेविस
195. सेंट ल्यूशिया
196. सेंट पियरे व मिक्वेलान
197. सेंट विसेंट य ग्रेनाडाइस
198. सूडान
199. सूरिनाम
200. स्वाजीलैंड
201. स्वीडन
202. स्विट्जरलैंड

203. सीरियाई अरब गणतंत्र
204. ताजिकिस्तान
205. ताइवान
206. तजानिया
207. थाइलैंड
208 तुगली गणतंत्र
209. टोंगा
210. ट्रांस्की
211. त्रिनिडाड व टोबैगो
212. ट्यूनीशिया
213. तुर्की
214. तुर्कमेनिस्तान
215. तुर्क व कैकोस द्वीप
216. तुवालु
217 उगाडा
218. यू के
219. उक्राइन
220. संयुक्त अरब अमीरात
221. उरुगवे
222. संयुक्त राज्य अमरीका
223. उज्बेकिस्तान
224. वनातू
225. वेटिकन सिटी स्टेट
226. वेंडा
227. वेनेज्वेला
228. वियतनाम
229. विर्जिन द्वीप (क)
230. विर्जिन द्वीप (ख)
231. वालिस व फयूटीन द्वीप
232. यमन (साना)
233. यूगोस्लाविया
234. जायरे
235. जाम्बिया
236. जिम्बाबवे

मोटर-बोट का उलटना

2772. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 नवबर, 1995 को ओखला नहर में एक मोटर बोट उस समय उल्ट गई जब पी. ए. सी. कार्मिकों द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इस दुर्घटना में हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के बारे में आदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मोटर बोट में किसी प्रकार का कोई दोष पाया गया है, और

(छ) यदि हां, तो आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ग) जी, हां ; 13.11.95 को लगभग 18.50 बजे जब एक बोट यमुना नदी मे उल्टी तो उस समय उसका परीक्षण किया जा रहा था और उसमें पी.ए.सी. के 20 अधिकारी और कार्मिक सवार थे। 20 में से 11 व्यक्तियों को बचा लिया गया। स्थानीय गोता खोरों की मदद से 9 कार्मिकों के शव पानी से बाहर निकाले गये। जांच से पता चला कि बाढ नियंत्रण अभियानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मैसर्स फिबरो प्लास्ट, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली से 16 मोटर बोट खरीदे थे।

पुलिस स्टेशन श्रीनिवास पुरी में भा. दं. सं. की धारा 304क/34 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) से (छ) चूंकि बोट, उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदी थी, अतः राज्य सरकार ने उप–महानिरीक्षक, पी.ए.सी. मेरठ, से मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कहा है। इस संबध में कोई भी निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है।

आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के लिए कल्याण योजनाएं

2773. **डा. मुमताज अंसारी :**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के लिए कल्याण योजनाए बना रही है और कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके लिए कुछ नई कल्याण योजनाएं बनाने का भी कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार वस्त्र मंत्रालय में हस्तकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जो इस प्रकार हैं :

1. वर्कशेड और आवास योजना
2. सामुहिक बीमा योजना
3. मितव्ययी निधि योजना
4. स्वास्थ्य पैकेज योजना

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठठता।

[अनुवाद]

न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

2774. **डा. साक्षीजी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को दी जा रही केन्द्रीय सहायता में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसमें कितनी कटौती की गई है और उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें यह कटौती की गई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं। वर्ष 1994-95 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत परिव्यय 408.50 करोड रुपये थे। चूंकि निर्दिष्ट/एम.एन.पी. योजनाओं के अंतर्गत व्यय में कोई कमी नहीं थी, इसलिए सामान्य केन्द्रीय सहायता मे कोई कटौती नहीं की गयी।

(ख) और (ग) का प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात में विकलांग बालिका गृह

2775. **श्री हरिसिंह चावडा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ केन्द्र (विकलांग बालिका गृह) विकलांग लड़कियों के लिए चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वित्तीय वर्ष मे इन केन्द्रों में से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना गुजरात राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वार्षिक योजना

2776. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान गुजरात के लिए क्षेत्रवार कितना वार्षिक परिव्यय स्वीकृत तथा वितरित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु क्षेत्रवार क्या लक्ष्य तय किया गया; और

(ग) अब तक क्षेत्रवार कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) गुजरात की वार्षिक योजना 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के संबंध में अनुमोदित परिव्ययों को क्षेत्रक वार ब्यौरा और वार्षिक योजना 1993-94 और 1994-95 के संबंध में व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) गुजरात के कुछ चुनिंदा क्षेत्रकों के विकास के निर्धारित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां संलग्न विवरण-II मे दी गई हैं।

विवरण-I

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्ययों को क्षेत्रकवार ब्यौरा और वार्षिक योजना 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के संबंध में गुजरात सराकर द्वारा सूचित किया गया व्यय

(लाख रुपये) (चालू कीमतो पर)

क्षेत्रक		वार्षिक योजना 1993-94		वार्षिक योजना 1994-95	वार्षिक योजना 1995-96	
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	*प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	12626.00	10637.17	13330.50	1333.50	18948.50
2.	ग्रामीण विकास	8115.00	7644.23	8195.50	8195.50	16717.50
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	0	0
4.	सिंचाई और बाढ नियंत्रण	50300.00	49579.52	59683.00	59683.00	64923.00
5.	ऊर्जा	47160.00	47258.37	49890.00	49890.00	53390.00
6.	उद्योग और खनिज	14475.00	9806.85	12597.50	12597.50	14000.00
7.	परिवहन	11300.00	16282.80	10217.00	10217.00	11012.00
8.	संचार	165.00	128.24	165.00	165.00	165.00

1	2	3	4	5	6	7
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	300.00	63.52	105.00	105.00	568.00
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	5353.50	3280.55	4366.50	4366.50	5311.50
11.	सामाजिक सेवाएं	53437.50	48393.79	65382.00	65382.00	75896.50
12.	सामान्य सेवाएं	68.0	10.56	68.00	68.00	68.00
	जोड :	213700.00	193085.60	224000.00	224000.00	261000.00

टिप्पणी : राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना 1995-96 के दस्तावेज के प्रारूप के सूचित के अनुसार 1993-94 के संबंध में व्यय के आंकड़ें और 1994-95 के संबंध में प्रत्याशित व्यय।

विवरण-II

मद	यूनिट	1993-94		1994-95		1995-96
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्या. उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
I.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप					
	उत्पादन					
1.	खाद्यान्न (000 टन	6216	3778	6366	4732	6516
2.	तिलहन (000 टन	3400	1572	3271	3725	3309
3.	गन्ना (000 टन	10170	10232	10470	10210	10770
4.	कपास (000 गांठें	2073	1623	2123	1650	273
II.	**ग्रामीण विकास**					
i)	आई.आर.डी.पी. सहायता दिए गए परिवारों की संख्या	74909	79725	61262	76498	N.F.
ii)	जे.आर.वाई. (प्रथम चरण) सृजित रोजगार श्रम लाख दिवस	211.40	210.55	177.45	195.68	197.40
iii)	जे आर वाई —वही—	N.F.	22.09	63.04	62.80	33.19
III.	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण**					
1.	लघु सिंचाई					
	क. संभावित (000 हेक्टे.	34.00	20.00	22.00	22.00	22.00
	ख. उपयोग (000)	28.00	6.00	17.00	17.00	17.00
2.	**प्रमुख और मध्यम सिंचाई**					
	क. संभावित (000)	33.00	19.57	33.00	28.34	33.00
	ख. उपयोग (000)	60.00	66.33	60.00	55.90	60.00
IV)	**ऊर्जा**					
i)	स्थापित क्षमता एम डब्ल्यू अतिरिक्त	45.00	45.00	—	—	60.00

1	2		3	4	5	6	7
V.	**परिवहन**						
	ग्राम संयोजी	संख्या	400	307	300	300	275
VI.	**सामाजिक सेवाएं**						
i)	शिक्षा						
	क. प्राथमिक शिक्षा						
	कक्षा I-VIII में						
	कुल अतिरिक्त प्रवेश						
	लड़के	000	54	54	84	87	69
	लड़कियां	–वही–	100	100	31	33	58
	कुल :	–वही–	154	154	115	120	127
	ख. प्रौढ़ शिक्षा						
	15-35 वर्ष	–वही–	500	850	1981	1320	800
ii)	आवास						
	आवास भूमि का आवंटन आवश्यकता	000	30.00	35.00	30.00	34.00	30.00
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों की संख्या						
iii)	ग्रामीण जल आपूर्ति आवासों की सं०		500	458	500	464	1100

उप. = उपलब्धि

प्रत्या. उप. = प्रत्याशित उपलब्धि

एन.एफ. = निर्धारित नहीं

डी. के. गुप्ता रिपोर्ट

2777. श्री राम कापसे :

श्री हरिन पाठक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरसंचार विभाग के मुख्यालयों के पुनर्गठन के संबंध में डी. के. गुप्ता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) डी. के. गुप्ता समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें/सिफारिशें, सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के संदर्भ में प्रचालन कार्यों से नीति निर्माण कार्यों को अलग करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग के मुख्यालय में प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय स्थापनाओं को कारगर बनाने, काम के बंटवारे तथा मुख्यालय में कागज पत्रों के प्रस्तुत करने के चैनल को युक्ति संगत बनाने से संबंधित है।

(ग) रिपोर्ट पर विचार किया गया है लेकिन नीति निर्माण कार्यों को प्रचालन कार्यों से अलग करने के लिए दूरसंचार विभाग के मुख्यालय कों पुनर्गठित करने से संबंधित डी.के. गुप्ता समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कल्याण योजनाएं

2778. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, विकलांगों तथा कमजोर वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं संबंधी निर्धारित लक्ष्य क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1995-96

क्रम सं.	योजना	वित्तीय लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य	
1	2	3	4	
अनुसूचित जाति विकास				
1.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	275.00	25.62	लाख परिवार
2.	राज्य अनुसूचित विकास निगम	30.00	5.82	लाख परिवार
3.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	70.00	1.50	लाख (पुनर्वास)
			(75,000)	(प्रशिक्षण)
4.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	145.00	21.02	लाख पुरस्कार
5.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	7.50	2.25	लाख पुरस्कार
6.	लडकियों के लिए होस्टल	7.00	73	होस्टल
			(7,500)	निवासी
7.	लडकों के लिए होस्टल	10.00	327	होस्टल
			(25,000)	निवासी
8.	पुस्तक बैंक	3.60	38,500	छात्र
9.	कोचिंग और सम्बद्ध	3.00	12,000	छात्र
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	1.00	2,500	छात्र
11.	स्वैच्छिक संगठनो को सहायता	20.33	400	संगठन
12.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार	12.00	—	
13.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.40	30	अनुसंधान और मूल्याकन
			12	सेमिनार अध्ययन कर्मशाला
			2	प्रशिक्षण
अनुसूचित जनजाति विकास				
1.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	330.00	10.83	लाख परिवार
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (1)के अंतर्गत अनुदान		*क्र.स. 1 और 2 के लक्ष्य समान हैं।	
3.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	5.50	85	गैर–सरकारी संगठन
4.	लडकियो के लिए होस्टल	3.50	60	होस्टल
5.	लडकों के लिए होस्टल	3.50	60	होस्टल
6.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	3.00	60	आश्रम स्कूल
7.	आदिवासी क्षेत्रो में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.00	15	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान
			+	रखरखाव

1	2	3	4
8.	आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लड़कियों की साक्षरता विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिषद्	2.00	10 कम्प्लेक्स + रखरखाव
9.	अनुसंधान और प्रशिक्षण		
	(i) आदिवासी अनुसंधान के लिए अनुदान	1.	14 आदिवासी अनुसंधान संस्थान
	(ii) अनुसंधान फैलोशिप संबंधी संस्थान और पुरस्कार	1.50	25 फैलोशिप
	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय तथा अंतर्राज्यीय सहायक परियोजनाएं	0.25	15 अनुसंधान अध्ययन
10.	आदिवासी विकास निगमों तथा लघु वन उत्पाद कार्य संबंधी निगमों को सहायता अनुदान	4.00	10 एस टी डी सी सी
	विकलांग कल्याण		
1.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान	3.74	कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित
2.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान	2.82	नहीं किये गये हैं
3.	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग	3.97	तदैव
4.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, कटक	3.59	तदैव
5.	विकलांग जन संस्थान	2.22	तदैव
6.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान	3.47	तदैव
7.	विकलांगों से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	16.70	तदैव
8.	विकलांगों के लिए सहायक यंत्र/उपकरण	13.00	तदैव
9.	राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम	1.50	तदैव
10.	विकलांगों का रोजगार	0.20	तदैव
11.	जिला पुनर्वास केन्द्र	2.20	तदैव
12.	भारतीय पुनर्वास परिषद्	0.68	तदैव
13.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दत्तक	0.02	तदैव
14.	मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास	1.25	तदैव
15.	कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	1.00	तदैव
16.	विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास	0.50	तदैव
17.	प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	0.30	तदैव
18.	मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	0.50	तदैव
19.	विविध योजनाएं	0.50	तदैव
20.	द्विपक्षीय करार	5.49	तदैव
21.	एलिमको कानपुर	0.91	तदैव

1	2	3	4
22.	भारत विदेशी सांस्कृतिक आदान–प्रदान	0.02	तदैव
23.	मेरूदंड क्षति केन्द्र	0.05	तदैव
24.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	1.00	कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं।
25.	राष्ट्रीय बहुविकलांग संस्थान	0.24	तदैव
समाज रक्षा			
1.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण योजना	2.00	तदैव
2.	शिक्षावृति निवारण संबंधी योजना	0.55	तदैव
3.	बेसहारा बच्चों के कल्याण संबंधी योजना	5.00	तदैव
4.	वयोवृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना	6.00	तदैव
5.	समाज रक्षा संस्था सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना	0.38	तदैव
अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग			
1.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	2.00	तदैव
2.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	120.00	4332 लाख लाभभोगी 1460 लाख वेतनभोगी

कोसी नदी पर बांध का निर्माण

2779. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोसी नदी पर बांध के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य से नेपाल के साथ कोई समझौता किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में हाल ही में भारत और नेपाल के बीच कोई विचार विमर्श हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ङ) बिहार में कोसी नदी पर बांध का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नेपाल में कोसी उच्च बांध परियोजना के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने पर महामहिम नेपाल सरकार के साथ बातचीत चल रही है। सचिव स्तर की बैठक काठमांडू में मार्च, 1995 में आयोजित की गई थी। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरा किये जाने का समय महामहिम नेपाल सरकार के उत्तर पर निर्भर करता है।

इंदिरा गांधी नहर

2780. श्री मनफूल सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जल क्षमता क्यूसेक में क्या है;

(ख) उक्त नहर से राजस्थान को कितना जल दिया जा रहा है;

(ग) उक्त नहर से गाद निकालने संबंधी कार्यक्रम पर अनुमानतः क्या लागत आएगी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत एव जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) इंदिरा गांधी नहर की इसके शीर्ष तक डिजाइन क्षमता 18500 क्यूसेक है।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा राजस्थान को की गई आपूर्तियां निम्नलिखित है :

अवधि	आपूर्तियां (बिलियन घन मीटर)
21.5.90 से 20.5.91	10.543
21.5.91 से 20.5.92	10.002

21.5.92 से 20.5.93	9.108
21.5.93 से 20.5.94	7.299
21.5.94 से 20.5.95	10.619

(ग) इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अनुसार परियोजना के पूरा किए गए भाग के अनुरक्षण के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II में 98.44 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इस राशि का मुख्य भाग नहरों की गाद निकालने और तटों के पुनरूद्धार के लिए है।

(घ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। परियोजना के लिए पिछले तीन वर्षों का अनुमोदित परिव्यय और निर्मुक्त राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	करोड़ रुपए में निर्मुक्त राशि
1992-93	52.00	52.00
1993-94	52.00	52.00
1994-95	60.00	60.00

जल संसाधनों का विकास

2781. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में केन्द्रीय सहायता से लागू की जा रही जल संसाधन विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं पर राज्यवार कितनी राशि खर्च हुई; और

(ग) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में जल की मांग तथा आपूर्ति को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता एकमुश्त अनुदान और एकमुश्त ऋण के रूप में निर्मुक्त की जाती है और यह किसी परियोजना/क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है। सिंचाई राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं और योजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता का अलग-अलग वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा तथा वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों की उपलब्धि दर्शाने वाले विवरण संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान वृहद और मझौली, लघु और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मुक्त धनराशि पर कुल राज्यवार और वर्षवार परिव्यय/व्यय दर्शाने वाला संलग्न विवरण V में दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश में जल की मांग और पूर्ति को पूरा करने के लिए कुछ मदों पर देते हुए सिंचाई को प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषित किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : (i) वृहद और मझौली परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करना, (ii) चालू सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं के शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता देना (iii) सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग (iv) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना और जल प्रबंध के क्षेत्र में उपयुक्त अभिकरणों के जरिए अनुसधान और विकास प्रयासों के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटकों पर बल देना।

विवरण-I

'वृहद एवं मध्यम' सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा अलग-अलग सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता और 1992-93 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में विभिन्न कार्यकलापों की उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता		कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां			
		वृहद एवं मध्यम	लघु	फील्ड चैनल	बाराबंदी	भूमि समतलन	खेत नालियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6.35	10.60	3.36	16.83	3.17	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	5.55	7.77	1.59	7.30	0.00	0.31
4.	बिहार	4.00	200.00	40.40	1.80	0.00	0.00
5.	गोआ	—	0.48	0.50	1.90	0.03	0.00
6.	गुजरात	29.18	20.97	22.78	33.18	0.37	0.21
7.	हरियाणा	12.00	10.30	23.10	31.90	1.37	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	0.21	2.44	1.10	1.93	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	14.10	2.80	8.00	8.00	1.52	0.43
10.	कर्नाटक	44.04	21.08	17.64	21.00	22.30	3.50
11.	केरल	12.89	18.09	9.25	8.14	0.05	2.63
12.	मध्य प्रदेश	70.00	40.67	11.57	25.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	46.39	32.00	22.13	5.48	1.83	20.47
14.	मणिपुर	2.80	1.65	0.39	0.0	0.75	1.00
15.	मेघालय	—	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	—	0.50	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	17.56	31.12	18.32	60.58	0.00	14.82
19.	पंजाब	14.70	29.55	—	—	—	—
20.	राजस्थान	44.36	36.91	39.49	36.66	1.58	1.58
21.	सिक्किम	—	0.65	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	11.06	50.73	16.48	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	—	4.50	0.20	0.20	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	54.00	980.00	90.16	360.50	0.00	23.00
25.	पश्चिम बंगाल	9.08	60.00	4.40	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य	367.21	1531.71	365.11	636.88	32.97	67.95
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.13	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	387.34	1532.23	365.11	636.88	32.97	67.95

विवरण-II

'वृहद एवं मध्यम' सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा अलग-अलग सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता और 1993-94 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में विभिन्न कार्यकलापों की उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता		कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां			
		वृहद एवं मध्यम	लघु	फील्ड चैनल	वाराबंदी	भूमि समतलन	खेत नालियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9.49	29.39	1.05	12.86	3.89	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	9.55	15.00	1.50	1.00	0.00	0.64
4.	बिहार	23.00	215.00	0.75	2.07	0.00	0.00
5.	गोआ	—	0.43	1.30	1.50	0.03	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	19.57	16.83	9.25	17.84	0.14	0.14
7.	हरियाणा	18.00	16.80	30.74	18.87	0.96	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.24	1.50	0.62	1.78	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.30	1.54	3.43	27.25	1.72	1.10
10.	कर्नाटक	69.99	22.00	27.05	7.91	25.58	0.80
11.	केरल	13.30	18.56	25.57	13.46	0.10	0.00
12.	मध्य प्रदेश	60.00	25.60	5.42	0.00	0.00	1.24
13.	महाराष्ट्र	60.00	31.30	25.50	13.33	0.87	19.25
14.	मणिपुर	3.00	1.98	2.20	1.66	2.20	0.92
15.	मेघालय	—	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	—	0.51	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उडीसा	12.79	32.64	9.08	65.33	0.00	11.43
19.	पंजाब	21.20	46.00	—	—	—	—
20.	राजस्थान	58.87	28.95	23.81	18.14	0.00	0.00
21.	सिक्किम	—	0.72	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1.62	21.97	47.40	49.80	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	—	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	62.00	775.00	130.26	259.64	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	29.00	90.00	3.76	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य	471.92	1401.68	346.69	512.44	35.49	35.52
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.16	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	473.08	1402.60	346.69	512.44	35.49	35.52

विवरण-III

'वृहद एवं मध्यम' सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा अलग-अलग सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता और 1994-95 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में विभिन्न कार्यकलापों की उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता		कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां			
		वृहद एवं मध्यम	लघु	फील्ड चैनल	वाराबंदी	भूमि समतलन	खेत नालियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	98.04	27.87	1.19	14.89	3.26	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	10.50	12.00	0.95	0.00	0.00	1.17

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	33.00	40.00	0.00	0.17	0.00	0.00
5.	गोआ	0.53	0.38	0.77	1.50	0.04	0.01
6.	गुजरात	28.34	21.59	8.19	6.34	0.05	0.00
7.	हरियाणा	8.00	10.90	44.17	13.72	0.63	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.25	1.62	0.10	0.80	0.00	0.56
9.	जम्मू व कश्मीर	0.50	2.70	2.06	16.00	1.78	1.36
10.	कर्नाटक	83.17	23.00	9.43	18.30	0.00	0.01
11.	केरल	61.32	19.55	19.45	13.27	0.33	0.00
12.	मध्य प्रदेश	72.00	20.00	0.27	0.00	0.00	15.69
13.	महाराष्ट्र	60.00	31.50	27.42	15.18	0.00	0.00
14.	मणिपुर	5.70	2.42	1.31	1.99	0.00	0.00
15.	मेघालय	—	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	—	0.53	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	0.65	0.00	0.00	0.00	5.84
18.	उड़ीसा	18.56	48.26	6.73	71.26	0.00	0.00
19.	पंजाब	27.52	28.70	—	—	—	—
20.	राजस्थान	67.37	21.67	34.52	31.31	2.21	0.00
21.	सिक्किम	—	0.63	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	0.58	14.50	40.16	59.60	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	—	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	54.00	1072.00	94.12	241.73	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	41.38	100.00	4.77	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य	670.76	1508.87	304.11	506.14	8.30	24.64
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	671.76	1510.31	304.11	506.14	8.30	24.64

विवरण-IV

'वृहद एवं मध्यम' सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा अलग-अलग सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता और 1992-93 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में विभिन्न कार्यकलापों की उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता		कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां			
		वृहद एवं मध्यम	लघु	फील्ड चैनल	बाराबंदी	भूमि समतलन	खेत नालियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	120.80	31.62	1.17	14.53	4.20	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	9.00	10.00	1.67	1.13	0.00	0.82
4.	बिहार	50.00	200.00	0.84	2.34	0.00	0.00
5.	गोआ	0.96	0.34	1.45	1.69	0.03	0.00
6.	गुजरात	33.00	21.80	10.31	20.45	0.15	0.18
7.	हरियाणा	10.00	10.00	34.27	21.82	1.05	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.26	1.60	0.69	2.01	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.40	2.40	3.82	31.00	1.18	1.43
10.	कर्नाटक	99.85	24.00	30.15	8.93	27.13	1.00
11.	केरल	63.00	20.00	28.50	15.20	0.11	0.00
12.	मध्य प्रदेश	74.40	30.00	6.04	0.00	0.00	1.51
13.	महाराष्ट्र	58.00	33.40	28.43	15.06	0.85	25.02
14.	मणिपुर	10.00	2.50	2.45	1.87	2.30	1.19
15.	मेघालय	—	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	—	0.53	—	—	—	—
17.	नागलैंड	—	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	44.14	38.00	10.12	73.82	0.00	14.85
19.	पंजाब	37.30	17.23	—	—	—	—
20.	राजस्थान	66.67	21.00	24.31	20.49	0.00	0.00
21.	सिक्किम	—	0.80	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2.18	14.50	52.55	56.27	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	—	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	53.36	1000.00	144.03	293.39	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	47.43	100.00	4.19	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य	722.75	1586.17	385.00	580.00	37.00	50.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	773.73	1580.13	385.00	580.00	37.00	50.00

विवरण-V

'वृहद एवं मध्यम' परियोजनाओं, लघु सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर कुल परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 (वास्तविक)	1993-94 (वास्तविक)	1994-95 (संशोधित परिव्यय)	1995-96 (अनुमोदित परिव्यय)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	421.66	498.19	495.19	1147.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.61	13.09	15.30	17.12
3.	असम	69.86	64.83	67.82	72.28
4.	बिहार	225.77	180.68	195.56	508.81
5.	गोआ	27.54	21.45	32.91	35.18
6.	गुजरात	463.19	493.34	596.06	595.23
7.	हरियाणा	116.82	130.40	147.81	238.36
8.	हिमाचल प्रदेश	24.60	20.25	27.07	29.76
9.	जम्मू व कश्मीर	34.63	33.98	40.82	44.55
10.	कर्नाटक	353.16	524.66	504.16	872.90
11.	केरल	104.76	134.56	148.50	159.00
12.	मध्य प्रदेश	451.64	459.59	358.33	442.24
13.	महाराष्ट्र	704.55	875.02	867.23	1016.36
14.	मणिपुर	25.10	32.40	36.34	47.24
15.	मेघालय	7.74	5.62	4.68	10.50
16.	मिजोरम	2.64	2.68	2.45	2.52
17.	नागालैंड	2.51	3.97	2.25	3.50
18.	उडीसा	246.10	217.97	248.65	295.79
19.	पंजाब	59.40	73.53	121.27	135.64
20.	राजस्थान	258.58	282.61	380.86	470.76
21.	सिक्किम	2.10	2.04	2.04	2.41
22.	तमिलनाडु	117.38	124.48	132.03	134.24
23.	त्रिपुरा	15.02	10.20	8.25	10.30
24.	उत्तर प्रदेश	371.11	375.17	366.17	447.09
25.	पश्चिम बंगाल	96.37	142.47	111.35	124.00
	कुल राज्य	4213.94	4923.18	4913.10	6863.67
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	9.92	8.06	9.52	9.20
	कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4223.86	4931.24	4922.62	6872.87
	केन्द्र सेक्टर	151.39	217.52	190.29	229.50
	कुल योग	4375.25	5148.76	5112.91	7102.37

|अनुवाद|

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

2782. श्री अमर रायप्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंगलादेश में "इंडियन एनक्लेव्स" में रह रहे भारतीय नागरिकों की परिस्थितियों और इन नागरिकों को मताधिकार प्रदान किए जाने संबंधी मुद्दे पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या उक्त आयोग इन भारतीय नागरिकों की अभी तक मानवाधिकारों से वंचित रखे जाने के कारणों की भी जांच कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ) दिनांक 3 जून, 1995 की एक शिकायत में संसद सदस्य श्री अमर रायप्रधान ने, बंगलादेश में इंडियन एनक्लेव्स में रह रहे भारतीय नागरिकों की समस्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ध्यान में लाई है। चूंकि ये समस्याएं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हैं, इसलिए आयोग ने यह मामला सभी संबंधितों के साथ उठाया है।

|हिन्दी|

मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं

2783. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर छत्तीसगढ क्षेत्र में डाक एवं दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) **डाक सेवाएं**: समूचे मध्य प्रदेश में सामान्यतया और विशेष रूप से छत्तीसगढ क्षेत्र में डाक सेवाएं संतोषजनक है।

दूरसंचार सेवाएं : दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक हैं।

(ख) **डाक और दूरसंचार सेवाएं** : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) **डाक सेवाएं** : प्रचालनात्मक कमियों को समुचित हस्तक्षेप करके दूर किया जाता है। सेवाओं में और अधिक सुधार करने के लिए 13 काउंटरों पर बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं तथा और अधिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मनीआर्डरों के लिए रायपुर प्रधान डाकघर में वी–सेट पारेषण सुविधा मुहैया की जा चुकी है, जिससे हाईब्रिड मेल सेवा की सुविधा का लाभ भी उठाया जा सकता है। पांच नए डाकघर भवनों का निर्माण किया गया है और फ्रंट आफिस कार्यकलापों में सुधार किया जा रहा है।

दूरसंचार सेवाएं : छत्तीसगढ क्षेत्र में सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान इसके विभिन्न जिलों में 47,800 टेलीफोन लाइनें और 2495 ग्रामीण पब्लिक टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना है। । दिसम्बर, 1995 तक इस क्षेत्र में 3680 टेलीफोन लाइनें और 35 ग्रामीण पब्लिक टेलीफोन पहले ही मुहैया कराये जा चुके हैं।

एल.पी.जी. एजेंसियों तथा पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए सर्वेक्षण

2784. श्री काशीराम राणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कब तक किन–किन स्थानों पर डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा एल० पी० जी० की डीलरशिप अथवा खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन के लिए सर्वेक्षण अथवा आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है;

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा किन–किन स्थानों के लिए डीलरशिप अथवा बिक्री केन्द्रों के आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है, और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा सर्वेक्षण कार्य कब से शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोलना एक सतत् प्रक्रिया है। बाजार सर्वेक्षण के आधार पर स्थानों की पहचान की जाती है, इन्हें विपणन योजना में सम्मिलित किया जाता है और तेल चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए इनके संबंध में समय–समय पर विज्ञापन दिए जाते हैं। तदनुसार गुजरात की 1993-94 की विपणन योजना में विभिन्न स्थानों के लिए 76 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 4 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों और 1994-96 की विपणन योजना में 64 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को सम्मिलित कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

ग्रामीण गरीबों के लिए कार्यक्रम

2785. श्री छेदी पासवान : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास संबंधी अधिकांश कार्यक्रमों का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे बृहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस.) गरीब व्यक्तियों तक पहुंच रहे है। पिछले चार वर्षों के दौरान इन कार्यक्रम के वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान बृहत गरीबी उन्मूलन योजना के तहत वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	1992-93		1993-94		1994-95 (अनंतिम)		1995-96 (अनंतिम)	
		कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल आवंटन	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आई.आर.डी.पी.	662.22	693.08	1093.43	956.65	1098.22	995.26	1097.21	246.57*
2.	जे.आर.वाई.	3169.05	2709.59	3191.22	3590.21	3498.72	3359.88	4044.97	1352.50**
3.	आई.जे.आर.वाई.	–	–	878.20	288.50	878.20	908.45	500.00	311.12**
4.	ई.ए.एस.	–	–	548.77 #	183.75	1410.25#	1235.45	973.01#	552.11#

* सितम्बर, 1995 तक

** अक्तूबर, 1995 तक

केन्द्रीय राशि + राज्य का समानुपाती हिस्सा

वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान भौतिक निष्पादन

		1992-93		1993-94		1994-95 (अनंतिम)		1995-96 (अनंतिम)	
	कार्यक्रम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आई.आर.डी.पी. (परि.की सं.)	18.75	20.69	25.70	25.38	21.15	21.82	–	4.77*
2.	जे.आर.वाई. (लाख श्रमदिवस)	7537.95	7921.02	10383.26	9523.45	7997.37	7453.59	8045.80	2791.58**
3.	आई.जे.आर.वाई.	–	–	–	734.95	1868.08	2063.48	1008.95	639.53**
4.	ई.ए.एस. (लाख श्रमदिवस)	–	–	–	494.74	–	2739.56	–	1147.08*

* सितम्बर, 1995 तक

** अक्तूबर, 1995 तक

सिंचाई परियोजनाएं

2786. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गत कुछ वर्षों से उन परियोजनाओं के कार्य जिन पर कार्य चल रहे हैं, को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें आरंभ करने की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए संसद सदस्यों की एक समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति को कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में तेलशोधक कारखाने की स्थापना

2787. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के किसी देश ने केरल में संयुक्त उद्यम के रूप में तेलशोधक कारखाने की स्थापना करने के लिए सरकार से सम्पर्क किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुवैत सरकार ने भी केरल मे तेल शोधक कारखाना लगाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं और परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ङ) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) भारत मे एक ग्रासरूट रिफाइनरी खोलने के लिए कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड के साथ गठबंधन बनाने के लिए कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन और आबू धाबी नेशनल आयल कंपनी ने रूचि दिखाई है। विचार–विमर्श प्रारम्भिक चरण में है।

देश में कोयले की मांग तथा आपूर्ति

2788. कुमारी क्रिडा तोपनो : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न स्तरों वाले कोयले के उत्पादन की घरेलू क्षमता कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में कोयले की मांग तथा इसकी आपूर्ति के बीच का अंतर क्या था;

(ग) देश के विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में कोयले की बढती मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में सीमेंट फैक्ट्रियों तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा कोयले की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रयोजन से कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा ग्रेड–वार खान क्षमता की संगणना नहीं की जाती है। किन्तु, वर्ष 1994-95 के दौरान हुए कोयले के ग्रेड–वार उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:–

(आकंडे मिलियन टन में)
(आकंडे अनंतिम)

		1994-95
कोककर कोयला		44.25
अ-कोककर		
ग्रेड	ए	4.46
	बी	22.83
	सी	48.46
	डी	29.64
	ई	40.68
	एफ	58.64
	जी	0.05
	ग्रेड रहित	4.80
जोड अ–कोककर		209.56
कुल जोड		253.81

(ख) योजना आयोग द्वारा कोयले की मूल्यांकन की गई अखिल भारतीय मांग और पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए कोयले के वास्तविक उठान को नीचे दर्शाया गया है :–

(आकंड़े मिलियन टन में)
(आकंड़े अनंतिम)

वर्ष	मांग	उठान
1993-94	268.80	252.87
	(6.00)	(2.73)
1994-95	268.50	260.64
	(5.00)	(2.67)

कोष्ठक में दिए गए आकंड़े मिडलिंग्स को दर्शाते हैं।

(ग) कोयला कंपनियां कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा किए जाने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें औद्योगिक उपभोक्ता भी शामिल हैं और यह प्रयास कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके किए जा रहे हैं। कोयले के उत्पादन में सुधार किए जाने हेतु उठाए गए कदमों में निम्न कदम शामिल हैं– नई खानों का खोला जाना तथा आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, नई प्रौद्योगिकियों को लागू किया जाना और आगतों तथा संरचनात्मक सुविधाओं की समय पर उपलब्धता का सुनिश्चित किया जाना। इसके अलावा, विशिष्ट ग्रहीत प्रयोग के लिए निजी क्षेत्र में कोयले के खनन की अनुमति दी जा रही है। कोयले के आयात का विकल्प भी उपलब्ध है।

(घ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस्पात संयंत्रों तथा सीमेंट फैक्ट्रियों को प्रेषित की गई कोयले की मात्रा नीचे दर्शायी गई है:–

(मिलियन टन में)

(आकडे अनंतिम)

वर्ष	इस्पात संयंत्र*	सीमेंट संयंत्र
1993-94	32.39	10.36
1994-95	34.56	11.12

* आयातित कोयला शामिल है।

दिल्ली में टेलीफोन

2789. श्री शशि प्रकाश : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीने के दौरान दिल्ली में क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जाने के संबंध में संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान दिल्ली में टेलीफोन संस्थापित न किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों की संख्या 188 है।

(ख) 188 शिकयतों में से, 148 टेलीफोनों को संस्थापित कर दिया गया है। शेष 40 निम्नलिखित कारणों से लंबित है।

–	जिनकी अभी बारी नहीं आई	10
–	रजिस्ट्रेशन विवरण नहीं दिए गए	12
–	उपभाक्ताओ के कारण (अनुरोध)	01
–	मामले पर प्रक्रिया चल रही है/ कार्य प्रगति पर है।	09
–	तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है (फरवरी, 1996 तक हो जाने की संभावना है)।	07
–	अवास्तविक मामला	01

(ग) माननीय ससद सदस्यों से प्राप्त पत्रो से संबंधित सभी मामलों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है और जहां भी व्यवहार्य हो, प्राथमिकता आधार पर शीघ्र संस्थापना की जाती है।

तकनीकी रुप से अव्यवहार्यता अथवा अन्य किन्हीं कारणों से टेलीफोन की संस्थापना न हो पाने की स्थिति में उचित सूचना माननीय संसद सदस्यों/ग्राहकों को दी जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

2790. श्री अनादि चरण दास : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक सरकार द्वारा इन सगठनों को सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन स्वयंसेवी संगठनों पर कोई नियंत्रण रखा जाता है; और

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के कारण कितने गैर सरकारी सगठनों को सहायता अनुदान देना बंद किया गया और कितनी बार इनकी जाच पडताल की गयी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह अनुदान परियोजना की कुल लागत के प्रायः 90 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होता है। शेष 10 प्रतिशत संगठन द्वारा वहन किया जाता है। इन दो योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की प्रकृति से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

यर्तमान वित्त वर्ष में अभी तक अनुसूचित जातियों के लिए 655 लाख रुपए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 281 लाख रुपए की राशि संगठनों को अनुदान में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष की दूसरी किश्त लेखा परीक्षित लेखे और राज्य सरकार/राष्ट्रीय आयोग या मंत्रालय के अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, वित्तीय अनियमितताओं के कारण किसी स्वैच्छिक संगठन को अनुदान रोकने का कोई मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

कल्याणकारी योजनाओं के ब्यौरे

1. टंकण और आशुलिपि, प्रशिक्षण केन्द्र
2. कम्प्यूटर यूनिट
3. अवासीय स्कूल
4. गैर अवासीय स्कूल
5. होस्टल
6. बालवाडिया/क्रेचे
7. सचल चिकित्सा एकक

8. 10 बिस्तरों का अस्पताल/डिस्पेंसरी
9. पुस्कालय
10. श्रव्य–दृश्य यूनिट (केवल आदिवासी के लिए)
11. शिल्प केन्द्र
12. टी. वी./वी. सी. आर. मुरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र
13. हीरा तराशना
14. यर्म शिल्प में प्रशिक्षण
15. कर्मशाला एवं हल्के वाहन चालक केन्द्र
16. कागज शिल्प
17. गृह कार्य प्रशिक्षण केन्द्र
18. कताई और बुनाई
19. वाणिज्यिक कला और चित्रकारी
20. बढ़ईगिरी
21. फोटोग्राफी
22. छपाई और अक्षर योजन

आयल सेलेक्शन बोर्ड

2791. डा० वसंत पवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कितने आयल सेलेक्शन बोर्ड कार्यरत हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन आयल सेलेक्शन बोर्डों की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आज की तारीख में, देश में 14 तेल चयन बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (ग) 1993-94 तथा 1994-95 के वर्षों के दौरान तेल चयन बोर्डों ने 2135 बैठकें की थीं।

[हिन्दी]

कोयले की खानें

2792. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषतः गुजरात में कोयले की खानों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों की खानवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में 30 सितम्बर, 1995 तक कोयले के उत्पादन की कुल मात्रा राज्यवार और खानवार कितनी है;

(ग) वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 में इन खानों के लाभों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खान श्रमिकों के कल्याण हेतु किन–किन योजनाओं को शुरू किया गया तथा इससे राज्यवार/क्षेत्रवार कितने श्रमिक लाभान्वित हुए?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) और इसकी सहायक कंपनियों में कामगारों के कल्याण को उतना ही महत्व तथा ध्यान दिया जा रहा है जितना कि उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा को दिया जा रहा है। कोयला कंपनिया, कोयला खनिकों के जीवन–स्तर में सुधार किए जाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं जिन पर प्रबंधन का अधिक ध्यान गया है, वे निम्न हैं :– आवास, जलापूर्ति तथा शिक्षा के अलावा, चिकित्सा देखरेख कोयला क्षेत्रों में सामान्य पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की परिस्थितियों में सुधार किए जाने पर भी बल दिया जा रहा है। अतः 3,83,520 आवासों को मुहैया किया गया है, 1322 शैक्षणिक संस्थानों को चलाया जा रहा है और 312 सहकारी समितियां/भंडारों को कोयला क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जोकि खनिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत कुल 22,57,777 व्यक्तियों को लाया गया है।

विवरण

कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) द्वारा देश में चलाई जा रही कोयला खानों को राज्य–वार ब्यौरा, कंपनी–वार नियोजित किए गए कामगारों की संख्या, वर्ष 1992-93 से 1995-96 (30 सितम्बर, 1995) की अवधि में को.इ.लि. तथा सिं.को.क.लि. में उत्पादित किया गया कोयला और मार्च, 1995 को समाप्त पिछले 2 वर्ष की अवधि के दौरान कंपनी–वार लाभ तथा हानि की स्थिति।

राज्य	ईकोलि	भाको कोलि	सेको लि	नाको लि	वेको लि	साई कोलि	मको लि	नाई को	सिंको कंलि.	केखाआ डिसंलि	जोड़
पश्चिम बंगाल	108	3	–	–	–	–	–	–	–	–	111
बिहार	19	90	74	–	–	–	–	–	–	–	183

मध्य प्रदेश	–	–	–	6	39	91	–	–	–	–	136
उत्तर प्रदेश	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4
महाराष्ट्र	–	–	–	–	49	–	–	–	–	–	49
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	20	–	–	–	20
असम	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	6
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	71	–	71
जोड :	127	93	74	10	88	91	20	7	71	–	581
31.3.95 की 1,63,805	1,49,972	94,404	16,298	84,309	98,371	22,642	4,894	1,14,521	4,096		
स्थिति के अनुसार नियोजित कामगारों की सं.											
उत्पादन (मि.टन में)											
1992-93	24.05	28.06	32.42	30.70	25.75	46.04	23.14	1.10	22.51	–	
1993-94	22.61	29.04	33.51	31.41	26.50	47.53	24.30	1.20	25.20	–	
1994-95	24..85	28.75	31.12	32.50	27.24	50.00	27.33	1.19	25.65	–	
1995-96	11.22	12.07	11.92	13.98	12.01	22.93	14.05	0.35	10.85	–	
(9/95 तक)											
कंपनियों द्वारा कमाया गया लाभ/उठाई गई हानि											
1993-94	– 70.40	+21.56	+ 62.06	+ 225.23	+ 31.59	+139.84	+21.27	+2.64	+16.26	+2.64	
1994-95	– 108.47	– 154.63	–118.96	+190.80	+71.57	+91.78	+68.01	+2.77	+24.99	+2.77	

[अनुवाद]

धार्मिक अल्पसंख्यक

2793. श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली जनगणना के आंकड़ों की तुलना में धार्मिक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उनकी जनसंख्या में कोई गिरावट/वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। 1981-1991 की जनगणना के बीच दशकीय भिन्नता के आधार पर 36 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सभी पांच अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या में 33.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पांच जिलों अर्थात, सहारनपुर, बस्ती, कन्नापुर, पूर्णिया और जैसलमेर में उक्त दशक के दौरान अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में ह्रास दर्ज किया गया है।

विवरण

जिले का नाम		अल्पसंख्यकों की जनसंख्या		
		1981 की जनगणना	1991 की जनसंख्या	वृद्धि/कमी
1		2	3	4
	उत्तर प्रदेश			
1.	रामपुर	607807	781455	173648
2.	बिजनौर	790525	1033201	242676
3.	मुरादाबाद	1215106	1778759	563655
4.	सहारनपुर	880731	851719	29012(-)
5.	मुजफ्फरनगर	665175	998640	337065
6.	मेरठ	721052	992178	277126
7.	बहराइच	560013	837644	277631
8.	गोंडा	638620	912009	273389

	1	2	3	4
9.	गाजियाबाद	402676	597869	195193
10.	पीलीभीत	254358	362999	108641
11.	देओराई	725926	902217	176291
12.	बाराबंकी	408300	527602	149302
13.	बस्ती	731700	463534	268166(-)
	पं० बंगाल			
14.	मुर्शिदाबाद	2173408	2917382	743974
15.	माल्दा	924283	1257657	333374
16.	वेस्ट दीनाजपुर	881927	1170484	288557
17.	बीरभूम	656420	849446	1993026
18.	नादिया	734721	987285	252564
19.	24–परगानास (नार्थ)	2630709	3547615	916906
20.	24–परगाना (साऊथ)			
21.	कोच बिहार	379799	508763	128964
22.	होवरे	606248	836114	229866
	केरल			
23.	मालापुरम	1631207	2158186	526979
24.	कोजीकोड	869954	1070635	200681
25.	कन्नानोर	988013	833083	154980(-)
26.	पालघाट	549491	701304	151823
27.	वयानाद	271602	331122	59520
	बिहार			
28.	पुर्निया	1499434	650749	848685(-)
29.	कटिहार	531024	731230	200206
30.	दरभंगा	433930	555794	121864
	कर्नाटक			
31.	बीदर	229822	326606	96784
32.	गुलबरगा	360987	462016	101029
33.	बीजापुर	309105	395105	85996
	महाराष्ट्र			
34.	ग्रेटर बम्बई	2188158	2745489	557331
35.	औरंगाबाद	607850	616490	8640
	आन्ध्र प्रदेश			
36.	हैदराबाद	884156	1321142	436986
37.	कुरनौल	477616	535465	57849
	हरियाणा			
38.	गुड़गांव	266449	398986	132537
	मध्य प्रदेश			
39.	भोपाल	236485	361460	124975
	राजस्थान			
40.	जैसलमेर	169094	84218	84876(-)
	गुजरात			
41.	कगहाह	199453	252475	53022

जामरानी नदी पर बांध का निर्माण

2794. श्री बलराज पासी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हल्दवानी जिले में जामरानी नदी पर एक बांध के निर्माण की योजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लंबित है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 61.25 करोड़ रुपए वाली जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को मूलतः मई, 1975 में अनुमोदित किया गया था। संशोधित अनुमान केन्द्रीय जल आयोग में अप्रैल, 1986 में प्राप्त हुए और सलाहकार समिति द्वारा मई, 1989 में 144.84 करोड़ रुपए की लागत पर इस शर्त पर स्वीकार्य पाए गए कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाएं, कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाएं, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियां प्राप्त किए जाएं, भूजल उपयोग के संयुक्त उपयोग के लिए कार्यक्रम तैयार की जाएं और राज्य सरकार द्वारा विद्युत की हिस्सा लागत का आबंटन और लाभ लागत अनुपात का पुनः परिकलन किया जाए।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

2795. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति कर्मचारी कोयला–उत्पादन की मात्रा स्थिर है अथवा उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कंपनियों सहित खानों की कुल कितनी संख्या है;

(घ) इनमें से भूमिगत खान और खुली मुहाने वाली खान कितनी–कितनी हैं;

(ड.) भूमिगत खानों और खुली मुहाने वाली खानों से अलग–अलग प्रति टन उत्पादन लागत कितनी है;

(च) क्या कुछ ऐसी कोयला खानें हैं जिनमें 1995-2000 की अवधि के दौरान कोयला भंडार का पूर्ण दोहन हो जायेगा और उन्हें बंद कर दिया जायेगा; और

(छ) 1995-2000 की अवधि के दौरान किन–किन नई खानों से कोयला निकाला जाएगा और वे कहां–कहां स्थित हैं तथा ऐसी प्रत्येक कोयला खान की क्षमता क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) में उत्पादकता के रूप में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन की प्रगामी रूप में वृद्धि हो रही है। कोल इंडिया लि० में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादकता वर्ष 1992-93 की 1.46 टन से बढ़कर 1994-95 में 1.63 टन हो गई।

(ग) से (घ) वर्तमान में को.इं.लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों में 510 खानें कार्यरत हैं, जिनमें से 329 भूमिगत खानें हैं तथा 144 ओपनकास्ट खाने हैं और 37 खानें ओपनकास्ट तथा भूमिगत दोनों स्वरूप की हैं।

(ड.) को.इं.लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार 1994-95 की अवधि के दौरान औसत उत्पादन लागत भूमिगत खानों के लिए 781.80 रु० प्रति टन और ओपनकास्ट खानों के लिए 252.89 रु० प्रति टन रही है।

(च) जी, हां।

(छ) कंपनी–वार नई कोयला खानों की संख्या सहित उनकी उपयोगिता क्षमता, जिन खानों में 1995-2000 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन शुरू होने की संभावना है, उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कंपनी	खान का नाम	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्थान
1	2	3	4
ईकोलि	खोटाडीह ओ.का.	1.10	पश्चिम बंगाल
	राजमहल विस्तार	4.00	बिहार
	शंकरपुर	0.24	पश्चिम बंगाल
	चित्रा वेस्ट ओ.का.	0.70	बिहार
भाकोकोलि	धानूडीह विस्तार ओका	0.56	बिहार
	ब्लाक–III ओ.का.	0.45	बिहार
	साउथ तिसरा विस्तारा	0.45	बिहार
	तेतूलमारी औग.	0.48	बिहार
	मुरईडीह विस्तार	0.97	बिहार
	प्रभातपुर	0.18	बिहार
	सेन्दरा हंसजोरा औग.	0.24	बिहार
सेकोलि	हिन्दगिर ओ.का.	0.78	बिहार
	कथारा ओ.का.आर.ओ.	1.80	बिहार
	मोनटिको ओ. का.	0.40	बिहार
	झारखंड ओ. का.	0.50	बिहार
	केडला ईपीआर ओ. का.	1.30	बिहार
	टोपा ओ. का. आर. ओ.	1.05	बिहार
	रेलीगारा ओ. का.	0.50	बिहार
	नार्थ उरीमरी ओ. का.	3.00	बिहार
	अशोका विस्तार	5.00	बिहार
	के.डी.,ई.पी.आर.	3.00	बिहार
वेकोलि	गोंडेगांव ओ. का.	0.75	महाराष्ट्र
	विरूर	0.32	महाराष्ट्र
	पौनी	0.50	महाराष्ट्र
	निरगुडा	0.50	महाराष्ट्र
	उरधान	0.70	मध्य प्रदेश
साईकोलि	चुर्चा वेस्ट पी.एस.एल.डब्लू.	0.65	मध्य प्रदेश
	न्यू कुम्दा पी.एस.एल.डब्लू.	0.60	मध्य प्रदेश
	दीपीका विस्तार ओ.का.	7.00	मध्य प्रदेश
	बगदेवा भू.ग.	0.20	मध्य प्रदेश
	केसला भू.ग.	0.18	मध्य प्रदेश
	सरईपल्ली 1/2 भू.ग.	0.18	मध्य प्रदेश
	सरईपल्ली 3/4 भू.ग.	0.18	मध्य प्रदेश
	सरईपल्ली ओ.का.	0.50	मध्य प्रदेश

	कुसमुंडा सैक–I	6.00	मध्य प्रदेश
	गेवरा सैक –II	10.00	मध्य प्रदेश
नाकोलि	निगाही विस्तार	3.80	मध्य प्रदेश
	बीना–II	1.80	उत्तर प्रदेश
	ब्लाक "बी"	3.00	मध्य प्रदेश

[अनुवाद]

जेनेवा में टेलेकॉम '95

2796. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अक्तूबर, 1995 में जेनेवा में आयोजित टेलीकॉम, '95 में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो टेलीकॉम '95 प्रदर्शनी में भारत के पैवेलियन की क्या विशेषताएं थी;

(ग) क्या प्रचार माध्यमों ने भारत के पैवेलियन को अन्य देशों के पैवेलियन और प्रदर्शनियों की तुलना में आकर्षक न बताकर खानापूरी मात्र बताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या टेलीकॉम, '95 में "बैरियर्स टू ग्लोय कनवर्जेंस" विषय पर कोई गोलमेज बैठक हुई थी, जिसमें अन्य देशों के दूरसंचार विशेषज्ञों के साथ उन्होंने भी भाग लिया था और भाषण दिया था; और

(च) यदि हां, तो भारत को दूरसंचार सेवाओं में उदारीकरण के बारे में उनके भाषण की प्रमुख बातें और अन्य प्रतिभोगियों द्वारा इस संबंध में व्यक्त किए गए विचारों संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार उत्पादों व प्रदत्त सेवाओं सहित भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की विशेषताएं उल्लिखित की गई थीं।

(ग) ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

(ड.) जी हां। गोल मेज बैठक हुई थी, किन्तु कोई औपचारिक वक्तव्य नही दिया गया था।

(च) दूरसंचार अवसंरचनाओं में उल्लेखनीय सुधार लाने हेतु, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय उजागर किए गए थे। विकसित व विकासशील देशों के बीच दूरसंचार–विकास की विषम गति, सार्वभौम अभिसरण के परिप्रेक्ष्य में दूरसंचार के विस्तार व आधुनिकीकरण हेतु संसाधन जुटाने की समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया था। प्रदर्शनी में शामिल अन्य राष्ट्रों ने भारतीय प्रयासों के प्रति गहरी रूचि जताई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

2797. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को विभिन्न स्तरों पर मैट्रिक पूर्व मासिक छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि दी जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसतन, राज्यवार, कितने छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी गई;

(ग) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रतिमाह मैट्रिक करने के पश्चात् छात्रवृत्ति की कितनी राशि दी जाती है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औसतन राज्यवार कितने छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी गई है; और

(ड.) छात्रवृत्ति की राशि की पिछली बार पुनरीक्षा किस वर्ष की गई थी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की कोई केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृति की वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, शुष्क शौचालयों के सफाई कर्मचारियों, चर्म शोधकों, चमडा उतारने वाले तथा झाड़ू लगाने वालों के बच्चों, जिनका सफाई कार्य से पारम्परिक सम्बन्ध है, उनके धर्म का विचार न करते हुए, शामिल किए गए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में से पात्र छात्र भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें नीचे दी गई है :–

छात्रावास में रहने वाले

कक्षा 3 से 8	200/- रु. प्रतिमाह
कक्षा 9 से 10	250/- रु. प्रतिमाह

दिवा छात्र

कक्षा 1 से 5	25/- रु. प्रतिमाह
कक्षा 6 से 8	40/- रु. प्रतिमाह
कक्षा 9 से 10	50/- रु. प्रतिमाह

500 रु० का तदर्थ वार्षिक अनुदान भी छात्रावास में रहने वालों तथा दिवा छात्रों के लिए स्वीकार्य है।

(ख) अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ प्राप्तकर्ताओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकार्य समूहवार अनुरक्षण भत्ते की दरें नीचे दी गई हैं :–

(अनुरक्षण भत्ते की दरें) रुपयों में प्रति

समूह	छात्रावास में रहने वाले	दिवा छात्र
(क) डिग्री स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम	280	125
(ख) व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमा	190	125
(ग) तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा, सामान्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	190	125
(घ) स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम, 2 वर्ष और आगे	175	90
(ङ.) 10+2 स्तर पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर पाठ्यक्रम का पहला वर्ष	115	65

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभप्राप्तकर्त्ताओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ.) अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, छात्रावास में रहने वालों के लिए छात्रवृत्ति की राशि को पिछली बार 1.4.1986 से संशोधित किया गया था तथा दिवा छात्रों को पहली बार 1.11.1991 से शामिल किया गया था।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ता की दरें पिछली बार 1.7.1989 से संशोधित की गई थी।

विवरण-I

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 वर्ष–वार लाभ	1993-94 प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या	1994-95 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5252	4423	6725
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	7300	7505	15821
4.	गुजरात	5050	8085	22000
5.	हरियाणा	100	6317	8750
6.	हिमाचल प्रदेश	1990	1116	1477
7.	जम्मू एंड कश्मीर	Nil	73	1432
8.	कर्नाटक	741	562	1178
9.	केरल	941	608	900
10.	मध्य प्रदेश	38292	41840	50640
11.	महाराष्ट्र	3603	4188	9020
12.	उड़ीसा	1356	543	1490
13.	पंजाब	1981	11252	11410
14.	राजस्थान	4500	13040	21420
15.	सिक्किम	शून्य	शून्य	131
16.	तमिलनाडु	3828	5085	9986
17.	त्रिपुरा	2985	2907	3030
18.	उत्तर प्रदेश	18103	20313	40513
19.	पश्चिम बंगाल	39	शून्य	549
20.	दिल्ली	3113	1680	2546
	कुल :	99254	130715	209018

विवरण-II

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 वर्षवार लाभ	1993-94 प्राप्तकर्ताओं की संख्या	1994-95 (अनंतिम)
1.	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,42,383	1,31,524	1,44,667
2.	असम	36,464	13,640	1,99,489
3.	बिहार	1,89,474	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	गोवा	125	135	130
5.	गुजरात	1,29,240	1,49,021	1,59,798
6.	हरियाणा	12,077	12,304	13,068
7.	हि. प्र.	4,015	3,947	3,981
8.	जम्मू और कश्मीर	2,301	3,709	4,106
9.	कर्नाटक	1,02,080	1,09,457	1,27,384
10.	केरल	44,992	40,304	42,914

1	2	3	4	5
11.	म. प्र.	1,22,533	1,36,831	1,44,956
12.	महाराष्ट्र	2,06,258	2,31,560	2,76,779
13.	मणिपुर	9,750	11,868	13,175
14.	मेघालय	10,088	12,644	15,380
15.	मिजोरम	9,920	14,533	19,686
16.	नागालैंड	11,689	12,998	16,713
17.	उडीसा	38,558	40,720	41,970
18.	पंजाब	17,697	17,705	20,694
19.	राजस्थान	52,869	58,118	64,034
20.	सिक्किम	127	138	295
21.	तमिलनाडु	1,12,322	1,43,487	1,50,660
22.	त्रिपुरा	7,269	8,235	10,325
23.	उ. प्र.	1,74,548	2,43,826	1,58,347
24.	पं० बंगाल	82,950	91,147	1,22,025
25.	दमन और दीव	175	154	200
26.	दादर और नगर हवेली	657	645	683
27.	दिल्ली	8,734	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28.	पांडिचेरी	1,346	1,490	1,761
29.	अंडमान और निकोबार	175	103	128
30.	गुवाहाटी प्रोजेक्ट	64	71	120
	कुल :	15,30,880	14,90,316	17,53,476

कानपुर में बिगड़ती स्थिति

2798. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अगस्त, 1994 के हिंदी "दैनिक जागरण" में "सुधार गृहो, में पेट भर खाना तक नसीब नहीं" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कानपुर के बालसदन, किशोर गृह, बाल सुधार गृह, ब्रदर होम तथा महिला आश्रम की स्थिति/इनमे उपलब्ध सुविधाओ का स्तर गिरता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; ओर

(ड.) इन संस्थाओं की स्थिति में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु धनराशि

2799. श्री राम टहल चौधरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों हेतु धनराशि प्रदान करके सरकारी तंत्र को सक्रिय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सरकार ने 1995-96 के बृहत ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में पिछले वर्षो की तुलना में केन्द्रीय परिव्यय में यथेष्ट रूप से बढ़ोत्तरी की है। पिछले चार वर्षों में की गई बढ़ोत्तरी निम्नानुसार है :–

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम*

	केन्द्रीय परिव्यय (करोड़ रुपये)
1992-93	2938.44 (वास्तविक)
1993-94	4405.99 (वास्तविक)
1994-95	5351.00 (संशोधित अनुमान)
1995-96	6088.00 (अनुमोदित)

* गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना व रोजगार आश्वासन स्कीम शामिल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बृहत बांध परियोजनाएं

2800. श्री अन्ना जोशी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण समर्थकों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण बृहत बांध परियोजनाओं में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विलंब और लागत वृद्धि को रोकने हेतु आंदोलन संबंधी अड़चनों को समाप्त करने की दृष्टि से कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (घ) पुनर्वास और पुर्नस्थापना संबंधी पहलुओं के आधार पर भारत में बडे बांधों के विरोध में कुछ मामले सामने आये है। तथापि, मात्र इस

आन्दोलन के कारण परियोजनाओं के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। ऐसी परियोजनाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के समय पर्यावरणीय और पुनर्वास/पुनर्स्थापना विषयों से संबंधित कई प्रशासकों को उनका अभिन्न अंग बना दिया गया है।

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई

2801. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री राजपाल सिंह :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने की कच्चे तेल की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तेलशोधक कारखाने की कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) बरौनी रिफाइनरी की क्षमता 3.3 मि. मी.टन प्रति वर्ष है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से कच्चे तेल की उपलब्धता, जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बरौनी रिफाइनरी को क्रूड की आपूर्ति बढाने के लिए हल्दिया से बरौनी तक एक क्रूड पाइप लाइन बिछाने के लिए आई.ओ.सी. ने सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। निवेश अनुमोदन हेतु उक्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। फिलहाल रेल टैंक वैगनों में हल्दिया से बरौनी रिफाइनरी को आयातित कच्चे तेल की एक सीमित मात्रा की आपूर्ति की जा रही है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना

2802. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 नवम्बर, 1995 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "नेशनल मीडिया पालिसी रिमेन्स ए पाइपड्रीम" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मीडिया नीति पर एक सैद्धान्तिक/व्यावहारिक दस्तावेज तैयार करने के लिए स्थापित की गई इस मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की उपसमिति का कार्यकाल 15 फरवरी, 1996 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार प्रसार भारतीय (भारतीय प्रसारण निगम), अधिनियम, 1990 में परिकल्पित निगम के प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है जो विश्व के इस भाग में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह के कारण तेजी से बदलते हुए प्रसारण परिदृश्य की दृष्टि से आवश्यक है। इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ड.) फिलहाल, कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती हैं।

[अनुवाद]

कोयला के संबंध में चीन के दल का दौरा

2803. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला के संबंध में चीन के दल ने नवम्बर-दिसम्बर, 1995 के दौरान भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस दौरे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीनी दल ने भारत को नवीनतम प्रौद्योगिकी देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ड.) जी, हां। एक 6 सदस्यीय चीन प्रतिनिधि-मण्डल ने उप निदेशक, नीति तथा विधायी विभाग, चीन के कोयला उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में, नवम्बर-दिसम्बर, 1995 के दौरान भारत का दौरा किया जो कि कोयले संबंधी कानून तथा विधायी और भारत में इसके विकास के संबंध में अध्ययन किया। इस दौरे का प्रयोजन मुख्यतः कोयले कानून तथा निम्न के विधायी के संबंध में विनियमन के सामान्य पहलू के रूप में अपने आपको अवगत किया जाना था- क्रियाकलाप, उत्पादन खनन क्षेत्रों का सुधार, क्षति तथा चोट संबंधी मुआवजा, कोयला खानों को सहायता प्रदान किये जाने संबंधी नीति तथा खानों, आदि का संरक्षण।

जल संसाधन के लिए विश्व बैंक की सहायता

2804. श्री शरत पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)- क्या विश्व बैंक हाल ही में उड़ीसा में जल संसाधन समेकीकरण परियोजना को सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में जल संसाधन समेकन परियोजना के लिए विश्व बैंक 194.8 मिलियन एस डी आर (290.9 मिलियन अमेरिकी डालर) लगभग 928 करोड़ रुपए के बराबर सहायता देने पर सहमत हो गया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1403 करोड़ रुपए है। परियोजनावार ब्यौरा देते हुए विवरण संलग्न है।

विवरण

जल संसाधन समेकन परियोजना, उड़ीसा में सम्मिलित की गई उप-परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	घटक का नाम	अनुमानित लागत	अभ्युक्ति
1	2	3	4
I.	**परियोजना पूर्ण करने के घटक**		
1.	रेंगाली सिंचाई (आंशिक)	125.40	
2.	नराज बराज	117.00	
3.	महानदी चित्तोत्पला द्वीप सिंचाई परियोजना	60.10	
4.	बड़ानाला	28.10	
5.	हरिहर जोरे	17.20	
6.	हरभंगी	38.10	
7.	अपर जोंक	38.70	
8.	भगुआ चरण–II	22.20	
	पूरक कार्यक्रम	44.70	
		491.50	
II.	**प्रणाली सुधार एवं कृषकों को सौंपना**		
1.	महानदी डेल्टा चरण–I	16.92	
2.	महानदी डेल्टा चरण–II	36.10	
3.	रूसीकुल्या (मुख्य एवं वितरिका सं० 10)	31.06	
4.	वैतरणी (एच सी सी III)	30.16	
5.	हीराकुड मुख्य एवं बेसिन वितरिका	13.31	
6.	जानीवली अनीकट	33.21	
7.	दादरघाटी	2.01	
8.	पीतमहल	1.54	
9.	ओनली	1.05	
10.	कलो	3.05	
11.	बलाडीहा	1.76	
12.	जयमंगल	5.03	
13.	जयमंगल हेड वर्क्स	1.29	
14.	हीराधर बटी	3.02	
15.	बदाहादो	4.01	
16.	पिलासाकी	1.89	
17.	भास्केल	2.36	
18.	उत्तोइ	4.63	
19.	बुधाबुधियानी	3.25	
20.	पूर्वरा. ज.प्र.परि योजनाएं	30.57	
	जोड़ :	226.60	
III.	जल आयोजन और पर्यावरणीय कारवाई योजना	27.70	
IV.	जल संसाधन अनुसंधान और कृषि तीव्रीकरण	19.20	
V.	संस्थागत सुदृढ़ीकरण	80.40	
VI.	पुर्नस्थापना और पुनर्वास	63.00	
	कुल बेस लाइन लागत	908.40	
	भौतिक आकस्मिकताएं	110.60	
	मूल्य आकस्मिकताएं	384.80	
	कुल परियोजना निवेश लागत	1403.80	

आंध्र प्रदेश में डाक से भेजी जाने वाली सामग्री की डिलीवरी

2805. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में पंजीकृत डाक से भेजी जाने वाली सामग्री की डिलीवरी तथा पंजीकृत पावती रसीदें नहीं भेजे जाने की शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। आन्ध्र प्रदेश डाक सर्किल में पंजीकृत डाक वस्तुओं के वितरण और डाक वस्तु भेजने वालों की पावती देय स्लिप न मिलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान ऐसी 22242 शिकायतें मिली थीं।

(ग) एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में, पंजीकृत डाक वस्तुओं के प्रेषकों को पावती देय कार्डो का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) ऐसी शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है। पत्र प्राप्त करने वाले की रसीद की एक सत्यापित प्रति प्रेषक को निःशुल्क भेजी जाती है;

(ii) पहले से निर्धारित अनुदेश समय–समय पर पुनः जारी किए जाते हैं;

(iii) ऐसे संगठनों के साथ, उनसे पावती कार्ड लेने और भेजने के लिए निकट संपर्क रखा जाता है जो पावती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड पत्र एक मुश्त प्राप्त करते हैं;

(iv) पावती स्लिप कार्डो के फार्मेट और क्वालिटी में परिवर्तन किया गया है।

(v) जहां आवश्यक होता है, पर्यवेक्षण–कार्य में सुधार लाया जाता है।

पश्चिम बंगाल के डिपो में आग

2806. श्री मोहन रावले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24-परगना जिले के बजबज में हाल ही में तेल डिपो में भीषण आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो आग के क्या कारण थे;

(ग) इससे कितनी क्षति हुई है; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या सुरक्षोपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं। परंतु कैप्टन रोड के सामने आई बी पी काल्टैक्स लि. के स्नेहक सम्मिश्रण संयंत्र के सामने ड्रेनेज टैंक क्षेत्र (तालाब) में आग लगी थी।

(ख) से (घ) आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। कंपनी को जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई। परंतु, सुरक्षापाय के रूप में सभी सुरक्षा प्रणालियां और सेवाओं को सतर्क कर दिया गया है।

केबल टी.वी. द्वारा प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन

2807. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केबल टी.वी. अत्यंत लोकप्रिय हो गया है और भारी संख्या में विज्ञापन इसी मीडिया द्वारा प्रसारित होकर जनसाधारण तक पहुंच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की कोई योजना ऐसे वाणिज्यिक विज्ञापनों पर हल्के करों और उपकरों के संग्रह में स्थानीय निकायों की सहायता करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उपरोक्त विषय की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1995 तक देश में 17,604 पंजीकृत केबल आपरेटर थे। तथापि, सरकारें द्वारा विज्ञापनों सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क्स पर संचालित कार्यक्रमों की विषय वस्तु के बारे में कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। यदि कोई राज्य सरकार ऐसे कदम के बारे में विचार कर रही हो तो उसकी भी इसे कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

2808. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में आज की तारीख तक किन–किन स्थानों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं;

(ख) एस.टी.डी. सुविधा युक्त ऐसे कितने एक्सचेंज हैं;

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के और एक्सचेजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी स्थापना कहां–कहां की जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) अद्यतन जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

धारावाहिक अहिल्याबाई

2809. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहिल्याबाई के बारे में एक धारावाहिक बनाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिये गए हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) से (ग) दूरदर्शन ने ऐसे धारावाहिक के आवेदक को डीडी-2 चैनल पर इसके प्रसारण पर विचार करने हेतु एक पायलट प्रस्तुत करने को कहा था। परंतु दूरदर्शन को अभी तक कोई पायलट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

असम/महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाएं

2810. श्री प्रवीन डेका :

श्री अन्ना जोशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम/महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार की क्या स्थिति है;

(ख) क्या राज्य को ढांचागत सुविधाएं तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.3.95 को स्थिति के अनुसार राज्यवार टेलीफोन घनत्व (असम/महाराष्ट्र सहित) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। क्षेत्रीय यूनिटों को वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित संसाधन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

चूंकि दूरसंचार प्रणाली एक एकीकृत नेटवर्क है और इसमें "सर्किल" "राज्यों" की परस्पर सीमा लांघ सकते हैं अतः यथार्थवादी तरीके से राज्यवार परिव्यय का पता लगा पाना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

टेलीफोन घनत्व का राज्यवार ब्यौरा (प्रति 100 की जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या)(1991 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित)

क्रम सं.	सर्किल का नाम	31.3.95 की टेली–घनत्व
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.97
2.	असम	0.39
3.	बिहार	0.29
4.	गुजरात	1.88
5.	हरियाणा	1.48
6.	हिमाचल प्रदेश	1.57
7.	जम्मू और कश्मीर	0.6
8.	कर्नाटक	1.44
9.	केरल	1.81
10.	मध्य प्रदेश	0.82
11.	महाराष्ट्र	2.51
12.	उत्तर पूर्व	0.65
13.	उड़ीसा	0.43
14.	पंजाब	2.05
15.	राजस्थान	0.9
16.	तमिलनाडु	1.43
17.	उत्तर प्रदेश	0.47
18.	पश्चिम बंगाल	0.72
19.	दिल्ली	10.32
	अखिल भारतीय	1.16

कोयले की आपूर्ति

2811. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के लिये कोयले की आपूर्ति में 1994-95 के दौरान वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिये आपूर्ति किये गये कोयले की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या रेलवे ने उपरोक्त कोयले की मात्रा को ढोने के लिये पर्याप्त संख्या में वैगन प्रदान किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) देश में वर्ष 1994-95 के दौरान तापीय विद्युत गृहों को कोयले

की कुल आपूर्ति, मिडलिंग्स सहित 169.12 मिलियन टन (अनंतिम) की गई थी।

(ग) और (घ) कोयला विद्युत क्षेत्रों को रेल द्वारा कोयले के संचलन तथ वैगनों के आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियारीज कंपनी लि. से वर्ष 1994-95 के दौरान विद्युत क्षेत्रों के दैनिक औसत लदान 12,292 एफ डब्लू. डब्लू. (अनंतिम) किया गया। रेल द्वारा विद्युत क्षेत्र के प्रेषण लक्ष्य को 99.2% तक पूरा किया गया।

[हिन्दी]

परियोजनाओं/विकास योजनाओं की मंजूरी

2812. श्री दत्ता मेघे :

श्री खेलनराम जांगड़े :

श्री पवन दीवान :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों की अनेक परियोजनाएं/विकास योजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं/योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने हाल ही में कितनी परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी दी है; और

(घ) लम्बित परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) योजना आयोग के पास निवेश स्वीकृति के लिए लम्बित राज्य सरकारों की परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 1995-96 में निवेश के लिए स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

योजना आयोग में स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाओं/स्कीमों की सूची

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अनुमानित लागत
	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र		
1.	सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	790.32
2.	कनुपुर सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	268.02
3.	बाघलाती सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	45.44
4.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	1442.12
5.	6 कि.मी. पर डीहिंग बांध के बायें किनारे पर बरिडेहिंग के कटाव में बमुनी बील पर कटाव विरोधी उपायों का विस्तार	असम	1.9658
	विद्युत क्षेत्रक		
1.	मुजफ्फरपुर टी.पी.एम. विस्तार परियोजना (2x250 मे.वा.)	बिहार	1452.13

विवरण-II

1995-96 के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की सूची

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अनुमानित लागत
1	2	3	4
	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र		
	तीस्ता बैराज परियोजना (घरण–I स्टेज–1)	पश्चिम बंगाल	695.00 *
2.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	807.49
3.	हिंडन कृष्णा दोआब (मध्यम) सिंचाई परियोजना में खरीफ चैनल उपलब्ध कराना	उत्तर प्रदेश	11.83
4.	शिवनातकली मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	34.7626
5.	तेम्भापुरी मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	18.0952
6.	कारवा प्रमुख सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	27.00

1	2	3	4
7.	मेजा आधुनिकीकरण एवं मेजा फीडर परियोजना	राजस्थान	31.62 $
8.	शाहबाद बांध परियोजना	उत्तर प्रदेश	33.9575 $
9.	बाखड़ मरिहान फीडर चैनल स्कीम	उत्तर प्रदेश	7.22025 $$
10.	बेलान बाखड अन्तरण स्कीम	उत्तर प्रदेश	5.2020 $$
11.	अदवा बांध परियोजना	उत्तर प्रदेश	8.3367 @
12.	गोसीखुर्द (इन्दिरा सागर) सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	461.19
13.	बांध बैराज सिंचाई परियोजना	उडीसा	44.7170
14.	खादीमन क्षेत्र में बैराक नदी के कटाव से बदरपुर की रक्षा का विस्तार	असम	1.0237
15.	स्टोनेसपुर सं. 2 की उप धारा में आलीकाश पर गुमी से कालाटोली तक ब्रह्मपुत्र नहर के बायें किनारे की रक्षा हेतु कटाव रोधी उपाय	असम	1.0813
16.	ब्रह्मपुत्र नदी फेज–I के कटाव से बचाने हेतु दोपताला बाजार की डाउन स्ट्रीम में धारपुर और गरल क्षेत्र की रक्षा का विस्तार	असम	1.1182
17.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से कोकीलामुख की रक्षा	असम	1.6954
	विद्युत क्षेत्र		
1.	कोजीकोड में 6x20 मे.वाट डीजल जनरेटिंग विद्युत स्टेशन की स्थापन	केरल	355.00

* केवल पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की गई.

$ संशोधित अनुमान

@ संशोधित, पूरा किए जाने की लागत

$$ पूर्ण लागत

टेलेक्स/फैक्स कनेक्शन

2813. श्री एन. जे. राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषतः गुजरात में कितने टेलेक्स तथा फैक्स कनेक्शन दिये गये;

(ख) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान इन कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेताजी की मृत्यु

2814. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जांच करने का है जिनमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

राजसहायता हेतु अभ्यावेदन

2815. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र स्थित श्री जगदम्बा अनुसूचित जाति सेतकारी बिनकारी सहकारी सूतगिरानी, माधा को दिए गए ऋण पर राजसहायता प्रदान करने के संबंध में उक्त मिल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. यी. तंग्का बालू) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से मिल द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु श्री जगदम्बा अनुसूचित जाति शेतकारी

बिनकारी सहकारी सूतगिरानी, मध्य महाराष्ट्र द्वारा 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष इमदाद मंजूर करने से सम्बन्धित अभ्यावेदन केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रोजगार-सृजन

2816. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार–सृजन हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या सिफारिशें की हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सकीम तैयार नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सहित किसी राज्य में रोजगार सृजन मूलतः राज्य में विकास की गति तथा पैटर्न का कार्य है और राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए उपयुक्त एक रोजगार कार्य नीति तैयार की जानी है और क्रियान्वित की जानी है। बहरहाल, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र प्रायोजित विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को बढाने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस) आई आर डी पी एक स्व–रोजगार स्कीम है और जे आर वाई तथा ई ए एस मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जे आर वाई के तहत 120 पिछड़े जिलों में, जहां अत्यन्त बेरोजगारी और अर्ध–रोजगारी है, 1993-94 में एक द्वितीय चरण (सघन जे आर वाई) आरम्भ किया गया था। उत्तर प्रदेश में 12 आई जे आर वाई जिलों में से तीन पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, अर्थात पिथौरागढ, पौडी गढ़वाल और अल्मोड़ा। रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) 1993-94 में आरम्भ की गई थी जिसका विशिष्ट उद्देश्य सूखा प्रवण, मरूस्थल, जनजातियां और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पहचान किए गए पिछडे ब्लाकों में शारीरिक कार्य तलाश करने वाले व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 100 दिन का निश्चित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है, उत्तर प्रदेश में 248 ई ए एस ब्लाकों में से 85 ब्लाक अल्मोडा (14), चमौली (11), देहरादून (6) नैनीताल (12), पौड़ी गढ़वाल (14), पिथौरागढ (12), टिहरी गढ़वाल (10) और उत्तरकाशी (6) के पहाड़ी जिलों में है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों में विशेष रोजगार स्कीम से संबंधित कोई विशिष्ट सिफारिश योजना आयोग को प्रस्तुत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या

2817. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अलग–अलग रह रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या क्या है;

(ख) विशेषज्ञ दल द्वारा दिए गए आंकड़ों से ये आंकड़े किस तरह से भिन्न हैं; और

(ग) इन दोनों आंकडों में यदि कोई अंतर है तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में नवीनतम राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्धनता अनुमान वर्ष 1983-84 के लिए उपलब्ध हैं। ये संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) गरीबों का अनुपात तथा संख्या–संबंधी विशेषज्ञ दल ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच गरीबी का कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत 1983-84

राज्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	51 0	43.3	48.4	43.3
असम	21.9	42.8	25.5	20.2
बिहार	71.1	52.2	64.9	39.8
गुजरात	39.9	19.3	52.1	56.6
हरियाणा	27.9	40.1	0	39.3
हिमाचल प्रदेश	23.5	11.7	7.5	11.5
जम्मू व कश्मीर	32.9	27.5	0	0
कर्नाटक	54.1	36.6	59.9	45.2
केरल	43.9	42.2	36.1	51.7

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	59.3	45.8	67.1	34.0
महाराष्ट्र	55.9	44.8	58.7	41.3
उडीसा	54.9	40.3	68.9	52.8
पंजाब	21.8	33.0	15.4	47.1
राजस्थान	44.9	33.7	63.7	48.1
तमिलनाडु	59.4	54.5	50.9	51.1
उत्तर प्रदेश	57.3	46.3	45.8	24.3
पश्चिम बंगाल	52.0	41.3	58.6	33.1
अखिल भारत	53.1	40.4	58.4	39.9

सिंधु दुर्ग और रत्नागिरि में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

2818. श्री सुधीर सावन्त : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को शीघ्र चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कंकावली पारेषण रेंज में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) सिन्धु दुर्ग में आकाशवाणी केन्द्र के कब तक काम शुरू कर देने की सम्भावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले के मालवां में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (वी.एल.पी.टी.) तथा देवरूख एवं राजापुर में दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और रत्नागिरी जिले में खेड में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है तथा चालू वित्त वर्ष और 1996-97 में, चरणों में शुरू करने के लिए तैयार हो जाने की सम्भावना है।

(ग) फिलहाल, कंकावली में स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(घ) महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग जिले में आकाशवाणी मालवां के स्थानीय रेडियो स्टेशन को तीन वर्षों में तैयार किए जाने की सम्भावना है।

अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना।

2819. श्री राम निहोर राय : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए गए अन्य पिछडे वर्गों का ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितने व्यक्ति शामिल किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य नई जातियों को इस सूची में रखे जाने के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटा प्रतिशत में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य पिछडे वर्ग को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटे की प्रतिशतता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हथकरघा बुनकरों के लिए मकान

2820. डा० (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों के लिए मकानों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने श्रमिकों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में शहरी आवास विकास निगम से विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त निगम द्वारा क्या सुझाव दिए गए है; और

(ड.) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां) : (क) जी, नही।

(ख) से (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

सुधार-कार्य

2821. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स को पश्चिम बंगाल में इसके अन्तर्गत बेंजेमेहारी, घनश्याम, पुरूषोत्तमपुर तथा रातीबाही नामक खुले मुहाने वाली खनन परियोजनाओं (ओ.सी.पी) में सुधार हेतु निर्देश जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो सुधार कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सुधार कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) बेजेमेहारी, घनश्याम, पुरुषोत्तमपुर और रातीबाही ओपनकास्ट परियोजना में वास्तविक रूप में तथा जैविक रूप में 191.73 हैक्टर भूमि संबंधी सुधार किया गया है।

भूमि संबंधी सुधार कार्य रातीबाही, पुरूषोत्तमपुर तथा घनश्यामपुर ओपनकास्ट परियोजनाओं में पूरा किये जाने के समीप है। बोनजमहारी, जो कि एक कार्यरत ओपनकास्ट परियोजना है, उक्त में नियमित रूप से उत्खनन किए गए क्षेत्रों में भराई का कार्य किया जा रहा है।

नैफ्था का आवंटन

2822. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान की औद्योगिक परियोजनाओं हेतु मथुरा तैलशोधक कारखाने से प्रतिवर्ष दो लाख टन नैफ्था का आवंटन किये जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ए.टी.एंड टी. और टाटा टेलीकाम

2823. श्री हरिन पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.टी. एंड टी. और टाटा टेलीकॉम के बीच सहयोग संबंधी कोई समझौता हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

"मै. ए. टी. एंड टी." "टाटा टेलीकॉम" ने डिजीटल इलैक्ट्रोनिक स्विचन प्रणाली उपस्कर व डिजीटल पारेषण–उपस्कर के विनिर्माण हेतु, दो संयुक्त उद्यम परियोजनाएं लगाई हैं, अर्थात् मै. ए टी एंड टी स्विचिंग सिस्टम इंडिया प्रा० लि० व मै. ट्रांस इंडिया नेटवर्क सिस्ट्म प्रा० लि०। इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत "औद्योगिक उद्यम–ज्ञापन" के अनुसार विवरण इस प्रकार है:–

1. **ए टी एंड टी स्विचिंग सिस्टम इंडिया प्रा. लि.**

विनिर्माण–मद : डिजीटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर

उत्पादन–क्षमता: 7.5 लाख लाइनें/वर्ष

प्रस्तावित इक्विटी निवेश: 50 करोड़ रुपए

प्रस्तावित विदेशी इक्विटी : 25.5 करोड रुपये (51%)

स्थल : बंगलौर, कर्नाटक

चरण (मुकाम) : पहले से ही उत्पादन–रत

2. **ट्रांस इंडिया नेटवर्क सिस्टम प्रा. लि.**

विनिर्माण–मद : डिजीटल नेटवर्क एक्सेस सिस्टम

उत्पादप – क्षमता : 1000 सिस्टम्स/वर्ष

प्रस्तावित इक्विटी निवेश : 7.15 करोड़ रुपए

प्रस्तावित विदेशी इक्विटी : 3.57 करोड़ रु० (50%)

स्थल : गांधी नगर, गुजरात।

चरण (मुकाम) : पहले से ही उत्पादन–रत

[हिन्दी]

टेलीफोन/ पी. सी. ओ.

2824. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यवार एस टी डी सुविधा सहित कितने पी.सी.ओ. स्वीकृतक किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों द्वारा कितने पी.सी. ओ. की सिफारिश की गई है और गत एक वर्ष के दौरान इनमें से कितने आबंटित किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रति व्यक्ति खर्च

2825. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय में कोई विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विसंगति को दूर करने हेतु एक आयोग द्वारा सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस आयोग का कब तक गठन कर लिये जाने

की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें चक्र के आंकड़ों के अनुसार 1987-88 में मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खपत व्यय 141.98 रुपये होने तथा उत्तर प्रदेश में यह व्यय 148.67 रुपये होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) दस्तावेज में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम बनाए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश तथा आय में वृद्धि करने तथा परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय तथा खपत में राज्यों के बीच असमानता को कम करने में योगदान करेंगे।

[अनुवाद]

रेडियो पेजिंग सेवा

2926. श्री रवि राय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में रेडियो पेजिंग (सेवा) का तेजी से विकास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार में उचित आधारभूत ढांचा न हो पाने के कारण कई विदेशी निवेशकों ने अपना निवेश बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) देश में 1.1.95 की स्थिति के अनुसार 80489 उपभोक्ता हैं, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	7126	
2.	अमृतसर	–	सेवा अभी शुरू नहीं हुई।
3.	बंगलौर	8011	
4.	बंबई	23592	
5.	भोपाल	–	सेवा अभी शुरू नहीं हुई।
6.	कलकत्ता	3787	
7.	चंडीगढ़	1675	
8.	कोयंबतूर	475	
9.	दिल्ली	8448	
10.	एर्नाकुलम	688	
11.	हैदराबाद	2742	
12.	इंदौर	1627	
13.	जयपुर	1588	
14.	कानपुर	579	
15.	लखनऊ	693	
16.	लुधियाना	4010	
17.	मद्रास	7098	
18.	मदुरई	177	
19.	नागपुर	–	सेवा अभी शुरू नहीं हुई।
20.	पटना	–	सेवा अभी शुरू नहीं हुई।
21.	पुणे	2131	
22.	राजकोट	585	
23.	सूरत	1779	
24.	त्रिवेन्द्रम	800	
25.	बड़ोदरा	2108	
26.	वाराणसी	324	
27.	विशाखापट्टनम	296	
	जोड :	80,489	

मुम्बई में पत्रों की छंटाई सार्टिंग

2827. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुम्बई में पत्रों की छंटाई के लिए कोई स्वीकृत योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य महानगरों में भी उपरोक्त सुविधाओं को आरंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बम्बई में आटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर वर्ष 1993 में स्थापित किया जा चुका

है, जिसमें डाक छंटाई की इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग की व्यवस्था है।

(ख) यह प्रणाली मशीन से निपटाए जाने योग्य डाक का अर्थात् ऐसी डाक जो लम्बाई–चौड़ाई, मोटाई और भार से संबंधित विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करती है, निपटान करती है। मशीन से निपटाए जाने योगय डाक को छंटाई मशीन में डालने से पहले आपरेटरों द्वारा पिन–कोडवार बारकोडेड किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) बम्बई के अलावा, डाक छंटाई के लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम मदास में भी शुरू की जा चुकी है। ऐसे ही सेंटर अन्य महानगरों अर्थात दिल्ली, कलकत्ता और बैंगलूर में चरणबद्ध रूप में स्थापित करने की योजना है।

|हिन्दी|

एस.टी.डी सुविधा

2828. श्री राम सिंह कस्वां : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड क्या है;

(ख) राजस्थान के उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां एस.टी.डी. सुविधा की काफी दिनों से मांग चली आ रही है तथा यह सुविधा प्रदान की जानी बाकी है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान किन स्थानों पर यह सुविधा प्रदान की जानी है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार, देश के सभी एक्सचेंजों को मार्च, 1997 तक एस टी डी नेटवर्क से जोडा जाना है।

(ख) राजस्थान में ऐसे 64 स्थान हैं जहां काफी लंबे समय से एस टी डी सुविधा की मांग है, जिसे अभी पूरा किया जाना है। इन स्थानों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 1995-96 के दौरान, 37 स्थानों में एस टी डी सुविधा प्रदान की जानी है, बशर्ते कि निधियां, भूमि, भवन तथा उपस्कर आदि जैसे संसाधन समय से उपलब्ध हों। इन स्थानों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	गौणस्विचन क्षेत्र
1	2	3
1.	घटवाड़ी	जयपुर
2.	मोजामाबाद	
3.	नयाला	
4.	रेनवल	
5.	खेजरोली	जयपुर
6.	इटावा	"
7.	अलवादा	अलवर
8.	नौगांव	"
9.	बड़ौदाम्यू	"
10.	मचेदी	"
11.	रामपुर कस्वां	"
12.	राजपुर	"
13.	कोटकासिम	"
14.	कोछूमार	"
15.	बंदसराया	भरतपुर
16.	जुरहरा	"
17.	सरमथुरा	"
18.	मोरक	कोटा
19.	सुकेत	
20.	चेचत	"
21.	सुनेल	"
22.	दाबी	बूंदी
23.	कपरेन	"
24.	कुरगांव	सवाईमाधोपुर
25.	कुन्देरा	"
26.	अलीगढ़	टोंक
27.	खरियावास	सीकर
28.	मयांडा	
29.	मलसीसर	झुंझनूं
30.	रामदेवरा	जैसलमेर
31.	लाठी	"
32.	नेतावली	श्रीगंगानगर
33.	गजसिंहपुर	"
34.	लालगढ़ जाटन	
35.	किदमलसार	"
36.	रावलमंडी	

1	2	3
37.	गणेशगढ़	श्री गंगानगर
38.	गण्डेला	"
39.	चक 30	"
40.	गजनेर	बीकानेर
41.	नाल	"
42.	हिम्मतसार	"
43.	बड्डू	नागौर
44.	गाचीपुरा	"
45.	दाह	"
46.	रोली	"
47.	अशाप	जोधपुर
48.	मोगरा	"
49.	लोहायत	"
50.	जादों	पाली
51.	नीमज	"
52.	बागडीनगर	"
53.	वनवास	"
54.	परूली	चित्तौड़गढ़
55.	भोपालसागर	"
56.	परसोला	उदयपुर
57.	टीडी	"
58.	जावर माइंस	"
59.	सिंधारी	बाड़मेर
60.	आरल	अजमेर
61.	जेठाणा	अजमेर
62.	बंकोर	डूंगरपुर
63.	रतननगर	चूरू
64.	उमेदाबाद	सिरोही

विवरण-II

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	गौडस्विचन क्षेत्र
1	2	3
1.	घटवारी	जयपुर
2.	मोजामाबाद	जयपुर
3.	नयाला	"
4.	रेनवल	"
5.	अलावड़ा	अलवर
6.	नौगांव	"
7.	बड़ौदाम्यू	"
8.	मचेदी	"
9.	रामपुर कस्वां	"
10.	राजपुर	"
11.	भरतपुर	भरतपुर
12.	जुरचेरा	"
13.	सरमथुरा	"
14.	मोरक	कोटा
15.	सुकेत	"
16.	दाबी	बूंदी
17.	कपरेन	"
18.	कुरगांव	सवाईमाधोपुर
19.	अलीगढ़	टोंक
20.	खरियावास	सीकर
21.	रामदेवरा	जैसलमेर
22.	नेतावली	श्रीगंगानगर
23.	गजसिंहपुर	"
24.	लालगढ़ जाटां	"
25.	रिदमल्सार	"
26.	गजनेर	बीकानेर
27.	नाल	"
28.	बड्डू	नागौर
29.	गाधीपुरा	"
30.	दाह	"
31.	अशोप	जोधपुर
32.	मोगरा	"
33.	जादौन	पाली

1	2	3
34.	नीमज	"
35.	बागड़ीनगर	"
36.	परसोली	चित्तौड़गढ़
37.	रतननगर	चूरू

[अनुवाद]

मुम्बई फिल्म्स डिवीजन काम्पलेक्स

2829. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में फिल्म्स डिवीजन परिसर के तीसरे चरण के शीघ्र निर्माण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) से (ग) मुम्बई में फिल्म प्रभाग परिसर के तीसरे चरण में, कार्यालय स्थान के अलावा एक फिल्म भंडारण बनाने का मूलतः प्रस्ताव किया गया था। अब फिल्म भंडारण तहखाने के अतिरिक्त एक समारोह थिएटर ब्लाक तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

पुराने ढांचों को गिराकर स्थान को साफ कर दिया गया है। नए विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर तीसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना

2830. श्री ललित उरांव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान बिहार के लिए मंजूर की गई उपयोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): बिहार सार्वजनिक नलकूपों की डीजल सेटों की खरीद के लिए 1993-94 और 1994-95 में 60 लाख रुपए की राशि की प्रायोगिक योजना का अनुमोदन 28 जुलाई, 1994 को किया गया। विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के क्रियान्वयन की शर्तें निम्नलिखित हैं:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए इसे प्रयोजना के वास्ते अपने बजट के बजटीय प्रावधान के बारे में राज्य सरकार का समर्थन;

(ख) किसान संघ की पूर्व संरचना तथा उनके द्वारा राज्य सरकार के पास सेटों की लागत का 10% जमा करनी;

(ग) संबंधित किसान संघ द्वारा जनरेटिंग सेटों का प्रचालन और अनुरक्षण लागत का वहन किया जाना;

(घ) 25 डीजल जेनरेटिंग सेटों को प्राप्त करने और लगाने का कार्यक्रम 31 दिसंबर, 1994 तक पूरा कर लिया जाएगा। विश्व बैंक के साथ किए उधार संबंधी करार के अंतर्गत निधियों के उपलब्ध होने पर ही संबंधित मामलों की प्रतिपूर्ति निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना मार्च, 1995 को समाप्त हो गई है।

योजना का उद्देश्य सार्वजनिक नलकूपों की अतिरिक्त शक्ति को उन स्थानों पर बढ़ाना था जहां बिहार विद्युत बोर्ड विश्वसनीय बिजली आपूर्ति में समर्थ नहीं था।

[अनुवाद]

धनराशि का आवंटन

2831. डा. साक्षीजी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 1995-96 के दौरान और अधिक धनराशि देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) संविधान के तहत, बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई राज्य का विषय होने से लघु सिंचाई सहित ऐसी परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, क्रियान्वयन तथा वित्तपोषण आदि का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य का है राज्य योजना में केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण तथा ब्लाक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है और "विशेष समस्या" मानदंड के तहत निर्धारित राशि को छोड़कर यह किसी परियोजना/कार्यक्रम से सहबद्ध नहीं है।

राज्य की वार्षिक योजना में 1995-96 के लिए सिंचाई क्षेत्र हेतु अनुमोदित परिव्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

मद	1995-96
प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई	372.01
लघु सिंचाई	67.58*
सी ए डी	17.50
बाढ़ नियंत्रण	13.23
जोड़ :	470.32

* पर्वतीय क्षेत्र (टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़) के तीन जिलों में सिंचाई सुविधाओं के सुधार हेतु 10 करोड रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित।

तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

2832. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के किन क्षेत्रों में निकट भविष्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस की प्रतिदिन अनुमानित उत्पादित मात्रा क्या है;

(ग) वर्ष 1995 के अंत तक तेल तथा प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन किये जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1996 के अंत तक इसके कहां तक बढ जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) निकट भविष्य में कैम्बे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, अरूणाचल प्रदेश सहित ऊपरी असम, असम–अराकान मोड़दार पट्टी, राजस्थान, गंगा घाटी, हिमालय की तराई, कच्छ सौराष्ट्र, दक्कन, भूट्रोणियों, प्राणहिता–गोदावरी, बंगाल, सीमांत क्षेत्र (जैसे दक्षिण रीवा, सतपुडा, विन्ध्य) तथा गहरे पानी वाले क्षेत्रों सहित पूर्वी एवं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों/बेसिनों में अन्वेषण क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव है।

(ख) लगभग 96229 टी पी डी तेल तथा 60 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस का औसत दैनिक उत्पादम (अप्रैल–सितम्बर, 1995) हुआ।

(ग) वर्ष 1995-96 के अंत तक तेल और प्राकृतिक गैस का अनुमानित उत्पादन स्तर क्रमशः लगभग 37 एम एम टी पी तथा 60 एम एम सी एम डी होगा।

(घ) वर्ष 1996-97 के अंत तक तेल का उत्पादन स्तर लगभग 38 एम एम टी पी ए तथा गैस का 62 एम एम एस सी एम डी होने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

2833. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नए टेलीफोन एक्सचेंजो की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) बिहार में निम्नलिखित मुख्य अवस्थितियों में, 1995-97 के दौरान नए एक्सचेंज प्रदान करने/विस्तार कार्य करने की योजना बनाई गई है:

क्रम सं.	अवस्थिति का नाम	क्रम सं.	अवस्थिति का नाम
1.	जमशेदपुर	9.	मोतीहारी
2.	आदित्यपुर	10.	डाल्टेनगंज
3.	पेसुदिह	11.	छपरा
4.	पाटलीपुत्र	12.	आरा
5	रांची	13.	गिरिडीह
6.	राजेन्द्रनगर (पटना)	14.	पूर्णिया
7.	सीतामढी	15.	रामगढ़
8.	सहरसा	16.	रतवाडा (भुज)

इसके अलावा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम–टेलीफोन प्रदान करने के लिए करीब 30 छोटे एक्सचेंजों को खोलने की भी योजना है।

[अनुवाद]

समाचार-वाचक

2834. **श्री श्रीकांत जेना :**

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन के अधिकांश समाचार वाचकों की अभिव्यक्ति दोष रहित और उच्चारण प्राकृतिक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन कलाकारों के तथा विशेषरूप से समाचार वाचकों के स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को रसोई गैस एजेंसी का आवंटन

2835. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को रसोई गैस की कितनी डीलरशिप/एजेंसियां आबंटित की गई;

(ख) क्या आरक्षण कोटा को पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अनु.जातियों/अनु.जनजातियों के कितने विकलांग व्यक्तियों

को रसोई गैस की डीलरशिप/एजेंसियां आवंटित की गई हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : *(क) 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान* देश में "शारीरिक रूप से विकलांग" श्रेणी के अंतर्गत 87 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रदान की गई है। इनमें से दो डिस्ट्रीब्यूटरशिपें गुजरात राज्य मे दी गई है।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में समाज के विभिन्न तबकों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 100 पाइंट रोस्टर के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लागू किया जा रहा है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

सम सामयिक घटनाओं संबंधी कार्यक्रम

2836. श्रीमती सुमित्रा महाजन : *क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) पिछले छः महीनों के दौरान दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर सम सामयिक घटनाओं पर आधारित कितने कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं; और

(ख) इन कार्यक्रमों के निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के प्रसारण का निर्धारित समय क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डीडी-I के लिए समाचार एवं सम-सामायिकी कार्यक्रमों की अनुसूची

दिन	समय		कार्यक्रम	निर्माता
शनिवार	प्रातः	7.40	कश्मीर फाइल	अरूण कौल प्रोदन्स
	प्रातः	8.20	बिजनिस ब्रेकफास्ट	टी वी बाजार
रविवार	सांय	7.15	सिमटती दूरियां	**
	सांय	9.30	सुरभि	सिनेमा विजन
	सांय	11.00	दी वर्ल्ड दिस वीक	एनडीटीवी
सोमवार	प्रातः	7.40	नार्थ–ईस्ट फाइल	सुकृति फिल्मस
	प्रातः	8.20	बिजनेस ब्रेकफास्ट	टी वी बाजार
	सायं	6.50	डेटलाइन कश्मीर	एशियन न्यूज इन्टल
मंगलवार	प्रातः	8.20	बिजनेस ब्रेकफास्ट	टी वी बाजार
	प्रातः	8.40	अपेक्स जजमेंट्स (ई. पी. 4)	श्री पवन दुग्गल
बुद्धवार	प्रातः	8.20	बिजनिस ब्रेकफास्ट	टी वी बाजार
गुरुवार	प्रातः	7.45	वर्ल्ड रिपोर्ट	श्री सईद नक्वी
	प्रातः	8.20	बिजनेस ब्रेकफास्ट	टी वी बाजार
	सायं	7.30	परख ई पी 26	श्री विनोद दुआ
शुक्रवार	प्रातः	8.20	बिजनेस ब्रेकफास्ट	टी वी बाजार

** यह कार्यक्रम सरकार की विभिन्न कल्याण स्कीमों तथा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों पर आधारित है। विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रत्येक स्कीम/समस्या को कवर किया जाता है।

जून, 1995-दिसम्बर, 1995 के बीच डीडी-II पर प्रसारित किए जा रहे सम सामायिकी कार्यक्रमों की संख्या सहित निर्माताओं एवं कार्यक्रमों के समयों का ब्यौरा।

क्र०सं.	समयावधि	समय	कार्यक्रम	अवधि	निर्माता
1	2	3	4	5	6
1.	सोमवार–शनिवार	प्रातः 7.45	बिजनेस प्लस	15 मिनट	अमित खन्ना मैसर्स प्लस चैनल

1	2	3		4	5	6
2.	सोमवार–रविवार	प्रातः	8.00	फर्स्ट एडिशन	45 मिनट शनि. एवं रवि० 1 घंटा	दिलीप पडगांवकर मै० एपीसीए
3.	सोमवार–शनिवार	सायं	7.00	सुरखियां	2 मिनट	डॉ० प्रणय राय मैसर्स एनडीटीवी
4.	सोमवार–शनिवार (सिवाय शुक्रवार)	सायं	9.00	–वही–	2 मिनट	–वही–
5.	सोमवार–शनिवार	सायं	8.00	हैडलाइन्स टुनाईट	2 मिनट	–वही–
6.	सोमवार–शनिवार	सायं	11.00	–वही–	2 मिनट	–वही–
7.	सोमवार–शुक्रवार	सायं	10.00	टुनाईट	30 मिनट	–वही–
8.	सोमवार–शुक्रवार	सायं	9.30	आज तक	20 मिनट	अरूण पुरिइ मै० टी वी टूडे
9.	शनिवार	सायं	10.10	न्यूज ट्रैक	25 मिनट	–वही–
10.	सोमवार	प्रातः	9.00	परसेप्शन्स	25 मिनट	शशि मेहता मैसर्स सिगनेट कॉमन्स
11.	शनिवार	सायं	9.30	इंडिया दिस वीक	25 मिनट	रोमेश शर्मा मै० मूविंग पिक्चर
12.	बुद्धवार	प्रातः	9.00	कारोबारनामा	30 मिनट	एच. व्यास सम्वाद परिक्रमा
13.	रविवार	सायं	10.10	* आई विटनेस	25 मिनट	कर्ण थापर मैसर्स एच टी वी
14.	गुरूवार	सायं	10.30	* चाट शो	25 मिनट	–वही–
15.	शुक्रवार	प्रातः	8.40	* बीच बहस में	25 मिनट	अश्वनी चौधरी मै० प्रतिबिंब कॉमन्स
16.	सोमवार–शुक्रवार	प्रातः	7.00	* न्यूज वेव	25 मिनट	विनोद दुआ मैसर्स कॉमन ग्रुप
17.	बुद्धवार	प्रातः	8.20	* न्यूजयाच	25 मिनट	प्रीतिश नन्दी
18.	गुरूवार	प्रातः	8.20	* लेन्सई	25 मिनट	अनुराधा प्रसाद मै० बीएजी फिल्म्स

* –समाप्त

जून, 1995-दिसम्बर, 1995 से डीडी-III पर प्रसारित किए जा रहे सम-सामयिकी कार्यक्रमों की संख्या सहित निर्माताओं एवं कार्यक्रमों के समयों का ब्यौरा

क्र०सं.	समयावधि	समय		कार्यक्रम	अवधि	निर्माता
1.	सोमवार–शनिवार	सायं	6.00	एशिया बिजनिस न्यूज	30 मिनट	के. लाल,एबीएन डा. प्रणय राय
2.	सोमवार–शुक्रवार	सायं	8.30	न्यूजहावर	60 मिनट	मै० एनडीटीवी
3.	सोमवार–शुक्रवार	सायं	11.00	मार्केट्स टुनाईट	15 मिनट	राघव बहल मैसर्स टीवी–18
4.	शनिवार	सायं	8.30	राउंड टेबल	60 मिनट	इन–हाउस
5.	रविवार	सायं	8.30	हीलिंग एंड बियांड	30 मिनट	रोसेटा स्टोन

डीडी-सीएनएनआई चैनल के लिए समाचार एवं सम सामयिकी कार्यक्रमों हेतु अनुसूची।

दिन	समय		कार्यक्रम	निर्माता
1	2		3	4
शनिवार	प्रातः	8.00	टूडे	एनडीटीवी
	प्रातः	9.15	बिजनिस प्लस	प्लस चैनल
	प्रातः	10.00	दी फर्स्ट एडिसन	इण्डिया प्लस टी वी
	सायं	8.00	नार्थ–ईस्ट फाइल	सुकृति फिल्म्स
रविवार	प्रातः	10.00	दी फर्स्ट एडिसन	इंडिया प्लस टी वी
	दोप.	12.00	न्यूज ट्रैक	टी. वी. टुडे
	सायं	2.30	इंडिया दिस वीक	मूविंग पिक्चर
	सायं	3.00	बुक्स एंड आइडियाज	एटसेटरा कॉमन
	सायं	8.00	राउन्ड टेबल	इन–हाउस
सोमवार	प्रातः	8.00	टूडे	एनडीटीवी
	प्रातः	9.00	बिजनिस प्लस	प्लस चैनल
	प्रातः	10.00	दी फर्स्ट एडिसन	इंडिया प्लस टीवी
मंगलवार	प्रातः	8.00	टूडे	एनडीटीवी
	प्रातः	9.00	बिजनिस प्लस	प्लस चैनल
	प्रातः	10.00	दी फर्स्ट एडिसन	इंडिया प्लस टीवी
बुद्धवार	प्रातः	8.00	टुडे	एन डीटीवी
	प्रातः	9.00	बिजनिस प्लस	प्लस चैनल
	प्रातः	10.00	दी फर्स्ट एडिसन	इंडिया प्लस टी वी
गुरुवार	प्रातः	8.00	टुडे	एनडीटीवी

1	2		3	4
	प्रातः	9.00	बिजनिस प्लस	प्लस चैनल
	प्रातः	10.00	दी फर्स्ट एडिसन	इंडिया प्लस टीवी
शुक्रवार	प्रातः	8.00	टुडे	एनडीटीवी
	प्रातः	9.00	बिजनिस प्लस	प्लस चैनल
	प्रातः	10.00	दी फर्स्ट एडिसन	इंडिया प्लस टीवी
	सायं	8.00	कश्मीर फाइल	अरुण कौल प्रोडक्शन्स

दूरसंचार कर्मचारियों के लिए आवास

2837. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री धर्मभिक्षम :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार कर्मचारियों के लिए देश में और ज्यादा आवास निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में इस संबंध में कितना आवंटन किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु, चालू वर्ष 1995-96 का आवंटन 109.22 करोड़ रुपये है।

विवरण

क्रम सं.	सर्किल का नाम	14% संतुष्टि की लक्ष्य प्राप्ति हेतु, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्टाफ क्वार्टर बनाने की योजना	1992-93 के दौरान पहले से बने स्टाफ क्वार्टर	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1652	30	50	34
2.	असम	456	39	40	36
3.	बिहार	109	31	38	84
4.	गुजरात	1865	17	40	56
5.	हरियाणा	290	84	30	12
6.	हिमाचल प्रदेश	62	35	8	50
7.	जम्मू कश्मीर	325	6	12	4
8.	कर्नाटक	1097	52	42	6
9.	केरल	1182	197	225	36
10.	मध्य प्रदेश	77	235	237	99
11.	महाराष्ट्र	21335	151	180	91
12.	उत्तर पूर्व	43	25	91	28
13.	उड़ीसा	—	74	143	57

1	2	3	4	5	6
14.	पंजाब	351	111	99	121
15.	राजस्थान	87	64	105	84
16.	तमिलनाडु	1349	158	91	21
17.	उत्तर प्रदेश	261	84	131	188
18.	पश्चिम बंगाल	318	119	320	40
19.	मद्रास	1006	24	40	31
20.	कलकत्ता	1254	20	158	2
21.	एनटीआर नई दिल्ली	–	–	–	54
22.	टी. डी. सर्किल जबलपुर	–	–	–	2

टिप्पणी (i) उपर्युक्त ब्यौरों में एम टी एल एस नई दिल्ली तथा बंबई शामिल नहीं है।

(ii) और अधिक क्वार्टरों के निर्माण पर निम्नलिखित पाबंदियां हैं:

(क) समुचित स्थलों पर समुचित भूमि मिलने में कठिनाई।

(ख) किसानीय जमीनों पर मुकदमों व अतिक्रमण के कतिपय मामले।

(ग) नक्शों की औपचारिक मंजूरियों के संबंध मे स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी प्राधिकरणों, अग्नि शमन विभागों तथा नागरिक उड्डयन विभाग आदि के अनुमोदन में विलंब।

(घ) बिजली/पानी/मल–व्यय न सीवरेज आदि सेवा कनेक्शनों में विलंब।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र को तेल क्षेत्र सौंपना

2838. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उनके मंत्रालय से खोज लिए गए तेल क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सौंपने संबंधी निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1995-96 तथा 1996-97 को तैयार किए जाने के दौरान उस निर्णय के पुनरीक्षण के लिए सुझाव दिया था जिसमें खोजे गए तेल तथा गैस क्षेत्रों को विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रस्तावित करने के संबंध में कहा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण

2839. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछडा वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अपराधों से निपटने के लिए मिस्र के साथ समझौता

2840. **श्री राम कापसे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और मिस्र की सरकार ने अक्तूबर, 1995 में अंतर्राष्ट्रीय एवं संगठित अपराधों से निपटने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री के मिस्र अरब गणराज्य के दौरे के दौरान, सभी प्रकार के आपराधिक कृत्यों और खास तौर से आतंकवादियों से संबंधित अपराधों, राष्ट्रपारीय और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए एक सहयोग – समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय/सहयोग बनाना है जिससे कि आतंकवाद एवं संगठित अपराध के खतरे से, प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित क्षेत्र

2841. श्री गुरुदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में **पिथौरागढ** के समीप विशेष परमिट धारक भारतीयों को भी जाने नहीं दिया जाता है जबकि विदेशियों को वहां जाने दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके **क्या कारण** हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामरान) : **(क) जी**, हां।

(ख) इनर लाईन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 कि.मी. दूर हटाने के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में कुछेक क्षेत्रों अर्थात् मिलम ग्लेशियर, धरमघाट जोलिंगकोंग क्षेत्र, सोबला, धारचुला इत्यादि को, विदेशी राष्ट्रिक (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अंतर्गत 22.9.1993 को जारी की गयी अधिसूचना के तहत विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जिससे इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव करने के लिए कहा गया है, के साथ परामर्श करके, दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 में संशोधन द्वारा भारतीयों के लिए भी इसी प्रकार की छूट दी जानी है।

जनजातीय विकास परिषद् की स्थापना

2842. कुमारी क्रिडा तोपनो : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए एक जनजातीय विकास परिषद् की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिषद् की स्थापना जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कर दी गई है या करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसके सभापति और सदस्यों के ब्यौरे के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उपरोक्त परिषद् की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण है; और

(च) परिषद् की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (च) जी, नहीं। तथापि संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत एक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सहित इस आयोग में सात सदस्य होंगे। आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति में से होगा तथा आयोग के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से विख्यात व्यक्ति होंगे। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय आदिवासी क्षेत्र या उसके आसपास का क्षेत्र होगा।

2843. श्री अनादि चरण दास : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन का प्रभाव का पता लगाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम प्रभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन कार्यक्रमों के परिव्यय स्वरूप कितने परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) इस विभाग के बीस सूत्री कार्यक्रम प्रभाग ने बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नैफ्था का आवंटन

2844. बी वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों/कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नेफ्था/एन जी एल आवंटित किया गया है;

(ख) इन उत्पादों के आवंटन के लिए लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं;

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सभी आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) नेफ्था/एन जी एल के आवंटन के संबंध में विभिन्न फर्मों/कंपनियों से अनेक आवेदन पत्र प्राप्त होते है। चूंकि एन जी एल/नेफ्था अधिकांश ज्वलनशीलन उत्पाद हैं तथा पेट्रोल/डीजल की मिलावट के लिए इनका उपयोग होने की संभावना है अतः इन आवेदन पत्रों की तेल कंपनियों, तेल समन्वय समिति, विद्युत मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रारसायन विभाग उर्वरक विभाग, इस्पात मंत्रालय जैसे उत्तरदायी मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श तथा विशेषज्ञों की राय से बारीकी से छानबीन की जाती है और इन्हें सावधानीपूर्वक संसाधित किया जाता है। आवेदकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, मुख्य नियंत्रक (विस्फोटक), राज्यों के उद्योग निदेशालयों इत्यादि जैसे विविध प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र/स्वीकृतियां प्रस्तुत करने की भी जरूरत होती है। चूंकि आवंटन

अन्य मंत्रालयों/प्राधिकारियों की सिफारिशों/स्वीकृतियों, विशेषज्ञ राय तथा संभारतंत्रीय व्यवहार्यता पर आधारित हैं अतः इसकी प्रक्रिया परंपरागत रूप से समय साध्य है और इसलिए तत्संबंधित निर्णय लेने में समय लगता है। शीघ्र निर्णय लेने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

स्पीड पोस्ट प्रयोक्ताओं की बैठक

2845. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डाक विभाग ने राजधानी में अक्तूबर, 1995 के मध्य में राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह के दौरान एक 'स्पीड पोस्ट प्रयोक्ता सप्ताह' का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्पीड पोस्ट द्वारा विलंब से वितरित की गई डाक पर वर्तमान राशि वापस करने की गारंटी को बढ़ाने तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए सामान के रास्ते में खो जाने की स्थिति में मुआवजा देने की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हाल के महीनों में स्पीड पोस्ट सेवा को लोकप्रिय बनाने तथा बिक्री निजी कुरियर सेवाओं के प्रयोक्ताओं को इस सेवा की ओर आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां

(ख) दिल्ली डाक सर्किल ने दिनांक 13.10.1995 को सायं 5 बजे विज्ञान भवन कांफ्रेंस हाल में "स्पीड पोस्ट उपभोक्ताओं की बैठक" का आयोजन किया। इस बैठक में स्पीड पोस्ट के 21 नियमित बल्क कस्टमर्स ने भाग लिया। विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं के ब्यौरों की घोषणा की गई; जैसे :

i) ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली

ii) 12 बजे दोपहर तक भेजी गई डाक वस्तुओं का उसी दिन वितरण

iii) जांच कार्य का प्राथमिकता पर निपटान

iv) पिक अप सर्विस

v) प्रेषण संबंधी विवरण की निशुल्क सूचना

(ग) जी हां।

(घ) i) विलंब के मामले में कम्पाजिट स्पीड पोस्ट शुल्क से दोगुना राशि लौटाई जाएगी।

ii) पारेषण के दौरान गुम हुई स्पीड पोस्ट वस्तुओं की प्रतिपूर्ति के तौर पर 200/- रु. का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) स्पीड पोस्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल के महीनों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i) दिल्ली और बम्बई के बीच कम्प्यूटरीकृत ट्रैक और ट्रेस की स्थापना।

ii) बल्क कस्टमर्स को 10 प्रतिशत की छूट दी गई।

iii) बल्क कस्टमर्स के लिए निशुल्क पिक अप सेवा।

iv) विपणन प्रबंधकों द्वारा मौजूदा और संभावित उपभोक्ताओं से विपणन संबंधी सीधी बातचीत।

v) स्पीड पोस्ट का व्यापक प्रचार करने के लिए उपभोक्ताओं की बैठकों का आयोजन।

vi) दूरदर्शन के माध्यम से स्पीड पोस्ट की प्रचार संबंधी फिल्म का प्रसारण।

vii) विलंब के मामले में कम्पाजिट प्रभार की दुगनी राशि की वापसी।

viii) पारेषण के दौरान वस्तुएं खोने के मामले में 200/- रु. की प्रतिपूर्ति।

इन कदमों का परिणाम यह हुआ है कि वर्ष 1993-94 का 1.09 करोड डाक वस्तुओं का स्पीड पोस्ट परियात वर्ष 1994-95 में बढकर 1.25 करोड़ हो गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दूरसंचार पैकेज

2846. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घोषित किए गए दूरसंचार पैकेज का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऐसे ब्लाकों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और इस समय टेलीफोन से जुडे ब्लाकों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा शेष ब्लाकों में टेलीफोन लगाये जाने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) देश में राज्यवार कुल कितने गांव हैं और राज्य वार कितने गांवों को टेलीफोन से जोडा गया है तथा शेष गांवों में टेलीफोन लगाए जाने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) देश में कुल 604925 गांव हैं जिनमें से 30.11.1995 तक 1,94,848 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। राज्यवार सूचना अनुबंध में दी गई है। सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 को अपनाया है जिसमें वर्ष 1997 तक प्रत्येक गांव में एक-एक सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

1. 22 नवंबर, 1995 को घोषित ग्रामीण दूरसंचार पैकेज के घटक इस प्रकार हैं :

(क) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क कालें प्रति बिल चक्र (बिलिंग साइकिल) 150 से बढ़ाकर 250 करना।

(ख) 10,000 लाइनों तक की एक्सचेंज प्रणालियों से सेवित ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, पंजीकरण शुल्क 2000 रु. से घटाकर 1000 रु. करना।

(ग) सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए टेलीफोन किराया घटाकर 100 रु. करना।

(घ) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, इस समय संस्थापना प्रभारों के बतौर निर्धारित 300 रु. की राशि को, 31.3.98 तक जारी रखा जाएगा।

(ङ) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, निशुल्क कॉल सीमा के बाद, पहली 200 स्थानीय, एस. टी. डी. और आई. एस. डी. के कॉल प्रभारों में 25% तक की कमी।

(च) पंचायत पी सी ओ फ्रेंचाइजियों की सकल कारोबार पर संदय कमीशन को 20% से बढ़ाकर 50% करना, जिसमें डाक विभाग द्वारा चलाई गई पंचायत संचार सेवा योजना के फ्रेंचाइजियों को प्रदान किए जाने वाले टेलीफोन भी शामिल हैं।

(छ) **एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ फ्रेंचाइजियों की कमीशन**

i) ग्रामीण क्षेत्रों में सकल कारोबार पर कमीशन में प्रति माह 25% तक वृद्धि।

ii) मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों/आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के गैर ग्रामीण क्षेत्रों में, पी सी ओ फ्रैंचाइजियों के कमीशन में, प्रतिमाह 50,000 रु. तक के सकल कारोबार पर 20% तक और इसके बाद में 15% तक वृद्धि।

iii) देश के शेष भाग में एस टी डी पी सी ओ फ्रैंचाइजियों को प्रति माह कमीशन सकल कारोबार पर निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा 20000/- रु. तक 16%, 20,000 रु. और 50,000 रु. के बीच 15% और 50,000 रु. से अधिक 12%।

(ज) नीचे दी गई तीन शर्तों में से एक शर्त पूरी होने पर, देश के ग्रामीण पहाडी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 30 कि.मी. तक और अन्य क्षेत्रों मे 20 किमी. तक ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान करना :

i) जिस एक्सचेंज से काल की जाए और जिस एक्सचेंज को काल की जाए, दोनों एक ही कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस डी सी ए) में स्थित हों।

ii) जिस एक्सचेंज से काल की जाए और जिस एक्सचेंज को काल की जाए, दोनों एक ही कम-दूरी-प्रभारण क्षेत्र के अंतर्गत न आते हों, तो सदृश कम-दूरी-प्रभारण क्षेत्र, यथास्थिति, एक दूसरे से 20 किमी. की दूरी पर स्थित हों।

iii) जिस एक्सचेंज से काल की जाए और जिस एक्सचेंज को कॉल की जाए, दोनों समीपवर्ती कम-दूरी-प्रभारण क्षेत्रों में स्थित होने पर भी, उनकी सीमा एक ही हो।

2. रियायती दरें 1.1.1996 से लागू होंगी। इस पैकेज का वित्तीय प्रभाव प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रु. होगा।

30.11.1995 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	गांवों की कुल सं.	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	29460	17000
2.	असम	22224	7065
3.	बिहार	79208	11250
4.	गुजरात (दादर और नगर हवेली, दमन और दीव सहित)	18735	12527
5.	हरियाणा	7190	6276
6.	हिमाचल प्रदेश	16997	3211
7.	जम्मू तथा कशमीर	6447	1421
8.	कर्नाटक	27024	11118
9.	केरल	1530	1530
10.	मध्य प्रदेश	71526	26400
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	40430	20596
12.	उत्तर पूर्व (मिजोरम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा तथा मणिपुर सहित)	14197	2111
13.	उड़ीसा	46989	10600
14.	पंजाब	13253	8411
15.	राजस्थान	37889	10601
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	20196	13479
17.	उत्तर प्रदेश	112568	24979
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	38337	5954
19.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	534	128
20.	महानगर टेलीफोन निगम लि. नई दिल्ली	191	191
	जोड़ :	604925	194848

दिल्ली में बाढ़

2847. श्री बलराज पासी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1995 में दिल्ली में बाढ का खतरा हरियाणा द्वारा अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ने के कारण बढा था;

(ख) क्या हरियाणा के पास ग्रीष्मकाल के दौरान अतिरिक्त मात्रा में पानी था लेकिन इसे दिल्ली हेतु नहीं छोड़ा गया था;

(ग) क्या दिल्ली में बाढ़ के खतरे को बढाने के लिए यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि करने में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की भी समाज विरोधी व्यक्तियों के साथ सांठगांठ थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निकट भविष्य में खतरों से बचने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) अगस्त, 1995 के दौरान दिल्ली में यमुना में कोई भारी बाढ़ नहीं आई। हरियाणा में कोई भडारण संरचाएं नहीं हैं। इसलिए यमुना नदी की बाढ को हरियाणा में विनियमित नहीं किया जाता है और यह पानी बिना किसी नियंत्रण के नीचे बहा दिया जाता है।

(ख) यमुना जल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लाभग्राही राज्यों के बीच इन राज्यों द्वारा 12 मई, 1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आबंटित किया जाता है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन 11 मार्च, 1995 को समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए किया गया। बोर्ड ने 22 अप्रैल, 1995 से कार्य करना शुरू किया।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड तथा भारत सरकार के निदेशों के अनुसार पिछली गर्मियों में हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 200 क्यूसेक अतिरिक्त जल दिया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अफ्रीकी देशों को सहयोग

2848. श्री सत्यदेव सिंह :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री रामपाल सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दूरसचार के क्षेत्र में अफ्रीकी देशों को सहयोग देने का विचार प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अफ्रीकी देशों की इस संबंध मे क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने, दूरसंचार लिंक की स्थापना तथा प्रबंधन, दूरसंचार नेटवर्क संस्थापना, दूरसंचार परामर्श आदि जैसे दूरसंचार क्षेत्रों में, विभिन्न अफ्रीकी देशों को अपना सहयोग प्रदान किया है।

(ग) बहुत अच्छा।

[अनुवाद]

कोयले का खनन

2849. डा. वसंत पवार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षो के दौरान सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट ने कोयला खनन के क्षेत्र में परामर्शदात्री सेवा के लिये कोई क्रयादेश प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त सस्थान द्वारा प्राप्त किये गये विदेशी आर्डर कितने हैं और ऐसे ठेकों का कुल मूल्य कितना है; और

(ग) तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजायन संस्थान लि. ने दो वर्षो की अवधि के दौरान (सितम्बर, 1993 से दिसम्बर, 1995) की अवधि में 23 वाह्य परामर्शदात्री आर्डर प्राप्त किए, जिसमें भारत से बाह्य का एक परामर्शदात्री आर्डर शामिल है। 22 स्थानीय आर्डरों की कुल संविदा कीमत 10.80 मिलियन रुपये है और उक्त देश में मछुआ कोलियारी और तापीय विद्युत गृह के लिये व्यवहार्य रिर्पोट तैयार किए जाने हेतु तंजानिया से प्राप्त विदेशी आर्डरों की संविदा कीमत 2.55 मि. अमरीकी डालर की है।

अल्पसंख्यकों के बच्चों हेतु निधि

2850. प्रो. उम्मारेडिड् वेंकटेस्वरलु : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के कल्याण हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि का विशेष रूप से प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के लिये आंध्र प्रदेश के लिये कितनी धनराशि का आवटन किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये अल्पसंख्यक बहुल जिलों में तीन अलग शैक्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता आ रहा है, ये क्षेत्र गहन कार्यक्रम, मदरसा शिक्षा और सामुदायिक पालीटैक्निक का आधुनिकीकरण है। ये योजनाएं सबद्ध राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा

एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान उन बच्चों को सहायता प्रदान कर रहा है जो साम्प्रदायिक दंगों में निराश्रित हो जाते है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक और अपवाद के मामलों में 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों को "क" और "ख" श्रेणी के नगरों में 425/- रु. तथा अन्य स्थानों पर 375/- रु. प्रतिमास प्रति बच्चे को मासिक राशि दी जाती हैं। इस सहायता में फीस, पाठयपुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दी, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल तथा मनोरंजन जैसी मदें शामिल हैं।

(क) मौलाना आजाद शिक्षण प्रतिष्ठान एक पंजीकृत सोसाइटी है जो अल्पसंख्यकों और पिछड़े समाज के शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों में शैक्षिक कार्यकलापों को बढावा देने में कार्यरत है। ये सोसाइटी अवासीय स्कूलों विशेषकर लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना करने और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करती है।

(ख) मौलाना आजाद प्रतिष्ठान अपनी योजनाएं 30.01 करोड़ रु. की संग्रह निधि पर प्राप्त ब्याज से कार्यान्वित करता है। 1995-96 के दौरान 4.63 करोड़ रु. में राशि "शिक्षण कार्यकलाप" के शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्र सघन कार्यक्रम के लिए प्रावधान 2.20 करोड रु. है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण्ण के लिए 0.40 करोड रु. और सामुदायिक पालीटेक्नीको के लिए 0.30 करोड़ रु. का प्रावधान है। राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान अपने कार्यक्रमों को 10 करोड़ रु. की संग्रह निधि पर प्राप्त ब्याज से कार्यान्वित करता है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

दिल्ली में टेलीफोन काल संबंधी घोटाला

2851. श्री मोहन रावले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में अक्तूबर, 1995 में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन काल घोटाले का कोई मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों सहित संलिप्त पाए गए व्यक्तियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) टैगोर गार्डेन क्षेत्र मे 2 टेलीफोनों के दुरूपयोग से 80 लाख रु. के घपले के एक मामले का पता चला था। प्रारंभिक जांच पडताल से यह पता चला कि इनमें कुछ बाहरी व्यक्ति लिप्त थे, जिन्होने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियो की मिली भगत से फर्जी नामो पर टेलीफोन ले रखे थे।

(ग) तीन बाहरी व्यक्ति तथा चार एम टी एन एल के कर्मचारियों, जिन पर दुरूपयोग का आरोप है को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। एम टी एन एल के चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) से जांच के परिणाम पता लगने के बाद इस मामले में लिप्त बाहरी व्यक्तियों और एम.टी.एन.एल के कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक/दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

2852. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषत: आध प्रदेश में, अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने के लिए कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन संस्थानों से कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(ग) इन संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् देश में डिग्री और डिप्लोमा स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के उचित व समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए 1987 के अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। नए संस्थान शुरू करने के लिए इस परिषद् द्वारा विनियमों के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है।

देश में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित केवल लडकियों के लिए कोई व्यवसायिक संस्थान मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

2853. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज इस समय किन-किन स्थानों पर कार्यरत रहे हैं और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी है;

(ख) 1995-96 के दौरान किन-किन स्थानों पर ऐसे एक्सचेंजों की स्थापना किए जाने का विचार है;

(ग) राज्य में टेलीफोन कनेक्शन के लिए एक्सचेंज-वार, कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में है; और

(घ) इन व्यक्तियो को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) अद्यतन जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

असम में गरीबी उन्मूलन योजना

2854. श्री प्रबीन डेका : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की सरकार ने गरीबी कम करने संबंधी कोई योजना स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में कितनी सहायता की मांग की गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। असम सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कोई नई योजना प्रस्तुत नहीं की है। बहरहाल, राज्य में चालू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, नेहरु रोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवाद से निपटना

2855. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गृह सचिव तथा कनाडाई उच्चायुक्त ने हाल ही में दोनों देशों मे आतंकवाद से निपटने के लिए अनुसमर्थन संधि पर विचार विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से किन-किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया;

(ग) क्या गत वर्ष अक्तूबर में गृह मंत्री द्वारा कनाडा में जिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उसे पूर्ण रुप से कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) केन्द्रीय गृह सचिव और कनाडाई उच्चायुक्त दिनांक 19.10.95 को मिल और भारत सरकार और कनाडा की सरकार के बीच पहले हस्ताक्षरित, आपसी वैधनिक सहायता अनुसमर्थन दस्तावेज का आदान प्रदान किया।

(ग) और (घ) दोनों देशो के बीच अनुसमर्थन दस्तावेज के आदान प्रदान के समय से ही यह लागू हो गया। एम. एल. ए. टी. में आतंकवाद से संबंधित अपराध और अपराध द्वारा अर्जित आय का पता लगाना, नियंत्रित करना और उसे जब्त करने सहित अपराध की जांच-पड़ताल करने, अभियोजन चलाने और अपराध को समाप्त करने में भारत और कनाडा की संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग का प्रावधान है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के डाकघर

2856. श्री दत्ता मेघे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्यरत डाकघरों और शाखा डाकघरों की वर्तमान संख्या जिलावार कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार और जिला वार कितने डाकघर और शाखा डाकघर खोले गए; और

(ग) इस वर्ष जिलावार कितने डाकघर खोले जाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महाराष्ट्र राज्य में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या, जिलावार संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक रुप से खोले गए डाक घरों और शाखा डाकघरों की संख्या, वर्षवार और जिला वार संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) वार्षिक योजना 1995-96 में, महाराष्ट्र मे 8 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 11 विभागीय उप डाकघर खोलने का विचार है, जिसका जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। तथापि, वास्तविक रूप से डाकघर खोलना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। डाकघर खोलने संबंधी मानदंड सलंग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य में 31.3.95 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या, जिलावार।

क्र. सं.	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या जिसमें अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर शामिल नहीं है	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	बंबई	265	9
2.	अहमदनगर	105	537
3.	अकोला	53	340

1	2	3	4
4.	अमरावती	74	372
5.	औरंगाबाद	59	299
6.	बुलदाना	66	280
7.	भंडारा	41	258
8.	बीड	34	285
9.	चन्द्रपुर	39	261
10.	धुले	54	397
11.	गढ़चिरोली	17	201
12.	जालना	20	145
13.	जलगांव	88	424
14.	कोल्हापुर	193	434
15.	लातूर	30	256
16.	नागपुर	118	223
17.	नांदेड	51	404
18.	नासिक	93	569
19.	ओसमानाबाद	30	243
20.	पुणे	208	570
21.	परभनी	32	270
22.	रायगढ	48	273
23.	रत्नागिरी	85	552
24.	शोलापुर	100	431
25.	सतारा	98	556
26.	सांगली	97	326
27.	सिंधुदुर्ग	62	291
28.	ठाणे	117	315
29.	वर्धा	33	152
30.	यवतमाल	48	321
	कुल :	2268	10002

विवरण-II

31.3.95 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक रुप से खोले गए डाकघरों का जिलेवार ब्यौरा।

क्र. सं.	जिले का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
		*अति. वि. शा. डाकघर	वि. उप.** डाकघर	अति. वि. शा. डाकघर	वि. उप. डाकघर	अति. वि. शा. डाकघर	वि. उप. डाकघर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बंबई	–	3	–	–	–	–
2.	अहमदनगर	3	–	9	–	–	–
3.	अकोला	2	–	1	–	–	–
4.	अमरावती	1	–	10	–	–	–
5.	औरंगाबाद	–	1	–	–	–	–
6.	बुलदाना	3	–	3	–	–	–
7.	भंडारा	5	–	2	–	–	–
8.	बीड	2	–	–	–	–	–
9.	चन्द्रपुर	5	–	4	–	–	–
10.	धुले	6	1	8	–	–	–
11.	गढ़चिरोली	5	1	10	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जालना	1	–	1	–	–	–
13.	जलगांव	1		1	–	–	–
14.	कोल्हापुर	12	1	1	1	–	–
15.	लातूर	–	1	–	–	–	–
16.	नागपुर	–	–	3	–	1	–
17.	नांदेड	6	–	–	–	–	–
18.	नासिक	4	2	5	–	–	–
19.	ओसमानाबाद	–	–	1	–	–	–
20.	पुणे	18	–	12	7	–	–
21.	परभनी	2	–	–	–	–	–
22.	रायगढ	6	–	5	–	–	–
23.	रत्नागिरी	4	–	2	–	–	1
24.	शोलापुर	7	–	2	1	–	–
25.	सतारा	–	–	8	–	–	–
26.	सांगली	5	1	1	–	–	–
27.	सिंधुदुर्ग	8	–	–	–	–	–
28.	ठाणे	14	4	13	–	–	–
29.	वर्धा	–	–	–	–	–	–
20.	यवतमाल	2	–	3	–	–	–
	कुल :	122	15	105	9	2	1

* अति. वि. शा. डाकघर = अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

** वि. उप डाकघर = विभागीय उप डाकघर

विवरण-III

महाराष्ट्र में, वार्षिक योजना 1995-96 के अंतर्गत डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का श्रेणीवार और जिलावार ब्यौरा।

क्र. सं.	जिले का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	–	1
2.	अमरावती	1	–
3.	औरंगाबाद		1
4.	चन्द्रपुर	–	2
5.	धुले	1	–
6.	गढ़चिरोली	1	–
7.	जालना	–	1
8.	कोल्हापुर	1	–
9.	ओसमानाबाद	1	–
10.	पुणे	1	2
11.	परभनी	–	1
12.	रायगढ	1	–
13.	सांगली		1
14.	ठाणे	1	2
	कुल :	8	11

विवरण-IV

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. **नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

1.1 **जनसंख्या :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

ग्रामो के एक समूह की जनसंख्या 3000 (जिस गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है उसकी जनसंख्या सहित)।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवो के एक समूह की जनसंख्या 1000.

1.2 **दूरी :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

निकटतम मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 किमी. होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

पहाडी इलाकों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट देनी अपेक्षित हो। ऐसी परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **अनुमानित आय :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33⅓ प्रतिशत होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

2. **नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

2.1 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार प्रतिदिन 5 घंटे होना चाहिए।

2.2 सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400/- रु. से अधिक और जनजातीय तथा पहाडी क्षेत्रों में 4800/- रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, शहरी क्षेत्रो मे डाकघर को आरभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे और आगे बनाए रखे जाने के लिए डाकघर से 5 प्रतिशत लाभ होना चाहिए।

2.3 20 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. और अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से निकट नही होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की सीमा में छूट देने का अधिकार है।

2.4 शहरी क्षेत्र मे एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

[अनुवाद]

रसोई गैस के खाली सिलेंडरों का मूल्य

2857. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस के खाली सिलेंडर का खरीद मूल्य क्या है तथा एक साल की खरीद के बाद इसकी बुक वेल्यू क्या है;

(ख) क्या तेल निगम द्वारा खरीदे गए रसोई गैस सिलेन्डरों की संख्या और सिरीज दर्शाने वाली कोई सूची इसमें संबंधित वितरकों/क्षेत्री कार्यालयों को परिचालित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या तेल निगमों द्वारा वितरको से तकनीकी दृष्टि से खराब रसोई गैस सिलेंडर स्वीकार किए गए; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान ऐसे कितने सिलेंडर बोटलिंग संयंत्रों द्वारा प्राप्त किए गए?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वाल्व की लागत, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और भाडे सहित 14.2 कि.ग्रा वजन वाले सिलेंडर की औसत अधिप्राप्ति लागत लगभग 900 रुपए प्रति सिलेंडर बैठती है। पूर्ण पूंजी वसूली के बाद सिलेंडर की लागत शून्य हो जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भरण संयंत्रों द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों से प्राप्त खाली सिलेंडरो की कड़ी जांच की जाती है, ताकि उनके असली होने के संबंध में पता लगाया जा सके। पिछले तीन वर्षो के दौरान भरण संयंत्रों पर प्राप्त तकनीकी रूप से नकली सिलेंडरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1992-93	21720
1993-94	22147
1994-95	20653

दिल्ली टेलीफोन

2858. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23-25 जुलाई, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हू केयर्स फार दिल्ली टेलीफोन्स" शीर्षक से प्रकाशित लेखमाला की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) इन लेखों में, महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली की टेलीफोन सेवाओं के संबंध में शिकायतें की गई थीं।

(ग) इन लेखो में उल्लिखित शिकायतों की महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली द्वारा जांच की गई है तथा उपर्युक्त निवारक कार्रवाई की गई है।

दिल्ली पुलिस

2859. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

2860. श्री सुधीर सावंत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंधुदुर्ग के अलग डिवीजन को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है;

(ख) सावंतवाड़ी वेनगुरला, मानवान, कुडाल, कोंकावली, देवगढ़ राजापुर, लांज और संगमेश्वर में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन दे दिए जाने की संभावना है;

(ग) महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि में 31 मार्च, 1996 तक किन-किन स्थानों पर एस टी डी सुविधा आरंभ कर दी जायेगी;

(घ) उक्त दोनों जिलों में 31 मार्च, 1996 तक कितने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आरंभ कर दिए जाऐंगे और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोंकावली, वेनगुरला और संगमेश्वर में एस टी डी सुविधा कब तक उपलब्ध कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सिंधुदुर्ग को एक अलग मंडल के रूप में 17.11.95 को स्वीकृति मिल गई है।

(ख) सावंतवाड़ी, कुडाल और संगमेश्वर की प्रतीक्षा सूची 31.3.96 तक और शेष स्थानों की प्रतीक्षा सूची 31.3.97 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

(ग) सिंधुदुर्ग – शून्य

रत्नागिरि – संगमेश्वर

(घ) **सिंधुदुर्ग जिला**

1.	256 पोर्ट सी–डॉट	ओरात मे
2.	256 पोर्ट सी–डॉट	मलवान में
3.	256 पोर्ट सी–डॉट	कमकावली में
4.	128 पोर्ट सी–डॉट	जराप में
5.	120 पोर्ट सी–डॉट	रामगढ में
6.	128 पोर्ट सी–डॉट	मलगांव में

रत्नागिरि जिला

1.	256 पोर्ट सी–डॉट	रामपुर में
2.	256 पोर्ट सी–डॉट	रनारी मे
3.	256 पोर्ट सी–डॉट	पाली मे
4.	128 पोर्ट सी–डॉट	वाधीवरे में
5.	128 पोर्ट सी–डॉट	कोडई में
6.	128 पोर्ट सी–डॉट	अंगावली में
7.	128 पोर्ट सी–डॉट	वकावली में
8.	512 पोर्ट आई एल टी	संगमेश्वर में

निरंतर

(ङ) कोजकोवली और वेंगुरला मे पहले ही एस टी डी प्रदान की जा चुकी है, संगमेश्वर में 31.3.96 तक एस टी डी प्रदान करने की संभावना है।

कोयला स्टाकयार्ड

2861. श्री राम निहोर राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. के अंतर्गत कुल कितने कोयला स्टाकयार्ड कार्यरत हैं;

(ख) क्या दिसम्बर, 1993 के पश्चात् कोल इंडिया लि. ने कुछ स्टाकयार्डों को बंद कर दिया है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बंद किए गए स्टाकयार्डों का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी वर्तमान में 3 कोयला स्टाकयार्डों का संचलन कर रही है।

(ख) और (ग) जी, हां। को.इ.लि. ने 12 स्टाकयार्डों को बंद कर दिया है। इनमें से 7 स्टाकयार्ड पश्चिम बंगाल में, 3 दिल्ली में और एक-एक स्टाकयार्ड तमिलनाडु तथा उडीसा में है।

(घ) और (ङ) को.इ.लि. द्वारा स्टाकयार्ड के लिए भूमि तथा इमारते हेतु संविदा प्राप्त कर ली गई है। स्टाकयार्डों को बंद किए जाने के बाद इन्हें सम्बद्ध मालिकों को वापिस कर दिया गया है। को.इ.लि. को इन परिसम्पतियों को प्रयोग में लाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कोयले की आपूर्ति

2862. श्री हरिन पाठक : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) नवंबर, 1994 के पश्चात् आज तक रेल द्वारा कोल इंडिया लि. को मांगे गए माल डिब्बों की तुलना मे कितने माल डिब्बे दिए गए; और

(ख) कोल इंडिया लि. ने रेलवे द्वारा पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे नही दिए जाने की स्थिति में अपने उपभोक्ताओं से अपने सम्पर्क को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) नवंबर, 1994 से अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान और नवंबर, 1995 के महीने के दौरान रेलवे द्वारा आपूर्ति की गई वैगन और कोयला कंपनियों द्वारा कोयले का लदान किए जाने के लिए की गई पेशकश तथा वैगन लदान के लक्ष्य से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(चार पहिया वैगनों में प्रतिदिन)

(आंकडे अनंतिम)

	नवंबर, 94 से अक्तूबर, 95	नवंबर, 95
	(बिना मिलान किया गया)	
लक्ष्य	17340	18129
पेशकश	18042	20114
आपूर्ति	16501	17306

(ख) कोयला कंपनियां रेल द्वारा कोयले के संचलन में हुई कमी को पूरा किए जाने हेतु उपलब्ध स्रोतों से सड़क द्वारा रेल से संयोजित उपभोक्ताओं के संचलन हेतु कोल इंडिया लि. के अधीन कोयला कंपनियां कोयले की पेशकश कर रही हैं।

[हिन्दी]

केबल के ठेके

2863. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन केबल बिछाने के लिए दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केबल बिछाने के लिए निर्धारित गहराई क्या है;

(ग) इन ठेकेदारों की दूरसंचार विभाग के पास कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) गत छः महीनो के दौरान लोक निर्माण विभाग की सडकों को पहुंचाई गई क्षति के लिए राज्यवार राज्य सरकारों की कितनी सहायता दी गई?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले का उत्पादन

2864. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हो रहा है;

(ख) 1994-95 के दौरान खुली खदानों से धुले और अनधुले कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य तय है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) देश में कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिंको कं. लि.) की खानों से चालू वर्ष 1995-96 (नवंबर, 95 तक) की अवधि के दौरान में कोयले का उत्पादन 151.54 मि.टन (अनंतिम) हुआ है।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिये धुले कोयले का लक्ष्य 9.77 मि.टन का था। वर्ष 1994-95 के लिये कोल इंडिया लि. तथा सिं. को. कं. लि० के लिये कच्चे कोयले का लक्ष्य 248.60 मि.टन निर्धारित किया गया था, जिसमें से ओपन–कास्ट खानों का लक्ष्य 172.73 मि.टन रखा गया था।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिये कच्चे कोयले का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। किंतु, धुले कोयले के उत्पादन के संबंध में 91.7% उपलब्धि प्राप्त की गई है। धुले कोयले की उपलब्धता को बढाये जाने तथा लक्ष्य प्राप्त किये जाने के लिये उठाये गये मुख्य कदम नीचे दिये गये हैं :

(1) उपयुक्त गुणवत्ता वाले कम वाष्पशील मध्यम कोककर कोयले की आपूर्ति द्वारा वाशरियों के कच्चे कोयले के फीड में वृद्धि किया जाना।

(2) धुले कोयले की क्षमता उपयोगिता में तथा गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु विद्यमान वाशरियों को संशोधित किया जाना।

(3) विद्यमान खानों की पुनः स्थापना तथा नई खानों के विकास द्वारा कच्चे कोयले की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना है; और

(4) मधुबंद (भा. को. को. लि.) तथा केडला (से.को.लि.) के स्थान पर निर्माणाधीन दो नई वाशरियों को शीघ्र चालू किया जाना।

[अनुवाद]

ढांचागत सुधार

2865. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढांचागत सुधार लागू करने के बाद गरीब व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ढांचागत सुधार उपाय गरीब व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें, क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा घरेलू खपत व्यय के पंचवर्षीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संबंधी आंकडों का उपयोग करते हुए गरीबी के अनुमान लगाए जाते हैं। ऐसे विगत दो सर्वेक्षण वर्ष 1987-88 और 1993-94 के लिए किए गए थे। सुधार पश्चात् अवधि में किए गए 1993-94 सर्वेक्षण के उप प्रतिदर्श I के आधार पर कुछ अनंतिम परिणाम उपलब्ध करवाये गये हैं। 1993-94 सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध आंशिक परिणामों का, 1993-94 में गरीबी की स्थिति के लिए उनके आशय के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की कार्य नीति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) तीव्र, व्यापक आधारित, रोजगार सघन आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित आर्थिक सुधार का समग्र कार्यक्रम;

(ii) गरीबों के लिए विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के बारते बढा हुआ आबंटन;

(iii) गरीबों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के नये कार्यक्रम; और

(iv) केन्द्र सरकार के योजना परिव्यय में शिक्षा, स्वास्थ्य और कमजोर वर्गों के कल्याण जैसे समाज सेक्टरों के अंश में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

राजस्थान में आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र

2866. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अंतर्गत राजस्थान के और अधिक क्षेत्रों को लाने और इन जन संचार माध्यमों के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान के चुरू जिले में प्रस्तावित दूरदर्शन ट्रांसमीटर कब से काम करने लगेगा?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित धन-राशि, आधारभूत सुविधा की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राजस्थान में कवरेज सुधार करने के लिए आकाशवाणी की तीन योजनाओं के साथ-साथ दूरदर्शन के सात उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 38 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है।

(ग) चुरू जिले में राजगढ में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है और मार्च, 1996 तक तैयार किये जाने की संभावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

दूरसंचार सुविधा

2867. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर पिछडे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 अपनाई है जिसमें वर्ष 1997 तक पिछडे/ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक गांव में उत्तरोत्तर रूप से सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना है। इसके लिए ऐसी कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई है। जहां कहीं पर तार सुविधा की मांग है और परियात के अनुसार इसका औचित्य बनता है, वहां इन सार्वजनिक टेलीफोनों पर तार सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

(ख) 30.11.95 तक 194848 ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है जिनमें से 50536 मे तार सुविधा भी सुलभ है। इसके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं

विवरण

30.11.1995 तक ग्रामों में सुलभ दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति

क्र. स.	राज्य	ग्रामों की कुल संख्या	टेलीफोन सुविधा प्राप्त ग्रामों की संख्या	तार सुविधा सहित ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्राप्त ग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29460	17000	1974
2.	असम	2222	7065	230

1	2	3	4	5
3.	बिहार	79200	11250	3394
4.	गुजरात: दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव सहित	18735	12527	1147
5.	हरियाणा	7190	6276	64
6.	हिमाचल प्रदेश	16997	3211	173
7.	जम्मू एवं कश्मीर	6447	1421	290
8.	कर्नाटक	27024	11118	1596
9.	केरल	1530	1530	9
10.	मध्य प्रदेश	71526	26000	26192
11.	महाराष्ट्र : गोवा सहित	40430	20596	1365
12.	उत्तर पूर्व : मिजोरम, नागालैंड अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा मणीपुर सहित	14197	2111	शून्य
13.	उडीसा	46989	10600	3340
14.	पंजाब	13253	8411	270
15.	राजस्थान	37889	10601	2193
16.	तमिलनाडु : पाण्डीचेरी सहित	20196	13479	2215
17.	उत्तर प्रदेश	112568	24979	4734
18.	प० बंगाल : सिक्किम सहित	38337	5954	
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	534	128	1350
20.	एमटीएनएल, नई दिल्ली	191	191	शून्य
	जोड़ :	604925	194848	50536

[अनुवाद]

नए पेट्रोल पम्प

2868. डा० साक्षीजी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल चयन बोर्ड द्वारा 1994-95 के लिए उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए नए पेट्रोल पम्प सबद्ध आवंटियों को आवंटित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) (क) और (ख) जी हां। तेल कंपनियों ने 1994-95 में तेल चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश) द्वारा अनुशंसित सभी 111 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आशय पत्र जारी कर दिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघरों हेतु भवन

2969. श्री एन. जे. राठवा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान डाकघरों हेतु विभागीय भवनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि, राज्य-वार नियत की गई; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार किन-किन स्थानों पर इन भवनों का निर्माण किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान डाकघरों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान डाकघरों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित राशि का डाक सर्किल-वार ब्यौरा

सर्किल	राशि (लाख रु० में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1.30
असम	13.50
बिहार	20.95
दिल्ली	2.80
गुजरात	68.78
हरियाणा	16.31
हिमाचल प्रदेश	62.06
जम्मू व कश्मीर	15.69
केरल	88.20
कर्नाटक	48.37
मध्य प्रदेश	53.70
महाराष्ट्र	127.92
उत्तर–पूर्व	36.89
उड़ीसा	37.60
पंजाब	–
राजस्थान	23.99
तमिलनाडु	24.57
उत्तर प्रदेश	15.01
पश्चिम बंगाल	25.97
कुल :	683.61

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास

2870. श्री अन्ना जोशी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का विचार कुछ और छात्रावासों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण किन–किन स्थानों पर किया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) इस समय महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए 192 होस्टल तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 158 होस्टल हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2075 होस्टल हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों के लडकों तथा लडकियों-प्रत्येक के लिए तीन होस्टलों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए वर्तमान 13 तथा अनुसूचित जाति की लडकियों के लिए एक होस्टल भवनों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। जहां तक अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों का संबंध है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इन प्रस्तावित होस्टलों की अवस्थिति तथा संवासियों की सख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रमसं०	स्कूलों/होस्टलों के नाम	स्थान	संवासियों की संख्या
1	2	3	4
(क)	**अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल**		
1.	गर्वेन्मेन्ट बी. सी. बायेंज होस्टल, भिवन्दी	भिवन्दी, जिला थाने	75
2.	गर्वेन्मेन्ट बी. सी. बायेंज होस्टल, वैजापुर	वैजापुर, जिला औरगांबाद	75
3.	गर्वेन्मेन्ट बी. सी. बायेंज होस्टल, लातुर	जिला लातुर	75

1	2	3	4
(ख)	**अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल**		
	1. गर्वन्मेन्ट बी.सी.एंड इ.बी.सी गर्ल्ज वासिम होस्टल	कासिम, जिला अकोला	80
	2. गर्वेन्मेन्ट बी.सी.एंड ई.बी.सी. गर्ल्ज कोतल होस्टल	कोटल होस्टल, जिला अहमदनगर	80
	3. बी.सी. गर्ल्ज होस्टल, वैजापुर	वैजापुर, जिला औरगांबाद	75
(ग)	**एस.सी बायंज स्कूलस/होस्टल रन बाई एन.जी.ओ.एस**		
	1. भाररसी शिक्षण प्रसारक मंडल, बर्षो	जिला सोलापुर	29
	2. श्री कपिलेश्वर बी.सी. पोनजार वर्षो ताल	जिला अकोला	60
	3. शिवाजी ग्राम विकास कुरूर्सीविकास मंडल	खामगोन, सोलापुर	32
	4. आदर्श शिक्षण संस्था खेद यशवनत्रा वदण विद्यार्थी गृह	ओसमानाबाद	31
	5. जनता विद्या मंडल अमरावती विद्यार्थी वस्तीगढ़।	अकोला	120
	6. विद्या विकास शिक्षण संस्था निपानी ताल कालामब विद्यार्थी वस्तीगृह	जिला उस्मानाबाद	36
	7. श्री छत्रपति शिवाजी शिक्षण संस्था आदस संचालित यशवन्त मेगस वस्तीगृी कीज	जिला बीद	60
	8. विमुक्ता जाति समिति वासंतनगर ताल, मुखद संचालित फलसोंगनायक मगासवारजोया वी. सासंतनगर कोटयाल नानडिड.	जिला नानडिड	100
	9. आदिवासी सेवा समिति नासिक संचालित विद्यार्थी वस्ती, आम्बेपाडा	जिला नासिक	28
	10. आदिवासी सेवा समिति नासिक संचालित हरिसूल पथ	जिला नासिक	100
	11. श्री गादगे महाराज आदिवासी वी.वी.जी.	जिला पुणे	84
	12. श्री गणेश मागासवस्तोगरिहा जैयना	जिला जैयना	20
	13. यशवन्त वबोदयार्थी वी. जी. प्रभानी	जिला प्रभानी	31
(घ)	**एस. सी. गर्ल्ज स्कूलस/होस्टल रन बाई एन. जी. ओएस**		
	1. आदिवासी सेवा समिति संचालित कन्या फॉर गर्ल्ज	जिला नासिक	40

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे के लोग

2871. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित घरेलू उपभोक्ता व्यय के पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाता है। पिछली दो अवधियों के लिए गरीबी के तुलनीय अनुमान वर्ष 1983-84 तथा 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं। योजना आयोग ने वर्ष 1983--84 में 271.0 मिलियन तथा 1987-88 में 237.7 मिलियन व्यक्तियों का गरीबी रेखा के नीचे होने का अनुमान लगाया है। वर्ष 1983-84 तथा 1987-88 के बीच गरीबों की संख्या में 12 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन स्टुडियो

2872. श्री महेश कनोडिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दूरदर्शन के स्टूडियों की स्थापना करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) दूरदर्शन के विद्यमान स्टूडियों का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान दूरदर्शन के और अधिक स्टूडियों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों (स्टूडियों) की स्थापना करने से संबंधित मुख्य मानदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ

(i) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां ;

(ii) सांस्कृतिक महत्व के स्थान ; और

(iii) विशिष्ट समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से चयनित रिले केन्द्र शामिल हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96 की शेष अवधि के दौरान पटना, इटानगर जलपाइगुडी, मऊ और पोर्ट ब्लेयर स्थित टी.वी स्टूडियों को पूरा किए जाने की संभावना है। तथापि, इन परियोजनाओं को चालू करना स्टाफ की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

मौजूदा टी वी कार्यक्रम निर्माण केन्द्र/स्टूडियो।

(10.12.1995 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	असम	गुवाहाटी
		डिब्रूगढ
		सिल्चर
		गुवाहाटी (कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र)
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराब
3.	बिहार	रांची
		पटना (अंतरिम)
		मुजफ्फरपुर
		डाल्टनगंज
4.	गोवा	पणजी
5.	गुजरात	अहमदाबाद
		राजकोट
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
7.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
		जम्मू
8.	केरल	त्रिवेन्द्रम
9.	कर्नाटक	बंगलौर
		गुलबर्गा
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल
		रायपुर
11.	मेघालय	शिलांग
		तुरा
12.	महाराष्ट्र	बंबई
		नागपुर
13.	मणिपुर	इम्फाल
14.	मिजोरम	आइजोल
15.	नागालैण्ड	कोहिमा
16.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
		सम्बलपुर (अंतरिम)
17.	पंजाब	जालन्धर
18.	राजस्थान	जयपुर
19.	तमिलनाडु	मद्रास
		दूसरा चैनल स्टूडियो, मद्रास
20.	त्रिपुरा	अगरतला
21.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
		गोरखपुर
		बरेली
22.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
		दूसरा चैनल स्टूडियों, कलकत्ता
23.	दिल्ली	दिल्ली
		सीपीसी, दिल्ली
		संसद (अंतरिम)
24.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी

नेल्लोर जिले में तेल शोधक कारखाना

2873. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह जी. एस. एक्स. पेट्रोलियम लिमिटेड का नेल्लोर जिले में एक तेल शोधक कारखाने की स्थाप्रना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश ने इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस पर कितनी लागत आएगी?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) मैसर्स जी एस एक्स पेट्रोलियम लि. ने आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में लगभग 4047 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 एम. एम. टी. पी. ए. की एक शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (ई ओ यू) रिफाइनरी तथा एक सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया है। इस उद्देश्य से मैसर्स जी एस एक्स पेट्रोलियम लि. और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन था, परंतु अब इसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है।

यमुना नदी का खतरे का निशान

2874. श्री अमर पाल सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नदी के खतरे के निशान को निर्धारित करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग के पास दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के वर्तमान निशान को बढाकर ऊपर कर देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) नदी के खतरे के निशान को निर्धारित करने का मानदंड संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

किसी भी शहर के लिए चाहे वह समतल अथवा नदी के तट पर हो, के खतरे के स्तर का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने रेल पुल की नदी पर एक स्थान विशेष पर विगत 100 और 1000 वर्षों की बारंबारता तैयार करना।

(ii) 100 और 1000 वर्षों के दौरान जल का क्या स्तर रहा, इसे तैयार करना।

(iii) 100 वर्ष में बाढ के दौरान जल फैलाव का क्षेत्र क्या रहा, इसे तैयार करना।

100 वर्षों में जल स्तर प्रत्येक 0.30 मीटर बढने या घटने के फलस्वरूप होने वाले नुकसानों की मात्रा की गणना करना।

मकानों की संख्या, फैक्टरियों की संख्या, बिक्री केन्द्रों की संख्या, जलमग्न होने वाली सड़कों और रेलवे लाइनों की लंबाई, जल उपचार संयंत्रों और पंपिग मशीनों की संख्या, बड़े एवं छोटे नालों की लंबाई, स्विच बोर्ड और अन्य मशीनों की संख्या, भूमिगत संरचनाओं की संख्या जिसमें तहखानें और भूमिगत मंजिलों वाले भवन भी शामिल हैं, यानीय यातायात जिसमें जलमग्नता के अंतर्गत आने वाले निजी वाहन भी शामिल हैं, बाढ के कारण प्रभावित कार्यालयों की संख्या, कार्यालय घंटों का नुकसान, सरकारी कार्य प्रणाली के प्रभावित कार्य घंटे, प्रभावित व्यावसायिक घंटों की संख्या, प्रभावित जल आपूर्ति, सफाई और विद्युत आपूर्ति आदि।

(iv) नुकसान और जल स्तर के बीच सामंजस्यता की आयोजना तैयार करना।

(v) जल का वह चरण (स्तर) तैयार करना जिस तक नगरीय प्राधिकारी तटबंधों और अन्य स्थायी संरचनाओं, जिसमें बाढ जल पंपिंग केन्द्र आदि भी शामिल हैं, के निर्माण द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था करने में समर्थ हैं। जिस स्तर तक सिविल प्राधिकारी नुकसान को वहन करने अथवा जीवन और चल संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हों, उस स्तर को खतरे के स्तर के रूप में लिया जा सकता है और इस स्तर से नीचे एक मीटर चरण (स्तर) को चेतावनी स्तर के रूप में लिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

2875. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा जौनपुर जिलों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को सी डॉट 250 में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन कारणों से ये एक्सचेंज उपभोक्ताओं को कुशल, उचित तथा संतोषजनक सेवा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं;

(ग) इन जिलों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उपरोक्त जिलों में एम. ए. आर. आर. प्रकार के टेलीफोन भी प्रदान कराए गए हैं; और

(ङ) यदि हा, तो कहां-कहां ये सेवाए उपलब्ध करवाई गई है, तथा किन-किन स्थानों पर ये सेवा योग्य नहीं है तथा इन्हें सेवा योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। तथापि गाजीपुर और जौनपुर में सभी एक्सचेंज डिजिटल इलैक्ट्रानिक किस्म के

हैं। टेलीफोनों की मांग के आधार पर विभिन्न प्रकार के डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं।

(ख) सभी एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। तथापि, बिजली फेल हो जाना, चोरियां और ट्रंक टेलीफोन लाइनों को क्षति के कारण टेलीफोन सेवाओं में रूकावट उत्पन्न होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) बिजली फेल हो जाने के मामले पर राज्य प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर विचार किया गया है। इस मामले को जोरदार रूप से उच्च स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

लंबी दूरी के संचार की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए ओवरहैड ट्रंक लाइनों की चरणबद्ध रूप से विश्वसनीय संचार साधनों से बदला जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जौनपुर और गाजीपुर जिलो के जिन स्थानों पर एम ए आर आर प्रणालियां प्रदान की गई है, उनके नाम संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

सभी एम ए आर आर प्रणलियां संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

विवरण-I

जिला जौनपुर में उन स्थानों की सूची जहां एम ए आर आर प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

1. रिधी
2. अर्जुनपुर
3. नोनारां
4. जयसिंहपुर
5. भाकुरा
6. कानारापुर
7. शेखान
8. बानको
9. दलहानपुर
10. काछगुव
11. राजापुर
12. शाहपुर
13. लेदुका
14. सुखलालगंज बाजार
15. रामनगर (रामनीपुर)
16. तिलंगा
17. रामपुर दावन सिंह
18. शाहपुर साहनी
19. मेहुरा
20. पालघुपुर
21. गिरधरपुर
22. गोंडा खास
23. विशुनपुर
24. काकारिया
25. बेहरा
26. भादेही
27. हरवासपुर
28. गौराकालान
29. भुवाखुर्द
30. चांदपुर
31. गौनापार
32. कोहोरे सुल्तानपुर
33. पाचीखाए
34. मुनशीपुर
35. मीठीपार
36. रानीपुर
37. बीबीपुर
38. कबुलपुर
39. जगदीशपुर
40. जमाउदपट्टी
41. अजोशी
42. पमारापान
43. दुहावर
44. अहिरोली
45. रसूलपुर उर्फ कालीपट्टी
46. टेकारी
47. लाजीपार
48. चाकतुवान
49. सालश्वापुर
50. बानेवारा
51. औरा
52. कोरी
53. कालवाड़ी
54. हुसेपुर
55. छावीलेपुर
56. रासुलहा
57. दायुदपुर
58. फटटुपुर
59. सारासारा
60. कासानाही
61. भारासाध
62. बुधिपुर
63. भाधाना
64. चाकाताला
65. सुरूहुरपुर
66. नोकारा
67. रानापुर
68. खराउना
69. देनुक
70. पाली
71. मुसाईनी
72. जौनीपुर
73. माहावा
74. धुसेहरा
75. खोइरी
76. भादाखिन
77. धानेथु
78. खेतापुर
79. कमरुधोनपुर
80. अटरिया
81. सैदीपुर
82. हरदुआरी
83. ओहरौली
84. पाठखोली
85. मारिकपुर
86. भानौर
87. कान्ह बंसीपुर
88. गोधावा
89. धाटामपुर
90. कारमौवा
91. महामुदपुर पाटी हुलास
92. कान्हपुर
93. जारौता
94. रायपुत
95. कटवार
96. टांडीपुर
97. भानौर
98. जामुवान

99. बानकर माहुवारी
100. सिरौली
101. गोपालपुर
102. मौरा पाट्टी
103. ताराटी
104. सोतीपुर
105. नानाहार
106. थाधार
107. माहालई
108. हरिहारपुर
109. सुरेई
110. सरालदीह
111. बालौनकालान
112. दाम्बाद्वारा
113. कथठारी
114. कोपा
115. मारही
116. जाक्सी
117. पारापाटी
118. माराही
119. मई
120. गोवाश
121. भिटारी
122. बारामानपुर
123. देवर
124. ऐलिया
125. अमरौना
126. कोईलारो
127. मुरखा
128. औवार
129. हिमामपुर
130. मथुरापुर
131. गुलरा
132. भारेहारी
133. रामगरहा
134. बारदीहा
135. अभिलिया
136. कारौर
137. बानकार
138. कुसुमौली
139. बारेरी
140. बारावान
141. रामगढ़खास
142. गुलजारगंज
143. बिबिपुर
144. बासाहारा
145. उचदीह
146. भासीत
147. मेहान्ती
148. खानापाटी
149. कधार
150. मारावान
151. छातीदीह
152. धरमपुर
153. शेषपुर
154. मधुपुर
155. दीपापुर
156. उसरा
157. तिवारन
158. संचेनदीह
159. चितवार
160. मारूपुर
161. केशवपुर
162. सराइचा
163. कल्याणपुर
164. गाहारपाट्टी
165. अजीरपुर
166. कल्याणपुर
167. बारी
168. पाटाउरा
169. मुइली
170. सुलतानपुर
171. उमारी (पांडेपुर)
172. पारौवा
173. किरतारपुर
174. कोतवालपुर
175. नेवारहिया
176. सामासपुर
177. बैरामा
178. बिन्दुली
179. तेजीबाजार
180. धेमा
181. भामौरी
182. गोकुला
183. सरायभारी
184. इब्राहीमपुर
185. अर्जुनपुर
186. बुरहानपुर
187. मछलीगांव
188. भावानी
189. बीरभानपुर
190. चंदापुर
191. जान्नौर
192. परशुरामपुर
193. दोहदारी
194. कृष्णापुर
195. अमरौना
196. ताला बाजार
197. काचारा
198. बाहोरीपुर कालान
199. गजेन्द्रपुर
200. माहादा
201. मुकुन्दीपुर
202. कोल
203. टेकरदीह
204. सोनिकपुर
205. कायार
206. हरहाही
207. सोनगढ़
208. उराली
209. बारागी
210. जैनपुर
211. राजेपुर
212. अतारदीहा
213. जाहरूचीनपुर
214. हुसैनबाद
215. मितुपुर
216. इमुमकाहा
217. सारीजहागीर पाट्टी

विवरण-II

जिला गाजीपुर में उन स्थानों की सूची जहां एम ए आर आर प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

1. बाराईपारा
2. पारमाथ
3. सुहावल
4. दिलिया
5. खेताबपुर
6. अकरौन

7. धर्मागतपुर
8. दियोचांदपुर
9. चौककपुर
10. भारसार
11. भारखपुर
12. पहाडपुर
13. नेबाडा
14. नूरपूर
15. मरसानमौधा
16. नसीरपुर मौधा
17. रसूलपुर
18. कुरेचवार
19. रायपुर
20. गादनपुर
21. नागवा
22. सावाना
23. वेलाहारी
24. सिधावाना
25. इशीपुर
26. मुरायल
27. हीरानंदपुर
28. पारामानोकोला
29. आगापुर
30. बंसीपुर त्रिटरी
31. सियावान
32. भीकेपुर
33. अनौरी
34. भादिवा
35. भुसाहुआन
36. गौरी
37. चितौरा
38. तातारपुर
39. कुरवा सराय
40. भिटारी
41. महमूदपुर मैथनी
42. मौथिया
43. धुवरजुन
44. जेवाद
45. होटिलपुर
46. बाभानौली
47. सुराहा
48. मानिया
49. सायार
50. कुटबपुर
51. गारेजो
52. बाकसारा
53. दियोकाली
54. मिझावालिया
55. देवाल
56. नागदिलपुर
57. नसीरपुर
58. बाकेनिया
59. अमौरा
60. मनासारमिर राय
61. गागारान
62. भाभनावालिया
63. रियोतीपुर
64. बेमाउन
65. देरगाओनवा
66. कालुपुर
67. पटवानिया
68. मिडजीपुर
69. भीखीचौरा
70. कुवाराजपुर
71. नागसारनेवाजु
72. आसाउन
73. काटाधारा
74. बहरामपुर
75. सुलतानपुर
76. भारौली
77. बाराहाट
78. अदिला
79. बाधामई
80. रसूलपुर
81. रूकुनपुर
82. मुस्तफाबाद
83. कासवादायाल पुर
84. गोदाईपुर
85. महमूदपुर
86. खाजूरा
87. मसन्दपुर
88. लखनावाली
89. बाकीखुर्द
90. आमायान सिंह
91. जारूदेपुर
92. दिलसादपुर
93. सुखेहरी
94. बलियारिया
95. साजना
96. ताजपुर
97. आवागाडी
98. मादोन
99. बानको
100. सेमूर
101. पहाडीपुर
102. मुबारकपुर
103. मातादरबार
104. बाराचावार
105. मिर्जाबाद
106. माहानपुर
107. सिहुली
108. वैरान
109. गौसालपुर
110. खाराबारेजी
111. आसावार
112. सेरियामाहात
113. कमाईसारी
114. सियूटी
115. विरामपुर
116. हरिदासपुर
117. फाकराबाद
118. सालेमपुर
119. अहिरौली
120. पामजीपार
121. सिधागढ
122. पाली
123. बेहरोर
124. नेवाहा
125. सेवाना
126. सागापाली
127. सागापाली
128. पालिवार
129. गोरारी
130. बारखारा
131. चाकदोउद
132. सारसौली
133. गुआराउनो
134. शेरवारी
135. बहारामपुर
136. जयन्तीपुर
137. ओडराई
138. सरायमानिकराज

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित पाठ्यक्रम

2876. श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र विश्वविद्यालय (वाल्टेयर) में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों हेतु एक तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पाठ्यक्रम कब शुरू किया जायेगा?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (केप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जनवरी, 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि आंध्र प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों में से किसी एक में देश के अंतर्गत डेल्टाइक बेसिनों में अन्वेषण तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक डेल्टा मोडेलिंग केन्द्र स्थापित किया जाएगा तथापि, अभी इस केन्द्र की स्थापना की जानी है।

जांच के क्रम में यातनाएं देना

2877. श्री अनादि चरण दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच के क्रम में "थर्ड डिग्री" तरीके अपनाये जाने तथा यातनाएं देने पर रोक लगाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि थर्ड डिग्री मैथड और यंत्रणा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। जांच पडताल के दौरान यंत्रणा और थर्ड डिग्री मैथड को कानून के अंतर्गत पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। जांच पडताल के दौरान बल का अनुचित प्रयोग, भा. दं. सं. की धारा 330 और 331 के अधीन दंडनीय है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुग्राही बनाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए, ताकि उन कानूनी उपबंधों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि "पुलिस" राज्य का विषय है, तथापि जांच पडताल के दौरान पुलिस आपत्तिजनक और प्रतीडक तरीकों के प्रयोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धात जारी करती रही हैं। कानूनी सुरक्षा उपायों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि गिरफ्तारी करते समय, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते समय या पुलिस जाच या जांच पडताल के किसी अन्य स्तर पर पुलिस को बल प्रयोग करने से रोकने या पाबंदी लगाने के बारे में पुलिस मैन्युलो में निहित निर्देशों को बार-बार पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाया जाये। इस बात पर जोर दिया गया है कि थर्ड डिग्री मैथड का प्रयोग करने के दोषी पाए जाने वाले पुलिस कार्मिकों को उदाहरणात्मक दड दिया जाये। विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अलावा राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि आम जनता के प्रति पुलिस के दृष्टिकोण और व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपाय किए जाये। पुलिस बल को उपयुक्त रूप से सुग्राही बनाने के उद्देश्य से, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान नामतः राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद सहित अनेक पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में मानव अधिकार को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अन्य प्रशिक्षण सस्थानों का, जिनती जल्दी संभव हो, कवर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

संसद सदस्यों के टेलीफोन

2878. डा. वसंत पवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से उनसे संबंधित अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोनों के खराब रहने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल पर रायल्टी

2879. प्रो. उम्मारेडिड वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी तेल कंपनियों से कितनी रायल्टी प्राप्त होती है जिन्होंने गोदावरी बेसिन को पट्टे पर या अन्य व्यवसायिक शर्तों पर लिया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों से निर्धारित मात्रा में तेल निकाल लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) राव्या क्षेत्र के संबंध में विदेशी तेल कंपनियों, कमांड पेट्रोलियम तथा एजेंसी से 28 फरवरी, 95 से 30 जून, 95 तक की अवधि के लिए 1,03,35,000/- रुपए की धनराशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) विकास योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् 1996 मे राव्या क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन उपलब्ध होने की आशा की जाती है। तथापि, परिसंघ द्वारा क्षेत्र को हाथ में लिए जाने के समय से अक्तूबर, 1995 तक लगभग 8.5 लाख बैरल तेल का संचयी उत्पादन प्राप्त किया गया है।

असम में तेजपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र

2880. श्री प्रबीन डेका : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में आकाशवाणी केन्द्र तेजपुर को पूर्ण आकाश्वाणी केन्द्र का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस आकाशवाणी केन्द्र द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की प्रसारण अवधि क्या है तथा उक्त आकाशवाणी केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र कितना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) से (घ) असम में तेजपुर स्थित 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर, स्टूडियों, अभिग्रहण सुविधाओं और स्टाफ क्वार्टरों सहित एक पूर्ण सुसज्जित रेडियो स्टेशन का कार्यान्वयन काफी अच्छी प्रगति पर है और धनराशि, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वर्ष 1996-97 के दौरान चालू करने के लिए तैयार हो जाने की संभावना है।

1996 के विल्स विश्व कप क्रिकेट खेल का प्रसारण

2881. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने 1996 में होने वाले विल्स वर्ल्ड कप क्रिकेट के भारत में खेले जाने वाले मैचों के प्रसारण के लिये पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त क्रिकेट खेलों के प्रसारण के अधिकार किन कंपनियों को दिये गये हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) से (ग) जी, हां। विल्स वर्ल्ड कप के सभी 37 मैचों के संबंध में दूरदर्शन ने उक्त आयोजन के विश्व-व्यापी टी. वी. अधिकारधारक मैसर्स वर्ल्ड टेल इंक यू. एस. ए. से वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक टेलीविजन, केबल उपग्रह, पे टी.वी. तथ पे परव्यू सहित टेलीविजन के सभी रूपों के साथ-साथ रेडियो के बिना सीमा के भारत में सीधा प्रसारण करने के विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन केबलों की चोरी

2882. श्री दत्ता मेघे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेष रूप से महानगरों में टेलीफोन केबलों की चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार को इससे कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोचीन रिफाइनरी

2883. श्री राम निहोर राय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड ने क्रमशः नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2606 करोड और 8646 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओ की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी द्वारा इतनी भारी धनराशि किस तरह से जुटाने का विचार है; और

(ग) क्या नई परियोजनाओं को संयुक्त उद्यम के अतर्गत कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्रमशः 8646 करोड रुपए तथा 9828 करोड रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। वांछित निधि को इक्विटी निर्गम, आंतरिक संसाधनों तथा ऋण इत्यादि द्वारा जुटाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उपयुक्त संयुक्त उद्यम साझेदार के साथ कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा निम्नांकित परियोजनाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव हैं :

i) 10 एम टी पी ए क्षमता की ग्रास रूट रिफाइनरी।

ii) 500 एम डब्ल्यू विद्युत उत्पादन परियोजना

iii) पैरा-जायलीन /पी टी ए

iv) सामान्य पैराफिन्स /एल ए बी

v) सी3/सी4 डाउनस्ट्रीम परियोजनायें

vi) अपारंपरिक ऊर्जा परियोजना

vii) रसायन टर्मिनल

viii) नेफ्था/गैस ब्रेकर परिसर

ix) गैर आधारित विद्युत संयंत्र

एल० पी० जी० एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आवंटन का समय

2884. श्री हरिन पाठक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी क्षेत्र में एल० पी० जी० एजेंसी और पेट्रोल पम्प खोलने में एक से दो वर्ष का समय लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) किसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खोलने में विलम्ब के कारण मुख्यतया निम्नलिखित हैं :

(i) विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की भारी संख्या और अति व्यस्त कार्यक्रम के कारण तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन में देरी।

(ii) उपयुक्त भू–प्लाट के अधिग्रहण में और संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्राप्ति में समस्याओं के कारण मूलभूत सुविधाए स्थापित करने में विलंब

जिन डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को उपर्युक्त समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता वे एक वर्ष से कम अवधि में ही चालू कर दी जाती है।

(ग) तेल चयन बोर्डो/तेल कंपनियों को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन/चालू किए जाने के कार्य को शीघ्र सम्पादित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। चयन/चालू किए जाने की प्रगति की निगरानी करने के लिए नियमित निगरानी भी शुरू कर दी गई है।

एच० पी० सी० एल० और फ्रांस के बीच संयुक्त उद्यम

2885. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) और फ्रांस के टुटाल एस० ए० का विचार भारत में पेट्रोलियम संबंधी क्रियाकलापों के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्यम से भारत को विशेषकर रसोई गैस के आयात और विपणन के लिए अवसंरचनात्मक विकास में होने वाले लाभों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी एल पी जी के समानान्तर विपणन के लिए उपयोग किए जाने हेतु मूलभूत सुविधाओं (आयात टर्मिनल, भण्डारण, भरण संयंत्रों), वितरण सुविधा आदि का अध्ययन करेगी और उनका विकास करेगी। यह कंपनी मौजूदा नीति के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के नए सर्विस स्टेशनों के निर्माण और मौजूदा सर्विस स्टेशनों के आधुनिकीकरण द्वारा खुदरा ईंधन तेल के व्यापार को विकसित करने की व्यवहार्यता का भी अध्ययन करेगी। इससे एल पी जी की आपूर्ति और मांग के बीच भारी अन्तर को कम करने में सहायता मिलेगी जिससे घरेलू एल पी जी के ग्राहकों की लम्बी प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी।

(ग) जी हां।

(घ) समझौता ज्ञापन की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :–

(1) भण्डारण और वितरण सुविधाओं सहित बंदरगाह स्थलों पर एल पी जी के आयात के लिए भूलभूत सुविधाओं का अध्ययन करना और उनका विकास करना।

(2) जैसे और जब भारत सरकार द्वारा अनुमेय हो, भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की अतिरिक्त श्रेणियों का आयात करने, उत्पादन करने और/अथवा विपणन करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना।

(3) संयुक्त उद्यम करार पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के एक माह के भीतर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) मैसर्स टोटाल और एच पी सी एल में से प्रत्येक उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी की समता पूंजी के 50 प्रतिशत का धारण करेगी।

(5) संयुक्त उद्यम सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण और प्रचालन एच पी सी एल और टोटाल के स्तरों के अनुरूप होंगे।

अतिरिक्त जल का बंटवारा

2886. श्री राम सिंह कस्वां : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा द्वारा रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल के वितरण हेतु 1981 में एक समझौता हुआ था;

(ख) क्या समझौते के अनुरूप पंजाब को राजस्थान की आवश्यकता से अधिक जल का तब तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है जब तक कि राजस्थान अपने पूरे हिस्से का उपयोग में लाने की स्थिति में नहीं हो जाए;

(ग) क्या राजस्थान अब जल के अपने पूरे हिस्से की मांग कर रहा है;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा यह मामला स्पष्टीकरण के लिए एराडी न्यायाधिकरण के पास भेज दिया गया है;

(ङ) क्या कई वर्षों से इस न्यायाधिकरण की एक भी बैठक नहीं हुई है और परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार को दिक्कत हो रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) जी हां। मध्य वर्ष में 0.74 बी सी एम (0.6 मिलियन एकड़ फुट) की मात्रा तक।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) रावी–व्यास के अधिशेष जल के आबंटन से संबंधित विवाद अन्तर्राज्जीय जल विवाद अधिनिमय 1956 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित रावी–व्यास अधिकरण को 2.4.1986 को भेजा गया था। अधिकरण ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट जनवरी, 1987 में प्रस्तुत की थी। अधिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब राज्यों और केन्द्र सरकार ने अधिकरण से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण और मार्ग–निर्देश मांगे थे। अधिकरण के एक सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने के कारण, अधिकरण की और बैठकें नहीं हो सकी। जल संसाधन मंत्रालय ने रावी–व्यास जल अधिकरण का पुनरूज्जीवन करने की कार्रवाई प्रारंभ की है जिससे सरकार को अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो सके।

पाक प्रशिक्षित आतंकवादी

2887. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अगस्त, 1995 के "नवभारत टाइम्स" में "पाक–प्रशिक्षित कश्मीरी दिल्ली में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ पाक–प्रशिक्षित आतंकवादी राजधानी (दिल्ली) के विभिन्न भागों में बस गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि पाक–प्रशिक्षित उग्रवादी, राजधानी के भिन्न–भिन्न हिस्सो में बस गए हैं। तथापि, दिल्ली में इन तत्वों की उपस्थिति संबंधी रिपोर्टों के पश्चात्, 1995 में अभी तक पाक प्रशिक्षित आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार व्यक्तियों और उनसे हुई बरामदगी का ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आम तौर पर उग्रवादियों की ओर खासतौर पर कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली पुलिस निम्नलिखित कदम उठा रही है :–

(i) देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिया कश्मीरी उग्रवादियों सहित ज्ञात उग्रवादियों के क्रियाकलापों और गतिविधियों के बारे में एक डाटाबेस रखा जाता है।

(ii) केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा नियमित आधार पर बहुत निकट सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

(iii) सीमावर्ती राज्यों के साथ आपरेशन समन्वय के लिए एक सांस्थानिक एपरेटस सृजित किया गया है। पड़ौसी जिलों के पुलिस अधीक्षक, जानकारी आदान–प्रदान करने एवं रणनीति बनाने के लिए महीने में एक बार दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में बैठक में हिस्सा लेते हैं।

(iv) केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद की विभिन्न मुख्यालय यूनिटों की विस्फोट–निरोधी क्षमताओं तथा बम खोजी एवं निरोधक क्षमताओं को, जासूसी कुत्तों के दल, बम खोजी एवं निरोधक उपकरण आदि सघन प्रशिक्षण द्वारा, नवीन रूप दिया गया है।

(v) उग्रवादियों के छिपने के ज्ञात ठिकानों, गेस्ट हाउसों, होटलों, सरायों आदि पर नजर रखी जाती है तथा उग्रवादियों के मूल के राज्यों से आए लोगों के जमावड़े वाले पड़ोसी स्थानों पर विशेष नजर रखी जाती है।

(vi) नये किरायेदारों की पूर्ववृत्त की जांच।

विवरण

क्र.सं.	प्र.सू.रि., दिनांक, अंतर्गत धारा तथा पुलिस स्टेशन	मामले के संक्षिप्त तथ्य	संगठन	बरामदगी
1	2	3	4	5
1.	डी डी नं.–17–क दि. 21.3.95 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) (क)/109 के अधीन, थाना– जामा मस्जिद, दिल्ली	एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी, बशीर अहमद उर्फ अब्दुल्ला खान पुत्र अल्ला रक्खा पहलवान, निवासी ग्राम– जान्याल, गावर, कानीक, जम्मू को गिरफ्तार किया गया।	हिज्बुल मुजाहिदीन	—

1	2	3	4	5
2.	डी. डी. नं. 20–क दि. 4.4.95 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) (क)/109 के अधीन थाना–आदर्श नगर, दिल्ली।	गुलाम रसूल बाबा उर्फ मुहम्मद शफी बाबा पुत्र मुहम्मद अजीज बाबा निवासी ग्राम–मगरिवपोरा, तहसील–सोपारे, जम्मू एवं कश्मीर को गिरफ्तार किया गया।	हिज्बुल मुजाहिदीन	—
3.	प्र.सू.रि.सं.–163 दि. 28.4.95 टाडा की धारा 3/4/5 और विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा–5 के अधीन थाना–आदर्श नगर, दिल्ली।	एक पाक–प्रशिक्षित उग्रवादी गुलाम हसन हाजमी, पुत्र स्वर्गीय मुहम्मद इस्माइल निवासी–ग्राम आरामपुरा, सोपोर, जम्मू एवं कश्मीर गिरफ्तार किया गया।	अल बर्क	एक हथगोला
4.	डी डी नं.–20–क दि. 21.5.95 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) (क)/109 के अधीन, थाना–आदर्श नगर, दिल्ली।	मुहम्मद शाबिर पुत्र नजर मुहम्मद, निवासी–ग्राम सापरा, थाना–मेंढर, पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर नामक एक कश्मीरी उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया।	जे.के.एल.एफ.	—
5.	डी डी नं.–20–क–दि. 12.9.95 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1)(क)/109 के अधीन, थाना–हजरत निजामुद्दीन दिल्ली।	तारिक अहमद भट्ट, पुत्र गुलाम खबी भट्ट, निवासी–मुगल मोहल्ला, थाना–सफा कुदा, जिला–छत्तनबल, जम्मू एवं कश्मीर, नामक एक कश्मीरी उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया।	हिज्ब–उल मुजहिदीन	—
6.	डी डी नं.–11–क दि. 8.10.95, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) (क)/109 के अधीन, थाना–आदर्श नगर, दिल्ली।	एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी, नाम–फैयाज अहमद मलिक पुत्र बशीर अहमद मलिक निवासी–ग्राम–रावलपुरा थाना–सोपियां, जिला–बुलवामा जम्मू एवं कश्मीर, गिरफ्तार किया गया।	सहरीक–उल मुजाहिदीन	—
7.	डी डी नं.–29–क दि. 19.10.95, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 (1) (क)/109 के अधीन थाना–शालीमारबाग, दिल्ली।	एक पाक–प्रशिक्षित कश्मीरी उग्रवादी, नाम–गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलाम हुसेन उर्फ गुलशन अब्बास उर्फ खाण्डा, थाना–घारदोदा, जिला–बड़गांव, जम्मू एवं कश्मीर, गिरफ्तार किया गया।	हिज्ब–उल–मुजाहिदीन	30,000/- रु०

1	2	3	4	5
8.	डी डी नं.–25–के दि. 7.11.95 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) (क)/109 के अधीन थाना–जामा–मस्जिद, दिल्ली।	एक पाक प्रशिक्षित कश्मीरी उग्रवादी, नाम–बशीर अहमद शेख उर्फ शब्बीर शाह, पुत्र गुलाम अहमद शेख, निवासी–ग्राम–गुद्दाजक हंडवारा, कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर को गिरफ्तार किया गया।	हिज्ब–उल मुजाहिदीन	—

उत्तराखण्ड का विकास

2888. श्री बलराम पासी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये 4.70 करोड़ रुपए निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का जिले–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनायें/कार्य क्या हैं; और

(घ) इन योजनाओं/कार्यों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) उत्तराखण्ड उप–योजना 1995-96 में उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए 547.00 करोड रुपये का परिव्यय समाविष्ट है जिसमें 322.00 करोड रुपये राज्य योजना के रूप में तथा 225.00 करोड रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमोदित किये गये हैं। वर्ष 1995-96 के लिए निर्दिष्ट राशि में 10 करोड रुपये सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए, 4.125 करोड़ रुपये जंगल में आग के नियंत्रण तथा निवारण के लिए, तथा 5 करोड़ रुपये ऋषिकेश–जोशीमठ–बद्रीनाथ–माना रोड के सुधार संबंधी चल रही योजना के लिए हैं। उपर्युक्त निर्दिष्ट योजनाओं के 1996-97 में पूरे होने की संभावना है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठन

2889. श्री एन. जे. राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत संगठनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कुछ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	राशि		
	योजना	गैर–योजना	कुल (रु. लाख में)
1992-93	806	11	817
1993-94	986	16	1002
1994-95	1350	16	1366

(ग) जी, हां।

(घ) किसी संगठन को अनुदान की स्वीकृति, आवश्यकता, राज्य/जिले में समस्या की गम्भीरता, संगठन की क्षमता, मंत्रालय में निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकार की सिफारिश पर निर्भर करती है। अनुदान की राशि और संगठनों की संख्या से सम्बन्धित ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :–

वर्ष	रजिस्टर्ड (लाभग्राही) व्यसनियों की संख्या
1992-93	270173
1993-94	290528
1994-95	312118

(घ) से (ज) सूचना संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

भारत सरकार

कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों को निदेशिका

(31 मार्च, 1995 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य	स्वयंसेवी संगठन का नाम और पता
1.	आन्ध्र प्रदेश	दि आन्ध्र प्रदेश पीपुल्स सोसीयी इकोनोमिक डव्ल्पमेन्ट सर्विसज सोसाइटी, लक्ष्मी सिनेमा के पास सलोमन सेन्टर चिराला, प्रकाशम डीटीपी–523156.
2.		एसोसियन फॉर सोसिल हैल्थ इन इंडिया स्टेट ब्रान्च, 11.4.616 हुमायून नगर, हैदराबाद, ए.सी.गौड़स आर डी–500004
3.		डा० पशुपुलीटी निर्मला हनुमंथ राव, 1-3-20/9, महकल स्ट्रीट, सिकन्दराबाद–500003
4.		पीपल एक्शेंच फॉर सोसिल सर्विस, दूर नं० 10-12 मारूथी नगर, त्रिरूपति वेस्ट, चित्तौड़ जिला–5175.
5.	आसाम	एसोसियन फॉर सोसिल हैल्थ प इन इंडिया, स्टेट ब्रांच नजदीक असम प्रेस एम.डी.रोड़, सिलपुखुरी, गोहाटी
6.		जागृति सम्थला, 787 054, उन्नयन केन्द्र पी.ओ. इसलामगांव, लखीमपुर।
7.		सोसाइटी फार दी प्रोमोशन आफ यूथ एंड मैसर्स (एस पी वाई एम) गोहाटी चैप्टर, आश्रम रोड़ (निकट वाटर टैंक) उल्लूबारी, गोहाटी–781807
8.	बिहार	अभिनय प्रशिक्षण संस्थान बकसामा वैशाली।
9.		आदिवासी कल्याण सेवा सदन खनून, पी. ओ. हराही, धामदाह, जिला पुर्निया।
10.		अल्प संख्यक अवास हरिजन समाज केन्द्र, मसारी, मुजफ्फरपुर।
11.		अनिकेत सेवा, एन.३८, एस. के. नगर, पटना।
12.		अन्जुमन उर्दु सहित्य, सुकूल, तोली, सिवान 8412
13.		बिहार रेहबिलिटेशन एंड वेलफेयर इन्सटीट्यूट, जगदम्बा भवन, जी–4, पीपल कोपरेटिव कालोनी, कंकर बाग, पटना।
14.		बीरसा सेवा संस्थान, 25, सरधानन्द रोड रांची 834 001
15.		सेन्ट्रल इंगलिश अकेडमी न्यू जकनपुर, पटना।
16.		ग्रामीण विकास इवाम कल्याण समिति, शेखपुरा, स्टेशन रोड़ मुंगेर।
17.		गुलाब सिंह महिला इवाम बाल कल्याण संघ, रूकन्दीपुर, देहरादून (सिवान), 841238
18.		होम फार मेन्टली रिट्रेड एंड फीचोलोजीकल सुफरेस ओप. के–116, हनुमान नगर, कंकर बाग पटना।
19.		इंडियन इन्सटीट्यूट आफ रूरल रिबोंसट्रेक्शन एंड सोसिल चेंज ईस्ट गांधी बाग, जेहनाबाद।
20.		इंडियन रेहबिलिटेशन एसोसिएसन आर डी नं० 3, हाऊस नं० 161–सी, राजेन्द्र नगर, पटना 800016.

21.		इंदिरा गांधी समाज सेवा आश्रम, 108–जी पीपुल्स कोआपरेटिव कालोनी कंकर बाग, पटना।
22.		कामिनी सेवा सदन जय प्रकाश नगर, धनबाद।
23.		केदान पांडे समाज कल्याण संघ, पंखा बाजार (वेस्ट चामोराब जिला बेतिाह।
24.		न्यू जुनियर एस टी. मीचेल अकेडमी 368, ए. पी. कालोनी गया।
25.		पंडित बच्चन पांडे महिला विकास संस्थान बैंकट, पी. ओ. दनेवा जिला गोपाल गंज।
26.		पंडित दवोनाथ लक्ष्मी नारायण, समाज कल्याण केन्द्र, ए एम आई चपरा।.
27.		प्राकृतिक आरोग्याश्रम राजगीर, जिला नालन्दा।
28.		प्रियदर्शनी अशोक कल्याण साकेन्द्र संघ, रामकृष्णा नगर, देवेला पटना 800020
29.		राजेन्द्र शिक्षा इवाम समाज कल्याण संस्थान हालीमपुर, पी. ओ. डुमरी सीतामढ़ी, बिहार 841422
30.		राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ, भारद्धाज आश्रम पीपरा, पी. ओ. शहजीतपुर, सरन, जिला पिन 841 422
31.		सर्वेसवरी डब्ल्पमेन्ट इन्सटीटयूट, गांव व डाकखाना बसदोहा वायां दीनाम, रोहतस।
32.		सिस्टर विदिता मैमोरियल ट्रस्ट फोरम, नं० 18/फिरोज गांधी कालिज जकनपुर पटना।
33.		श्री नारायण समाज कल्याण केन्द्र, लोकविहारी, करूप इन्द्राहियन रोहतस (बिहार)
34.		सैयद इमाजुददीन कादरी मुस्लिम मानोरोटी वेलफेयर सोसाइटी निमोल, कटिहार।
35.		विश्व भोजपुरी सहित्य सम्मेलन, एस.–383, रूम नं० 5 पटना।
36.		यूथ मोबिलाइजेशन फार नेशनल एडवांसमेन्ट 303 हिमगिरि भवन आनन्दपुरी, बोरींग केनल आर डी पटना 800 001
37.	गोवा	आशा भवन बॉव विस्ता बस्तुरा, गोवा।
38.		एसोसिएशन फार सोसिल हैल्थ इन, गोवा स्टेट ब्रान्च आशा महल, गोवा।
39.		कृपा फाउन्डेशन एमटी कस्मल चुर्च, 81/ए चापेल रोड, बरोदा बम्बई 500050
	गुजरात	
40.		गुजरात कलवानी ट्रस्ट, मंगल प्रभात बिल्डिंग ओप. एस. टी. सावितस हाई स्कूल मिर्जापुर, अहमदाबाद 380 001
41.		इंडियन कौंसिल आफ सोसिल वूलफेयर गुजरात स्टेट ब्रांच म्यूनिसिपल बाल भवन, पाल्दी, अहमदाबाद।
42.		नशाबन्दी मंडल गुजरात ओप, मुल्ती स्टोरी बिल्डिंग, ओप. अपना बाजार अहमदाबाद
43.		रचनात्मक अभिगाम ट्रस्ट "हार्दिक" प्रेरना पार्क, सोसाइटी ओप. एल. जी. होस्पीटल मणि नगर, अहमदाबाद–390 008
44.		एस. सी. पटेल ट्रस्ट कैंसर रिसर्च इन्सटिट्यूट, डी एडीक्शन सेन्टर, ए/1 मुर्दा कम्पलेक्स, इलोरा पार्क बरोदा।
	हरियाणा	
45.		आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, सोनीपत (ककरोइ रोड) 131001

46. एसोसियन फार सोसील हैल्थ इन इण्डिया, 134–ए, सेक्टर–11ए, चण्डीगढ़।

47. हरियाणा स्टैट कौंसिल फोर चाइल्ड वेलफेयर बाल विकास भवन, 650, सेक्टर–16 डी चण्डीगढ़।

48. इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, (जिला ब्रांच)

49. इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, जिला ब्रांच, रेडक्रास भवन, फरीदाबाद।

50. इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी जिला ब्रांच, रेलवे रोड, हिसार।

51. इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी जिला ब्रांच, रेडक्रास रोड, करनाल।

52. इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी जिला ब्रांच रेडक्रास, भवन जिन्द (हरियाणा)

53. इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी जिला ब्रांच, रेडक्रास भवन, जी. टी. रोड़, पानीपत

54. इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी, जिला ब्रांच, रेडक्रास भवन, रोहतक।

जम्मू और कश्मीर

55. सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ यूथ एंड मैसस, मशवारा हॉस्पिटल पुरखों रोड़, पो. आ. दूमाना, अखनूर रोड़, जम्मू पिनकोड नं०-49236

कर्नाटक

56. सीएं आई एम फाउन्डेशन 4/6, 11 मेन राजमहल, विलास एक्सटेंशन बंगलौर।

57. सेन्टर फोर रिसर्च इन शिक्षा सर्विसज एंड ट्रेनिंग फार फेमिलो जाइफ प्रोमोशन, 71, नार्थ रोड बंगलौर– 560005

58. परोजाना कौसिंग सेन्टर डा० मासकरेन्हस लेन, रोड कनकनाडी बंगलौर

59. रावर वैलो आर्गेनाइजेशन फार रूरल डव्ल्पमेन्ट, श्री रेमा पटना मध्य जिला।

60. सथासरूगा एजूकेशन एंड चेरीटेबल ट्रस्ट कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक।

केरल

61. अभ्या, वारादा, नान्दावनम, त्रिवेन्द्रम, केरल–695033

62. अल्कोहल एंड ड्रग एडीक्टस रिसर्च एंड रेहबिलिटेशन एंड ट्रीटमेन्ट सेन्टर, पालाई कोट्टयम जिला।

63. कालीकट डाओसिस सोसील सर्विस सोसाइटी, एसटी मिचेलस चुर्च वेस्ट हिल, कालीकट

64. चनगनचेरी सोसील सर्विस सोसाइटी, पी.इ.बी. नं० 20 आरचबीसीपस हाऊस, चनगनचेरी– 686101

65. देलेवियू, पुनालाल पी. ओ. वाया पूर्वाचल– 695575 त्रिवेन्यापुरम।

66. इझिडयन फिची सोसील सर्विस होजी, स्प्रिरीत होस्पीटल, अतुथूरा, चनानकारा, त्रिवेन्थुपुरम।

67. इण्टरनेशनल सेन्टर फार स्टेडी एंड डव्ल्पमेन्ट संग विलेज, वालकोम पी. ओ. कोलम

68. जवाहरलाल मैमोरियल मोसील वेलफेयर पब्लिक बो–ओपरेशन सेन्टर, थालाकोला–परमपु कोट्टयम जिला-686605

69 के० वलेयूधन मैमोरियल ट्रस्ट पी. बी. नं० 30, चरथला, केरल -688524

70 केरल एसोसिएशन फार सोसील एंड वोमनस अफेयरस एनएसएसएसएम बिल्डिंग

मनीलक्लगरा, कोलम-691012

71. कलनकारा ओथाकडोक्स सीरीन चर्च मैडिकल मिशन हास्पीटल, कोलेचेरी, इरनाकल्लम

72. मुजाहिद एजुकेशनल ट्रस्ट 7/852, एस. एम. स्ट्रीट पी. बी. नं० 59 कालीकट--673001

73. नारागनम रूरल डव्ल्पमेन्ट सोसाइटी नारागनम वेस्ट, पो.ओ. पथानमथिटटा जिला

74. निर्मल निकेतन कुक्ति सदन एस.एन. जूनक्शन, थ्रिपनोथरा–682301

75. सत्य साई हुमैन हेलपज 5/587, के. एम. हास्पिटल पालीपोर्ट पो. ओ. -683515

76. सोसाइल एक्शन फोर्म इरोनजालकुदा 11/117 आलोर कालेतुमकारा त्रिशुर-680683

77. त्रिवेन्थापरम सोसिल सर्विस सोसाइटी, बिसोपस वालम, पो. बो. नं० 828, त्रिवेन्थापरम।

78. टोटल रेस्पोन्स टू अल्कोहल एंड ड्रग अबयूज मानगम कोटटयम।

79. यूनिटी ग्रुप, कोची, एस. एन. जैक्शन, त्रिपुनी थवुरा, कोची–

मध्य प्रदेश

80. अखिल भारत रचनात्मक समाज, इ–4/1855, महावीर नगर, नजदीक 10 बस स्टाप भोपाल।

81. एसोसिएशन फार सोसील हैल्थ इन इण्डिया, 98 राम प्रसाद भार्गव मार्गचा हातरी चौक, उज्जैयन–456006

82. बेरोजगार महिला सेवा समिति, जोन 3, खुरसीपुर भिलाई, जिला, ड्रग।

83. गांधी भवन ट्रस्ट स्यामला हिल्स, भोपाल।

84. इण्डियन रेड क्रोस सोसाइटी, जिला ब्रांच प्रेम कुमारी हास्पिटल 9, बिकाबान्ने इन्दौर।

85. इण्डियन रेड क्रोस सोसाइटी, मन्दसौर।

86. इण्डियन रेड क्रोस सोसाइटी, जिला ब्रांच केम्पस कलैक्ट्रेट आफिस, सागर (म. प्र.)

87 इन्दौर स्कूल आफ सोसील वर्क, इन्दौर।

88. इन्सटीट्यूट आफ सोसीओ इकोनोमिक रिसर्च एंड डव्ल्पमेन्ट जबलपुर–482001

महाराष्ट्र

89. भारतीय आदिम जाति संघ विर्दभा पडस बुनगाली नागपुर,

90. गणेश शिक्षण परसारक मंडल अहमदपुर, गुनाले गली फुले नगर, अहमदुर जिला

91. इंटरनेशनल मिशन आफ डा० अम्बेडकर एजूकेशन सोसाइटी, नवा नक्ष्य, नागपुर-40001

92. इन्सटीट्यूट आफ फिजोलोजीकली हैन्डीक्रैफ्ट, बी–103 सेटर पोइंट कोहिन्ड म्यूनिसिपल कोपोरेशन, प्रिमीसज पंचपाकण्डी थाने।

93. कल्याण एजूकेशन सोसाइटी 103, तिकेकर रोड, धनतोली, नागपुर।

94. कृपा फाऊंडेशन एमटी. कैरमल चर्च, 81/ए, चापोल रोड़ बान्द्रा, बोम्बे–400050

95. महाबुद्धि एजूकेशन सोसाइटी लाला लाजपतराय रोड नीयर नेहरू गार्डन, मैनधा रोड़, बान्द्रा-441904

96. एम. एस. एस. इन्सटीट्यूट आफ सोसोइल वर्क वेस्ट हाई कोर्ट रोड बजाज नगर,नागपुर

97. मुकतंगन मित्रा कृष्ण पत्रकार नगर, पुणे।

98. न्यू फ्रेन्डस सुविचर एजूकेशन सोसाइटी, इन्दौर, नागपुर-440004

99. प्रबन्धन डी–अडीक्शन इन्सटीट्यूट, 155, सदाशिव पथ, सत्रा सीटी-415002

100. राष्ट्रीय विधान मंच नैमेड हास्पिटल, विशनजी नागपुर, जिलहापथ, जलगोन।

101. सेवाधन म्यूनिसिपल हास्पिटल बिल्डिग चौथी मंजिल, भारदवादी, अंधेरी, बम्बई।

102. सर्व सेवा संघ, वैदगोनशरी पुर्ण–

103. समायक दीप विचार मंच, पी. एल. लोखन्दे मार्ग, राहुल नगर, नामवाडी, चैमपुर बम्बई

104. शहीद अब्दुल हमीद एजूकेशन सोसाइटी दरव्हा, खातिकपुरा, वार्ड नं. 16, जिला यूवतगल–445002

105. वी अर्जुन युवक मंडल, नजदीक मैडिकल कालिज हास्पिटल, मैन गेट, नागपुर।

106. यूगान्तर एजूकेशन सोसाइटी त्रिपुद हास्पिटल, इन्दौर, कामपती रोड़, नागपुर

107. यूवा शक्ति प्रदर्शन स्त्रीहोत वर्धानी बिल्डिंग, लोकमान्य नगर, कम्पाउंड तिलक भवन, काकासाहिब काकासाहिबगाधिल मार्ग बम्बई।

मणिपुर

108. चैलेंगरस क्लब, क्रिकेट फैकुल्टि ओइनम, तिवदोम रोड़, इम्फाल।

109. सेन्टर फोर मैंटल हाइजोन, संगाई प्रोस एयर पोर्ट रोड, इम्फाल ।

110. सेन्टर फोन सोसील डवलपमेंट पालेस कम्पाउन्ड, इम्फाल (वेस्ट) -795001

111. इवानगैलोकल कनवेशनचर्च, पोस्ट बाक्स नं० 6, लुम्का -795128

112. गैलक्सी क्लब, सिंगजामई, मथक चौगोहम लेइकाई, इम्फाल -795001

113. खामैनीपुर योगा एंड नातुर केर आसो, काखींग, मणिपुर -1

114. कृपा फाउंडेशन एम.एल.कैरमल चर्च, 81/ए चेपल रोड़ बान्द्रा, बम्बई -400050

115. लम्मका रिहाब एड रेज सेन्टर, चुराचन्दपुर।

116. मणिपुर हिल एरिया, इनवारमेन्ट एंड कैजरवेशन एजेंसी, इनवायरमेन्ट हाऊस तामेंलोंग795141

117. मणिपुर रूरल इन्सटीटयूट तेरा बाजार, सापाम लोकाई, इम्फाल-795001

118. रूरल डव्ल्पमेन्ट ओगेनाजेशन, लामतंग बाजार, इम्फाल-795146

119. रूरल हैल्थ आगेनाइजेशन कंगपोकपो।

120. रूरल वोमैन एंड चाल्ड कैर डव्ल्पमेन्ट सेन्टर, सेनापति जिला-795106

121. सर्विस एंड एजूकेशन फार वेलफेयर एक्शन सोइबाम लीकाई आं गपाल्ली, नजदीक जवाहर लाल नेहरू हास्पिटल, इम्फाल-795001

122. सोसीइल कैर मिनिस्ट्री, आई. बी. रोड, चुराचन्दपुर-795128

123. सूचिंवुम वोमैन सोसाइटी, सुनी कोर्टेज, न्यू लामबुलानी, मणिपुर, मोरीह ब्रान्च चन्देल।

124. थानखुल मयुर, नागला लोंग, फुंगरीटंग, उखरूल-795142

125. थानहोबैन्ड वोमैन एंड चाल्ड वेलफेयर एसोसिएशन लीकाई, इम्फाल-795004

126. यूनाइटेड वोल. यूथ कौंसिल वेस्ट–2, लंगथाबाल नामबुल नामबुल, चिरचेदपुर, पो. ओ. सिंगजामई -795008

127. वांगजुंग टेन्था, फार्मस डव्ल्पमेन्ट एसोसिएशन पो. बो. नं० 6, इम्फाल सोएशन विलेज, पो. ओ. कांगजोंग – 795148 थूगबाल जिला।

मिजोरम

128. आगापे मोरल रिफोरमेन्शन, सेटी बिल्डिंग, ई/19 बावंगकालसन, रामनलुन वंग, अजैवाल-796161

129. बेथेसदा कौंसिलिंग सेन्टर चानमारी।

130. फेथ होम, चहांगहोप, अजैवाल

131. मिजोरम सैयनोद सोसीइल फ्रेन्ट सैपनूद आफिस, मिशन वेग, अजैवाल

132. न्यू लाइफ होम सोसाइटी, 31/डी, महात्मा गांधी रोड़, अजैवाल।

133. सोसीइल गाइडलान्स एजेंसी एल. टी. साइलो बिल्डिंग, दरपई वेंधर, पो. ओ. ऐइवकावन-798009

134. जोरम ड्राइवर्स रामथोम बीडी. सी/ओ अजैवाल भीच, इंगर. वर्क्स, पो. ओ. चांदमारी, अजैवाल।

मेघालय

135. खांसी जैनाटिया प्रसबटरोयन सैयनूद, शिलांग।

136. कृपा फाउंडेशन, शिलांग।

137. साकरेड हिमरट मिशन होम, पो. ओ. बारेंगपारा, वेस्ट गरोहील्स, मेघालय।

नागालैंड़

138. बेथेसदा यूथ बेलफेयर सैरकूलर आरडी. पी. बी. नं० 33 दिशापुर 797112

139. नागालैंड मदर्सएसोशिएशन, यूथ एंड वोमन वेलफेयर प्रगानोजेशन 40/सी/ओ. हांगलू केवीचुसा रेजिडेंस मिशन कम्पाउंड कोहिमा।

140. प्रोदोगल्स होम, पी.बी. नं० 148, सरकुलर रोड़, दिमापुर, नागालैंड़

141. यूथ मिशन, पी.बी.नं० 127, हाई स्कूल रोड़, नार्थ ब्लॉक, कोहिमा।

उड़ीसा

142. अकहित भारतीय आदिवासी विकास परिषद बी/1, सेक्टर–21 राउरकेला -719010

143. एसाशिएशन फार सोसीइल रिकन्सट्रक्टिव अक्टीविटीज, सत्याबरता, पो. ओ. प्रेस प्रोमीसस, पीथापुर, कटक।

144. भाईराबी क्लब, एटी,–कुरूमपादा, पी. ओ. हादापादा, जिला खुर्दा -752018

145. सेन्टर फार यूथ एंड सोसीइल डव्ल्पमेन्ट, ए–70, भुवनेश्वर।

146. सिटीजन, तुलसीपुर, कटक -753008

147. कौंसिल फार आल राउन्ड डवल्पमेन्ट आफ सोसाइटी, भुवनेश्वर -751018

148. हाउस आफ इकोनोमिकल लोबेरटी सैक्रेट्रो एंड प्रोसपोरीटो, प्लाट नं 7/11 आई. आर. सी. विलेज, नयापाल्ली, भुवनेश्वर

149. नेशनल इन्सटीट्यूट आफ कम्यूनिटि हैल्थ, 981 संतरापुर, भुवनेश्वर -751002

150. निलांचल सेवा प्रतिष्ठान, दयाविहार, (कानास), पुरी -752017

151. ओपन लोरनिंग सिस्टम 275/ए, भुवनेश्वर।

152. उड़ीसा खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज एसोशिएशन इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, कटक।

153. आर्गेनाइजेशन फार सोसीइल चन्द एंड रूरल डव्ल्पमेन्ट ए/35, शहीद नगर, भुवनेश्वर।

154. पीपुल्स कल्चरल सेन्टर, एल–3-90, आचार्य बिहार, भुवनेश्वर।

155. प्रोजेक्ट स्वराज्य थोरिया साही, कटक 753001

156. रूरल डव्ल्पमेन्ट एक्शन सैल, एटी.पी.ओ. वार्ड नं० 14, बारीपाड़ा, जिलामयूरभंज।

157. संजीवनी, 136, सूर्य नगर यूनिट 7, भुवनेश्वर -751003

158. श्री रामकृष्णा आश्रम, एम रायपुर, कालाहान्डी -766102

पंजाब

159. चाइल्ड वेलफेर कौंसिल एच. नं. 15 सेक्टर–3–ए, चण्डीगढ़ -160001

160. गुरू नानक चेरीटेबिल सोसाइटी, सोसाइटी, मुल्लान्पुर मंडी, लुधियाना।

161. इण्डियन रेड क्रोस सोसाइटी, जिला ब्रांच, फरीदकोट–151203

162. इन्डियन रेड क्रोस सोसाइटी अमृतसर।

163. इण्डियन रेड क्रोस सोसाइटी, सोसाइटी, पंजाब स्टेट ब्रान्च, मध्य मार्ग, सेक्टर–16

164. इण्डियन रेड क्रोस सोसाइटी, संगरूर।

165. नवजीवनी, 51, मॉडल टाउन, पटियाला

166. सोसायटी फार रिहैब्लीटेशन आफ हैडीकैप्ड एंड परसन सफरिंग फरोम सोशिल इविलस 417, सैक्टर 44 ए, चंडीगढ़

167. इंडियन रेड क्रास सोसायटी, जिला ब्रांच, रेडक्रास भवन, सादिक रोड फरीदकोट–151203

राजस्थान

168. आदर्श बिकानेर बाल शिक्षण परिषद सुभाष पुरा, बीकानेर

169. आशा बाल मंदिर शिक्षण समिति, प्लांट नं. 1–बी, कृष्णापुरी, हतवाडा रोड, जयपुर–6

170. इंडियन अस्तमा केयर सोसायटी, सी–86, शास्त्री नगर, जयपुर

171. जयपुर रूरल हैल्थ एंड डव्ल्पमेन्ट, ट्रस्ट, बी–7, शिव मार्ग, बणी पारिक, जयपुर।

172. महाबीर इन्टरनेशनल मानक चौक– 314001 डूंगरपुर

173. मारवाड़ मेडिकल रलीफ सोसायटी, डी–10, नीयर बस स्टेंड, 342006 जोधपुर

174. मेथोडिस्ट हास्पिटल अजमेर -305024

175. निराश्रित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, पाई बाग

176. आपीयम दिन्अडीशनल ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च ट्रस्ट, सोजाती गेट, जोधपुर।

सिक्किम

177. एसोसिएशन आफर सोशिल हैल्थ इन इंडिया स्टेट ब्रांच मारफत स्टेट सोशिल वेलफेयर, एडवाईजरी बोर्ड, कोजी रोड, गंगटोक

178. शारदा सैट, एक्सायीरस, स्कूल कैम्पस एच. नं. 146, पो. ओ. पकयोंग ईस्ट सिक्किम737106

तमिलनाडु

179. हल्कोल एंड ड्रग एवूस रिहैब्लीटेशन सेंटर, एम. सी. रोड़, मदानोर, एनएए, जिला -635804

180. अप्लाइड इन्टरडिसीपलीनेरी डिब्ल्पमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट, 10, नेलसन 11 फ्लोर, चुलाईमेडु, मद्रास–94

181. एसोसिएशन फार सोशिल हैल्थ इन इंडिया, स्टेट ब्रांच, 187, कचेहरी रोड, मलायापोरं मद्रास

182. आथनकोट्टासन मुथामिल काजहीगम, 7-46 बी, नादुवूरकराई, मोडाईकड -629252

183. माराठी वूमेन डिब्ल्पमेन्ट सेंटर, जिला, नम्बर वआडे, मिल्लाद

184. कांगरेशन आफ दि सिस्टरस आफ दि क्रास आफ चावानोद, एसआंसी सीयड, पो. बा. नं. 395, ओल्ड शैद रोड, तिप्पाकुलम, त्रिचलापल्ली।

185. सैंटर फार ऐक्शन एंड रूरल एजूकेशन, 64, चेन्नीमालाय रोड, पेरूनदूराय -638052 पैरियार जिला।

186. कम्यूनिटी एक्शन फार रूरल डिव्लपमेंट, सामथूवापुरम, पुलीवालम, -622507 पुडुकोटाई डिस्ट्रिक।

187. पुरायस्वामी मेनरोस सोशिल एजूकेशन एसोसिएशन, विवारावानाल्लूट पाक्काम पोस्ट, मादुरान्थाकम तालुक चंगलपट्टु–603301 एम जी. आर डिस्ट्रिक।

188. इंडियन इस्टिच्यूट आफ वूमेन एंड चाइल्ड हैल्थ ट्रस्ट, बाटलागुडु रोड, सेमाटी पो. आ. दिडींगुल–अन्ता जिला।

189. इंडियन सोसायटी आफ क्रिमीनोलोजी, डिपार्ट आफ फिलिक्लोजीयुनिवसिर्टी आफ मद्रास, मद्रास -600005

190. इन्टीग्रटिड रूरल कन्यूनिटी डिब्ल्पमेंट सोसायटी, 3, पेरूमल कोयल स्ट्रीट सिवागांगा-623560

191. कालायसंलवी कारूनालाया सोशिल वेलफेयर सोसायटी 124, पूरास्वालकम आई रोड, केल्लायास, मद्रास -600010

192. खाजामलाई लेडीस एसोसिएशन खाजामलाई थरूनायरापल्ली -620023

193. माधर न्याया थानसू निरवानाम, थिरूवेनवीपुरम, मेन दोड, पाथरीकुप्याम पो. आ. कुड्डलोर607401

194. एन.एम.एस. चिक्कमपट्टू ट्रस्ट, 643, के. के. नगर, माधुरी–20

195. रूरल मल्टीपरपससोशिल वेलफेयर एंड डिब्ल्पमेंट सोसायटी, सारावाना, इस्लम, उपसतापरत, मदुराई रोड, अंदीपाट्टी, मदुराई जिला -626512

196. सोसिशल वेलफेयर सोसायटी, 2ए, मेन रोड, टिट्टुगुडी–606101 साउथ अरकोट जिला

197. सोसायटी फार प्रामोशन आफ रिसर्च एजूकेशन एंड डिब्ल्पमेंट 9, अलागारकोल रोड, मदुराई -625002

198. सासायटी फार सोशिल एजूकेशन एंड डिब्ल्पमेंट, थानडारामपट, टी. एस. जिला, तमिलनाडु -606707

199. सिरी विकटोरिया एजूकेशनल सोसायटी कम सिरी विक्टोरिया डिस्टीहच्यूट होम फार वायस, पुथुकोटाइ (रोड) माथाक्कोटाय विलेज, तंजौर जिला

200. सैट जोहन, संगम, रोवेर एजूकेशन कैम्पस पेरामवालोर -621212

201. सैट पॉलज सगम, रोवर एजूकेशनल कैम्पस, पेरामबाणूर -621212

202 त्रिरूचलापल्ली मल्टीपरपस सोसिशल सर्विस मेलापुडूर पो. बा. नं 12, त्रिची।

203. टी.सी. एन आर पादनीवाथइयाम्माई फ्रि मेडिकल चरिटीस, 122, होस्पीटल रोड, रामराजार, नगर, राजापलायाम -626117

204. टी.टी. रंगानाथन क्लीनिक रिसर्च फाउंडेशन, 4, मेन रोड, इन्दिरा नगर मद्रास 600020

205. वूमेन डिब्ल्पमेंट एसोसिएशन 77, उप्पलीयालम मेन रोड, वरद्धराजपुरम, कोयमबटूर

206. वूमेन वेलफेयर एसोसिएशन कोडिट फैक्टरी अरूवनकादू ब्रांच, अरूवनकादू-641016

207. युग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, अभिनाशी रोड, कोयम्बटूर -641018

त्रिपुरा

208. एसोसिएशन फार सोशिल हैल्थ इन इंडिया त्रिपुरा ब्रांच नं. 3, सैंकड लेन, ज्वाय नगर अगरतला-799001

209. कल्याण समिति अगरतला, ग्यानगली रोड, मेलारनाथ, अगरतला -799001

उत्तर प्रदेश

210. आदर्श जनता शिक्षा समिति पिरी, करचना, इलाहाबाद

211. अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, आजाद विल्लेज, दालीगुन्ज लखनऊ –20

212. अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण एंड शिक्षा समिति, गाजियाबाद सैक्टर–30 नोयडा-201301

213. अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान दयोरिया सेवा पुरी, खानपुर रोड

214. अम्बेडकर शिक्षा समिति 563/का/58 श्याम नगर, अलामबाग, लखनऊ -226005

215. अरचना महिला मंडल कल्याण समिति, अभाईपुर पो. आ. भानमा, बाराबकी

216. एसोसिएशन फार सोशिल हैल्थ इन इंडिया, स्टेट ब्रांच, रानी होस्टल बिल्डिग वेगम ब्रिज, मेरठ -250001

217. भारतीय समाज सेवा संस्थान भारत काना, मिशायकी–बाग चौक, लखनऊ

218. बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर मांडलाबली, सादू, जिला बिजनौर

219. डा० भीम राव अम्बेडकर शिक्षा निकेतन, विलेज, पंचरवखान, मांगरपटी-233307 गाजीपुर

220. वोधी सतया बाबा सहिय डा. अम्बेडकर स्मारक समिति, 68/363, चितयापुर, पाजावा, लखनऊ

221. ग्राम विकास सेवा संस्थान, 20–वी/5ए/1, कालापुर, इलाहाबाद -211006

222. ग्रामीण विशाल जन सेवा संस्थान, पो.आ. दनी, सिद्धार्थ नगर

223. ग्रामिया विकास समिति खंडौली रोड, बालदया, मथुरा -281391

224. ग्रामोयान जन सेवा संस्थान जाफरावाद, जौनपुर

225. हासरय मोहिनी थेरटिवल सोसाइटी, 88/441, हुमायूं बाग, कानपुर

226. इंडियन रेड क्रास सोसायटी जिला ब्रांच 53, बहादुरगंज, इलाहाबाद (उ.प्र.)

227. कंचाहन लाल–सागुन सेवा संस्थान विलेज, पो.आ. पारा कंदौर, कुराहा, जिला हमीरपुर
228. काशी कल्व, गगेत भवन, 8ए, रविन्द्रापुरी, वाराणसी -221005
229. श्री कांचीलाल शास्त्री स्मारक संस्थान, सी–49, कायानापुर, कानपुर
230. खंदवारी देवी शिक्षा संस्थान समिति, चेहानया जनपथ, वाराणसी
231. माया पूर्वांचल ग्रामोथान सेवा संस्थान, नियर दैनिक जगरान प्रेस, सिविल लाइन्स, गोरखपुर
232. मेडिकल ऐडवाइसर एसोसिएशन 211/जे1, किदवई नगर, कानपुर
233. नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ सोशल वेलफेयर 5/13/43–बी, बिहाइंड गुरूदवारा फैजाबाद।
234. नेताजी सुभाष विद्या मंदिर मंगोली, शाहाबाद, रामपुर
235. न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504/13, टैगोर मार्ग, लखनऊ
236. एनआरवीएएन, डी–2239, जिम्मालायान रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ
237. प्रतापगढ़ महिला कल्याण इवन शिक्षा समिति, प्रतापगढ़, दियोकाली, प्रतापगढ़
238. प्रेमा समिति, सी–390, राजाजी पुरन, लखनऊ
239. पुट्टूलाल मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल नारायणपुर, फरूखाबाद
240. श्री राम बाबू वर्मा चेरटिवी सोसायटी 4/6, बाग, फरजाना, सिविल लाइन आगरा 282002
241. राना वेनी माधव जन कल्याण समिति, राय बरेली -229001
242. रतना ग्राम विकास समिति, ग्राम जाहिदपुर पो. आ. शाहाबाद, रामपुर
243. साकेत महिला मंडल कल्याण समिति, मुथीगंज, नवावगंज (पो. आ.) गोंडा
244. समाजिक अवम आर्थिक विकास संस्थान, सी–2116, इन्दिरा नगर, लखनऊ
245. सराय नहार खान औघोटोजिक समिति, वादेन, पो. आ. सनाई नहान खान बघान-243601
246. सार्वजनिक शिक्षण समिति पूरन नगर, 5651/180, आलम बाग, लखनऊ
247. सर्वोदय ग्राम इवाम महिला विकास संस्थान मिलक पो. आ. जिला रामपुर
248. सार्वजनिक शिक्षोनयन अलीपुर, हरदाई (उप्र.)
249. शक्ति साधना संस्थान, तरनीपुर, सीतापुर -261001
250. शहीद मेमोरियल सोसायटी, ई–1960, राजाजी पुरम, पो. आ. जिला लखनऊ
251. शील ग्राम विकास संस्थान हरूनगला, बरेली
252. श्री गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान, कुन्डा प्रतापगढ़
253. सोसायटी फार दि अरवन एंड रूरल डिब्लपमेंट, विल्लेज गुलहानामू, पो. आ. कालीचाबाद, जिला जौनपुर,
254. सोसायटी फार दि अरवन एंड रूरल रिकनस्ट्रकशन यू. पी. बी. 27 अवास विकास, माल एवेन्यू लखनऊ।
255. स्वर्गीय राम देवी सिंह स्वतंत्र संग्राम सेनानी निराश्री दलित पिछड़ा वर्ग महिला संस्थान, बस्ती।
256. उत्तराखंड शोषित महिला संस्थान, देहरादून उ. प्र.

पश्चिम बंगाल

257. विकास भारतीय वेलफेयर सोसायटी नं. 20/1 पी, लाल बाजार स्ट्रीट कलकत्ता-700001

258. कलकत्ता समरीतानस 53/ बी, इलौट रोड, कलकत्ता -700016

259. चिरनाबिन विलेज परवक्शी, पो. आ. बक्शी, हावड़ा -711301

260. सेंटर फार फिजिक्लोजीकल टेंसटिंग एंड रिसर्च 39 सी, सदानन्दा रोड, कलकत्ता 760026

261. इलमहीरस्ट इन्स्टीटयूट आफ कम्यूनिटी स्टीडीज, शांति निकेतन, बिरभूम।

262. हारिया सभा कल्याण परिषद् पो. आ. अनन्तपुर, बाबा सुतहाता, जिला नमादिनापोर - 721635

263. हुमान डिब्लपमेंट एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट मोरनानपुर, 45, मनियाटोल रोड, कलकत्ता

264. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ हुमान वेलफेयर 17/36 कलकत्ता

265. इंडियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार इन्टीगेटिड मेडिसन पी. ओ. पूनसानी, कलकत्ता।

266. इन्स्टीट्यूट आफ फिजिकल्जीकल एंड एजूकेशनल रिसर्च 27, सरकल एवेन्यू

267. प्रभुशा भारतीय शशूथीरथा प्रभूधन भारती भवन, खिरीनदा पिंगला, पो. आ. मदिनापुर

268. रामाकृष्णा वेलफेयर फाउंडेशन, 132/12 मेन रोड, कलकत्ता -700054

269. सोसायटी फार प्रमोशन आफ यूथ एंड मैसर्स, 33 डी. बी. गिरी रोड, दार्जिलिंग -734101

270. सिरी सैयद ग्रुप आफ स्कूल 71/1सी, हरवर रोड, कलकत्ता -700023

271. विवेकानन्द एजूकेशन सोसायटी 13/3, कालीचरण दत्तर रोड, कलकत्ता

वेस्ट बंगाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन कलकत्ता।

273. वेस्ट बंगाल वालन्टरी हैल्थ आरगेनाइजेशन 19ए डा. सुन्दरी मोहन एवेन्यू कलकत्ता-700062

274. वूमेन कुआरडिनडिंग कासिल, 5/1 रेड क्रास प्लेस कलकत्ता-700062

चंडीगढ़

275. एसोसिएशन फार सोशिल हैल्थ इन इंडिया चंडीगढ़, ब्रांच, 1169 सेक्टर 21-बी, चंडीगढ़ -160022

276. सर्वेन्ट आफ पीपल सोसायटी लाजपत राय भवन, सैक्टर 15-बी चंडीगढ़ -160022

दिल्ली

277. एसोसिएशन आफ नेशनल ब्रदरहुड फार सोशल वेलफेयर 21 न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली।

278. एसोसिएशन फार सोशिल हैल्थ इन इंडिया, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।

279. बापू नेचर केयर होस्पीटल गांधीनगर, दिल्ली योगाश्रम गांधीनिधि पटपडगंज दिल्ली-110019

280. दिल्ली पुलिस फाउंडेशन सराय रोहिला पुलिस स्टेशन सराय रोहिला, दिल्ली।

281. इंडियन कासिल आफ एजूकेशन 25, डी.डी.ए. मर्मिशल प्लाजा, नानकपुरा, नई दिल्ली।

282. सोसायटी फार प्रमोशन आफ यूथ एंड मैसर्स, बी 3, 3054 बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070

पांडिचेरी

283. एसोसिएशन फार सोशिल हैल्थ इन इंडिया, 29, विज्जेनयर रोड, रेडियार पलायम, पांडिचेरी -10

विवरण-II

उन संगठनों की सूची जिनके विरुद्ध धनराशि के दुरूपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

क्र. सं.	संगठन का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	वीर अर्जुन युवक विकास मंडल, नागरपुर	महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शिकायतं की जांच की जा रही है
2.	के. वेलायुधन मैमोरियल ट्रस्ट	शिकायत की जांच की गई और अनुदान रोक दिया गया है।
3.	ब्रिज बाल निकेतन भरतपुर	शिकायत की जांच की गई और अनुदान रोक दिया गया है।
4.	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा	शिकायत की जांच की गई और अनुदान रोक दिया गया है।
5.	राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर	शिकायत की जांच की गई और अनुदान रोक दिया गया है।
6.	सर्वोदय सेवा केन्द्र, उदयपुर	शिकायत की जांच की गई और अनुदान रोक दिया गया है।
7.	मानव कल्याण सोसायटी, जयपुर	शिकायत की जांच की गई और अनुदान रोक दिया गया है।
8.	सार्वजनिक शिधोनयन संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश।	शिकायत की जांच की गई और संगठन का कार्यकरण संतोषजनक पाया गया।
9.	हुमैन डब्ल्पमेंट एंड रिसर्च, इन्स्टीट्यूट कलकत्ता	शिकायत की जांच की गई और संगठन का कार्यकरण संतोषजनक पाया गया।

[अनुवाद]

तेलशोधक कारखानों का पृथक्करण

2890. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीसा रहित पेट्रोल संबंधी अनेदेशों के परिणामस्वरूप तेल शोधकों को उन्नत बताने के लिए अत्यधिक राशि निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मथुरा और बरौनी स्थित वर्तमान तेल शोधक कारखानों का विचार हलके एवं भारी तेलों के अलग-अलग उत्पादन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पेट्रोल में सीसा तत्व को कम करने के लिए रिफाइनरी परियोजनाओं में संयंत्रों तथा सुविधाओं को स्थापित करना होता है। डिग्बोई, बरौनी तथा मथुरा में केटालिटिक रिफार्मरों को स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 959.68 करोड़ रुपए हैं जिसमें वांछित अतिरिक्त भंडारण एवं वितरण सुविधाओं की लागत शामिल नहीं है। अन्य रिफाइनरियों के प्रस्ताव निवेश निर्णय हेतु प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) बरौनी तथा मथुरा दोनों में पूर्ण स्तरीय नैफ्था को हल्के तथा भारी रूपो में विभक्त किया जाएगा। भारी तत्व का उपयोग सी आर यू में फीड स्टाक के रूप में किया जाएगा तथा हल्के तत्व का उपयोग नैफ्था के रूप में किया जाएगा।

राजमुंदरी में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

2891. श्री शोभनाद्रीश्वार राव वाड्डे : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री ने तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा राजमुंदरी में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थाना करने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को राजमुंदरी में भूमि का आवंटन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजमुंदरी में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) राजमुंदरी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए ओ एन जी सी लिमिटेड द्वारा कार्रवाई की जा रही है तथा इस प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र में अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यकलापों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कृष्णा, गोदावरी परियोजना कार्यालय का उन्नयन चरणों में किया जा रहा है। राजमुंदरी में प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा ओ एन जी सी कोई भूमि आंवटित नहीं की गई है।

विदेशी सहायता

2892. डा. वसंत पवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में दूरसंचार नेटवर्क को बेहतर बनाने/विस्तार के लिए सरकार को कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) क्या इस विस्तार कार्यक्रम के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में, दूरसंचार नेटवर्क में सुधार/इसके विस्तार के लिए 1996-97 के योजनागत परिव्यय 15196 करोड़ रुपये आंके गये हैं। वर्ष 1997-98 के लिए जो कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होगा, योजना के स्वरूप को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, एशियाई विकास बैंक से 1996-97 के लिए विदेशी सहायता के ऋण का 27 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मैनुअल ट्रंक एक्सचेंजों के कम्प्यूटरीकरण के लिए किया जायेगा। फ्रांस ने प्रायोजिक एस डी एच नेटवर्क के लिए 2 मिलियन एफ आर एफ की सहायता की पेशकश की है।

आंध्र प्रदेश में पाइपों द्वारा गैस सप्लाई करने की योजना

2883. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में पाइपों द्वारा गैस सप्लाई करने संबंधी योजना शुरू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी यह योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विजयवाड़ा, मछलीपटनम इत्यादि में एक शहर वितरण परियोजना के लिए गैस की 0.1 एम एम सी एम डी मात्रा आवंटित की गई है।

विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता रद्द किया जाना

2894. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अपर कृष्णा परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता निलंबित किया जाना सिंचाई क्षेत्र में विदेशों से प्राप्त धन द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के प्रति राज्य सरकार के दुलमुल रवैये को दर्शाती है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य वार कुल कितनी परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस ऋण का रद्द किए जाने के कारण राज्यों की कुल कितनी हानि हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-2 के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता 2 सितंबर, 1995 को इसलिए लंबित कर दी गई थी क्योंकि इस परियोजना से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी क्रियान्वयन का कार्य धीमी गति से चल रहा था। इस संबंध में उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार बेहतर प्रयास कर रही है।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्यतः पोर्टफोलियों का युक्तिमूलक बनाना, मुद्रा समायोजन, आरंभिक समय का जल्दी बीत जाना, बैंक मिशनों द्वारा मध्यावधि में सुझाव देने और कुछ मामलों में धीमी गति से क्रियान्वयन होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न अंशों हेतु सहायता विश्व बैंक द्वारा रद्द कर दी गई। संलग्न विवरणानुसार परियोजना और राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	कुल परियोजना राशि (मिलियन)	निरस्त की गई राशि (मि.)	निरस्त करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
I.	**पूरी की गई परियोजनाएं**				
1.	पेरियार वेगई सिंचाई-II परियोजना (ऋण सं. 1400 आई एन/ विशेष फंड ऋण 16-आईएन)	तमिलनाडु	क्रेडिट 1 एस.डी.आर. 16.6 विशेष फंड क्रेडिट एस.डी.आर. 16.6	एस डी आर 1.8	16.03.94

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात मध्यम सिंचाई-II परियोजना (क्रेडिट 1496 आई एन)	गुजरात	एस.डी.आर. 164.3	(क) एस.डी.आर 15.0 (ख) एस.डी.आर. 04.9 (ग) एस.डी.आर. 5.7	5.12.91 01.5.93 31.7.94
3.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (क्रेडिट नं. 1483 आई एन)	उत्तर प्रदेश	एस.डी.आर. 99.1	एस.डी.आर. 18.4	31.12.91
4.	बिहार सार्वजनिक नलकूप (क्रेडिट सं. 1737 आई एन)	बिहार	एस.डी.आर. 59.5	एस.डी.आर. 40	31.12.91
5.	दूसरी आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना (ऋण 2662-आई एन क्रेडिट 1665 आई एन)	आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश के चक्रवात के लिए अंतरित)	ऋण 131 अमेरिकी डालर क्रेडिट 127.5 एस.डी.आर.	ऋण 90 अमेरिकी डालर 41 अमेरिकी डालर क्रेडिट 40.8 एस.डी.आर.	31.5.91 30.6.93 31.8.90
II.	चालू परियोजनाएं				
1.	बांध सुरक्षा आश्वासन और पुर्नस्थापन परियोजना (क्रेडिट 2241 आईएन ऋण 3325 आई एन)	मध्य प्रदेश राजस्थान उड़ीसा तमिलनाडु	क्रेडिट : एस.डी.आर. 96.2 ऋण : 23 अमेरिकी डालर	23 अमेरिकी डालर	2.6.95
2.	अपर कृष्णा परियोजना चरण II (क्रेडिट 2010 आई एन ऋण 3050 आई एन)	कर्नाटक	क्रेडिट एस.डी.आर. 119 ऋण : 165 अमेरिकी डालर	80 अमेरिकी डालर 40 अमेरिकी डालर	31.12.91 30.6.93

मध्य प्रदेश के बीना में तेलशोधक कारखाना

2895. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत पेट्रोलियम निगम एवं ओमान तेल कंपनी के मध्य प्रदेश के बीना में संयुक्त उद्यम में आधारित तेलशोधक कारखाना संबंधी परियोजना की स्थापना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके साथ-साथ उक्त तेलशोधक कारखाने की क्षमता, उनका वित्त पोषण पूरा करने की अवधि और उसे चालू करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेलशोधक कारखाने में अवसंचरनात्मक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (बी पी सी एल) एवं ओमान कंपनी लिमिटेड के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कार्यान्वित करने के लिए 1686 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घटक सहित 5277 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मध्य प्रदेश में बीना में 6 एम एम टी सी ए क्षमता वाली ग्रासरूट ईंधन/लाब्स रिफाइनरी और वाडीनार में सिंगल पांइट मूरिंग और कच्चा तेल टर्मिनल सहित क्रूड आयात सुविधा और क्रास कंट्री क्रूड ट्रासंपोर्ट पाइपलाइन जैसी संबंधित आधारभूत सुविधाओं की स्थाना के लिए 11.12.1995 को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। रिफाइनरी परियोजना को अनुमोदन की तिथि से 42 महीनों के भीतर यांत्रिक रूप से पूर्ण किया जाना है और यांत्रिक पूर्णता के बाद 6 महीनों के भीतर चालू किया जाना है।

(ङ) और (च) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और ओमान आयल कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।

बी पी सी एल और ओमान आयल कंपनी दोनों संयुक्त उद्यम कंपनी की इक्विटी पूंजी में 26-26% अंशदान करेगी। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड; के नाम के अंतर्गत संयुक्त उद्यम कंपनी 25.2.1994 को कंपनी पंजीयक के यहां पंजीकृत करवा ली गई है।

[हिन्दी]

अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती

2896. **श्री एन. जे. राठवा :**

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्द्धसैनिक बलों में राज्यवार कितने अधिकारियों और जवानों की भर्ती की गयी है;

(ख) उन बलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनमें भर्ती की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन स्थानों पर विशेष भर्ती शिविरों का आयोजन किया गया था;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अर्द्धसैनिक बलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्यवार कितने उम्मीदवारों की भर्ती की गयी;

(ङ) क्या उक्त भर्ती आरक्षण अनुपात के अनुकूल थी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) उक्त बलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ज) चालू वर्ष के दौरान अर्द्धसैनिक बलों में राज्यवार भर्ती हेतु क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) अर्धसैनिक बलों में अधिकारियों की सीधी भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है। भर्ती के राज्यवार आंकडें नहीं रखे जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में वर्ष 1992 से 1994 के दौरान भर्ती किए गए राजपत्रित अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है :

बल का नाम	सी.सु.बल	के.ओ.सु.बल	के.रि.पु.बल	भा.ति.सी.पु.
नियुक्त किए गए अधिकारियों की संख्या	227	52	324	32

वर्ष 1992 से 1994 तक के दौरान भर्ती किए गए जवानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (ज) अर्ध सैनिक बलों में जवानों की भर्ती अखिल भारतीय आधर पर की जाती है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की रिक्तियों का वार्षिक आवंटन जनसंख्या के आधार पर तथा विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, एक चलने वाले भर्ती अभियान के एक भाग के रूप में बलों द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर भर्ती रैलियों की जाती हैं।

(घ) वर्ष 1992 से 1994 तक के दौरान सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

बल का नाम	सी.सु.बल	के.औ.सु.बल	के.रि.पु.बल	भा.ति.सी.पु.
भर्ती किए गए अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों की संख्या	57	5	92	6

इसी अवधि के दौरान, बलों में जवानों के रूप में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) से (छ) भर्ती आरक्षण नीति के अनुरूप की गई थी। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित, रिक्तियों को जिन्हें भरा नहीं गया, को भविष्य में दी जाने वाली भर्ती के दौरान भरा जाता है जिनमें विशेष भर्ती अभियान भी शामिल हैं।

विवरण

अर्ध सैनिक बलों में वर्ष 1992 से 1994 तक के दौरान भर्ती हुए जवानों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	असम राईफल्स		सी.सु.बल		के.रि.पु.बल		के.औ.सु.बल		भा.ति.सी. बल	
	जोड	अ.जा./अ.ज.जा.	जोड़	अ.जा./अ.ज.जा.	जोड	अ.जा./अ.ज.जा.	जोड	अ.जा./अ.ज.जा.	जोड	अ.जा./अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	97	15	1024	238	1411	604	907	214	18	4
असम	403	117	762	182	458	411	459	118	19	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरूणाचल प्रदेश	95	17	24	5	1	1	33	22	–	–
बिहार	838	14	1751	405	1596	879	1450	442	28	18
गोवा	–	–	10	3	14	13	14	1	–	–
गुजरात	–	–	545	133	704	489	611	193	–	–
हरियाणा	110	11	345	77	150	34	211	30	–	–
हिमाचल प्रदेश	531	155	190	44	275	47	122	25	333	7
जम्मू व कश्मीर	342	52	1196	185	262	91	814	38	249	40
कर्नाटक	14	2	949	231	703	268	351	99	–	–
केरल	89	1	480	116	127	61	145	21	–	–
मध्य प्रदेश	14	11	719	198	1166	668	1124	369	–	–
महाराष्ट्र	–	–	603	142	1206	470	853	178	–	–
मणिपुर	334	94	74	17	101	71	30	20	9	4
मेघालय	219	–	50	18	3	3	26	15	–	–
मिजोरम	189	79	5	4	–	–	27	21	–	–
नागालैंड	896	113	80	37	130	118	30	21	–	–
उड़ीसा	166	159	881	165	749	389	581	221	–	–
पंजाब	225	48	429	96	315	260	1136	316	335	78
राजस्थान	77	4	782	174	1031	658	711	257	–	–
सिक्किम	108	16	6	1	4	3	14	4	–	–
तमिलनाडु	31	10	1094	268	1011	433	363	71	–	–
त्रिपुरा	163	148	191	89	60	60	79	34	20	18
उत्तर प्रदेश	678	59	1985	452	1053	530	812	150	501	115
पश्चिम बंगाल	94	15	1386	300	1023	398	1283	321	50	9
अ. व नि. द्वीप	–	–	–	–	–	–	–10	–10	21	2
चंडीगढ़	–	–	–	–	74	26	85	14	103	25
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	75	8	358	56	217	113	697	95	–	–
पांडिचेरी	–	–	17	4	–	–	–	–	–	–

पिछड़ी जातियों में तंवर/सिंघाडिया जातियों को शामिल किया जाना

2897. श्री बलराज पासी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंवर/सिंघाडिया जातियों को अत्यधिक पिछड़ी जातियों में शामिल करने हेतु 1955 की काका कालेकर रिपोर्ट में कोई सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछड़ी जातियों की सूची में इन जातियों को कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में जो जातियां तथा समुदाय शामिल हैं वे 1955 के काका कालेकर रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित नहीं है। प्रथम चरण में आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में वे जातियां तथा समुदाय शामिल हैं जो मंडल आयोग रिपोर्ट की सूची तथा राज्य सरकार सूची दोनों में समान हैं। तदनुसार केन्द्र सरकार ने अब तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची को अधिसूचित किया है।

(घ) अन्य पिछड़े वर्गो की सूची में अधिक शामिल किए जाने और कम शामिल किए जाने संबंधी शिकायतों को देखने तथा शामिल करने के अनुरोधों को प्राप्त जांच तथा शिकायत करने के उद्देश्यों के साथ उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एक स्थायी आयोग अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।

जैसा कि सुझाव दिया गया है किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में तंवर/सिंघाडिया जातियों को शामिल करने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से इस संबंध में सिफारिश प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा।

आवास किराया भत्ता

2898. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/स्वायत्त निकाय के वे कर्मचारी जो सम्बद्ध विभाग द्वारा आवंटित अपने भाई के सरकारी आवास में रह रहे हैं, आवास किराया भत्ते के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अपने भाई के आंबटित आवास में रहने वाला कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ते का हकदार हो सकता है, बशर्ते वह किराये का भुगतान करता हो अथवा किराये में उसका योगदान हो।

पिछड़े क्षेत्रों में कर छूट

2899. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के केन्द्रीय बजट में आयकर अधिनिम, 1961 की धारा 80-1क के अंतर्गत उन नए औद्योगिक उपक्रमों को पंचवर्षीय कर छूट का लाभ दिया गया है जिन्होंने कुछ राज्यों के पिछड़े जिलों (8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जिलों के अलावा) में उत्पादन शुरू किया है।

(ख) क्या ऐसे पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए अभी तक कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछड़े जिलों की पहचान से संबंधित मामला पहले से ही गठित एक दल को सौंपा गया था। दल द्वारा अक्तूबर, 1994 में प्रस्तुत रिपोर्ट की दूसरा दल पुनरीक्षा कर रहा है।

विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाया जाना

2900. श्री छेदी पासवान : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कुछ विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई दिल्ली और मुम्बई के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए सुविधाओं सहित जयपुर, लखनऊ, नागपुर, इन्दौर, बडोदरा, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कालीकट, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फाल, गोवा और बंगलौर पर 14 अंतर्देशीय हवाई अड्डों का विकास कर रहा है।

(ग) दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर भीड़ को कम करने के लिए इंडियन एयरलाइंस और निजी विमान कंपनियों के उपयोग के लिए अलग टर्मिनल भवन निर्दिष्ट किए गए हैं। इन दोनों हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों के विस्तार और विमान यातायात नियंत्रण सुविधाओं के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जायेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ढांचागत विकास

2901. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में विमानपत्तनों के ढांचागत विकास हेतु हाल ही में एक दीर्घ कालीन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां तो अन्य बातों के साथ–साथ इस संबंध में बनाई गई योजना, उस पर आने वाले व्यय संबंधी वित्त पोषण योजना पूरी होने की अवधि तथा प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विमानपत्तन के ढांचागत विकास के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जिस योजना की पैरवी की है, उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागर विमानन मंत्री के अनुमोदन से आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1960 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हवाई अड्डों के विकास को प्रस्ताव दिया है। जबकि व्यय का मुख्य भाग आंतरिक संसाधनों के माध्यम से इसकी परियोजनाओं के लिए लगाया जाएगा फिर भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विदेशी वित्त एजेंसियों से ऋण और अनुदान भी प्राप्त होंगे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. 351.87 करोड रुपए की लागत से बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण।
2. 193.35 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता और मद्रास में हवाई अड्डा निगरानी राडारों और मोनोपल्स गौप निगरानी राडारों की प्राप्ति और संस्थापन।
3. 24.35 करोड़ रुपए की लागत से मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, कालीकट, कोयम्बतूर, इन्दौर, हैदराबाद, औरंगाबाद, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, राजकोट, मंगलौर, उदयपुर और पोर्ट ब्लेयर में उपकरण अवतरण प्रणाली की प्राप्ति और संस्थापन।
4. 336.63 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, लखनऊ, नागपुर, इन्दौर, वडोदरा, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कालीकट, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और इम्फाल में आदर्श हवाई अड्डों का विकास।
5. 105.49 करोड़ रुपए की लागत से बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल परिसर (चरण-3) का निर्माण।
6. 126 करोड़ रुपए की लागत से बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय टर्मिनल परिसर (चरण-2) का निर्माण।

स्टाम्प शुल्क का बकाया

2902. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जिन व्यक्तियों पर स्टाम्प शुल्क की एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है उनकी सूची क्या है और उक्त स्टाम्प शुल्क की राशि कब से बाकी है;

(ख) क्या जिन व्यक्तियों पर अधिक स्टाम्प शुल्क बाकी है उनसे बकाया राशि की वसूली उन देनदारों की तुलना में धीमी है जिन पर स्टाम्प शुल्क की कम राशि बाकी है;

(ग) क्या राज्य के आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए जिन व्यक्तियों पर उक्त राशि बाकी है उनसे बाजार दर पर ब्याज सहित बकाया राशि वसूल करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जिस तारीख से राशि बकाया है, उस तारीख सहित ऐसे व्यक्तियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके तहत बकाया राशि पर ऐसा ब्याज लगाया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

व्यक्तियों की सूची

	नाम	बकाया राशि	जिस तारीख से बकाया है	वसूल की गई राशि	शेष
1.	श्रीमती गरिमा जैन	4,84,575 रु.	29.6.94	3,25,000 रु.	1,59,575 रु.
2.	श्रीमती पुष्पा देवी	4,84,575 रु.	24.9.94	2,34,000 रु.	2,50,575 रु.
3.	श्री अनूप अग्रवाल	1,00,485 रु.	23.8.95	शून्य	1,00,485 रु.

[अनुवाद]

निजी एयरलाइन्स से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा

2903. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया देश के विभिन्न भागों के बीच यात्रियों को सुविधाजनक संपर्क देने के लिये निजी एयरलाइनों के सहयोग से इस बारे में कोई व्यवस्था करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की संभाव्यता पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) संपर्क करने वाली उड़ानों सहित विलंब करने वाले सभी पहलुओं पर गंभीर रूप से कार्यवाही करने के लिए एयर इंडिया द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एयर इंडिया हब एण्ड स्पोक प्रबन्ध में निजी एयरलाइन्सों के साथ शामिल होने के प्रभावों की जांच कर रही है।

(घ) एयर इंडिया देरियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :–

- देरियों की दैनिक मानीटरिंग।
- गैर–तकनीकी कारणों से होने वाली देरियों की विस्तृत छानबीन और उपचारी कार्रवाई की जाती है।
- बम्बई में एक समपालन समन्वय कक्ष स्थापित किया गया है।
- संयोजी देरियों को कम किया गया है।

यदि किसी उडान में एक घंटे से अधिक की देरी होती है तो संयोजी उड़ान को और देरी किये बिना भेज दिया जाता है।

स्वापक पदार्थों का जब्त किया जाना

2904. श्री चन्देश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत माह के दौरान हशीश तथा अन्य स्वापक पदार्थों की कितनी मात्रा जब्त की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जब्त की गई मात्रा की तुलना में यह कितनी है;

(ग) क्या कुछ सीमाशुल्क तथा पुलिस अधिकारी भी इस कार्य में लिप्त पाये गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले 2 महीनों तथा पिछले तीन वर्षों के संगत दो महीनों के दौरान देश में हशीश तथा अन्य स्वापक पदार्थों की जब्ती के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर पूछी गई अवधि के दौरान कोई भी सीमा शुल्क तथा पुलिस कार्मिक एन.डी.पी.एस. मामले में लिप्त नहीं पाया गया।

(ङ) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं। भारत–पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

विवरण

जब्ती ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

स्वापक औषध	1992		1993		1994		1995	
	10/92	11/92 (कि० ग्रा० में)	10/93	11/93 (कि० ग्रा० में)	10/94	11/94 (कि० ग्रा०में)	10/95	11/95 (कि० ग्रा० में)
हशीश	130.650	11.864	34.305	294.910	212.609	138.896	55.102	63.015
अफीम	137.415	20.900	212.890	24.415	36.924	18.324	41.855	24.920
मारफीन	1.300	–	0.240	0.235	0.050	–	7.455	0.250
हेरोइन	26.011	22.959	84.191	25.437	83.602	43.989	196.874	92.252
गांजा	3746.980	1256.897	5653.600	220.400	3763.280	6810.050	2122.045	716.950
मेथाक्वालोन	336.200	594.400	1073.600	439.100	265.200	4363.450	–	4729.100
मामलों की कुल सं०	83	62	84	46	116	172	118	54

म्यूचुअल फंड के कार्यकरण संबंधी समिति

2905. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यूचुअल फंडों के कार्यों/कार्यकरण की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारणीय विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) हालांकि सरकार ने कोई समिति नहीं गठित की है, लेकिन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एन.ए.वी. समिति का गठन किया है ताकि विभिन्न म्यूचुअल फंडों द्वारा यूनिटों के एन.ए.वी. की संगणना हेतु एक समान प्रक्रिया तैयार की जा सके।

(ग) से (ङ) इस समिति ने अभी सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सेबी समुचित कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और गुजरात के उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता

2906. श्री पवन दीवान :

श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

श्री खेलन राम जांगडे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ऋण हेतु मध्य प्रदेश और गुजरात के उद्यमियों की ओर से गत तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और इन आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन राज्यों में स्थित उद्योगों को उक्त अवधि के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का एकक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मजदूरों हेतु कल्याण योजनाएं।

2907. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा कारखानों में मजदूरों के कल्याण हेतु कार्यान्वित किए जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं द्वारा लाभान्वित होने वाले मजदूरों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन हेतु मशीनरी का गठन किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कारखानों में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों के लिए हाल ही में अनेक कल्याण योजनाएं आरंभ की गई हैं। इनमें से कुछ हैं, बोनस सीमा में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मंहगाई भत्ते की स्लैब लागू करना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत व्याप्ति हेतु मजदूरी सीमा में वृद्धि, वस्त्र उद्योग (जूट को छोड़कर) के संबंध में भविष्य निधि अंशदान की दर में वृद्धि और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश जारी करना तथा क.भ.नि. अंशदाताओं हेतु एक पेंशन योजना का सृजन, आदि। ऐसे कल्याणकारी उपाय सतत् आधार पर किये जाते हैं।

इन कल्याणकारी उपायों से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा कारखाने के सभी कर्मकारों को लाभ पहुंचता है।

(ग) और (घ) विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं।

बिहार में बैंक ऋण

2908. श्री छेदी पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में सभी श्रेणियों के अंतर्गत ऋण के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गई;

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा पात्र क्षेत्रों के लिए विभेदक ब्याज दरों पर ऋण वितरण हेतु अलग-अलग कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) 1993-94 के दौरान बिहार में प्रत्येक बैंक द्वारा हथकरघा क्षेत्र के लिए विभेदक ब्याज दरों पर कुल कितनी ऋण राशि वितरित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) बिहार में जून 1993 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों का श्रेणी-वार संवितरण

का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

श्रेणी	राशि (लाख रुपए)
कृषि	16709
लघु उद्योग	5639
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	7339

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विभेदी ब्याज दर योजना के तहत संवितरण करने के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि विभेदी ब्याज दर योजना के तहत उनके ऋण, पिछले वर्ष के अंत तक उनके कुल अग्रिमों का कम से कम एक प्रतिशत होना चाहिए। चूंकि विभेदी ब्याज दर योजना के तहत बिहार में हथकरघा बनुकरों को मंजूर किए गए ऋणों से संबंधित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित नहीं की जा रही है इसलिए ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यटकों को आकर्षित करना

2909. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उन ऐतिहासिक स्थलों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत के पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) बरहानपुर, प्लासी, गौर, कूच बिहार जैसे ऐतिहासिक स्थलों के नामों को सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने एक पर्यटक मार्ग मानचित्र बनाया है, जिसमें पर्यटक रूचि के स्थानों को दर्शाया गया है। इन स्थानों का चयन, कई तथ्यों, यथा पहुंच, पर्यटन आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, आदि को ध्यान में रखते हुए किया गया था। पश्चिम बंगाल में दर्शाए गए पर्यटक रूचि के कुछ ऐतिहासिक स्थानों में कलकत्ता, बहरामपुर, कूच बिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, मुर्शिदाबाद, बांकुरा, शान्ति निकेतन आदि शामिल हैं। चूंकि यह पूरे भारत का मानचित्र है, इसलिए देश में ऐतिहासिक रूचि के सभी स्थानों के नाम इसमें शामिल करना सम्भव नहीं था।

सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड

2910. **श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम में काफी समय से चुनाव नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निगम में कब तक चुनाव कराया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) जी, हां। सहकारी समिति के पंजीयक का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निगम की शेयर पूंजी में बहुत अधिक वित्तीय परिव्यय किया है इसलिए नामित बोर्ड की अवधि को 19 अप्रैल, 1995 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाना आवश्यक महसूस किया गया था। निगम के उप–नियम सं. 42 (ख) में नामित बोर्ड का प्रावधान है।

लंबित अग्रिम लाइसेंस

2911. **श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितने अग्रिम लाइसेसों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) अग्रिम लाइसेसों के कितने मामले सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं और इन लंबित मामलों की स्वीकृति देने में हुए विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इन लाइसेसों को स्वीकृति देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जारी अग्रिम लाइसेंसों की कुल सख्या क्रमशः 33636 तथा 44257 थी।

(ख) और (ग) अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र जिस दिन प्राप्त होते हैं। अग्रिम लाइसेंस उसी दिन जारी कर दिए जाते हैं। सभी तरह से पूर्ण आवेदन–पत्रों को क्रियाविधि पुस्तिका–खण्ड–I के पैराग्राफ 258 में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निपटाने का लाइसंसिंग प्राधिकारी द्वारा भरसक प्रयास किया जाता है। फिर भी ऐसे उदाहरण हैं जहां समय सीमा बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों की बारीकी से जांच की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं कि उनको शीघ्र निपटाया जाए।

अधूरे आवेदन–पत्रों की कमियों से आवेदक को तत्काल अवगत कराया जाता है। ऐसे मामलों में केवल इन कमियों को दूर कर देने के उपरान्त लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि

2912. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकोंमें अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि की वर्तमान स्थिति बैंक–वार क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : गुजरात के लिये संयोजक बैंक, देना बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 1994-95 के दौरान गुजरात में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा कराई गई बैंक–वार राशि नीचे दी गई है :–

(लाख रुपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1994-95 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा कराई गई राशि
1	2	3
1.	बैंक आफ बड़ौदा	26260.00
2.	बैंक आफ इंडिया	13909.00
3.	बैंक आफ महाराष्ट्र	64.64
4.	केनरा बैंक	1498.00
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2165.00
6.	कारपोरेशन बैंक	538.31
7.	देना बैंक	2143.88
8.	इंडियन बैंक	180.71
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	914.00
10.	पंजाब नेशनल बैंक	169.99
11.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	0.23
12.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3865.00
13.	यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	17.88
14.	यूको बैंक	58.00
15.	विजया बैंक	74.96
16.	भारतीय स्टेट बैंक	11626.00
17.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1.14
18.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2083.72

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि

2913. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में जमा की गई धनराशि का बड़ा भाग शेयर बाजार में लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है कि भारत के मुद्रा बाजार और अर्थव्यवस्था में मैक्सिको किस्म का विवाद बिल्कुल भी उत्पन्न न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) फरवरी, 1995 के अंत में अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई) द्वारा कुल विदेशी मुद्रा जमा 17.08 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसकी तुलना में द्वितीयक बाजार में अनिवासी भारतीय निवेश केवल एक लघु अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। मैक्सिकों के विपरीत भारत के लिए सकल प्रारक्षित निधि के प्रति पोर्टफोलियों के बाह्य प्रवाहों की किसी संभाव्य घटना से प्रारक्षित निधि में अधिक कमी नहीं आएगी। अनिवासी भारतीयों द्वारा पोर्टफोलियो माध्यम से किसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी में एकल/सामूहिक निवेशों के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं।

बैंकिंग लोकपाल

2914. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक बैंकिंग लोकपालों की नियुक्ति के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) बैंकिंग लोकपाल कहां-कहां नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने किस तिथि से काम करना शुरू किया है;

(ग) क्या किसी लोकपाल ने अब तक कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अब तक प्रत्येक लोकपाल द्वारा कितनी शिकायतों/मामलों का निपटान/हल किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आठ केन्द्रों पर बैंकिंग लोकपाल (ओमबड्समैन) नियुक्त किए हैं। इन बैंकिंग लोकपालों में से प्रत्येक की अवस्थिति और वह तारीख जब से उसने कार्य करना शुरू किया है/उसके कार्य शुरू करने की संभावना है और साथ ही उनके क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं :-

क्रमांक	केन्द्र	राज्य पर क्षेत्राधिकार	जिस तारीख से कार्य शुरू किया है/कार्य शुरू करने की सम्भावना है
1.	दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा और जम्मू व कश्मीर	14.6.95
2.	बंगलौर	कर्नाटक	24.6.95
3.	बम्बई	महाराष्ट्र और गोवा	14.6.95
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.6.95
5.	चण्डीगढ़	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	24.6.95
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	4.10.95
7.	पटना	बिहार	9.10.95
8.	जयपुर	राजस्थान	15.1.96 (संभावित)

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, शिकायतें/तय किए गए/सुलझाए गए मुद्दे (दिनांक 20.9.95 की स्थिति के अनुसार) निम्नलिखित हैं :–

क्रमांक	केन्द्र	प्राप्त शिकायतों की संख्या	उन शिकायतों की संख्या जो रखने योग्य नहीं थे	समझौता किए गए/ सुलझाए गए मुद्दों की संख्या	लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बम्बई	195		143	52
2.	भोपाल	144	68	17	59
3.	बंगलौर	97	61	8	28
4.	चण्डीगढ़	90	22	14	54
5.	नई दिल्ली	126	39	40	47
	योग :	652	190	222	240

[हिन्दी]

माल का जब्त करना

2915. श्री ललित उपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 1995 तक विदेशों से अवैध रूप से लाये गये माल के अभिग्रहण का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान सरकार को ऐसे अभिग्रहीत माल की बिक्री करने/नीलामी करने से हुई आय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बुद्ध पूर्णिमा हुसैन सागर का सुधार

2916. श्री धर्ममिक्षम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित बुद्ध पूर्णिमा हुसैन सागर के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोई सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं यथा बुद्ध पूर्णिमा हुसैन सागर झील पर रेस्तरां और शौचालय ब्लाक का निर्माण और हुसैन सागर झील के लिए नौकाओं की खरीद। दो प्रस्तावों में से, बुद्ध पूर्णिया हुसैन सागर पर रेस्तरां और शौचालय का निर्माण करने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 19.73 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई थीं। परिणामस्वरूप, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना को वापिस ले लिया है।

हथकरघा बुनकर

2917. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में हथकरघा बुनकरों की संख्या के मामले में हाल ही में कोई गणना कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास हथकरघा को शिल्पकला और हथकरघा बुनकरों को शिल्पकार मानने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या नए पदनाम से हथकरघा बुनकरों को लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी हां।

(ख) हथकरघों की संख्या, सूत की खपत, हथकरघा कपड़े का कुल उत्पादन रोजगार अर्जित करने के स्तर आदि के संबंध में वास्तविक आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में हथकरघा और पावरलूम क्षेत्रों की संयुक्त गणना आरंभ की गई है। इन सही आंकड़ों के आधार पर हथकरघा और पावरलूम क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोगी और अधिक प्रभावशाली योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

(ग) से (ङ) चूंकि ऐसा कोई भी पदनाम नहीं है इसलिए नए पदनाम देने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि सरकार की यह नीति है कि हथकरघा बुनकरों की गुणवत्ता शिल्पकारिता में वृद्धि करने और उसका संरक्षण किया जाये ताकि हथकरघों पर तैयार किया गया कपडा अधिक मूल्यवान हो और इस प्रकार बुनकरों को अधिक लाभ मिल सके।

भारत सरकार के कर्मचारी

2918. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के अंत तक देश में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या इन कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों के वेतन, भत्तों इत्यादि पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ;

(ड.) क्या सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय में कटौती किए जाने की घोषणा के बावजूद स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है; और

(च) यदि हो, तो इस असंगति को किस प्रकार दूर किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (ग) संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार (सिविलियन) कर्मचारियों की कुल आकलित संख्या 01 मार्च, 1992 और 1995 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 41,39,256 और 39,45,436 थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की संख्या घट रही है। यह सूचना सम्बद्ध वर्षों के व्यय बजट (भाग 1) में पहले से उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या संबंधी सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर हुआ अनुमानित व्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	व्यय (करोड़ रु० में)
1993-94	14,183.65
1994-95	15,531.89
1995-96	16,555.89

(ड.) और (च) यद्यपि गत तीन वर्षों के दौरान संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार (सिविलियन) कर्मचारियों की संख्या घटी है, किन्तु महगाई भत्ते, अंतरित राहत और मूलवेतन आदि में वृद्धि और उसके भुगतान के कारण उनके वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय मे वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय को नियंत्रित रखना सतत् प्रक्रिया है और पदों मे कटौती, पेट्रोल की खपत/पर होने वाले व्यय में कटौती, समयोपरि भत्ते, मनोरंजन, सजावटी प्रकाश व्यवस्था और विद्युत पर प्रबन्ध, वाहनों की खरीद पर प्रतिबन्ध आदि जैसे विभिन्न किफायती उपाय से संबंधित अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

इलायची का निर्यात

2919. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार कुल कितनी इलायची का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इलाइची के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए इलायची की कुल मात्रा तथा मूल्य के आकंड़े नीचे दिए जा रहे हैं :-

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु०)
1992-93	189.6	750.57
1993-94	338.31	1367.12
1994-95	254.85	737.13

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित इलायची के देशवार ब्यौरे डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिकांक में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्कालय में उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार/मसाला बोर्ड ने इलायची का निर्यात बढाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) मध्यपूर्व के बाजारों को उपभोक्ता पैकों में निर्यात पर 20 रु. प्रति किग्रा. की दर से हवाई भाड़ा सहायता प्रदान करना;

(2) माह दिसंबर, 1995 के दौरान निर्यात हेतु 35 रु. प्रति किग्रा. की दर से निर्यात प्रोत्साहन;

(3) इलायची के निर्यात पर दिनांक 1.2.95 से 31.3.1996 तक की अवधि के दौरान 2 प्रतिशत की दर से निर्यात उपकर के भुगतान से छूट;

(4) इलायची की नीलामी प्रणाली को सुव्यवस्थित करना;

(5) अनुनय द्वारा निर्यात जरूरतें पूरी करने के लिए नीलामियों में निर्यात योग्य ग्रेडों की निरन्तर आवक सुनिश्चित करना;

(6) मध्य-पूर्व के बाजारों में प्रेस/दूरदर्शन/इन्फ्लाइट संवर्धन/खाद्य उत्सवों, आदि के जरिए प्रचार/संवर्धन कार्य करना;

(7) व्यापार वार्ताओं के लिए मध्य-पूर्व के देशों को व्यापार प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना;

(8) महत्वपूर्ण बाजारों में मेलों में सहभागिता, एअर इण्डिया तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन कम्पनियों के साथ संयुक्त संवर्धन द्वारा भारतीय इलायची का प्रयोग लोक-प्रिय बनाना;

(9) मध्य-पूर्व के बाजारों मे लोगों संवर्धन अभियानों और ब्राण्ड

प्रचार संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए लोगों वाले भारतीय ब्राण्ड के उपभोक्ता पैकों को लोकप्रिय बनाना।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभागों का पुनर्गठन

2920. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभागों का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों में समूह "क" पदों और समूह "ख" तथा "ग" के कार्यकारी संवर्गों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसमें निम्न ग्रेड में कुछ पदों को पदोन्नत करके कतिपय संख्या में उच्च पदों का सृजन करना शामिल है, ताकि और अधिक प्रभावी निरीक्षण तथा अधिकतम राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

केरल में अल्पावधिक ऋण देना

2921. श्री ए. चार्ल्स : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मौसमी कृषि संबंधी कार्यों हेतु अल्पावधिक ऋण देने के लिए न्यूनतम संलग्नता निर्धारित करने में गंभीर विसंगतियों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से ब्याज के कारण राज्य सहकारी बैंकों को हुए वर्ष-वार घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) अल्पकालीन कृषि ऋणों में सहकारी बैंकों के अपने संसाधनों की अंतर्ग्रस्तता के न्यूनतम स्तर के निर्धारण करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर, नाबार्ड ने मई 1984 में वर्ष 1985-86 से न्यूनतम योगदान (एम आई) मानदण्ड प्रारम्भ किए थे जिसके द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एस. सी. बी.) और केन्द्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) को अल्पकालीन कृषि ऋणों में अपने शुद्ध ऋण योग्य संसाधनों (एनएलआर) का कम से कम 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत देने की अपेक्षा की गई है। इस दायित्व को पूरा करने पर, वे ऐसे ऋणों में अपनी अत्यधिक अंतर्ग्रस्तता की सीमा तक नाबार्ड से पुनर्वित्त का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता पर राज्य और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की निर्भरता को कम किया जा सके। न्यूनतम योगदान परिचालन का एक अंग है जो समान रूप से भारत में सभी सहकारी बैंकों (पूर्वोत्तर राज्य में परिचालित बैंकों के अलावा) लागू होता है। इसलिए केरल में बैंकों के लिए न्यूनतम योगदान का स्तर निर्धारण करने में कोई विसंगति नहीं हुई है।

गत पांच वर्षों के दौरान केरल में बैंकों द्वारा उपयोग में लाई गई नाबार्ड की रियायती पुनर्वित्त सीमा नीचे दी गई है :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उपयोग में लाई गई पुनर्वित्त सहायता
1990-91	73.63
1991-92	38.45
1992-93	31.05
1993-94	29.50
1994-95	56.00

नाबार्ड के रियायती पुनर्वित्त सहायता के उपयोग से, केरल के सहकारी बैंकों के नकारात्मक मार्जिन में काफी कमी आई है।

(ग) कृषि ऋण देने के संबंध में सकारात्मक मार्जिन पैदा करने के लिए सहकारी बैंकों को समर्थ बनाने को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.11.1994 से अन्तिम स्तर पर सहकारी बैंकों द्वारा ले जाने वाली ब्याज दरों को विनियमित किया है। इसके अलावा, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के अन्तर्गत स्वीकार्य स्तर के अन्दर अल्पकालीन कृषि सहकारिता के लिए उपलब्ध कराई जा रही रियायती पुनर्वित्त सहायता को नियंत्रित करने के लिए, सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम योगदान स्तर बढाने का निर्णय लिया गया था। तथापि, इस बढ़ोत्तरी के खिलाफ अभ्यावेदनों के कारण, नाबार्ड ने इस वर्ष (1995-96) के लिए एम. आई. स्तर में बढोत्तरी को आस्थगित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

गैर-विकास खर्च में कटौती

2922. श्री राजनारायण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अनुमानित घाटा कितना-कितना रहा, देश पर घरेलू और विदेशी ऋण कितना है और 31 मार्च, 1995 तक प्रति वर्ष इन ऋणों पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया अथवा किया जाना बाकी है;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान वर्ष-वार और देश-वार कितना-कितना घरेलू और विदेशी ऋण लिया गया;

(ग) क्या वर्ष 1992-93 की तुलना में 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रशासनिक खर्चों सहित गैर विकास खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इन खर्चों में हुई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार का विचार बढते खर्च को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालयों के खर्चों में कटौती करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(करोड़ रुपए)

		1993-94	1994-95 (संशोधित अनुमान)
1.	व्यापार घाटा	3259	6367
2.	सरकारी खाते में (बही मूल्य पर) विदेशी ऋण सहित	477668	541858
3.	ऊपर (2) पर अदा किया गया ब्याज	36695	44000

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 (संशोधित अनुमान) के दौरान प्राप्त की गई अतिरिक्त घरेलू और अन्य देयताएं क्रमशः 70968 करोड़ रुपए और 60378 करोड़ रुपए थीं। इस अवधि के दौरान प्राप्त किए गए विदेशी ऋणों का स्रोत–वार ब्यौरा निम्नलिखित है।

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	देश/संस्था	1993-94	1994-95
1.	अस्ट्रिया	17.33	–
2.	बेल्जियम	–	4.11
3.	फ्रांस	131.83	48.59
4.	जर्मनी	452.86	357.51
5.	इटली	0.01	–
6.	जापान	3192.70	2126.84
7.	स्वीडन	63.39	99.99
8.	स्विटजरलैण्ड	21.14	30.13
9.	आई. बी. आर. डी.	2826.47	1745.30
10.	आई. डी. ए.	2082.92	3149.88
11.	आई. एफ. ए. डी.	11.16	27.33
12.	कुवैत निधि	8.77	3.92
13.	ओ. पी. ई. सी. निधि	5.29	1.96
14.	साऊदी निधि	5.21	1.31
15.	यू. एस. एस. आर.	(-)0.69	–
16.	ए. डी. बी.	404.89	1000.98
17.	आस्ट्रेलिया	6.62	15.94
	जोड़ :	9229.90	8613.79

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 से लेकर तीन वर्षों में सरकार का गैर विकासात्मक व्यय नीचे सारणी में दिया गया है :–

(करोड़ रुपए)

	1992-93	1993-94	1994-95 (संशोधित अनुमान)
ब्याज अदायगियां	31075	36731	44000
रक्षा व्यय	17582	21845	23544
पुलिस	2363	2685	2685
पेंशन	3005	3303	3651
कर संग्रह प्रभार	725	818	984
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान किए जाने वाले प्रभार	666	866	287
मतदाता पहचान–पत्र जारी करना	–	–	225
अन्य गैर–विकासात्मक व्यय	6157	5450	5027
जोड़ गैर–विकासात्मक व्यय	61573	71708	80803

इस प्रकार अनिवार्य और अपरिहार्य मदों को छोड़कर अन्य गैर–विकासात्मक व्यय में वास्तव में कमी हुई।

(ङ) और (च) गैर विकासात्मक व्यय को नियंत्रण में रखना एक सतत् प्रक्रिया है। संस्थापन में कमी, ईंधन की खपत में कमी करने, विशिष्ट उपभोग से बचने आदि के संबंध में पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु बचतों के पुनर्विनियोग पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करें।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा राजसहायता

2923. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.पी.ई.डी.ए. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कंपनियों/जहाजों को राजसहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न कंपनियों/जहाजों की पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कंपनी–वार कितनी धनराशि दी गई ;

(घ) क्या निर्यातोन्मुखी समुद्री उत्पादों के निर्यात में लगे परंपरागत मछुआरों की राजसहायता अथवा प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। एम्पीडा द्वारा चलाई जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. **एच एस डी कीमत प्रतिपूर्ति स्कीम**

इस स्कीम के अन्तर्गत 1992-93 से नवम्बर 1995 की अवधि के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयान चलाने वाले 199 भारतीयों को 621.99 लाख रुपये वितरित किए गए ताकि वे अन्य देशों के अपने प्रतिपक्षियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें।

2. *विविधीकृत मछली पकड़ने के लिए राजसहायता*

इस स्कीम के अन्तर्गत एम्पीडा ने वर्ष 1992-93 से अक्तूबर, 1995 तक की अवधि में 16 जलपोतों में सुधार के लिए 17.28 लाख रुपये का अंशदान दिया ताकि वे विविधीकृत मछली पकड़ने एवं आन–बोर्ड फ्रीजिंग का कार्य कर सकें।

(ग) एच एस डी कीमत प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 एवं उसके उपरान्त विभिन्न कम्पनियों/पोतों को वितरित इमदाद की राशि निम्नलिखित है :–

कम्पनी	1993-94		1994-95		1995-96 (नव, 95 तक)	
	पोतों की संख्या	रिलीज की गई राशि (लाख रु०)	पोतों की संख्या	रिलीज की गई राशि (लाख रु०)	पोतों की संख्या	रिलीज की गई राशि (लाख रु०)
1 2	3	4	5	6	7	8
1. श्रिम्प इंडिया लिमिटेड	4	6.40	4	5.57	4	10.54
2. नवभारत फैरी अलाव लि.	4	10.09	4	15.08	3	2.59
3. अकामा मैरीन्स लिमिटेड	2	4.36	2	3.30	2	3.57
4. बॉब–डी फिशरीज पीओ लि.	1	13.54	1	12.89	1	12.04
5. प्रॉन मैग्नेट (प्रा.) लि.	2	7.43	2	5.66	2	3.66
6. रायस मैरीन प्रोडक्ट्स लि.	1	2.10	1	1.17	–	–
7. कोस्टल ट्रॉलर्स लिमिटेड	4	12.33	4	21.09	4	11.99
8. जी. पी. मैरीन प्रोडक्ट्स इंडि	2	7.49	2	14.51	–	–
9. यदुगुरी सीफूड्स लिमि.	4	6.42	4	14.78	3	5.73
10. विक्टोरिया फिशरीज लिमि.	2	10.13	2	6.96	–	–
11. वीबीसी एक्सपोर्टस लिमि.	6	25.99	9	23.71	6	19.30
12. इण्डमर फिशरीज लिमि.	–	–	3	8.59	–	–
13. फिशिंग फॉलकान लिमि	–	–	2	10.21	2	26.30
14 मीनम् फिशरीज लिमि.	–	–	2	1.87	–	–
15. एस बी एस मैरीन एक्सपोर्टस लि.	3	6.72	3	6.20	3	7.71
16. सूजा एण्ड लीविस फिशरीज प्रा. लि.	1	0.77	1	3.17	1	1.57
17. ग्रीनवेव मैरीन हार्वेस्ट लिमि.	–	–	1	1.24	–	–
18. सुमुरा मैरीटाइम्स ट्रेड्स लिमि.	–	–	1	2.89	–	–
19. यूनीवर्सल कोल्ड स्टोरेज लिमि.	2	4.76	2	4.22	–	–
20. सैफाइए फिशरीज (प्रा.) लि.	2	3.06	2	4.43	1	2.27
21. निक्कान्ती सी फूड्स लिमिटेड	2	9.67	4	25.73	–	–
22. ओरियन्टल हाईसीज फिशरीज लिमि.	–	–	1	9.23	1	33.14

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सील फिशरीज लिमि.	–	–	2	2.01	–	–
24.	सूर्यो सीफूड, स लिमि.	2	2.27	–	–	–	–
25.	यदुगुरी सीफूड्स	1	1.80	–	–	–	–
26.	गौतम कांस्ट्रक्सन एण्ड फिशरीज लि.	2	3.77	–	–	–	–
27.	जीएफडीसी लि.	4	10.56	–	–	–	–
28.	फारचून औसीनिक प्रोडक्ट्स लिमि.	–	–	–	–	2	5.05
29.	वे लाइनर्स	–	–	–	–	1	6.31
		51	149.66	59	206.51	36	151.77

विविधीकृत फिशिंग स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन्न कम्पनियों को वितरति इम्दाद की राशि निम्नानुसार हैं :–

	पार्टी का नाम	पोतों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई	राशि (हजार रुपया)
1.	सील फिशरीज लिमि. मद्रास	2	217.242
2.	प्रीमियर डीप सी फिशिंग कम्पनी, क्विलॉन	1	213.095
3.	विक्टोरिया फिशरीज लिमि. मद्रास	2	154.173
4.	वदुगिरि सीफूड्स लिमि, विजांग	4	488.7
5.	दाना शिपिंग लिमि. विजांग	2	172.819
6.	जी पी मैरीन प्रोडक्ट्स (इण्डिया लि०) विजांग	2	287.599
	1993-94		
1.	रेघु सी फूड्स लिमि०, विजांग	1	85.68
2.	सेन्नाई फिशरीज लिमि० विजांग	1	85.71
3.	निक्कान्ती सी फूड्स लिमि., विजांग	2	200.00
4.	जी.पी मैरीन प्रोडक्ट्स इण्डिया लिमि., विजांग	1	100.0
5.	कोलम्बिया सीफूड. स प्रा० लिमि०, विजांग	1	103.57
	1994-95		
	शून्य		

(घ) और (ड.) एम्पीडा ने साउथ इण्डियन फेडरेशन ऑफ फिशरमेन सोसाइटीज त्रिवेन्द्रम को शार्क फिशिंग के लिए वेलापवर्ती दीर्घ लाइनर बनाने में, प्रायोगिक आधार पर, सहायता देने का प्रस्ताव किया है। ये दीर्घ लाइनर परम्परागत/मैकेनाइज्ड मछुआरों द्वारा चलाई जाएंगी जो सोसाइटी के पास पंजीकृत होंगे। एम्पीडा परम्परागत मछुआरों के लिए पोत पर मछली पकड़ने, किनारे पर मछली पकडने को उचित रूप से हैण्डल करने तथा आउट–बोर्ड मोटरों का अनुरक्षण करने के लिए विस्तार कार्यक्रम भी तैयार करती है।

परिषद् सहकारी बैंक

2924. डा. लाल बहादुर रावल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में परिषद् सहकारी बैंक, दिल्ली को बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता तथा ऋणदाता को 30000/- रुपये अदा करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्देश उन जमाकर्ताओं/ऋणदाताओं पर लागू होता है जिन्हें 1992 में उक्त बैंक का "पे आर्डर" मिला जिसका अब तक भुगतान नहीं किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), ने सूचित किया है कि दिनांक 5 जनवरी,

1995 से बैंक को बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य नाम से किसी भी अन्य बचत खाते के कुल शेष में से किसी भी जमाकर्ता या ऋणकर्ता को 30,000/- रुपए तक भुगतान करने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते कि, किसी एक व्यक्ति के नाम से (और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से नहीं) सभी जमा खातों के संबंध में भुगतान की गई कुल राशि 30,000/- रूपए से अधिक न हो और शर्त यह भी है कि जहां कहीं ऐसा जमाकर्ता किसी मूर्त जमानत द्वारा गैर–प्रतिभूत या प्रतिभूत जमाकर्ता हो, वहां यह राशि संबंधित ऋणकर्ता के खाते में समायोजित की जानी चाहिए।

(ख) जिन जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों के परिपक्व हो जाने पर दिनांक 8 जनवरी, 1993 से लागू भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश की तारीख से पहले भुगतान आदेश (पे आर्डर) जारी कर दिए गए थे, वे भी उसी तरह भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिस तरह अब जमाकर्ता और ऋणकर्ता भुगतान प्राप्त करते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारियों का एक ही स्थान पर निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक रहना

2925. श्री बी. धनंजय कुमार : क्या वित्त मंत्री 31 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2754 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में अनेक अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक कार्यरत हैं;

(ख) क्या एक अधिकारी एक ही शाखा में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य नहीं करेगा;

(ग) यदि हां, तो एक ही स्थान पर तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों को स्थानांतरित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक एक ही शाखा में कार्यरत हैं तथा बैंकिंग सेवा के हित में इन्हें कब तक स्थानांतरित कर दिए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के मेरठ अंचल कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 1026 अधिकारियों में से 26 अधिकारी (स्केल I और II में 25 और स्केल III में 1) अपने संबंधित नियत कार्यालयों में 3 वर्षों से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं। किसी कार्यालय विशेष में किसी अधिकारी के बने रहने के लिए सामान्य अवधि, प्रशासनिक सुविधा, अलग–अलग मामले में गुण दोषों और व्यक्तिगत समस्याओं आदि की शर्तों के अध्ययीन तीन वर्ष हैं। मेरठ अंचल कार्यालय के नियंत्रण में निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के विवरण निम्न प्रकार हैं :

जिले का नाम	स्केल I	स्केल II	स्केल III	योग
मुजफ्फरनगर	1	–	–	1
मेरठ	2	–	1	3
बुलंदशहर	1	1	–	2
गाजियाबाद	4	2	–	6
सहारनपुर	4	2	–	6
हरिद्वार	7	1	–	8
	19	6	1	26

शेयरों का प्रीमियम

2926. कुमारी उमा भारती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान कितनी कंपनियों ने भारी प्रीमियम पर शेयर जारी किए हैं जिनके शेयर के मूल्य निर्गम मूल्य से निरंतर काफी कम कोट किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों, जिन्होंने भारी प्रीमियम लिया था; के विरुद्ध लोकहित में कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के निरसन के बाद से सरकार का पूंजी निर्गमों और उनके मूल्य निर्धारण पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। तथापि, सेबी ने प्रकटन और निवेशक के संरक्षण हेतु पूंजी निर्गमों को शासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, केवल उन कंपनियों को प्रीमियम पर पूंजी निर्गम जारी करने की अनुमति दी गई है जो स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और वे नई कंपनियां जिनकी लाभकारिता का 3 वर्ष का इतिहास रहा हो अथवा वे कंपनियां जिन्हें 5 वर्ष की लाभकारिता का इतिहास रखने वाली कंपनियों द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा हो। अन्य कंपनियां जिनका कोई ट्रैक रिकार्ड न रहा हो, प्रीमियम पर शेयर जारी नहीं कर सकती।

पेप्सी को. इंडिया होल्डिंग्स

2927. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी को. इंडिया होल्डिंग्स और इसकी सहायक कंपनियों ने 1994 और 1995 के दौरान कितने मूल्य का निर्यात किया;

(ख) पेप्सी को. इंडिया होल्डिंग्स और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा 1996 के दौरान कितने मूल्य का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) पेप्सी को. इंडिया होल्डिंग्स और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा 1994 और 1995 के दौरान कितने मूल्य का निर्यात किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) आयात और निर्यात के कंपनी वार आंकडे इस कार्यालय में नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, मैसर्स पेप्सी फूडस लिमिटेड द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार वर्ष 1994 और 1995 में उनके द्वारा किया गया निर्यात

निम्नलिखित है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये)
1993-94	40.38
1994-95	73.32

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की संविदा दर

2928. डा. परशुराम गंगवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित संविदा दर का लागू करना सभी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिये अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की स्थापना करने का क्या प्रयोजन है;

(घ) क्या मंत्रालयों/विभागों ने अपनी मदों के लिये अपनी स्वयं की संविदा दर निर्धारित की है, जबकि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने भी उन मदों के लिये समान संविदा दरें निर्धारित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो समान मद के लिये पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की संविदा दर सस्ती होने पर भी सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसका अनुपालन न किये जाने के कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) कार्य आवंटन नियम.1961 (समय समय पर यथा संशोधित) के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय में पूर्ति विभाग, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के समान (स्टोर्स) की खरीद और जांच करने के लिये एक केन्द्रीय (नोडल) विभाग है। केन्द्रीय क्रय संगठन अर्थात् पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, पात्र फर्मों के साथ दर संविदाएं तय करके केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपेक्षित आम उपयोग (कामन यूज) की विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति करता है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों की पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर/ चालू संविदाओं के तहत शामिल उन मदों की खरीद करनी अपेक्षित होती है जिन मदों के मामलों में खरीद मूल्य, इन मदों की सीधी खरीद के लिये प्रदत्त उन शक्तियों से अधिक होता है, जो इस समय एक बार में 10,000 रु. और वर्ष में कुल 50,000 रु. है।

(घ) पूर्ति विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या मंत्रालयों/विभागों ने उन मदों के लिये अपनी खुद की दर संविदा तय कर ली है जिन मदों के लिये पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय भी दर संविदायें तय कर चुका है।

(ङ) तथा (च) उपर्युक्त (घ) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इंडियन एयरलाइंस बुकिंग कार्यालय, मैसूर

2929. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में इंडियन एयरलाइंस का एक बुकिंग कार्यालय काम कर रहा है;

(ख) क्या उक्त कार्यालय को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त प्रस्ताव का विचार त्यागने हेतु कहीं से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) इंडियन एयरलाइंस का मैसूर सहित, कई आफ लाइन स्टेशनों पर अपने बुकिंग कार्यालयों को एजेंसी कार्यालयों से बदलने का प्रस्ताव है। मैसूर में बुकिंग कार्यालय ही रखने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। लागत लाभ और अन्य प्रभावों की जांच करने के बाद ही इंडियन एयरलाइंस इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी।

ड्यूटी पर सीमाशुल्क अधिकारी

2930. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अक्तूबर, 1995 को लगातार सात घंटे तक दिल्ली में निर्यात कार्गो काम्प्लेक्स पर कोई सीमाशुल्क अधिकारी ड्यूटी पर नहीं था;

(ख) क्या सात घंटे की इस अवधि के दौरान किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी को तैनात न किये जाने के कारण सरकार को राजस्व का अत्यधिक घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को कितना घाटा हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। 16.10.1995 को सीमाशुल्क अधिकारी दोनों पारियों में ड्यूटी पर उपस्थित थे।

(ख) जी, नहीं। 16.10.1995 को विभिन्न माल के निर्यात के संबंध में 21,266/- रुपये का उपकर प्राप्त किया गया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यापार संतुलन

2931. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल–सितंबर, 1994 और 1995 के दौरान रुपयों और डालरों में कितना व्यापार अंतर था;

(ख) इस अवधि हेतु कितना अंतर वार्षिक परिवर्तन हुआ;

(ग) इस अवधि हेतु आयात और निर्यात की अंतर वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी; और

(घ) सरकार द्वारा व्यापार अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) भारत का व्यापार अंतर जो अप्रैल–सितंबर करने करने 1994 की अवधि के दौरान 1230 मिलियन अमरीकी डालर (3860 करोड़ रुपए) के घाटे में रहा था, अप्रैल–सितंबर 1995 की अवधि में यह घाटा बढ़कर 2381 मिलियन डालर (7554 करोड़ रुपए) हो गया।

(ग) अप्रैल–सितंबर 1994 और अप्रैल–सितंबर 1995 की अवधियों में आयात तथा निर्यात में रुपया तथा डालर मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि दरें निम्नानुसार रही :

	1994 (अप्रैल–सितंबर)		1995 (अप्रैल–सितंबर)	
	रुपया	डालर	रुपया	डालर
आयात	12.1%	19.1%	34.3%	32.8%
निर्यात	12.3%	12.2%	27.8%	26.4%

(घ) व्यापार घाटे को कम करने का आधार निर्यात वृद्धि होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक सशक्त निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करने और उसे कायम रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारतीय व्यापार नीति की जुलाई, 1991 में उदारीकरण किया गया जिससे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों का प्रत्युत्तर दिया जा सके। इस व्यापार नीति का उद्देश्य व्यापार हेतु अपेक्षातया अधिक मुक्त वातावरण बनाना क्रियाविधियों के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण द्वारा क्रियाविधि संबंधी बाधाएं समाप्त करना, निर्यात उत्पादन में वृद्धि करना, कार्यकुशलता में सुधार करना तथा प्रतिस्पर्धा पक्ष को और तेज करना निविष्टि उपलब्धता को सुगम बनाना, निर्यात संवर्धन संबंधी योजनाएं आरंभ करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के अलावा क्वालिटी तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना हैं। इस बात के प्रयास किए गए हैं कि आसान शर्तों पर निर्यात ऋण उपलब्ध कराए जाएं और निर्यात लाभ पर कर से छूट प्रदान की जाए। निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रों तथा संबंधित संस्थाओं के परामर्श से निर्यात संवर्धन उपाय किए जाते हैं।

इंडियन बैंक हाऊसिंग लिमिटेड की शाखाएं

2932. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन बैंक हाऊसिंग लिमिटेड की देश में राज्यवार, विशेषकर गुजरात के पिछडे और जनजातिय क्षेत्रों में, कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इस बैंक के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस बैंक की आवास योजना के लिए कम लागत सामग्री का पता लगाने हेतु अनुसंधान और विकास कोष स्थापित करने संबंधी कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रतिवर्ष कितनी–कितनी राशि के ऋण स्वीकृत और वितरित किए; और

(ङ) राज्य में सस्ते आवास के लिए इस बैंक से कितनी सहायता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंड. बैंक हाऊसिंग लि० की शाखाओं की कुल संख्या 14 है जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में दिया गया है :–

आन्ध्र प्रदेश	2
कर्नाटक	2
केरल	2
तमिलनाडु	7
संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	1

गुजरात राज्य में इसकी कोई शाखा नहीं हैं।

(ख) इंड. बैंक हाऊसिंग लि० के लक्ष्य और उद्देश्य व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूहों को आवास निर्माण/अधिग्रहण और विद्यमान मकानों के मरम्मत/बड़े उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता देना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ.) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

बुनकरों को रोजगार देने हेतु योजनाएं।

2933. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश के बुनकरों को रोजगार देने हेतु क्या योजना बनाई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने बुनकरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में बुनकरों के उत्थान हेतु इस सहायता की कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) हथकरघा बुनकरों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं इस प्रकार हैं;

1. हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना की योजना।
2. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना।
3. प्रोजेक्ट पैकेज योजना।
4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3.27 लाख करघाहीन हथकरघा बुनकरों की कवरेज।
5. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख अनुसूचित जनजाति/जनजाति के आवासहीन हथकरघा बुनकरों की कवरेज।
6. ट्राइसम के अंतर्गत 1 लाख हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण।
7. जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1000 सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना
8. जनता कपड़ा योजना।

(ख) और (ग) सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से नाबार्ड के अंतर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा हथरकघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में भारत सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते।

असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों का कल्याण

2934. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठिमत क्षेत्र में कार्य करने वाले ग्रामीण मजदूरों के कल्याण हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओ से ग्रामीण मजदूरों को कितना लाभ पहुंचा है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाकर उनके कल्याणार्थ शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

i) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)**

इस योजना के अंतर्गत, आय बढाने वाली परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहातया प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिको तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए विविध प्रकार की मिश्रित आर्थिक सहायता और भिन्न-भिन्न दरों पर आयविक ऋण शामिल हैं। 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या 21,82,018 थी। वर्ष 1995-96 के लिए इस योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन 1,09,721.16 लाख रु. हैं जिसमें 54,950 लाख रु. केन्द्रीय अंश शामिल है।

ii) **जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)**

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपतियों का सृजन करना है। 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन 6,285.29 लाख श्रम दिवस था। इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अधिकता है। 1994-95 के दौरान महन जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई) के अंतर्गत अतिरिक्त 1688.57 लाख श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया गया था। 1995-96 के लिए इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां 4044.97 करोड रुपये हैं जिसमें केन्द्रीय हिस्सा शामिल है।

iii) **रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.)**

2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पहचान किये गये पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि सीजन में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार संबंधी शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत 1995-96 के लिए 1,27,809 लाख रुपये की निधियां आवंटित की गयी हैं। 1993-94 के दौरान, 494.74 लाख श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया गया।

iv) **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्लू सी आर ए)**

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना भी है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप आय बढाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982-83 में संचालित किया गया था। इस योजना को ट्राइसेम और आई आर डी पी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

v) **स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)**

इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करना है।

vi) **कल्याण निधियां**

श्रम मंत्रालय, बीडी कर्मकारों, सिने कर्मकारों और चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह, मैंगनीज, क्रोम और अभ्रक खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पांच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन निधियों के लिए बजट आवंटन नीचे दिया गया है :

निधि	वास्तविक व्यय 1994-95	आवंटन 1995-96
बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि	21.60 (करोड़)	22.91 (करोड़)
अभ्रक कर्मकार कल्याण निधि	2.03 (करोड़)	2.10 (करोड़)
लौह अयस्क कर्मकार कल्याण निधि	4.55 (करोड़)	7.25 (करोड़)
चूना पत्थर कर्मकार कल्याण निधि	2.71 (करोड़)	5.04 (करोड़)
सिने कर्मकार कल्याण निधि	0.05 (करोड़)	0.10 (करोड़)

vii) **समूह बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशनन**

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा सीमा के अंतर्गत लाने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। सामाजिक सुरक्षा निधि, जो 1988 में स्थापित की गई थी, में 5000 रु. की सीमा तक जीवन सुरक्षा के लिए अनुमोदित व्यवसायों (23 की संख्या में) के सदस्यों हेतु प्रीमियम के 50% तक इमदाद भी दी जाती है। श्रम मंत्रालय ने 1992-93 से बीड़ी कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना भी शुरू की है जिसके अंतर्गत 1994-95 के दौरान 10,570,48 व्यक्ति शामिल किए गए हैं। प्रीमियम का पूरा भुगतान सरकार करती है। अनेक राज्य सरकारें विभिन्न पात्रता मानदंडों और पेंशनों दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही है।

viii) **निर्माण कर्मकारों के लिए विधान**

निर्माण उद्योगों में लगभग 8.5 मिलियन कर्मकारों को रोजगार मिला हुआ है जो कृषि कर्मकारों के पश्चात् असंगठित श्रम बल का दूसरा सबसे बडा क्षेत्र है। 3.11.95 को केन्द्रीय सरकार ने निर्माण कर्मकारों की सेवा शर्तों, स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के बारे में उनके हितों के संरक्षण के लिए दो अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं जिनके नाम हैं: भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तों) अध्यादेश, 1995, और भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1995। अध्यादेश में अन्य बातों के साथ–साथ, दुर्घटना और बडी बीमारी के मामले में चिकित्सा सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, मकान निर्माण के लिए ऋण, समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता, महिला कर्मकारों के लिए प्रसूति सुविधा आदि जैसी कल्याण योजनाएं चलाने के लिए राज्य स्तर पर कल्याण निधि के गठन की व्यवस्था है।

ix) **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना**

भारत सरकार ने गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की घोषणा की है। इसमें 65 वर्ष की आयु से अधिक, निस्सहाय व्यक्तियों को 75/- रु. प्र. मा. की दर से वृद्धावस्था पेंशन, प्रमुख कमाऊ व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना से मृत्यु होने वाले के परिवारजनों को क्रमशः 5,000/- रु. और 10,000/- रु. का एक मुश्त पारिवारिक लाभ और दो जीवित बच्चों के लिए 300/- रु. प्रति प्रसव के प्रसूति लागू लाभ प्रदान किया जाना अपेक्षित है। इस योजना से क्रमशः 5.3 मिलियन, 3.5 लाख लाभानुभोगियों और 4.5 लाख महिला कर्मकारों को लाभ होने की उम्मीद है।

चारा मशीन

2935. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री 26 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7322 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त जानकारी अब तक एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है।

(ग) इस समय चारा संसाधन इकाइयां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि विस्तृत सूचना एकत्र की जानी है और उन स्थानों की संख्या बहुत ज्यादा है जहां ऐसी मशीनें स्थापित हैं, सूचना एकत्र करने में कुछ समय लग रहा है।

[अनुवाद]

महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण

2936. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का संस्था वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : श्रम मंत्रालय, विश्व बैंक सहायियत् व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो योजनायें क्रियान्वित कर रहा है। महिलाओं हेतु नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/खंडों की स्थापना की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 10 एवं उत्तर प्रदेश में 9 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/खण्डों में नये व्यवसायों को शुरू करने की भी एक योजना मध्य प्रदेश के 5 औ०प्र०सं० तथा उत्तर प्रदेश के 8 औ०प्र० संस्थानों में क्रियान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

योजना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान		1992-93	1993-94	1994-95
1	2		3	4	5
	मध्य प्रदेश				
1.	महिलाओं के लिए	कोनी बिलासपुर	12.570	6.780	3.160
	नये औद्योगिक	इंदौर	1.340	1.780	1.900
	प्रशिक्षण संस्थानों की	सागर	1.390	1.780	5.780
	स्थापना	बेतुल	1.320	1.780	6.900
		छिंडवाड़ा	5.860	1.780	1.900
		रतलाम	1.280	1.780	1.900
		रायपुर	–	8.220	1.820
		रीवा	–	8.380	1.820
		खण्डवा	–	16.550	1.820
		रायगढ़	–	8.720	1.820
		कुल :	23.760	57.550	28.820
2.	विद्यमान	जबलपुर	–	–	–
	महिला औ०प्र०	भोपाल	–	2.00	–
	सं० में नये व्यवसायों	उज्जैन	–	2.00	–
	की शुरूआत	ग्वालियर	–	2.00	–
		भिलाई	1.880	–	–
		कुल :	1.880	6.000	
	उत्तर प्रदेश				
1.	महिलाओं के लिए	लखनऊ	2.500	5.000	9.961
	नई औ.प्र.सं.	मेरठ	1.000	8.500	7.918
	की स्थापना	कानपुर	2.500	9.250	7.441
		आगरा	1.000	7.500	5.401
		इलाहाबाद	4.585	4.635	7.631
		वाराणसी	0.500	10.000	8.460
		गोरखपुर	5.000	4.500	6.201
		झांसी	5.000	6.500	7.111
		बरेली	5.000	6.500	9.450
		कुल :	27.085	62.385	69.574

1	2		3	4	5
2.	विद्यमान	रामपुर	6.632	–	3.322
	महिला	बिजनौर	3.351	0.035	2.161
	औ०प्र०सं०	गाजियाबाद	2.410		7.483
	में नये	देहरादून	6.497	0.260	4.322
	व्यवसायों	मिर्जापुर	1.333	–	2.172
	की शुरूआत	अलीगढ़	1.250	–	4.312
		मथुरा	–	–	2.161
		काशीपुर	–	–	2.161
		कुल :	21.473	0.295	28.094

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/डिस्पेंसरियां

2937. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में लेडी डाक्टरों की कमी तथा आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देख–रेख का संचालन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों में दवाइयों और महिला डाकटरों की कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भोपाल में चर्म शोधनशाला की स्थापना

2938. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एस आई डी सी आई की सहायता से एक चर्म शोधनशाला की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस एकक में राज्य और केन्द्र सरकार का कितना–कितना हिस्सा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उसे सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्र राज्य संबंध

2939. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीव्र आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए और राज्यों को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने हेतु केन्द्र–राज्य आर्थिक संबंधों की नए सिरे से जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध भारत के संविधान के प्रावधानों में निहित है। राज्य वित्तीय रूप से स्वायत होते हैं और अपने आर्थिक प्रबन्धन के लिए अपने–अपने विधानमण्डलों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। संविधान में प्रावधान है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र से राज्यों को निधि अंतरित की जाए। इसके अतिरिक्त राज्य योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। राज्यों में संसाधनों के परस्पर अंतरण/आबंटन के समान केन्द्र से राज्य में संसाधनों का अंतरण/आबंटन राज्यों की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछेक मानकों पर आधारित होता है। तीव्र आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसाधनों के अंतरण/आबंटन से स्पष्ट होता है। दसवें वित्त आयोग ने संसाधनों के अंतरण के लिए एक वैकल्पिक योजना की भी सिफारिश

की है, जिसमें राज्यों के साथ व्यापक रूप से परामर्श की अपेक्षा होगी और यदि आवश्यक समझा गया तो इस संबंध में संवैधानिक संशोधन भी किया जाएगा।

तेल पर सीमाशुल्क

2940. श्री धर्मण्ण मोडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से तेल पर आयात शुल्क में कमी करने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू तथा आगामी वित्त वर्ष में इस पर आयात शुल्क में की गई कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. वी. चन्दडोंगर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार को खाद्य तेलों पर सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वनस्पति तेलों पर सीमाशुल्क की दरों में परिवर्तन करने के लिए इस समय कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में रूग्ण औद्योगिक एकक

2941. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य बैंकों ने इन एककों को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी केन्द्र सरकार से इन एककों को फिर से चालू करने हेतु इन्हें केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ङ) कब तक इन एककों के फिर से चालू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस समय बिहार में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से राजसहायता प्राप्त 18 औद्योगिक एकक हैं, जो बन्द पड़े हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संभावित रूप से अर्थक्षम पाए गए रूग्ण/कमजोर एककों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए उनके संबंध में पुनर्वास पैकेज बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनर्वास पैकेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वापसी अदायगी के लिए बढ़ाई गई अवधि (7 से 10 वर्ष) में चरणबद्ध रूप से वापसी अदायगी करने, ब्याज में रियायतें देने, नए आवधिक ऋण देने और साथ ही नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की मौजूदा देयराशियों के निधिकरण का प्रावधान है। जहां तक गैर लघु उद्योग रूग्ण औद्योगिक कंपनियों का संबंध है, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को रूग्ण एककों के पुनर्वास के लिए निवारक, सुधारक, उपचारात्मक एवं अन्य उपायों के निर्धारण तथा ऐसे उपायों को तत्काल लागू करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। जहां बाइफर द्वारा कंपनी के पुनर्वास के लिए कोई योजना स्वीकृत की जाती है, वहां बैंक/वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत योजना की शर्तों के अनुसार रियायतों/रियायतों सहित सुविधाएं प्रदान करती हैं।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन (क्षेत्र)

2942. श्री रामकृष्ण कौंडाडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन के लिए आज तक आवंटित और निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) पंजीकृत इकाइयों और उत्पादन कर रही इकाइयों, उनके कार्य की प्रकृति तथा प्रत्येक एकक की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा और आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का इकाईवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में अनुभव की जाने वाली किन्हीं बाधाओं का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) प्रथम चरण में 17 करोड रु० की लागत से 163 एकड़ भू क्षेत्र पर बुनियादी सुविधाओं का विकास-कार्य आरंभ किया गया है। इस संबंध में अब तक 16.92 करोड़ रु० का व्यय किया गया है। यह जोन दिनांक 1.4.1993 से प्रचालन में आया।

(ख) 17 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें इलैक्ट्रानिकी, भेषजीय पदार्थों रत्न तथा आभूषणों खाद्य प्रसंस्करण, परिधानों एवं इंजीनियरी के क्षेत्रों को कवर किया गया है। इन परियोजनाओं पर कुल अनुमानित पूंजी निवेश लगभग 195 करोड़ रु० का होगा। दो परियोजनाएं पहले ही प्रचालन में आ गई हैं। यह कम्प्यूटर प्रणालियों तथा फैक्स कागज के विनिर्माण और व्यापार में कार्यरत हैं।

(ग) कार्यरत एककों द्वारा अब तक किए गए निर्यात एवं आयात का मूल्य क्रमशः 109.29 लाख रु. और 95.29 लाख रु. है।

(घ) तथा (ङ) अगले उद्यमिता प्रत्युत्तरों की प्रतीक्षा है और पूंजी निवेशकों को इस जोन में जाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

वैष्णों देवी में विश्राम गृह

2943. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पालकी ले जाने वालों के लिए वैष्णों देवी परिसर में विश्राम गृह का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ वित्तीय आवंटन कर दिया गया है; और

(ग) विश्राम गृह का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार "माता वैष्णों देवी जी" के पवित्र मंदिर का पूरा क्षेत्र श्री माता वैष्णों देवी मंदिर बोर्ड के अंतर्गत आता है। मंदिर बोर्ड, परिसर में आवास/विश्राम गृह का स्वयं निर्माण करवाता है। सरकार के पास, श्रद्धालु वैष्णों देवी पर पालकी उठाने वालों के लिए कुछ बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वेतन और सुविधाओं में असमानता

2944. **प्रो० के. वी. थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के पायलट, फलाइट इंजीनियर, ग्राउंड इंजीनियर और ग्राउंड कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया के सभी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में असमानता का मामला निपटा लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस असमानता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं संबंधित कर्मचारी वर्ग की मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों/गिल्ड के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

केरल के लिए जापानी सहायता

2945. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पलाक्काड जिले के अल्तफाडी जनजातिय क्षेत्रों के विकास के लिए जापानी सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता वास्तव में प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह सहायता शीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जी नहीं।

(ख) इस परियोजना के लिए ऋण करार पर, जापान सरकार के साथ ऋण संबंधी वार्ता किए जाने के बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ग) इन ऋण वार्ताओं के जनवरी, 1996 में आयोजित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

घरेलू बचतें

2946. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से देश में की जाने वाली घरेलू बचतों की दरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में की जाने वाली घरेलू बचतों की दर क्या थी; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान और चालू योजना की शेष अवधि में उपर्युक्त बचतों की अनुमानित दर क्या होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में सकल घरेलू बचतों के अर्थ में मापित बचतों की दर वर्ष 1991-92 में 23.1 प्रतिशत, 1992-93 में 20.2 प्रतिशत थी और वर्ष 1993-94 में सुधार कर 20.2 प्रतिशत हो गई। मापित बचत दर मुख्यतया वास्तविक अस्तियों के रूप में घरेलू बचतों में गिरावट के कारण छटी हैं। चालू वर्गीकरण के अधीन बचत के इस रूप को शेष के रूप में मापा जाता है। मौजूदा वर्गीकरण की समीक्षा करने और विधियों और कार्यविधियों में सुधार की सिफारिश करने के लिए सांख्यिकी विभाग द्वारा बचतों और पूंजी निर्माण पर एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। साधारणतया, बचतों का कुल स्तर अर्थव्यवस्था की विकास की दर, राजकोषीय घाटे के स्तर, कर संबंधी नीतियों, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार की क्षमता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास आदि जैसे कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1991 से सरकार द्वारा किए गए कई आर्थिक सुधारों का कुल

बचतों के स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ना अनुमानित है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पट्टे पर दिये गये होटल/बार-बी-क्यू

2947. श्री कुन्जी लाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने विभिन्न रेस्तराओं/बार–बी–क्यू को पट्टे पर निजी पार्टियों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन रेस्तराओं को भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों द्वारा पट्टे पर निजी पार्टियों को दिया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और पट्टे पर दिये जाने संबंधी शर्तें क्या हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विशिष्ट भोजन की मांग को पूरा करने की दृष्टि से जिसके लिए या तो भारत पर्यटन विकास निगम के पास विशेषज्ञता नहीं है या फिर इस कार्यकलाप को करना उच्च उपरि प्रभार की वजह से किफायती न होने से रेस्तराओं ठेके पर दे दिए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	होटल का नाम	रेस्तरां का नाम (लाइसेंसधारी का नाम)	संक्षिप्त में लीज की नियम/शर्तें
1	2	3	4
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	ज्वैल ऑफ दि ईस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट (मैसर्स कलाश एसोसिएट्स)	बिक्री का 36% अथवा 42.84 लाख रुपए प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटिड राशि जो भी अधिक हो।
2.	लोधी होटल, नई दिल्ली	वंचाई रेस्टोरेंट– चाइनीज रेस्टोरेंट (मैसर्स वंचाई केटरर्स)	खाद्य बिक्री का 40% अथवा 12.00 लाख रु० प्रतिवर्ष न्यूनतम गारंटिड राशि जो भी अधिक हो।
		सागर रत्ना – प्योर साउथ इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट (मैसर्स सागर फूड होम)	खाद्य बिक्री का 30% अथवा 29.20 लाख रु. प्रतिवर्ष न्यूनतम गारंटिड राशि जो भी अधिक हो।
3.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	कोकोनट ग्रोव– साउथ इंडियन नान वेजिटेरियन रेस्टोरेंट (मैसर्स के.एस.कुमार एंड क.)	बिक्री का 40% अथवा 16.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटिड राशि जो भी अधिक हो।
		बगिया बार–बे–क्यू (मैसर्स एक्सल होटल्स एंड रेस्टोरेंट इक.)	बिक्री का 21% अथवा 3.01 लाख रुपए प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटिड राशि जो भी अधिक हो। (घटना के पश्चात 2.7.95 से बार–बे–क्यू ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। लाइसेंस समाप्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया है।)
4.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	फूड प्लाजा– फास्ट फूड कैफेटोरिया (मैसर्स क्वालिटी केटरर्स)	बिक्री का 41% अथवा 10.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटिड राशि जो भी अधिक हो।

1	2	3	4
5.	होटल आगरा अशोक, आगरा	मंडारिन रेस्टोरेंट– चाइनीज रेस्टोरेंट (मैसर्स डी–लेंग एंड क.)	बिक्री का 39.5% अथवा 3.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटिड राशि जो भी अधिक हो।
6.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मामल्लापुरम	अशोक स्नेक बार रेस्टोरेंट मैसर्स अमिनय होटल्स रिजार्टस (मद्रास)	1.4.94 से 31.3.96 तक की अवधि के लिए 1.20 लाख रुपए प्रतिवर्ष तथा उसके पश्चात उसके शुल्क पर 10% की वृद्धि।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

2948. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य रोजगार कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी थी; और

(ख) आठवीं योजना के दौरान अभी तक कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है और इस योजनावधि के अंत तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) सातवीं योजना के अंत तक (31 मार्च, 1990 तक) देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, 332.5 लाख थी।

(ख) आठवीं योजना में, 1.4.1992 से 31.8.1995 की अवधि के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा मुहैय्या करवाई गई नियुक्तियों की संख्या 7.5 लाख थी।

रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार चाहने वालों को रोजगार उपलब्ध कराना उनको अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या तथा अर्थव्यवस्था में सृजन किए जा रहे रोजगार पर निर्भर करता है।

उड़ीसा में लघु उद्योगों को बैंक ऋण

2949. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए उनमें से कितने निरस्त किये गए और इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या बैंकों ने लघु उद्योगों को रूग्न होने से बचाने के लिए उन्हें समय से ऋण दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजे गए अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 1992, मार्च 1993 और मार्च 1994 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा राज्य में लघु उद्योग एककों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित किए गए ऋण निम्न प्रकार थे :–

(करोड़ रुपए)

मार्च के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	अतिदेय राशि
1992	129362	295.28
1993	134382	318.55
1994	144280	351.58

(ख) से (ड.) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले आवेदनों को एक पखवाड़े के अंदर और 25,000/- रुपए से अधिक के आवेदनों को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 8-9 सप्ताह के अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि ऋण सीमाओं में बढ़ोत्तरी के लिए अनुरोधों पर शीघ्र ही विचार किया जाना चाहिए और शीघ्रता से तथा किसी भी हालत में छः सप्ताह के अन्दर–अन्दर निर्णय लिया जाना चाहिए।

निजी एयरलाइन्स

2950. श्री राम विलास पासवान :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइंस एशिया क्षेत्र से बाहर के वायु मार्गो और गंतव्य स्थलों के लिए विमान सेवाओं को अनुमति दिये जाने के संबंध में आग्रह कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एशिया में विभिन्न गंतव्य स्थानों को उड़ानें प्रचालित करने के लिए दो निजी विमान कंपनियों से सरकार ने प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

(ग) इस समय अंतर्सष्ट्रीय मार्गो पर प्रचालन करने के लिए किसी निजी विमान कंपनी को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य-प्रणाली

2951. श्री राम कापसे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "नाबार्ड" द्वारा ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कोई विशिष्ट समिति नियुक्त नहीं की गई है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी मुद्दों पर नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा नजदीक से निगरानी रखी जा रही है।

(ख) और (ग) ये सवाल ही नहीं उठते।

खानों की सुरक्षा

2952. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन स्कूल आफ माइंस" ने पश्चिम बंगाल और बिहार स्थित कोयला खानों में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन खानों में सुरक्षा के संबंध में कोई टिप्पणी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए विशेष बल

2953. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में पर्यटन केन्द्रों के विकास पर विशेष बल देने के लिए निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों सहित निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने संबंधी कोई नई पर्यटन नीति केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात की नई पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं:-

1. पर्यटन को उद्योग का दर्जा।
2. नई पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज।
3. पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का एकीकृत विकास।

(ग) नीति को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के गुणदोषों पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गुजरात सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए 15.00 लाख रुपए के परिव्यय को शामिल करते हुए 4 स्कीमें/परियोजनाएं अभिनिर्धारित की हैं। इन परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र के लिए धनराशि

2954. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सम्बद्ध राज्यों में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए तथा इसके आधुनिकीकरण के लिए तथा बुनकरों के पुनर्वास के लिए चलायमान कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई राशि का राज्यवार विवरण :

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	2167.43	3059.66	2732.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	87.00
3.	असम	1512.53	1236.56	1649.24
4.	बिहार	391.25	575.12	679.00
5.	दिल्ली	–	–	1.50
6.	गुजरात	165.03	461.87	300.71
7.	हरियाणा	17.79	69.39	51.77
8.	हिमाचल प्रदेश	86.49	105.48	143.39
9.	जम्मू–कश्मीर	142.93	123.85	83.48
10.	कर्नाटक	1407.28	1614.60	1625.83
11.	केरल	220.67	638.28	1452.82
12.	मध्य प्रदेश	581.66	755.00	570.33
13.	मेघालय	–	0.20	13.05
14.	महाराष्ट्र	852.56	1177.88	1348.22
15.	मणिपुर	6.35	273.83	829.24
16.	मिजोरम	–	10.00	18.94
17.	नागालैंड	–	–	51.50
18.	उड़ीसा	1092.48	1628.84	1691.08
19.	पाण्डिचेरी	0.15	–	34.62
20.	पंजाब	112.70	91.70	4.88
21.	राजस्थान	171.60	500.56	244.25
22.	सिक्किम	–	–	3.04
23	तमिलनाडु	2990.87	4018.51	4723.94
24.	त्रिपुरा	171.37	165.89	289.39
25.	उत्तर प्रदेश	3618.15	3921.63	1964.28
26.	पश्चिम बंगाल	2229.51	1238.79	2756.93

[अनुवाद]

रूस को चाय का निर्यात

2955. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ के विघटन से पूर्व वे सात दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसके विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया था क्या यह प्रवृत्ति अत्यंत उत्साहपूर्वक थी;

(ख) 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् क्या रुस को भारतीय चाय की विभिन्न किस्मों/ब्रांडों के निर्यात को धक्का लगा तथा इसमें काफी गिरावट आयी;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1994-95 के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/टी बोर्ड ने रूस के बाजार में हाल ही में भारतीय चाय के लिए फिर से स्थान बनाने हेतु एक उत्साही विपणन नीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार/टी बोर्ड द्वारा हाल के महीनों में क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(च) क्या रूस तथा स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रदलों में सरकार बनाने के उद्देश्य से बोर्ड का संयुक्त उद्यम गठित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान पूर्ववर्ती सोवियत संघ को और वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान रूस तथा अन्य सी आई एस देशों को किए गए चाय के निर्यात को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन से पहले दोनों देशों के बीच व्यापार वार्षिक व्यापार करारों द्वारा संचालित होता था जिनमें अन्य बातों के अलावा सोवियत संघ को निर्यात हेतु भारतीय चाय की मात्रा विनिर्दिष्ट होती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रुस तथा अन्य सी आई एस देशों को चाय के निर्यात में गिरावट आई है क्योंकि उन देशों ने चाय का कुल आयात कम कर दिया और श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि जैसे अन्य निर्यातक देशों से तीव्र प्रतियोगिता रही है क्योंकि ये देश सस्ती किस्मों की चाय का उत्पादन करते हैं।

किन्तु, स्थिति में अब तेजी से परिवर्तन आ रहा है और अप्रैल–सितम्बर, 1995 की अवधि के दौरान रूस तथा अन्य सी आई एस देशों को भारतीय चाय का निर्यात 33.17 मिलियन किग्रा. का हुआ है जबकि वर्ष 1994 की इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 14.90 मिलियन किग्रा. का हुआ था। इस प्रकार, इसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है।

(घ) तथा (ङ) रूस को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य

से रूसी सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा रूस द्वारा ऋण वापसी भुगतान प्रणाली के तहत चाय का आयात किए जाने का प्रावधान है। सरकार ने रूसी बाजारों में भारतीय चाय के लिए प्रचार माध्यम अभियान आरंभ किए जाने संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। सखत क्वालिटी नियंत्रण लागू करने के उद्देश्य से ऋण वापसी भुगतान प्रणाली के तहत रूस को होने वाला चाय निर्यात अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण के तहत लाया गया है।

चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपायों में टीबोर्ड के मास्को स्थित कार्यालय के जरिए चलाए जाने वाले संवर्धनात्मक अभियान शामिल हैं। इनमें ये शामिल हैं– (1) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता; (2) भारतीय चाय की विभिन्न अद्वितीय विशेषताओं के प्रति उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार माध्यम अभियान; (3) चाय बोर्ड के विपणन चिन्ह के जरिए भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार माध्यम अभियान।

भारतीय चाय के निर्यात संवर्धन के लिए अध्यक्ष, चाय बोर्ड के नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के नवम्बर, 1995 में रूस तथा कुछ अन्य सीआईएस देशों का दौरा किया।

(च) और (छ) रूस तथा अन्य सीआईएस देशों को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए इन देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के वास्ते भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाता है। इन देशों में संयुक्त उद्यम लगाने के संबंध में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

रूस तथा अन्य सीआईएस देशों को भारत से चाय का निर्यात

(मात्रा : मिलियन किग्रा०)
(मूल्य : करोड़ रु०)

देश	1990-91*		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
रूसी परिसंघ					49.51	269.33	36.50	314.97	41.32	248.74
कजाकिस्तान					7.79	37.96	0.07	0.45	2.81	14.53
उक्रेन					0.97	6.22	12.30	79.15	3.72	20.83
अजरबैजान					0.01	0.05	–	–	–	–
अन्य सीआईएस देश					0..01	0.03	0.22	1.23	1.52	9.02
योग : सीआईएस	112.85	597.34	107.59	574.25	58.29	313.39	59.09	395.80	49.37	293.12

* सीआईएस

* पूर्ववर्ती सोवियत संघ से संबंधित

विवरण-II

क्र०सं.	भारतीय पार्टी का नाम तथा पता	प्रचालन क्षेत्र	कार्य की स्थिति
	रूस		
1.	टाटा टी लि०, कलकत्ता	चाय तथा संबद्ध उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा विपणन	कार्यान्वयन के तहत
2.	रतन एक्सपोर्टस एण्ड इण्ड. लि०, नई दिल्ली	ब्लेण्डेड चाय का विनिर्माण	वही
3.	नवभारत इन्टरप्राइजेज लि., हैदराबाद	सिगरेट तथा चाय का विनिर्माण	वही
	कजाकिस्तान		
4.	रसिक वुडवर्थ लि०, नई दिल्ली	चाय पैकेजिंग, व्यापार, खाद्य उत्पाद	वही

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पूंजी निवेश

2956. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने मध्य प्रदेश में अपने नए एककों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना निवेश किया;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने मध्य प्रदेश में स्थित अपने एककों के विकास हेतु कुछ नई परियोजनाओं का चयन किया है;

(ग) क्या राज्य के कुछ एककों में उपलब्ध सुविधाएं विदेशी पर्यटकों के लिए अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने, गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कोई नई परियोजना स्थापित नहीं की है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने होटल खुजराहों के लिए नवीनीकरण/उन्नयन कार्यक्रम बनाया है। तथा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमशः 28 लाख तथा 30 लाख रु. के परिव्यय की परिकल्पना करते हुए एक योजना का प्रावधान किया है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल, होटल में आने वाले पर्यटकों को स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

आयात नीति

2957. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात नीति में रबड़ और काफी को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के अन्तर्गत रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन वस्तुओं के आयात के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) मौजूदा निर्यात–आयात नीति 1992-97 के अन्तर्गत हालांकि रोस्टेड तथा डी कैफेनेटिड काफी के बल्क पैकेजिंग में मुक्त रूप से आयात की अनुमति है, लेकिन प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबन्ध हैं। किसी वस्तु को आयात किया जाना है अथवा नहीं यह निश्चित करते समय विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू कीमतें, उपलब्धता व मांग शामिल है। एक्सिम नीति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और जब भी आवश्यकता समझी जाती है इसमें परिवर्तन किये जाते हैं।

[हिन्दी]

जाली नोट

2958. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंदे और कटे–फटे करेंसी नोटों से जाली नोट बनाए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कारोबार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि

2959. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर और थोक मूल्य सूचकांक में कमी हो रही है और दूसरी ओर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मुद्रास्फीति की दर और थोक मूल्य सूचकांक में कमी आने से लोगों को क्या फायदा पहुंचा है;

(ग) 1995 के दौरान दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में आई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) इस वर्ष मार्च के बाद अवलोकित मुद्रास्फीति दर में स्पष्ट रूप से स्थिर मंदी से यह परिणाम निकलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में कीमतों में वृद्धि अभी तक कम रही है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों (अप्रैल–नवम्बर) में थोक मूल्यों में पिछले वर्ष की अवधि के 7.4 प्रतिशत की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 447 वस्तुओं में से, जिनके थोक मूल्य मानीटर किए गए है, लगभग 82 वस्तुओं के मूल्यों में मार्च, 1995 के बाद से पूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। उनमें से कुछ वस्तुएं गेहूँ (1.8 प्रतिशत) मक्का (4.1 प्रतिशत), ज्वार (6.9 प्रतिशत), चना (20 प्रतिशत), काफी (21 प्रतिशत), कपास (11.8 प्रतिशत), वनस्पति (45 प्रतिशत), घी (4 प्रतिशत), रेजर ब्लेड (6.3 प्रतिशत) है। 30 जरूरी वस्तुओं की कीमतों में हुई समग्र वृद्धि में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में इस वस्तु–समूह में दर्ज 10.1 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा कम है। इस समूह के भीतर गेहूं, ज्वार, चना, वनस्पति और मछली के थोक

मूल्यों में पूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। वे जरूरी वस्तुएं, जिनकी कीमतें पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा बढ़ी है, अधिकांशतः मौसमी प्रकृति की हैं जोऑफ–सीजन में मूल्य वृद्धि में और इनकी भरपूर उपलब्धता के समय मूल्यों में गिरावट में परिलक्षित होता है। इनकी सूची नीचे दी गई है :

वस्तुएं	के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में (प्रतिशत) वृद्धि		
	1995-96	1994-95	1993-94
बाजरा	6.0	-8.2	16.5
अरहर	37.5	7.0	13.7
मूंग	15.1		8.8
आलू	142.4	71.2	93.1
प्याज	150.0	26.7	109.0
चाय	68.0	23.5	7.3
चीनी	3.6	-4.2	7.2
नमक	78.9	3.2	4.1
मिर्च	32.2	28.7	-20.1
आटा	2.8	1.4	5.9
माचिस	4.7	0.5	8.2

(घ) सरकार द्वारा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए उपायों में कुछ निम्नानुसार हैं :–

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा यदि जरूरी हो तो खाद्य तेल और चीनी जैसी वस्तुओं की आयातों के जरिए, आपूर्ति को बढ़ाना।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक उत्पादों की घरेलू कीमतें प्रतिस्पर्द्धात्मक बनी रहें चालू वर्ष के बजट में व्यापार और टैरिफ नीतियों में समायोजन।

(iii) बहुत सी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय कमी करना।

(iv) चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों में राजकोषीय घाटे में कमी।

(v) तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के निर्गम के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर नियंत्रण करना और नकदी प्रारक्षित अनुपात व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री सहित उपायों की श्रृंखला के जरिए मौद्रिक वृद्धि को नियंत्रित रखना।

बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों में पूंजी निवेश

2960. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के शेयरों की खरीद के माध्यम से उनमें पूंजी निवेश करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे शेयरों की खरीद का ब्यौरा क्या है और उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके शेयर खरीदे गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ मैसूर द्वारा अनारक्षण

2961. श्री राम निहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ मैसूर ने वर्ष 1991-94 के दौरान समूह "क" और "ख" के कुछ रिक्त पदों को अनारक्षित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों को लगाने पर विचार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं जिन्होंने सी ए आई आई बी की परीक्षा पास कर ली थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) जी, हां। स्टेट बैंक आफ मैसूर ने वर्ष 1991 से 1994 की अवधि के दौरान पदोन्नति के समूह "क" और समूह "ख" के तहत लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति में निम्नलिखित रिक्तियों को अनारक्षित किया है, क्योंकि अनुसूचित जाजि एंव अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, मानदंडों में छूद देने के बावजूद जो उन पर लागू होता है, अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। इस तरह अनारक्षित की गई आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे वर्षवार निम्नलिखित हैं :

वर्ष	समूह ख		समूह क	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1991	6	4	2	–
1992	1	–	–	–
1993	4	2	–	–
1994	7	2	–	–

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि सीएआईआई बी परीक्षा के भाग I या भाग I और भाग II दोनों पास करना उन अभ्यर्थियों के लिए, जो क्रमशः स्नातक है और स्नातक नहीं है, समूह "ख" में पदोन्नति हेतु अर्ह होने के लिए एक पूर्व शर्त है। समूह "क" में पदोन्नति के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। पदोन्नति नीति के तहत, प्रत्येक समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अलग–अलग आरक्षण किया जा रहा है। अनारक्षण मुख्यतः "ख" समूह में अपेक्षित था, क्योंकि अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति में से सीएआईआईबी परीक्षा पास करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं थी। समूह "क" में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध थे और वर्ष 1992 तथा इनके बाद अनारक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

[हिन्दी]

अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विलयन

2962. **श्री नरेश कुमार बालियान :**

श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के सभी कर्मचारियों का इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ विलय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कितने कर्मचारियों का विलय अभी नहीं किया गया है;

(ग) क्या अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विलय के लिये भिन्न भिन्न मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय द्वारा गठित विलयन समिति को भंग कर दिया गया है जबकि वायुदूत के कर्मचारियों का विलय करने संबंधी कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वायुदूत के 1334 कर्मचारियों में से 310 को एयर इंडिया में और 997 को इंडियन एयरलाइंस में खपा लिया गया है। शेष 27 कर्मचारियों को भी इंडियन एयरलाइंस में खपाने की पेशकश की गयी है लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस में खपाए जाने पर अधिकारियों को वहीं ग्रेड दिया या है जो वायुदूत में उनका था। कर्मचारियों को विशेष संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के आधार पर और इंडियन एयरलाइंस में लागू प्रोन्नति स्कीम के अनुसार उपयुक्त ग्रेडों में रखा गया है।

(ङ) विलयन समिति ने अन्य संगठनों में वायुदूत के कर्गचारियों को खपाए जाने संबंधी उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया है।

[अनुवाद]

श्रम न्यायालय

2983. **श्री प्रबीन डेका :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम मे कितने श्रम न्यायालय हैं और किन-किन स्थानों में स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में अत्यधिक श्रम बल को देखते हुए प्रत्येक जिले में ऐसे न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वे न्यायालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सूचना असम सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कम मूल्य के शिपिंग बीजक

2964. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में निर्यातक कंपनियां सीमा शुल्क अधिकारियों तथा निकासी एजेंटों की मिलीभगत से मुम्बई के नवाशेवा पत्तन पर कम मूल्य के शिपिंग बीजक तैयार कराके करोड़ों रुपयों का घोटाला कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस घोटाले में अंतर्गस्त सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के घोटाले पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार का आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कम मूल्य के शिपिंग बीजकों का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। तथापि, हाल ही में मुम्बई और नवाशेवा के 111 निर्यातकों द्वारा निर्यात माल की गलत घोषणा करने का पता चला है जिसके फलस्वरूप अभी तक अनुमानतः 55 करोड़ रु. (लगभग) के शुल्क अपवचंन का पता चला है। कुछेक निर्यातकों द्वारा स्वेच्छा से 13.3 करोड़ रु. की राशि सीमा शुल्क के रूप में जमा करा दी गई है (चेकों/ड्राफ्टों की वसूली होने पर)।

(ग) और (घ) इस घोटाले में अंतर्गस्त 5 सीमा शुल्क अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने का संबंध है, सीमा शुल्क अधिकारियों को और अधिक सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इसके अतिरिक्त शिपिंग बीजक तैयार करने के उद्देश्य हेतु उनके संबंध में बेहतर नियंत्रण और समन्वय के लिए कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन किए गए हैं।

पवनहंस का संचालन

2965. **श्री खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवनहंस लिमिटेड ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ये सेवाएं शुरू की जायंगी?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पवनहंस ने हाल ही में हेलीकाप्टर सेवाएं आरंभ की हैं जिनमें इटानगर को गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ से सप्ताह में चार बार की सेवाओं से जोड़ा गया है।

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना

2966. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में ऐसे पार्क स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जायेगा; और

(छ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं वाले एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क (ई पी आई पी) स्थापित करने में सहायता देने की एक योजना बनाई गई है। उन पर होने वाले पूंजीगत व्यय का 75% धनराशि केन्द्र द्वारा दी जायेगी जिसकी प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को प्रत्येक यूनिट के निर्यात कारोबार का 2% व्यवस्था अनुदान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 5 वर्ष तक उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) से (छ) 16 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। एक और प्रस्ताव असम सरकार से 11.12.95 को प्राप्त हुआ है जिस पर विधिवत् विचार किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	ई.बी.आई.पी. की स्थिति	परियोजना की लागत (जमीन की लागत को निकालकर)
1.	पंजाब	धान्दरी कलां, जिला लुधियाना	18.51 करोड़ रुपए
2.	महाराष्ट्र	अम्बरनाथ, जिला थाणे	14.82 करोड रुपए
3.	हिमालच प्रदेश	बाडी, जिला सोलन	9.99 करोड रुपए
4.	राजस्थान	सीतापुरा, जिला जयपुर	16.62 करोड़ रुपए
5.	कर्नाटक	हूडी, जिला बंगलौर	15.01 करोड़ रुपए
5.	केरल	काक्कानाड, जिला एर्णाकुलम	19.57 करोड़ रुपए
7.	हरियाणा	कुन्डली, जिला सोनीपत	14.85 करोड रुपए
8.	उत्तर प्रदेश	सूरजपुर, जिला गाजियाबाद	18.50 करोड रुपए
9.	तमिलनाडु	गुम्मीदीपुन्दी, जिला चेन्गाई एमजीआर	14.62 करोड़ रुपए
10.	आंध्र प्रदेश	पाशामेलारम, जिला मेडक	13.95 करोड रुपए
11.	गुजरात	सावली, जिला बड़ौदा	16.00 करोड रुपए
12.	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली	14.11 करोड रुपए
13.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर, जिला बर्दवान	14.12 करोड़ रुपए
14.	मेघालय	बिर्निहाट, जिला रिभोई	13.00 करोड रुपए
15.	मध्य प्रदेश	सिया, जिला देवास	13.64 करोड रुपए
16.	उडीसा	भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	15.25 करोड़ रुपए
17.	असम	अमीन गांव, जिला कामरूप	14.62 करोड़ रुपए

भारतीय नागरिकों के विदेशों में खाते

2967. श्री लाल बाबू राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भारतीय नागरिक विदेश में किसी बैंक में बचत खोल सकता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे खातों के लिए किन औपचारिकताओं तथा प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) ऐसे व्यक्तियों जो भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के रूप में विदेश में कम से कम एक वर्ष तक लगातार रहने के बाद भारत लौटे हैं या भारत में आए हैं उनको रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेश में अपने वर्तमान बैंक खातों की जारी रखने अथवा बैंक में नए खाते खोलने की आम अनुमति दी गई है, परंतु जब ये व्यक्ति भारत के बाहर के निवासी थे तो उन व्यक्तियों द्वारा बैंक खातों में रखी हुई ये राशियां फेरा, 1973 के उपबंधों का उल्लघंन किए बगैर अन्यथा अर्जित की गयी हों। यदि उन व्यक्तियों की विदेश में रहने की अवधि एक वर्ष से कम है और वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं और जो कभी विदेश नहीं गया है तो रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ये विदेश में बैंक खाता नहीं खोल सकते। विदेश में बैंक खाते को जारी रखने/नया बैंक खाता खोलने की ऐसी अनुमति प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा पैतृकता आदि के माध्यम से प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा के शेयरों/प्रतिभूतियों को रखने वाले निवासियों को ऐसे विदेशी मुद्रा के खातों को बनाए रखने की भी अनुमति है ताकि वे ब्याज/लाभांश की वसूली कर सके।

(ख) खाता धारक को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को आवेदन–पत्र देना होगा और उसमें यह प्रयोजन बताना होगा जिसके लिए यह विदेश में बैंक खाता खोलना चाहता है तथा उसके साथ आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे।

आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सहायता

2968. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार/वित्त आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा यह अनुरोध कब किया गया था; और

(ग) केन्दीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) स्वर्गीय श्री चिमन भाई पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात ने दसवें वित्त आयोग के गुजरात राज्य में दौरे के दौरान उनके समक्ष दिए गए अपने भाषण में इस आधार पर कि देश का सीमावर्ती राज्य होने के नाते विशेष ध्यान दिए जाने का हकदार होते हुए भी गुजरात को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में पर्याप्त भागीदारी की संभावना नहीं है, उनसे 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। राज्य सरकार से अन्य कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। दसवें वित्त आयोग ने इस विषय पर गुजरात को कोई अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है।

विश्व बैंक सहायता

2969. डा. रमेश चन्द्र तोमर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधारभूत ढांचे के लिए और अधिक विश्व बैंक निधियां मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वित्त सचिव के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल की क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए विश्व बैंक का भारत को ऋण देने संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) देश की सहायता संबंधी आवश्यकताओं पर बातचीत करने के लिए 29 और 30 जून, 1995 को पेरिस में भारत विकास संघ की बैठक हुई। 29 जून, 1995 को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाता देशों की बैठक हुई जिसमें वर्ष 1995-96 के लिए भारत के विकास के साझेदारों ने 6.9 बिलियन डालर, जिसमें विश्व बैंक द्वारा राजकीय विकास सहायता के रूप में 2.8 बिलियन डालर भी शामिल हैं, की वचनबद्धत की। बैठक का दूसरा दिन संभावित निवेशकों के साथ इस वर्ष के विषय "आधारभूत संरचना में प्राइवेट क्षेत्र का निवेश एक समर्थ वातावरण" पर परस्पर बातचीत हेतु समर्पित था। इस बैठक में आधारभूत संरचरना के क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र के प्रवेश को सुसाध्य बनाने के लिए हाल ही में प्रारंभ की गई पहलों के विस्तार हेतु सरकार के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस विचार–विमर्श में सरकार को आधारभूत संरचना के विकास में भाग लेने के लिए प्राइवेट क्षेत्र के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार करने हेतु हाल ही में नीतियों में किए गए बदलाव कहां तक सफल हुए हैं, पर संभावित निवेशकों के सापेक्ष महत्व को जानने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान किया गया। कुल मिलाकर इस बैठक में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देश में उपलब्ध निवेश के अवसरों के संबंध मे इच्छुक प्राइवेट निवेशकों के हितों की पुष्टि की है। यद्यपि बैठक में ऋण देने के कार्यक्रम के ब्यौरे पर बातचीत नहीं की गई फिर भी इस प्रकार के ब्यौरों पर दाता संस्थाओं के साथ अलग से बातचीत की जाएगी।

प्राइमरी इश्यू

2870. श्री श्रीकांत जेना : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1995 तक पिछले छह माह के दौरान कितने "प्राइमरी इश्यू" जारी किए गए;

(ख) इन इश्यूओं के द्वारा बाजार से कुल कितनी पूंजी प्राप्त हुई है और कितने इश्यूओं का पूर्वक्रम पूरा नहीं हुआ है; और

(ग) सरकार ने पूंजी बाजार को पुनः सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) सेबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल से सितम्बर, 1995 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए प्राइमरी इश्यूओं की कुल संख्या 658 थी। इन इश्यूओं के जरिए प्राप्त की गई पूंजी की कुल राशि 7913.27 करोड़ रुपए थी। तथापि सेबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 23 इश्यूओं को उनके बंद होने की तारीख तक पूरा अभिदान प्राप्त नहीं हो सका था।

(ग) पूंजी बाजार का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। पूंजी बाजार के उचित संवर्धन एवं विकास हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जैसे कि प्रकटीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना और कंपनियों द्वारा पूंजी निर्गमों (केपीटल इश्यू) का नियमन करते हुए निवेशक को सुरक्षा प्रदान करना। सेबी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित व्यापारिक बैंकरों, इश्यू पंजीयकों और शेयर अंतरण एजेंटों, हामीदारों आदि से संबंधित नियमों एवं विनियमों से पूंजी बाजार के विकास हेतु एवं पूंजी बाजार की कार्यप्रणाली में निवेशकों का विश्वास बढाने के लिए एक विनियामक ढांचे का सृजन हुआ है।

आंध्र प्रदेश में बीड़ी तम्बाकू का आकलन

2971. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश में उत्पादित होने वाले बीडी तम्बाकू की मात्रा के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में बीड़ी तम्बाकू का उत्पादन होता है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश में बीड़ी तम्बाकू का कुल उत्पादन लगभग 1.5 मिलियन किग्रा. प्रतिवर्ष होने का अनुमान है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता

2972. **प्रो. सुशांत चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में कितने एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता दिए जाने के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नई परियोजना को सहायता देने की बजाए पहले से स्थापित परियोजनाओं को ही सहायता देता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि मार्च, 1995 के अंत तक पूर्वी क्षेत्र में एककों को आई डी बी आई द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

एककों की संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि
93940	8279.2	5756.0

(ग) आई डी बी आई ने सूचित किया है कि किसी परियोजना की वित्तीय आर्थिक वाणिज्यिक अर्थक्षमता और तकनीकी संभाव्यता परियोजना को सहायता प्रदान करने के मुख्य मानदंड हैं। इस परियोजना को वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित वित्तीय पैरामीटरों के भी अनुरूप होना चाहिए।

(घ) और (ङ) आई डी बी आई नई परियोजनाओं और साथ ही आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय रूप से अर्थक्षम तथा तकनीकी रूप से संभाव्य पाई जाने वाली वर्तमान कंपनियों की परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है।

रूग्ण औद्योगिक एककों के ऋणों का एकमुश्त निपटारा

2973. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंकों द्वारा रूग्ण उद्योगों के मामले में ऋणों का एकमुश्त निपटारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले निपटाए गए हैं और इनका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है,

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का एकमुश्त निपटारा किए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में विशेष रूप से सिंधुदुर्ग जिले में सहकारी बैंकों को ऋण राहत योजना के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य में किसानों और जिला सहकारी बैंकों के बीच एकमुश्त निपटारे के प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (च): सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस की हुई क्षति

2974. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निजी एयरलाइंस के आरंभ हो जाने के कारण एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस को कितनी क्षति हुई है; और

(ख) भविष्य में ऐसी क्षति से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जबकि निजी विमान कंपनियों के शुरू होने से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के अंतरराष्ट्रीय वहन के प्रभाव नहीं पड़ा है फिर भी इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्देशीय यात्रियों के वहन में गिरावट आई है। नाम मात्र हानि की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि यह परिवहन वृद्धि की प्रचलित दर, विमान कंपनी की क्षमता का अर्जन और प्रत्येक विमान में लौह फैक्टर पर निर्भर करती है।

(ख) प्रतिस्पर्द्धा से निपटने और राजस्व में वृद्धि के लिए इंडियन एयरलाइंसों ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि "समय पर कार्य निष्पादन" पर बल देना, विमान और भूमि दोनों पर यात्री सेवा में सुधार करना और ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन/छूट की व्यवस्था करना।

भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली शाखाओं में धोखाधड़ी

2975. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों की शाखाओं में धोखाधड़ी और जालसाजी के दर्ज किए गए मामलों का शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों में शामिल पाये गये अधिकारियो का बैंक वार और शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकवार और शाखावार कितने अधिकारी निलंबित किए गए तथा कितने अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अप्रयुक्त विदेशी ऋण

2976. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को 31 मार्च, 1995 तक दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा इससे सम्बद्ध एजेंसियों और एशिया विकास बैंक द्वारा कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ख) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार शीर्षवार, परियोजना वार और राज्यवार कुल अप्रयुक्त विदेशी ऋण राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2977. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कौन-कौन सी परियोजनाएं विदेशी सहायता से चल रही हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी सहायता दी जा रही है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना वार क्या समय सीमा निर्धारित कि गई है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता मांगने संबंधी कोई और प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) सूचना संकलित करके सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास

2978. **श्री हरिन पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यों को आवश्यकता के अनुरूप अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा लौटाई गई अप्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यवार कितने बंधुआ मजदूरों की मुक्ति करायी गई तथा पुर्नवास किया गया?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बंधित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय हिस्से की जारी की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	वर्ष		
आंध्र प्रदेश	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	26.60	101.41	31.25

1	2	3	4
बिहार	11.12	6.18	6.61
कर्नाटक	–	171.49	42.66
केरल	–	6.03	–
उडीसा	–	5.75	0.39
राजस्थान	5.67	1.69	3.28
तमिलनाडु	–	1.59	1.12
कुल :	43.39	294.14	85.31

(ग) शून्य।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मुक्त करवाये गये और पुनर्वासित किए गए बंधित श्रमिकों का ब्यौरा

राज्य का नाम	बंधित श्रमिकों की संख्या	
	मुक्त कराए गए	पुनर्वासित किए गए
आंध्र प्रदेश	36,289	28,971
बिहार	12,986	12,180
कर्नाटक	62,708	55,109
मध्य प्रदेश	12,804	11,897
उड़ीसा	49,971	46,804
राजस्थान	7,478	6,014
तमिलनाडु	38,886	39,261
महाराष्ट्र	1,382	1,300
उत्तर प्रदेश	27,489	27469
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
कुल :	2,51,424	2,29,800

गुजरात में स्टाक एक्सचेंज

2979. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात मे स्टाक एक्सचेंज कहां–कहां पर हैं;

(ख) क्या सरकार का 1995-96 के दौरान राज्य में नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन–किन स्थानों पर इसे स्थापित करने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) गुजरात के तीन मान्यता प्राप्त शेयर बाजार अहमदाबाद, बडोदरा और राजकोट में स्थित हैं

(ख) जी नहीं

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गुजरात राज्य में पहले से ही तीन मान्यता प्राप्त शेयर बाजार हैं जिन्हें पर्याप्त माना जा सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड तथा ओवर दि काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया देश के विभिन्न भागों से निवेशकों की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

एयर इंडिया के विमान से सोने की जब्ती

2980. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान मुंबई और दिल्ली में एयर इंडिया के विमान से कितनी बार सोना जब्त किया गया;

(ख) इस जब्ती का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, सहार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली पर एयर इंडिया के जहाजों से पकडे गये तस्करी के सोने के मामलों की संख्या तथा उसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
सहार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई	10	313.46
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली	1	9.88

(ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली में दर्ज किए गए मामले में, पकडे गये माल सहित दो अपराधियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था। सहार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई पर मामलों के बारे में किसी ने कोई दावा नहीं किया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति

2981. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निगमित क्षेत्र

के अधिग्रहण एवं बहुत अधिक शेयरों की खरीद को नियमित करने संबंधी कानून को सरल और कारगर बनाने के उपायों का सुझाव देने वाली एक समिति की हाल ही में नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति में कितने सदस्य हैं और उसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) सेबी ने सेबी (शेयरों की पर्याप्त खरीद एवं अधिग्रहण) विनियम, 1994 की संवीक्षा करने के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती हैं और समिति के अन्य सदस्यों में व्यापारिक बैंकरों के सोलीसीटरों और विधि विशेषज्ञों, उद्योग संघों और वाणिज्य वस्तुओं शेयर बाजारों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के प्रतिनिधि और सेबी के वरिष्ठ कार्यकारी भी शामिल हैं। समिति के विचारार्थ विषय हैं : विनियमों की संवीक्षा करना और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए संशोधनों का सुझाव देना ताकि विनियम उचित और सुस्पष्ट हों तथा निवेशकों और अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित सभी पार्टियों के भी हितों की अधिक कारगर ढंग से रक्षा हो सके।

(ग) आशा की जाती है कि समिति सेबी को अपनी रिपोर्ट अगले तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत कर देगी।

उत्पाद शुल्क में छूट

2982. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से नारियल जटा उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रयास के क्रम में नारियल जटा प्रसंस्करण मशीनरी के उत्पाद शुल्क में छूट देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केरल सरकार ने नारियल रेशा उद्योग के आधुनिकीकरण प्रयासों में सहायता के रूप में नारियल रेशा संसाधन मशीनरी की निम्नलिखित मदों के लिए उत्पाद शुल्क से छूट देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

1. नारियल हस्क क्रशर
2. नारियल हस्क डिफाइबरिंग मिल्स
3. सिफ्टर या सीएवर (मज्जा से रेशा फाइबर को अलग करना)
4. टर्बे क्लीनर्ज (फाइबर को साफ करने के लिए)
5. बेलिंग प्रैसें
6. धुलाई (बिलीविंग) मशीनें (फाइबर को साफ करने और कताई के लिए तैयार करने के लिए)
7. मोटरीकृत स्पिनिंग रैट्स

रिलायंस उद्योग के शेयर

2983. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस उद्योग लि. के डुप्लीकेट शेयर देश भर के बाजारों में जारी किए जा रहे हैं और रिलायंस उद्योग लि. ने अपने शेयरों को मुम्बई स्टाक एक्सचेंज से हटाने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में रिलायंस उद्योग लि. के डुप्लीकेट शेयर बाजार में जारी किए गए और वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए क्या कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षार्थ डुप्लीकेट शेयरों के मामले के निपटान होने तक देश के सभी स्टाक एक्सचेंजों से रिलायंस उद्योग लि. के शेयरों को हटाने के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और निवेशकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने को सरकार ने किस प्रकार सुनिश्चित किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बताया है कि रिलायंस कन्सलटेंसी सर्विसेज लि० (आर सी एस) जो कि आर. आई. एल. का शेयर अभिकरण है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने कतिपय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभिन्न शेयर धारकों को जनवरी, 1991 के बाद से कुल 4.47 लाख डुप्लीकेट शेयर जारी किए हैं। आर. आई. एल. और तीन अन्य ग्रुप कंपनियों ने हाल ही में बम्बई स्टाक एक्सचेंज को, इन कंपनियों की प्रतिभूतियों को स्टाक एक्सचेंज की सूची से हटाने के लिए अपनी सहमति देने के लिए पत्र लिखे थे। सेबी ने आर सी एस का निरीक्षण आरंभ कर दिया है और इसी प्रक्रिया में डुप्लीकेट शेयर जारी करने से संबंधित मामलों की भी जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सभी स्टाक एक्सचेंजों से आर. आई. एल. की प्रतिभूतियों को हटाने से निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसाकि ऊपर कहा गया है कि सेबी आर. सी. एस. का निरीक्षण कर रहा है और यदि कोई अनियमितता पाई जाएगी तो सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

[हिन्दी]

अमरीकी बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि

2984. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री रामपाल सिंह :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी बैंकों ने भारत में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिये प्रदान की जाने वाली अग्रिम राशि पर ब्याज की दरों में हाल ही में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं की लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा इस संबंध में की गयी उपचारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हे और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मूल्यह्रास के झूठे दावे

2985. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर निदेशालय (सतर्कता), नई दिल्ली, ने अनेक कंपनियों को मूल्य ह्रास के झूठे दावे करते हुए पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल्याकंन वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की गई जांच से यह पता चला है कि 80 से भी अधिक कंपनियों ने मूल्य ह्रास के झूठे दावे किये हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) आयकर निदेशालय (जांच), नई दिल्ली न कि आयकर निदेशालय (सतर्कता) द्वारा कुछ कंपनियों के मामले में जनवरी, 1993 में तलाशी कार्य किये गये थे। तलाशी कार्यो के दौरान अभिग्रहीत की गई सामग्री से यह प्रदर्शित होता है कि कुछेक संपत्तियां भिन्न–भिन्न कंपनियों को बेच दी गई थीं। तत्पश्चात् इन संपत्तियों को क्रेंता कंपनियों द्वारा पट्टे पर दे दिया गया था। परंतु यह प्रतीत होता है कि इनमें कोई माल अंतर्गस्त नहीं था और यह लेनदेन केवल कागजी लेन–देन था। प्रारंभिक जांच से यह मालूम होता है कि इस प्रकार के लेनदेनों के आधार पर 82 पट्टेदार कंपनियों द्वारा मूल्यह्रास का झूठा दावा किया गया है। आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित कंपनियों के कर निर्धारण अधिकारियों ने आवश्यक सत्यापन और उचित कार्रवाई आरंभ कर दी है।

भारतीय स्टेट बैंक के पास टेनरी एंड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया के दस्तावेज

2986. श्री तारा सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने टेनरी एंड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के दस्तावेज और पत्र अपने पास रोक रखे हैं;

(ख) क्या बैंक ने कंपनी को अपनी विपुल परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत का पुनर्मूल्यांकन और पुनःआकलन करने हेतु अनुमति नही दी है;

(ग) क्या बैंक की इस कार्रवाई से कंपनी रूग्ण हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति–रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों के अनुरूप, अलग–अलग ग्राहकों से संबंधित जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं है कि कंपनी की रूग्णता के लिये एसबी आई जिम्मेवार था। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआईएफआर) ने दिनांक 14.02.1995 की अपनी अंतिम सुनवाई में यह राय कायम की थी कि ऐसी संभावना नहीं है कि टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (टीएएफसीओ) अपनी सभी वित्तीय देयताओं को पूरा करते हुए उचित समय के भीतर अपनी निवल क्षमता को, संचित हानियों से अधिक कर लेगा और कि इसके परिणामस्वरूप, टीएएफसीओ के भविष्य में अर्थक्षम होने की संभावना नहीं है और कि कंपनी का बंद कर दिया जाना न्यायोचित और सामरिक होगा। बीआईएआर ने भी निदेश दिया कि आवश्यक कार्रवाई के लिये उसकी राय को सम्बद्व उच्च न्यायालय के पास भेज दिया जाए। टी एएफसीओ अधिकारी संघ ने बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के पास अपील की। एएआईएफआर ने इस अपील को अब खारिज कर दिया है।

[हिन्दी]

गुजरात के लघु उद्योगों को बैंक ऋण

2987. श्री एन. जे. राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को लघु उद्योगों/उद्यमियों द्वारा "सर्विस एरिया एप्रोच" के कारण बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्राप्त हुए अनुभव और मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षो के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक ने सेवा क्षेत्र

दृष्टिकोण में कतिपय संशोधन किए हैं। सेवा क्षेत्र शाखाओं को उनके सेवा क्षेत्र पहचान अथवा ग्राम स्तर योजनाएं/सेवा क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के लिए उनकी बाह्यताओं को विघ्न पहुंचाए बिना ब्लाक वार वर्गीकृत किया जा सकता है जिससे कि उधारकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए सेवा क्षेत्र शाखा की असमर्थता की हालत में, उधारकर्ताओं को ब्लाक में अन्य शाखाओं से सम्पर्क करने की छूट हो। विभिन्न जिलों/राज्यों को कवर करते हुए बड़ी परियोजनाओ के संबंध में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण से छूट दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के कारण गुजरात में बैंकों से ऋण पाने में लघु उद्योगों/उद्यमियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों के बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं हैं।

सूती कपड़ों तथा सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात

2988. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होने वाले सूती कपड़ों के निर्यात में इस क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सूती कपड़ों के स्थान पर सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1995 के दौरान सूती कपडों के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपए के संदर्भ में 15.2 प्रतिशत तथा डालर के संदर्भ में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) जी नहीं। सिले सिलाए वस्त्रों तथा सूती कपड़ों दोनों के ही अपने अपने बाजार हैं और सरकार दोनों को ही प्रोत्साहित करती है।

[अनुवाद]

नागार्जुन सागर पर्यटन केन्द्र

2989. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को नागार्जुन सागर को विकसित करने हेतु स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्रदन करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को नागार्जुन सागर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार से नागार्जुन सागर पर जन सुविधाओं तथा नागार्जुन सागर के लिए 100 सीट वाले व दोहरे इंजन वाली एक लक्जरी नौका का निर्माण करने के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नागार्जुन सागर में जन सुविधाओं का निर्माण करने के लिए 4.94 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई थी।

[हिन्दी]

एयर इंडिया को हानि

2990. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के बेड़े में कुल कितने विमान हैं तथा यह किस कैटगिरी के हैं तथा यह विमान किस वर्ष खरीदे गए; और

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एयर इंडिया में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय एयर इंडिया के विमान – बेड़े में 26 विमान हैं। इन विमानों के संबंध में आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
1992-93	17,717
1993-94	18,067
1994-95	18,189

विवरण

एयर इंडिया के विमान-बेड़े में विमानों के ब्यौरे

क्रम सं.	विमान का प्रकार	पंजीकरण संख्या	खरीद का वर्ष
1	2	3	4
1.	बी747-200	वीटी ईबीई	1971
2.	बी747-200	वीटी ईबीएन	1972
3.	बी747-200	वीटी ईडीयू	1975
4.	बी747-200	वीटी ईएफजे	1978
5.	बी747-200	वीटी ईएफयू	1979
6.	बी747-200	वीटी ईजीए	1979
7.	बी747-200	वीटी ईजीबी	1980
8.	बी747-200	वीटी ईजीसी	1980
9.	बी747-200	वीटी ईएनक्यू	1987
10.	बी747-300	वीटी ईपीडब्लू	1988
11.	बी747-300	वीटी ईपीएक्स	1988

1	2	3	4
12.	बी747-400	वीटी ईएसएम	1993
13.	बी747-400	वीटी ईएसएन	1993
14.	बी747-400	वीटी ईएसक्यू	1993
15.	बी747-400	वीटी ईएसपी	1994
16.	ए300 बी4	वीटी ईएचएन	1982
17.	ए300 बी4	वीटी ईएचओ	1982
18.	ए300 बी4	वीटी ईएचक्यू	1982
19.	ए310-300	वीटी ईजेजी	1986
20.	ए310-300	वीटी ईजेएच	1986
21.	ए310-300	वीटी ईजेआई	1986
22.	ए310-300	वीटी ईजेजे	1986
23.	ए310-300	वीटी ईजेके	1986
24.	ए310-300	वीटी ईजेएल	1987
25.	ए310-300	वीटी ईक्यूएस	1990
26.	ए310-300	वीटी ईक्यूटी	1990

[अनुवाद]

शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता

2991. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत सभी शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार, संसाधनों की कमी के कारण किसी भी श्रेणी के बेराजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल का निर्यात

2992. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे नारियल के पानी के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) कुछ गैर सरकारी कंपनियों ने कच्चे नारियल से पानी के निर्यात हेतु प्रयास किए हैं। नारियल विकास बोर्ड ने भी रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर की मार्पत कच्चे नारियल के पानी के परिरक्षण एवं पैकिंग की एक परियोजना चलाई है कच्चे नारियल के पानी के निर्यात की संभावना का पता तकनालाजी की निपुणता के बाद लगाया जाएगा।

भारत निवेश केन्द्र

2993. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निवेश केन्द्र का विदेश कार्यालय कहां-कहां स्थित है, उनके कार्यक्षेत्र क्या हैं और 1994-95 तथा चालू वर्ष के लिए व्यय हेतु बजट आवंटन कितना है;

(ख) भारत निवेश केन्द्र को किस प्रकार धन उपलब्ध कराया जाता है और उसमें सरकार का अंशदान कितना है;

(ग) भारत निवेश केन्द्र की प्रबंध समिति में सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है; और

(घ) उक्त केन्द्र की स्थापना के पश्चात् क्या उपलब्धि रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) इस समय निवेश केन्द्र के विदेशों में कोई कार्यालय नहीं है।

(ख) भारतीय निवेश केन्द्र को भारत सरकार द्वारा संगठन को दिए जाने वाले सहायता अनुदान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जैसा सरकार के वार्षि बजट में प्रावधन किया जाता है।

(ग) अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे सचिव रतर के अधिकारी के अलावा, भारतीय निवेश केन्द्र के शासी निकाय में वित्त, उद्योग, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

(घ) 1960 में अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय निवेश केन्द्र संभावित निवेशकों को विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश के संबंध में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं की सूचनाओं का प्रसार करता हुआ, सवंर्धक और सुविधा प्रदान करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करता आ रहा है।

राष्ट्रीय बचत योजना

2994. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत इस समय निवेशकों और एजेंटों के सामने आ रही समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना में धनराशि जुटाने में अत्यधिक कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त समस्याओं को सुलझाने और उपयुक्त योजना के अंतर्गत धनराशि जुटाने में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विगत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सभी योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियों की तुलना में राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 के अंतर्गत संग्रह इस प्रकार है।

(करोड़ रुपए)

	राष्ट्रीय बचत योजना, 92	सभी योजनाएं
1993-94 (अन्तिम)	245.97	27292
1994-95 (अन्तिम)	214.37	35546
1994-95 (अक्तूबर, 94 तक)	70.82	18162
1995-96 (अक्तूबर, 95 तक)	68.93	18793

राष्ट्रीय बचत योजना संग्रहों में उपान्तिक कमी विनिवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विभिन्न प्रकार की लघु बचत योजनाओं के कारण हुई है। तथापि, लघु बचत संग्रहों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है।

केरल में रबड़ का विकास

2995. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रबड़ बोर्ड द्वारा कौन-कौन से कार्य शुरु किए गए और उसकी क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ख) केरल में रबड़ बागानों के विकास हेतु रबड़ बोर्ड द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत में रबड की खेती का संवर्धन करने के लिए रबड़ बोर्ड वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक तीन वर्षों के दौरान रबड़ रोपण विकास योजना चरण-3 को कार्यान्वित किया जिसका प्रमुख हिस्सा केरल जैसे परंपरागत रबड़ क्षेत्रों के लिए था।

वर्ष 1993-94 से, बोर्ड विश्व बैंक की सहायता से रबड़ रोपण विकास योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य 1993-94 से पांच वर्षों की परियोजना अवधि के अंदर केरल में 40000 हेक्टेयर में पुनरोपण तथा 23000 हेक्टेयर में नवरोपण करना है। इसके अतिरिक्त, अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं जैसे विश्व बैंक परियोजना के अधीन धूमागार इमदाद योजना, रोलर इमदाद योजना, स्प्रेयर/डस्टरों की आपूर्ति, चिकित्सा सहायता योजना तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना आदि। प्रमुख योजनाओं के बारे में पिछले तीन वर्षों के लक्ष्य और उपलब्धियां तथा परियोजना अवधि के दौरान कार्य योजना निम्नलिखित हैं :

वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
1. **रबड़ रोपण विकास योजना**						
वास्तविक लक्ष्य	12000*	12000@	13000@	13000@	12000@	13000@
(क्षेत्र हेक्टेयर में)						
उपलब्धियां	15050	8725	7600			
वित्तीय लक्ष्य	1200	# 962 +	#867.58 +	# 426 +		
(लाख रुपयों में)		608**	1008.00**	1030**		
वित्तीय उपलब्धियां						
(लाख रुपयों में)	1117.84	882.58+	498.34+			
		330.79**	625.00**			

* रबड़ रोपण विकास योजना फेज -III

** विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना

@ फेज IV विश्व बैंक योजना

विश्व बैंक परियोजना के बाहर

1	2	3	4	5	6	7
2. **अन्य योजनाएं**						
लक्ष्य (लाख रुपयों में)	65.00	79.00	66.00			
उपलब्धि (; ;)	55.64	51.91	61.00			
3. **श्रमिक कल्याण योजना**						
लक्ष्य (लाख रुपयों में)	45.00	65.00	94.00			
उपलब्धि (; ;)	41.00	46.00	94.40			
4. **रियायती दर पर**						
निविष्टियों का वितरण						
वास्तविक लक्ष्य	70000	40000	45000	60000		
(परिपक्व क्षेत्र हैक्टेयर में)						
उपलब्धि (; ;)	38500	40000	45000			
कुल वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	11.84	5.30	7.69			
उपलब्धि (; ;)	4.51	5.29	6.32			

गुजरात में बैंक खोलना

2996. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और अधिक राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंक खोलने के कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य में कहां-कहां बैंक खोले गए; और

(घ) निकट भविष्य में राज्य में ऐसी बैंक शाखाएं खोलने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा बनाए गये व्यापक मार्गनिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का निर्णय अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया है। बैंकों के उन प्रस्तावों पर, जो मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

इस समय जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पांच शाखाएं खोलने के प्रस्ताव सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के विचाराधीन हैं। इन पांच शाखाओं के लिए प्रस्तावित स्थान/अवस्थिति निम्नलिखित हैं :

1. निम्रादया, जिला पंचमहल
2. ब्राहम्ण्वाहा, जिला मेहसाणा
3. जाविनपुरा, जिला जामनगर
4. छप्पर, जिला जामनगर
5. वेरिह, जिला जामनगर

यह बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, गुजरात राज्य में सहकारी बैंकों की कोई भी नई शाखा नहीं खोली गई है।

गुजरात में उन केन्द्रों की सूची, जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है, परंतु जहां अभी तक शाखाएं नहीं खोली गई हैं ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात में उन केन्द्रों की सूची

जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है परंतु अभी तक शाखाएं नहीं खोली हैं।

क्र.सं.	केन्द्र	जिला	बैंक का नाम
1	2	3	4
1.	दाबोद	पचमहल	बैंक आफ इंडिया
2.	दाभन रोड, नडियाड	दाहोद	बैंक आफ बडौदा
3.	मातावाडी लम्बे हनुमान रोड, सूरत	सूरत	बैंक आफ इंडिया

1	2	3	4
4.	विशाल नगर, सूरत	सूरत	देना बैंक
5.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	बैंक आफ बड़ौदा (विदेशी शाखा)
6.	भुज	कच्छ	बैंक आफ बड़ौदा
7.	गांधी नगर	गांधी नगर	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
8.	राजकोट, शिवनानगर, गोंडलरोड,	राजकोट	पंजाब नेशनल बैंक
9.	परिमल क्रासिंग एलिसब्रिज	अहमदाबाद	देना बैंक
10.	बारदोली	सूरत	देना बैंक
11.	रंगोली काम्प्लैक्स एलिसब्रिज	अहमदाबाद	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
12.	अहम्दाबाद	अहमदाबाद	कारपोरेशन बैंक
13.	सायाजीगंज, बड़ौदा	बड़ौदा	यूनियन बैंक आफ इंडिया
14.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	बैंक आफ इंडिया (लिजिंग)
15.	भारूच, अंकलेश्वर	भारूच	पंजाब नेशनल बैंक
16.	बडोदरा, गोत्रि रोड	बडोदरा	पंजाब नेशनल बैंक
17.	बड़ौदा	बड़ौदा	बैंक आफ बड़ोदा
18.	वापी	वापी	पंजाब नेशनल बैंक
19.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	बैंक आफ बड़ौदा (सैंट्रल मार्केट)
20.	बड़ौदा	बड़ौदा	बैंक आफ बड़ौदा
21.	राजकोट	राजकोट	बैंक आफ बड़ौदा
22.	सूरत	सूरत	बैंक आफ बड़ौदा
23.	पोरबंदर, छाया प्लाट	पोरबंदर	बैंक आफ बड़ौदा
24.	राजकोट यागिमल रोड	जूनागढ़	बैंक आफ इंडिया
25.	नवरंगपुर	अहमदाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
26.	सेटलाइट रोड,	अहमदाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
27.	मोहाना	अहमदाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
28.	जामनगर	जामनगर	पंजाब नेशनल बैंक
29.	भावनगर	भावनगर	पंजाब नेशनल बैंक
30.	वडोदरा	वडोदरा	पंजाब नेशनल बैंक
31.	हजरा, सूरत	सूरत	पंजाब नेशनल बैंक

कराधान नीति ढांचे में परिवर्तन

2997. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1995 के पिछले सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ के तत्वाधान में हुई कारपोरेट मैनेजर तथा कर कार्यकारी अधिकारियों तथा परामर्शदाताओं के सम्मेलन में सरकार की कराधान नीति संबंधी कार्य में परिवर्तनों के संबंध में दिया गया सुझाव/सिफारिशें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विख्यात अर्थशास्त्रियों, कर विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं द्वारा उपर्युक्त सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन द्वारा निगम कर दरों में कमी करने से लेकर प्रावधनों के सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण तक कई सिफारिशें की गई हैं।

(ग) ऐसी सिफारिशों पर वार्षिक बजट अभ्यास के दौरान विचार किया जाता है।

बैंकों में डकैती

2998. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 से अक्तूबर, 1995 तक भारतीय स्टेट बैंक, जोनल कार्यालय, मेरठ के अंतर्गत भारतीय स्टेट की शाखाओं में डकैती पड़ने की कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई;

(ख) क्या इस संबंध में स्थानीय पुलिस के पास कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन डकैतियों में शामिल डकैतों और इससे संबंधित अन्य व्यक्तियों के बारे में पता लगा लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही बरती गई थी; और

(च) यदि हां, तो बैंकों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान मेरठ अंचल के अंतर्गत आने वाली भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में डकैती/लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

"सार्क" देशों हेतु शुल्क रियायतें

2999. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन पूंजी माल योजना, शुल्क छूट योजना, मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना, विशेष आयात लाइसेंस योजना और अभियांत्रिकी उत्पादों में कई संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के निर्यात को बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने हेतु नवीनतम आयात–निर्यात नीति के अनुरूप विदेशी व्यापार हेतु प्रक्रिया में किस सीमा तक बड़े परिवर्तन किए हैं;

(ग) क्या दक्षिण एशियाई सहयोग संघ हेतु पाकिस्तान ने 53 मदों के लिए शुल्क रियायतों की पेशकश की है जिनमें से 24 मदें बंगलादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे कम विकसित देशों के लिए निर्धारित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारत द्वारा शुल्क रियायत की पेशकश से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधारने में कितनी मदद मिलेगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां। निर्यात को सुविधाजनक बनाने तथा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को इन निर्यातों में भाग लेने के योग्य बनाने के लिए इन स्कीमों में कई परिवर्तन किए गए हैं। कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

(क) **निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना** : शून्य शुल्क ई पी सी जी लाइसेंस धारकों को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को शूल्क माल पर संघटकों का आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) **शुल्क छूट योजना** : चमड़े के परिधानों तथा निटवियर सहित टैक्सटाइल परिधानों के निर्यातकों को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्यनीन आयात–निर्यात नीति के पैराग्राफ 47 के अंतर्गत यथानिर्धारित अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। इसी तरह की छूट उन अहस्तान्तरणीय वास्तविक प्रयोक्ता मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस धारकों को भी दी गई है जो विनिर्माता निर्यातक हैं।

(ग) **पास बुक योजना** : प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत शामिल न की गई संवेदनशील मदों का अब इस योजना के अंतर्गत आयात किया जा सकता है।

(घ) **इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात (लोहा और इस्पात मध्यवर्तियों की पुन:पूर्ति) योजना** : इस योजना में जिसमें अब लोहा और इस्पात मध्यवर्तियों के उत्पादक को जारी अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस की हस्तान्तरणीय का प्रावधान है ऐसे लाइसेंसों के सीआई एफ मूल्य के 5% तक स्पेअर्स आयात करने की अनुमति है और इंजीनियरिंग के निर्यातकों की शुल्क वापसी पर ब्रांड दर की भी अनुमति है।

(ङ) **विशेष आयात लाइसेंस** : रुपयों में वसूल की गई निर्यात आय को भी निर्यात घराना, व्यापार घराना, चोटी का व्यापार घराना और स्टाक व्यापार घराना जो हकदारी के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं, के रूप में मान्यता देने के संबंध में भी विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) पाकिस्तान ने सार्क देशों को 64 मदों पर छह अंकी टैरिफ रियायतें देने का प्रस्ताव किया है जिनमें से 33 मदें अनन्य रूप से अल्पतम विकसित देशों (एलडीसी) के लिए हैं। साप्टा करार में इन्द्रा सार्क व्यापार अवसरों के बढने की संभावना है जिससे सभी व्यापारिक भागीदारों को लाभ होने की उम्मीद है।

पेप्सीको इण्डिया होल्डिंग

3000. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री आर. जीवरत्नम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सीको इंडिया होल्डिंग और उसकी सहयोगी कंपनियों ने सरकार या विदेशी व्यापार महानिदेशालय को ऐसी कोई वचनबद्धता दी है या देने की पेशकश की है कि वे अपने आयात के मूल्य का कम से कम तीन गुणा निर्यात करेंगे;

(ख) क्या विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने पेप्सीको इंडिया होल्डिंग या उसकी किसी सहयोगी कंपनी को ऐसी वस्तुओं के आयात के लाइसेंस दिये हैं या देने का प्रस्ताव है जिन्हें आयात की निषेध सूची में अंतर्विष्ट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) ऐसा निर्णय लिया गया है कि मैसर्स पेप्सीको इंडिया होल्डिंग को क्रमश: 10,11,84,000/- रु. में 2,22,93,079/- रु. सी आई एफ मूल्य के 2 पीस राइपओपन इस्पात कैन के 2,40,00,000/- सैट और पी वी एम लाइनर वाले 10,08,400/- ग्रीस प्रिंटेड क्राउन कैप का आयात करने के लिए दो लाइसेंस दिए जायें। कंपनी ने आयात का तीन गुणा सी आइ एफ मूल्य का निर्यात करने का वचन–पत्र भी दाखिल किया है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में अधिकारियों के कार्य

3001. डा. परशुराम गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति विभाग में नियुक्त राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यकरण में उनकी भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यकरण को सुदृढ बनाने हेतु उनकी उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्ति विभाग को समाप्त करके पूर्ति

बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पूर्ति विभाग में तैनात किये गये राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या नीचे दर्शाई गयी है :

राजपत्रित	:	34
अराजपत्रित	:	146

(ख) और (ग) पूर्ति विभाग, केन्द्रीय सरकार के विमानों के लिए और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिये भी उनके अनुरोध पर सामान (स्टोर्स) की खरीद करने व सामान का निरीक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय (नोडल) विभाग है। विभाग द्वारा संबंधित कार्यों जैसे कि समय से भुगतान, सामान के नौवहन और निकासी की भी देखरेख की जाती है। यह सामग्रियों, उत्पादों और उपकरणों के परीक्षण और मूल्यांकन करने से भी संबंधित है और यह गुणवता सुधार/नियंत्रण उपायों से भी वृद्धित रूप से सम्बद्ध है। यह विभाग, दो ग्रुप "ए" सेवाओं अर्थात् भारतीय पूर्ति सेवा और भारतीय निरीक्षण सेवा के संवर्ग संबंधी प्रबंध कार्यों की देखरेख भी करता है। यह विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शालाओं के कार्यालयों के लिये अपेक्षित वैज्ञानिक अधिकारियों और अन्य स्टाफ का प्रबंध भी करता है। पूर्ति विभाग, संलग्न कार्यालयों/पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और राष्ट्रीय परीक्षण शाला के माध्यम से अपना कार्य करता रहा है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग उपर्युक्त कार्य को करने में लगे हुए हैं। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के संबंध में पूर्ति विभाग ने अन्य उपायों के साथ–साथ पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, अधिकतर सिफारिशों की जांच की व उनको कार्यान्वित किया, भारतीय पूर्ति सेवा और भारतीय निरीक्षण सेवा के लिये संवर्ग पुनरीक्षा संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित किया, कुछ दर संविदा संबंधी कार्य को क्षेत्रीय कार्यालयों को विकेन्द्रीकृत किया और फर्मों के पंजीकरण संबंधी कार्य को क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों, आदि को विकेन्द्रीकृत किया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

जूट उद्योग में हड़ताल

3002. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री हाराधन राय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूरे देश में जूट मजदूरों द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हा, तो मजूदरों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग में केन्द्रीय श्रम संघों ने मांगों के एक पत्र के संबंध में सभी पटसन मिलों में हड़ताल का आह्वान किया था। ये मांगें अन्य बातों के साथ–साथ क्या उद्योग व्यापी वेतन करार के माध्यम से वेतन/ भत्तों का संशोधन तथा सेवा/कार्य स्थिति तथा कामगारों के लाभों से संबद्व मामलों की थीं।

औद्योगिक विवादों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने समझौताकारी वार्ता शुरू की। इस मामले में राज्य ने समझौते की वार्ताए कीं परंतु 29.11.95 को हड़ताल आरंभ हो गई। समझौता वार्ताए पुनः आरंभ की गई तथा दिनांक 2 दिसम्बर, 1995 को हुए एक त्रिपक्षीय करार के बाद श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई थी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में "नाबार्ड" द्वारा पुनर्वित्तपोषण

3003. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए "नाबार्ड" द्वारा पुनर्वित्तपोषण हेतु कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) मध्य प्रदेश में उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें "नाबार्ड" द्वारा सहायता दिये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने दिनांक 30.11.95 तक की चालू योजना अवधि के दौरान, योजनाबद्व रूप से ऋण देने की योजना के अंतर्गत कुल 9,45,119 लाख रु. की पुनर्वित्त राशि उपलब्ध करायी है। इनमें से मध्य प्रदेश को 53,648 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) विभिन्न उद्देश्यों के लिये वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश को योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किया गया पुनर्वित्त का आवंटन नीचे दिया गया है :

(रु० लाख में)

क्षेत्र	राशि
लघु सिंचाई	2547
भूमि विकास	8
कृषि यंत्रीकरण	6450
वृक्षारोपण/बागवानी	163
डेयरी विकास	205
मत्स्यन	70
भंडारण/बाजार प्रांगण	385

वानिकी	649
बायोगैस	23
मुर्गीपालन	363
भेड़/बकरी/सुअरपालन	20
अ.जा./अ.ज.जा. कार्ययोजना	1000
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3649
कृषि प्रसंस्करण	70
गैर–कृषि क्षेत्र	1263
राष्ट्रीय बीज परियोजना–III	75
योग :	16940

पटसन नीति

3004. कुमारी उमा भारती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पटसन नीति तैयार करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति में कितने सदस्य हैं तथा ये किन–किन वर्गों से संबंधित हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पटसन नीति तैयार करने के लिए सरकार ने कोई समिति गठित नहीं की है।

तथापि, यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में यथा सूचीबद्ध की गई पटसन उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए मई, 1995 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बी.आई.एफ.आर. को सौंपा जाना

3005. डा. वसंत पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किए जाने के परिणामस्वरूप संभवतः बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को सहायता हेतु बनायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सूचित किया है कि उसने 1 दिसम्बर, 1994 से 30 नवंबर, 1995 तक की अवधि के दौरान, निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार के दो उपक्रमों (पीएसयू) और राज्य सरकार के तीन उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश न्यायालय के पास की है :

केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

1. कानपुर टेक्सटाइल्स लि.
2. टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.

राज्य सरकार के उपक्रम

1. ए.पी. स्टील लि.
2. मदोही वूलेन्स लि.
3. रिपीब्लक फोर्ज लि.

बीआईएफआर ने सूचित किया है कि इन मामलों में बीआईएफआर इस नतीजे पर पहुंचा है कि पर्याप्त समय की अनुमति दिये बिना उपर्युक्त वर्णित कंपनियों के पुनरूज्जीवन के लिये कोई स्वीकार्य योजना नहीं थी। बीआईएफआर का यह मत था कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 20(1)) के अंतर्गत इन कंपनियों को बंद कर दिया जाना न्यायसंगत एवं यथोचित था। तदनुसार, आवश्यक कार्रवाई हेतु बीआईएफआर के विचार को सम्बद्ध उच्च न्यायालय के पास भेज दिया गया है।

(घ) रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के अंतर्गत बीआईएफआर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संभाव्य रूप से रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को पुनरूज्जीवित करे और उच्च न्यायालय के पास गैर अर्थक्षम कंपनियों को बंद करने की सिफारिश करे। हालांकि, रूग्ण औद्योगिक कंपनी, की अर्थक्षमता पर विचार करते समय बीआईएफआर द्वारा रोजगार के मुद्दे को ध्यान में रखा जाता है, तथापि, एसआईएफआर कर्मचारियों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान नहीं करता है।

बंधुआ मजदूर

3006. श्री मनोरंजन भक्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में केन्द्र सरकार से उन क्षेत्रों का पता लगाने जहां बंधुआ मजदूर प्रथा अभी भी विद्यमान है और इसे समाप्त करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के विकास केन्द्र

3007. श्री पवन दीवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास केन्द्र संबंधी केन्द्र सरकार की नीति के अंतर्गत तीस करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले 8 विकास केन्द्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयर की राशि और भुगतान की जाने वाली ऋण की राशि जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश की क्रियान्वयन एजेंसी (औद्योगिक विकास केन्द्र निगम) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कम्प्यूटरीकृत कर निर्धारण प्रणाली

3008. श्री रामपाल सिंह :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कर निर्धारण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) आयकर विभाग में व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकरण किए जाने के एक भाग के रूप में कर निर्धारण प्रणाली को चरणों में कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। 1996-97 में प्रथम चरण में दिल्ली, बम्बई और मद्रास के महानगरीय प्रभारों को शामिल किया जाएगा और शेष प्रभारों को बाद में चरणों में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं।

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण

3009. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम में एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण करने का है तथा क्या "राइट्स" द्वारा इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने तथा इसके कब से चालू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

रूस को नकली वस्तुओं का निर्यात करने संबंधी मामले

3010. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ व्यापारियों द्वारा नकली वस्तुओं अथवा कबाड़ का निर्यात करके बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु "मास्को कंडक्ट" का दुरूपयोग करने संबंधी कई मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रकार के कदाचारों के दुष्प्रभावों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने इसे चिंता से नोट किया है। सरकारी प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे अनाचारों के न होने देने के प्रति सतर्क है। जब भी ऐसे मामले पकड में आते हैं, अपराधियों के प्रति उचित कार्यवाही की जाती है।

विवरण

रूस को नकली/बीजक से अधिक वस्तुओं को निर्यात करने संबंधी मामले

क्रम सं.	निर्यातक का नाम	वस्तुएं	घोषित मूल्य (लाख रुपए में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	टैक्सकोमाश एक्सपोर्टस	सिलेसिलाए वस्त्र	7622.55	1196 और 1600 रुपए के बीच प्रति पी. सी. मूल्य के प्रति मूल्य 210 रुपए पी.सी. निर्धारित किया गया।
2.	रतन एक्सपोर्टस	(i) कम्प्यूटर्स	439.64	वास्तविक मूल्य का
		(ii) फलापी डिस्क ड्राईव		पता लगाया जा रहा है।
			102.64	वस्तुएं बिना किसी इलेक्ट्रोनिक पार्टस के ड्राईव के केवल खाली खोल पेटियां पाए गए। वास्तविक मूल्य केवल 5 लाख रुपए का अनुमान किया गया।
3.	योगी फार्मेसी	आयुर्वेदिक औषधियां	1014.00	वास्तविक मूल्य 16 लाख रुपए का अनुमान किया गया।
4.	किरन ओवरसीज लि.	निर्मित चमड़ा	262.70	मात्रा गलत बताई गई। वास्तविक मूल्य 53.73 लाख रुपए निर्धारित किया गया।
5.	एम. एम. ओसवाल एक्सपोर्टस	सिलिकन डायोड्स	96.56	इन डायोड्स का वास्तविक अधिप्राप्ति मूल्य केवल 1.2 लाख रुपए था।

असम में किसानों को बैंक ऋण

3011. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में नलकूप लगाने के लिए सहकारी वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्षवार कितने सीमांत किसानों को ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों की मंजूरी में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर

3012. श्री के. टी. वान्डायार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आज की तारीख तक वसूल की जाने वाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर की राशि क्या है;

(ग) बकाया करों की शीघ्र वसूली के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) कर अपवंचकों, विशेषतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और फिल्मी हस्तियों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) मुख्य करों के संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और बकाया राशि की लम्बित वसूलियों निम्न प्रकार से है: (रुपए करोड़ों में)

कर का नाम	वर्ष 1995-96 के लिए बजट प्राक्कलन	वसूली की लम्बित राशि
आयकर (निगम कर सहित)	29,000.00	23,375.61 (31.10.95 को यथास्थिति)
सीमा शुल्क	29,500.00	134.77 (1.12.95 को यथास्थिति)
उत्पाद शुल्क	42,579.20	2850.12 (लगभग) (31.10.95 को यथास्थिति)

(ग) और (घ) कर अपवंचकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सरकार की घोषित नीति है। कर अपवंचन से जूझना एक सतत् प्रक्रिया है और सरकार कानून के अंतर्गत यथापरिकल्पित विभिन्न कदम उठाती है/ कार्रवाई करती है।

[हिन्दी]

अजमेर और पुष्कर जाने वाले पर्यटक

3013. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 में अब तक कितने स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों ने अजमेर और पुष्कर की यात्रा की;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटकों की संख्या में चार गुणा वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अजमेर और पुष्कर में इन पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को सक्षम बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई आवंटन किया क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1994 और 95 के दौरान पुष्कर और अजमेर में पर्यटक आगमन निम्नानुसार है :

वर्ष	पर्यटक आगमन			
	पुष्कर		अजमेर	
	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी
1994	505357	14710	423912	16024
1995	559900	17600	453600	21200
(अनुमानित) % अंतर	10.8	19.6	7.0	32.3

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करता है। चालू योजनावधि के दौरान अजमेर में तीर्थ शेड के निर्माण के लिए 10.28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

पक्षियों से टकराये हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान

3014. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विमानों से पक्षियों के टकराने के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विमानों के पक्षियों से टकराने की सूचना प्राप्त घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :

1994	147
1995 (आज तक)	113

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पक्षियों से टकराने की घटनाओं के कारण इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को हुई हानि लगभग 13.37 करोड़ रुपए हैं।

(घ) जी हां

(ङ) विमानों से पक्षी टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए जैसे विमानपत्तन के आसपास शीघ्रता से कचरा हटवाने और अवैध रूप से जानवरों की खाल उतारने की गतिविधियों को रोकना, प्रत्येक विमानपत्तन पर विमान क्षेत्र पर्यावरण प्रबंध समितियां गठित की गई हैं। पक्षी उत्पात की रोकथाम के लिए प्रमुख विमानपत्तनों पर कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। विमानक्षेत्र की ओर पक्षियों को आकर्षित करने के स्रोतों को कम करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकारियों ने प्रचालन क्षेत्रों को समतल करने, जल ठहराव रोकने के लिए प्रभावी निकासी प्रणाली का निर्माण करने, दूबघास लगाने, भवनों को ऐसा बनाने कि कबूतर उनमें न घुस सकें, भस्मक लगाने तथा पक्षियों को डराने आदि जैसे उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना

3015. **श्री धर्मण्ण मॉडय्या सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा हाल ही में "आशा दीप–दो" नामक कोई नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि कैंसर (असाध्य) ऐसा अंगघात जिससे स्थायी विकलांगता हो जाए, दोनों गुर्दे खराब हो जाना

अथवा हृदय धमनी रोग जिसमें बाई पास सर्जरी हो चुकी हो, जैसी चार बडी बीमारियों के जोखिम को कवच प्रदान करने के लिए 21 नवम्बर, 1995 से "आशा दीप–II" पालिसी आरंभ की गई हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं विवरण I और II में दी गई हैं। 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के ऐसे सभी व्यक्ति जो जीवन बीमा निगम के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों, इस योजना के अंतर्गत कवच का लाभ उठा सकते हैं।

विवरण -I

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि कैंसर (असाध्य) ऐसा अंगघात जिससे स्थायी विकलांगता हो जाए, दोनों गुर्दे खराब हो जाना अथवा हृदय धमनी रोग जिसमे बाई पास सर्जरी हो चुकी हो, जैसी चार बडी बीमारियों के जोखिम को कवच प्रदान करने के लिए 21 नवम्बर, 1995 से "आशा दीप–II" पालिसी आरंभ की गई है।

2. इसमें प्रवेश की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है। परिपक्वता पर आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीमे की न्यूनतम एवं अधिकतम राशि क्रमशः 50,000 रुपए एवं 3 लाख रुपए हैं। पालिसी की समयावधि 15 वर्ष 20 वर्ष तथा 25 वर्ष हैं। प्रीमियम अदा करने की विधि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अथवा वेतन बचत योजना के आधार पर है। बीमाकृत राशि पर एक रुपया प्रति हजार की दर से अतिरिक्त प्रीमियम राशि का भुगतान करने पर इस योजना के अंतर्गत दोहरी दुर्घटना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसमें निम्नलिखित को बहिष्कृत किया गया है :

(क) धमनी प्रणाली में नाक श्लाका के रास्ते से डाली गयी "बैलून" अथवा "लेजर" के उपयोग जैसी गैर–शल्य क्रिया तकनीकें;

(ख) इस योजना के अंतर्गत लाभों के लिए अपेक्षित पात्रता प्रमाण वहीं होंगे जो निगम द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. बीमांकित व्यक्ति को प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं :

(क) पालिसी की अवधि के दौरान यदि बीमांकित व्यक्ति उपर्युक्त चार बडी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और यदि यह (हृदय धमनी रोग के मामले में बीमांकित व्यक्ति की बाई पास सर्जरी हुयी होनी जरूरी है (नियमानुसार सही पाया जाता है, जो पालिसीधारक निम्नलिखित काम प्राप्त करने का अधिकारी होगा, बशर्ते पूर्ण बीमाकृत राशि के लिए पालिसी विद्यमान हो।

(i) बीमित राशि के 50 प्रतिशत का अविलम्ब भुगतान;

(ii) जिस तारीख को लाभ हेतु पात्रता के लिए शर्तें प्रमाणित हो जाएं उस तारीख से तुरंत पश्चात् आने वाली पालिसी की वार्षिकी से देय उत्तरवर्ती प्रीमियमों को माफ करना;

(iii) बीमारी से ग्रस्तता की तारीख को या उसके पश्चात् आने वाली पालिसी की वार्षिकी से प्रत्येक वर्ष बीमित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान और परिपक्वता की तारीख से पूर्व वाली पालिसी की वार्षिकी अथवा बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तारीख, इनमें जो भी पहले हो, को पालिसी की समाप्ति,

(iv) परिपक्वता की तिथि को या बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर इनमें जो भी पहले हो, बीमित राशि के शेष 50 प्रतिशत और उसमें निहित बोनसों का भुगतान/बोनस की राशियों का परिकलन पूर्ण बीमित राशि पर किया जाएगा चाहे बीमित राशि के 50 प्रतिशत को भुगतान पहले ही क्यों न कर दिया गया हो।

(ख) इस योजना के अंतर्गत सभी पालिसीयों पर एक वर्ष की अवधि का पुनर्ग्रहणाधिकार लागू होगा। अर्थात् यदि बीमित व्यक्ति उपर्युक्त चार बीमारियों में से किसी एक से पीड़ित हो और उस बीमारी की शुरूआत पहली प्रीमियम रसीद को जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर हुई हो तो पालिसी धारक उपर्युक्त (क) के अंतर्गत वर्णित अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(ग) यदि बीमित व्यक्ति उपर्युक्त किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होता है तो बीमे की संपूर्ण राशि तथा उसका निहित बोनस पालिसी की परिपक्वता पर अथवा बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, जो भी पहले हो, अदा कर दी जाएगी।

विवरण-II

प्रीमियम सारणी

प्रवेश के समय	पालिसी अवधि		
आयु	15	20	25
1	2	3	4
18	70.95	51.40	40.55
19	71.00	51.45	40.65
20	71.05	51.55	40.75
21	71.10	51.60	40.85
22	71.15	51.75	41.05
23	71.25	51.85	41.20
24	71.35	52.00	41.45
25	71.50	52.20	41.65
26	71.65	52.40	41.95
27	71.80	52.65	42.30
28	72.05	52.95	42.65
29	72.30	53.30	43.05
30	72.60	53.65	43.50

1	2	3	4
31	72.90	54.05	44.05
32	73.30	54.55	44.60
33	73.75	55.05	45.25
34	74.20	55.65	45.95
35	74.75	56.30	46.70
36	75.45	57.10	47.70
37	76.25	58.05	48.85
38	77.15	59.10	50.10
39	78.15	60.30	51.50
40	79.25	61.65	53.05
41	80.55	63.10	
42	81.95	64.80	
43	83.55	66.65	
44	85.35	68.70	
45	87.35	71.00	
46	89.30		
47	91.40		
48	93.75		
49	96.35		
50	99.20		

इंडिया टोबेको कंपनी का राष्ट्रीयकरण

3016. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने इंडियन टोबेको कंपनी के राष्ट्रीयकरण में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम शेयर धारकों के हित में होगा; और

(ग) इस प्रकार की कंपनियों को प्रतिनिधि प्रबंधन के माध्यम से अपने हाथ में लेने के संबंध में सरकारी नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

3017. **श्री कुंजी लाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुदान राशि उपयोग प्रमाण पत्र के बिना ही दे दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों से, राज्यवार, कितने उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राज्य सरकारें भारत सरकार से विभिन्न रूपों में निम्न प्रकार से अनुदान प्रदान करती है :

(i) सांविधिक अनुदान अर्थात् संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राजस्व घाटा अनुदान और रेल यात्री किराया के बदले में अनुदान। ये अनुदान राज्यों को वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अधीन जारी किए जाते हैं। सांविधिक अनुदान होने के नाते राज्यों से इन अनुदानों के लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है। राज्यों की आपदा राहत निधियों (सी.आर.एफ.) के लिए केन्द्र का योगदान भी वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया जाता है। तथापि भारत सरकार ने राज्यों की आपदा राहत निधियों की संरचना और प्रबंध के लिए एक योजना अधिसूचित की है जिसके तहत् होने वाले व्यय के ब्यौरे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकत्र किए जाएंगे।

(ii) आठवें वित्त आयोग और नवें वित्त आयोग 1989-90 की प्रथम रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित उन्नयन और विशेष समस्याओं वाले अनुदान। इन अनुदानों का कुछ प्रतिशत "लेखागत" आधार पर जारी किया गया था। राज्य सरकारों को दी गई "लेखागत" अदायगियां राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए समापन प्रमाणपत्रों के बदले में समायोजित कर ली गई है और प्राप्त किए गए समापन प्रमाण पत्रों के आधार पर देय बकाया अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया था।

(iii) राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान अर्थात् बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय योजनागत योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान : राज्य सरकारों द्वारा परवर्ती वर्षों में प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय के विभागीय वास्तविक/और लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर समययोजनों पर निर्भर रहते हुए राज्य सरकारो द्वारा सूचित किए गए पूर्वानुमानित व्यय के आधार पर वर्ष के दौरान सामान्य केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता परियोजनाओं पर व्यय की प्रगति पर आधारित प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान राज्य सरकारों/कार्यान्वयन कर रहे अभिकरणों द्वारा सूचित की जाने वाली व्यय की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है।

2. राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण प्रस्तुत करने एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी दिए गए समय पर, अनुदानों की अच्छी बड़ी संख्या हो सकती है/होगी जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण या तो मार्गस्थ होते हैं या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी प्रस्तुत किए जाने होते हैं।

ऊन का उत्पादन

3018. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान ऊन का शीर्षक उत्पादन कितना था और इसकी वार्षिक खपत कितनी थी;

(ख) क्या **सरकार** ने ऊन के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ऊन के उत्पादन और खपत के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन किग्रा.)	अनुमानित खपत (मिलियन किग्रा.)
1992-93	39.9 (अनंतिम)	78.4
1993-94	41.2 (प्रत्याशित)	98.3
1994-95	43.6 (लक्ष्य)	80.3

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "राष्ट्रीय रैम/बक उत्पादन कार्यक्रम और खरगोश विकास कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना क्रियान्वयन अधीन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऊन का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से क्वालिटी के रैम का उत्पादन करने के लिए भेड़ फार्म को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य सुविधाओं के साथ–साथ राज्य सरकारी को 50:50 के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने भी ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊन का उत्पादन करने वाले राज्यों में एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना शुरू की है जिसके अंतर्गत चालू वर्ष में देश में 12.54 लाख भेड़ों को शामिल किया जाएगा।

बैंक शाखाओं को खोला/बंद किया जाना

3019. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री दत्ता मेघे :

श्री ललित उरांव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के बैंक की और ज्यादा शाखाएं खोलने संबंधी आवेदन पत्र केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौर क्या है तथा इस पर की गई कार्यवाही में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुछ शाखाएं बंद करने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वर्तमान नीति के अंतर्गत बैंक अपनी पसंद के केन्द्रों में शाखाएं खोलने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिये स्वतंत्र हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकों द्वारा पहचान किये गये केन्द्र/गांव आवेदक बैंक के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए और प्रस्ताव सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। जब कभी बैंकों से आवेदन प्राप्त होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन पर गुण–दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अच्छी बैंक सुविधायुक्त शहरी/महानगरीय केन्द्रों में स्थित घाटा देने वाली शाखाओं को बंद करने संबंधी बैंक के प्रस्तावों पर उनके द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे ग्रामीण केन्द्रों में जहां दो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं कार्य कर रही हैं एक शाखा को बंद करने का निर्णय बैंकों द्वारा आपसी परामर्श से लिया जा सकता है। बैंकों को अपनी अनर्थक्षम ग्रामीण शाखाओं को सेटेलाइट कार्यालयों में बदलने की भी अनुमति दे दी गई है। 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की कुल 188 शाखाओं को बंद कर दिया गया था। उनका विलय कर दिया गया था।

फर्जी रोजगार देने वाला गिरोह

3020. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कई शिक्षित बेरोजगार युवकों को फर्जी रोजगार अधिकारी द्वारा नौकरी देने के नाम पर ठगने एवं उनसे रुपये लेने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति से बचने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) एवं (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई टिप्पणी नहीं है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, जिला

प्रशासन ने जिले की सभी पुलिस चौकियों को सावधान कर दिया है।

ट्रेजरी बिल

3021. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री निर्मल कांति चटर्जी :

डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

श्री अमल दत्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1995 तथा 31 जुलाई, 1995 के बीच कितने अतिरिक्त ट्रेजरी बिल जारी किए गए; और

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान अत्यधिक मुद्रा विस्तार होने से मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है जिससे अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा हो रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) दिनांक 1.4.1995 से 31.7.1995 तक की अवधि के बीच जारी किए गए अतिरिक्त 91 दिवसीय राजकोषीय पत्रों (ट्रेजरी बिल) की राशि 17247 करोड़ रुपए थी।

(ख) मुद्रा विस्तार अपेक्षाकृत कम हुआ है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 11 नवम्बर, 1994 तक 56,855 करोड़ रुपए (13.1 प्रतिशत) के विपरीत चालू वित्तीय वर्ष में 10 नवम्बर, 1995 तक 30,174 करोड़ रुपए (5.7 प्रतिशत) रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरू से मुद्रा स्फीति की दर 10.4 प्रतिशत से निरंतर, यद्यपि धीरे–धीरे गिरकर नवम्बर, 1995 के अंत तक 7.96 प्रतिशत (अनंतिम) के न्यून तक पहुंच गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ये हैं :

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और यदि आवश्यक हुआ तो खाद्य तेलों और चीनी आदि के आयातों द्वारा आपूर्तियों को बढ़ाना।

(ii) चालू वित्तीय वर्ष के बजट में व्यापार और शुल्क दरों में समंजन ताकि औद्योगिक उत्पादों के घरेलू मूल्य प्रतिस्पर्द्धी बने रहें।

(iii) कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्कों में भारी कमी।

(iv) चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्तावों में वित्तीय घाटे में कमी।

(v) तदर्थ राजकोष पत्र निर्गमित करके केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए गए उधारों पर सीमा रखना और नकद प्रारक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) का समय–समय पर संमजन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री सहित कई उपायों के माध्यम से मुद्रा वृद्धि पर नियंत्रण।

तम्बाकू और बीड़ी क्षेत्र में रोजगार

3022. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू तथा बीड़ी क्षेत्र में रोजगार पर प्रतिबंधित विधान के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने हेतु "नेशनल कमीशन आन एप्लाइड इकानामिक रिसर्च" को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अध्ययन का क्षेत्राधिकार क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई मार्गनिदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा घाटा

3023. श्री राम कापसे :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "नाबार्ड" की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 और 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण बैंक द्वारा उठाया गया घाटा और अर्जित लाभ कितना–कितना है; और

(ग) घाटे की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे घाटे के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट से है। 31.9.94 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट नाबार्ड से प्राप्त हो गई है।

(ख) 31 मार्च, 1994 और 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वहन की गई हानियों और अर्जित लाभ को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानियां होने के प्रमुख कारण कम मार्जिन, कारोबार की मात्रा की तुलना में स्थापना की अधिक लागत और वसूली की खराब स्थिति है। इस प्रकार, इन हानियों को बैंकों के अधिकारियों के कार्यकरण से संबद्ध नहीं किया जा सकता। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जिसमें बैंक विशिष्ट विकास योजनाओं के कार्यान्वयन, इन बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने, तुलन पत्रों के शोधन के लिए विभिन्न चरणों में बैंकों की पहचान करने सहित व्यापक पुर्नगठन प्रक्रिया के माध्यम से

और परिसंपत्तियों पर लाभ में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई नीतिगत ढीलों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लाभ एवं हानि

पिछले दो वर्षों के लिए

(लाख रुपये)

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	1993-94	1994-95
1	2	3	4
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-310.83	-539.81
2.	गुडगाव ग्रामीण बैंक	-134.04	-202.28
3.	हिसार–सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-33.87	-120.05
4.	अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक	-97.97	-150.63
	हरियाणा	-576.71	-1012.77
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	-282.56	-182.23
6.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	-41.11	9.45
	हिमाचल प्रदेश	-323.67	-172.78
7.	जम्मू ग्रामीण बैंक	-410.54	-112.77
8.	इलाकी देहाती बैंक	-387.61	
9.	कामराज ग्रामीण बैंक	-282.51	-403.90
	जम्मू व कश्मीर	-1080.66	-516.67
10.	शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-16.06	-78.37
11.	कपूरथला–फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-52.51	-142.39
12.	गुरदासपुर–अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-99.93	-99.35
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	-5.79	38.63
14.	फरीदकोट–भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8.12	19.84
	पंजाब	-166.17	-261.64
15.	जयपुर नागौर आंच. ग्रा. बैंक	-189.70	-295.01
16.	मारवार ग्रा. बैंक	-467.73	-259.26
17.	शेखावती ग्रा. बैंक	-467.94	-341.58
18.	मरूधार क्षे. ग्रा. बैंक	-283.04	-316.98
19.	अलवर–भरतपुर आंच. ग्रा. बैंक	-358.91	-344.89
20.	अरावली क्षे. ग्रा. बैंक	-247.03	-198.21
21.	हदोती क्षे. ग्रा. बैंक	-224.46	-207.48
22.	मेवार आंच. ग्रा. बैंक	-249.21	-185.93
23.	थार आंच. ग्रा. बैंक	-260.10	-257.40
24.	बूंदी–चित्तौरगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	-226.28	-221.53
25.	भिलवाडा–अजमेर क्षे. ग्रा. बैंक	-144.51	-78.35
26.	डुंगरपुर–बांसवारा क्षे. ग्रा. बैंक	-132.11	-106.57
27.	श्रीगंगानगर क्षे. ग्रा. बैंक	-146.04	-168.57
28.	बीकानेर क्षे. ग्रा. बैंक	-71.61	-68.97
	राजस्थान	-3468.76	-3054.03
29.	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	-27.69	
	अरूणाचल प्रदेश	-27.69	
30.	प्रागज्योतिश गोंलिया बैंक	-573.67	-572.50
31.	लखीमी गोंलिया बैंक	-711.83	-472.60
32.	कच्छार ग्रामीण बैंक	197.91	-269.16
33.	लांगपी देहांगी ग्रा. बैंक	-162.58	-162.58
34.	सुबांसिरी गोंलिया बैंक	-175.46	162.08
	असम	-1821.35	-1638.92
35.	मणिपुर ग्रा. बैंक	-96.96	-107.79
	मणिपुर	-96.96	-107.79
36.	खासी जयंतीया ग्रा. बैंक	122.31	
	मेघालय	122.31	0.00
37.	मिजोरम ग्रा. बैंक	-67.46	-25.46
	मिजोरम	-67.46	-25.46
38.	नागालैंड ग्रा. बैंक	-28.86	
	नागालैंड	-28.86	
39.	त्रिपुरा ग्रा. बैंक	-867.55	-542.57
	त्रिपुरा	-867.55	-542.57
40.	भोजपुर रोहताश ग्रा. बैंक	-79.37	-347.77
41.	चम्पारण क्षे. ग्रा. बैंक	-494.38	-665.34
42.	मगध ग्रा. बैंक	-197.15	-352.15
43.	कोसी क्षे. ग्रा. बैंक	-779.93	-911.96
44.	वैशाली क्षे. ग्रा. बैंक	-972.46	-1060.93
45.	मुंगेर क्षे. ग्रा. बैंक	-557.92	-424.70

1	2	3	4
46.	संथाल परगना ग्रा. बैंक	-116.23	-207.51
47.	मधुबनी क्षे. ग्रा. बैंक	-368.73	-534.43
48.	नालंदा ग्रा. बैंक	-376.26	-364.83
49.	सिंहभूम क्षे. ग्रा. बैंक	-363.48	-323.21
50.	मिथिला क्षे. ग्रा. बैंक	374.75	-293.10
51.	समस्तीपुर क्षे. ग्रा. बैंक	-346.52	-483.74
52.	पलामू क्षे. ग्रा. बैंक	-470.73	-395.93
53.	रांची क्षे. ग्रा. बैंक	-289.78	-436.41
54.	गोपालगंज क्षे. ग्रा. बैंक	-77.97	-90.34
55.	सरन क्षे. ग्रा. बैंक	-236.32	-185.58
56.	सिवान क्षे. ग्रा. बैंक	-98.81	-116.83
57.	गिरिडीह क्षे. ग्रा. बैंक	-24.25	-56.88
58.	हजारीबाग क्षे. ग्रा. बैंक	-65.75	-43.94
59.	पाटलीपुत्र ग्रा. बैंक	-55.11	-60.98
60.	भागलपुर बंका क्षे. ग्रा. बैंक	-47.01	-42.41
61.	बेगुसराय क्षे. ग्रा. बैंक	-17.26	-33.98
	बिहार	-6410.17	-7442.15
62.	पुरी ग्रा. बैंक	-586.52	-514.50
63.	बोलांगिर आंच. ग्रा. बैंक	-497.91	-1068.50
64.	कटक ग्रा. बैंक	-350.23	-2259.69
65.	कोरापुत पंचवटी ग्रा. बैंक	-117.31	-145.43
66.	कालाहांडी आंच. ग्रा. बैंक	-238.55	-310.10
67.	बेतारानी ग्रा. बैंक	-389.98	-375.71
68.	बालासोर ग्रा. बैंक	-282.85	-300.56
69.	ऋषिकुल्या ग्रा. बैंक	-226.21	-283.32
70.	ढेंकल ग्रा. बैंक	-203.97	-194.23
	उडीसा	-2893.53	-5452.13
71.	गौर ग्रा. बैंक	-551.03	-806.08
72.	मल्लाभूम ग्रा. बैंक	-355.93	-1048.31
73.	मयूराक्षी क्षे. ग्रा. बैंक	-338.36	-434.47
74.	उत्तर बंगा क्षे. ग्रा. बैंक	-276.58	
75.	नादिया ग्रा. बैंक	-167.89	-132.19
76.	सागर ग्रा. बैंक	-282.71	-164.62
77.	बर्धमान ग्रा. बैंक	-163.17	-284.17
78.	हावड़ा ग्रा. बैंक	-47.89	-225.20
79.	मुर्शिदाबाद ग्रा. बैंक	-76.77	-299.60
	पश्चिम बंगाल	-2261.10	-3394.64
80.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	-234.18	-477.77
81.	बिलासपुर रायपुर क्षे. ग्रा. बैंक	-568.13	-532.44
82.	रेवा सिधी ग्रा. बैंक	-38.51	-437.87
83.	बुंदेलखंड क्षे. ग्रा. बैंक	403.26	-305.92
84.	शारदा ग्रा. बैंक	-164.91	-206.84
85.	सुरगुजा क्षे. ग्रा. बैंक	-286.31	-175.89
86.	बस्तर क्षे. ग्रा. बैंक	-244.83	-290.35
87.	दुर्ग राजनांदगांव ग्रा. बैंक	-279.09	-230.16
88.	झबुआ–धार क्षे. ग्रा. बैंक	-243.17	-182.87
89.	रायगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	-272.06	-193.08
90.	शिवपुरी–गुणा क्षे. ग्रा. बैंक	-335.91	-282.15
91.	दामोह–पन्ना सागर क्षे. ग्रा. बैंक	-279.44	-343.52
92.	देवास शाजापुर क्षे. ग्रा. बैंक	-200.21	-201.26
93.	निमार क्षे. ग्रा. बैंक	-241.65	-273.19
94.	मंडला–बालाघाट क्षे. ग्रा. बैंक	-150.20	-204.52
95.	छिंदवाडा–सिवनी क्षे. ग्रा. बैंक	-367.00	-368.11
96.	राजगढ़ सिहोर क्षे. ग्रा. बैंक	-253.75	-168.60
97.	शहडोल क्षे. ग्रा. बैंक	-180.08	-246.93
98.	रतलाम–मंदसौर क्षे. ग्रा. बैंक	-145.54	-112.06
99.	चम्बल क्षे. ग्रा. बैंक	-204.88	-204.88
100.	महाकौशल क्षे. ग्रा. बैंक	-129.45	-156.70
101.	इंदौर–उज्जैन क्षे. ग्रा. बैंक	-68.07	-77.10
102.	ग्वालियर दातिया क्षे. ग्रा. बैंक	-70.51	-67.68
103.	विदिशा भोपाल क्षे. ग्रा. बैंक	-83.07	-92.41
	मध्य प्रदेश	-5455.21	-6172.30
104.	प्राथमा बैंक	84.28	1.00
105.	गोरखपुर क्षे. ग्रा. बैंक	927.58	994.91

1	2	3	4
106.	सम्यत क्षे. ग्रा. बैंक	222.80	251.46
107.	बाराबंकी ग्रा. बैंक	7.45	11.31
108.	रायबरेली क्षे. ग्रा. बैंक	-207.36	-210.50
109.	फर्रूखाबाद ग्रा. बैंक	39.55	8.73
110.	*भागीरथ ग्रा. बैंक*	*219.53*	*87.57*
111.	*बलिया क्षे. ग्रा. बैंक*	*9.76*	*-56.88*
112.	सुलतानपुर क्षे. ग्रा. बैंक	7.10	37.47
113.	अवध ग्रा. बैंक	128.25	71.14
114.	कानपुर क्षे. ग्रा. बैंक	-157.89	-289.32
115.	सरस्वती ग्रा. बैंक	-157.15	-287.32
116.	इटावा क्षे. ग्रा. बैंक	-141.68	-139.22
117.	किसान क्षे. ग्रा. बैंक	-195.11	-212.27
118.	क्षेत्रीय किसान ग्रा. बैंक	-262.11	-203.30
119.	काशी ग्रा. बैंक	-233.79	-218.98
120.	बस्ती ग्रा. बैंक	25.04	43.56
121.	इलाहाबाद क्षे. ग्रा. बैंक	-444.32	-317.49
122.	प्रतापगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	-212.84	-128.44
123.	फैजाबाद क्षे. ग्रा. बैंक	-124.84	-87.31
124.	फतेहपुर क्षे. ग्रा. बैंक	-197.98	-229.54
125.	बरेली क्षे. ग्रा. बैंक	-300.65	-324.82
126.	देवी रतन क्षे. ग्रा. बैंक	-162.93	-258.33
127.	अलीगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	-422.55	-148.40
128.	तुलसी ग्रा. बैंक	-269.24	-306.88
129.	एटा ग्रा. बैंक	-198.05	-108.28
130.	गोमती ग्रा. बैंक	-136.29	-165.11
131.	छत्रसाल ग्रा. बैंक	-166.85	-120.32
132.	रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रा. बैंक	-209.50	-266.00
133.	विदुर ग्रा. बैंक	-134.47	-119.21
134.	शाहजहांपुर क्षे. ग्रा. बैंक	-92.80	-79.40
135.	नैनीताल–अल्मोडा क्षे. ग्रा. बैंक	-158.25	-182.47
136.	विंध्यावासिनी ग्रा. बैंक	18.47	6.54
137.	सरयू ग्रा. बैंक	36.71	17.23
138.	जमुना ग्रा. बैंक	-135.75	-158.03
139.	मुजफ्फरनगर क्षे. ग्रा. बैंक	-30.93	-52.87
140.	पिथोरागढ़ ग्रा. बैंक	-1.79	-3.17
141.	गंगा जमुना ग्रा. बैंक	-69.09	-52.68
142.	*अलकनंदा ग्रा. बैंक*	*-49.47*	*-36.64*
143.	*हिन्डन क्षे. ग्रा. बैंक*	*-56.62*	*-63.37*
	उत्तर प्रदेश	-3203.72	-3289.49
144.	कच्छ ग्रामीण बैंक	-138.86	-89.94
145.	जमुना ग्रा. बैंक	-116.69	-209.25
146.	मेहसाणा ग्रा. बैंक	-246.25	-302.84
147.	पंचमहल ग्रा. बैंक	-144.68	-122.12
148.	सुरेन्द्रनगर–भावनगर ग्रा. बैंक	-99.82	-144.04
149.	वलसाड–डांगस ग्रा. बैंक	-22.09	0.50
150.	सूरत–भरूच ग्रा. बैंक	-60.85	-41.05
151.	साबरकांथा–गांधीनगर ग्रामीण बैंक	-64.75	-61.19
152.	जुनागढ़–अमरोली ग्रामीण बैंक	66.91	-105.19
	गुजरात	-960.90	-1075.12
153.	मसाठवाडा ग्रामीण बैंक	-2077.74	-903.17
154.	औरंगाबाद–जालना ग्रामीण बैंक	-91.54	-99.30
155.	चन्द्रपुर–गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक	-222.05	-231.03
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	-352.18	-265.44
157.	रत्नागिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	-106.69	-97.88
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	-101.31	-117.32
159.	भंडारा ग्रामीण बैंक	-164.12	-191.11
160.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	-119.91	-40.36
161.	बुलढाणा ग्रामीण बैंक	-55.87	-54.44
162.	थाणे ग्रामीण बैंक	-9.11	-31.41
	महाराष्ट्र	-3300.52	-1977.02
163.	नागरजूना ग्रामीण बैंक	-157.63	-198.08
164.	रायसीमा ग्रामीण बैंक	-68.28	44.34
165.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	-320.40	-479.00
166.	श्री अनंथ ग्रामीण बैंक	5.61	43.64

1	2	3	4
167.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	-291.59	-332.86
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	8.82	34.97
169.	संगमेश्वर ग्रामीण बैंक	-124.47	-81.41
170.	मंजिरा ग्रा. बैंक	-10.15	18.14
171.	पिनाकिनि ग्रा. बैंक	-285.56	-373.86
172.	काकथिधा ग्रा. बैंक	-115.14	-68.21
173.	चैतन्य ग्रा. बैंक	-8.01	-152.42
174.	श्री सातवाहन ग्रा. बैंक	-45.00	-102.68
175.	गोलकोंडा ग्रा. बैंक	-83.50	-64.69
176.	श्रीराम ग्रा. बैंक	39.20	45.39
177.	कनकदुर्ग ग्रा. बैंक	5.03	25.13
178.	गोदावरी ग्रा. बैंक	21.62	45.91
	आंध्र प्रदेश	-1429.45	-1595.69
179.	तुंगभद्रा ग्रा. बैंक	64.94	102.62
180.	मालप्रभा ग्रा. बैंक	10.87	372.29
181.	चौवेरी ग्रा. बैंक	-187.07	-153.08
182.	कृष्णा ग्रा. बैंक	-576.21	-280.25
183.	चित्रदुर्ग ग्रा. बैंक	-301.93	-241.78
184.	कल्पतरू ग्रा. बैंक	-178.86	-167.08
185.	कोलार ग्रा. बैंक	-221.71	-212.16
186.	बिजापुर ग्रा. बैंक	-37.37	13.37
187.	चिकमंगलूर कोडागू ग्रा. बैंक	-112.29	-78.50
188.	सहयादि ग्रा. बैंक	-67.81	1.89
189.	नेत्रवती ग्रा. बैंक	-65.92	-56.45
190.	वराड़ ग्रा. बैंक	-121.80	1.48
191.	विश्वेश्वरया ग्रा. बैंक	-122.17	-77.67
	कर्नाटक	-1017.33	-775.32
192.	दक्षिण मालाबार ग्रा. बैंक	125.31	210.50
193.	उत्तरी मालाबार ग्रा. बैंक	52.44	215.46
	केरल	177.75	425.96
194.	पांडयान ग्रा. बैंक	-525.91	-568.07
195.	आदियमान ग्रा. बैंक	-65.89	-61.59
196.	वल्लालार ग्रा. बैंक	-16.01	-0.30
	तमिलनाडु	-607.81	-629.96
	अखिल भारत	-36695.52	-38707.49

नोट : आंकड़े अनन्तिम।

* खाली स्थान सूचित करते है कि बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन का विकास

3024. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए, अस्वीकार किए गए और अभी भी विचाराधीन है; और

(ग) इन प्रस्तावों के अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग को बिहार राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 6 प्रस्ताव मिले हैं। और वो सभी स्वीकृत हो गए हैं।

वर्ष 1994-95 के लिए 7 परियोजनाओं/स्कीमों को सहायता के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई है। तथापि, बिहार सरकार से कोई भी ब्यौरा वार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

समितियों का गठन

3025. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयों/विभागों द्वारा नये आयोगों और समितियों के गठन पर पूर्ण रोक लगाने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यमान आयोगों और समितियों की मंत्रालय वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त आयोगों समितियों को बनाये रखने के प्रश्न की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क), (ख), (घ) और (ङ) संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न समितियों/आयोगों के कार्यकलापों की पुनरीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि :

(1) नई समितियों/आयोगों के गठन पर पूर्ण रोक होनी चाहिए। किसी नई समिति/अयोग के गठन से पहले इस संबंध में मंत्रियों के दल का विशेष अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(2) ऐसे किन्हीं अंतर सचिवीय समितियों अथवा दलों का गठन न किया जाए जिनमें बाह्य स्टेशन सदस्यों के बारे में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय शामिल हो।

(3) समितियों की संख्या में कम से कम 50 प्रतिशत की कटौती को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों में समितियों की पुनरीक्षा संबंधित मंत्री के अनुमोदन से की जाए।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित की गई समितियों/आयोगों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मध्य प्रदेश में नागर विमान का विकास

3026. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में नागर विमानन के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में शुरू किए गये/शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो और रायपुर हवाई अड्डों को स्तरोन्नयन किया गया है जिसमें इंदौर, भोपाल, और रायपुर हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्तन तथा धावनपथ पर पुनः परत चढाना, खुजराहों पर धावनपथ का विस्तार, इंदौर ग्वालियर और खुजराहों में चारदीवारी का निर्माण, तीन हवाई अड्डों पर वैमानिकी संचार सेवाओं और भू संबंधी तथा सुरक्षा सेवाओं के लिए उपस्करों का संस्थापन भी सम्मिलित हैं।

जबलपुर हवाई अड्डे का स्तरोन्नयन अभी भी योजनाधीन अवस्था में हैं। हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

हथकरघा क्षेत्र के लिए योजनाएं

3027. श्री नीतिश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हथकरघा निगम अथवा किसी शीर्षस्थ समिति द्वारा कम उत्पादन शुल्क दरों पर अत्यधिक प्रयोग किए जाने वाले "बैटस" "नैपथाल्स" और अन्य रसायनों को सहकारी समितियों को सप्लाई करने हेतु बनाई गई योजना कार्यान्वयन हेतु अभी भी सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना/सिफारिशों को लागू किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) इस समय सहकारी समितियों को कम उत्पाद शुल्क दरों पर बैट्स नैपथाल्स और अन्य रसायनों की आपूर्ति की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन

3028. श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री लक्ष्मण सिंह :

श्री काली राम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है तथा इनमें से प्रत्येक की राज्यवार कुल कितनी धनराशि तथा कार्यशील पूंजी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों से लाभान्वित हुए उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि में इन बैंकों मे से प्रत्येक ने कितना ऋण वितरित किया तथा कितना वसूल किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) देश में इस समय 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां और कार्यशील पूंजी संबंधी राज्यवार सलंग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऋण खातों की संख्या और इन खातों में संवितरित ऋणों की राशि और वसूली का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II और III में दिया गया है।

विवरण-I

31 मार्च 1995 को समाप्त अवधि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां और कार्यशील निधियां

क्रम सं.	राज्य/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	कुल जमा राशियां	कुल कार्यशील निधियां
1	2	3	4
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9516.69	10104.69
2.	गुडगांव ग्रामीण बैंक	22050.18	25373.26
3.	हिसार–सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3252.57	4189.09
4.	अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक	3465.13	4042.84
	हरियाणा	38284.57	43709.08
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	12158.69	13186.13
6.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	1811.07	2237.44
	हिमाचल प्रदेश	13969.76	15423.57
7.	जम्मू ग्रामीण बैंक	8055.13	8482.93
8.	इलाकी देहाती बैंक		
9.	कश्मीराज ग्रामीण बैंक	5002.25	5340.40
	जम्मू व कश्मीर	13057.38	13823.33
10.	शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4438.86	5184.65
11.	कपूरथला–फिरोजपुर क्षे. ग्रा. बैंक	3549.20	4079.39
12.	गुरदासपुर–अमृतसर क्षे. ग्रा. बैंक	5046.30	5976.87
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	3090.30	4282.07
14.	फरीदकोट–भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2376.94	3007.70
	पंजाब	18501.68	22530.74
15.	जयपुर नागौर आंच. ग्रा. बैंक	12113.72	12889.02
16.	मारवार ग्रा. बैंक	12733.95	13662.72
17.	शेखावती ग्रा. बैंक	9527.42	11133.96
18.	मरूधार क्षे. ग्रा. बैंक	2472.29	2823.14
19.	अलवर–भरतपुर आंच. ग्रा. बैंक	5630.89	6191.74
20.	अरावली क्षे. ग्रा. बैंक	3526.46	3994.44
21.	हादोती क्षे. ग्रा. बैंक	6525.31	7359.61
22.	मेयार आंच. ग्रा. बैंक	2903.70	3433.29
23.	थार आंच. ग्रा. बैंक	2513.47	2933.59
24.	बूंदी–चित्तौरगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	3754.89	4995.00
25.	मिलवाडा–अजमेर क्षे. ग्रा. बैंक	3543.05	4522.13
26.	दंगारपुर–बंसवारा क्षे. ग्रा. बैंक	1872.12	2320.72
27.	श्रीगंगानगर क्षे. ग्रा. बैंक	1965.08	2243.89
28.	बीकानेर क्षे. ग्रा. बैंक	683.05	837.02
	राजस्थान	69766.20	79342.67
29.	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	*	
	अरूणाचल	0.00	0.00
30.	प्रागज्योतिश गॉलिया बैंक	15242.59	17491.21
31.	लखीमी गॉलिया बैंक	6386.09	7041.34
32.	कछार ग्रामीण बैंक	1631.21	1012.79
33.	लांगपी देहांगी ग्रा. बैंक	1570.72	1849.39
34.	सुबांसिरी गॉलिया बैंक	2486.59	2817.70
	असम	27318.00	31012.43
35.	मणिपुर ग्रा. बैंक	494.57	847.73
36.	खासी जयंतीया ग्रा. बैंक		
	मेघालय	0.00	0.00
37.	मिजोरम ग्रा. बैंक	2509.45	2987.66
38.	नागालैंड ग्रा. बैंक	0.00	0.00
	नागालैंड		
39.	त्रिपुरा ग्रा. बैंक	10008.71	13255.81
	त्रिपुरा	10008.71	13255.81
40.	भोजपुर रोहतास ग्रा. बैंक	20158.38	21372.61
41.	चम्पारण क्षे. ग्रा. बैंक	7312.78	7767.45
42.	मगध ग्रा. बैंक	18867.48	19933.20
43.	कोसी क्षे. ग्रा. बैंक	7091.14	8394.32
44.	वैशाली क्षे. ग्रा. बैंक	10934.47	11862.22
45.	मुंगेर क्षे. ग्रा. बैंक	7477.25	7922.90
46.	संथाल परगना ग्रा. बैंक	9962.88	11379.16
47.	मधुबनी क्षे. ग्रा. बैंक	3303.93	3786.58
48.	नालंदा ग्रा. बैंक	4206.72	4646.14
49.	सिंहभूम क्षे. ग्रा. बैंक	4789.75	5202.29

1	2	3	4
50.	मिथिला क्षे. ग्रा. बैंक	3674.20	4383.14
51.	समस्तीपुर क्षे. ग्रा. बैंक	3624.79	4087.90
52.	पलामूं क्षे. ग्रा. बैंक	4869.50	5099.72
53.	रांची क्षे. ग्रा. बैंक	3806.61	4051.57
54.	गोपालगंज क्षे. ग्रा. बैंक	5110.29	5391.17
55.	सारन क्षे. ग्रा. बैंक	4015.56	4330.12
56.	सिवान क्षे. ग्रा. बैंक	5599.88	6128.72
57.	गिरिडीह क्षे. ग्रा. बैंक	1241.86	1402.89
58.	हजारीबाग क्षे. ग्रा. बैंक	2203.22	2477.46
59.	पाटलीपुत्र ग्रा. बैंक	903.32	1016.27
60.	भागलपुर बंका क्षे. ग्रा. बैंक	1150.72	1266.86
61.	बेगुसराय क्षे. ग्रा. बैंक	877.31	1028.08
	बिहार	131262.04	142930.77
62.	पुरी ग्रा. बैंक	5719.35	7904.11
63.	बोलांगिर आंच. ग्रा. बैंक	7090.03	9946.89
64.	कटक ग्रा. बैंक	9703.30	11725.56
65.	कोरापुत पंचवटी ग्रा. बैंक	7110.71	9613.75
66.	कालाहांडी आंच. ग्रा. बैंक	3130.51	4380.40
67.	बैतारानी ग्रा. बैंक	4779.75	6148.89
68.	बालासोर ग्रा. बैंक	2751.09	3929.92
69.	ऋषिकुल्या ग्रा. बैंक	4602.62	6182.69
70.	टेंकानल ग्रा. बैंक	2991.37	4127.01
	उड़ीसा	47886.73	63959.21
71.	गौर ग्रा. बैंक	11411.93	13800.75
72.	मल्लाभूम ग्रा. बैंक	17588.21	19439.36
73.	मयूराक्षी क्षे. ग्रा. बैंक	6337.23	7210.56
74.	उत्तर बंगा क्षे. ग्रा. बैंक	*	
75.	नादिया ग्रा. बैंक	4518.24	5620.89
76.	सागर ग्रा. बैंक	11552.81	12696.45
77.	बर्धमान ग्रा. बैंक	7649.66	8640.15
78.	हावड़ा ग्रा. बैंक	5610.82	6225.24
79.	मुर्शिदाबाद ग्रा. बैंक	2414.10	2891.59
	पश्चिम बंगाल	67082.70	76524.99
80.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	5672.26	4405.81
81.	बिलासपुर रायपुर क्षे. ग्रा. बैंक	8401.17	9495.94
82.	रेवा सिधी ग्रा. बैंक	9214.56	10122.84
83.	बुंदेलखंड क्षे. ग्रा. बैंक	5415.74	6190.50
84.	शारदा ग्रा. बैंक	4417.99	4791.28
85.	सुरगुजा क्षे. ग्रा. बैंक	4524.23	4807.78
86.	बस्तर क्षे. ग्रा. बैंक	8113.18	9078.19
87.	दुर्ग राजनांदगांव ग्रा. बैंक	2213.17	2430.89
88.	झबुआ–धार क्षे. ग्रा. बैंक	5125.24	6123.62
89.	रायगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	2835.72	3106.27
90.	शिवपुरी–गुणा क्षे. ग्रा. बैंक	4086.88	4412.97
91.	दामोह–पन्ना नागर क्षे. ग्रा. बैंक	3100.00	3640.18
92.	देवास शाजापुर क्षे. ग्रा. बैंक	3440.56	3702.43
93.	निमार क्षे. ग्रा. बैंक	4863.19	5762.11
94.	मंडला–बालाघाट क्षे. ग्रा. बैंक	1971.89	2053.31
95.	छिंदवाडा–सिवनी क्षे. ग्रा. बैंक	2890.52	3054.37
96.	राजगढ़ सिहोर क्षे. ग्रा. बैंक	2265.53	2602.72
97.	शहडोल क्षे. ग्रा. बैंक	1939.36	2098.36
98.	रतलाम–मंदसौर क्षे. ग्रा. बैंक	2411.90	2873.57
99.	चम्बल क्षे. ग्रा. बैंक	1444.30	1689.29
100.	महाकौशल क्षे. ग्रा. बैंक	1472.90	1597.20
101.	इंदौर–उज्जैन क्षे. ग्रा. बैंक	1411.69	1824.41
102.	ग्वालियर दातिया क्षे. ग्रा. बैंक	1781.12	2077.33
103.	विदिशा भोपाल क्षे. ग्रा. बैंक	1081.66	1243.61
	मध्य प्रदेश	90094.44	103419.98
104.	प्रथमा बैंक	20607.73	27522.50
105.	गोरखपुर क्षे. ग्रा. बैंक	30450.20	40385.11
106.	सम्यूत क्षे. ग्रा. बैंक	26918.89	29874.64
107.	बाराबंकी ग्रा. बैंक	9959.44	11372.48
108.	रायबरेली क्षे. ग्रा. बैंक	7403.84	8266.53
109.	फर्रूखाबाद ग्रा. बैंक	9628.15	11377.76

1	2	3	4
110	भागीरथ ग्रा. बैंक	14219.01	16353.41
111.	भल्लिया क्षे. ग्रा. बैंक	9297.23	10506.73
112.	सुलतानपुर क्षे. ग्रा. बैंक	12051.08	14169.95
113.	अवध ग्रा. बैंक	14374.07	16828.38
114.	कानपुर क्षे. ग्रा. बैंक	9968.09	11558.91
115.	श्रावस्ती ग्रा. बैंक	7106.99	8540.52
116.	इटावा क्षे. ग्रा. बैंक	3923.48	5036.38
117.	किसान ग्रा. बैंक	2785.86	3464.50
118.	क्षेत्रीय किसान ग्रा. बैंक	3180.35	4057.44
119.	काशी ग्रा. बैंक	8205.31	9161.87
120.	बस्ती ग्रा. बैंक	9512.81	11189.21
121.	इलाहाबाद क्षे. ग्रा. बैंक	8981.10	10036.18
122.	प्रतापगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	6720.30	7200.23
123.	फैजाबाद क्षे. ग्रा. बैंक	6641.24	7406.40
124.	फतेहपुर क्षे. ग्रा. बैंक	3491.99	4254.92
125.	बरेली क्षे. ग्रा. बैंक	5414.50	6187.64
126.	देवी पातन क्षे. ग्रा. बैंक	5820.29	6539.45
127.	अलीगढ़ क्षे. ग्रा. बैंक	8469.52	10779.07
128.	तुलसी ग्रा. बैंक	5206.75	5967.62
129.	एटा ग्रा. बैंक	3993.86	4935.67
130.	गोमती ग्रा. बैंक	9377.39	10847.32
131.	छत्रसाल ग्रा. बैंक	5779.80	6742.34
132.	रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रा. बैंक	2584.13	3371.12
133.	विदुर ग्रा. बैंक	3205.30	3904.12
134.	शाहजहांपुर क्षे. ग्रा. बैंक	2100.23	2798.94
135.	नैनीताल–अल्मोड़ा क्षे. ग्रा. बैंक	2991.21	3776.12
136.	विंध्यावासिनी ग्रा. बैंक	4339.25	5282.77
137.	सरयू ग्रा. बैंक	4334.00	5117.86
138.	जमुना ग्रा. बैंक	2955.10	2039.81
139.	मुजफ्फरनगर क्षे. ग्रा. बैंक	1959.97	2533.54
140.	पिथोरागढ ग्रा. बैंक	2015.64	2372.27
141.	गंगा जमुना ग्रा. बैंक	2236.09	2626.79
142.	अलकनंदा ग्रा. बैंक	2044.44	2377.56
143.	हिन्डन क्षे. ग्रा. बैंक	1395.75	1563.07
	उत्तर प्रदेश	301660.62	360147.21
144.	कच्छ ग्रामीण बैंक	3144.34	3619.87
145.	जामनगर ग्रा. बैंक	3132.45	4274.16
146.	बंशकांथा मेहसाणा ग्रा. बैंक	3192.73	4374.72
147.	पंचमहल ग्रा. बैंक	3300.22	4835.36
148.	सुरेन्द्रनगर–भावनगर ग्रा. बैंक	1460.49	1976.66
149.	वलसाड–डांगस ग्रा. बैंक	2766.22	3689.58
150.	सूरत–भरूच ग्रा. बैंक	2340.64	3313.79
151.	साबरकांथा–गांधीनगर ग्रामीण बैंक	1665.76	2230.27
152.	जूनागढ़–अमरेली ग्रामीण बैंक	1525.50	2075.07
	गुजरात	22528.48	30389.48
153.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	15171.17	18281.68
154.	औरंगाबाद–जालना ग्रामीण बैंक	3732.70	5059.02
155.	चन्द्रपुर–गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक	3105.63	3397.81
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	1911.08	2377.07
157.	रत्नागिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	1926.91	2414.17
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	1352.18	2026.73
159.	भंडारा ग्रामीण बैंक	1669.63	1893.40
160.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	1859.19	2192.17
161.	बुलढाणा ग्रामीण बैंक	1003.40	1483.59
162.	थाणे ग्रामीण बैंक	1595.72	1796.87
	महाराष्ट्र	33327.61	40903.40
163.	नागरजेना ग्रामीण बैंक	11306.66	12972.42
164.	रायसीमा ग्रामीण बैंक	15763.34	23838.18
165.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	14116.51	18379.68
166.	श्री अनंथ ग्रामीण बैंक	6593.01	9545.51
167.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	5158.57	7512.25
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	6738.92	8865.50
169.	संगमेश्वर ग्रामीण बैंक	5215.46	7577.35
170.	मंजिरा ग्रा. बैंक	4022.87	8024.35

1	2	3	4
171.	पिनाकिनि ग्रा. बैंक	6746.91	9005.58
172.	काकथिाया ग्रा. बैंक	2449.64	3742.52
173.	चैतन्य ग्रा. बैंक	3494.28	5580.63
174.	श्री सातवाहन ग्रा. बैंक	3777.77	5341.50
175.	गोलकोंडा ग्रा. बैंक	1409.34	1891.29
176.	श्रीराम ग्रा. बैंक	2237.22	3048.35
177.	कनकदुर्ग ग्रा. बैंक	2119.49	3414.50
178.	गोदावरी ग्रा. बैंक	2398.80	3822.96
	आंध्र प्रदेश	94148.79	133462.57
179.	तुंगभद्रा ग्रा. बैंक	15413.02	23758.50
180.	मालप्रभा ग्रा. बैंक	19584.12	31091.86
181.	कावेरी ग्रा. बैंक	6918.25	9752.23
182.	कृष्णा ग्रा. बैंक	7351.62	9189.34
183.	चित्रदुर्ग ग्रा. बैंक	4502.79	6560.37
184.	कल्पतरू ग्रा. बैंक	4864.20	6806.00
185.	कोलार ग्रा. बैंक	4142.88	6106.05
186.	बिजापुर ग्रा. बैंक	6446.99	10930.33
187.	चिकमंगलूर कोडागू ग्रा. बैंक	2450.67	3463.89
188.	सहयाद्रि ग्रा. बैंक	1921.55	2964.28
189.	नेत्रवती ग्रा. बैंक	810.11	1175.58
190.	वराड ग्रा. बैंक	1376.48	2102.66
191.	विश्वेश्वरया ग्रा. बैंक	1013.24	1356.90
	कर्नाटक	76796.92	114765.99
192.	दक्षिण मालाबार ग्रा. बैंक	16198.80	16542.03
193.	उत्तरी मालाबार ग्रा. बैंक	9807.33	16068.05
	केरल	26006.13	12660.00
194.	पांडयान ग्रा. बैंक	9907.59	12899.28
195.	आदियमान ग्रा. बैंक	1270.46	1064.95
196.	वल्लालार ग्रा. बैंक	1185.78	2149.02
	तमिलनाडु	12363.83	17113.25
	अखिल भारत	1097067.61	1347655.75

खाली स्थान पर यह दर्शाता है कि वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी ऋण।

(राशि लाख रु.)

		1992-1993		1993-1994		1994-1995	
क्रम सं.	राज्य का नाम	खाता	धनराशि	खाता	राशि	खाता	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	37957	3842.42	45883	5803.67	48635	7970
2.	हिमाचल प्रदेश	13111	1026.00	23029	1502.05	16247	2014
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2700	208.60	4852	465.59	6016	841.82
4.	पंजाब	32255	2346.51	31782	2747.88	39310	4759.26
5.	राजस्थान	80075	4828.86	92566	6806.33	99637	10671.53
6.	अरूणाचल प्रदेश	1234	57.36	1343	103.21	1355	84.07
7.	असम	21613	1233.70	22744	1079.78	28139	1529.07
8.	मणिपुर	409	38.74	333	29.15	207	39.83
9.	मेघालय	2374	152.56	3211	308.39	2013	245.00
10.	मिजोजम	1693	115.44	458	54.72	1709	263.09

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	नागालैंड	18	3.03	30	2.21	48	4.16
12.	त्रिपुरा	5092	236.28	6595	310.41	4636	137.77
13.	बिहार	96419	4079.75	85669	3946.75	73232	4698.29
14.	उड़ीसा	155176	6994.08	124005	5013.59	130482	7183.42
15.	पश्चिम बंगाल	139773	4694.15	120349	4586.80	129756	6277.64
16.	मध्य प्रदेश	70909	3589.26	69391	4501.13	93968	15435.04
17.	उत्तर प्रदेश	363946	21587.48	345803	25127.46	381845	33472.36
18.	गुजरात	56738	3376.94	52884	3820.85	61888	6511.28
19.	महाराष्ट्र	42661	2141.24	41574	2333.98	55919	5181.95
20.	आंध्र प्रदेश	494576	29129.41	635198	32822.57	633903	42464.86
21.	कर्नाटक	365255	19821.59	286400	21019.05	399737	39088.41
22.	केरल	471092	17177.00	356461	15391.00	591733	30436.00
23.	तमिलनाडु	155188	6338.72	135968	6128.06	154205	10491.60
	अखिल भारत	2610264	133019.12	2486528	143999.67	2955520	229801.03

विवरण-III

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वसूल किये गए ऋण

पिछले तीन वर्षों के जून अंत की स्थिति

(राशि लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1991-1992 राशि	1992-93 राशि	1993-1994 राशि
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	3472.03	3673.12	4713.03
2.	हिमाचल प्रदेश	443.64	555.42	553.62
3.	जम्मू एवं कश्मीर	326.36	117.29	342.84
4.	पंजाब	1938.50	3018.18	2902.73
5.	राजस्थान	2862.33	3042.93	4365.75
6.	अरूणाचल प्रदेश	13.50	35.60	26.28
7.	असम	860.32	853.84	1059.30
8.	मणिपुर	32.25	41.44	48.24
9.	मेघालय	121.12	130.86	107.29
10.	मिजोजम	97.08	192.69	197.26
11.	नागालैंड	2.76	5.09	1.79

1	2	3	4	5
12.	त्रिपुरा	356.05	137.08	438.34
13.	बिहार	3078.46	2381.42	4607.81
14.	उड़ीसा	4879.03	5741.81	6115.07
15.	पश्चिम बंगाल	3732.59	4360.19	5985.80
16.	मध्य प्रदेश	4155.46	4696.83	5238.92
17.	उत्तर प्रदेश	18135.38	19205.71	22939.00
18.	गुजरात	2249.31	3470.21	3987.88
19.	महाराष्ट्र	2173.78	2612.68	4974.59
20.	आंध्र प्रदेश	13797.51	19226.66	25171.62
21.	कर्नाटक	13217.67	14014.28	23128.39
22.	केरल	17097.40	20803.26	24353.60
23.	तमिलनाडु	5614.87	4031.02	5704.87
	अखिल भारत	98657.40	112348.51	146964.02

[अनुवाद]

वस्त्र व्यापार शो

3029. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वस्त्र बाजार से संबंधित जानकारी प्रदान करने और वस्त्र उद्योग को वास्तविक प्रोत्साहन देने तथा विश्व बाजार के लिए अधिक प्रतियोगी बनने में उद्योग की मदद करने हेतु भारतीय वस्त्र व्यापार शो का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन वस्त्र मंत्रालय और विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा वस्त्र क्षेत्र से संबंधित शीर्ष निकायों के सक्रिय सहयोग से 11 से 14 फरवरी, 1995 तक बम्बई में टैक्सटाईल्स इंडिया 96 नामक एक मिश्रित वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। यह वस्त्रों की एक विस्तृत प्रदर्शनी है जिसमें यार्न, सूती, रेशमी, पटसन, ऊन, रेयन तथा सिंथेटिक फाईबर के फैब्रिक तथा मेड अप्स शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के समक्ष भारतीय वस्त्रों की व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करने के साथ–साथ उच्च क्वालिटी के परिधानों का उत्पादन करने के लिए हमारे परिधान विनिर्माताओं को अपने फैब्रिक आधार को प्रदर्शन करने की व्यवस्था करना भी है।

बड़े और छोटे निर्यातकों को रियायतें

3030. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के उद्योगपतियों ने सरकार से बड़े निर्यातकों को इस समय उपलब्ध रियायतें मझौले और छोटे स्तर के निर्यातकों को भी देने और इन्हें आयात शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

श्रीलंका के साथ व्यापार

3031. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–श्रीलंका आर्थिक संबंधों में द्विपक्षीय स्तर पर और "दक्षेस" के व्यापक संदर्भ में अपेक्षित स्तर के अनुरूप सुधार हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका से मसालों और रबड़ के आयात पर गैर–टैरिफ रोध लगाए हैं; और

(घ) विशिष्ट मदों के आयात और निर्यात के संबंध में श्रीलंका के साथ आर्थिक संबंधों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत श्रीलंका के आर्थिक संबंधों में द्विपक्षीय स्तर पर और सार्क के संबंध में अच्छी प्रगति हो रही है। हाल ही में सार्क अधिमानी व्यापार करार के लागू हो जाने से उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विशिष्ट वस्तु मदों के आयात और निर्यात, दोनों के संबंध में श्रीलंका के साथ आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर स्टेट बैंक आफ मैसूर में रोजगार

3032. श्री राम निहोर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्टेट बैंक आफ मैसूर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्र देकर रोजगार प्राप्त करने के कुछ उदाहरण सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) कथित जाली जाति प्रमाण पत्र के 22 मामले थे। ये मामले 1981 से 1995 की अवधि के थे।

(ग) (i) 14 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(ii) तीन मामलों में, कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया है।

(iii) शेष 5 मामलों में "सिविल राइट्स एनफोर्समेंट सेल" से रिपोर्ट अपेक्षित है।

सभी मामलों की देखरेख बैंक द्वारा उचित रूप से की जा रही है।

[अनुवाद]

गुजरात में बैंक ऋण

3033. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत वित्तीय वर्ष से अब तक देश में विशेषकर गुजरात के जूनागढ़ जिले में किसानों को कितना ऋण दिया गया;

(ख) इससे गुजरात में कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा;

(ग) ऋण के लिए आवेदन करने के एक, दो और तीन महीनों के भीतर कितने-कितने किसानों को ऋण दिया गया;

(घ) क्या समय से ऋण प्राप्त करने में किसानों को हुई कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले दो वर्षों (जिसके लिए सूचना उपलब्ध है) के लिए कृषि को दिए गए ऋणों की कुल बकाया राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बकाया राशि	
	अखिल भारत	गुजरात
मार्च 1993	19934.69	1077.52
मार्च 1994	21564.63	1155.55

जूनागढ़ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में वार्षिक ऋण योजना 1994-95 के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित गतिविधियों की उपलब्धि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

जिला	अवधि	राशि
जूनागढ़	अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक	69.33

(ख) पिछले दो वर्षों के लिए गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के कृषि अग्रिमों के कुल खातों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	खातों की संख्या
मार्च 1993	9,29,718
मार्च 1994	8,89,214

(अद्यतन उपलब्ध)

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक आवेदनों के प्रस्तुत कर दिए जाने और ऋण संवितरित कर दिए जाने के बाद की अवधि से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं करता। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श दिया है कि 25000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन एक पखवाड़े के अंदर और 25000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अंदर निपटा दिए जाने चाहिए। कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को तुरंत निपटाना होता है। ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी की उचित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किये जा सकें।

[हिन्दी]

मजदूरी एवं आय संबंधी सर्वेक्षण

3034. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 को आधार वर्ष मानते हुए मजदूरी एवं आय संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अद्यतन मजदूरी एवं आय संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट को प्रकाशित करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

(1) ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या 100.3 मिलियन थी।

(2) ग्रामीण परिवारों की तुलना में समस्त ग्रामीण श्रमिक परिवारों का प्रतिशत 37.3 था।

(3) ग्रामीण परिवारों की तुलना में कृषि श्रमिक परिवारों का प्रतिशत 30.7 था।

(4) कृषिय श्रमिक परिवारों में कृषि रोजगार से संबंधित मजदूरी शुदा रोजगार की मात्रा पुरूषों के लिए एक वर्ष में 159 दिन और महिलाओं के लिए एक वर्ष में 136 दिन थी। समस्त ग्रामीण श्रमिक परिवारों से संबंधित मजदूरी शुदा रोजगार के तदनुरूप आंकड़े पुरूषों के लिए 159 और महिलाओं के लिए 134 थे।

(5) कृषि श्रमिक परिवारों और समस्त ग्रामीण श्रमिक परिवारों में परिवार का औसत आकार क्रमशः 4.6 सदस्य और 4.8 सदस्य था।

(6) कृषि श्रमिक परिवारों और समस्त ग्रामीण श्रमिक परिवारों में औसत उपार्जन क्षमता क्रमशः 2.1 सदस्य और 2.0 सदस्य थी।

(7) 1983 कृषि श्रमिक परिवारों और समस्त ग्रामीण श्रमिक परिवारों में कृषि कार्यकलापों और गैर कृषि कार्यकलापों में कार्यरत कर्मकारों की औसत दैनिक आय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1983 को आधार वर्ष मान कर किये गये सर्वेक्षण के पश्चात् 1987-88 को आधार वर्ष मान कर मजदूरी और आय संबंधी एक रिपोर्ट 1994 में भी प्रकाशित की गई है।

विवरण

मद	कृषि ग्रामीण परिवार	समस्त ग्रामीण श्रमिक परिवार
कृषि कार्यकलापों में कार्यरत कर्मकारों की औसत दैनिक आय (रुपयों में)		
पुरूष	4.72	4.63
महिला	3.56	3.46
बालक	2.32	2.20
गैर–कृषि कार्यकलापों में कार्यरत कर्मकारों की औसत दैनिक आय (रुपयों में)		
पुरूष	5.12	7.27
महिला	2.98	3.70
बालक	2.83	3.18

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

3035. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और अन्य संगत कानूनों की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में "फिक्की" संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और "यूनाइटेड नेशनस कांफ्रेस आन ट्रेड एंड डिवलपमेंट द्वारा व्यक्त की गयी बातों को ध्यान में रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 29) द्वारा फेरा में प्रमुख परिवर्तन किए गए थे। तथापि, फेरा का फिलहाल व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो, इसमें और आगे परिवर्तनों पर भी विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश पर्यटन के विकास हेतु प्रस्ताव

3036. श्रीमती शीला गौतम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये प्रस्तावों की संख्या क्या है और स्वीकृति हेतु अभी तक लम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में अस्वीकृत किये जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 32 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुई और स्वीकृत की गई परियोजनाओं के राशि सहित ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गत 3 वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए सभी प्रस्ताव जो हर लिहाज से पूर्ण पाए गए थे, स्वीकृत कर दिए गए थे।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
	उत्तर प्रदेश	
1.	नंदप्रयाग में तम्बुओं में आवास की स्थापना करना	6.38
2.	निम्न पर नोडल केन्द्र स्थापित करना	
	(i) अगस्त मुनि (जगह चांद नगर में शिफ्ट कर दी गई है)	10.36
	(ii) हेलांग (जगह विराही में शिफ्ट कर दी गई है)	10.41
3.	हरिद्वार में जन सुविधाओं सहित यात्री शेड	20.68
4.	वृंदावन में केशीघाट का सुधार	18.00
5.	फतेहपुर सीकरी पर प्रकाशपुंज व्यवस्था	15.15
6.	वृंदावन में तम्बुओं में आवास	10.00
7.	ताज महोत्सव	5.36
8.	नोदघाट उत्सव	1.00
	जोड :	97.34

विवरण-II

वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
	उत्तर प्रदेश	
1.	मुरादनगर में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	8.35
2.	फरेंदा में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	8.27
3.	शाहगंज में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	8.28
4.	सरधना (मेरठ जिले) में पर्यटक लॉज	13.48
5.	कांडला में पर्यटक लॉज	10.07
6.	बटेश्वर में पर्यटक लॉज	13.59
7.	बटेश्वर में घाटों का सुधार	20.00
8.	ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट	23.97
9.	जश्न–ए–अवध	4.70
10.	अकबर उत्सव	2.88
11.	नोएडा में गोल्फ कोर्स	37.45
	जोड़ :	151.04

विवरण-III

वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना/स्कीमों का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
	उत्तर प्रदेश	
1.	सारनाथ में मनन केन्द्र	28.24
2.	सारनाथ में आगन्तुक केन्द्र	64.71
3.	चौखंडी में स्तूप के इर्द–गिर्द विकास	3.40
4.	वाराणसी घाट की प्रकाश पुंज व्यवस्था	16.50
5.	श्रावस्ती में रेस्तरां व प्रतीक्षालय	12.26
6.	कुशीनगर में रेस्तरां व प्रतीक्षालय	12.25
7.	पलिया में रेस्तरां व प्रतीक्षालय	12.26
8.	प्रचार, मेले व उत्सव	5.00
9.	लखनऊ में कौंसिल हाउस की प्रकाश पुंज व्यवस्था	15.00
10.	अवध उत्सव, 1995	2.34
11.	ताज महोत्सव, 1995	5.00

12. प्रचार सामग्री के मुद्रण हेतु सहायता	11.10
13. चित्रकूट में यात्री निवास	35.74
जोड़ :	223.80

[अनुवाद]

रबड़ का आयात

3037. **श्री के. एम. मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का अनुमानित उत्पादन तथा शेष स्टाक क्या है और इसके उत्पादकों के लिये इसकी कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) प्राकृतिक रबड़ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में क्या अंतर है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को कुछ हद तक बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रबड़ के निर्यात और आयात के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) महोदय, वर्ष 1995-96 के दौरान रबड़ की कुल उपलब्धता तथा वर्ष के अंत में शेष स्टाक निम्नलिखित हैं :

	मी. टन में
प्रारंभिक स्टाक	69550
अनुमानित उत्पादन	511,000
सितम्बर, 95 तक आयात	43,545
(अग्रिम लाइसेंस तथा विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयात सहित)	
कुल उपलब्धता	624,095
अनुमानित खपत	530,000
शेष स्टाक	94,095

(ख) स्वदेशी (आरएसएस 4) तथा आयातित (आरएसएस 3) रबड़ की तुलनात्मक कीमतें निम्नलिखित हैं :

	रुपया/क्विंटल
स्वदेशी (दिनांक 9.12.95 को)	5650
अंतर्राष्ट्रीय (6.12.95 को)	5551

(ग) और (घ) रबड़ का निर्यात ओजीएल के अधीन है।

(ङ) प्राकृतिक रबड को आयातों की निषेधात्मक सूची में प्रतिबंधित मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसका आयात केवल लाइसेंस पर या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही करने की अनुमति है। प्राकृतिक रबड़ का आयात विशेष आयात लाइसेंस पर भी किया जा सकता जिस पर सामान्य सीमा शुल्क तथा समय-समय पर लागू प्रीमियम लगता है। रबड़ का आयात अग्रिम लाइसेंस पर भी किए जाने की अनुमति है। रबड़ का निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

गुजरात में बेरोजगार

3038. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**

श्री एन. जे. राठवा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में जिला-वार अब तक कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों को निकट भविष्य में रोजगार प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राज्य को विशेष अनुदान उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 9.16 लाख रोजगार चाहने वाले, यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, पंजीकृत थे। जिला वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति, गहन रोजगार क्षेत्रों, उप क्षेत्रों एवं गतिविधियों की तीव्र वृद्धि के आधार पर उत्पादक रोजगार अवसरों की वृद्धि में तीव्रता लाकर की जाती है। रोजगार अवसरों के सृजन हेतु गुजरात सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं :

(i) औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक "भारती मेले" आयोजित किए जा रहे हैं।

(ii) रोजगार, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार मुहैया करवारने हेतु 17 जिलों के 34 ताल्लुकों में न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

(iii) बेरोजगार युवकों के प्रेरणा-शिविरों में प्रधानमंत्री की नई स्वरोजगार योजना को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) एवं (घ) जी नहीं।

गोवा में राजस्व संग्रहण

3039. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार गोवा राज्य में आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कुल कितना राजस्व वसूल किया गया है;

(ख) क्या गत एक दशक से इन करों की वसूली की अधिक दर और केन्द्रीय राजस्वों में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा करों के अंतर्गत वसूली और दावों को निपटान के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने/उसका उन्नयन करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कर की वसूली करने वाली एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा में आयकर, धनकर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कुल राजस्व वसूली निम्न प्रकार थी :

(रुपए करोड़ों में)

	1992-93	1993-94	1994-95
आयकर	48.69	44.45	55.78
धनकर	3.53	0.82	0.77 (अनन्तिम)
सीमा शुल्क	118.54	95.42	202.06 (अनन्तिम)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	159.24	194.73	232.59 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) कर वसूली में वृद्धि को मद्दे नजर रखते हुए पणजी (गोवा) में आयकर कार्यालय में सहायक आयकर आयुक्त के स्तर को आयकर उपायुक्त के स्तर तक बढ़ाया गया। करदाताओं की सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार सतत् आधार पर प्रयास करती है।

(घ) गोवा में कर वसूली की एजेंसी की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने/उसका दर्जा बढाने संबंधी कोई अभ्यावेदन विचारार्थ लम्बित नही है।

बीड़ी तम्बाकू पर अध्ययन

3040. प्रो. उम्मारेडिड वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने बीड़ी–तम्बाकू की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीडी–तम्बाकू की बिक्री के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो बीड़ी–तम्बाकू उत्पादकों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बीडी तंबाकू के उत्पादन तथा विपणन संबंधी समस्याओं के अध्ययन एवं जांच करने और उनके समाधान हेतु उपायों की सिफारिशें करने के लिए तत्कालीन वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था।

(ग) और (घ) इस समय उपजकर्त्ताओं द्वारा बीड़ी–तम्बाकू की बिक्री अधिकांश तथा पलैक रूप में बीड़ी निर्माताओं के कमीशन एजेंटों को की जाती है और बीड़ी–तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत नहीं होता है। क्वालिटी की दृष्टि से उत्पादन की उचित ग्रेडिंग, उचित सफाई, तौल तथा पैकिंग, आदि सुनिश्चित करने की दृष्टि से गैर वर्जीनिया तंबाकू के विपणन की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए तंबाकू बोर्ड गुजरात सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

'कोफेपोसा' के अंतर्गत दोषी पाये गये व्यक्ति

3041. श्री सुधीर सावंत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोफेपोसा के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रथम बार अपराध करने पर कोफेपोसा के अंतर्गत नजरबंद किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी व्यक्ति को कोफेपोसा के अंर्तगत नजरबंद किए जाने के सबंध में निर्धारित दिशानिर्देश क्या हैं;

(घ) कोफेपोसा के अतंर्गत नजरबंद कितने लोगों को लगए गए आरोपों से निर्दोष पाया गया है;

(ङ) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो पैसा ऐंठने और प्रतिशोधात्मक कार्यवाही के लिए निवारक नजरबंदी कानून का प्रयोग करते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क), (ख) और (घ) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान कोफेपोसा अधिनियम 1974 के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नजरबंद किए गए और सलाहकार बोर्डो की राय के आधार पर छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या	छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या
1992	423	98
1993	372	90
1994	363	81

उपर्युक्त सूचना में प्रथम बार अपराध करने पर जारी किए गए नजरबंदी आदेशों के मामले भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान नजरबंद किए गए 1150 से अधिक व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने में अधिक परिश्रम और समय लगेगा जो इस प्रश्न के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य महोदय किसी विशेष नजरबंद के बारे में सचूना चाहते हैं तो अपेक्षित सूचना विशिष्ट नाम (मों) के प्राप्त होने पर दी जा सकती है।

(ग) कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का मूल उद्देश्य तस्करी और विदेशी मुद्रा गिरोहबाजी से जुड़े संयोजकों, वित्त कक्षों और पर्दे के पीछे के प्रचालकों को अलग अलग करना और उनके संपर्कों को तोड़ना है। इसके लिए सरकार द्वारा निवारक नजरबंदी कानून लागू करने के उद्देश्य से कुछ वित्तीय सीमाओं और क्रियाकलापों इत्यादि के निर्धारण के संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

(ङ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि जिसमें किसी अधिकारी द्वारा निवारक नजरबंदी कानून का प्रयोग पैसा ऐंठने अथवा अनुचित रूप से कार्यवाही के लिए किया हो।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत में सिलोन बैंक की शाखाएं

3042. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलोन बैंक भारत में अपनी शाखाएं खोलने जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं के प्रस्तावित स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ सिलोन ने 30 अक्तूबर, 1995 को अपनी पहली शाखा मद्रास में खोली है।

भविष्य निधि का कार्यालय, केरल

3043. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कासरगौड और कन्नानोर के भविष्य निधि के अंशदाताओं के दावों के निपटान के लिए कन्नानौर में एक क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) कन्नानोर, केरल में कर्मचारी भविष्य निधि का उप–क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव की क.भ.नि. संगठन द्वारा जांच की गई है। तथापि, प्रस्ताव में, क.भ.नि. का उप–क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं होते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से मध्य प्रदेश के लिये धनराशि

3044. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में स्थित कपड़ा (टेक्सटाइल) मिलों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोई धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो मिल वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से मध्य प्रदेश में स्थित एन टी सी की मिलों को दी गई निधियों के मिलवार ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान आंतरिक द्रव्यता निधि में से एन टी सी (एम पी) की अधीन की मिलों को रिलीज की गई निधियों का मिल–वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से मध्य प्रदेश में एन टी पी सी मिलों को प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना निधि के आंकड़े।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	मिलों का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	इंदौर माल्वा मिल्स	568.30	245.77	18.89
2.	न्यू भोपाल मिल्स	374.03	21.99	7.39
3.	बुरहानपुर तापती मिल्स	-	-	-
4.	बंगाल नागपुर मिल्स	305.31	7.24	15.04
5.	कल्याणमल मिल्स	454.79	61.72	15.35
6.	स्वदेशी मिल्स	544.20	47.07	13.14
7.	हीरा मिल्स	202.03	152.69	101.79
8.	कारपोरेट कार्यालय	23.34	6.40	6.35
		2472.00	542.88	178.95

विवरण-II

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान अंतरिम व्यवस्था निधि में से एन टी सी (एम पी) लि. के अधीन मिलों को रिलीज की गई निधियों के आंकड़े।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	मिल का नाम	1992-93	1993-94
1.	इंदौर माल्वा मिल्स, इंदौर	200.25	82.50
2.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	115.63	123.76
3.	स्वदेशी मिल्स, इंदौर	119.83	66.99
4.	हीरा मिल्स, उज्जैन	136.42	117.59
5.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	-	-
6.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल	72.64	11.16
7.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव	234.31	-

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को सहायता

3045. श्री अन्ना जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कितनी धनराशि की सहायता दी गई, कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और कितनी धनराशि वितरित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि गत दो वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल–सितम्बर, 1995) के दौरान महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

	मंजूरियां	संवितरण
1993-94	1801.1	921.1
1994-95	3057.0	1344.1
1995-96	785.5	570.8

(अप्रैल–सितम्बर)

* वित्तीय संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक और भारतीय लघु विकास बैंक सम्मिलित हैं।

सोने का आयात

3046. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश–वार एवं एजेंसी–वार कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य के सोने का आयात किया गया; और

(ख) देश में सोने के खनन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3047. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कौन–कौन सी है; तथा कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को अब तक कितनी राशि वितरित की गई है तथा उन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना संकलित करके सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गैट के महानिदेशक की यात्रा

3048. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गैट' के महानिदेशक द्वारा हाल ही में इस देश की यात्रा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था;

(ग) 'गैट' के महानिदेशक के साथ बैठक में जिन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे सरकार को "डंकल प्रारूप समझौता" पर निर्णय लेने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के महानिदेशक ने मई, 1995 के अंत में भारत का दौरा किया था।

(ख) वाणिज्य मंत्री ने आशियन देशों की अपनी यात्रा के दौरान विश्व व्यापार संगठन (डब्लयू. टी.ओ) के महानिदेशक को भारत की यात्रा का निमंत्रण दिया था ताकि भारत के दृष्टिकोण एवं विचारों से वह भी परिचित हो सके।

(ग) विचार–विमर्श वित्तीय सेवाओं और वास्तविक व्यक्तियों के आवागमन पर वार्ता, सामाजिक सर्त खंड, क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लाक्स, व्यापार और पर्यावरण तथा बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दों पर हुआ डी.जी. महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन को उन मुद्दों पर भारत की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने इन मुद्दों पर भारत के विचारों की प्रशंसा की तथा विकसित देशों में खुले बाजारों के महत्व तथा विकासशील देशों को बाजार पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

(घ) उरूग्वे दौर की वार्ताएं 15 दिसम्बर, 1993 को संपन्न हुई थी और भारत ने 30 सितम्बर, 1994 को उरूग्वे दौर/करार का अनुसमर्थन किया था।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

3849. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों द्वारा किए गए कारोबार में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के उन होटलों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत एक वर्ष के दौरान अपनी क्षमता का 30 प्रतिशत से ज्यादा उपयोग किया; और

(ग) सरकार द्वारा राजस्थान में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान कुछ कारोबार और हुई प्रतिशत वृद्धि के ब्यौरा नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	कारोबार	पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि
	(रु. करोड़ों में)	
1993-94	114.45	18.7
1994-95	139.29	21.7

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान होटल सम्राट, नई दिल्ली में 91% अधिभोग पंजीकृत किए गए।

(ग) इस समय भारत पर्यटन विकास निगम राजस्थान राज्य में होटल जयपुर अशोक, जयपुर; लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर और भरतपुर फारेस्ट लाज, भरतपुर परिचालित कर रहा है। वर्ष 1996-97 के वार्षिक योजना प्रस्तावों में राजस्थान राज्य में किसी नए होटल को बनाने के लिए किसी विशिष्ट योजना स्कीम/प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है तथापि, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर को शामिल करते हुए कुछ होटलों के विस्तार के लिए 100 लाख रु. का एक मुश्त योजनागत प्रावधान प्रस्तावित है।

डुप्लीकेट शेयर

3850. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी अनेक वित्तीय संस्थाओं में डुप्लीकेट शेयर के कारोबार हो रहे है;

(ख) क्या इस डुप्लीकेट शेयर के कारोबार से स्टॉक एक्सचेंज के स्थायित्व के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में स्टॉक एक्सचेंज की स्थायित्व प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) अनुलिपि (डुप्लीकेट) शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गमन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 84 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बने नियमों द्वारा शासित होता है। अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र, जो आवश्यक कानूनी अपेक्षाओं और विधियों का अनुपालन करते हुए प्रमाणिक रूप से जारी किए जाते हैं, गैर कानूनी नहीं हैं और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंजों के स्थायित्व पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जो प्रतिभूति बाजार की वैधानिक नियामक संस्था है, स्टॉक एक्सचेंजों के सुचारू रूप से कार्य संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के क्रियाकलाप पर निरंतर निगरानी रख रहा है।

विदेशी पर्यटक

3851. **श्री अनादि चरण दास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में 31 अक्तूबर, 1995 तक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पर्यटकों को छोड़कर भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही;

(ख) पाकिस्तानी और बांगलादेशी पर्यटकों की तुलना में इन विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता कितनी थी;

(ग) क्या गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष आने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पर्यटकों को छोड़कर इन विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलान नबी आजाद) : (क) से (ग) जनवरी से अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

पर्यटक आगमन

(जनवरी से अक्तूबर)

		1994	1995	प्रतिशत अंतर
1.	पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर	12,40,062	13,54,043	9.2
2.	पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक	2,69,944	2,95,229	9.4
3.	कुल	15,10,006	16,49,272	9.2

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों की ऋण दरें

3052. श्री राज नारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अत्यंत छोटी इकाइयों और खादी ग्रामोद्योगों को लंबी दरों पर ऋण लिया जाता है तथा क्या यह दरें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लघु उद्योग, अत्यंत छोटी इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योगों के लिए लागू बैंक ऋणों तथा उस पर लगने वाले ब्याज की दरें क्या हैं;

(ग) क्या उन्हें लघु तथा मध्यम उद्योगों की मियादी ऋण इत्यादि के रूप में वित्तीय सहायता देने का अधिकार प्राप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वेणी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण दरों से संबंधित उसकी वर्तमान नीति सावधि ऋणों और अल्पावधि सावधिक अग्रिमों पर लागू है और बैंक, सावधि ऋणों के माध्यम से लघु क्षेत्र के उद्योगों और मझोले उद्योगों सहित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अति लघु और खादी ग्रामोद्योगों सहित लघु क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित ऋण दरें निर्धारित की है :

	ब्याज दर (%)
25000/- रुपए तक की ऋण सीमायें	12%
25000/- रुपए से अधिक और दो लाख रुपए तक की ऋण सीमायें	13.5%

तथापि, बैंक, दो लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले लघु औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों, अति लघु और खादी ग्रामोद्योग के उधारकर्त्ताओं सहित बड़े उधारकर्त्ताओं के लिए ब्याज दर निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। नयी इकाईयां स्थापित करने और वर्तमान, इकाइयों को अपना विस्तार करने, विविधीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए भी राज्य वित्तीय निगम सावधि ऋण सहायता प्रदान करते हैं।

काला धन

3053. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर वसूली प्रणाली को पुर्नठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1994-95 में बिना हिसाब–किताब वाली धनराशि 300,000 करोड़ रुपये थी; और

(घ) यदि नहीं तो गत तीन वर्षों के दौरान बिना हिसाब–किताब की कितनी राशि प्रचलन में थी और इस बिना हिसाब–किताब की राशि पर अंकुश लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कर वसूली प्रणाली को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है यद्यपि प्रणाली में सुधार करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार का विचार है कि एक उचित कर प्रणाली के साथ–साथ कठोर प्रवर्तन से कर की बेहतर वसूली होती है। यह प्रयास सफल रहा है क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिखायी गयी कर की वसूली में सुधार इसे प्रदर्शित करता है :

वित्तीय वर्ष	वसूली (रु. करोड़ों में)
1992-93	17,513
1993-94	19,910
1994-95	26,651

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 1994-95 या किसी दूसरे वर्ष के संबंध में बिना हिसाब–किताब की धनराशि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। फिर भी, सरकार की घोषित नीति यह है कि कानून के उपबंधों के अनुसार कर अपवंचकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। अधिनियम सर्वेक्षण, तलाशी और अभिग्रहण, करने, संपत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद, नकद लेनदेनों पर प्रतिबंध और बिना हिसाब–किताब की धनराशि पर अंकुश लगाने के लिए दूसरे जांच कार्यों की शक्तियां प्रदान करता है और उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सरकार कर दरों को कम करने के लिए कानूनी वित्तीय और प्रशासनिक उपाय और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए

कर कानूनों को सरल एवं युक्तिपूर्ण बनाने के उपाय करती आ रही है। इस प्रयास से बिना हिसाब–किताब की धनराशि का उत्पन्न होना भले ही समाप्त न हो परंतु उसमें काफी कमी आयेगी।

"एंटी डंपिंग" शुल्क

3054. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख इस्पात उद्योगों ने सरकार से अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों द्वारा दुरूपयोग को रोकने के लिए अमरीका के समान 'एंटी डंपिग" शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योगों द्वारा डंपिग की मात्रा का पता लगाने के लिए स्वतंत्र डाटा बेस के सृजन का भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) स्टील अथारेटी आफ इंडिया लिमिटेड ने एक याचिका दायर की है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि स्टील प्लेटों की जर्मनी, यू.के. तथा इटली ने डंपिग की है। इस याचिका की सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार जांच की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें किसी भी डंपिंग अथवा नुकसान के कोई साक्ष्य नहीं मिले। प्रार्थी को इस वास्तविकता के बारे में मार्च, 1994 में सूचित कर दिया गया था। इस डंपिंग से घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का आरोप लगाते हुए साक्ष्यों के साथ कोई दूसरी याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूती कपड़े और सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात

3055. श्री सत्यदेव सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन देशों को सूती कपड़े और सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कई देशों को सूती कपड़े और सिले–सिलाए परिधानों का निर्यात किया गया। इन मदों के कुछ प्रमुख निर्यातक निम्नोक्त प्रकार है :

मूल्य करोड़ रु. में

	1992-93	1993-94	1994-95
(1) सूती कपड़े			
यूरोपीय यूनियन	525.04	726.19	983.83
सं.रा. अमरीका	392.48	396.57	517.16
बंगलादेश	264.60	269.75	360.74
यू ए ई	153.11	164.21	186.02
श्रीलंका	73.73	104.17	142.30
आस्ट्रेलिया	37.61	44.13	70.60
सिंगापुर	42.28	58.61	58.64
(2) सिले-सिलाए परिधान			
यूरोपीय यूनियन	3835.00	4761.63	6383.47
सं. रा. अमरीका	2423.59	2910.88	3931.90
यू ए ई	383.87	532.04	415.62
स्विटजरलैंड	248.26	354.89	331.86
कनाडा	240.99	337.65	424.26
जापान	314.72	376.00	466.90
आस्ट्रेलिया	113.29	154.24	179.00

[अनुवाद]

विमान कर्मी दल के सदस्यों का निर्वाचन

3056. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानकर्मी दल के कितने सदस्य निलंबित किए गए;

(ख) उनके निलंबन के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) और (ख) 1.5.95 से 31.10.95 तक की अवधि के दौरान कदाचार के लिए कर्मीदल सात सदस्यों को निलंबित किया गया है।

(ग) ऐसे मामलों पर इंडियन एयरलाइंस से संबद्ध नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

वायुदूत सेवा

3057. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर कर्नाटक में वायुदूत विमान सेवा के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायुदूत सेवा के वहां से कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वायुदूत की रायचूर को प्रचालन करने की कोई योजना नहीं है।

बाल श्रम

3058. श्री जे. चोक्का राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बाल श्रम उन्मूलन योजना के हिस्से के रूप में अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हस्तशिल्प विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र

3059. श्री ए. चार्ल्स : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में हस्तशिल्प विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के शाखा कार्यालय की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले की इस समय क्या स्थिति है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हा। केरल राज्य में शिल्पियों को विपणन, कच्चे माल, ऋण की सुविधा तथा डिजायन विकास में सहायता प्रदान के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा त्रिचूर में पहले से ही स्थापित केन्द्र के अतिरिक्त त्रिवेन्द्रम में दूसरा विपणन एंव सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

केरल में मत्स्य उद्योगों का विकास

3060. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए कार्यों और इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केरल में मत्स्य उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु इस प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने क्या कार्य योजना बनाई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) भारत में समुद्री खाद्य उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय करने में संलग्न है ताकि देश से समुद्री खाद्य का निर्यात बढ़ाया जा सके। यहां तक एम्पीडा के संवर्धनात्मक क्रियाकलाप व्यापक हैं और अनन्य रूप से किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान, केरल राज्य में एम्पीडा के क्रियाकलाप और इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(क) **विकासात्मक :**

एम्पीडा अनेक इमदादी योजनाएं चला रहा है जैसे जनरेटर सैटों को खरीदने हेतु इमदाद आई क्यू एफ श्रिम्प के उत्पादन के लिए मशीनरी और उपकरण प्राप्त करने हेतु इमदाद, उष्मारोधी मछली के डिब्बों का वितरण, उन्नत प्लेट प्रशीतक इत्यादि लगाना। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1992-93 में 20 लाभार्थियों को 93.48 लाख रुपए, वर्ष 1993-94 में 23 लाभार्थियों को 88.37 लाख रुपए और वर्ष 1994-95 में 12 लाभार्थियों को 27.52 लाख रुपए संवितरित किए गए हैं।

(ख) **गुणवत्ता नियंत्रण :**

1) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए इमदाद योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 में 5 इकाईयों को 2.06 लाख रुपए, वर्ष 1993-94 में 2 इकाईयों को 1.00 लाख रुपए और वर्ष 1994-95 में 2 इकाईयों को 0.94 लाख रुपए संवितरित किए गए।

2) वर्ष 1994-95 के दौरान चार इकाईयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त पूर्व–प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने के लिए 22.5 लाख रुपए की इमदादी सहायता दी गयी।

3) वर्ष 1992 में एम्पीडा ने सफाई में सुधार करने के लिए एक गहन लघु प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 1992-93 में 130 पीलिंग शेड, वर्ष 1993-94 में 250 और वर्ष 1994-95 में 276 पीलिंग शेड कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) **झींगा पालन**

झींगा पालन के लिए विकसित क्षेत्र और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन वर्ष 1992-93 में क्रमश: 13400 हेक्टेयर और 9750 मी. टन, वर्ष 1993-94 में 13860 हेक्टेयर और 11,500 मी. टन तथा वर्ष 1994-95 में 14,100 हेक्टेयर और 12,000 मी. टन रहा।

(घ) मूल्यांकन एवं निवेश

यांत्रिकृत जलयानों में सुधार करने के लिए 13 जलयानों को 14.51 लाख रुपए की सहायता दी गयी।

(ङ) विस्तार सेवाएं

स्वच्छता स्तर बनाए रखने के बारे में समुद्री खाद्य उद्योग के कामगारों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्ष 1992-93 में 1891 वर्ष 1993-94 में 2354 और वर्ष 1994-95 में 1704 भागीदारों को विस्तार सेवाएं प्रदान की गयी।

(च) अन्य कार्यकलाप :

1) गुणवत्ता मानदंडों पर यूरोपीय संघ के विशेषज्ञों के निष्कर्षों के विषय में जानकारी देने के लिए सेमीनार (कोचीन–अगस्त 1993)

2) जर्मनी को होने वाले भारतीय खाद्य निर्यातों की प्रत्याशाओं पर सेमीनार (कोचीन–मार्च 1994)

3) ई. सी. बाजारों के लिए समुद्री खाद्य की गुणवत्ता रख–रखाव तथा निर्यात विपणन पर कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम। (कोचीन–फरवरी 1995)

4) सुरीमी और सुकीमी से तैयार किए गए उत्पादों के प्रसंस्करण के संबंध में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (कोचीन–नवम्बर 1995)

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान एम्पीडा का लक्ष्य भारत से 1340 मिलियन यू.एस. डालर की कीमत का समुद्री उत्पाद का निर्यात करने का है। इस उद्देश्य के अनुरूप एम्पीडा केरल सहित भारत के विभिन्न राज्यों में अपने संवर्धनात्मक क्रिया–कलाप जारी रखेगा।

नया दर्शक विश्राम कक्ष

3061. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विमानपत्तनों में नये दर्शक विश्राम कक्षों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लेह और श्रीनगर हवाई अड्डों पर दर्शक विश्राम कक्षों का निर्माण पहले ही कर दिया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर एक नये दर्शक विश्राम कक्ष का 17.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण किया जा रहा है और वह मई, 1996 तक चालू हो जायेगा।

निजी एयरलाइनों द्वारा अपने बेड़े में अधिक विमान सम्मिलित करना

3062. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्ताकाश नीति के अंतर्गत देश में चल रही निजी एयरलाइनें अपने छोटे बेड़ों में कुछ अधिक विमानों को सम्मिलित करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय निजी एयरलाइनों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाये जा रहे विमानों और अपने बेड़े में सम्मिलित किये जाने वाले विमानों की संख्या और उनके सम्मिलित किये जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी एयरलाइनों से प्राप्त अनुरोध काफी समय से लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ निजी एयरलाइनों ने उन देशों में अपनी विमान सेवाएं चलाने और सेवाओं के विस्तार के लिए अनुमति मांगी है जिनमें इंडियन एयरलाइंस अपनी विमान सेवाएं चलाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) मौजूदा विमान बेड़े और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बेड़े के जिसे प्राप्त किए जाने की निजी अनुसूचित विमान कंपनियों को अनुमति दी गई है, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) बेड़े का आकार बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना एक चलने वाली प्रतिक्रिया है प्रस्तावों पर विचार आवेदकों से प्राप्त विस्तृत सूचना के बाद निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों/नीति के संदर्भ में किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार को एशिया में विभिन्न गंतव्य स्थानों को उड़ानें प्रचालित करने के लिए दो निजी विमान कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी विमान कंपनियों को प्रचालन करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

अनुसूचित निजी विमान कंपनियों द्वारा प्रचालित विमान

क्र. सं.	प्रचालक	मौजूदा विमान बेड़ा विमान प्रकार सं.		आयात की अनुमति विमान प्रकार सं.	
1	2	3		4	
1.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	बी 737-200	7	बी 737-400	4
		एफ 27-500	3		
2.	जेट एयरवेज	बी 737-300	4	बी 737	2
		बी 737-400	4		

1	2	3		4	
3.	दमानिया एयरवेज	बी 737-200	4	बी 737	1
4.	मोदी लुफ्त	बी 737-200	4	बी 737-400	2
		बी 737-400	2		
5.	अर्चना एयरवेज	एल 410	3		
		डैस 8-300	2	डैस 8-300	2
6.	एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	एफ 27-500	7	एफ 27-500	2
		बीच किंग	2(*)		
		सी 90			

* विमान हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट के अधीन गैर अनुसूचित/चार्टर उड़ानों के लिए प्रचालित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सूडान में भारतीय निवेश

3063. श्री रामपाल सिंह :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान सरकार ने अपने देश में विभिन्न एककों में निवेश करने हेतु भारतीय उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सूडान की सरकार ने सूडान में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों में मंत्रिस्तरीय स्तर पर सामान्यतः रुचि व्यक्त की है। फिर भी इस संबंध में कोई विशिष्ट या औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सरकार सूडान में भारतीय निवेश को सिद्धांत रूप में बढ़ावा देगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण और उन्नयन

3064. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात सहित पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के विमानपत्तनों और विमान पट्टियों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन विमान पट्टियों और विमानपत्तनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जायेगा और उन पर क्या लागत आयेगी;

(ग) क्या इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन हवाई अड्डों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिनका स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रदान की गयी विभिन्न सुविधाओं की अनुमानित लागत, वर्तमान स्थिति और पूरा होने की अनुमानित तिथि हवाई अड्डा वार दर्शाई गई है।

विवरण

क्र. सं.	हवाई अड्डे का नाम	परियोजना/सुविधा का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	**महाराष्ट्र**			
1.1	औरंगाबाद	डीवीओआर	01.20	अप्रैल 1996
		आईएलएस	01.75	फरवरी 1996
		डीएमई (एलपी)	00.60	फरवरी 1996
		धावनपथ का 7500 फुट तक विस्तार और सहायक पेवमेंट		सित. 95 में चालू
1.2	बेलगाम	डीवीओआर	01.20	संस्थापन 1996

1	2	3	4	5
1.3	मुंबई	हवाई यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण	206.57	दिसम्बर
1.4	नागपुर	डीवीओआर	01.20	अप्रैल 1996
		आईएलएस	01.50	संस्थापन
		डीएमई (एलपी)	00.60	संस्थापन 1996
		एक्स–बीआईएस	00.23	मार्च 1996
		नये टर्मिनल भवन का निर्माण	08.87	जनवरी
		धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का पुनःस्तहपन		मार्च 95 में पूरा हुआ
1.5	पूना	डीवीओआर	01.50	जून 1996
		डीएमई	00.65	जून 1996
2.	**गुजरात**			
2.1	अहमदाबाद	डीएमई	00.50	संस्थापन
		एएसआर/एमएसएसआर	29.42	मार्च, 1996
2.2	भावनगर	डीवीओआर	01.20	दिसम्बर, 1995
2.3	भुज	डीवीओआर	01.50	जून, 1996
		डीएमई (एचपी)	00.60	जून, 1996
		एक्स–बीस	00.23	मार्च, 1996
		नये टर्मिनल भवन का निर्माण	02.10	भूमि ली जानी है।
2.4	जामनगर	डीवीओआर	01.50	जून 1996
		डीएमई (एचपी)	00.50	जून 1996
2.5	पोरबंदर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण		प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।
2.6	राजकोट	आईएलएस	01.75	संस्थापन
		डीएमई(एलपी)	00.60	संस्थापन
		डीवीओआर	01.20	संस्थापन
		डीएमई (एचपी)	00.85	संस्थापन
		धावनपथ पर पुनः सतह बिछाना		निविदा अवस्था
2.7	बडोदरा	आईएलएस	01.50	संस्थापन
		डीएमई (एलपी)	00.60	संस्थापन
		डीएमई (एचपी)	00.85	संस्थापन
		नये टर्मिनल भवन का निर्माण	11.43	नवम्बर 95 में पूरा हुआ।
		धावनपथ पर पुनः सतह बिछाना	02.05	पूरा हुआ।

1	2	3	4	5
3.	मध्य प्रदेश			
3.2	भोपाल	डीवीओआर	01.00	संस्थापन
		टर्मिनल भवन का विस्तार	03.38	दिसम्बर, 1996
3.2	ग्वालियर	डीवीओआर	01.50	सितम्बर, 1996
		डीएमई(एचपी)	00.85	सितम्बर, 1996
3.3	इंदौर	आईएलएस	01.75	संस्थापन
		डीएमई (एलपी)	00.60	संस्थापन
		डीएमई (एचपी)	00.85	संस्थापन
		टर्मिनल भवन का विस्तार	06.01	चरण 1 पूरा चरण II फरवरी 96 चरण III अप्रैल 96
		धावनपथ का 7500 फुट तक विस्तार	07.92	दिसम्बर, 1996
		तकनीकी ब्लाक व नियंत्रण टावर का निर्माण	03.64	जून, 1996
		एक्स–बीस का संस्थापन	00.23	मार्च, 1996
3.4	खुजराहो	डीवीओआर	01.50	संस्थापन
		डीएमई(एचपी)	00.85	जनवरी, 1996
3.5	रायपुर	आईएलएस	00.50	अप्रैल, 1996
		डीएमई(एलपी)	00.60	अप्रैल, 1996
		डीवीओआर	01.50	संस्थापन
		डीएमई(एचपी)	00.85	संस्थापन
		धावनपथ टैक्सी ट्रैक का पुन सतहलेपन	06.91	संस्थापन
		एप्रन का विस्तार		निविदा अवस्था
		नये टर्मिनल भवन का निर्माण		निविदा अवस्था
3.6	जबलपुर	धावनपथ का 6500 फुट का विस्तार		परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
		टर्मिनल भवन का निर्माण और एप्रन और टैक्सीपथ का विस्तार		योजना अवस्था
4.	राजस्थान			
4.1	जयपुर	डीवीओआर	01.20	संस्थापन
		टर्मिनल भवन का निर्माण	05.90	पूरा हो गया

1	2	3	4	5
		धावनपथ का 7500 फुट का विस्तार	04.59	कार्य दिया गया
		प्रचालनात्मक क्षेत्र में निकासी प्रणाली का सुधार	04.42	
		तकनीकी ब्लाक का निर्माण	02.19	योजना अवस्था
4.2	जोधपुर	डीएमई(एचपी)	00.85	संस्थापन
	/	टर्मिनल भवन का विस्तार	07.63	दिसम्बर, 1996
4.3	उदयपुर	आईएलएस	01.75	दिसम्बर, 1996
		डीएमई (एलपी)	00.60	दिसम्बर, 1996
		डीएमई (एचपी)	00.85	संस्थापन
		धावनपथ का विस्तार और पुनःसतहलेपन	05.96	निविदा अवस्था
		वर्तमान टर्मिनल भवन का प्रवर्धन	04.40	
4.4	कोटा	धावनपथ की मरम्मत, टर्मिनल भवन का स्त्रोन्यन, फेनसिंग सुधार, एप्रोच रोड, नियंत्रण टावर का निर्माण	00.42	पूरा हुआ
4.5	जैसलमेर	टर्मिनल भवन का परिवर्धन		पूरा हो गया

संकेत चिन्ह

डीवीओआर	डाप्लर अति उच्च सर्व आवन्ति परास
आईएलएस	उपकरण अवतरण प्रणाली
डीएमई(एलपी)	दूरी मापक उपकरण (कमशक्ति)
एक्स–बीस	एक्स–रे सामान निरीक्षण प्रणाली
एएसआर	हवाई अड्डा निगरानी राडार
एमएसएसआर	मानोपल्स गौण निगरानी राडार
डीएमई (एचपी)	दूरी मापक उपस्कर (उच्च शक्ति)

सांताक्रुज और सहार विमानपत्तनों के नाम बदलना

3065. श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से सांताक्रुज विमानपत्तन का नाम स्वर्गीय जे.आर.डी. टाटा और सहार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। तथापि, सरकार ने बम्बई हवाई अड्डे का नाम, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के बाद जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का निर्णय पहले ही 1988 में लिया है।

भारतीय चावल पर शुल्क में छूट

3066. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और पाकिस्तान ने जुलाई, 1995 में यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय चावल पर शुल्क में दी गई छूट के संबंध में कड़ी आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उठाई गई मुख्य आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत का समर्थन करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन देशों द्वारा उठाई गई आपत्ति को दूर करने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) यूरोपीय आयोग ने 1.7.1995 से चावल पर आयात शुल्कों के लिए एक नया विनियमन आरंभ किया है। इस विनियमन में, अन्य बातों के साथ–साथ, एक संदर्भ मूल्य प्रणाली अपनायी गयी है जिसमें भारतीय मूल की हस्कड बासमती चावल के लिए 250 ईसीयू प्रति टन तथा पाकिस्तानी मूल की हस्कड बासमती चावल के लिए 50 ईसीयू प्रति टन आयात टैरिफ रियायत दी गयी है। अमरीकी सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ संदर्भ मूल्य

प्रणाली की वैधता के आधारों पर डब्ल्यू टीओ ढांचे के अंतर्गत यूरोपीय संघ के साथ परामर्श करने के लिए कहा है। यह पता चला है कि पाकिस्तान ने भी भारतीय मूल की हस्कड बासमती चावल को दी गयी रियायत के समान यूरोपीय संघ से छूट मांगी है। यूरोपीय संघ अमरीकी परामर्शों के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत ने भी राजनयिक चैनलों के जरिये यूरोपीय संघ को अपनी स्थिति से अवगत कराया है।

उड़ीसा में बैंकों का घाटा

3067. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ग्रामीण भागों में कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों की अनेक शाखाओं को गत तीन वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में किसानों और गांव के कारीगरों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उड़ीसा में कार्यरत कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत सी ग्रामीण शाखाएं पिछले तीन वर्षों (1994-95 तक) से निरंतर घाटा उठा रही हैं। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की घाटे में चल रही ग्रामीण शाखाओं की स्थिति नीचे दी गई है :

क्रम सं.	बैंक का नाम	घाटा उठाने वाली शाखाओं की संख्या
1.	बैंक आफ इंडिया	34
2.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	4
3.	इंडियन बैंक	7
4.	पंजाब नेशनल बैंक	14
5.	सिंडिकेट बैंक	13
6.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	7
7.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	43

दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, उडीसा में कार्यरत 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में से 8 बैंक पिछले तीन वर्ष से घाटे में चल रहे थे और शेष एक बैंक ने पिछले दो वर्ष के दौरान घाटा उठाया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसानों और ग्रामीण कारीगरों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो, अन्य बातों के साथ–साथ किये गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) प्राथमिकता क्षेत्र, जिसमें कृषि ग्रामीण और कुटीर उद्योग, कारीगर, व्यापार इत्यादि शामिल हैं, को अग्रिम, निवल ऋण का कम से कम 40% होना चाहिए।

(ii) कृषि क्षेत्र को अग्रिम निवल ऋण (40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर) का कम से कम 18 प्रतिशत होना चाहिये।

(iii) कमजोर वर्गों (अर्थात् छोटे और सीमांतिक किसानों, अ.जा. /अ.ज.जा. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों, विभेदी ब्याज दर के हिताधिकारियों इत्यादि) को अग्रिम निवल बैंक ऋण (40% के समग्र लक्ष्य के भीतर) का कम से कम 10% होगा।

(iv) 25000 रु. तक के ऋण आवेदनों का निपटान एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रु. से अधिक के ऋण आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के भीतर।

(v) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी के उचित अधिकार का प्रत्यायोजन ताकि कमजोर वर्गों से प्राप्त अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किये जा सकें।

(vi) समपार्श्विक प्रतिभूति और मार्जिनों के लिये रियायती मानदंड।

नायक समिति की रिपोर्ट

3068. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा अति लघु उद्योगों के संबंध में नायक समिति कब गठित की गई तथा समिति की संरचना और विचारार्थ विषय क्या हैं ;

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कौन–कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया गया और कौन–कौन सिफारिशों को अस्वीकार किया गया; और

(घ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के मामले में क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लघु उद्योग क्षेत्र की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करने, लघु उद्योग क्षेत्र के रूग्ण एककों के पुनर्वास के लिए मार्गनिर्देशों की पुनरीक्षा करने तथा अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिए श्री पी.आर. नायक की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1991 में समिति नियुक्त की थी। समिति का गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	गठन	
1.	श्री पी. आर. नायक, उप गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
2.	श्री एस.एल. कपूर, सेक्रेटरी, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य

क्रमांक	गठन	
3.	श्री के.जे. रेड्डी अपर सचिव, बैंकिंग प्रभाग	सदस्य
4.	श्री असीम चटर्जी, सलाहकार (ग्रामीण एवं लघु उद्योग) योजना आयोग	सदस्य
5.	श्री वी. महादेवन, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
6.	श्री आर.एस. अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, सिडबी	सदस्य
7.	डा. एस.एल. शेटटी प्रभारी अधिकारी, आर्थिक विश्लेषण नीति विभाग भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
8.	श्री जगदीश कपूर, मुख्य अधिकारी आई ई सी डी भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
9.	श्रीमती सरिता जे. दास, आयुक्त–सह–सचिव, उड़ीसा सरकार	सदस्य
10.	श्री ए. डब्लयू. भदकामकर, सचिव, उद्योग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
11.	श्री ए.एन. श्रीनिवास राव, 63, II/मुख्य रोड, गांधीनगर, मद्रास	सदस्य
12.	श्री वी.जी. कालान्त्री, अध्यक्ष, अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन बम्बई।	सदस्य
13.	श्री एन. दत्ता अध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन आफ टीनी इंटरप्राइजेज हावड़ा	सदस्य
14.	श्री चक्रधारी अग्रवाल, अध्यक्ष, नेशनल एलायंसेस आफ यंग इंटेप्रेनियर्स, नई दिल्ली।	सदस्य
15.	श्री एम.एस. पार्थसारथी, अध्यक्ष, नेशनल कन्फेडरेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज, मद्रास।	सदस्य
16.	श्री आर.के. जालान, चीफ आफिसर, आरपीसीडी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।	सदस्य

विचारार्थ विषय

1. लघु उद्योग क्षेत्र के लिये विशेषतः अपरिष्कृत माल की लागत में वृद्धि तथा बड़ी कंपनियों एवं सरकारी अभिकरणों से बिक्री आय की वसूली में विलंब के कारण उपलब्ध संसाधनों के अवरुद्ध हो जाने के संदर्भ में, कार्यशील पूंजी के लिए संस्थागत ऋण की पर्याप्तता की जांच करना।

2. लघु उद्योगों एककों के संबंध में टंडन/चौरे समिति के मानदंडों में कोई संशोधन करने/छूट देने की आवश्कयता की जांच करना।

3. यह जांच करना कि क्या लघु उद्योग के रूग्ण एककों के पुनर्वास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मार्गनिर्देशों में कोई संशोधन अपेक्षित है।

4. उपर्युक्त को देखते हुए यह सुझाव देना कि :

   (क) सिडबी/नाबार्ड आदि द्वारा पुनर्वित्त व्यवस्थाओं सहित लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी हेतु संस्थागत ऋण का समुचित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें।

   (ख) लघु उद्योग एककों के संबंध में टंडन/चौरे समिति के मानदंडों में अपेक्षित संशोधन/छूट, यदि कोई हो, दें।

   (ग) वे तरीके बताएं जिनसे बिलों की वसूली में विलम्ब के कारण संसाधनों के अवरुद्ध होने में कमी आए।

   (घ) लघु उद्योग के रूग्ण एककों के पुनर्वास के लिए मौजूदा मार्गनिर्देशों में अपेक्षित परिवर्तन, यदि कोई हो, करें।

5. किसी अन्य मामले पर सिफारिश करना, जिसे समिति विषय के लिए उपयुक्त समझे।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि नायक समिति की लगभग सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी विस्तृत अनुदेशों में अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं :

(i) उन लघु उद्योगों को, जिनकी ऋण सीमा अलग–अलग मामलों में एक करोड़ रुपए से कम है उनके अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20% के आधार पर परिकलित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा मंजूर करना।

(ii) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामोद्योगों, अत्यंत लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता देना।

(iii) "निचले स्तर" (बाटम अप) पर वार्षिक बजट तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योगों की विधि सम्मत आवश्यकताओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना–वधि के दौरान पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है।

(iv) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की "एकल खिड़की योजना" को सभी जिलों में लागू करना।

(v) यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो।

(vi) बैंकों को ऋण सीमाओं को मंजूर करने के लिए "मुआवजे" के रूप में अनिवार्य जमाराशियों पर जोर नहीं देना चाहिए।

(vii) विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं खोलना अथवा उन शाखाओं को विशेषज्ञ शाखाओं में परिवर्तित करना, जिनके पास लघु उद्योग उधार खातों की संख्या काफी अधिक है।

(viii) अर्थक्षम रूग्ण एककों की पहचान की जानी चाहिए और

उनको पारेषण कार्यक्रम के अंतर्गत लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ix) ऋणों के लिए आवेदन करने के वास्ते लघु उद्योग एककों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले मानकीकृत ऋण आवेदन पत्रों को और सरल बना दिया गया है।

ऋण का भार

3069. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक विदेशी और घरेलू ऋण की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1993-94 के स्तरों की तुलना में ऋण की कुल धनराशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों "मूल की अदायगी और ऋण पर ब्याज" के घटकों के प्रतिशत के संदर्भ में 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल ऋण सेवा का क्या अनुपात है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

कुल बकाया	1993-94	1994-95 (संशोधित अनुमान)	अन्तर
आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं तथा सरकारी खाते में (बही मूल्य पर) विदेशी ऋण	477668	541329	63661

(ग) अल्प बचत संग्रहों के बदले राज्यों को आयोजनागत आर्थिक सहायता और ऋण देने के कारण ही मुख्यतया 1994-95 में बजट अनुमान से अधिक व्यय हुआ।

(घ) ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

ऋण शोधन	1993-94	1994-95 (संशोधित अनुमान)
1. ऋण की वापसी अदायगी*	63432	62258
2. कुल ब्याज अदायगी	36695	44000
3. कुल ऋण शोधन	100127	106258
4. राजस्व प्राप्तियां	75453	88770
5. 2 से 4 की प्रतिशतता	48.6 प्रतिशत	49.5 प्रतिशत

* इसमें 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, आरक्षित निधियों और ब्याज तथा उचित लेन–देन रहित जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है।

बैंकों में इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली

3070. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों में इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) "आउट स्टेशन" चेकों के समाशोधन में कार्यकुशलता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश के किसी बैंक में आधुनिकीकरण प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात इकाईयों को सुविधाएं

3071. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातक औद्योगिक इकाईयों को अपने उत्पादों को घरेलू बाजार में बेचने हेतु समय–समय पर कई प्रकार की सुविधाओं सहित रियायतें देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन उद्योगों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) निर्यातोन्मुख इकाईयों प्रोत्साहनों का उदार पैकेज दिया गया है जिसमें शामिल है : अपने उत्पाद को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति। उनको घरेलू बाजार में उत्पादन का पांच प्रतिशत तक अस्वीकृत माल की बिक्री

के अतिरिक्त स्वीकार्य के भुगतान पर उत्पादन का 25% तक घरेलू बाजार में बेचना। कृषि आधारित उत्पादों के बारे में वे अपने उत्पादन का 50% तक घरेलू बाजार में बेच सकते हैं।

(घ) से (च) निर्यातोन्मुख इकाईयों से निर्यात में सतत् वृद्धि हो रही है और वृद्धि दर निर्यात की राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। वर्ष 1992-93 के दौरान 20178.14 करोड़ रु. के निर्यात की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यातोन्मुख इकाईयों का निर्यात निष्पादन 3086.05 करोड़ रु. का रहा।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का विभाजन

3072. **श्री शोभनाद्रीश्वार राव वड्डे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का समुद्री और मत्स्य निर्यात में विभाजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश से समुद्री उत्पादों के निर्यात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है;

(घ) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात पर ध्यान न देने के कारण गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहकारी कताई मिलों का निजीकरण

3073. **श्रीमती भावना चिखलिया** ; क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से गुजरात की सहकारी कताई मिलों का निजीकरण करने का है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों का निजीकरण किये जाने पर इनके श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संगठित श्रमिकों के लिए कल्याण योजना

3074. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान इन श्रमिकों के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा चलाये गये कल्याण कार्यों के लिये धनराशि प्रदान करने के लिये सहमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो चलायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा रोजगार के संबंध में जारी किये गये त्वरित आंकलनों के अनुसार 31.3.95 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य के संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार 1.74 मिलियन था।

(ख) और (ग) अपने कर्मकारों के कल्याण हेतु नियोजकों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों के अनुसरण में कल्याण उपाय किये जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा समन्वित योजना

3075. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपनी यात्री सेवा और कारोबार में सुधार करने और उसके संवर्द्धन हेतु कोई समन्वित योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं; जिनमें बेहतर गुणवत्ता युक्त विमानगत खानपान सेवा, इकोनामी श्रेणी में सीटों के बीच का स्थान बढाकर यात्रियों को आराम विभिन्न वर्गों के ग्राहकों के लिए रियायतें, धन वापसी नियमों का उदारीकरण रद्दकरण प्रभारों को माफ करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार

3076. **श्री के. एम. मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने यू.एस. ट्रेड एक्ट के अंतर्गत 1995

में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची स्पेशल 301 के अंतर्गत रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व व्यापार संघ के अंतर्गत अपने व्यापार तथा वाणिज्यिक हितों को सुधारने हेतु भारत द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस वार्ता के संबंध में तथा इससे लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) यू एस टी आर ने भारत को कथित रूप से दुर्बल बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण खासकर पेटेंटों के मामले में यू एस ट्रेड एक्ट 1995 के 301 प्रावधानों के तहत प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा। प्राथमिकता निगरानी सूची यू.एस. कानून द्वारा बनाया गया वर्गीकरण नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक परिपाटी है। इस निगरानी सूची में यू.एस. प्रशासन के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी परिणाम नहीं निकलते हैं।

भारत डब्ल्यू टी ओ का एक मूल सदस्य है। यह डब्लयू टी ओ के सभी निकायों में प्रतिनिधित्व करते हुए डब्ल्यू टी के अंतर्गत उन नियमों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, जो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। जिन मामलों में सर्वसम्मति से निर्णय नहीं होते हैं उनमें वोट द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। डब्लयू टी ओ में भारत समेत प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के पास एक वोट होता है और इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में, समान शक्तियों का प्रयोग करता है। डब्लयू टी ओ के तहत व्यापार बाधाओं को कम करने और प्रभावी विवाद निपटान तंत्र की स्थापना करने से अन्य बातों के साथ–साथ भारत को भी लाभ मिलने की संभावना है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में उरुग्वे वार्ता दौर 15 दिसम्बर, 1993 को सम्पन्न हुई। इस समय अन्य बातों के साथ–साथ डब्लयू टी ओ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी करार के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निधिकरण

3077. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश हेतु ऋण/इक्विटी के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा धनराशि प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने अपने संसाधनों और संघ संघटन के माध्यम से निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में ऋण/इक्विटी के रूप में कुल 554.81 मिलियन डालर के निवेश अनुमोदित किए थे। जिन परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान की गई हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1994-95 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रदान की गई निधियों की सूची

(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	ऋण	इक्विटी	जोड़
1	2	3	4	5
1.	जी.इ एस सी ओ	–	2.23	2.23
2.	डी एल एफ सीमेंट लिमिटेड	28.00	8.50	36.50
3.	इंडिया लीज डेवलमेंट लि.	–	0.30	0.30
4.	जी वी के पावार	110.00	8.30	118.30
5	ग्लोवल ट्रस्ट बैंक	–	3.19	3.19
6.	चौगले स्टीमशिप लि.	42.00	5.00	47.00
7.	एस टी सी एम इलेक्ट्रिक कंपनी नेवेली पावर	60.00	18.00	78.00
8.	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	25.00	–	25.00
9.	निप्पोन डेनरो	90.00	6.00	96.00
10.	इनवेल	–	0.33	0.33

1	2	3	4	5
11.	एल ए आर ए फंड	–	7.97	7.97
12.	आइ बी वैली पावर	50.00	20.00	70.00
13.	प्रीजम सीमेंट	30.00	5.02	35.02
14.	जे एम शेयर और स्टाक ब्रोकर	1.20	1.26	2.46
15.	आई एल एंड एफ एस स्टाक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि.	–	0.64	0.64
16.	एस पी आई सी फाइन केमिकल	–	0.86	0.86
17.	सेन्चूरियन बैंक लि.	–	5.41	5.41
18.	क्रेडिट केपिटल वेंचर फंड	–	0.60	0.60
19.	एक्जिम बैंक	25.00	–	25.00
	जोड :	461.20	93.61	554.81

बीड़ी क्षेत्र में रोजगार

3078. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बीड़ी क्षेत्र में रोजगार के रूख का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति अथवा कार्यदल का गहन करने हेतु कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निकाय का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (ख) तम्बाकू आदि के विज्ञापन पर रोक लगाने संबंधी प्रस्तावों के संबंध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ तम्बाकू उपभोग के प्रभाव का आर्थिक अध्ययन किए जाने के उद्देश्य से एक ओर कर राजस्व और विदेशी मुद्रा आय, रोजगार और उपभोक्ता व्यय तथा दूसरी ओर तम्बाकू से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए तृतीय स्तर की चिकित्सा देखरेख सुविधाओं की लागत, आग जोखिम के कारण क्षति, वन कटाई के कारण पारिस्थितिक क्षति तथा तम्बाकू से संबंधित अपशिष्ट के निपटान पर विचार करने के लिए तम्बाकू उपयोग के अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अन्यों के साथ आंध्र प्रदेश सहित बीड़ी कर्मकारों और नियोजकों के व्यवस्था संघों के प्रतिनिधियों के विचारों को अकेले अथवा संयुक्त रूप से प्रारूपित करने तथा उनसे सरकार को अवगत करवाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य सेवओं के महानिदेशक के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उन्हें एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के विकेन्द्रीकरण के बाद क्रय नीति

3079. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई क्रय संबंधी आदर्श संहिता तैयार की गई है जो सभी मंत्रालयों/विभागों पर ठेके करते समय तथा आपूर्ति करते समय लागू/बाध्यकारी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के विकेन्द्रीकरण के बाद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में तैनात अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किए गये सर्वमान्य क्रय नीति का पालन करें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी खरीद कार्यों को विनियमित करने वाले मूलभूत सिद्धांत सामान्य वित्तीय नियमों में दिये जाते हैं। खरीद संबंधी विस्तृत प्रक्रियाएं जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अपनाई जा रही हैं, सामान्य वित्तीय नियमों में दिये गये सिद्धांतो को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सामान्य वित्तीय नियमों की उपर्युक्त व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग, अपनी खुद की खरीद संबंधी प्रक्रिया विकसित कर चुके होंगे। तदर्थ खरीद संबंधी कार्यों के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से इन मंत्रालयों/विभागों को स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों की इस प्रकार, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनाई जा रही खरीद प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा।

मुआवजा राशि में वृद्धि

3080. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर विभिन्न श्रम संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस योजना/निर्णय को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उनके परिवारों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) सरकार ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन कर दिया है और अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में देय प्रतिकर न्यूनतम राशि में क्रमशः 20,000/- रु. से वृद्धि करके 50,000/- रु. और 24,000/- रु. से वृद्धि करके 60,000/- रु. कर दिया गया है। प्रतिकर की अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए मासिक मजदूरी सीमा में भी 1000/- रु. से वृद्धि करके 2,000/- रु. कर दिया गया है। इसके अलावा, मृत कर्मकार के दाह व्यय के लिए 1000/- रु. की अदायगी किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। इन उपबंधों जो 15.9.95 से प्रभावी किए गए हैं, को सामान्यतः श्रम संगठनों द्वारा स्वागत किया गया है।

काफी के मूल्य में वृद्धि

3081. श्री अन्ना जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत वर्ष के दौरान काफी के मूल्यों में कई गुण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्य क्या रहे;

(ग) काफी के मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या काफी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और इस प्रतिबंध को हटाना देश में काफी के मूल्यों में हुई वृद्धि में सहायक हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च) ब्राजील में काफी की फसल को पाले के कारण हुए नुकसान की वजह से विश्व बाजार में काफी की कमी हो जाने से मई-जून 1994 के बाद से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कॉफी की कीमतों में तीव्र वृद्धि का रुख रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कीमतें जनवरी, 1994 में अमेरिका के लिए लगभग 71.21 यू.एस. सेंट/पौंड और रोबूस्टा के लिए 60.91 सेंट/पौंड से तेजी से बढ़कर सितम्बर, 1994 के दौरान क्रमशः 220.10 यू.एस. सेंट/पौंड तथा 182.95 यू.एस. सेंट/पौंड हो गई। दिसम्बर, 1995 को अमेरिका के लिए कीमत 107.83 यू.एस. सेंट/पौंड तथा रोबूस्टा के लिए 103.50 यू.एस. सैंट/पौंड थी। घरेलू कीमतों में भी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ-साथ वृद्धि हुई और निर्यातों पर भी इसका असर पड़ा। काफी की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि तथा कीमतों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त, 1994 में निर्यातों के लिए कुछ ग्रेडों पर बैन लगाने के साथ-साथ काफी के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया। बैन 31 दिसंबर, 1994 को हटा लिया गया। चूंकि घरेलू बाजार में कॉफी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से प्रभावित रहीं और ऊँची बनी रही इसलिए भारत सरकार ने काफी बोर्ड को खुले बाजार की कीमतों की अपेक्षा कम दरों पर कॉफी की पेशकश के जरिए बाजार में हस्तक्षेप करने का निदेश दिया। तदनुसार, बोर्ड दिनांक 15.7.95 से बागान "ग" और वाणिज्यिक ब्लैंडस के लिए क्रमशः 125 रु. और 130 रु. प्रति किग्रा की दर पर अपने बाजारों के जरिए कॉफी बोंड बेच रहा है। दिनांक 1.4.95 से सरकार ने घरेलू बाजार में काफी की समग्र उपलब्धता को पूरा करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत बल्क पैकों में डीकेफिनेटिड/रोस्टिड कॉफी के आयात की अनुमति भी दे दी है।

चाय का उत्पादन तथा घरेलू मूल्य

3082. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चाय का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक उत्पादन के कारण चाय का घरेलू बाजार मूल्य अचानक गिर गया है;

(घ) क्या असम की चाय कंपनियां मूल्य स्तर को बनाए रखने हेतु चाय का उत्पादन बंद करने का विचार कर रही हैं;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का उत्पादन निम्नलिखित रहा है:

वर्ष	उत्पादन (मिलि. किग्रा. में)
1992	732.32
1993	788.06
1994	743.78 (अनुमानित)

(ग) कम निर्यात मांग के साथ-साथ चाय के अधिक पैदावार की

फलस्वरूप वर्ष 1994 के दौरान नीलामियों में चाय की कीमतों में गिरावट का रुख रहा था। तथापि, चालू वर्ष के उत्तरार्द्ध में नीलामी केन्द्रों में चाय की कीमतों में कुछ सुधार रहा।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं। यह अपुष्ट खबर है कि उत्तर भारतीय चाय उद्योग ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर पूर्वी भारत में दिसम्बर, 1994 से अगले मौसम तथा उत्पादन बंद कर दिया जाए। तथापि, इस उद्योग ने इस खबर का खंडन किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को बैंक ऋण

3883. श्री एन. जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात के ग्रामीण/पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों की बैंकवार शाखाएं कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक राज्यवार और बैंकवार इन शाखाओं में कितनी राशि जमा की गई और किसानों को ऋण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई और उन्हें वितरित की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया गया लक्ष्य इन राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्त कर लिया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किसानों से कितनी ऋण राशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ) देश में तथा गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंकवार जमा राशियां और इन बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए ऋण संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

मार्च 1993, 1994 तथा 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि संबंधी अग्रिम राशि का प्रतिशत क्रमशः 15.61%, 15.17% तथा 14.00% था, जबकि लक्ष्य 18% था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि संबंधी ऋण के प्रतिशत में गिरावट के लिए कुछ कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसे वर्ष 1988 से बैंकों की लाभप्रदता पर अधिक बल दिया जाना, आय की पहचान, प्रावधानों के संबंध में बैंकों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड और पूंजी पर्याप्तता तथा अधिक लेनदेन और प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण में अंतर्ग्रस्त जोखिम लागत। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे कृषि संबंधी अग्रिम राशियों सहित प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के लिए इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

जून 1991, 1992 तथा 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक को प्रत्यक्ष कृषि संबंधी अग्रिम राशियों की वसूली की स्थिति निम्नलिखित है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	वसूल की गई राशि
जून 1991	341976
जून 1992	345737
जून 1993	407298

जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि मार्च, 1994 की अंत की स्थिति के अनुसार, देश में 11262 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक थे, जिनमें से 1007 गुजरात में थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जमाराशियां तथा अग्रिम राशियां निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	जमाराशियां	अग्रिम राशियां
1992-93	1860	1481
1993-94	2232	1546
1994-95	2564	1700

पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुजरात में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की मांग की तुलना में ऋणों की वसूली का प्रतिशत निम्नलिखित है :

1991-92	1992-93	1993-94
61 प्रतिशत	67 प्रतिशत	67 प्रतिशत

विवरण-I

दिनांक 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार देश में तथा गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या: पूरे देश में	शाखाओं की संख्या: गुजरात में
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	1842	20
2.	आंध्रा बैंक	970	5
3.	बैंक आफ बड़ौदा	2407	646

1	2	3	4
4.	बैंक आफ इंडिया	2440	212
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1121	31
6.	केनरा बैंक	2147	31
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3062	213
8.	कारपोरेशन बैंक	494	22
9.	देना बैंक	1087	527
10.	इंडियन बैंक	1426	37
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1334	51
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	617	17
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	691	7
14.	पंजाब नेशनल बैंक	3716	80
15.	सिंडिकेट बैंक	1572	43
16.	यूको बैंक	1792	76
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1930	168
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1331	14
19.	विजया बैंक	813	28
	जोड़ :	30792	2228

विवरण -II

मार्च 1993, 1994 एवं 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों का राज्यवार कुल जमा राशियां

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
1	2	3	4
हरियाणा	348313	405335	491539
हिमाचल प्रदेश	106096	121557	147210
जम्मू एवं कश्मीर	58971	66057	74543
पंजाब	909382	1056783	1241174
राजस्थान	335780	390690	461641
चंडीगढ़	128276	148113	203195
दिल्ली	1505996	1968971	2438795
अरूणाचल प्रदेश	2059	3466	5331
असम	157067	179879	215287
मणिपुर	5937	7330	9626
मेघालय	20993	24398	30174
मिजोरम	1816	2156	2273
नागालैंड	9989	10820	12807
त्रिपुरा	17107	19566	23997
बिहार	644604	712315	852889
उड़ीसा	186417	210121	260172
सिक्किम	4553	5003	6254

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	1364099	1555250	1727504
अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3468	4191	5390
मध्य प्रदेश	502344	572225	710592
उत्तर प्रदेश	1605283	1865324	2227909
गोवा	145733	167805	198631
गुजरात	1187247	1389262	1636625
महाराष्ट्र	3304882	3701566	4183529
दादर एवं नगर हवेली	1732	2562	4090
दमन एवं दीव	2953	3187	4031
आंध्र प्रदेश	708889	834466	971278
कर्नाटक	810274	853808	1082165
केरल	455659	549385	646853
तमिलनाडु	1156129	1285643	1486317
लक्षद्वीप	1361	1530	2023
पांडिचेरी	29564	35250	41266

विवरण-III

मार्च 1993, 1994 और 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंकवार जमाराशियां और कृषि ऋण

(करोड़ रुपए)

	जमाराशियां			कृषि ऋण		
बैंक	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
इलाहाबाद बैंक	7692.23	8457.80	9231.01	708.00	678.00	593.84
आंध्रा बैंक	4188.20	4941.47	5311.65	400.64	399.12	425.99
बैंक आफ बडौदा	20981.28	23115.65	26286.56	1378.11	1563.67	1828.52
बैंक आफ इंडिया	19517.49	21419.86	24480.24	1193.00	1196.00	1323.69
बैंक आफ महाराष्ट्र	3873.85	4483.76	5341.70	318.50	341.00	408.78
केनरा बैंक	16466.07	19838.94	22475.11	1415.87	1489.91	1644.63
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	13824.20	15966.80	17654.55	915.91	877.00	947.21
कारपोरेशन बैंक	2853.56	4118.41	6136.29	178.23	164.00	220.00
देना बैंक	4143.59	4923.57	5779.43	295.61	316.46	352.28
इंडियन बैंक	11476.11	11818.02	12739.96	912.00	954.00	1140.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	9506.66	10804.81	12686.92	547.40	623.80	685.61

बैंक	जमाराशियां			कृषि ऋण		
	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4276.72	5239.06	6673.46	418.00	493.25	664.20
पंजाब नेशनल बैंक	18241.31	21930.87	24713.35	1583.30	1695.00	1639.50
पंजाब एंड सिंध बैंक	3391.33	4025.07	5277.52	289.24	304.01	332.60
सिंडिकेट बैंक	8865.13	10111.70	11777.01	520.00	510.00	612.00
यूको बैंक	9309.14	11800.95	15402.52	662.56	766.16	1009.68
यूनियन बैंक आफ इंडिया	6154.38	6991.95	8042.16	285.00	353.00	418.00
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	10000.82	9298.14	10328.34	469.31	480.66	462.46
विजया बैंक	3307.15	4294.62	5870.01	285.59	291.67	329.46

[अनुवाद]

नागर विमानन का विकास

3084. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नागर विमानन सुविधाओं के विकास हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) नागर विमानन से संबंधित वर्तमान नीति आधुनिकीकरण विस्तार और उदारीकरण अभिमुखी है। इस नीति के अंग के रूप में, वायु निगम अधिनियम, 1953 निरस्त कर दिया गया था, जिससे निजी एयरलाइनों को अनुसूचित अंतर्देशीय सेवाएं प्रचालन की अनुमति मिली। विकास और विस्तार के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों को कंपनियों में बदल दिया गया था। बेहतर प्रबंधन और संसाधनों के उपभोग की दृष्टि से वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस में विलय करने का निर्णय लिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण राष्ट्र में हवाई परिवहन सेवाओं में संतुलित ढंग से वृद्धि हो, मार्ग वितरण मार्गदर्शी अनुदेश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार ट्रंक मार्गों के प्रचालकों को पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में तयशुदा न्यूनतम सेवाएं प्रदान करनी होंगी। क्षेत्रीय एयरलाइनों को दूर दराज के और अभी तक विमान सेवाओं नहीं जुडे जिलों और शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पवन हंस तेल सेक्टर में आवश्यक हेलिकाप्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है और आधुनिक हेलीकाप्टर प्राप्त करने की इसकी योजना है। पवन हंस द्वारा हाल ही में अरूणाचल प्रदेश की राजधानी, इटानगर को जो पहाड़ी/कठिन भूभाग में स्थित है, वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ की गयी हैं।

हवाई अडडों/विमानन आधारसंरचना का विकास जिसके लिए अब तक सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध करायी जाती थी, उसे अब निजी पार्टियों/अनिवासी भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया है। हवाई अड्डा यातायात प्रबंध सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है और राष्ट्र अधिक दक्ष और आधुनिक हवाई परिवहन प्रबंध प्रणाली के लिए उपग्रह आधारित संचार प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है। चौदह हवाई अड्डों को सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए आदर्श हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस इस देश के लिए उपलब्ध द्विपक्षीय हकदारी का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करती रहीं है। एयर इंडिया वैटलीज पर विमान लेकर अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है जिससे अल्पकालिक क्षमता की कमी पूरी हो सके। नये गंतव्य स्थान जोड़े जा रहे हैं। द्विपक्षीय समझौतों के दौरान इस देश की एयरलाइनों के लिए अधिक यातायात अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिससे अधिक गंतव्य स्थानों के लिए सेवाओं का प्रचालन किया जा सके।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु उद्योगों का बैंक ऋण

3085. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और अन्य राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गये ऋणों के तुलनात्मक आंकड़े क्या है; और

(ख) राजस्थान और अन्य राज्यों के लघु उद्योगों की ऋण अदायगी की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़े क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मार्च 1992, मार्च 1993 और मार्च 1994 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में तथा पूरे

देश में लघु उद्योग खातों की संख्या तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक ऋणों की बकाया राशि निम्नलिखित है :

(करोड रुपए)

	राजस्थान		संपूर्ण भारत	
मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	लघु उद्योग खातों की संख्या	बकाया राशि	लघु उद्योग खातो की संख्या	बकाया राशि
1992	114147	440.80	2862777	17487.08
1993	112476	466.13	2828596	18737.55
1994	111474	509.85	2879483	21440.32

[अनुवाद]

उड़ान प्रभार लगाना

3086. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विमान कंपनियां अपनी टिकटों पर उड़ान प्रभार लगा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा भी उड़ान प्रभार लगाया जा रहा है और इसमें वृद्धि भी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या उडान प्रभार में वृद्धि के प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और निजी विमान कंपनियां यात्रियों से विमान का किराया वसूलती हैं। एयर इंडिया द्वारा वसूल किया गया अंतर्राष्ट्रीय विमान किराया तो आयटा के मार्गदर्शी सिद्धांतों के सामान्यतः अनुरूप ही होता है किंतु इंडियन एयरलाइंस के मामले में अंतर्देशीय किराये इसके निवेदन मंडल द्वारा तय किये जाते हैं। प्रचालन की लागत में वृद्धि होने से किराये में वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है। निजी विमान कंपनियां मार्केट की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किराये वसूलती हैं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

पीयरलेस कंपनी द्वारा एकत्र की गयी धनराशि

3087. प्रो. के. वी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीयरलेस कंपनी द्वारा एकत्र की गयी कुल जमा राशि कितनी है;

(ख) जमाकर्त्ताओं के हितों की किस प्रकार रक्षा की जा रही है; और

(ग) उन परियोजनओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें पीयरलेस कंपनी इस प्रकार एकत्र की गई विशाल धनराशि का निवेश कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि. (पी सी एफ आई) ने 3810.04 करोड़ रुपए की राशि जमा की थी।

(ख) अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (आर एन बी सी) से अपेक्षा की जाती है कि वह अवशिष्ट गैर बैंकिंग (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 के प्रावधानों का अनुसरण करें, जिसके तहत, किसी आर एन बी सी से अपनी जमाराशि दायित्वों का 10% सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सावधि जमाओं में तथा ऐसी जमाराशियों को 70% अनुमोदित एवं सरकारी प्रतिभूतियों में रखने की अपेक्षा की जाती है। शेष 20% या अपना निवल निधि का दस गुणा जो भी कम हो, के संबंध में आर एन बी सी अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपने विवेक से निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त, सावधि जमा रसीदें और अन्य प्रतिभूतियां जिनकी जमाकर्त्ताओं को वापसी अदायगी के अलावा आहरण नहीं किया जाएगा, सुरक्षा के लिए निर्धारित बैंक में रखी जानी होती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पी जी एफ आई परियोजनाओं के विकास के लिए अपनी अनुषंगी और अन्य सम्बद्ध कंपनियों को कुछ ऋण और अग्रिम राशियां देता है।

इंडियन एयरलाइंस के लिए सुधारों का सुझाव देने हेतु समिति

3088. श्री राम कापसे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के लिए सुधारों का सुझाव देने हेतु एक उच्च अधिकार समिति के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका गठन क्या है और इसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा; और

(ग) यह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस को हो रही हानियों के कारणों की व्यापक छानबीन करने और एक प्रतियोगी मार्केट वातावरण के परिप्रेक्ष्य में इंडियन एयरलाइंस की यथास्थिति बहाल करने हेतु कार्यनीतियां विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। विशेषज्ञों की समिति की संरचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। समिति

द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

विवरण

1.	डा. विजय केलकर, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री दीपक पारिख, अध्यक्ष, एच.डी एफ सी.	सदस्य
3.	श्री पी. जी. मक्कड़, महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पाकता परिषद्	सदस्य
4.	श्री सुरेश कृष्ण, अध्यक्ष टी वी एस ग्रुप	सदस्य
5.	कैप्टन डी. एस. माथुर, पूर्व–प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया	सदस्य
6.	श्री पी. सी. सेन, प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस	सदस्य
7.	डा. जी. के. अग्रवाल	सचिव

कटे-फटे नोट

3089. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में करेंसी नोट कट–फट जाते हैं और चूहों द्वारा कुतर दिए जाते हैं, जिससे गांव वालों के लिए ऐसे नोटों को बदलवाना मुश्किल होता है विशेषकर जब नोट पूरा न होकर टुकडों–टुकडों में होता किंतु उसके नम्बर साफ दिखाई देते है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऐसे नोंटों को न बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों की कठिनाईयों के दूर करने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) गांवों में करेंसी नोट कट–फट जाते हैं और चूहों द्वारा कुतर दिए जाते हैं। दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाली आम जनता द्वारा ऐसे नोटों को बदलना सुविधाजनक बनाने हेतु करेंसी तिजोरियों रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसे नोटों के संबंध में अधिनिर्णय लेने के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष पद्वति के तहत नोट बदलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) इन बैंकों से अपनी शाखाओं पर नोट बदलने की सुविधा की उपलब्धता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा भी की जाती है। जनता को अपने कटे–फटे करेंसी नोटों को बदलने की सुविधा अनुपलब्ध होने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक में जब भी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाती है तथा शिकायतों का निवारण किया जाता है।

विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर कर

3090. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वैंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और अमरीका के बैंकों ने भारत से विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर कर से छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से, विशेषकर भारतीय वित्तीय संस्थाओं से, विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर कर अदा न कर पाने के कारण ब्याज भुगतान से छूट दिलाने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसे 1 अप्रैल, 1995 से वापस ले लिया गया था।

(ख) और (ग) सरकार ने पहले ही 1 अप्रैल, 1995 से विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15) (iv) उपधारा (ख) से (छ) के अंतर्गत आयकर भुगतान से छूट देने का निर्णय किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिकों के लिये कल्याण योजनाएं

3091. श्री अनादि चरण दास : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान बीड़ी, सिनेमा और खान क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याणार्थ उड़ीसा में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान के जयपुर जिले में बीड़ी श्रमिकों के कल्याणार्थ 30 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उड़ीसा सहित सभी राज्यों में वर्ष 1995-96 के दौरान कार्यान्वित की जा रही बीड़ी, सिनेमा और खान कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूचियां का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

क्र. सं. योजना का नाम

स्वास्थ्य

1. स्थायी और संचल/स्थायी एलोपैथिक और स्थायी आयुर्वेदिक औषधालय।
2. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
3. टी.बी. से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के लिए घर पर रहकर उपचार कराने की योजना।
4. केंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना।
5. मानसिक रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) के उपचार की योजना।
7. चश्में की खरीद के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता।
8. महिला बीड़ी कर्मकारों की प्रसूति प्रसुविधा योजना।
9. बीड़ी कर्मकारों को बान्ध्यकरण के लिए वित्तीय प्रतिकर की अदायगी करने की योजना।
10. हृदय रोगों के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11. गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

सामाजिक सुरक्षा

1. समूह बीमा योजना

आवास

1. अपना घर स्वयं बनाओं योजना।
2. बीड़ी कर्मकारों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना।
3. वर्कशेडों और गोदामों का निर्माण करने के लिए बीड़ी उद्योग सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता।
4. समूह आवास योजना

शिक्षा

1. एक जोड़ी वर्दी, स्लेटों, कापियों और पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति के लिए बीडी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों को वित्तीय सहायता के लिए कम्पोजिट योजना।
2. हाई स्कूल के बाद अंतिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षाएं पास करने के लिए प्रोत्साहनों की अदायगी।
3. बीड़ी कर्मकारों की लड़कियों की स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर 1/- रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

मनोरंजन

1. श्रव्य दृश्य सैंटों/सिनेमा वैनों/फिल्मों का प्रदर्शन।
2. बीड़ी कर्मकारों के लिए खेलकूद, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन।
3. बीड़ी कर्मकारों के लिए हालिडे होम योजना।
4. बीड़ी कर्मकार औद्योगिक सहकारी समितियों को टी.वी. सैटों की आपूर्ति।
5. बीड़ी कर्मकार आवास कालोनी में कम्यूनिटी हाल बनाना और उसमें रंगीन टी.वी. सैट लगाना।

विवरण-II

सिने कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

1. हृदय रोगों से पीड़ित सिने कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिभूति करने की योजना।
2. कैंसर से पीड़ित सिने कर्मकारों को वास्तविक उपचार प्रभार की प्रतिपूर्ति करने की योजना।

शिक्षा

1. हाई स्कूल से आगे अंतिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षाएं पास करने के लिए प्रोत्साहनों की अदायगी।
2. सिने कर्मकारों की लड़कियों की स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर 1/- रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
3. सिने कर्मकारों के बालकों की वृत्तिका प्रदान करना।

विवरण-III

खान (लौह, अयस्क, मैगनीज अयस्क क्रोम अयस्क खान, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान, अभ्रक खान) कर्मकार के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

क्रम सं. योजना का नाम

स्वास्थ्य

1. तपैदिक अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. मानसिक रोगों से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार हेतु

योजना।

3. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार हेतु योजना।

4. तपैदिक से पीड़ित खान कर्मकारों के लिए घर पर ही उपचार ही योजना।

5. महिला खान कर्मकारों के लिए प्रसूति लाभ योजना।

6. कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।

7. चश्मों की खरीद के लिए खान श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

8. खान कर्मकारों को बन्ध्याकरण के लिए अतिरिक्ति धन के प्रतिपूर्ति के भुगतान की योजना।

9. हृदय रोगों के संबंध में खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

10. गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. खान कर्मकारों को घातक और गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजा दिए जाने की योजना।

12. खान कर्मकारों की कृत्रिम अंग मुहैया कराने के लिए योजना।

13. एम्बूलेंस वैनों की खरीद के लिए लौह अयस्क और चूना पत्थर तथा डोलामाइट खान प्रबंधनों को सहायता अनुदान।

सामाजिक सुरक्षा योजना

1. समूह बीमा योजना

आवास

1. अपना घर स्वय बनाओं योजना।

2. समूह आवास योजना।

3. टाईप-I आवास योजना

4. टाईप-II आवास योजना

शिक्षा

1. खान कर्मकारों के स्कूल/कालेज जाने वाले बालकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

2. खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों को एक सैट वर्दी, स्लेट, कापियां और पाठ्यपुस्तकों की सप्लाई हेतु वित्तीय सहायता के लिए कम्पोजिट योजना।

3. केन्द्रीय पुस्तकालय चलाने हेतु खान मालिकों की सहायता।

4. स्कूल बसों की खरीद हेतु खान प्रबंधनों की सहायता।

5. पुस्तकालयों के रखरखाव हेतु खान प्रबंधनों की सहायता।

6. लौह अयस्क खनन क्षेत्रों मान्यता प्राप्त स्कूलों की फर्नीचर और उपस्कर की खरीद हेतु सहायता अनुदान।

7. दोपहर के भोजन की योजना।

8. हाई स्कूल से ऊपर विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

9. खान कर्मकारों की बालिकाओं को, स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 1/- रुपये के प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

मनोरंजन

1. खान कर्मकारों के लिए खेलकूद, साामजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना।

2. खान कर्मकारों के आवागमन हेतु बसें प्रदान करने की योजना।

3. दृश्य श्रव्य सैटों/सिनेमा वाहनों/फिल्मों के प्रदर्शन की स्थापना।

4. भ्रमण सह शैक्षिक दौरे।

5. टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

6. बहुद्देशीय संस्थान/विकसित बहुउद्देशीय संस्थान स्थापित करना।

7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

8. बहुउद्देशीय संस्थानों/विकसित बहुद्देशीय संस्थानों/कल्याण केन्द्रों को अनुदान।

9. खेल के मैदान।

10. अवकाश गृह।

जल आपूर्ति

1. कुएं खोदना।

2. छोटे खान मालिकों की सहायता।

3. बड़ी खानों हेतु जल आपूर्ति योजना।

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण

3092. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध की गई धनराशि कितनी थी जिसे लिया नहीं गया है;

(ख) वर्ष 1995 के दौरान विश्व बैंक द्वारा अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत परिव्यय कितना है;

(ग) वर्ष 1995 के दौरान विश्व बैंक से अब तक कितनी सहायता ली गई; और

(घ) इस सहायता का राज्यवार तथा परियोजना वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध विश्व बैंक सहायता की राशि (31.12.1994 की अनाहरित बकाया राशियां) सरकारी लेखा में 6719 मि. अमरीकी डालर तथा गैर सरकारी लेखा में 1118 मि. अमरीकी डालर थी।

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान नवम्बर, 1995 तक विश्व बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :

	परियोजना का नाम	राशि (मि. अमरीकी डालर में)
1.	बम्बई मलजल निकासी	192.00
2.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति (वीरानम)	275.80
3.	असम ग्रामीण अवसंरचना तथा कृषि योजनाएं	126.00
4.	जल–विज्ञान परियोजना	142.00
5.	तमिलनाडु, जल संसाधन समेकन	282.90

(ग) वर्ष 1995-96 में नवम्बर, 1995 तक की अवधि के दौरान प्राप्त विश्व बैंक सहायता की राशि सरकारी लेखा में 400.40 मि. अमरीकी डालर और गैर सरकारी लेखा में 76.14 मि. अमरीकी डालर थी।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परियोजना का नाम	अप्रैल से नवम्बर, 1995 के दौरान भुगतान (मि. अमरीकी डालर)
1	2
आंध्र प्रदेश	
1. आंध्र प्रदेश वानिकी	1.12
2. हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	3.24
3. आंध्र प्रदेश प्रथम परामर्शी स्वास्थ्य परि.	0.11
असम	
1. असम ग्रामीण आधारभूत	2.00
बिहार	
1. बिहार पठार विकास	4.31
गुजरात	
1. गुजरात ग्रामीण सड़कें	3.54
2. गुजरात शहरी विकास	13.74
हरियाणा	
1. हरियणा जल संसाधन समेकन	4.75
कर्नाटक	
1. कर्नाटक जल ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	0.45
2. ऊपरी कृष्णा चरण III	9.57
केरल	
1. केरल विद्युत	1.66
महाराष्ट्र	
1. महाराष्ट्र सिंचाई	8.54
2. महाराष्ट्र विद्युत	11.77
3. महाराष्ट्र विद्युत II	14.35
4. महाराष्ट्र वानिकी	6.52
5. महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	3.32
6. महाराष्ट्र भूकंप	16.53
7. तीसरी बंबई जलापूर्ति	9.51
8. तीसरी बंबई जलापूर्ति	0.00
मध्य प्रदेश	
1. मध्य प्रदेश वानिकी	3.00
पंजाब	
1. पंजाब सिंचाई	14.25
राजस्थान	
1. राजस्थान कृषि विकास कार्यक्रम	6.41
तमिलनाडु	
1. तमिलनाडु कृषि विकास	9.35
2. तमिलनाडु कृषि विकास	0.00
3. तमिलनाडु पोषाहार II	7.48

	1	2
4.	मद्रास जलापूर्ति और सफाई	1.14
5.	तमिलनाडु शहरी विकास	0.00
6.	तमिलनाडु जलापूर्ति	0.78
	उत्तर प्रदेश	
1.	उ.प्र. लवणीय भूमि सुधार	2.96
2.	उ.प्र. प्रारंभिक शिक्षा	7.85
3.	उ.प्र. शहरी विकास	9.74
4.	ऊपर गंगा	0.00
	पश्चिम बंगाल	
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी	2.61
	बहुराज्यीय	
1.	झींगा और मत्स्य पालन	1.16
	(आंध्र प्रदेश, बिहार उड़ीसा, उ.प्र. और पश्चिम बंगाल)	
2.	एकीकृत जलसंभर विकास (मैदानी)	4.95
	(गुजरात, राजस्थान, और उड़ीसा)	
3.	एकीकृत जल संभर विकास (पहाड़ी)	4.59
	(हि. प्र. जम्मू व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र)	
4.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	5.14
	(हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु)	
5.	राज्य सड़क परियोजना	17.16
	(बिहार, महाराष्ट्र, उ.प्र. और राजस्थान)	
6.	बांध सुरक्षा परियोजना	1.05
	(म.प्र., तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान)	
7.	बांध सुरक्षा परियोजना	0.00
	(म.प्र., तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान)	
8.	तकनीकी शिक्षा-II	8.27
	(आंध्र प्रदेश, हि.प्र., प. बंगाल, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब)	
9.	जनसंख्या-V	0.45
	(तमिलनाडु और महाराष्ट्र)	
10.	तकनीकी शिक्षा-I	9.06
	(म.प्र. उ.प्र., बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उड़ीसा और गोवा)	
11.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	3.70
	(आंध्र प्रदेश और उड़ीसा)	
12.	परिवार कल्याण	0.35
	(असम, कर्नाटक और राजस्थान)	
13.	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	4.84
	(आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और पं. बंगाल)	
14.	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना	3.02
	(आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और आई.सी.ए.आर)	
15.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III	4.91
16.	राष्ट्रीय जल प्रबंध	2.45
	केन्द्रीय क्षेत्र	
1.	द्वितीय राष्ट्रीय डेयरी	0.62
2.	तृतीय राष्ट्रीय बीज	0.64
3.	द्वितीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान	7.88
4.	वन अनुसंधान शिक्षा विस्तार परियोजना	0.73
5.	रबड़ परियोजना	2.28
6.	झरिया खान आग नियंत्रण	1.53
7.	कोयला खनन और गुणवत्ता सुधार	0.00
8.	राष्ट्रीय राजधानी बिजली आपूर्ति	0.00
9.	तलचर तापीय विद्युत	1.34
10.	नाथपा झाकड़ी विद्युत	26.27
11.	उत्तरी क्षेत्र संप्रेषण	24.82
12.	विद्युत उपयोगिता क्षमता सुधार	18.25
13.	नवीकरण संसाधन विकास	0.11
14.	औद्योगिक वित्तीय तकनीकी सहायता	0.00
15.	निर्यात विकास	0.00
16.	इलैक्ट्रानिक उद्योग विकास	2.06
17.	औद्योगिक तकनीकी विकास	1.97
18.	सीमेंट उद्योग पुनर्संरचना	8.83

1	2	
19.	द्वितीय पेट्रो रसायन	0.00
20.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	3.38
21.	औद्योगिक तकनीकी विकास	0.00
22.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	0.43
23.	रेलवे आधुनिकीकरण	0.63
24.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	9.13
25.	जनसंख्या-VII	0.17
26.	आई.सी.डी.एस-II	1.91
27.	शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व	8.16
28.	राष्ट्रीय एड्स निर्माण	6.84
29.	जनसंख्या-VI	1.97
30.	परिवार कल्याण	0.00
31.	कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया	1.61
32.	राष्ट्रीय कोढ़ उन्मूलन	13.79
33.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परि.	0.00
34.	वित्तीय क्षेत्र विकास ऋण	1.64
35.	जिला प्रारंभिक शिक्षा	0.54
36.	मोतियाबिंद अन्धता नियंत्रण	2.78
	निजी	
1.	निजी विद्युत उपयोगिताएं	19.13
2.	बम्बई उपनगरीय बिजली आपूर्ति	08.08
3.	टी.एन.न्यूज प्रिंट और पेपर नवीकरण संसाधन	3.14
4.	विद्युत ग्रिड प्रणाली विकास	13.97
5.	पी.पी.डी. (पी.एफ.सी.) के लिए टी.ए.	0.08
6.	एन.टी.पी.सी विद्युत उत्पादन	14.70
7.	गैस प्रदीपन में कमी	0.00
8.	सेल (एस.ए.आई.एल.)	1.43
9.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	0.00
10.	वित्तीय क्षेत्र विकास	0.00
11.	आई पी सी एल-II पेट्रोरसायन	14.01

रेलवे सुरक्षा संबंधी आयोग

3093. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा आयोग में आयुक्त और अन्य अधिकारियों के पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन पदों को कब तक भरने का है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय रेल सुरक्षा आयुक्त ग्रेड में तीन रिक्तियां और रेल सुरक्षा उपायुक्त ग्रेड में एक स्थान रिक्त है।

(ग) रेल संरक्षी उपायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार का पहले से ही चयन कर लिया गया है। रेल संरक्षी आयुक्त की तीनों रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है।

उत्पाद शुल्क रियायतें

3094. श्री राम पाल सिंह :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चमड़े और सिले सिलाए वस्त्रों के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क में रियायत देने का है;

(ख) यदि हां, तो इन पर कितनी रियायत देने का विचार है;

(ग) उपरोक्त रियायत किस तिथि से दी जायेगी; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चमड़े और सिले सिलाए वस्त्रों के उद्योगों में प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट सामग्रियों के संबंध में क्रमशः 1.3.94 की अधिसूचना 45/94 सं. सी. शु. और दिनांक 7.9.94 की अधिसूचना सं. 167/94 सी. शु. के द्वारा मूल सीमाशुल्क की रियायती दरें निर्धारित की गई हैं। फिलहाल, इस संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

महिला विकास और कल्याण संबंधी योजनाएं

3095. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की पूर्व संध्या पर महिला विकास और कल्याण के क्षेत्र में अधिक निवेश किए

जाने संबंधी योजनाएं तैयार की थीं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और लिंग संबंधी विशेष मामले में इनका उद्देश्य क्या है तथा इन योजनाओं पर भारत में कितना निवेश किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

नयी होटल परियोजनाएं

3096. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक तारा से पांच तारा तक की श्रेणियों की नयी होटल परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) होटलों में इस समय कितना आवास स्थान उपलब्ध है;

(घ) क्या इन होटलों के स्थापित होने के बाद कमरों की क्षमता में वृद्धि होने की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(च) क्या विदेशी पर्यटकों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी पर्यटकों को बेहतर सुविधाओं के साथ आवास स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) होटल निर्माण परियोजनाएं अधिकतर निजी क्षेत्र में हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के पास फिलहाल कोई नई होटल परियोजना नहीं है।

(ग) स्वीकृत वर्ग के अंतर्गत उपलब्ध इस समय कुल 56904 आवासीय कमरे हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। जो होटल कमरे इस समय पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं उनके वर्गवार विवरण नीचे दिए गए हैं :

5 सितारा	6083	कमरे
4 सितारा	1827	कमरे
हैरिटेज	641	कमरे
3 सितारा	18403	कमरे
2 सितारा	5403	कमरे
1 सितारा	1037	कमरे
कुल :	33394	कमरे

(च) और (छ) सरकार ऋणों पर, ब्याज इमदाद तथा कर छूट प्रदान करके होटल क्षेत्र में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इंटरनेशनल डेवलमेंट एसोसिएट्स सहायता

3097. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवैसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने इंटरनेशनल डैवलपमेंट एसोसिएट्स को सभी प्रकार के अंशदान बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका द्वारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट्स सहायता में कटौती करने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) इसका भारत पर क्या प्रभाव पडा है; और

(ङ) इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट्स द्वारा कम की गई सहायता की पूर्ति हेतु भारत द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त कंपनियों में विवाद

3098. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त निजी कंपनियों के बीच बढते हुए विवाद को देखते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की भूमिका की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के मनोनीत निदेशकों, जो बड़े निगमों के बोर्डो में नामित हैं, की अधोषित वित्तीय परिसंपत्तियों पर सरकार किस प्रकार निगरानी रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (आई एफ सी आई) के अनुसार, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आई एफ सी आई से सहायता प्राप्त गैर–सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते। यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त कंपनियों के बोर्डो

में नामित निदेशकों की नियुक्ति संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा की जाती है, जो अपने नामित निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

[हिन्दी]

कालीकट विमानपत्तन से उड़ान

3099. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट विमानपत्तन से इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया/प्रायवेट एयरलाइनों की प्रतिदिन कितनी उड़ानें आती जाती है;

(ख) क्या कालीकट विमानपत्तन के एच वर्ग के यात्रियों को दी जाने वाली सामान्य सुविधाओं से अधिक विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी प्रभार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कालीकट से सप्ताह में कुछ दिन की कुछ उड़ानों के अतिरिक्त कालीकट से और कालीकट को आठ और दैनिक उड़ानें प्रचालित होती हैं। इंडियन एयरलाइंस बंगलौर के लिए एक दैनिक उडान, मुम्बई के लिए एक दैनिक उडान और मद्रास के लिए एक दैनिक उडान का प्रचालन करती है तथा कोयम्बतूर, मदुरै और गोवा को भी विमान सेवा से जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा शारजाह के लिए एक दैनिक उड़ान का प्रचालन किया जाता है और यही प्रचालन फुजेराह कुवैत और रास अल खामाह के लिए भी किया जाता है। मस्कट और आबू धाबी के लिए एयर इंडिया को दैनिक उड़ान का प्रचालन इंडियन एयरलाइंस के विमान से एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया जाता है। ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस और जैट एयरवेज प्रत्येक इस हवाई अड्डे से एक दैनिक उड़ान का प्रचालन करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनिज धातु एवं व्यापार निगम द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात

3100. **श्री शोभनाद्रीश्वार राव वाड्डे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने कृषि उत्पादों के आयात तथा निर्यात और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक आदानों के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) एम एम टी सी सोयाबीन खाद्य चावल तथा अरंडी के बीज जैसे कृषि जन्य उत्पादों का निर्यात कर रहा है। वह यूरिया और डी ए पी जैसी कृषि निविष्टियों का आयात कर रहा है। दालों का आयात करने की भी इसकी योजना है।

गुजरात के बीड़ी श्रमिक

3101. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय राज्यों विशेषकर गुजरात के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में 30 सितम्बर, 1995 तक बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) उनमें सितम्बर, 1995 तक परिचय पत्र धारकों और गैरपरिचय पत्र धारकों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें ठेका प्रणाली के उत्पीड़न/दमन से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) देश में विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में बीड़ी श्रमिकों को किस दर पर तेंदू पत्ता उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें किस दर पर दैनिक मजदूरी दी जाती है;

(ङ) क्या सरकार को बीड़ी पर उपकर से बनाने के लिए बड़े उद्योगपतियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) बीड़ी उद्योग में प्रचलित विशिष्ट दशाओं के कारण ठेकाग्रत श्रम प्रणाली को समाप्त करना व्यवहार्य नहीं है। राज्य सरकार से बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बीड़ी कर्मकारों के शोषण को रोकने के लिए कच्चे माल आदि के मुद्दे को मानकीकृत करने हेतु त्रिपक्षीय समितियाँ गठित करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) केन्द्रीय उत्पादन और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा कडे कर-अपवंचन उपाय किए जाते हैं और लगातार अप्रत्याशित जांच की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है, कारण बताओं नोटिस जारी करने के पश्चात् दंड लगाए जाते हैं।

फ्रांस के साथ व्यापार समझौता

3102. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रांस की सरकार की ओर से भारत के साथ

उन उत्पादों का संयुक्त रूप से निर्यात करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिनके निर्यात से दोनों ही देशों को तुलनात्मक लाभ होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्रांस देश के विभिन्न भागों में भी व्यापार के अवसरों का विस्तार भी संयुक्त रूप से करने का इच्छुक है;

(घ) क्या फ्रांस की सरकार के साथ इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च) संयुक्त निर्यात या भारत में संयुक्त रूप से व्यापार अवसरों को बढ़ाने का फ्रांस सरकार से न तो कोई विशेष अनुरोध प्राप्त हुआ और न ही इस संबंध में कोई करार ही किया गया है। फिर भी सरकार का यह प्रयास है कि फ्रांस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को भारत फ्रांस संयुक्त आयोग भारत फ्रांस संयुक्त बिजनेस परिषद् की बैठक में तथा सरकारी और बिजनेस दोनों स्तरों पर परस्पर वार्ता करके तथा वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिनिधि मंडलों का नियमित आदान–प्रदान करके, व्यापार मेलों में भागीदारी आदि के जरिए बढाया जाए।

राज्यवार आयकर अंशदान

3103. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य वार आयकर अंशदान की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95 में आंध्र प्रदेश से कितना आयकर वसूल किया गया और 1995-96 के पहले छः महीनों में कितनी वसूली का अनुमान है;

(ग) क्या आयकर की वसूली प्रत्याशित लक्ष्यों से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का मध्यम वर्गीय लोगों को कुछ राहत देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर वसूली की निगरानी मुख्य आयकर आयुक्त क्षेत्रवार की जाती है।

(ख) और (ग) वांछित सूचना नीचे दी गई है :

आंध्र प्रदेश से वसूली (रुपये करोडों में)

	93-94	94-95	95-96
निगम की वसूली	223.82	295.96	53.45
			(सितम्बर, 95 तक)
वार्षिक लक्ष्य	222	290	350
आयकर वसूली	340.61	479.63	180.43
			(सितम्बर, 95 तक)
वार्षिक लक्ष्य	410	500	600

क्षेत्रों के लिए लक्ष्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासनिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं और उक्त लक्ष्य राजस्व की वसूली अधिकतम करने के लिए वर्ष के बजट अनुमानों से प्रायः अधिक होते हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों ने बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली की होगी परंतु अखिल भारतीय वसूलियां वर्ष 1994-95 के दौरान बजट अनुमानों से अधिक रही हैं।

(घ) और (ङ) बजट गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस समय बजट प्रस्तावों से संबंधित सूचना देना उचित नहीं होगा।

बोइंग 737 का धावन-पट्टी से बाहर निकल जाना

3104. श्री चन्देश पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की एक बोइंग 737, 2 दिसम्बर, 1995 का पालम हवाई अड्डे पर उतरते समय धावन पट्टी से बाहर निकल गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे और क्या इस घटना की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जान–माल की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है तथा सरकार और इंडियन एयरलाइंस द्वारा वहन की जाने वाली क्षति क्या है;

(ङ) क्या ऐसी दुर्घटनाएं 3 और 4 दिसम्बर, 1995 को लखनऊ तथा अन्य जगहों पर और 1 सितम्बर, 1995 तथा 1 दिसम्बर, 1995 के बीच देश के विभिन्न भागों में हुई;

(च) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक दुर्घटना और उससे हुई जान–माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(छ) प्रत्येक मामले में हताहत के परिवार के सदस्यों को दी गई मुआयजे का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। 2.12.1995 को बम्बई, औरंगाबाद, उदयपुर, जयपुर दिल्ली मार्ग पर प्रचालन कर रही इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आई सी 492 दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जमीन छूने के पश्चात् विमान धावनपथ के अंतिम सिरे से आगे निकल गया और कच्ची जमीन में आकर रूक गया। विमान को आंशिक क्षति

पहुंची। विमान में सवार सभी 102 यात्री कुशल बच गये।

(ग) वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अधीन नियुक्त जांच न्यायालय द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(घ) इस दुर्घटना में कोई जन हानि नहीं हुई। संपत्ति हानि के रूप में इंडियन एयरलाइंस को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि सभी विमानों का बीमा किया हुआ होता है और किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति बीमाकर्ता द्वारा की जाती है।

(ङ) जी नहीं। इस प्रकार की कोई दुर्घटना न तो लखनऊ पर 3 और 4 दिसम्बर, 1995 को हुई अथवा न ही 1 सितम्बर 1995 से 1 दिसम्बर, 1995 के बीच भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय सिविल पंजीकृत विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

(च) और (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ज) विमान सुरक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए निस्तर कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें विमान दुर्घटनाओं और घातक दुर्घटनाओं की जांच के बाद सिफारिशों पर कार्यान्वयन, सुरक्षा सूचना का प्रदर्शन, उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी, विमानक्षेत्रों की आवधिक निरीक्षण, प्रचालकों इत्यादि की सुरक्षा आडिट सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

कॉफी का निर्यात, उत्पादन तथा खपत

3105. श्री अन्ना जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी काफी का उत्पादन एवं निर्यात किया गया तथा कितनी काफी की खपत हुई;

(ख) एक वर्ष में काफी की देश में औसतन मांग कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा काफी की देश में आपूर्ति को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल उत्पादित निर्यात की गयी तथा उपयोग की गयी चाय की मात्रा के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मी. टनों में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	घरेलू उपभोग
1992-93	169395	113602	52535
1993-94	208000	136690	60000
1994-95	180100	137350	60000
अनुमानित			

(ख) औसत घरेलू उपभोग प्रति वर्ष लगभग 60000 टन होने का अनुमान है और यह काफी बोर्ड द्वारा घरेलू बाजार को रिलीज की गयी अधिकतक मात्रा पर आधारित है।

(ग) अगस्त, 94 से दिसम्बर, 1994 की अल्प अवधि के लिए सरकार ने काफी की कुछ किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अलावा काफी के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 31 दिसम्बर, 1994 को उठा लिया गया। घरेलू उपभोग के लिए अब पर्याप्त मात्रा में काफी उपलब्ध है। इसके अलावा काफी बोर्ड ने उचित कीमत पर घरेलू उपभोग के लिए काफी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है

(1) पूरे देश भर में काफी बोर्ड के सवंर्धनात्मक आउटलेटों के जरिये कॉफी बेचने के लिए 2500 मी टन काफी की मात्रा निर्धारित की गयी है; और

(2) काफी बोर्ड ने एक योजना बनाई है जिसमें बागान "ग" के लिए 125 रु. प्रति किग्रा. तथा वाणिज्यिक ब्लैंड के लिए 130 रु. प्रति किग्रा. के उचित मूल्य पर शुद्ध गुणवत्ता वाले कॉफी पाउडर को बेचने का प्रावधान है। 1.4.1995 से सरकार ने बाजार में कॉफी की कुल उपलब्धता पूरी करने के लिए ओ. जी. एम. के तहत बड़े पैकेटों में डिकफीनेटड रोस्टेड काफी के आयात की अनुमति भी दे दी है।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाईयों का बंद होना

3106. श्री एन. जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बंद कर दी गई अथवा बंद होने के कगार पर पहुंची औद्योगिक इकाईयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त इकाइयां कब से बंद पड़ी हैं, अथवा बंद होने के कगार पर हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) उपर्युक्त इकाईयों के बंद होने से कितने कर्मचारी तथा श्रमिक बेरोजगार हुए हैं; और

(ङ) इन इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अर्जित लाभ

3107. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कितनी राशि अर्जित की गई;

(ख) अर्जित लाभ में कमी के क्या कारण है; और

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एव भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान अर्जित निवल लाभ निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	1993-94	1994-95
भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	50.22	97.70
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	53.50	45.41
कुल :	103.72	132.11

(ख) और (ग) जबकि विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1993-94 की तुलना में, 1994-95 में कुल लाभ में तो वृद्धि हुई है परंतु राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निवल लाभ में गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से विभिन्न हवाई अड्डों पर विकास परियोजना पर किये गये भारी व्यय के कारण हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दोनों प्रभागों के राजस्व अर्जन और व्यय पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे बैंकों का बंद किया जाना

3108. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने हेतु कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी बैंक शाखाओं को बंद करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीयकृत बैंकों को हानि उठाने वाली शाखाओं को बंद करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई हैं। अलबत्ता, सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जारी किए जाने के संबंध में इन बैंकों ने कार्यनिष्पादन की बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इनमें से कुछ बैंकों ने अपनी हानि उठाने वाली शाखाओं का विलय करने/बंद करने की सहमति व्यक्त की हैं। बैंकों को अपनी अलाभकारी ग्रामीण शाखाओं को अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालयों में परिवर्तित करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। उन ग्रामीण केन्द्रों में, जहां दो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सेवा प्रदान कर रही है। किसी एक शाखा को बंद करने का निर्णय संबंधित बैंकों द्वारा आपस में परामर्श करके किया जा सकता है।

श्रमिकों का उत्प्रवास

3109. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में जाने वाले कुशल और कार्यकुशल श्रमिकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रत्येक वर्ष स्वदेश लौटने वाले इन श्रमिकों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई; और

(ङ) विदेशों में कम संख्या में भारतीयों के जाने की वजह से विदेशी मुद्रा का कितना नुकसान हुआ है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मकारों की निम्नलिखित और छह श्रेणियों को 4.10.91 से "उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं" (ई सी एन आर) के अंतर्गत लाकर उत्प्रवास नहीं" (ई सी एन आर) श्रेणी के अतर्गत लाकर उत्प्रवास प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है :

(i) पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय)

(ii) कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(iii) अर्द्ध कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(iv) हल्के /मध्यम/भारी वाहन चालक

(v) सभी श्रेणियों के लिपिकीय कर्मकार जिनमें आशुलिपिक, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, टंकक आदि भी शामिल हैं,

(vi) रसोइये जिनमें घरेलू रोजगार में लगे रसोइये शामिल नहीं हैं।

इसका आशय भारतीय कर्मकारों के विदेशी उत्प्रवास का बढ़ावा देना है।

(घ) इन उत्प्रवासियों से प्राप्त होने वाले धन से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पत्रकारों हेतु वेतन बोर्ड की रिपोर्ट

3110. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशों का क्या ब्यौरा है;

(ग) स्वीकृत तथा लागू की जा रही सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त बोर्ड द्वारा उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार को 2.9.1994 को गठित पत्रकार एवं गैर-पत्रकार समाचार एजेंसी कर्मचारियों संबंधी मनोसाना सिंह वेतन बोर्डो से मजदूरी की अंतरिम दरों के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वेतन बोर्डो ने पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए मूल मजदूरी में 15% की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है। सरकार ने मजदूरी की अंतरिम दर को मंजूरी प्रदान करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(घ) वेतन बोर्डो को गठित करते समय, सरकार ने वेतन बोर्डो की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है।

विजयवाड़ा विमानपत्तन का धावनपथ

3111. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा विमानपत्तन के धावनपथ को चौड़ा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लेने की संभावना है;

(ग) क्या विजयवाडा के गणवरम् विमानपत्तन को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किस स्थान का चयन किया गया है और इसे वहां कब तक स्थानान्तरित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विजयवाडा हवाई अड्डे पर धावनपथ को चौड़ा करने के लिए एक योजना तैयार की है। इसका अभी अनुमोदन किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पवनहंस के कार्यकरण की समीक्षा

3112. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी पवनहंस लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की कंपनियों को हेलीकाप्टर सेवा चलाने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पवन हंस लिमिटेड के कार्यचलन की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। पिछली समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें हैं :

(1) मौजूदा बेड़े का इष्टतम उपयोग;

(2) मार्केट भागीदारी बनाये रखने के लिए इसके बेड़े के विस्तार की आवश्यकता;

(3) पिछले पांच वर्षो का सुरक्षित उड़ान रिकार्ड;

(4) स्थिर लाभ अर्जन;

(ग) और (घ) भारत में आठ निजी प्रचालक पहले ही हेलीकाप्टर सेवाएं प्रचालित कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त छः प्रचालकों को हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया है।

[अनुवाद]

भारत व्यापार संवर्धन संगठन के संपर्क अधिकारी

3113. श्री पीयूष तीरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन में आज तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई संपर्क अधिकारी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन में कोई अनुसूचित जाति/अ.ज.जा कक्ष नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) इस कक्ष में कितने अधिकारी/कर्मचारी है;

(च) 1997 से कितने संपर्क अधि[illegible] कार्य कर रहे है, और

(छ) अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण नीति के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) आई.टी.पी.ओ.में कोई निश्चित अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ नहीं है। तथापि आई टी पी ओ में कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए महा प्रबंधक (प्रशा.) की अध्यक्षता में एक कर्मचारी शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इसमें संयुक्त प्रबंधक स्तर के दो अधिकारी और एक अन्य अधिकारी इसके सदस्य हैं। इस प्रकोष्ठ को अ.जा/अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाता है। इस प्रकोष्ठ का सदस्य सचिव इस समय आई टी पी ओ में एस सी/एस सी/ओ बी सी कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी का भी काम कर रहा है।

1977 से अब तक आई टी पी ओ में इन समुदायों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए तीन संपर्क आई टी पी ओ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होने वाले एस सी/एस टी के आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

विदेशी विमान कंपनियां

3114. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विमान कंपनियों को कलकत्ता से विमान सेवा आरंभ करने के लिए कहने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को जल्द से जल्द कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) नीतिगत मामले के रूप में, सरकार द्विपक्षीय करारों में उदार शर्तों पर विदेशी विमान कंपनियों के लिए एक अवतरण स्थल के रूप में कलकत्ता की पेशकश करती रही है। कलकत्ता से विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(1) प्रचालनों को किफायती बनाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज, बाल्कन बुल्गारियन एयरलाइंस, के एल एम लुफथांसा, मयानमार एयरवेज इंटरनेशनल तथा टरोम जैसी कुछ विदेशी विमान कंपनियां कलकत्ता के लिए अपनी उड़ानों को अन्य प्रमुख गेटवे स्थलों के साथ जोड़ने की सुविधा की अनुमति दी गई है।

(2) युगपत रूप से कलकत्ता के लिए प्रचालन करने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए कुछ विमान कंपनियों के बंबई और दिल्ली तक जाने की अनुमति दी गई है।

(3) कुछ मामलो में ऐसा भी प्रावधान है कि यदि विदेशी विमान कंपनी कलकत्ता को प्रचालन न करे तो उसकी क्षमता हकदारी कम कर दी जाये।

(4) कलकत्ता से प्रचालनों को प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता को/से उदार पंचम स्वतंत्रता अधिकार प्रदान किए गए हैं।

तथापि, विदेशी विमान कंपनियों के वास्तविक प्रचालन संबंधित विमान कंपनी के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करते हैं।

पवन हंस

3115. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेलीकाप्टरों के रख रखाव कलपुर्जों के प्रबंधन और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए एक संयुक्त उद्यम हेतु अमरीका आधारित बेल हेलीकाप्टर और सरकारी क्षेत्र के पवन हंस के बीच चल रही समझौते की बातचीत का क्या निष्कर्ष है;

(ख) यह समझौता पवन हंस को अपने संचालनात्मक कार्यों में सुधार लाने में कितनी सहायता करेगा; और

(ग) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अमरीका आधारित बेल हेलीकाप्टरों और पवन हंस लिमिटेड के मध्य संयुक्त उद्यम का कोई प्रस्ताव नहीं है

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन करना

3116. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर भीड़भाड कम करने के लिए विदेशी विमान कंपनियों की वहां से शुरू होने वाली उड़ानों की कलकत्ता से शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता से अन्य देशों को एयर इंडिया की और अधिक उड़ानें शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भौगोलिक स्थिति और अन्य पहलुओं के कारण कलकत्ता को दिल्ली/बम्बई के वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तथापि नीति विषयक मामले की दृष्टि से सरकार विदेशी वाहकों के लिए कलकत्ता को अवतरण के रूप में बढावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों को प्रस्ताव दे रही है। विमान कंपनियों के वाणिज्यिक निर्णय पर वास्तविक प्रचालन निर्भर करता है। इस समय नौ विदेशी वाहक कलकत्ता से/को प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) एयर इंडिया कलकत्ता से/की सप्ताह में 4 उड़ानों

का प्रचालन करते हुए एयर इंडिया नेटवर्क में विभिन्न देशों को बम्बई से होकर विमान मार्ग से जोडने का सुविधाजनक संपर्क प्रदान करता है। इंडियन एयरलाइंस ने हाल में कलकत्ता–यगन–कलकत्ता सेक्टर पर सप्ताह में एक बार नई अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय वाहकों द्वारा और अधिक उड़ानों का प्रचालन यातायात मांग और विमानों की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास हेतु वित्तीय सहायता

3117. श्री राजनारायण : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1995-96 के दौरान अब तक पर्यटन के विकास के लिए प्रत्येक राज्य से निजी क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को कोई सुझाव दिया है अथवा दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों तथा संघ अनुशासित प्रदेशों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है। 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को स्वीकृत तथा अवमुक्त की गई राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ) निजी क्षेत्र द्वारा पर्यटन में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार टी. एफ. सी. आई., आई. एफ. सी. आई. तथा एस. एफ. ए. सी. आई. द्वारा प्रदत्त ऋण पर एक, दो व तीन सितारा होटलों तथा हेरिटेज होटलों (4 महानगरों से बाहर स्थित) को 3% से 5% की दर पर ब्याज इमदाद जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट भी प्रदान करती है।

विवरण

वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत तथा अवमुक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(रु. लाखों में)

		1993-94		1994-95	
	राज्य	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	114.28	48.15	171.99	73.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	45.40	23.50	—	—
3.	असम	78.11	28.63	52.99	27.00
4.	बिहार	9.75	4.95	0.10	24.00
5.	गोआ	78.82	37.83	76.14	32.65
6.	गुजरात	65.76	35.48	14.50	7.50
7.	हरियाणा	226.76	44.70	173.98	45.00
8.	हिमाचल प्रदेश	369.25	125.92	297.90	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	236.19	88.38	143.47	61.25
10.	कर्नाटक	177.44	58.53	229.96	104.50
11.	केरल	97.40	26.50	237.05	113.75
12.	मध्य प्रदेश	30.42	[illegible]	—	—
13.	महाराष्ट्र	309.11	86.57	207.39	52.19

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	45.50	23.35	—	—
15.	मेघालय	1.85	1.85	—	—
16.	मिजोरम	88.18	12.50	56.49	28.50
17.	नागालैंड	16.66	8.00	23.08	11.00
18.	उड़ीसा	191.52	61.79	164.60	30.00
19.	पंजाब	111.21	49.86	113.93	45.50
20.	राजस्थान	285.70	136.44	94.86	38.30
21.	सिक्किम	130.89	86.39	—	—
22.	तमिलनाडु	402.45	196.89	132.45	46.50
23.	त्रिपुरा	9.31	4.69	46.61	11.72
24.	उत्तर प्रदेश	166.04	66.65	149.62	107.75
25.	पश्चिम बंगाल	158.38	67.00	164.87	42.00
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार	53.47	26.00	—	—
2.	चंडीगढ़	18.66	8.64	21.38	8.11
3.	दादर और नगर हवेली	—	—	23.62	4.00
4.	दमन और द्वीव	12.03	7.50	44.29	11.45
5.	दिल्ली	133.71	76.48	37.41	19.00
6.	लक्षद्वीप	—	—	19.95	10.00
7.	पांडिचेरी	29.75	15.00	—	—
	जोड़ :	3604.00	1465.37	2842.29	1054.67

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण

3118. श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से आगरा में निजी क्षेत्र के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थान के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खेरिया विमानपत्तन का विकास

3119. श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगरा के खेरिया विमानपत्तन के नागर विमानन क्षेत्र के नवीकरण तथा विकास का विचार है;

(ख) इस परियोजना की लागत क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) परियोजना को शुरू किए जाने तथा पूरा करने की प्रस्तावित समय सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् आगरा से कुछ नई उड़ानें शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) आगरा हवाई अड्डे पर सिविल एन्कलेव का मई, 1995 में आरंभ किया गया मरम्मत और विकास कार्य नवम्बर, 1997 तक पूरा होने की संभावना है। अनुमानित लागत 10.34 करोड़।

(घ) और (ङ) आगरा विमान सेवा से सभी प्रकार से जुड़ा हुआ है। सभी उड़ानों का प्रचालन यातायात संवृद्धि और प्रचालन एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

भारत व्यापार संवर्धन संगठन में रोस्टर प्रणाली

3120. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा 40/100 पाइंट रोस्टर तैयार किया जा रहा है अथवा अपनाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत व्यापार संवर्धन संगठन में विभिन्न संवर्गों और विशिष्ट संवर्ग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अपनी स्थापना से अब तक तैयार किये गये रोस्टरों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के 6 संवर्ग हैं जो नीचे दिए गए हैं :

(1) सामान्य संवर्ग

(2) वित्त संवर्ग

(3) वर्क्स संवर्ग

(4) डिजाइन संवर्ग

(5) सुरक्षा संवर्ग

(6) व्यापार विकास संवर्ग

सामान्य संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषीकृत संवर्ग हैं।

(घ) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (भूतपूर्व भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण) में भूतपूर्व भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की शुरूआत अर्थात् 1977 से अब तक जहां आरक्षण लागू होता है, वहां पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टर बनाए गए हैं।

मुक्त आकाश संबंधी मार्ग निर्देशन

3121. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री मोहन रावले :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ निजी विमान कंपनियों द्वारा मुक्त आकाश संबंधी मार्ग निर्देशों का उल्लघंन करने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) निर्धारित प्रक्रिया/मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लघंन करने वाली किसी भी विमान कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। नागर विमानन महानिदेशालय आवधिक सुरक्षा जांच और कार्य क्षमता तथा विभिन्न प्रचालकों के विमानचालकों की मानकीकरण जांचों को पूरा करके उचित सतर्कता रखती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विमान पत्तनों का आधुनिकीकरण

3122. **डा. मुमताज अंसारी :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण और नागर विमानन सुविधाओं के लिये आरंभ की गई परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में विमान क्षेत्रों के आधुनिकीकरण हेतु परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गय है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	हवाई अड्डों और परियोजना के ब्यौरे	टिप्पणी
	उत्तर प्रदेश	
1.	**आगरा**	
	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्द्धन	पूरा होने की संभावित तिथि मई, 1997
	एप्रन का विस्तार और संवर्धन तथा नये टैक्सी पथ का निर्माण	अगस्त, 1996
	डाप्लर अतिउच्च आवृत्ति सर्वपरास का संस्थापन	अप्रैल, 1996
	दूरी मापक उपकरण (उच्च शक्ति) का संस्थापन	अप्रैल, 1996
2.	**लखनऊ**	
	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	पूरा हो गया
	धावन पथ और एसोसिएटेड पेवमेंटों का पुनः सतहलेपन	पूरा हो गया
	टर्निंग पेडों का निर्माण	दिसम्बर, 1995
	स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली का संस्थापन	संस्थापन हो गया
	डिजिटल एयरपोर्ट टर्मिनल इंफोर्मेशन सिस्टम का संस्थापन	संस्थापित हो गया
3.	**वाराणसी**	
	टर्मिनल भवन का संवर्धन	योजनाचरण में
	डाप्पलर अतिउच्च आवृत्ति सर्वप्रास का प्रतिस्थापन	संस्थापन हो गया
	स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली का संस्थापन	संस्थापन हो गया
	बिहार	
1.	**पटना**	
	टर्मिनल भवन का विस्तार और संवर्धन	मार्च, 1996
	धावनपथ का पुनः सतहलेपन	पूरा हो गया
	डी वी ओ आर का संस्थापन	संस्थापन हो गया
	ए एम एस एस का संस्थापन	संस्थापन हो गया
2.	**रांची**	
	धावनपथ का पुनः सतहलेपन	पूरा हो गया
	उपस्कर अवतरण प्रणाली का संस्थापन	पूरा हो गया
	दूरी मापक उपकरण (कम शक्ति) का संस्थापन	संस्थापन हो गया
3.	**गया**	
	50 सीट वाले विमान के प्रचालन के लिए	पूरा हो गया
	विमानपत्तन का प्रेरणा डी वी ओ आर का संस्थापन	संस्थापन हो गया
	दूरी मापक उपकरण (उच्च शक्ति) का संस्थापन	दिसम्बर 1995

[अनुवाद]

विमानपत्तन सुविधाओं का आधुनिकीकरण

3123. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा स्थित विमानपत्तन की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और इसका दर्जा बढ़ाने के लिए कोई विस्तृत और समेकित योजना बनाई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा स्थित विमानपत्तन की सुविधाओं के आधुनिकीकरण/दर्जा बढ़ाने हेतु मंजूर की गई परियोजनाओं और मंजूर की गई धनराशि में से वास्तविक रूप से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा में हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए अनुमोदित परियोजना स्वीकृत राशि और वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

परियोजना का ब्यौरा	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
		(लाख रुपयों में)
1. धावनपथ प्रकाश का उन्नयन	81.00	81.00
2. टर्मिनल भवन का विस्तार	922.00	417.00
3. एप्रन का विस्तार, नए टैक्सीपथ का निर्माण	856.00	प्रारंभिक स्थिति में है।
4. दूरी मापक उपकरण का संस्थापन (डीएमई)	80.00	80.00
5. स्वचालित संदेश स्वीचिंग प्रणाली का संस्थापन (एएमएसएस)	25.00	25.00

गुजरात में नागर विमानन सुविधायें

3124. श्री रतिलाल वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन सुविधाओं के विकास के लिये आरंभ किये जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है;

(ग) क्या परियोजना पर किये जाने वाला कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं तो इन सभी परियोजनाओं का निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन के विकास के लिये अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि सुविधाओं को जुटाने, उपस्करों के संस्थापन और चालू करने में कई एजेंसियां अंतर्ग्रस्त होती हैं, परियोजना अनुसूची का अनुरक्षण दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा सकता। तथापि, न्यूनतम समय व लागत सहित यथासंभव पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परियोजना की सूक्ष्म जांच की जा रही है।

विवरण

हवाई अड्डे का नाम	परियोजना/सुविधाएं	परियोजना को पूरा करने की संभावित तिथि
1	2	3
1. अहमदाबाद	डी एम ई (एल पी)	स्थापित
	ए एस आर/एम एस एस आर	मार्च, 1996
2. भुज (सिविल एनक्लेव)	टर्मिनल भवन का निर्माण	*भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया।
	डी वी ओ आर	जून, 1996
	डी एम ई (एच पी)	जून, 1996
3. भावनगर	रनवे का 7500 फीट तक विस्तार	आयोजना का स्थिति
	डी वी ओ आर	दिसम्बर, 1995

1	2	3
4. जामनगर (सिवल एनक्लेव)	डी वी ओ आर	जून, 1996
	डी एम ई (एच पी)	जून, 1996
5. पोरबंदर	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं। काम सौंपने के पश्चात् इसको पूरा होने में 24 महीने लगेगें।
6. राजकोट	रनवे की सतह को पुनः पक्का करना	प्राक्कलन तैयार है। कार्य सौंपने के पश्चात् इसको पूरा होने में एक वर्ष लगेगा।
	आई एल एस डी एम ई (एल पी)	स्थापित
	डी वी ओ आर तथा डी एम ई (एचपी)	स्थापित
7. बडोदरा	रनवे की सतह को पुनः पक्का	निर्माण का कार्य पूरा हो गया।
	करना। नये टर्मिनल भवन	निर्माण का कार्य पूरा हो गया।
	का निर्माण तकनीकी ब्लाक	प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं।
	एवं कंट्रोल टावर का निर्माण	कार्य सौंपने के पश्चात् इसको पूरा होने में 18 महीने लगेंगे।
	एपरान का विस्तार तथा अतिरिक्त टैक्सी–वे का निर्माण	प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं। काम सौंपने के पश्चात् इसको पूरी होने में 12 महीनें लगेंगे।
	आई एल एस, डी एम ई	स्थापित
	(एल पी) एवं डी एम ई	
	(एच पी)	

* चूंकि भूमि भारतीय विमान पत्तने प्राधिकरण को नहीं सौंपी गई है, इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई।

संक्षिप्त नाम

1.	डी एम ई (एच पी)	डिसटेंस मेजरिंग एक्विपमेंट (हाई पावर)
2.	डी एम ई (एल पी)	डिस्टेंस मेजरिंग एक्विपमेंट (लो पावर)
3.	ए एस आर	एयरपोर्ट सर्वेयलेंस राडार
4.	एम एस एस आर	मोनोपल्स सेकडी सर्वेयलेंस राडार
5.	आई एल एस	इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम
6.	डी वी ओ आर	डापलर वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी ओमनी रेंज

[हिन्दी]

धीरे काम करने की नीति

3125. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के अभियंताओं ने वेतन में वृद्धि संबंधी अपनी मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से धीरे काम करो की नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने हेतु किसी समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अखिल भारतीय विमान इंजीनियर्स एसोसियेशन ने 10.11.1995 को अपने सदस्यों को सुरक्षा से संबंधित कुछ निवेश जारी किए जिनका

प्रभाव "धीरे काम करो" की तरह का रहा है। अब उनकी मुख्य मांग यह है कि उनका भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों की उत्पादकता के साथ न जोड़ा जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"ब्लू चिप" कंपनियों का प्रबंधन

3126. श्री प्रकाश बी. पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त ब्लू चिप कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के चयन में कोई भूमिका है;

(ख) क्या वित्तीय संस्थाओं को इस संबंध में कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

होटलों में कमरों की उपलब्धता

3127. श्री केशरी लाल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय निजी एवं सरकारी होटलों में कमरों की उपलब्धता एवं आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगामी कई महीनों तक दिल्ली के किसी भी होटल में कमरे उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति का पूर्वानुमान लगा लिया था;

(ङ) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली में सार्वजनिक तथा निजी, दोनों प्रकार के अनुमोदित क्षेत्रों में इस समय 7502 कमरे हैं। गैर अनुमोदित क्षेत्र के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान है कि दिल्ली के अनुमोदित क्षेत्र में इस सदी के अंत तक आवास की आवश्यकता लगभग 16000 कमरे हो जाएगी।

(ख) भारत सरकार को मालूम है कि दिल्ली में, विशेष रूप से अक्तूबर से मार्च तक आवास की कमी रहती है।

(ग) से (घ) आवास की अनुपलब्धता से देश में विदेशी पर्यटक आवागमन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार ने इस संबंध में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध तथा इस्तेमाल न किए गए आवासों को इस्तेमाल करने के लिए कदम उठाए हैं। पर्यटन विभाग के विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों से, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे आवासों की उपलब्धता के बारे में संभावित पर्यटकों को सूचित करने को कहा गया है।

जमाकर्त्ताओं को देय ब्याज

3128. श्री राम नाईक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की गई है कि केन्द्रीय विद्युत अधिनियम में समुचित संशोधन करके स्थाई जमाकर्त्ताओं को रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर जो विद्युत उपभोक्ताओं की जमाराशियों पर दी जा रही है, बढ़ा दी जाये;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा जमाकर्त्ताओं को देय वर्तमान दर क्या है; और

(ग) स्थाई जमाकर्ताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान दर क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) कुछ राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) द्वारा उनके पास उपभोक्ताओं की जमा राशियों के लिए दी जाने वाली ब्याज निम्नलिखित है :

आंध्र प्रदेश	6%
महाराष्ट्र	12.5% से 14%
उत्तर प्रदेश	3%
हरियाणा	10%

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 46 दिनों और दो वर्षों तक की अवधि के लिए सावधि जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज की अधिकतम दर 12% प्रति वर्ष है। दो वर्षों से अधिक की परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियों के लिए बैंक ब्याज की दर को स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

महाराष्ट्र में लघु परियोजना

3129. श्री अन्ना जोशी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित लघु विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु कोई सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि

स्वीकृत तथा जारी की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र राज्य से चलकेबाडी स्थित 2.5 मेगावाट क्षमता की पवन चालित विद्युत परियोजना और अन्य स्थलों पर 3 लघु बायोमास गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठापन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

पवन चालित विद्युत परियोजना के लिए 3.84 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है और अब तक 38.4 लाख रुपए जारी किए गए हैं। 3 लघु बायोमास गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 14.40 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

अन्नानास प्रसंस्करण कारखाने की स्थापना

3130. श्री पी. सी. थामस : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अन्नानास के प्रसंस्करण हेतु किसी कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखानें के स्थान, लागत तथा इसके चालू होने के संभावित समय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा समर्थित केरल बागवानी विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में मुवातुपूजहा, ताल्लुक, अवोली पंचायत, इरनाकुलम जिले में 18.5 करोड़ रुपये मूल्य के एक फल प्रसंस्करण प्लांट की योजना बनाई गई है। निर्माण शुरू होने के दो वर्ष बाद इसके चालू होने की आशा है। यह निविदा मूल्यांकन के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसके शुरू होने की संभावित तारीख मार्च 1988 है।

भद्रावती विद्युत परियोजना

3131. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार मै. निप्पोन डेनरी इस्पात लिमिटेड को सौंपी गई भद्रावती विद्युत परियोजना, को वापस लेने की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस सरकार द्वारा कौन से मुख्य विवादास्पद मुद्दे उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि भद्रावती स्थित कोयला आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना करने हेतु मै. निप्पोन डैनरी इस्पात का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भंडारण सुविधाएं

3132. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू, अंगूर व प्याज आदि जैसे नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधा की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ) फल एवं सब्जियों के भरपूर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए फल व सब्जी उत्पादों के लिए उपलब्ध शीत भंडारण पर्याप्त नहीं है। आठवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्रसंस्कृत खाद्य मदों और बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने के लिए स्कीमें चला रहे हैं। इन स्कीमों के तहत जल्दी सड़ जाने वाले बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना हेतु इच्छुक निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भी सहायता उपलब्ध है।

जम्मू और कश्मीर में चुनाव को रोकने की पाकिस्तान की साजिश

3133. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1995 के "ट्रिब्यून" में पाक्स प्लान टू टोरपीड जे.के. पोल्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार को पाकिस्तान द्वारा विभिन्न तरीकों से जम्मू एवं कश्मीर में तोड-फोड़ की गतिविधियां उकसाने की रणनीति की जानकारी है ताकि आतंकवाद का वातावरण पैदा करके जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव करवाने सहित राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा डाली जा सके। सरकार आतंकवादियों और उनको शिक्षा देने को के इरादों को असफल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति कृत संकल्प है। सरकार जम्मू एवं कश्मीर में स्वतंत्र एवं न्यायोचित चुनाव कराने के प्रति वचनबद्ध है।

विदेशों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते

3134. श्री धर्मभिक्षम : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत छः महीनों के दौरान विभिन्न देशों के साथ किए गए प्रत्येक समझौतों/समझौता ज्ञापनों की देश–वार मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : पिछले छह महीनों के दौरान विभिन्न देशों के साथ संपन्न किए गए करारों/समझौता ज्ञापनों की देशवार मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

समझौता ज्ञापनों की मुख्य विशेषताएं

मलेशिया

अगस्त, 1995 में प्रधान मंत्री की मलेशिया की यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापन संपन्न किए गए :

(i) भारत में सुपर नेशनल हाईवे परियोजना की योजना तैयार करने, उसके विकास एवं कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए राजमार्ग विकास में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन।

(ii) एक–दूसरे के देश में निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियों तैयार करने तथा निवेश संरक्षण के लिए निवेश संवर्धन एवं संरक्षण संबंधी करार।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, विशेषकर उपग्रह कार्यक्रमों, के क्षेत्र में मलेशिया को तकनीकी प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्शी सेवा प्रदान करने और इसके साथ–साथ मलेशिया के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के समग्र विकास में मदद करने के लिए मलेशियाई अंतरिक्ष एवं टेलिकाम अनुसंधान संगठन (मैक्सस्टार) तथा अंतरिक्ष निगम लि. के बीच तकनीकी प्रशिक्षण एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करने संबंधी करार।

(iv) उच्च कोटि के नए कार्यक्रम संयुक्त रूप से तैयार करने, भारतीय कार्यक्रमों का एक प्रमुख चैनल शुरू करने में सहयोग करने तथा एक एन्क्रिप्टिड डाइटेक्ट टू यूजर्स (डी टी यू) उपग्रह प्रसारण सेवा भारत में शुरू करने के लिए दूरदर्शन तथा "मीसैट" प्रसारण नेटवर्क प्रणाली के बीच समझौता ज्ञापन।

(v) भारत और मलेशिया के बीच औद्योगिक सहयोग एवं विदेशी निवेश संबंधित एवं विकसित करने मे सहयोग के लिए भारतीय औद्योगिक संघ (सी आई आई) तथा मलेशियाई औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मीडा) के बीच समझौता ज्ञापन।

ब्रुनी दारूस्लाम

ब्रुनी दारू स्सलाम के साथ नवम्बर, 1995 में विमान सेवा संबंधी एक करार संपन्न किया गया।

रूस

(i) कोयला खनन एवं विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 25.7.95 को रूस के साथ कोयला संबंधी समझौता ज्ञापन।

(ii) इस्पात उद्योग में भारत और रूस के बीच सहयोग की रूप रेखा तैयार करने के लिए 27.7.95 के रूस के साथ लौह एवं अलौह धातु संबंधी समझौता ज्ञापन।

(iii) परिवहन संबंधी उपदल के अंतर्गत रूस के साथ 25.8.95 को संयुक्त लाइनर सेवा संबंधी समझौता ज्ञापन– इसमें संयुक्त नौवहन सेवा की शुरूआत संबंधी करार तथा एक दूसरे देश के जहाजों द्वारा नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने के लिए दोनों देशों में बंदरगाहों का निर्धारण करने में संबंधित करार शामिल हैं।

(iv) रूस से साथ 27.9.95 को तेल उद्योग में सहयोग संबंधी करार– इसके अंतर्गत पेट्रोलियम के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं के लिए भारत रूस और तीसरे देशों के बीच संयुक्त उद्यम का तथा तेल क्षेत्रों के विकास एवं तेल शोधक कारखानों को उन्नत बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का प्रस्ताव है।

(v) 19.10.95 को रूस के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता ज्ञापन– इसमें भारत और रूस के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग में प्रगति की समीक्षा तथा भावी सहयोग के लिए कुछ नई परियोजनाओं का पता लगाने की व्यवस्था है।

(vi) रूस के साथ 29.9.95 को पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन– इसमें पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने की व्यवस्था है।

(vii) 12.10.95 को दूसरा भारत–रूसी संयुक्त आयोग प्रोतोकोल इसके अंतर्गत भारत–रूसी–द्विपक्षीय व्यापार–एवं आर्थिक सहयोग के विकास तथा इसके विभिन्न कार्यदलों के कार्य की समीक्षा की व्यवस्था है। फार्मास्यूटिकल से संबंधित एक नया कार्य दल स्थापित किया गया।

जार्जिया

भारत गणराज्य की सरकार तथा जार्जिया गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी करार 15.8.95 को संपन्न किया गया इसमें व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के लिए भारत और जार्जिया के बीच समान हितों का निर्धारण किया गया है तथा इस प्रकार के सहयोग के लिए कार्य प्रणाली निर्धारित की गई है।

एस्तोनिया

भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा एस्तोनिया गणराज्य के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी प्रोतोकोल 28.8.95 को संपन्न किया गया – इसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय तथा एस्तोनिया के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परस्पर हित के मसलों पर विचारों के नियमित आदान–प्रदान की कार्य प्रणाली की स्थापना की गई है।

लिथुआनिया

31.8.95 को भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा लिथुआनिया गणराज्य के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी प्रोतोकोल संपन्न किया गया–इसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय तथा लिथुआनिया के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परस्पर हित के मसलों पर विचारो के नियमित आदान–प्रदान की कार्य प्रणाली की स्थापना की गई है।

लात्विया

(i) भारत गणराज्य की सरकार तथा लात्विया गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी करार 1.9.95 को संपन्न किया गया – इसके अंतर्गत भारत और लात्विया के बीच आर्थिक सहयोग के लिए समान हितों का पता लगाया गया है तथा भारत में तकनीकी प्रशिक्षण में उपयुक्त सहायता करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है।

(ii) भारत गणराज्य और लात्विया गणराज्य के बीच सहयोग के सिद्धांतों एवं निर्देशों की घोषणा 1.9.95 को पारित – भारत और लात्विया के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग की रूपरेखा संबंधी सामान्य करार।

(iii) भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और लात्विया गणराज्य के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी प्रोतोकोल 1.9.95 को संपन्न किया गया – इसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय तथा लात्विया के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परस्पर हित के मसलों पर विचारों के नियमित आदान प्रदान की कार्य प्रणाली की स्थापना की गई है।

(iv) भारत गणराज्य की सरकार तथा लात्विया गणराज्य की सरकार के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जनप्रचार और खेलकूद में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन 1.9.95 को संपन्न– इसके अंतर्गत समझौता ज्ञापन के शीर्षक में उल्लिखित क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

रोमानिया

भारत की सरकार और रोमानिया की सरकार के बीच अवैध स्थिति वाले व्यक्तियों के पुनः प्रवेश से संबंधित करार 2.11.95 को संपन्न– यह अवैध उत्प्रवासन को रोकने और अवैध उत्प्रवासन की समस्या का समाधान करने के लिए कार्य प्रणाली तैयार करने से संबंधित है।

स्लोवाक गणराज्य

भारत गणराज्य की सरकार और स्लोवाक गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन 13.11.95 संपन्न किया गया – इसमें रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समान हितों के क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

मालदीव

मालदीव के मानव संसाधन विकास के लिए मालदीव गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार तथा मैसर्स एजुकेशनल कन्सलटेंटस इंडिया लिमिटेड (एडसिल) के बीच एक त्रिपक्षीय करार 20.9.95 को संपन्न किया गया। इस करार के अंतर्गत मालदीव की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में औपचारिक प्रशिक्षण के लिए एडमिरल मालदीवियाई अभ्यार्थियों को भारतीय संस्थानों में प्रवेश दिलाने का काम करेंगा जिसके लिए भारत की सरकार आईटेक के अंतर्गत छात्रवृत्तियों प्रदान करेगी। मालदीव की सरकार भारत की सरकार/एडसिल को प्रशिक्षण आवश्यकताओं के स्तर के बारे में जानकारी देगी और 15% की दर से संस्थागत प्रभार तथा छात्र व्यय तथा इसके साथ 35 अमरीकी डालर प्रति छात्र के रूप में निर्धारित लागत का भुगतान एडसिल को करेगी।

यमन

भारत और यमन गणराज्य के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से संबंधित एक करार 11 जुलाई, 1995 को संपन्न किया गया। इस करार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है : (क) औद्योगिक, वाणिज्यिक उद्यमों, संयुक्त उद्यमों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं की स्थापना तथा उनका संवर्द्धन विशेषकर खनन एवं धातुकर्मी, पेट्रोलियम एवं गैस, नागर विमानन तथा पत्तन सहित परिवहन प्रणाली, दूरसंचार, यात्रा एवं पर्यटन, जल एवं विद्युत आवास एवं निर्माण के क्षेत्रों में।

(ख) प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण जिसमें वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों, तकनीकी प्रलेखों, तकनीकी सहायता एवं विशेषता का आदान प्रदान, और आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों एवं अन्य अधिकारियों तथा अन्य प्रकार की जनशक्ति जैसे कि कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल व्यक्तियों का आदान प्रदान शामिल है।

(ग) कृषि, मत्स्य पालन दवाईयों तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों को विकसित करने के लिए और इन क्षेत्रों में यमन के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय विशेषज्ञता तथा सेवाएं प्रदान करना।

ईराक

20 जुलाई, 1995 को भारतीय रेलवे और ईराकी रेलवे के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इसमें ईराकी रेलवे व्यवस्था विभिन्न पहलुओं का गहराई से पुनरीक्षण करने और ईराकी रेलवे की भविष्य की गतिविधियों में इरकार और दाइट्स जैसे भारतीय रेलवे संगठनों की भागीदारी के लिए विशेषज्ञों का एक दल ईराक भेजने की व्यवस्था है।

कुवैत

(i) 16 सितम्बर, 1995 को भारतीय तेल निगम और कुवैती पेट्रोलियम कारपोरेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इसमें उडीसा में एक संयुक्त उद्यम तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की व्यवस्था है। इक्विटी पूंजी में भारतीय तेल निगम और कुवैती पेट्रोलियम कारपोरेशन का प्रत्येक का 26% हिस्सा होगा और शेष 48% जन अंशदान से दिया जायेगा। तेल शोधक कारखाने की क्षमता कुवैती कच्चे तेल का कम से कम 50% तेल शोधन करने की होगी।

(ii) 6 जुलाई 1995 को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और कुवैती डायरेक्टर आफ एयर ट्रांसपोर्ट के बीच एक

समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच वायु परिवहन में अतिरिक्त सीटों की क्षमता के लिए व्यवस्था की गई है।

(iii) "फेस" और कुवैती चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री के बीच सहयोग से संबंध एक प्रोतोकोल कुवैत में संपन्न किया गया, जिसमें व्यापार सूचना और व्यापार शिष्टमंडलों के आदान–प्रदान और व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए व्यवस्था है।

फिनलैंड

हमारे अपने–अपने क्षेत्रों में नियमित वायु सेवाएं स्थापित करने के उद्देश्य से 18 जुलाई, 1995 को नई दिल्ली में भारत और फिनलैंड के बीच एक वायु सेवा करार संपन्न हुआ।

डेनमार्क नार्वे और स्वीडन

(i) एक औपाचारिक वायु सेवा करार करने तक, 27 जुलाई, 1995 को नई दिल्ली में भारत सरकार और डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के बीच नियमित वायु सेवाएं स्थापित करना था।

(ii) एक–दूसरे के निवेशों के आपसी संरक्षण और संवर्द्धन के उद्देश्य से भारत और डेनमार्क के बीच 6 सितम्बर, 1995 को नई दिल्ली मे एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार संपन्न किया गया।

(iii) भारत और डेनमार्क के बीच 6 सितम्बर, 1995 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय प्रोतोकोल संपन्न किया गया जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नियमित विदेश कार्यालयी द्विपक्षीय विचार–विमर्श कायम करना था।

पुर्तगाल

विदेश मंत्री की 13-15 जुलाई, 1995 को पुर्तगाल की यात्रा के दौरान विदेश कार्यालय परामर्शों से सम्बद्ध एक विज्ञप्ति संपन्न की गई। विज्ञप्ति का उद्देश्य नियमित राजनीतिक बातचीत के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना है।

इटली

नवम्बर, 1995 में विदेश मत्री की इटली की यात्रा के दौरान 24 नवम्बर, 1995 को इटली के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री ने इटली के साथ एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार संपन्न किया।

बुर्किना फासो

(i) आयात निर्यात लाइसेंस, सीमा शुल्क, और आयात निर्यात तथा पारगमन के माल पर लागू अन्य सभी शुल्कों तथा करों से सम्बद्ध सभी मामलों में एक–दूसरे को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र मानने के लिए भारत सरकार और बुर्किना फासो की सरकार के बीच व्यापार करार।

(ii) कच्चे खनिज माल को ढोने के उद्देश्य से बुर्किना फासो में काया और ताम्बाओं के बीच एक मीटर गेज रेलवे पटरी के निर्माण में भारतीय भागीदारी पर विचार के लिए बुर्किना फासो में साहेल रेलवे के क्रियान्वयन के संबंध में भारत की सरकार और बुर्किना फासो की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।

घाना

राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक भारत घाना संयुक्त आयोग की स्थापना के संबंध में करार – यह एक सामान्य रूप रेखा करार है जहां द्विपक्षीय सहयोग के विशिष्ट मामलों के संबंध में कार्रवाई की जाती है, यदि आवश्यक हो तो आपसी करारों के माध्यम से कार्यकारी दलों की स्थापना करें।

नामीबिया

(i) सीमा शुल्कों और किसी भी प्रकार के प्रभारों जिनमें ऐसे शुल्कों और प्रभारों के लगाने का तरीका, आयात एवं निर्यात पर या उससे संबंध आयात अथवा निर्यात के लिए भुगतान के हस्तांतरण से सम्बद्ध सभी मामलों में एक दूसरे को अनुकूल देश मानने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और नामीबिया गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार करार संपन्न किया गया। दोनों देश अपने क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए भी सहमत हुए।

(ii) भारत की सरकार और नामीबिया की सरकार के बीच नामीबिया में भूगत पेय जल संसाधनों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन– यह नामीबिया के पूर्वी कापरीवी क्षेत्र में भूगत पेय जल संसाधनों की संभावनाओं और उनको खोजने के लिए अफ्रीका कोष के तहत प्रारंभ में आंरभ की गई परियोजना का विस्तार है। विस्तार परियोजना में स्थापना खुदाई और भारत के चापकोस द्वारा भारतीय मार्क-III के 70 बोरडोल्स के उपस्कर देना शामिल हैं।

मिस्र

(i) भारत गणराज्य और मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के बीच 16.10.95 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग से सम्बद्ध करार संपन्न किया गया जिसमें संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन, वैज्ञानिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों का आयोजन और उसमें भागीदारी अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और वैज्ञानिक उपस्करों का आपस में प्रयोग और संयुक्त वैज्ञानिक बैठकों का आयोजन शामिल हैं।

(ii) भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के बीच 16.10.95 को सूचना के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार संपन्न किया गया – जिसका उद्देश्य एक दूसरे के देश में नागरिकों के बीच प्रैस, समाचार एजेन्सियों और अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा सूचनाओं और जानकारियों के प्रसारण को प्रोत्साहित करना है। इस करार के क्रियान्वयन कई तरीकों से किए जाने की उम्मीद है। जिसमें सूचनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान पुस्तकों का आदान प्रदान, प्रैस रिर्पोटरों और छायाकारों, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षकों तथा प्रचार सामग्री का आदान प्रदान शामिल है।

(iii) भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र अरब गणराज्य की

सरकार के बीच सभी प्रकार की आपराधिक कार्रवाईयों, विशेषकर आतंकवाद, राष्ट्रों के बीच एवं संगठित अपराधों के संबंध में 16.10.95 को एक सहयोग से संबंध करार – जो इन अपराधों को रोकने के लिए दोनों देशों को सूचनाओं अनुभव और प्रणाली के आदान–प्रदान में योगदान देगा।

टयूनिशिया

(i) भारत गणराज्य की सरकार और टयूनिशिया गणराज्य की सरकार के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग संबंधी करार 17.10.95 को संपन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिसमें संयुक्त परियोजनाओं और शोध कार्य का आयोजन और वैज्ञानिकों के आदान प्रदान भी शामिल हैं, सहयोग संवर्द्धन के लिए।

(ii) भारत गणराज्य की सरकार और टयूनिशिया गणराज्य की सरकार के बीच आतंकवाद, दवाईयों के अवैध व्यापार और संगठित अपराध का सामना करने के लिए सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा 17.10.95 को संपन्न– यह घोषणा आतंकवाद और संगठित अपराध की समस्याओं का सामना करने के लिए दोनों देशों के राजनीतिक निर्धारण दर्शाती है।

किर्गीजस्तान

(i) पर्यटन के क्षेत्र में 22.9.95 को संपन्न करार – पर्यटन में, जिसमें दोनों देशों की पर्यटक कंपनियों के बीच सहयोग भी शामिल हैं, एक दूसरे के बारे में सूचना प्रसार के लिए सहयोग सवंर्द्धन, होटल, रेस्टोरेंट जैसी भवन पर्यटक स्थापनाओं में सहयोग के लिए और संयुक्त निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार 22.9.95 को संपन्न– वैज्ञानिकी, वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों के आयोजन और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम का आयोजन करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संवर्द्धन के लिए।

(iii) 5 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण देने से संबद्ध ऋण करार का संशोधन 19.10.95 को संपन्न। यह एक तकनीकी संशोधन था जो पहले हस्ताक्षरित करार की सेवा के लिए उत्तरदायी किर्गीज बैंक का नाम परिवर्तन करने के संबंध मे था।

तुर्कमेनिस्तान

(i) निवेश के संवर्द्धन और सरंक्षण के लिए 20.9.95 को संपन्न करार – अन्य राज्य के प्रदेश में एक राज्य के निवेशकों द्वारा वृहतर निवेश प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए और व्यक्तिगत व्यवसाय पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल निवेश और दोनों राज्यों में समृद्धता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार के अंर्तगत प्रोत्साहन और पारस्परिक संरक्षण के लिए है।

(ii) 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण करार 20.9.95 को संपन्न– दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की राशि तक द्वितीय ऋण तुर्कमेनिस्तान सरकार उपलब्ध कराएगी।

(iii) व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग संबंधी करार 20.9.95 को संपन्न– इसमें शामिल सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के आधार की व्यवस्था होगी और व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए उपाय करने का प्रयास किया जाएगा। यह करार उन स्थायी और अस्थायी निकायों के गठन की रूप रेखा भी प्रस्तुत करता है जो सभी क्षेत्रों में सहयोग मानीटर करने के लिए स्थापित किए जायेंगे।

(iv) सांस्कृतिक, आदान–प्रदान कार्यक्रम संबंधी करार 20.9.95 को संपन्न– संस्कृति कला, शिक्षा, जन –प्रचार और खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था करता है। इस करार को, जो अप्रैल, 1992 में संपन्न किया गया था और 1994 तक वैध था, आगे दो वर्षो की अवधि अर्थात् 1995 और 1996 के लिए बढ़ा दिया गया है।

[हिंदी]

पत्तनों पर निर्भर इस्पात संयंत्र

3135. श्री एन. जे. राठवा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और विशेषकर गुजरात राज्य के पिछडे तथा जनजातीय क्षेत्रों में पत्तनों पर निर्भर इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं;

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) देश में विशेष रूप से गुजरात राज्य में पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र का विकास

3136. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

विद्युत क्षेत्र हेतु अनुमोदित परिव्यय की धनराशि 70589 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए 245 निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा रूचियां प्रकट की गई हैं; जिसमें लगभग 339708 करोड रुपये का निवेश शामिल है।

रूग्ण औषधि इकाइयां

3137. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ रूग्ण औषधि इकाइयां रूग्ण घोषित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन औषधि–इकाइयों की राज्यवार संख्या तथा नाम क्या है और इन इकाइयों को कब बंद किया गया;

(ग) क्या प्रत्येक इकाई के कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाया है, और

(ङ) इनमें कार्यरत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ) जी, हां। चार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों– इंडियन ड्रग्ज एंड फार्मास्युकिटकल्स लि. गुडगांव (हरियाणा) बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युकिटकल्स लि. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) बंगाल इम्युनिटी लि. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युकिटकल्स लि. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) का बी. आई. एफ. आर. द्वारा औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश ड्रग्ज एंड फार्मास्युकिटकल्स लि., लखनऊ (उ. प्र.) और इंडिया ड्रग्ज एंड केमिकल्स लि., भुवनेश्वर (उड़ीसा) नामक दो संयुक्त क्षेत्र की औषध कंपनियों को भी बी. आई. एफ. आर. द्वारा औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया गया है।

इन सभी छह कपनिया के लिए बी. आई. एफ आर द्वारा पुनरूद्धार योजना स्वीकृत की गई है। इनमें से कोई भी कपनी बंद नहीं हुई है।

[हिंदी]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता

3138. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किस आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता चाहता है, और

(ख) सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता चाहने वाले अन्य देशों के नाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार के अनुसार सुरक्षा परिषद् के नये स्थायी सदस्यों का चुनाव जनसंख्या अर्थव्यवस्था का आकार, संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में उनका सहयोग एवं उनकी भागीदारी तथा भावी क्षमता सहित निष्पक्ष मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। हमने समान भौगोलिक वितरण के चार्टर के सिद्धांत तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में किए गए योगदान को चुनाव का आधार बनाए जाने का भी समर्थन किया है।

(ख) जर्मनी, जापान, ब्राजील, नाइजीरिया तथा इन्डोनेशिया ने घोषणा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास योजना

3139. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण आवास परियोजना के लिए कोष तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी हां। अनेक राज्यों में इन्दिरा आवास योजना के अतर्गत निधियों का उपयोग काफी संतोषजनक रहा है और इस योजना की लोकप्रियता के कारण योजना के अंतर्गत निधियों के अधिक आवंटन की मांग बराबर बनी हुई है। यह भी सही है कि बेघर गरीबी लोगों की संख्या चिंताजनक गति से बढ रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1994-95 के दौरान लगभग 438 करोड़ रुपये के सामान्य निधियों के आवंटन को बढ़ाकर 1995-96 के लिए 1250 करोड़ रुपये कर दिया है जिसमें अंतर्ग्रत देश में दस लाख मकान बनाने का लक्ष्य है। यह भी प्रस्ताव है कि आने वाले वर्षों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत और निधियां बढाई जायें।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री का इंगलैड दौरा

3140. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी हाल की इंग्लैंड यात्रा के दौरान वहां के नेताओं के साथ किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इस यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या इंग्लैंड के नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत में जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) द्विपक्षीय मसलों, तथा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार–विमर्श हुआ।

(ख) और (ग) ब्रिटेन के नेताओं को जम्मू कश्मीर की अद्यतन स्थिति

से अवगत करा दिया गया है। इस पर शिष्टता पूर्वक गौर किया गया था।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में विद्युत की आपूर्ति

3141. श्री बलराज पासी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में विद्युत की आपूर्ति अत्यंत अनियमित है;

(ख) क्या विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित उप स्टेशनों के अत्यंत दूर होने के कारण पारेषण के दौरान विद्युत की अत्यंत क्षति होती है; और

(ग) यदि हां, तो और–उप स्टेशनों के उचित दूरी पर निर्माण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) अप्रैल–अक्तूबर 95 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में (आठ पर्वतीय जिलों समेत) ऊर्जा की आवश्यकता 22305 मिलियन यूनिट थी, जिसकी तुलना में उपलब्धता 19756 मिलियन यूनिट थी, जो आपूर्ति में 11.4% की कमी की द्योतक है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत का वितरण करना राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड की जिम्मेदारी है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भारतीय लौह और इस्पात कंपनी द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण

3142. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रणकारी उपकरण समय पर नही लगाने के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बर्नपुर पर जुर्माना लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण नियंत्रणकारी उपकरण लगाने में इन दो इस्पात संयंत्रों के सम्मुख कौन सी बाधाएं आ रही हैं; और

(ग) निर्धारित समय में काम को पूरा करने के लिए वे अब क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कार्यन्वित की जा रही प्रमुख योजना जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय में मुकदमा है, वह टिवन डर्ब फर्लेश के लिए एक गैस कलीनिंग संयंत्र की स्थापना से संबंधित है। यह रिट्रोफिटिंग स्वरूप की योजना हैं जिसमें संयंत्र का बंद होना अंतर्ग्रस्त है और इसे सीमित स्थान पर कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्य की मात्रा भी अधिक है जिसमें 3200 घन मीटर कंक्रीट बिछाने का कार्य, 225 टन स्ट्रक्चरल फैब्रीकेशन तथा 250 टन निर्माण स्थापना कार्य शामिल है। हालांकि कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है फिर भी उपरोक्त अड़चनों के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अपेक्षित समय अर्थात् 30 नवम्बर, 1995 तक यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकेगा।

'इस्को' में दो योजनाएं अर्थात् बायलर ए. एंड बी. में विद्युतीकरण प्रणाली शामिल है। यहां भी रिट्रोफिटिंग स्वरूप के कार्य हैं तथा इसमे संयंत्र का बंद होना अंतर्ग्रस्त है। इस 70 वर्ष पुराने इस्पात संयंत्र में बहुत ही कम स्थान उपलब्ध होने से यह समस्या जटिल हो गई है। हालांकि इन दोनों कार्यो में काफी प्रगति हो गई है। फिर भी प्रमुख सप्लायरों से उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब हुआ है।

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए फरवरी, 1996 तथा इस्को के लिए दिसम्बर, 1995 तक समय बढ़ा दिया गया है। इन तीनों योजनाओं के मामले में सुक्षम विस्तृत योजना बनाई गई है और संयंत्र में उच्चतम स्तर पर इसकी कड़ी मानिटरिंग की जा रही हैं। 'इस्को' के कार्यो के मामले में प्रमुख सप्लायर द्वारा उप विक्रेताओं को नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसलिए कार्यों को शीघ्र कार्यान्वितित करने को सुनिश्चित करने के लिए उप विक्रेताओं को सीधे भुगतान करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

केरल मे ''ट्राइसेम''

3143. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ट्राइसेम'' (ग्रामीण स्व रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षण) के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के लिए केरल राज्य में विशेष प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाएं कहां–कहां स्थित हैं और ये कब स्थापित की गयी हैं;

(ग) क्या केरल में ऐसे और एककों/संस्थाओं की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों की छोटे आई. टी. आई. स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं।

रोजगार गारंटी योजना

3144. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष में लागू की गई;

(ख) रोजगार गारंटी योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं तथा इस

समय यह किन–किन राज्यों में लागू की जा रही है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना की वर्षवार और राज्यवार क्या उपलब्धियां रही हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 को शुरू की गई थी।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन हृष्ट पुष्ट सभी बालिगों, जिन्हें काम की जरूरत है और जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें सामान्य योजना/गैर योजना वाले कार्यो पर अथवा फार्म या अन्य संबंधित गतिविधियों में काम नहीं मिल सका तो गैर–कृषि मौसम के दौरान शारीरिक श्रम वाला फायदेमंद रोजगारे उपलब्ध कराना है। इस योजना का गौण उद्देश्य लोगों के लिए सतत् रोजगार तथा विकास हेतु आर्थिक आधारभूत ढांचे तथा सामुदायिक परिसंपत्तियां को सृजन करना है।

यह योजना आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोजम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप में परिचालित है।

(ग) योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक इसके अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में देखी जा सकती हैं।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त वास्तविक उपलब्धियां

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सृजित किए गए श्रम दिन (लाख श्रम दिन)			पूर्ण किए गए कार्य (संख्या)		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	62.42	277.24	126.99	1336	19460	1822
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.64	20.84	4.79	156	662	243
3.	असम	31.75	95.50	44.25	200	1636	494
4.	बिहार	31.44	193.72	107.83	618	4369	3388
5.	गुजरात	6.75	35.26	38.75	71	988	1034
6.	हरियाणा	15.20	34.64	22.67	792	3657	3944
7.	हिमाचल प्रदेश	0.05	3.20	1.41	Nil	420	107
8.	जम्मू व कश्मीर	3.46	59.85	32.32	237	4346	2274
9.	कर्नाटक	32.12	177.45	116.28	1263	18143	5756
10.	केरल	2.60	27.64	16.39	89	989	701
11.	मध्य प्रदेश	51.26	363.78	187.81	572	5747	4324
12.	महाराष्ट्र	31.53	233.89	111.91	496	7026	2290
13.	मणिपुर	3.06	28.60	14.99	NR	NR	495
14.	मेघालय	0.00	1.39	2.04	NIL	437	556
15.	मिजोरम	8.52	41.71	16.22	388	3359	NR
16.	नागालैंड	33.92	28.81	0.00	2056	2041	NR
17.	उड़ीसा	31.43	281.24	138.68	1381	12316	5199

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	राजस्थान	50.00	273.11	125.20	187	4110	2142
19.	सिक्किम	0.82	8.50	4.27	24	348	431
20.	तमिलनाडु	10.96	141.29	70.51	800	8870	4267
21.	त्रिपुरा	16.14	60.35	19.90	1184	8872	1047
22.	उत्तर प्रदेश	15.00	165.63	102.06	97	590	867
23.	पश्चिम बंगाल	52.53	184.79	64.20	1912	5786	1234
24.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.10	0.57	0.03	NIL	3	NR
25.	दादर व नगर हवेली	0.04	0.10	0.09	NIL	20	3
26.	दमन व दीव	0.00	0.12	0.01	NIL	1	2
27.	लक्षद्वीप	0.00	0.34	0.67	NIL	3	3
	कुल	494.74	2739.56	1370.27	13979	114193	42623

* सूचना अक्तूबर 1995 तक की है।

[हिंदी]

भाखड़ा बांध के विस्थापित व्यक्ति

3145. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाखड़ा बांध के उन विस्थापित लोगों की ओर से, उनकी शिकायतों के निवारण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिनका पुनर्वास हरियाणा में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) भाखडा बांध के कुछ विस्थापितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः भूखंडों के मालिकाना हक प्रदान करने, अनधिकृत दखलकारों को हटाने, पुरूषार्थी समिति के निपटान पर हिसार और सिरसा में अधिशेष भूमि की व्यवस्था, भू–विस्थापितों के लिए 10% लाभ आरक्षित करना, भू–विस्थापितों के लिए पदों का आरक्षण, पीने के लिए और सिंचाई के कार्यों, दोनों के लिए जल की आपूर्ति हेतु कनेक्शन प्रदान करने में अधिमान्यता देना, बिजली के बिलों में छूट, रियायती दरों पर बस के परमिट, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच बसें चलाना, हिमाचल प्रदेश के बाहर बसे हुए भू–विस्थापितों की अधिवास स्थिति को पुनः बहाल करना, हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने पर लगे प्रतिबंध को हटाना, भाखडा बांध के विस्थापितों को पिछड़ी जाति के रूप में घोषित करना इत्यादि से संबंधित मांगों के बारे में है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) का रूख उन मांगों के प्रति सकारात्मक रहा है, जो इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं। 2285 मामलों में से 2207 मामलों के संबंध में मालिकाना हक 30.9.95 तक प्रदान कर दिया गया है। शेष मामलों में मालिकाना हक प्रदान नहीं किया गया जा सकता, क्योंकि भू–विस्थापितों द्वारा कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं की अनुपालना नहीं की जा रही है और बकाया राशियों का भी भुगतान नहीं किया गया है। अनधिकृत दखलदारों को हटाने में बी बी एम बी असमर्थ है, क्योंकि हरियाणा के विभिन्न न्यायालयों में मामले लम्बित पड़े हैं। भाखडा विस्थापितों के गांव में खाली पड़ी अधिशेष/सामान्य भूमि को, लीज करारों के जरिए पुरूषार्थी समिति के प्रबंध पर देने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। बीबीएमबी एक गैर–लाभकारी संस्था है और इसीलिए भू–विस्थापितों हेतु 10% लाभ को आरक्षित करना संभव नहीं है। बी बी एम बी के पदों पर भर्ती, बी बी एम बी के नियमों के अनुसार की जाती है।

भू–विस्थापितों की अन्य मांगें बी बी एम बी के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं आती हैं और इन्हें उन राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना होगा, जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर यह मामले आते हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती

3146. श्री राम विलास पासवान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में सहायक अभियंता के कितने पदों के लिए विज्ञापन दिया है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोई छूट प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1995 के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग ने डेसू में सहायक अभियंताओं के 69 पदों के लिए विज्ञापन दिया था।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन

3147. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत हुए कार्य निष्पादन की राज्यवार पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर गोवा के संबंध में वास्तविक, वित्तीय एवं रोजगार संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की कारगर निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्षेत्र, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यवार विशेषकर गोवा राज्य मे क्या प्रबंध किए गए हैं, और गत तीन वर्षों के दौरान गोवा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कितना रोजगार सृजित हुआ, कितनी वास्तविक उपलब्धि रही तथा कितनी स्थाई परिसंपत्तियां सृजित हुई; और

(घ) इसमें पाई गई अनियमितताओं और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान गोवा राज्य को कितना वित्तीय आवंटन किया गया और इस योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सभी राज्यों (गोवा सहित) के निष्पादन की संबंधित राज्यों से प्राप्त मासिक और तिमाही रिपोर्टों के आधार पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार राज्य मुख्यालय, जिला और खंड स्तर पर योजना से संबद्ध अधिकारी क्षेत्रीय दौरों की मार्फत योजना की ध्यानपूर्वक निगरानी करते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों, कार्यशालाओं आदि, जहां योजनाओं से जुडे मुद्दों पर चर्चा की जाती है, की मार्फत नियमित रूप से परस्पर तालमेल बनाए रखता है। गत तीन वर्षों के लिए योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार और किए गए खर्च (राज्यवार गोवा सहित) दर्शाने वाला विवरण क्रमशः विवरण-I और II में दर्शाया गया है। गत तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95) के दौरान गोवा में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल 23.10 लाख श्रम दिनों के रोजगार का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त, इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना (जो कि जवाहर रोजगार योजना की उप योजनाएं हैं) के अंतर्गत उपरोक्त अवधि के दौरान 340 मकान और 43 कुएं बनाए गए हैं।

(घ) जवाहर रोजगार योजना के बारे में गोवा से किसी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार चालू वर्ष (1995-96) के लिए 278.77 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसके तहत 7.94 लाख श्रमदिनों के रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
			(लाख श्रमदिन)	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	677.93	1028.90	812.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.52	4.85	5.58
3.	असम	109.72	278.24	263.29
4.	बिहार	1036.16	1474.25	986.88
5.	गोवा	8.12	8.53	6.45
6.	गुजरात	235.03	232.64	258.48
7.	हरियाणा	32.63	33.29	33.96

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	26.16	34.54	28.87
9.	जम्मू व कश्मीर	43.01	32.16	88.04
10.	कर्नाटक	418.29	651.30	499.67
11.	केरल	134.54	120.30	101.01
12.	मध्य प्रदेश	709.66	849.24	1075.25
13.	महाराष्ट्र	823.53	1188.50	1100.73
14.	मणीपुर	5.23	6.68	7.16
15.	मेघालय	8.90	9.55	8.50
16.	मिजोरम	4. .	6.32	5.72
17.	नागालैंड	15.47	16.02	8.47
18.	उड़ीसा	326.39	522.96	604.51
19.	पंजाब	31.78	38.57	24.36
20.	राजस्थान	339.09	450.37	545.58
21.	सिक्किम	13.42	10.14	7.03
22.	तमिलनाडु	767.86	881.10	1027.66
23.	त्रिपुरा	13.94	23.41	29.02
24.	उत्तर प्रदेश	1496.29	1791.16	1395.94
25.	पश्चिम बंगाल	525.55	554.03	580.82
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1.71	1.81	3.59
27.	दादर व नगर हवेली	2.70	2.34	2.07
28.	दमन व दीव	0.12	0.59	0.55
29.	लक्षद्वीप	2.69	2.21	1.91
30.	पांडिचेरी	3.81	4.27	4.72
	कुल :	7821.02	10258.10	9517.07

विवरण II

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किया गया राज्यवार खर्च

क्रमाक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19866.06	32815.59	36264.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	234.80	191.60	222.22

1	2	3	4	5
3.	असम	4034.49	7911.51	10386.91
4.	बिहार	41257.59	68523.99	50731.49
5.	गोवा	340.36	353.83	372.21
6.	गुजरात	8327.77	11715.95	14166.06
7.	हरियाणा	2012.13	2164.35	2583.42
8.	हिमाचल प्रदेश	1049.73	1303.08	1150.00
9.	जम्मू व कश्मीर	2118.67	1406.91	3813.23
10.	कर्नाटक	12533.91	19257.68	23746.02
11.	केरल	6843.94	7788.38	7234.60
12.	मध्य प्रदेश	29328.16	40178.27	50603.16
13.	महाराष्ट्र	18648.24	27015.01	36760.33
14.	मणीपुर	292.23	301.82	370.51
15.	मेघालय	413.10	359.46	407.31
16.	मिजोरम	213.27	350.70	336.38
17.	नागालैंड	637.21	668.66	410.70
18.	उड़ीसा	13067.13	21493.65	25542.96
19.	पंजाब	2590.84	1922.31	1673.18
20.	राजस्थान	12246.06	15875.91	19909.03
21.	सिक्किम	303.56	273.07	189.21
22.	तमिलनाडु	20094.35	27324.02	33982.35
23.	त्रिपुरा	485.40	838.66	1131.61
24.	उत्तर प्रदेश	52257.00	71511.16	74906.88
25.	पश्चिम बंगाल	21412.74	25915.32	29856.99
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	67.50	107.20	161.26
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	76.31	80.68	01.41
29.	दमन व दीव	5.33	25.91	27.36
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	61.66	73.58	80.27
32.	पांडिचेरी	139.39	122.53	121.21
	कुल :	270958.93	387870.82	426833.14

[हिन्दी]

आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपरिपुल

3148. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आगरा–फतेहपुर–सीकरी–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मडुआर गांव के पास एक उपरिपुल का निर्माण करने हेतु प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी हां। वार्षिक योजना 1995-96 में आगरा–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के 18 कि.मी. पर एक पुल के निर्माण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राक्कलन/प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकता है/स्वीकृति दी जा सकती है। इसलिए अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों का जखीरा जमा करना

3149. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपने आयुध भंडार में परमाणु अस्त्रों का ज़खीरा लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी आयुध भंडार में अनुमानतः ऐसे कितने अस्त्र हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान के पास अपनी प्लूटोनियम उत्पादन और यूरेनियम संसाधन सुविधाएं हैं और क्या पाकिस्तान ने इसके अतिरिक्त अन्य देशों से प्लूटोनियम और परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान के पास प्लूटोनियम उत्पादन और यूरेनियम संसाधन क्षमता कितनी है और पाकिस्तान के पास प्रतिवर्ष कितने परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता है; और

(ङ) किन–किन देशों द्वारा पाकिस्तान को प्लूटोनियम और परिष्कृत यूरेनियम की आपूर्ति की गयी है/की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) यह सुविदित है कि दो दशकों से अधिक समय से पाकिस्तान गुप्तरूप से शास्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम चला रहा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव शहरयार खान ने फरवरी 1993 में कहा कि पाकिस्तान के पास कम से कम एक नाभिकीय हथियार बनाने की सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। इसके बाद पाकिस्तान के भूतपूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बेग ने कहा कि बहुत ही अल्प नोटिस पर एक नाभिकीय हथियार बनाने की संपूर्ण नाभिकीय क्षमता पाकिस्तान के पास उपलब्ध है और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाब शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास नाभिकीय बम है।

(ग) से (घ) पाकिस्तान के पास काहुटा में एक यूरेनियम परिष्करण संयंत्र है। इस आशय की खबरें भी मिली हैं कि पाकिस्तान चीन की मदद से उत्तर पाकिस्तान में सरगोधा के पास खुशाब में 40 मेगावाट का एक प्रयोगात्मक रिएक्टर का निर्माण कर रहा है जो प्लूटोनियम का उत्पादन करेगा। "सिपरी" द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन से यह पता चलता है कि पाकिस्तान की परिष्करण क्षमता को देखते हुए यह संभव है कि उसके पास हथियार निर्माण करने योग्य यूरेनियम का भंडार 430-520 कि.ग्रा. हो जो 20-25 नाभिकीय बम बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

(ङ) पाकिस्तान का नाभिकीय क्षेत्र में चीन के साथ व्यापक सहयोग है। इसके अलावा पाकिस्तान ने नीदरलैंडस, अमरीका और कनाडा सहित अनेक देशों से चोरी छिपे नाभिकीय सामग्री एवं प्रौद्योगिकी हासिल की है।

जल विद्युत परियोजना

3150. श्री भूपेन्द्र सिंह हूडडा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा लागू की गई चामेरा जल विद्युत परियोजना पर कुल कितनी लागत आई है तथा इससे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम प्रतिवर्ष कितना राजस्व अर्जित कर रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने परियोजना को लागू करने वाली एजेंसियों के सभी भुगतानों को अंतिम रूप नहीं दिया है;

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों के बकाया भुगतानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का विचार इन एजेंसियों को कब तक भुगतान करने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन एच पी सी) द्वारा कार्य निष्पादित चामेरा जल विद्युत परियोजना चरण की कुल लागत 2,114.02 करोड़ रुपये हैं, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज भी शामिल है। एन एच पी सी द्वारा मई 1994 (जब परियोजना ने वाणिज्यिक उत्पादन करना आरंभ किया था) मार्च 1995 तक अर्जित किया गया कुल राजस्व 289.73 करोड़ रुपए था। वर्ष 1995-96 के लिए राजस्व लक्ष्य 306.29 करोड़ रुपए है।

(ख) से (घ) एन एच पी सी ने, अतिरिक्त/परिवर्तित/प्रतिस्थापित अथवा अन्य मदें, जो ठेकों में प्रत्यक्षतः/स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, से उत्पन्न होने वाली दावा राशियों को छोड़कर, ठेके के संबंध में सभी देय भुगतानों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एन एच पी सी द्वारा स्वीकार्यता के पश्चात् इन दावा राशियों का निपटान किया जाएगा अन्यथा इन दावा राशियों का निपटान एन एच पी सी और ठेकेदारों के बीच या तो पारस्परिक

समझौते अथवा मध्यस्थतता/न्यायालय के निर्णयों के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता

3151. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता बढ़ाने के व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कराने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है, यह अध्ययन करने में अनुमानतः कुल कितनी लागत अंतर्गस्त है तथा इसकी प्रति किलोमीटर लागत कितनी है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में निजी निगम द्वारा कुछ शर्तों पर निःशुल्क आधार पर वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करने के लिए कोई नया प्रस्ताव पेश किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त प्रस्ताव पर सुझाव और सहमति के लिए इसे मंत्रालय को भेजा गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जिन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है उनके आवश्यकतानुसार व्यवहार्यता अध्ययन किए जाते हैं। इन अध्ययनों का कार्य क्षेत्र प्रत्येक मामले में भिन्न होता है और इन्हें सामान्यतः प्रतियोगी बोली के आधर पर परामर्शदाताओं के जरिए किया जाता है। प्रति कि.मी. सड़क के लिए 0.9 से 2.0 लाख रु. तक अलग-अलग अनुमानित लागत आती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पंचायतों तथा नगर निगमों के सदस्यों हेतु वित्तीय सहायता

3152. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से पंचायत तथा नगर निगमों के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता पाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पंचायती राज तथा नगरपालिका कानूनों के अंतर्गत सभी निर्वाचित सदस्यों को उचित प्रशिक्षण देने हेतु राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट निर्देश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पंचायती राज और नगरपालिका राज्य का विषय है, इसलिए पंचायती राज और नगरपालिकाओं के सभी चुने हुए सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तथापि, जहां तक पंचायती राज का संबंध है इस मंत्रालय ने पंचायतों के चुने हुए सदस्यों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता हेतु राज्यों से बल देने को कहा है।

उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3153. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई विचार प्रत्येक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने एवं उन्हें बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उड़ीसा में, विशेष रूप से पश्चिमी उड़ीसा में, खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं; और

(घ) पश्चिमी उड़ीसा में ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी सिंह देव) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक नीति उपाय किए हैं और प्रोत्साहन, जिनमें वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं, दिए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय अनेक विकास योजना स्कीमें भी चला रहा है जिसके तहत राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों/स्वैच्छिक संगठनों/सहकारिताओं आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन निधि का आवंटन किसी राज्य विशेष को नहीं किया जाता।

8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 250 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता देने का प्रस्ताव है। योजना अवधि के पहले 3 वर्षों में ऐसे 150 केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई है। इनमें से उक्त 30 केन्द्रों की स्थापना उड़ीसा राज्य में करने के लिए सहायता दी गई है। स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

. 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा

क्रम सं.	संगठन का नाम	खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	सेवा, नयागढ़	नयागढ़
2.	फैसिमाइल, नयागढ	नयागढ
3.	जय भारती सांची समाज, चण्डोल	चण्डोल
4.	सर्व, परालाखेमुण्डी	परालाखेमुण्डी
5.	महिला परिषद्, वीतिरीपाडे	वीतिरीपाडा (सुंदरगढ)
6.	शेड, टोयापुट	टोयापुट (रायगढ़)
7.	जय दुर्गे युवक संघ, बैकाल	बैकाल
8.	अंकुरण, नारायणपटना	कोरापुट
9.	युवा बन्धु कल्चरल ग्रुप	किशोरनगर (कटक)
10.	द सिटीजन, कुजिमचाल (खुरदन)	कुजिमचाल (खुरदन)
11.	धकोठा जुबक संघ, धकोठा	धकोठा (क्योंझर)
12.	डीडब्लयू सीआर ए ग्रुप, तिकारपाडा	तिकारपाडा (क्योंझर)
13.	द चेन्ज, नारला रोड, कालाहान्डी	नारला रोड, कालाहान्डी
14.	गौरी देवी सेवाश्रम, मतिमण्डप सही	काशीहारीपुर (पुरी)
15.	महिला समिति, रसगोविन्दपुर	रसगोयिन्दपुर
16.	मल्टी डेवलमेंट प्रोजेक्ट आश्रयगढ	आश्रयगढ़
17.	गजपति समाज कल्याण समिति पलखिमुंडी	पलखिमुंडी
18.	नीलकंठेश्वर युवा समाज, गंजम	गंजम
19.	बिन्जेश्वरी महिला समिति, मुनिन्दा	मुनिन्दा
20.	ओ ए आई सी	पम्पोश (सुन्दरगढ)
21.	ओ ए आई सी	सत्यनगर (भुवनेश्वर)
22.	ओ ए आई सी	धेन्कनाल
23.	न्यू होप लेप्रोसी ट्रस्ट, मुलिगाडा	नयापल्ली
24.	श्रीकृष्ण इंस्टीटयूट आफ सोशल सर्विस एंड कल्चर, नयापल्ली (पुरी)	नयापल्ली
25.	पटनागढ़ महिला समिति, पटनागढ	पटनागढ़
26.	महिला समिति, सोरो	सोरो, बालासोर
27.	महिला समिति, अउल, कटक	अउल, कटक
28.	मानेश्वर महिला समिति	मानेश्वर (सम्बलपुर)
29.	हिरोजिलीकट वेजि. ग्रोअर्स सोसाइटी हिरोजिलीकट	हिरोजिलीकट (गंजम)
30.	सर्वोदय समिति, गांधीनगर, कोरापुट	गांधीनगर

[हिन्दी]

इस्कोग्राइप निर्माण फैक्ट्री

3154. डा. सत्य नारायण जटिया : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इस्को' पाइप निर्माण फैक्ट्री, उज्जैन द्वारा अपनी स्थापना के बाद से कितनी अवधि तक लाभ अर्जित किया गया है और इस अवधि में उसके घाटे में चलने के क्या कारण हैं;

(ख) उपरोक्त फैक्ट्री में पुनः उत्पादन शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बंद होने से पूर्व इसमें किये गये उत्पादन का मूल्य कितना है और उसके पश्चात् कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए और उक्त क्रयादेशों को किस तरह निष्पादित किया गया है; और

(ग) जब फैक्ट्री में उत्पादन किया जा रहा था उस समय फैक्ट्री में अधिकतम श्रमिक अधिकारी कितने थे और इनकी इस समय वर्तमान संख्या कितनी है और उक्त कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोदन देव) : (क) 'इस्को' उज्जैन पाइप एंड फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड ने 1968 में अपना प्रचालन शुरू किया था और 1968-1969 में हानि हुई। 1970 से 1985-86 तक लगातार लाभ होता रहा। उसके बाद लगातार तीन वर्षों अर्थात् 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में हानि हुई। 1989-90 और 1990-91 में सीमांत रूप से लाभ हुआ तथा 1991-92 से चालू वित्तीय वर्ष तक हानि हो रही है। 31.3.95 की स्थिति के अनुसार संचयी हानि 1137.66 लाख रुपए है। हानि मुख्य रूप से उच्च आदान लागतों तथा बिक्री मूल्यों में उतनी ही वृद्धि न होने से प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के कारण हुई।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जनवरी, 1993 में फैक्टरी बंद होने से पूर्व कामगारों/अधिकारियों की कुल संख्या 505 (43 कार्यपालक तथा 462 गैर कार्यपालक) थी। दिसम्बर 1995 की स्थिति के अनुसार कामगारों/अधिकारियों की कुल संख्या 268 (9 कार्यपालक तथा 259 गैर कार्यपालक) है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 को चार लेनों वाला बनाना

3155. श्री जंगबीर सिंह : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 को चार लेनों वाला बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राजमार्ग की वर्तमान चौड़ाई कितनी है और इस अवधि के दौरान बनाए जाने वाले इस राजमार्ग की चौड़ाई क्या होगी;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अधिग्रहण किया गया है अथवा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अधिग्रहण की गई/की जाने वाले भूमि का ब्यौरा क्या है और भूमि के अधिग्रहण के बदले में कितनी राशि दी गई/दिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कैरिजवे की वर्तमान चौड़ाई 7 मीटर (2 लेन) है और प्रस्तावित चौड़ाई 14 मीटर (4 लेन विभाजित कैरिजवे) होगी।

(ग) और (घ) 6 करोड़ रु. की संभावित अनुमानित लागत से लगभग 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। यद्यपि अभी तक किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं दी गई है।

हुर्रियत नेताओं द्वारा अमरीका की यात्रा

3156. श्री गुरुदास कामत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हुर्रियत नेताओं ने अपनी हाल ही की अमरीका यात्रा के दौरान अमरीकी सीनेटरों से कश्मीर में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे नेताओं की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि मीर वेज उमर फारूख अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान अन्य के अलावा अमेरिका के सीनेटरों तथा अधिकारियों से मिले, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित मसलों पर चर्चा की।

(ग) से (ङ) सरकार हुर्रियत नेताओं की जब वे विदेश में होते हैं गतिविधियों पर निगाह रखती है और आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य

3157. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1995-96 के दौरन उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि यह 1995-96 के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की डिलीवरी कर देगी;

(ग) गत तीन वर्षों की तुलना में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि की प्रतिशत कितनी है; और

(घ) 1994 और 1995 के दौरान देश में यूरिया की मांग और सप्लाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) 1995-96 के 113.0 दौरान लाख टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1993-94 के दौरान 9% की हानि रिकार्ड होने के पश्चात 1994-95 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई। 1994-95 में वास्तविक उत्पादन की तुलना में 1995-96 में उत्पादन लक्ष्य 8 3% उच्चतर है।

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधो के अनुसार राज्यों के लिए मौसमवार यूरिया के आवंटन हेतु फसल प्रणाली के अंतर्गत यूरिया की उपलब्धता को बनाए रखना है ताकि समय और स्थान पर मांग को पूरा किया जाए। 1993-94 और 1994-95 वर्षों के दौरान प्रत्येक फसल मौसम के लिए राज्यों में यूरिया की संचयी उपलब्धता तथा इसकी मांग जैसाकि बिक्री में दर्शाया गया है, अलग--अलग संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में राज्यवार यूरिया की बिक्री और उपलब्धता

राज्य का नाम	खरीफ 93		रबी 93-94		खरीफ 94		रबी 94-95	
	30.9.93 तक संचित उपलब्धता	30.9.93 तक बिक्री	31.3.94 तक संचित उपलब्धता	31.3.94 तक बिक्री	30.9.94 तक संचित उपलब्धता	30.9.94 तक बिक्री	31.3.95 तक संचित उपलब्धता	31.3.95 तक बिक्री
आंध्र प्रदेश	998.47	776.22	1052.01	985.48	887.20	776.82	1147.82	1009.27
कर्नाटक	412.05	369.20	334.87	302.38	414.36	386.83	369.72	347 28
तमिलनाडु	278.83	229.03	477.60	422.19	250.45	224.29	518.58	479.29
गुजरात	361.45	327.04	430.41	372.12	423.60	391.05	560.43	559 70
मध्य प्रदेश	594.89	506.38	502.87	422.77	601.79	560.25	552.53	519.73
महाराष्ट्र	968.27	870.34	558.38	521.89	966.08	900.68	676 89	591.50
राजस्थान	337.78	290.16	452.96	376.63	414.34	352.34	543.28	504.30
हरियाणा	525.07	431.37	667.80	579.65	473.48	439.93	669 39	614.83
पंजाब	1004.15	827.00	1260.86	1065.06	914.40	867.49	1159.51	1060.24
उत्तर प्रदेश	1873.19	1519.96	2564.74	2277.10	1814.93	1675.44	2604.59	2272.35
बिहार	462.78	430.63	532.39	486.66	519.87	491.09	576.99	524.49
उडीसा	205.20	165.02	97.60	83.19	167.94	157.23	116.63	111.20
पश्चिम बंगाल	335.87	317.95	511.66	432.06	347.60	334.27	553.21	472.26
आसाम+एनई	91.81	76.65	88.44	80.82	76.58	72.32	89.32	73.47
राज्यों अन्य अखिल भारत	165.98	151.42	121.24	114.52	169.49	156.06	136.68	126.18
योग	6615.59	7296.25	9654.23	8502.50	8442.19	7786.09	10274.55	9285.1

असम में गैस टर्बाइन का निर्माण

3158. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :**

श्री द्वारका नाथ दास :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की "डी एल एफ" कंपनी ने असम की बारक घाटी के बासकाण्डी और अडमतिल्ला से प्राप्त होने वाली गैस से सिल्चर मे गैस टर्बाइन बनाने के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब शुरू की जायेंगी और इनसे विद्युत का कब से उत्पादन किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) असम राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि डीएलएफ विद्युत लिमिटेड ने आदमटिल्ला और बासकाण्डी में विद्युत परियोजनाओं के लिए रंगपुर, सिलचेर में 4 अक्तूबर, 1995 को निर्माण कार्यालय स्थापित किए हैं और इन दोनों परियोजनाओं पर गतिविधियां पहले ही आरंभ हो गई हैं। इन परियोजनाओं को 1996-97 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

मीरगंज और रुपौली में पारेषण ग्रिडों का निर्माण

3159. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि .

(क) क्या बिहार के पूर्णिया जिले में मीरगंज और रुपौली में पारेषण ग्रिडों का निर्माण किया गया है और अब तक यह चालू नहीं हुआ है

(ख) क्या दोनो पारेषण ग्रिड के काम न करने के कारण पूर्णिया में और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोनों पारेषण ग्रिडों को चालू करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) मीरगंज और रुपौली मे 33/11 के. वी. पावर के सब स्टेशन निर्माणाधीन है, बीएसईबी ने सूचित किया है कि निधियों की कमी के कारण यह कार्य फिलहाल रूका हुआ है।

ऊर्जा संरक्षण उपाय

3160. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इंटरनेशनल एनर्जी इनीशिएटिव" के एशियाई निदेशक, श्री वी. बालासुब्रह्मण्यम के इस सुझाव पर गौर किया है कि ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपना कर भारत में मोटर वाहनों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का एक-चौथाई भाग बचाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऊर्जा संरक्षण उपायों का पता लगाने और उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार का कोई औपचारिक सुझाव नहीं दिया गया है। तथापि, सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बल दिए जाने के क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं, मोटरों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न औद्योगिक यूनिटों में इनकी क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीमेंट उद्योग में मोटर द्वारा प्रचालित पंखों की क्षमता में सुधार करके ऊर्जा बचत करने संबंधी एक विशिष्ट निदर्शन परियोजना कार्य को भी हाथ में लिया गया है। निदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक यूनिटों की अपनी क्षमता को सशक्त बनाना, ताकि उद्योगों द्वारा ऊर्जा पूर्ण पद्धतियां अपनाए जाने में यह कार्यसाधक सिद्ध हो सकें।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पुल का निर्माण

3161. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **ग्रामीण तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंबल नदी पर एक पुल के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुल के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने का संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी पटेल) : (क) से (ग) प्रश्न में पुल के स्थान, शिलान्यास करने के वर्ष आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की "विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें" योजना के अंतर्गत जनवरी, 1989 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में चंबल नदी के ऊपर पिनहटघाट पुल के निर्माण का अनुमोदन दिया था। इस योजना में इन राज्यों के दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण शामिल है। तथापि, राज्य सरकार इस पुल का निर्माण शुरू नहीं करा सकी।

मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत फरवरी, 1992 में इन राज्यों में संस्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और यह पाया कि सामान्य तौर पर प्रगति काफी धीमी है। दस्यु समस्या में सुधार को देखते हुए राज्य

सरकारों से फरवरी, 1992 तक शुरू न किए गए किसी भी निर्माण–कार्य को प्रारंभ न करने तथा चल रहे कार्यों को पूरा करने का अनुरोध किया गया था। जिसके लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष निधियां रिलीज की जा रही थीं।

[अनुवाद]

भूमि का आवंटन

3162. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने अगस्त, 1994 में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 1980-90 के दौरान भूमिहीन लोगों को 28,397 भूखंड आवंटित करने, अर्ह आबंटियों का कोई रिकार्ड न होने और आवंटित भूमि की बार–बार बिक्री के मामलों की जांच के लिए समिति बनाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समिति का गठन किया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और समिति से शीघ्र रिपोर्ट दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उन भूमिधरों ने दिल्ली में उस कृषि भूमि का विक्रय/हस्तांतरण कर दिया है जिनको खेती करने के लिए दिल्ली में कृषि भूमि दी गई थी, और

(च) यदि हा, तो कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा भूमि का इसी प्रकार विक्रय/हस्तांतरण न कर सकने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जानकारी एकत्र की जा रही है।

परमाणु आयुधों पर दृष्टिकोण की समीक्षा

3163. श्री श्रीकांत जेना :

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु आयुधों के संबध में विभिन्न देशों की नीतियों में हाल ही में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार परमाणु आयुधों की क्षमता के संबंध में अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग) भारत का नाभिकीय कार्यक्रम व्यापक है और उसे अनन्य रूप से शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आगे बढाया जा रहा है अप्रसार संधि को उस के पक्षकार राज्यों द्वारा अनिश्चितकाल तक बढने के संबध में लिए गए निर्णय से हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसे राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त है। हम अप्रसार संधि का विरोध तो करते हैं क्योंकि वह भेदभाव मूलक संधि हैं लेकिन हम अप्रसार के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति वचन बद्ध हैं भारत सभी नाभिकीय हथियारों के निराकरण के माध्यम से वास्तविक अप्रसार प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता रहेगा तथापि, भारत की सुरक्षा स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाती है और सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को पेश आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

पड़ोसी देशों को उकसाया जाना

3164. श्री दत्तात्रेय बंडारु :

श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1995 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू.एस ट्रेनिंग आई. एस. आई. इन पाक, सेज चाव्हाण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देश हमारे पड़ोसी देशों को उनकी रक्षा तैयारियों में सहायता कर रहे हैं जिसका प्रभाव हमारे देश की सुरक्षा पर पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो कौन–कौन से देश पाकिस्तान और चीन को युद्ध की तैयारी में सहायता प्रदान कर रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) 25 अक्तूबर, 1995 को एक प्रेस सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि 24 अक्तूबर, 1995 को भारत–तिब्बत सीमा पुलिस अधिकारियों को दिया गया उनका भाषण समाचार पत्रों द्वारा ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया है और उन्होंने वास्तव में जो कहा था वह यह था कि पाकिस्तान के सेना अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रहे हैं और भारत के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पड़ोसी देश विभिन्न स्त्रोतों से बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त कर रहे हैं। यह इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के हित में नहीं हैं और भारत की सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान द्वारा मिसाइलों और नाभिकीय प्रौद्योगिकी का गुप्त अधिग्रहण भारत के लिए एक विशेष चिंता का विषय बना हुआ है।

बल्क औषधियां

3165. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दम : क्या **रसायन तथा उर्वरक**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधियों को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है, यदि हां, तो इसके क्या नाम हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कोशिका विशेष अथवा उत्तक पर परीक्षण कर डी. एन. ए. संयोग संबंधी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित औषधियां फार्मूलेशन भी अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आते हैं, यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मूल्य के अत्यधिक विनियंत्रण के कारण औषधि बनाने वाली कंपनियां अधिक धन अर्जित कर सकेंगी, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) "औषध नीति, 1986 में संशोधनों के अनुसार पांच प्रपुंच औषधों (1) विटामिन बी-1(2) बिटामिन बी-2(3) फोलिक एसिड (4) टेट्रासाइक्लीन और (5) आक्सीटेट्रासाइक्लीन को सरकारी क्षेत्र के लिए इस कारण सुरक्षित रखा गया है कि सरकारी क्षेत्र के पास देश की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है और इसके उत्पादन के लिए भारी सरकारी निवेश किया गया है।

(ख) रिकोम्बीनेन्ट डी. एन. ए. प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उत्पादित औषधों प्रपुंज औषधों जिनमें एक्टिव प्रिन्सिपल के रूप में न्यूकिलइक एसिड के इन वाइवो प्रयोग की जरूरत होती है तथ विशिष्ट सेल/टिशू उदिदष्ट सूत्रयोगों आवश्यक लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि उनके उत्पादन के साथ संबंधित खतरों को ध्यान में रखते हुए इन नए और उभरते उत्पादो पर लगातार नजर रखने की आवश्कता है।

(ग) उपलब्धता का आकार, गुणवत्ता और दवाइयों का मूल्य जो आम आदमी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है पर विचार करके मूल्य नीति के निर्णय लिए गए हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश को विद्युत आपूर्ति

3166. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब बिजली बोर्ड द्वारा हिमालच प्रदेश को कितने प्रतिशत बिजली की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) पंजाब के विभाजन के समय हिमालच प्रदेश को कितने प्रतिशत बिजली की आपूर्ति करने पर सहमति हुई थी;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य के सांसदों ने केन्द्रीय सरकार को पंजाब बिजली बोर्ड को उस राज्य के लिये सहमत हिस्से को देने के लिए राजी करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे है; और

(ङ) कब तक इस मामले का हल ढूंढ लिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) पंजाब से हिमाचल प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति के लिए कोई करार नहीं किया गया है। तथापि, हिमाचल प्रदेश की भाखड़ा–नांगल ब्यास परियोजना की विद्युत में हिस्सेदारी है।

(ख) पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 में भाखड़ा–नांगल ब्यास परियोजना में से हिमाचल प्रदेश का हिस्सा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार भाखड़ा–नांगल ब्यास परियोजना से अपने हिस्से में वृद्धि किए जाने हेतु दावा करती रही है। इस संबंध में भारत सरकार की स्थिति यह है कि इस मामले को संबंधित राज्यों द्वारा स्वयं ही सुलझाया जाना है, क्योंकि यह एक केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना नहीं है।

घाटशिला कापर काम्पलेक्स

3167. **श्री शैलेन्द्र महतो** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोबुनी, छापरी और एच. सी. एल. (हिन्दुस्तान कापर लि.) आई. सी. सी. की अन्य विभिन्न खानें काफी समय से बंद पडी हैं और इसके परिणामस्वरूप घाटशिला कापर काम्पलेक्स के सभी एकक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन खानों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन तांबे की खानों/एककों के बंद हो जाने के कारण कितने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आर्थिक हानि/बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांग) : (क) और (ख) जब सरकार ने आईसीसी समूह की खानों का राष्ट्रीयकरण किया तब धोबनी खान चालू नहीं थी। धोबनी खान 1953 में तत्कालीन निजी प्रबंध द्वारा बंद की गयी थी। जहां तक चपरी खान का संबंध है यह अभी एक निक्षेप है न कि प्रचालित खान।

(ग) एचसीएल धोबनी खान चालू किए जाने की संभावनाओं की जांच कर रही है। चपरी सिधेस्वर के भंडार के विदोहन के लिये, एक संयुक्त उद्यम प्रस्ताव स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित की गयी थी। किंतु निविदाओं की प्रक्रिया स्थगित हो गयी है क्योंकि बिहार सरकार द्वारा उक्त भंडार के पट्टे का नवीकरण नहीं किया गया है और मामला केन्द्रीय खनन न्यायाधीकरण में लम्बित है। चूंकि धोबनी खान 1972 में एचसीएल द्वारा आईसीसी समूह की खानें अपने अधीन लेने से पूर्व ही बंद हो गयी थी, इसके बंद होने के परिणामस्वरूप हुई हानि की जानकारी नहीं है।

(घ) उपरोक्त (क) और (ख) पर दिये गए उत्तर को देखते हुए

प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उच्च पदों पर नियुक्तियां

3168. श्री मोहन रावले : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तरीय अधिकारियों की सेवा–निवृत्ति आयु 58 वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तरीय ऐसे अधिकारियो का ब्यौरा क्या है जो 1993, 1994 और 1995 में अभी तक 58 वर्ष की आयु के बाद अपने–अपने पदों पर कार्यरत हैं;

(ग) क्या पदों पर बने रहने/सेवा काल में वृद्धि को केबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी थी;

(घ) यदि नहीं, तो उनके सेवा में अपने पदों पर बने रहने/सेवा काल मे वृद्धि का क्या औचित्य है;

(ङ) क्या कुछ मामलों में तो इस तरह के सेवा काल में वृद्धि संबंधी अनुरोधों को केबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था लेकिन वे अधिकारी अपने पदों पर बने रहे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नियुक्तियां

3169. श्री अनादि चरण दास : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ग "क", "ख" और "ग" में प्रतिनियुक्ति/नियमित आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त 'क' में अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षण और 40 प्वाइंट रोस्टर का अनुपालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षण कोटा कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में वर्ग "क", "ख", और "ग" में की गई पदवार नियुक्तियां नीचे दी गई हैं :

वर्ग	श्रेणी	भरे गए पदो की संख्या	आधार
क	महा प्रबंधक	2	प्रतिनियुक्ति
क	उप–महाप्रबंधक	1	नियमित
क	उप–महाप्रबंधक	3	प्रतिनियुक्ति
क	प्रबंधक	3	प्रतिनियुक्ति
क	निजी सचिव	4	प्रतिनियुक्ति
ख	लेखा अधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति
ख	निजी सहायक	1	प्रतिनियुक्ति
ग	आशुलिपिक ग्रेड "घ"	3	अस्थायी
ग	रोकड़िया	1	प्रतिनियुक्ति
	कुल :	19	

(ख) से (ङ) सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. अ.पि.व. के लिए एक 200 प्वाइंट रोस्टर फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में लागू है।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए पदों के मामले में आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं होते हैं। 19 पदों में से 15 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए हैं। एक अधिकारी जिसे प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर भर्ती किया गया था, को नियमित आधार पर उप–महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। वरिष्ठ प्रबंधक का केवल एक पद स्वीकृत था, इसलिए इस मामले में आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं हैं। आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्णय लिया गया है। आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के पदो के लिए आवेदन हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया था। फिलहाल आशु. ग्रेड 'घ' के 9 पद संस्वीकृत हैं। 200 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार इसमें से दो पद अनुसूचित जाति के लिए, एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए और दो पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं। अभी तक तीन पद भरे गए हैं, जिनमें से एक अ. पि. व. से तथा दो सामान्य वर्ग से हैं। अग्रणी समाचार पत्रों मे एक अलग विज्ञापन जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें केवल अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जायेगें। जैसे ही उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं, इन पदों को भर दिया जाएगा।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

3170. श्री रवि राय : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल–सितम्बर, 1995 के दौरान मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड का ड्रिलिंग और खनन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम ई सी एल को उसके लक्ष्यों की पूर्ति करने में समर्थ बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल–सितम्बर, 1995 के दौरान खनिज गवेषण निगम लि. (एमईसीएल) ने क्रमश : 90,000 मीटर और 1,600 मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 67,430 मीटर (75%) भेदन और 991 मीटर (62%) खनन का लक्ष्य प्राप्त किया है।

(ग) (i) कंपनी के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा नियमित रूप से सचिव (खान) द्वारा तिमाही कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक मे की जाती है और एमईसीएल की दो क्यूपीआर बैठकें अप्रैल–जून 1995 और जुलाई–सितम्बर, 1995 में क्रमशः दिनांक 29.8.95 और 29.11.95 को हुई थीं जिनमें कंपनी को यह निर्देश दिया गया था कि वह वर्ष 1995-96 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अपना कार्य निष्पादन सुदृढ करने के लिये हर संभव प्रयास करे।

(ii) सरकार ने कंपनी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये गैर योजना ऋण के बतौर 1.75 करोड रु. की राशि की सहायता भी की है।

'नाबार्ड-विमको' योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण

3171. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे 'नाबार्ड–विमको' योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण सबधी कार्य किए गए है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है, और

(ग) उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप औसतन कितनी भूमि को वन क्षेत्र मे परिवर्तित किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) और (ख) जी हां। विमको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विमको कृषि–वानिकी योजना के अंतर्गत पहाड़ी पीपल प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों में 1984 से सतत् योजना के रूप में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 1991 से 'कदम' प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं।

(ग) योजना के अंतर्गत परस्पर खेती के रूप में कृषि फसलों के साथ कृषि भूमि मे पहाडी पीपल और कदम प्रजातियां लगाई जाती हैं तथापि, भूमि को वन के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत 1984 से मार्च 1995 तक प्रति हेक्टेयर 500 पौधों की औसत दर से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए गए हैं।

बागवानी उत्पादों के लिए अपर्याप्त भंडारण सुविधा

3172. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण भंडारण और मूलभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण बागवानी उत्पादों की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) बागवानी उत्पाद की वास्तविक बर्बादी का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन 1981 में यह अनुमान लगाया गया था कि मुख्य रूप से सड जाने, फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण कुछ फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में कमी और उसके परिणामस्वरूप उनके मूल्य में कमी और बर्बादी से 25 से 30% के लगभग होती है। मात्रा की दृष्टि से कुल उत्पादन के 5%-7% से ज्यादा नहीं होती। सरकार कई योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जो नुकसान को कम से कम करने के लिए प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और बुनियादी के सृजन को प्रोत्साहित करती हैं।

अग्नि प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद करना

3173. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस को यह बताया गया है कि भारत का अग्नि प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद करने का निर्णय, अमरीका के प्रक्षेपास्त्र बंद करने के प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने अमरीकी सरकार के समक्ष यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समुद्री जल को पेयजल में बदलना

3174. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री जल को पेयजल में बदलने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी राज्य सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त ग्रमीण क्षेत्रो में पेयजल में खारेपन की समस्या को वैकल्पिक स्वच्छ स्रोतों अथवा खारे पानी वाले स्थानो पर खारापन दूर करने के लिए संयत्र लगाकर दूर किया जा रहा है।

बिहार में खनिज आधारित उद्योग

3175. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कुछ खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हा, तो ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए किन–किन स्थानों/स्थलों का चयन किया गया है एवं तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान बिहार में खनिज आधारित उद्योगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

टैरस खनिज (लौह अयस्क)

1. टिस्को, जमशेदपुर – आधुनिकीकरण और विस्तार
2. बोकारो स्टील लि. – आधुनिकीकरण और विस्तार
3. उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, अदित्यपुर – आधुनिकीकरण और विस्तार प्रतिवर्ष 1 लाख टन से 2 लाख टन तक।

ग्रेनाइट पर आधारित उद्योग

4. बिहार ग्रेनाइट लि., डुमका आंशिक उत्पादन के अंतर्गत
5. रांची ग्रेनाइट, रांची

चूना पत्थर

6. इस्टर्न सीमेंट (इंडिया) बोकारो विस्तार
7. इस्टर्न सीमेट (मिनी सीमेंट) रामगढ़
8. बहुबली सीमेंट, फतयाह

अन्य

9. बोध गया सेरेमिक्स लि.
10. बबूल स्मोकलेस कोक, मधुबनी
11. महारानी फयूल्स मुजफ्फरपुर
12. सुशीला सेरेमिक्स हाजीपुर
13. शिव डोमस्टीक कोक, फतवा
14. पुष्पाझाली कोक, औरंगाबाद
15. अमान कोक, औरंगाबाद और पटना
16. मगध स्मोकलेस, औरंगाबाद
17. वैद्यनाथ केमिकल्स, डालटनगंज
18. आर. एस. कोक, हजारीबाग
19. अशोक स्मोकलेस, पटरेटु
20. इंटर लिंक कोक, पटरेटु
21. सोलार स्मोकलेस, हजारीबाग
22. बालाजी फयूलस, डालटनगंज
23. बेसिक फयुल्स, गिरिडीह
24. गया कोक, गया
25. आर्य कोक, हजारीबाग
26. मिथिला कोक, मुज्जफरपुर
27 स्वर्णराखा कोक, दरभंगा
28. गौतम कोक, रांची

प्रधान मंत्री की अमेरिकी नेताओं के साथ वार्ता

3176. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मत्री ने अमेरिका की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी न्यूयार्क की हाल की यात्रा के दौरान अमेरिकी नेताओं के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता के दौरान के किन–किन मसलों पर बातचीत हुई तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

3177. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) किन- किन राज्यों में ग्रामीण सफाई के लिए और अधिक धनराशि मांगी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श ग्राम विकसित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) मे राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार आवटन सलग्न विवरण में दिया है।

(ख) आध प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के सघ शासित क्षेत्रो ने ग्रामीण स्वच्छता के लिए और अधिक धनराशि मांगी है।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित राज्यो में आदर्श स्वच्छ गांव के रूप मे 67 गांवो के विकास का अनुमोदन किया गया है :

राज्य	अभी तक संस्वीकृत आदर्श गांव योजनाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	9
असम	1
बिहार	8
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	4
केरल	5
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	9
उड़ीसा	3
राजस्थान	4
तमिलनाडु	7
उत्तर प्रदेश	13
	67

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन
1	2	3
1.	आध्र प्रदेश	315.000
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.000
3.	असम	115.000
4.	बिहार	560.000
5.	गोवा	5.000
6	गुजरात	142.000
7.	हरियाणा	51.000
8.	हिमाचल प्रदेश	53.000
9.	जम्मू व कश्मीर	70.000
10.	कर्नाटक	256.000
11.	केरल	194.000
12.	मध्य प्रदेश	368.000
13.	महाराष्ट्र	404.000
14	मणिपुर	15.000
15	मेघालय	16.000
16.	मिजोरम	5.000
17.	नागालैंड	11.000
18.	उड़ीसा	221.000
19.	पजाब	52.000
20.	राजस्थान	190.000
21.	सिक्किम	5.000
22.	तमिलनाडु	334.000
23.	त्रिपुरा	23.000
24.	उत्तर प्रदेश	783.000
25.	पश्चिम बंगाल	303.000
26.	दादर व नगर हवेली	5.000
27.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	5.000

1	2	3
28.	लक्षद्वीप	5.000
29.	पांडिचेरी	5.000
30.	दिल्ली	5.000
31.	दमन व दीव	5.000
32.	चंडीगढ़	5.000
	कुल :	4535.000

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

3178. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्लास्टिक अभियात्रिकी एवं प्लास्टिक संस्थान ने देश में अपने विस्तार केन्द्र स्थापित किए है;

(ख) यदि हां, तो उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान/सरकार को राजस्थान में जयपुर में ऐसा विस्तार केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। इस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इम्फाल, लखनऊ और मैसूर स्थित अपने विस्तार केन्द्र स्थापित किए है। मुख्यालय केन्द्र मद्रास मे है।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गहरे सागर में मछली पकड़ना

3179. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनियों की प्रदत्त बंगाल की खाड़ी में मछलियां पकड़ने की सुविधा का बडे स्तर पर दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस दुरूपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या विदेशी कंपनिया पकडी गई सारी मछलिया अन्य देशों को भेजती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) बंगाल की खाड़ी मे किसी भी विदेशी कंपनी को मछली का शिकार करने की अनुमति नही दी गई है। वैसे 18 भारतीय कपनियों को पूर्वी तट पर स्थित बेरा बंदरगाहो से संयुक्त उद्यम, पट्टे और चार्टर के तहत 68 गहन समुद्री मत्स्यन जहाजो को चलाने की अनुमति दी गई है। इन 68 जलयानों मे से 20 जलयान फिलहाल चल रहे हैं।

(ग) और (घ) चार्टर्ड /पट्टेवाले और संयुक्त उद्यम जलयानों द्वारा पकडी गई मछलिया भारतीय कपनियों द्वारा, संबंधित भारतीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निरीक्षण और निर्यात औपचारिकताओं के बाद विदेशों को निर्यात की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीजल का ईधन के रूप में प्रयोग करने वाले गैर-सरकारी विद्युत संयंत्र

3180. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–सरकारी विद्युत संयत्रों द्वारा डीजल का ईधन के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबध लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) विद्युत आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पडेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने ऊर्जा व्यस्ततमकालीन/तात्कालिक कमियों को दूर करने के लिए बृहत कोयले/गैस आधारित और जल विद्युत सयंत्र, जिनकी निर्माणावधि अधिक है, के लंबित पड़े क्रियान्वयन को पूरा करने तक, भारी डिस्टीलेटस यथा कम सल्फर हैवी स्टॉक (एल एस एच एस) फर्नेस आयल (एफ ओ) भारी फर्नेस आयल (एच एफ ओ) और भारी पेट्रोलियम स्टाक (एच पी एस), के आधार पर अधिष्ठापित किए जाने वालों विद्युत संयत्रो को अनुमति प्रदान कर दी है। चूंकि, देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की कमी है, इसलिए परिणामी विदेशी विनिमय दबाव को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन प्रयोजनों के लिए इस प्रकार के ईधनों को विवेक पूर्वक खर्च करने की आवश्यकता है। चूंकि, रक्षा, परिवहन और घरेलू क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल की अत्यधिक आवश्यकता है और चूंकि, वैकल्पिक ईधन, जैसाकि ऊपर इंगित किया गया है, को विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए इस नीति में भविष्य में अधिष्ठापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन हेतु

हाई स्पीड डीजल के समुपयोजन पर रोक लगाई गई हैं। सरकार के इस निर्णय से विद्युत आपूर्ति स्थिति प्रभावित होने की सभावना नहीं है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि

3181. श्री आर. अन्बारासु : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित धनराशि का तमिलनाडु सरकार द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा जवाहर रोजगार योजना की निधियों का इस्तेमाल जवाहार रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संबधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यापक और विस्तृत मार्गदर्शिकाएं बनाई गई हैं जिनका पालन किया जाना होता है। इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार जवाहर रोजगार निधियों (केन्द्रीय अंश तथा राज्य अंश) को जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/ग्राम पंचायतों द्वारा बैंक अथवा डाकघर के विशिष्ट तथा अलग बचत बैंक खाते में रखा जाना है। यह बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, अथवा सहकारी बैंक हो सकता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा जवाहर रोजगार योजना खातों से निधियों का आहरण केवल योजना के खर्च के लिए ही किया जाना चाहिए। ग्राम पचायतों के संबंध में खाते से भुगतान हेतु राशि चैक द्वारा ही निकाली जानी चाहिए। चैक पर पचायत के अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत द्वारा एक संकल्प की मार्फत विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अन्य व्यक्ति, ग्राम पंचायत का सदस्य अथवा पचायत का सचिव होना चाहिए। प्रत्येक राशि के भुगतान को ग्राम पंचायत की बैठक मे प्राधिकृत किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना ग्राम सभा को उसकी अगामी बैठक में दी जानी चाहिए। अन्य किसी प्रयोजन हेतु आहरण अनाधिकृत होगा।

[हिन्दी]

कापार्ट द्वारा काली सूची में रखे गये स्वयंसेवी संगठन

3182. श्री कुंजी लाल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कापार्ट' द्वारा राज्यवार कितने स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची मे रखा गया है;

(ख) इन संगठनों को काली सूची में रखने के क्या कारण हैं तथा इस संबध में कौन-सी एजेंसी जांच कर रही है;

(ग) काली सूची मे रखे गए संगठनों को 'कापार्ट' द्वारा कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है तथा इनके द्वारा इसमें से कितनी धनराशि का दुरुप्रयोग किए जाने का अनुमान है;

(घ) धनराशि के दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) धनराशि के दुरूपयोग हेतु 'कापार्ट' द्वारा जिन संगठनों की जांच की जा रही है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या 'कापार्ट' काली सूची में रखे गए संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) 30.9.1995 तक कापार्ट द्वारा 360 स्वैच्छिक संगठनो को काली सूची में डाला गया है जिसमें अन्य सरकारी एजेंसियों/विभागों द्वारा काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन भी शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कापार्ट ने स्वैच्छिक संगठनों को मुख्यतः निधियों के दुरूपयोग, झूठी रिपोर्टों, दस्तावेजों में हेराफेरी आदि के आधार पर काली सूची में डाला है। ऐसे मामलों में स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता जांच की मुख्य एजेन्सिया हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) आवश्यक जांच पूरी होने के बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। उसके पश्चात् ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। तथापि कापार्ट ने काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों को आगे वित्तपोषण करना बंद कर दिया है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) जी हां।

(छ) कापार्ट ने ऐसे दोषी संगठनों, जिनकी सहायता को वापस मांगा गया अथवा परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है, निधियों को वापस करने के निदेश दिए हैं। कुछ मामलों में ऐसे संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। साथ ही कापार्ट द्वारा कुछ मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	स्वैच्छिक संगठनों/संख्या
1.	असम	4
2.	आंध्र प्रदेश	72
3.	बिहार	71
4.	दिल्ली	19
5.	गुजरात	13
6.	हरियाणा	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	कर्नाटक	16
9.	केरल	4
10.	महाराष्ट्र	14
11.	मणिपुर	2
12.	मध्य प्रदेश	14
13.	उड़ीसा	7
14.	राजस्थान	27
15.	तमिलनाडु	7
16.	उत्तर प्रदेश	75
17.	पश्चिम बंगाल	8
	कुल :	360 (अनंतिम)

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास

3183. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीडित व्यक्तियो के पुनर्वास हेतु स्वीकृत कार्य योजना को पूरा करने के लिए 163.10 करोड़ रुपये की वर्तमान धनराशि को बढाया जाए, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुनर्वास के लिए सरकार कब तक धनराशि जुटाएगी और कितनी धनराशि जुटाई जाएगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्य योजना का परिव्यय 163.10 करोड से बढाकर 210.84 करोड रु. करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध की जांच की जा रही है और इस संबंध मे राज्य सरकार से और जानकारी मांगी गई है।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना की उपलब्धियां

3184. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इसकी शुरूआत से अब तक हुई उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को अधिक कारगर और सार्थक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) देश में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इसके प्रारंभ से लेकर अब तक कुल 56097.61 श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है। योजना के प्रारंभ से लेकर सृजित रोजगार के ब्यौरे (वर्षवार व राज्यवार) संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी और उददेश्यपूर्ण बनाने हेतु, केन्द्र ने हाल ही में राज्यों को राज्य/जिला/खंड स्तरीय समितियां गठित करने के बारे में लिखा है, जो संबंधित क्षेत्रों में योजना में कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण जांच कार्य और निगरानी का कार्य करेगी।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन

(रुपए लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	727.43	810.66	680.41	677.93	1028.90	812.25	209.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.25	8.44	6.57	6.52	4.85	5.58	0.83
3.	असम	122.51	126.02	124.02	109.72	278.24	263.29	64.01
4.	बिहार	907.31	1130.05	847.68	1036.16	1474.25	986.39	528.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	गोवा	8.62	8.88	9.56	8.12	8.53	6.45	4.31
6.	गुजरात	202.93	188.82	254.13	235.03	232.64	258.48	74.17
7.	हरियाणा	34.13	35.03	37.49	32.63	33.29	33.96	7.02
8.	हिमाचल प्रदेश	37.86	35.86	34.16	26.16	34.54	28.87	8.22
9.	जम्मू व कश्मीर	52.19	54.27	60.37	43.01	32.16	88.04	17.17
10.	कर्नाटक	407.56	486.56	401.64	418.29	651.30	499.67	130.95
11.	केरल	231.79	180.96	177.08	134.54	120.43	101.01	34.09
12.	मध्य प्रदेश	932.24	958.57	945.39	709.66	849.24	1075.25	248.54
13.	महाराष्ट्र	795 93	850.22	771.64	823.53	1188.50	1100.73	294.81
14.	मणिपुर	10.50	12.16	5.11	5.23	6.68	7.16	4.06
15.	मेघालय	4.02	7.88	12.02	8.90	9.55	8.50	2.11
16.	मिजोरम	4.79	19.69	5.95	4.78	6.32	5.72	1.46
17.	नागालैंड	20.29	18.98	27.92	15.47	16.02	8.47	0.00
18.	उडीसा	517 63	341.97	348.86	326.39	522.96	604.51	211.75
19.	पंजाब	34.23	21.81	19.76	31.78	38.57	24.36	0.00
20.	राजस्थान	443.77	506.01	387.63	339.09	450.37	545.58	119.03
21.	सिक्किम	6.28	8.80	13 62	13.42	10.14	7.03	3.94
22.	तमिलनाडु	910.81	755.21	831.73	767.86	881.10	1027.66	402.67
23.	त्रिपुरा	19.53	19.06	20.71	13.94	23.41	29.02	10.33
24.	उत्तर प्रदेश	1624.93	1628.27	1562.14	1496.29	1791.16	1395.94	479.02
25.	पश्चिम बंगाल	558.81	516.85	491.99	525.55	554.03	580.82	159.15
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3.08	2.97	2 18	1.71	1.81	2.59	0.31
27.	चंडीगढ	0.42	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	3.04	2.84	3 94	2.70	2.34	2.07	0.28
29.	दमन व दीव	1.08	0.63	0.88	0.12	0.59	0.55	0.31
30.	दिल्ली	2.30	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्ष्यद्वीव	2.53	2.23	2.23	2.68	2.21	1.91	0.50
32.	पांडिचेरी	8.08	4.89	5.20	3.81	4.27	4.72	2.90
	कुल	8643.87	8745.59	8092.01	7821.02	10258.40	9517.07	3019.65

एन. एम. डी. सी. की लौह अयस्क खानें

3185. श्री प्रथमेश मुखर्जी :

श्री तारा सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे एन. एम. डी. सी. की लौह अयस्क खानें घाटे में चल रही हैं या उनकी क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो एन. एम. डी. सी की प्रत्येक लौह अयस्क खान की स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के नेताओं द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग

3186. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के नेताओं द्वारा भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असंयत तथा आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग) पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कुछ अवसरों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरुद्ध अशिष्ट भाषा इस्तेमाल की है। इस प्रकार की भाषा का सहारा लेना भारत विरोधी उनके सतत् अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आभाव दर्शाता है। इस प्रकार के मंचों में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा भारत के विरुद्ध उठाए गए मुद्दो का भारत के प्रतिनिधियों ने उपयुक्त ढंग से तथा शिष्ट पूर्वक जवाब दिया है।

बंगलादेश में आई एस आई की गतिविधियां

3187. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलादेश में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भारत विरोधी गतिविधियों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या जुलाई, 1995 में ढाका में इस विषय पर बंगलादेश के अधिकारियों के साथ अधिकारिक स्तर पर चर्चा हुई थी;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की चिंता पर बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही;

(घ) क्या यह सच है कि पाकिस्तान तथा बंगलादेश ने आतंकवाद के मुद्दे पर दक्षेस सम्मेलन का अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है; और

(ङ) क्या देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र में गडबडी पैदा करने की दृष्टि से बंगलादेश में चलाई जा रही भारत विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु सरकार की कोई योजना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस द्वारा बंगलादेश में की जा रही भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी है।

(ख) जून, 1995 में अधिकारी स्तर की बातचीत में इस मामले को उठाया गया था।

(ग) यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर बातचीत करने के लिए बैठक करेंगे।

(घ) पाकिस्तान और बंगलादेश दोनों ने ही आतंकवाद के दमन से संबद्ध सार्क क्षेत्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है।

(ङ) सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बंगलादेश की सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जाता रहा है। सरकार ने बहुत से कदम उठाए है जिनमें अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, सतर्कता में वृद्धि और विद्रोह विरोधी प्रभावी कार्रवाइयों के लिए विभिन्न सुरक्षा अभिकरणों तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच तालमेल।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा भूमि का आवंटन

3188. श्री राम कृष्ण कौंताला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तन पत्तन न्यास अपनी भूमि निजी उद्यमियों को लम्बी अवधि की लीज पर देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1993 से अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी लीज निर्बन्धनों और शर्तों के अनुसार हो रहा है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वि.प. न्यास द्वारा दिनांक 1.1.93 से आज तक निम्नलिखित निजी उद्यमियों को 30 वर्ष के पट्टे पर भूमि आवंटित की गई है।

क्रम संख्या	उद्यमियों के नाम	आवंटित क्षेत्र
1	2	3
1	मै. आंध्रा पेट्रो केमिकल्स	2454.6 वर्ग मी.
2.	मै. बेसेमन इन्टरापोर्ट सर्विसेज	4.00 एकड़
3.	मै. के आर. एंड संस	10.00 एकड़
4	मै. डालफिन कंस्ट्रकसंस	15.00 एकड़
5	मै. प्रत्यूष स्टीवीकान (प्रा.) लि.	6.06 एकड़
6.	भारतीय विद्या भवन	1159 वर्ग गज
7.	मै. सोथरा शिपिंग	4.78 एकड़
8.	मै. शरत चटर्जी एंड कंपनी	0.76 एकड़
9.	मै. अलू फ्लोराइड	7.00 एकड़
10.	मै. विशाखा स्टोरेज सिस्टम (प्रा.) लि.	50.00 एकड
11.	मै. विशाखा पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स लि.	25 एकड़
12.	मै. इन्डो पलेम्स पेट्रोकेमिकल्स लि.	10 एकड
13.	मै. टिन्ना आयल्स एंड केमिकल्स लि.	5 एकड़
14.	मै. टिन्ना शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग (प्रा.) लि.	5.83 एकड

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

3189. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक इस्पात उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य कितना है;

(ख) इसमें गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी कितनी है;

(ग) इसके वित्तीय प्रभाव क्या हैं; और

(घ) आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान किए जाने वाले निवेशों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस्पात मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2001-2002 में इस्पात की मांग 370 लाख टन जिसमें निर्यात के लिए आवश्यकता भी शामिल है, होगी। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है अतः मांग में वृद्धि को निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित करके तथा सरकारी क्षेत्र के विद्यमान इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार करके पूरा किया जाएगा। निजी क्षेत्र में निवेश विभिन्न घटकों जैसे अपनाई गई प्रौद्योगिकी, संयंत्र की क्षमता, संयंत्र के उत्पाद मिश्र आदि पर निर्भर करेगा।

(घ) इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए 774.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 14579.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लक्ष्य और परिव्यय निर्धारित करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की गई है।

केरल में पासपोर्ट कार्यालय

3190. श्री रमेश चेन्नित्तला :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यालय द्वारा प्रति माह औसतन कितने आवेदन पत्रों को निपटाया जाता है;

(ग) क्या पासपोर्ट जारी करने में विलंब होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में अन्य पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम, कोचीन और कोजीकोड में तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं।

(ख) तिरूवनंतपुरम, कोचीन और कोजीकोड पासपोर्ट कार्यालयों में प्रतिमाह प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदन पत्रों की औसत संख्या लगभग क्रमशः 7700, 7000 और 11200 है।

(ग) इन पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा नए पासपोर्ट जारी करने में कोई विलंब नहीं किया जा रहा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसद की स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि नए पासपोर्ट कार्यालय केवल उन्हीं क्षेत्रों में खोले जाएं जहां पासपोर्ट के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 आवेदन पत्र प्राप्त हों। नए पासपोर्ट कार्यालयों को खोलने से ही सेवाओं में सुधार नहीं हो जाता, जब तक आवश्यक आधारभूत संरचना और कार्मिक उपलब्ध न हों। इसलिए सरकार पिछले लम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने पर ध्यान दे रही और पासपोर्ट को जारी करने में होने वाली देरी को कम करने और प्रक्रिया को सुचारू और सरल बनाने का प्रयास कर रही है।

खनिज भंडार

3191. श्री हाराधन राय : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों का राज्यवार अनुमानित भंडार कितना है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी मात्र में खनिज निकाले गए तथा उन पर कितनी लागत आई?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के विस्थापित लोग

3192. श्री राजेश कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से गत पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने लोग विस्थापित हुए हैं;

(ख) इन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) इब ताप विद्युत केन्द्र और अपर इन्द्रावती विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण गत 5 वर्षों के दौरान उड़ीसा में 5590 परिवार विस्थापित हुए हैं। तलचेर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण 2351 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार विस्थापित व्यक्ति समय-समय पर सहायता प्राप्त करते रहे हैं।

[हिन्दी]

पुलों का निर्माण

3193. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का वर्ष वार निर्माण किया गया/किए जाने का विचार है;

(ख) राज्य-वार कितने पुलों की मरम्मत की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन पुलों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (वर्षवार एवं राज्यवार) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए/बनाए जाने के लिए प्रस्तावित पुलों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान, (वर्षवार एवं राज्यवार) राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत किए गए/मरम्मत किए जा रहे पुलों की संख्या तथा जारी की गई निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण -I

क्रम सं.	राज्य	8वी योजना में पुलों की सं.	संस्वीकृत (संख्या) 1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	34	1	–	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	–	–	–
3.	असम	22	2	2	3
4.	बिहार	49	4	3	5
5.	दिल्ली	2	–	–	–
6.	गोवा	3	–	–	–
7.	गुजरात	8	1	5	9
8.	हरियाणा	5	–	–	2
9.	हिमाचल प्रदेश	32	3	5	4
10.	कर्नाटक	29	–	1	–
11.	केरल	24	3	1	–
12.	मध्य प्रदेश	42	3	–	7
13.	महाराष्ट्र	55	6	6	6
14.	मणिपुर	6	–	–	–
15.	मेघालय	17	4	1	1
16.	उडीसा	18	–	2	6
17.	पंजाब	12	–	–	4
18.	राजस्थान	23	5	1	1
19.	तमिलनाडु	18	–	1	7
20.	उत्तर प्रदेश	19	5	2	2
21.	पश्चिम बंगाल	17	3	3	–

विवरण -II

(लाख रु.)

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य	1992-93 सं.	जारी की गई धनराशि	1993-94 सं.	व्यय	1994-95 सं.	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आध्र प्रदेश	1	1.19	1	1.00	1	7.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	1	16.00	1	33.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	7	48.90	11	142.00	17	256.86
4.	बिहार	3	67.66	1	0.50	–	–
5.	दिल्ली	1	5.26	–	–	–	–
6.	गोवा	2	60.80	2	6.70	1	8.80
7.	गुजरात	6	96.67	2	4.00	8	58.31
8.	हरियाणा	1	0.94	1	0.60	1	1.06
9.	हिमाचल प्रदेश	5	43.05	3	37.94	1	1.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2	13.00	2	20.60	–	–
11.	कर्नाटक	1	10.00	1	24.20	1	1.00
12.	केरल	3	18.09	2	18.47	5	13.93
13.	मध्य प्रदेश	8	57.90	7	3.87	8	7.29
14.	महाराष्ट्र	3	40.30	5	24.13	8	60.82
15.	मणिपुर	–	–	1	7.77	1	2.00
16.	मेघालय	–	–	–	–	1	2.00
17.	नागालैंड	–	–	1	1.03	–	-
18.	उड़ीसा	5	16.24	6	7.00	12	50.72
19.	पंजाब	6	89.23	6	46.38	5	20.33
20.	राजस्थान	3	10.43	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	–	–	4	150.01	3	63.54
22.	उत्तर प्रदेश	9	50.21	7	27.65	8	160.64
23.	पश्चिम बंगाल	9	100.59	20	171.71	20	220.00

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक मुक्त जल परियोजना

3194. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए आर्सेनिक मुक्त जल परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने चौबीस परगना जिले के शहरी और ग्रामीण संखिया से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जर्मन सहायता हेतु एक परियोजना प्रस्तुत की है जिसकी अनुमानित लागत 108 करोड़ रुपये है जिसमें से ग्रामीण घटक 46 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि परियोजना हेतु विदेशी सहायता लेने हेतु कोई आवश्यकता नहीं है और इसे राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन के उपमिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु पुनः तैयार किया जाये।

विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत

3195. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को मध्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से इस संबंध में लागू वर्तमान फार्मूले के अंतर्गत विद्युत का कम आवंटन किया

जा रहा है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने विद्युत आवंटन के इस फार्मूले की समीक्षा के लिए अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं। राजस्थान वर्तमान फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादक केन्द्रों से विद्युत आवंटन प्राप्त कर रहा है।

(ख) से (घ) विद्युत आवंटन के फार्मूले की समीक्षा के लिए राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से राज्य को विद्युत का वितरण किए जाने के संबंध में विद्यमान फार्मूला संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है और इस प्रकार विद्यमान फार्मूले की समीक्षा हेतु फिलहाल कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

खानों में उत्पादन

3196. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में वित्तीय वर्ष 1993-94 की तुलना में 1994-95 के वित्तीय वर्ष के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग खानों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही;

(घ) क्या उपरोक्त वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा खान उद्योगों में पूंजी निवेश करने हेतु कई प्रबंध किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निजी क्षेत्र द्वारा कितनी पूंजी का अलग-अलग निवेश किया गया है; और

(च) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा का निवेश किया गया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खान ब्यूरो के रिकार्डों के अनुसार खनिजों के वार्षिक उत्पादन की समग्र दर वित्तीय वर्ष 1993-94 में 2.3% थी जो वित्तीय वर्ष 1994-95 में बढ़कर 6.1 % हो गई।

(ग) वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न खनिजों के उत्पादन में बढ़ोतरी/कमी की। वार्षिक दरों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मार्च, 1993 में घोषित की गई नई राष्ट्रीय खनिज नीति द्वारा निजी क्षेत्र को निजी उद्यमियो के लिए खोल दिया गया है। इस नीति द्वारा सिर्फ सरकारी क्षेत्र द्वारा ही विदोहन किए जाने के लिए आरक्षित 13 खनिजों यथा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, सल्फर, स्वर्ण, हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, मोलिब्डेनम, टंगस्टन अयस्क, निकिल और प्लेटिनम ग्रुप की धातुओं को निजी क्षेत्र द्वारा विदोहन किए जाने हेतु अनारक्षित किया गया है।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

खनिज उत्पादन 1992-93 से 1994-95 (खनिजवार - मात्रा)

खनिज	इकाई	1992-93	1993-94	1994-95	92-93 से लेकर 93-94 तक हुई वृद्धि का प्रतिशत	1993-94 से लेकर 1994-95 तक हुई वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
धात्विक खनिज						
बाक्साइट	टन	5144916	5534913	4757865	7.58	-14.00
क्रोमाइट	टन	1071075	1064684	1139294	-0.60	7.01
कापर अयस्क	टन	5209584	5009050	4767628	-3.85	-4.82
स्वर्ण	कि.	1850	2075	2373	12.16	14.86
आयरन अयस्क	ह. टन	57147	59655	63037	4.39	5.67

1	2	3	4	5	6	7
सीसा सान्द्र	टन	60648	53850	52584	-11.20	-2.35
मैंगनीज अयस्क	टन	1902650	1696111	1642889	-10.90	-3.14
चांदी	कि.ग्रा.	46550	56096	45911	20.48	-18.20
टिन	कि.ग्रा.	65811	127340	59226	93.49	-53.50
टंगस्टन	कि.ग्रा.	5188	5247	5721	1.14	9.03
जस्ता सांद्र	टन	301283	290152	258215	-3.69	9.50
गैर धात्विक खनिज						
अगेत	टन	650	725	600	11.54	-17.20
ऐपाटाइट	टन	16912	12342	11066	-27.00	-10.30
एस्टेस्टस	टन	42213	41725	28610	-1.16	-31.40
बालक्ले	टन	264849	367562	364368	38.78	-0.87
बेराइटस	टन	480852	526346	484791	9.44	-8.08
बेंटोनेरियस सैंड	टन	83072	221218	181678	166.30	-17.90
कैल्साइट	टन	64754	70793	62034	9.33	-12.40
चाल्क	टन	109220	109397	147980	0.16	35.27
क्ले (अन्य)	टन	39875	42308	59008	6.10	39.47
कोरडंग	कि.ग्रा	21210	20709	7220	-2.36	-65.10
हीरा	कैरैट	18017	19222	25845	6.69	34.46
डायस्पोर	टन	12085	11318	9923	-6.35	-12.30
डायटोमा अर्थ	टन	0	0	0	0.00	0.00
डोलोमाइट	टन	3232042	3349526	3086894	3.63	-7.89
डूनाइट	टन	0	7597	56834	0.00	648.1
इमेराल्ड	कि.ग्रा.	0	0	0	0.00	0.00
फेल्साइट	टन	000	904	1027	7.35	6.54
फेल्सपार	टन	74086	87155	81343	17.64	-6.67
फासरक्ले	टन	461870	427824	384137	-7.37	-10.20
फ्लूराइट (सांद्र)	टन	19598	22773	24788	16.20	8.85
फ्लूराइट (ग्रेडिड)	टन	3160	4402	4546	39.30	3.27
फ्रस्क क्वार्टजाइट	टन	1	154	797	15300.00	417.50
गोरनेट (एब्रेसिव)	टन	23029	48383	60508	110.10	25.06
गारनेट (जैम)	कि.ग्रा.	507	841	378	65.88	-55.00

1	2	3	4	5	6	7
ग्रेफाइट	टन	78185	83956	101164	7.38	20.50
जिप्सम	टन	1801677	1685531	1550812	-6.45	-7.99
जासपर	टन	4284	5556	4443	29.69	-20.00
काओलिन	टन	668110	645080	663190	-3.45	2.81
कापनाइट	टन	9716	10736	4680	10.50	-56.40
लैटेराइट	टन	494754	469095	367128	-5.19	-21.70
लाइम केंकर	टन	59275	130667	137787	120.40	5.45
लाइमशैल	टन	106032	109595	78933	3.36	-28.00
लाइमस्टोन	टन	80204	83695	88128	4.35	5.30
मैग्नेसाइट	टन	540904	374597	336181	-30.80	-10.30
अभ्रक	टन	2560	2124	1963	-17.00	-7.58
अभ्रक (कतरन)	टन	1158	878	748	-24.20	-14.80
ओकर	टन	148651	202405	191240	36.16	-5.52
पेरलाइट	टन	215	254	274	18.14	7.87
फोरफोराइट	टन	689774	1035517	1086291	50.12	4.90
पायराइटस	टन	130100	115000	117650	-11.60	2.30
[illegible]	टन	82266	92373	91373	12.29	-1.08
[illegible]	टन	204754	177608	170138	-13.30	-4.21
[illegible]	टन	108419	87030	72973	-19.70	-16.10
[illegible]	टन	2900	3100	2875	-6.90	-7.26
[illegible]	टन	2096696	1444829	1249409	-31.10	-13.50
शैल	टन	217881	192456	189273	-11.70	-1.65
सिलिपा सैंड	टन	1208463	2163667	1268088	79.04	-41.40
सिलिमेनाइट	टन	20394	12287	9972	-39.80	-18.80
स्लेट	टन	14013	11136	6947	-20.50	-37.60
स्टीमटाइट	टन	413929	421257	388521	1.77	-7.77
सल्फर	टन	14543	17579	19050	20.88	8.37
वर्मीकुलाइट	टन	1455	2322	1899	59.59	-18.20
वोलास्टोनाइट	टन	54183	62029	74538	14.48	20.17

अफगानिस्तान में अस्थिरता

3197. श्री सुधीर सावंत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफगानिस्तान में वर्तमान अस्थिर स्थिति एवं इसके भारतीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित है; और

(ख) इस क्षेत्र में स्थिरता लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) अफगानिस्तान की अस्थिर स्थिति से सरकार चिंतित है। जिससे इस क्षेत्र पर प्रभाव पड सकता है। सरकार संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के प्रयासों का समर्थन करती है जिनका उद्देश्य अफगानिस्तान में मेल–मिलाप, शांति और स्थिरता की स्थापना करना है तथा सरकार ने यह मांग की है कि अफगानिरतान के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप बंद किया जाए।

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड का पुनरूद्धार

3198. प्रो. सुशांत चक्रवर्ती : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड के पुनरूद्धार के लिए किसी पैकेज पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस इकाई को बंद करने को सोच रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। जल–भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक अल्पावधि–पुनरूद्धार योजना की जांच की है। समिति ने कंपनी के पुनरूद्धार की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों की जांच संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात की पेयजल योजनाएं

3199. श्री शंकर सिंह बाघेला :

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

श्री काशीराम राणा :

श्री दिलीप भाई संघाणी :

श्री हरिलाल ननजी पटेल :

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के अभाव प्रवण क्षेत्रों के लिए कोई ऐसी पेयजल योजनाएं स्वीकृति के हेतु भेजी हैं जिन्हें कुछ देशों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु स्वीकृति देने में कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) नीदरलैंड सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार से निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुई।

1. ग्रामीण स्वच्छता परियोजना
2. घोघा क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना
3. लाठी लिलिया क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना
4. अम्बाजी दान्ते क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना
5. जामनगर जिले के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना
6. मेहसाना जिले के लिए काढी क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना
7. मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आजी क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना

(ग) स्वच्छता संबंधी परियोजना को गुजरात सरकार के पास इस आशय के साथ भेज दिया गया है कि वे इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप पुनर्प्रतिपादित करें। क्र. सं. 2 एवं 3 की उपरोक्त परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए डच प्राधिकारी सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गए हैं। क्र.सं. 4 से 6 की शेष तीन परियोजनाओं को निधीयन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं मिली और उन्हें गुजरात सरकार को वापस भेज दिया गया।

(घ) घोघा एवं लाठी लिलिया क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं के लिए निधीयन प्राधिकारी की अन्तिम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्यों के बीच बिजली का बंटवारा

3200. श्री अमर पाल सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा पंजाब–हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के बीच पंजाब में विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न बिजली के

बंटवारे के संबंध में 10 मई, 1984 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के संबंध में राजस्थान का हिस्सा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिजली की भागीदारी के संबंध में राजस्थान के दावे की राय जानने हेतु उच्चतम न्यायालय को भेजने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राजस्थान के हिस्से की बिजली शीघ्र निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) आनंदपुर साहब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना, थीन बांध परियोजना, अपर बारी दोआब केनाल (यूबीडीसी) चरण-2 और शाहपुर कांडी जल विद्युत स्कीम में उत्पादित विद्युत के हिस्से के संबंध में हरियाणा तथा राजस्थान की हकदारी का मामला न्यायालय के सुपुर्द करने और हकदारी होने की दशा में प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा केन्द्र सरकार के बीच दिनांक 10.5.1984 को एक समझौता हुआ था।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर्राज्यीय बैठकों में यह एक विचारणीय विषय रहा है। तथापि, इस विषय पर कोई आम सहमति नहीं हुई है। एक आपसी मैत्रीपूर्ण समझौता किए जाने हेतु संबंधित राज्यों की राजी कराने के लिए अब उत्तरी क्षेत्र परिषद् से संपर्क किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र - सुरक्षा परिषद् में अस्थायी सीट

3201. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एशिया से बारी-बारी की अस्थायी सीट के लिए वर्ष 1996 के अंत में चुनाव होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस सीट के लिए दावा किया है;

(ग) क्या अन्य एशियाई देशों ने अपनी-अपनी सदस्यता के लिए भारत से समर्थन मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सुरक्षा परिषद् की एक रिक्त सीट के लिए एशिया क्षेत्र से भारत और जापान ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। इस सीट के लिए अपने दावे का देखते हुए हमारे द्वारा जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए किए गए आवंटन

3202. श्री जी. माडे गोडा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक में जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के लिए 1995-96 के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान इन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने जारी की गई राशि का उपयोग प्रमाण पत्र केन्द्रीय सराकर को अब तक प्रस्तुत नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि जारी की गई राशि समय के भीतर खर्च की जाए?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ii) जवाहर रोजगार योजना (iii) सुनिश्चित रोजगार योजना और (iv) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को रिलीज की गई राशि और राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लाई गई राशि निम्न प्रकार है :

		रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (31 अक्तूबर, 1995 तक)	उपयोग की गई राशि (लाख रुपये में)	
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1126.66	294.21	(अगस्त, 1995 तक)
2.	जवाहर रोजगार योजना	9254.88	8495.76	(अक्तूबर, 1995 तक)
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	5020.00	5023.89	(अक्तूबर, 1995 तक)
4.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	2772.00	2357.54	(अक्तूबर, 1995 तक)

(ग) और (घ) निर्धारित निर्देशों के अनुसार एक निश्चित वर्ष के लिए उपयोग प्रमाण पत्र अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक देना होता है। इसलिए, वर्ष 1995-96 के दौरान रिलीज की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र राज्य सरकार से अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में प्राप्त होगा।

निर्यातकों को राहत पैकेज

3203. श्री हरिन पाठक : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को कोई राहत पैकेज प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों का कडाई से पालन करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का विचार प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को कोई राहत पैकेज प्रदान करने का नहीं है।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में निर्यात से हुई आय की वसूली के लिए निर्धारित अवधि और वस्तुओं के निर्यात मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित विनियम दिए गए हैं। निर्यातकों को निर्धारित फार्मों में अपने द्वारा किए जाने वाले निर्यात की घोषणा करनी होती है। निर्यात वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था स्थल पर निरीक्षण और विवरणियों द्वारा आफ साइट निगरानी आदि के मार्फत भारतीय रिजर्व बैंक अपने मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

कर्नाटक की जल विद्युत परियोजनाएं

3204. श्री ए. वैंकटेश नायक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कादरा, कोदसाल्ली तथा गेरली सोप्पा जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक चालू किये जाने की आशा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) कर्नाटक के उत्तरी कन्नारा जिले में कादरा, कोदसाल्ली तथा जेरूसोप्पा जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य क्रियान्वयनधीन है। इनका ब्यौरा निम्नवत् है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	चालू किए जाने की अवधि (प्रत्याशित)	वर्तमान स्थिति
1.	कादरा	3x50	1996-97	सिविल कार्य प्रगति पर है।
2.	कोदसाल्ली	3x40	9वीं योजना	टर्बो जेनरेटर (टीजी) सैट प्राप्त कर लिए गए हैं और उत्पादन कार्य आरंभ हो गया है।
3.	जेरूसोप्पा (श्रावती टेलरेस)	4x60	9वीं योजना	सिविल कार्य प्रगति पर हैं। टी जी सैट का आर्डर दे दिया गया है और 60% आपूर्ति पूरी कर ली गई है।

[हिन्दी]

लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाएं

3205. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में लघु तथा छोटी विद्युत परियोजनाओं के अलावा नई विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का परियोजना वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) बिरसिंगपुर में संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना यूनिट 3 और 4 प्रत्येक 210 मे.वा. वाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, विन्ध्याचल-2 (2x500 मे.वा.) के लिए मशीनो के संबंध में आर्डर वर्ष 1994-95 के दौरान दिए जा चुके हैं।

(ग) राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध मे केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। एन टी पी सी की विन्ध्याचल-2 को विश्व बैंक के 400 मिलियन अमरीकी डालर के समयबद्ध ऋण (टाइम स्लाइस लोन) के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग

3206. श्री तारा सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशिया विकास बैंक इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करने के लिए तैयार है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उक्त राजमार्ग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध होंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी अनुमति लेने के बाद ही सभी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाता है।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक ने सड़क परियोजनाओं का मेनुअल और मार्ग निदेश तैयार करने के लिए 2,40,000/- अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई है। यह अध्ययन पूरा हो चुका है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पर्यावरणीय अध्ययन के दौरान पता लगाए गए सभी अल्पीकरण उपायों को परियोजना लागत में शामिल कर लिया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान इन्हें लागू किया जाता है ताकि राजमार्ग पर्यावरण के अनुकूल बन सके।

[हिन्दी]

फल एवं सब्जियां

3207. श्री केशरी लाल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों एवं सब्जियों का मुख्यतः किन-किन रूपों में प्रसंस्करण किया जा रहा है;

(ख) क्या उनके प्रसंस्करण के कारण उनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी पर्याप्त उपलब्धता हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) फल मुख्यतः गूदा/रस/सान्द्रण/परोसने के लिए तैयार फल पेय/जैम और डिब्बाबंद उत्पादों के लिए प्रसंस्कृत किए जाते हैं और सब्जियॉं मुख्यतः पियरि/पेस्ट/अचार/निर्जलीकृत/प्रशीतित और डिब्बाबंद उत्पादों के लिए प्रसंस्कृत की जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास एजेंन्सियों की निगरानी

3208. श्री शरत पटनायक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय संवर्ग अधिकारियों की नियुक्ति करके जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कार्यो की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के मौजूद लेखा कक्षों को सुदृढ करने के विचार से हाल ही में राज्यों को केन्द्रीय और राज्य संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने पर विचार करने के लिए सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के अवलोकन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु राज्यों का राज्य, जिला और खंड स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने की सलाह दी गई है। इन समितियों में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ जल प्रतिनिधि शामिल होंगे।

असम में 'ट्राइसेम' के अंतर्गत शामिल किए गए युवक

3209. श्री प्रबीन डेका : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान ट्रायसेम योजना के अंतर्गत असम के कितने युवकों को प्रशिक्षित किया गया;

(ख) उनमें से कितने युवकों को स्वरोजगार हासिल करने में सफलता मिली है, और कितने युवकों को अभी स्वरोजगार हासिल करना है,

(ग) क्या राज्य में इस योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) 1994-95 के दौरान ट्राइसेम योजना के अंतर्गत असम के प्रशिक्षित युवाओं की संख्या 9249 थी।

(ख) इनमें से 2603 प्रशिक्षित युवाओं को स्व–रोजगार हासिल करने में सफलता मिली थी और 6646 युवाओं को अभी स्वरोजगार हासिल करना है।

(ग) जी, हा।

(घ) ट्राइसेम कार्यक्रम के कार्यान्वयन की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए जून से अगस्त, 1993 के दौरान असम रहित 10 प्रमुख राज्यों के 61 जिलों में ट्राइसेम का तीव्र मूल्यांकन कराया गया था। असम राज्य से संबंधित सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

(1) सर्वे किए गए कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों में से, 40% लाभार्थियों ने उसी व्यवसाय में रोजगार शुरू किया था जिनका उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, 1.25% उस व्यवसाय में हैं, जिनका उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था तथा 58.75% लाभार्थी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके।

(2) 78.21% और 21.79% लाभार्थी रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और असमर्थ पाए गए थे।

(3) 92.50% लाभार्थियों ने प्रशिक्षण के दौरान ऋण हेतु आवेदन किया था और 7.50% ने ऋण हेतु आवेदन नहीं किया।

(4) लाभार्थियों के 37.50% मामलों में सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधर होने की सूचना मिली थी।

(5) ब्लाक विकास अधिकारी कार्यान्वयन में पूर्ण रूप से शामिल पाये गए।

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

3210. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री पवन दीवान :

श्री लाल बाबू राय :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए आठवीं योजना का कुल बजट परिव्यय कितना है;

(ख) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ग) इस कार्यक्रम में राज्यवार कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(घ) किन–किन जिलों में भूमि अभिलेख प्रबंध पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत हो गया है; और

(ङ) यह कार्यक्रम समग्र देश में कब तक लागू कर दिया जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) आठवीं योजना में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कुल बजट परिव्यय 48.00 करोड़ रुपये हैं।

(ख) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 33.48 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च हुई है, जिसमें से 28.46 करोड रुपये आठवीं योजना के दौरान खर्च किए गए।

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक कवर किए गए जिलों की कुल संख्या 162 है, जिसमें से 138 जिलों को आठवीं योजना के दौरान कवर किया गया है। राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण 4 जिलों अर्थात् मोरैना (मध्य प्रदेश) रिवाडी (हरियाणा) गुलबर्गा (कर्नाटक) और सोनितपुर (असम) में पूरा कर लिया गया है।

(ङ) नवीं योजना के अंत तक कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र देश को कवर कर लिये जाने की संभावना है।

विवरण

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		कवर किए गए जिलों की संख्या	
1	2	3	
1.	आंध्र प्रदेश	22	
2.	असम	5	
3.	बिहार	7	
4.	गुजरात	1	
5.	गोवा	1	(संपूर्ण राज्य)
6.	हरियाणा	5	
7.	हिमाचल प्रदेश	8	
8.	जम्मू व कश्मीर	4	
9.	कर्नाटक	7	
10.	केरल	7	
11.	मध्य प्रदेश	12	
12.	महाराष्ट्र	14	
13.	मणीपुर	3	
14.	मिजोरम	1	
15.	उड़ीसा	6	
16.	पंजाब	5	
17.	राजस्थान	16	

1	2	3	
18.	सिक्किम	1	
19.	तमिलनाडु	7	
20.	त्रिपुरा	3	
21.	[illegible]तर प्रदेश	16	
22.	पश्चिम बंगाल	8	
23.	दादर व नगर हवेली	1	(संपूर्ण संघ शासित क्षेत्र)
24.	दिल्ली	1	(संपूर्ण संघ शासित क्षेत्र)
25.	पांडिचेरी	1	(संपूर्ण संघ शासित क्षेत्र)
	कुल :	162	

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3211. श्री पवन दीवान : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश ग्राम विकास कार्यक्रम के लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गांवों के गरीब लोगों के लिए नीतियां तैयार करने हेतु कार्यविधियों की समीक्षा करने का है;

(घ) क्या ग्रामीण विकास के लिए नीति तैयार करने वाले व्यक्ति ग्राम्य जीवन से परिचित नहीं होते, और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं, यह सच नहीं है कि अधिकाश ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के लाभ गरीबों तक नही पहुचे हैं। केन्द्र द्वारा ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम प्रमुख हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीबो को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाता है। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से सक्षम उन वयस्क लोगो को 100 श्रम दिनों का रोजगार सुनिश्चित कराया जाता है जिनको कार्य की आवश्यकता है और जो कार्य चाहते हैं।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सर्वेक्षणो की मार्फत चयनित बिना पेयजल स्रोत वाले गांवों/बसावटों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां रिलीज की जाती हैं। इसके अलावा, योजना के संदूषित पेयजल आदि सहित सभी गांवों को भी कवर किया जाता है।

(ग) ग्रामीण गरीबों के लिए नीतियां बनाने के लिए अपनाए गए तरीकों की विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशको के सम्मेलनों/कार्यशालाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत चर्चाओं से सामने आई बातों के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, इन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन भी कराया जाता है। सरकार द्वारा इस दिशा में इन कार्यक्रमो के कार्यान्वयन मे पुनः जान डालने के लिए कई नए प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु हाल ही मे शुरू किए गए प्रयासो में ये शामिल हैं (क) प्रति परिवार निवेश के स्तर में वृद्धि करना (ख) परिवार ऋण योजना का विस्तार करना, (ग) सीमांत रेखा का हटाया जाना और (घ) कार्यक्रम लागू करने को सुदृढ़ बनाना आदि। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना के मामले में इन्दिरा आवास योजना के लिए निर्धारित निधियों को कुल आवंटन के 6% से बढ़ाकर 10% किया गया है।

(घ) जी नहीं। ग्रामीण विकास हेतु नीतियां बनाने वाले लोगों को ग्रामीण जीवन की पूरी-पूरी जानकारी होती है क्योंकि वे ग्राम पंचायतों खंड विकास अधिकारियों, जिला पदाधिकारियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ परस्पर क्षेत्रीय निरीक्षण की मार्फत बुनियादी स्तर पर निरंतर संपर्क बनाए रखते है। हाल ही में मंत्रालय ने अक्तूबर 1995 मे दिल्ली में पंचायत अध्यक्षों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा केरल स्थित इस्पात परिसर का अधिग्रहण

3212. श्री के. मुरलीधरन :

श्री वी. एस. विजयराघवन :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा कोजीकोड स्थित इस्पात परिसर लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) हालांकि केरल सरकार ने सेल द्वारा स्टील कम्पलैक्स लिमिटेड,

कोजीकोड, केरल का अधिग्रहण करने के लिए विचार करने हेतु इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है। सेल के एक दल, जिसने अक्तूबर, 1994 में काम्प्लैक्स का दौरा किया था, ने इकाई का अधिग्रहण करने के विरुद्ध निर्णय लिया था। तथापि, 'सेल' ने इकाई को तकनीकी सहायता यदि इकाई को इसकी जरूरत हो, देने की पेशकश की थी।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य की अनुमति

3213. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनन कार्य की अनुमति प्राप्त करने के लिए कितने अनिवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आवेदन किया है;

(ख) गत वर्ष के दौरान ऐसी कितनी कंपनियों को इस कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई और इस संबंध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल तमिलनाडु राज्य सरकार ने त्रिची जिले के अरियलूर तालुक में मिनी सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिये एनआरआई द्वारा प्रमोटिड कंपनी को खनन पट्टे की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने खनन की अनुमति देने के लिए एक आवेदन भी प्राप्त किया है लेकिन अभी तक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पोषित भारतीय कंपनियों जैसे मैसर्स सीआरए एक्सप्लोरेशन, मैसर्स अश्टान माइनिंग, मैसर्स डी बीयर्स और मैसर्स ए. आई. आर. (आस्ट्रेलियन इंडियन रिसोर्सेज) ने विभिन्न राज्यों में पूर्वेक्षण लाइसेंस की अनुमति के लिये आवेदन किया है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

नाइट्रोजन और फास्फेटयुकत उर्वरक

3214. श्री प्रतापराव बी. भोंसले : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में नाइट्रोजन, फास्फेटयुक्त और सम्मिश्रित उर्वरकों का अलग-अलग उत्पादन कितना रहा;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान नाइट्रोजन, फास्फेटयुक्त उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ग) देश में उर्वरक का उत्पादन बढाने हेतु क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में नाइट्रोजनयुक्त फास्फेटिक और काम्पलेक्स उर्वरकों का उत्पादन संलग्न विवरण पत्र में दिया है।

(ख) यूरिया तथा डीएपी प्रमुख नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों का देश में आयात किया जाता है। 1993-94 और 1994-95 के दौरान आयात निम्न प्रकार है :

(लाख टन में)

वस्तु	1993-94	1994-95
यूरिया	28.08	28.70
डीएपी*	15.69	8.25

* अनियंत्रण तथा असरणीबद्ध करने के पश्चात् आयात के आंकड़े केवल अनुमानित हैं।

(ग) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी किए गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी एककों ने उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति को अपनाया है :

(i) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार

(ii) नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने तथा वर्तमान संयंत्रों तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में ड्यूल फ्यूएल/फीडस्टाक सुविधाएं लगाकर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के उत्पादन के लिए वरीयता प्राप्त फीड स्टाक, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं को दूर करना; और

(iii) सस्ते तथा भारी कच्चे माल के भंडार वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्थापित किया जाना।

प्रतिधारण-मूल्य-आर्थिक सहायता योजना इस समय यूरिया पर लागू है तथा उद्यमियों को निवेश के लिए पर्याप्त रूप से लाभ प्रदान करती है। उर्वरक क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता को बनाये रखने में यह योजना महत्वपूर्ण घटक होगी।

अनियंत्रित उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार आयातित म्यूरियेट आफ पोटाश (एमओपी) तथा स्वदेशी डीएपी और अन्य कम्पलेक्स के बारे में अनुमानित रियायत के रूप में 1000 रु. की दर से विशेष रियायत दे रही है। स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहक बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय भी किये गये हैं :

(i) डीएपी के निर्माण के लिए कच्चे माल, फास्फोरिक एसिड के आयात पर 27.8.1992 से सीमा शुल्क हटा दिया गया था;

(ii) विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण तथा नये संयंत्रों को स्थापित करने के लिऐ पूंजीगत माल के आयात पर

23.9.1992 से सीमा शुल्क हटा दिया गया था;

(iii) सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों के आवधिक ऋण में वृद्धि पर ब्याज दर में 3% की रियायत के लिए फरवरी 1993 में एक योजना घोषित की गयी थी।

(iv) फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों तथा उनके कच्चे माल के बारे में 5.9.1992 से रेलवे भाड़े में कमी हुई थी।

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआई) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) के रूग्ण एककों में उत्पादन को अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके बनाये रखा गया है।

उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा इन्पुट आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के समेकित प्रयास भी किये हैं।

विवरण

1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न किस्म के उर्वरकों का उत्पादनवार उत्पादन

(000 मी. टन)

उत्पाद का	1993-94 में उत्पादन			1994-95 में उत्पादन		
नाम	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी
यूरिया	13148.3	6048.2	0.0	14282.9	6570.1	0.0
ए/सी	621.9	130.6	0.0	582.5	122.3	0.0
सीएएन	666.2	166.6	0.0	571.8	142.9	0.0
ए/सी	130.7	32.7	0.0	137.1	34.3	0.0
डीएपी	1950.6	351.1	897.3	2823.3	508.3	1298.7
20 : 20	882.9	176.6	176.6	1116.3	223.3	223.3
एसएसपी	1900.0	0.0	304.0	2636.9	0.0	421.0
15 : 15 : 15	303.1	45.5	45.5	240.2	36.0	36.0
एएनपी (20.8 : 20.8)	267.2	55.3	55.3	254.2	52.6	52.6
17 : 17 : 17	483.7	54.4	82.2	650.2	110.5	110.5
10 : 26 : 26	251.0	25.1	65.3	262.7	26.3	60.3
12 : 32 : 16	193.2	23.2	61.8	352.8	42.3	112.9
14 : 35 : 14	10.6	1.5	3.7	19.9	2.8	7.0
19 : 19 : 19	129.4	24.6	24.6	153.7	29.2	29.2
28 : 28	284.2	79.6	79.6	326.5	91.4	91.4
16 : 20	87.8	14.0	17.6	141.9	22.7	28.4
23 : 23	10.2	2.3	2.3	54.0	12.6	12.6
14 : 28 : 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आया. यूरिया (एनपीके)				-39.1	-18.0	0.0
स्व. यूरिया (एनपीके)				-139.7	-64.3	0.0
योग :	21321.0	7231.2	1815.7	24428.9	7945.4	2492.8

समुद में खनिजों की खोज

3215. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री शंकर सिंह बाघेला :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 250 करोड रु. के दीर्घावधि ऋण का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे राज्यवार क्या--क्या फायदे प्राप्त होंगे;

(ग) क्या जीएसआई का भी इस ऋण का समुद्री अन्वेषण और अनुसंधान पोत खरीदने में उपयोग करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के पोत खरीदने का विचार है;

(ङ) अन्य कौन--कौन सी परियोजनाएं शुरू की जायेंगी; और

(च) समुद्र में खनिजों की खोज के क्षेत्र में प्राधिकारियों द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ) फ्रांस ने देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का विस्तार करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं दिया है। तथापि, फ्रांस से इंडो--फ्रेंच फाइनेंशियल प्रोटोकोल के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋणों के रूप में सहायता उपलब्ध है। खनिज गवेषण और विकास पर भारत फ्रांस कार्य दल को 9वीं बैठक के दौरान फ्रांस से सहायता के लिए पहचानी गई एक परियोजना, गवेषण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए एक समुद्री जहाज की प्राप्ति करना था। प्रस्ताव अभी भी आरंभिक चरण मे है।

(ङ) शुरू की जाने वाली संभावित अन्य योजनाएं इस प्रकार है:

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक डाटा केन्द्र की स्थापना करना;
2. उडीसा में प्लेटिनम समूह के धातुओं का विस्तृत गवेषण;
3. खानों और अपशिष्ट सामग्री की प्राप्तियों के पर्यावरण प्रबंध के संबंध में उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों का विकास करना;
4. खनिजों, भूजल और बंजर भूमि के विकास के लिए हवाई भू--भौतिकी सर्वेक्षण।

(च) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समुद्र तल के अन्वेषण के तहत की जा रही गतिविधियों में भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र तल का मानचित्रण करना; विशिष्ट खनिजों के लिए विस्तृत और फोक्सड सर्वेक्षण और समुद्र तल आकृति विज्ञान पर स्ट्रेटेजिक अध्ययन और हाइड्रोकार्बनों के लिए भू--रसायनिक स्केन आदि शामिल हैं।

इस्पात संयंत्रों के लिये कोयले का आयात

3216. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों के लिए 90 लाख टन कोयले के आयात का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन कोयला धोवनशालाओं का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है जिनका प्रबंध इस समय भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्वदेशी स्रोतों से कोककर कोयले की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के मात्रात्मक तथा गुणवत्तात्मक अंतर को दूर करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान 60 लाख टन कोककर कोयले का आयात करने के लिये "सेल" की योजना है।

(ख) पत्तनों पर वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर वर्ष 1995-96 के दौरान (नवम्बर, 1995 तक) 'सेल' द्वारा आयातित कोयले की मात्रा 35.83 लाख टन है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उन कोयला धोवनशालाओं जिनका प्रबंधन इस समय भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, को अधिग्रहित करने के लिए 'सेल' का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 'लीज फाइनेंस'

3217. डा. साक्षीजी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के लिए 'लीज फाइनेंस' की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि नियत की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) ने पी एफ सी को कोई विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु विक्रय और लीज बैक व्यवस्थाओं के संबंध में मात्र एक सामान्य जांच पड़ताल की है।

(ग) पी एफ सी की निधिया किसी विशेष राज्य के लिए निर्धारित नहीं की गई हैं और ऋण, परियोजना प्रस्तावों की विशेषताओं के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

कश्मीर के संबंध में अमरीकी दृष्टिकोण

3218. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कश्मीर के विलय के मुद्दे पर अमरीका के दृष्टिकोण में आए हाल के परिवर्तन पर विचार किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका निष्कर्ष क्या निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार ने दक्षिण एशिया से संबद्ध अमरीका की असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट सुश्री राबिन रापेल द्वारा 6 दिसम्बर, 1995 को एशिया एवं प्रशांत से संबद्ध हाउस इन्टरनेशनल रिलेशन समिति की उप–समिति के समक्ष हाल में दिए गए वक्तव्य में कश्मीर के उल्लेख पर गौर किया है। तथापि अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य पहले भी दिए जा चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कांडला पत्तन की उत्पादकता

3219. श्री काशीराम राणा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र पत्तन की पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अनुमानित उत्पादकता कितनी है;

(ख) कम उत्पादकता के क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस पत्तन पर प्रतिदिन निर्धारित कार्य के घंटों और वास्तविक कार्य के घंटों का अनुमानित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकतम क्षमता प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य कांडला पत्तन की अनुमानित उत्पादकता के बारे में जानना चाहते हैं न कि कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में। प्रतिवर्ष प्रतिदिन उत्पादकता और प्रतिगैंग प्रति जारी उत्पादन इस प्रकार हैं :

		1992-93		1993-94		1994-95	
		कांडला	बाड़ीनगर	कांडला	बाड़ीनगर	कांडला	बाड़ीनगर
I.	प्रतियर्ष प्रतिदिन उत्पादकता (टन में)	2984	68500	3045	77992	3179	85334
II.	प्रति गैंग प्रतिपारी उत्पादन (टन में)	181	–	214	–	228	–

(ग) कांडला पत्तन पर वर्ष में गोदी और तटीय श्रमिकों के लिए घोषित 13 अवकाशों को छोड़कर प्रतिदिन तीन पारियों में 24 घंटे कार्य होता है। तथा 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पत्तन में उपर्युक्त सामान्य तरीके से कार्य हुआ।

(घ) से (च) उत्पादकता में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें यंत्रीकरण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रस्तावों की उचित मानिटरिंग, कम्प्यूटरीकरण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

आधारभूत संरचना संबंधी समिति

3220. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की आधारभूत संरचना संबंधी समिति ने यह बताया है कि पत्तन सुविधाओं की अपर्याप्तता, टर्मिनल प्रभारों में लगातार बढोत्तरी, बंकर समायोजन

कारकों तथा सीटों की अनुपलब्धता आदि जैसी मुख्य समस्याओं के समाधान के लिये केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन ने भाड़ा प्रभारों को स्थिर बनाने, पत्तनों पर उपकरणों और सुविधाओं के आधुनिकीकरण और पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है।

महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में 2984 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। टर्मिनल प्रभार और बंकर समायोजन कारक नौवहन एजेंटों द्वारा सीधे आयातकों/निर्यातकों से वसूल किए जाते हैं और पत्तन इनकी वसूली नहीं करते। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं सुझाव देती रहती हैं और जब भी व्यवहार्य होता है इनके कार्यान्वयन पर विचार किया जाता है।

पत्तनों में पूंजी निवेश

3221. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पत्तनों में बहुत कम निवेश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निजी कंपनियों को भारतीय पत्तनों में अपने पूंजी निवेश के माध्यम से विकासात्मक कार्य शुरू करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो निजी कंपनियों की समस्याओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं। देश में महापत्तनों के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 में अभी तक 1000 करोड़ रु. से भी अधिक का निवेश पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 1996-97 में महापत्तनों पर 620 करोड़ रु. व्यय करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के किसी भी महापत्तन द्वारा ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

म्यांमार के लिए परिवहन सुविधाएं

3222. श्री मंजय लाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल सीमा के व्यापार को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए म्यांमार के साथ हुए समझौते को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या म्यांमार में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग सड़क के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की लगातार मांग करते आ रहे हैं;

(घ) क्या सरकार व्यापार को बढावा देने हेतु सड़क के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वीजा और आप्रवास संबंधी सुविधा देने के लिये कार्रवाई कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत और म्यांमार के बीच मणिपुर में बरास्ता मोरेह और म्यांमार में बरास्ता ताम् थलमार्ग से सीमावर्ती व्यापार संबंधी करार का क्रियान्वयन किया गया है। यह करार 21.1.94 को संपन्न हुआ था और सीमावर्ती व्यापार आधिकारिक रूप से 12.4.95 को शुरू हुआ।

(ग) जी, नहीं। सरकार को अभी तक म्यांमार में रहने वाले भारतीय समुदाय की ओर से सड़क मार्ग से परिवहन की सुविधा देने के संबंध में औपचारिक रूप से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि यह प्रस्ताव म्यांमार में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों द्वारा यांगोन में भारतीय राजदूत के साथ अनौपचारिक रूप से उठाया जाता रहा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। गृह मंत्रालय ने मणिपुर की राज्य सरकार को विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं कि सीमा जांच चौकी पर आप्रवासन की सुविधाएं उपलब्ध कराए। उचित भारतीय व्यापारियों के प्रयोग के लिए यात्रा पत्र सुविधा शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

केरल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

3223. प्रो. के. वी. थामस : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के विकास के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) जी हां।

इस मंत्रालय ने केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान त्रिचूर के भवन का वर्ष 1991 और 1994 में दो चरणों में निर्माण करने के लिए केरल सरकार को दो किस्तों में 55.00 लाख रुपये की राशि रिलीज की है।

गुरूदास कामत समिति रिपोर्ट

3224. श्री राम कापसे : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री गुरूदास कामत समिति रिपोर्ट के बारे में 29 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7656 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवश्यक सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) जी हां। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5.5.1993 को राज्य सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी और उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।

कांडला पत्तन न्यास द्वारा प्लाटों का आवंटन

3225. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में कांडला पत्तन न्यास ने गांधी धाम स्थित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कांडला पत्तन न्यास द्वारा गठित भूखंड आवंटन समिति ने उन मामलों की सिफारिश की है जिनके लिए भूखंड के आवंटन कांडला पत्तन न्यास द्वारा किसी न किसी बहाने आस्थगित रहे;

(घ) यदि हां, तो उन भूखंडों का ब्यौरा क्या है जिनकी सिफारिश समिति ने 1990-91 के दौरान अपनी चौथी बैठक में की थी;

(ङ) क्या कांडला पत्तन न्यास ने भूखंडों के आवंटन का कार्य अब तक नहीं निपटाया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कांडला पत्तन न्यास ने भूखंडों का आवंटन उन व्यक्तियों को किया है जिन्होंने इन भूखंडों हेतु आवेदन पत्र नहीं दिए हैं;

(ज) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार ने उन आवेदकों को भूखंडों का आवंटन करने हेतु क्या कार्यवाही की है जिन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया है परंतु जिन्हें भूखंडों का आवंटन नहीं किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तथापि यह उल्लेखनीय है कि कुछ पार्टियां भूमि के आवंटन के लिए एक सामान्य रूप में आवेदन करती रही हैं। भूखंड आवंटन समिति ने ऐसे 4 मामलों की सिफारिश की थी जिन्हें कांडला पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

(ङ) से (झ) कांडला पत्तन न्यास ने गांधीधाम औद्योगिक क्षेत्र में उसके बाद किसी प्लॉट का आवंटन नहीं किया है। सरकार द्वारा अप्रैल, 1995 में जारी किए गए संशोधित मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुराने लम्बित आवेदकों के लिए अब कोई आवंटन संभव नहीं है।

[हिन्दी]

इन्द्रावती नदी पर पुल

3226. श्री मानकूराम सोडी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान जगदलपुर–निजामाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन्द्रावती नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण कराने हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक सर्वेक्षण कराये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निधियों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

गाजियाबाद के दादरी में विद्युत की आपूर्ति

3227. श्री प्रेमचन्द राम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दादरी के ग्रामीण फीडरों को केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं द्वारा 33 किलोवाट/11 किलोवाट के विद्युत उपग्रहों से सीधे विद्युत की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क)

किसी राज्य के ग्रामीण/शहरी फीडरों में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्ड की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कुवैत से लौटे हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

3228. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत तथा अन्य देशों से स्वदेश वापस भेजे गये भारतीयों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) अब तक स्वदेश वापस भेजे गये भारतीयों के पुनर्वास संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जान–माल की क्षति के कारण कितना मुआवजा दिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) स्वदेश प्रत्यावर्तित भारतीयों के पुनर्वास के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग, जेनेवा ने कुल प्राप्त श्रेणी 'ख' (इसकी आक्रमण के परिणामतः मृत्यु/चोट) के कुल 258 दावों में से इस श्रेणी के 167 दावों के संबंध में 642,500 अमरीकी डालर का भुगतान ज़ारी कर दिया है। श्रेणी 'ख' के शेष दावे या अस्वीकार कर दिए गए/डुप्लीकेट पाए गए अथवा संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा श्रेणी 'ग' (व्यक्तिगत संपत्ति की क्षति से संबंधित) में अंतरित कर दिए गए। इस समय इस राशि का वितरण कार्य चल रहा है।

सभी श्रेणियों (क, ख और घ) के अंतर्गत दायर किए गए लगभग 1,46,000 दावों में से संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने श्रेणी 'क' के केवल 60,320 दावों (कुवैत/ईराक से प्रस्थान के लिए अनुग्रह राशि) तथा श्रेणी 'ख' के 258 दावों के संबंध में अपना निर्णय दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को भी श्रेणी 'क' के दावों की अभी जांच करनी है तथा श्रेणी 'ग' (100,000 अमरीकी डालर तक की व्यक्तिगत संपत्ति की क्षति) और श्रेणी 'घ' (100,000 अमरीकी डालर से अधिक की व्यक्तिगत संपत्ति की क्षति) के अलग–अलग दावों की जांच पड़ताल करनी है श्रेणी 'ङ' के निगमित दावों और श्रेणी 'च' के सरकार के दावों पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब अलग–अलग श्रेणी के दावे निपटा लिए जायेगें।

यद्यपि, दावों की जांच पड़ताल करना और सफल दावेदारों को भुगतान का करना संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का ही दायित्व है फिर भी भारत सरकार समय–समय पर संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की शासी परिषद् (इस समय सुरक्षा परिषद् के सदस्यों को मिलाकर बनी) की यह बात जोर देकर कहती रहती है कि यह भारतीय दावों का शीघ्र निपटान करें।

उत्तर प्रदेश स्थित गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना

3229. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कुल कितने गांव हैं;

(ख) अब तक कितने गांव पक्की सडक से नहीं जुड़े हैं;

(ग) क्या दस हजार से भी अधिक आबादी वाले गांव सुन्दल हेरी, डाकखाना पुनवोरका (सहारनपुर) के समग्र विकास के लिए इसे अम्बेडकर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(घ) क्या इस गांव को स्वतंत्रता के 47 वर्षों के बाद भी पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) इस गांव को पक्की सड़क से कब तक जोड दिया जाएगा;

(छ) इस गांव में अब तक अन्य क्या–क्या सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ज) 1995-96 के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ज) यह मंत्रालय सड़क और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला–वार और ग्राम–वार आंकड़े नहीं रखता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पेयलज

3230. श्री महेश कनोडिया :

श्री काशीराम राणा :

श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री पवन दीवान :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पेयजल समस्या के समाधान के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 2,33,528 गांवों/वसावटों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 1996-97 के लिए लक्ष्यों को अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना के दौरान स्वच्छ पेयजल से कवर किए गए गांवों की संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14601	20589
2.	अरूणाचल प्रदेश	1275	1173
3.	असम	11952	9126
4.	बिहार	2736	26955
5.	गोवा	106	141
6.	गुजरात	5863	6474
7.	हरियाणा	2206	2252
8.	हिमाचल प्रदेश	2250	2494
9.	जम्मू व कश्मीर	2335	2054
10.	कर्नाटक	26909	25879
11.	केरल	770	1356
12.	मध्य प्रदेश	22600	25377
13.	महाराष्ट्र	14725	13907
14.	मणीपुर	1208	1227
15.	मेघालय	2928	2634
16.	मिजोरम	538	527
17.	नागालैंड	664	597
18.	उडीसा	20345	21769
19.	पंजाब	1407	1416
20.	राजस्थान	8585	10949
21.	सिक्किम	284	260
22.	तमिलनाडु	10306	11518
23.	त्रिपुरा	4234	3358
24.	उत्तर प्रदेश	30370	48403
25.	पश्चिम बंगाल	9873	10728
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	125	160
27.	चंडीगढ	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	0	0
29.	दमन व दीव	0	7
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्षद्वीप	10	13
32.	पांडिचेरी	127	88
	कुल :	223922	251431

[अनुवाद]

राज्यों का विद्युत में हिस्सा

3231. श्री राम नाईक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र को केन्द्रीय क्षेत्र से हिस्से से कम विद्युत दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय क्षेत्र से 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य को विद्युत का कितना हिस्सा आवंटित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य को वास्तविक रूप से कितनी विद्युत दी गई; और

(घ) महाराष्ट्र में विद्युत की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) जी हां। 1993-94, 1994-95 और अप्रैल–अक्तूबर, 1995 के दौरान महाराष्ट्र द्वारा केन्द्रीय केन्द्रों से अपनी हकदारी के हिस्से की अपेक्षा वस्तुतः प्राप्त की गई विद्युत का ब्यौरा निम्नवत् है :

	1993-94	1994-95	अप्रैल–अक्तूबर 95
हकदारी (मिलियन यूनिट)	7925.1	8184.9	5839.0
वस्तुतः प्राप्ति (मिलियन यूनिट)	6668.1	6524.6	5146.9

(घ) मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; नई विद्युत उत्पादन क्षमता

को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबंध एंव ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना और निकटवर्ती राज्यों/प्रणालियों से विद्युत के अंतरण की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से राज्य अपने हिस्से की समुचित विद्युत भी प्राप्त करता है।

फ्लोराइड से प्रभावित गांव

3232. श्री धर्मभिक्षम : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने गांव अभी भी फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में क्या सहायता दी है; और

(ग) इससे संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश में 1.4.1995 को पेयजल में अधिक फ्लोराइड की समस्या का सामना करने वाली 6345 बस्तियां थीं।

(ख) 1992-93 से लेकर 1995-96 में अब तक आंध्र प्रदेश सरकार को कुल 6543.96 लाख रुपये की राशि की सहायता दी गई है।

(ग) प्रमुख योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

1.	प्रकाशम कानीगिरी में 87 गांव	
2.	अनंतपुर	(54 गांव)
3.	कुरनूल	(8 गांव)
4.	कुरनूल	(81 गांव)
5.	महबूब नगर	(69 गांव)
6.	गुंटूर	(17 गांव)
7.	निजामाबाद	(116 गांव 59 बस्तियां)
8.	मरीमनगर	(81 गांव)
9.	पूर्वी गोदावरी	(43 गांव 14 बस्तियां)
10.	रंगारेड्डी	(97 गांव)
11.	प्रकाशम	(71 गांव)
12.	निलूर	(123 गांव)
13.	कुरनूल	(126 गांव)
14.	गुंटूर	(52 गांव)
15.	वारांगल	(24 गांव)
16.	करीमनगर	(82 गांव)

राष्ट्रीय ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना

3233. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक राष्ट्रीय ने ऊर्जा प्राधिकरण स्थापित करने का उद्देश्य कहां तक सफल रहा है;

(ख) क्या सरकार ने ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाकर देश में मौजूदा विद्युत संकट का हल निकालने के लिए कोई प्रयास किए है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) देश में किन–किन राज्यों में विद्युत की कमी है और किन–किन राज्यों के पास आवश्यकता से अधिक विद्युत है;

(ङ) देश में इस समय किन–किन विभिन्न स्रोतों से कितनी विद्युत उत्पादित की जा रही है और कितनी अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता है; और

(च) इस ऊर्जा संकट को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) किसी राष्ट्रीय ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) और (ग) जनवरी, 1993 में विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें विद्युत क्षेत्र के भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु एक कार्रवाई योजना अपनाई गई थी।

(घ) अप्रैल–नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में ऊर्जा की कमी थी।

(ङ) नवम्बर 1995 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	स्रोत	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1.	ताप विद्युत	24589
2.	न्यूक्लीय	505
3.	जल विद्युत	5777
	कुल :	30871

वर्ष 1995-96 के लिए विद्युत उत्पादन कार्यक्रम 377150 मिलियन यूनिट है।

(च) मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू किया जाना, अल्प निर्माणाधीन वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यानिष्पादन में सुधार लाना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन किया जाना तथा

अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अंतरण किया जाना शामिल हैं।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

3234. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 30 अप्रैल, 1994 को अंता, औरिया एवं दादरी गैस विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ को अधिसूचित किया था;

(ख) क्या यह टैरिफ 15 दिसम्बर, 1993 को केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ अधिसूचना में संशोधन लाने हेतु अभ्यावेदन दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हा।

(ख) अन्ता, औरैया तथा दादरी गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ 15 दिसम्बर, 1993 को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) टैरिफ अधिसूचना में शामिल किए गए ईंधन मूल्य समायोजन फार्मूला में उल्लिखित गैस की 'कैलोरिफिक वैल्यू' के स्थान पर ग्रोस क्लोरिफक वैल्यू शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के संबंध में टैरिफ अधिसूचना में संशोधन करने हेतु राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने अभ्यावेदन किया है।

(ङ) मामला वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास पैकेज

3235. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिहरी बांध परियोजना के कारण संभावित रूप से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किसी पुनर्वास पैकेज की घोषणा की हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (टीएचडीसी) ने परियोजना से प्रभावित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नीति में नये/संशोधित उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर भूमिहीन भू-विस्थापितों को निःशुल्क आवंटित करने हेतु एक कमरे वाले 100 मकानों का निर्माण करना, मकानों का निर्माण करने अथवा बने हुए मकानों/पलेटों को खरीदने के लिए रियायती दरों पर वित्तपोषण की व्यवस्था करना, भूमि/प्लाट/फ्लैट/दुकान के आवंटन के स्थान पर नकद विकल्पों को आरंभ करना ताकि भू-विस्थापित स्वयं किसी और स्थान पर बस सकें, शीघ्र स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन देना, नकद अनुदान राशियों में अभिवृद्धि करना और टी एचडीसी द्वारा अभिहस्तांतरण पत्र के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क प्रभारों को वहन करना, शामिल है। ऐसे परिवार, जिनके गांवों जलाशय के कारण आंशिक रूप से जलमग्न हो जायेंगे, उनको भी अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय

3236. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इनमें से कितने पासपोर्ट कार्यालय खोले गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इनमें से किसी भी राज्य में जहां गत पांच वर्षों में सबसे अधिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं वहां पर पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) इस समय देश में 23 पासपोर्ट कार्यालय हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेश वार उनकी अवस्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्ष के दौरान इनमें से केवल दो पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किये गये थे। अर्थात् पासपोर्ट कार्यालय त्रिवेन्द्रम की स्थापना जनवरी 1992 में और पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू की स्थापना मार्च 1994 में की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कार्यालयों की संख्या	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	गुजरात	1	अहमदाबाद

1	2	3	4
2.	कर्नाटक	1	बंगलौर
3.	उत्तर प्रदेश	2	बरेली, लखनऊ
4.	मध्य प्रदेश	1	भोपाल
5.	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
6.	महाराष्ट्र	2	बम्बई, नागपुर
7.	पश्चिम बंगाल	1	कलकत्ता
8.	पंजाब, हरियाणा	2	चंडीगढ़, जालंधर
9.	केरल	3	कोचीन, कोजीकोड त्रिवेन्द्रम
10.	दिल्ली	1	दिल्ली
11.	असम	1	गुवाहाटी
12.	आंध्र प्रदेश	1	हैदराबाद
13.	राजस्थान	1	जयपुर
14.	तमिलनाडु	2	मद्रास, त्रिचुरापल्ली
15.	गोआ	1	पणजी
16.	बिहार	1	पटना
17.	जम्मू–कश्मीर	1	जम्मू

वस्तुओं के रूप में भुगतान संबंधी योजना

3237. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तुओं के रूप में भुगतान करने संबंधी योजना गरीबों को प्रभावित करने में असफल रही है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जवाहर रोजगार योजना जैसी गरीबी उन्मूलन योजना के साथ जोड़ने संबंधी केन्द्र सरकार की वृहत योजना असफल प्रतीत हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रोजगार वृद्धि कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की फरवरी, 1994 में आरंभ की गई योजना के संबंध में तथ्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि "काम के बदले में अनाज" कार्यक्रम की तरह यह असफल न हो, क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों का वितरण, ग्रामीण निर्धन परिवारों के पौष्टिक आहार के स्तरों को सुधारने के साथ–साथ मजदूरों की वास्तविक मजदूरी को सुरक्षा प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी के रूप में खाद्यान्न ग्रामीण निर्धनों को दीर्घकालीन लाभ प्रदान करने के दृष्टिकोण से 2 किलो प्रति श्रमदिन की दर से दिया जाना चाहिए। यदि खुले बाजार में खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित मूल्यों से सस्ते हैं, तो ऐसी स्थिति में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को जन वितरण प्रणाली की दरों से खाद्यान्न का दिया जाना मजदूरों के लिए अलाभकारी होगा। इस संभावना को देखते हुए जो कि वर्ष में कुछ महीनों के दौरान संभव हो सकता है, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का वितरण खुले बाजार के मूल्यों के आधार पर वैकल्पिक होना चाहिए। मजदूरों को वितरित किए गए खाद्यान्नों की वर्षवार मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	वितरित किए गए खाद्यान्न (मिट्रिक टन में)
1992-93	229443
1993-94	411094
1994-95	269023
1995-96 (अक्तूबर, 1995 तक)	60322

[हिन्दी]

टिन प्लेटों की आवश्यकता

3238. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1995-96 के दौरान टिन प्लेटों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है और देश में किन–किन उत्पादकों द्वारा कितनी–कितनी टिन प्लेटों का उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या टिन प्लेटों का उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या टिन प्लेटों का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में टिन प्लेटों का आयात किए जाने की संभावना है; और

(ङ) किन–किन देशों से टिन प्लेटों का आयात किया जाता है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में टिन प्लेटों की अनुमानित स्वदेशी आवश्यकता लगभग 2.60 लाख टन है। वर्ष 1995-96 में टिन प्लेटों का अनुमानित स्वदेशी उत्पादन 1.1 लाख टन है। इस उत्पादन का उत्पादक वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

उत्पादक का नाम	राज्य	
टिन प्लेट कंपनी आफ इंडिया लि.	50,000	टन
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	60,000	टन

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1995-96 में टिन प्लेटों के उत्पादन और स्वदेशी आवश्यकताओं में लगभग 1.5 लाख टन का अंतर होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, वास्तविक आयात स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, उपभोक्ता की अपनी आवश्यकता, एवजी माल के मूल्यों इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

(ङ) टिन प्लेट का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, जापान, यू. के. जर्मनी, इटली, नार्वे और दक्षिणी कोरिया जैसे अनेक देशों से किया जाता है।

[अनुवाद]

मोरमुगांव पत्तन का विकास

3239. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोरमुगांव पत्तन पर अभी भी कन्टेनर ट्रैफिक सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गोवा से आने जाने हेतु कन्टेनर ट्रैफिक की कितनी क्षमता है;

(ग) गोवा पत्तन को आधुनिक बनाने और कन्टेनर ट्रैफिक सुविधा–मुक्त बनाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है; और

(घ) गोवा में कन्टेनर ट्रैफिक युक्त पत्तन की कितनी संभाव्यता है और इसके दोहन के लिए किन–किन प्रस्तावों पर विचार किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हा।

(ख) मोरमुगांव पत्तन के जरिए कन्टेनर ट्रैफिक की मात्रा, सामान्य कार्गो की किस्म और अनुपात तथा अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण बहुत ही सीमित रही है।

(ग) और (घ) नव निर्मित कार्गो बर्थ संख्या 10 तथा 11, कन्टेनर हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं और इसमें कन्टेनरों के जमा होने का क्षेत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इस समय कन्टेनर ट्रैरिफ को निजी पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए गिप गियरों और तटीय उपस्कर द्वारा हैंडल किया जा रहा है।

आशा है कि मोरमुगांव पत्तन का ब्राड गेज रेलवे द्वारा जोड़ने से कन्टेनर ट्रैरिफ को प्रोत्साहन मिलेगा।

पत्थरों का अवैध खनन

3240. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में पत्थरों के हो रहे, अवैध खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्थरों के हो रहे अवैध खनन को विनियमित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) बिल्डिंग पत्थर, बजरी इत्यादि एम एस आर डी एक्ट 1957 की धारा (ङ) के अनुसार गौण खनिज हैं। और इस प्रकार राज्य सरकार को एम एम आर डी एक्ट की धारा 15 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार खनन रियायत मंजूर करने का अधिकार है। राज्य सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत उन मामलों में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है जहां विधि के उपबंधों का उल्लघंन करके खनन कार्य किया जाता है। केन्द्र सरकार इसके ब्यौरे समेकित नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

3241. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं/विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विद्युत की मांग तथा आपूर्ति में अंतर को कम करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में 16409.800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 5112 मे.वा. की कुल क्षमता के साथ 20 विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना हेतु संप्रवर्तकों द्वारा रूचि प्रकट की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं को निजी कंपनियों द्वारा आवश्यक लिंकेजो की स्थापना के बाद, सांविधिक/गैर सांविधिक स्वीकृतियों के प्राप्त करने के बाद और सम्बद्ध राज्यों/राज्य बिजली बोर्डो के साथ संतोषजनक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद, क्रियान्वयन हेतु हाथ में लिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के

लिए अनपारा "ग" ताप विद्युत परियोजना (2x500 मे.वा.) और कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना (4x100=400 मे.वा.) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित विद्युत आपूर्ति स्थिति (मि. यू.) और वास्तविक व्यस्ततमकालीन मांग बनाम व्यस्ततमकाल में पूरी की गई मांग (मे.वा.) का ब्यौरा निम्नलिखित है :

आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
39500	37089	2411	8.1

वास्तविक व्यस्ततमकालीन मांग बनाम व्यस्ततमकाल के दौरान पूरी की गई मांग – मे.वा.

व्यस्ततमकालीन मांग	व्यस्ततकाल के दौरान पूरी की गई मांग	कमी	%
5850	5950	900	13.1

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत की उपलब्धता में अभिवृद्धि करने हेतु उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में ये शामिल हैं, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन मे सुधार लाना, विद्युत केन्द्रों को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन उपायों का क्रियान्वयन करना, पड़ोसी प्रणालियों से ऊर्जा का अंतरण करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देना।

विवरण

परियोजना का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5
1. अलीगढ़ पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000	मै. यूनियन पावर लि.
2. बोवाला नन्द प्रयाग		3x44	347.000	बोली के अधीन
3. गजरौला पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000	मै. एन्परो इंडिया लि.
4. चन्दौसी पावर प्रोजैक्ट	भारतीय	100	350.000	मै. इंडिया पावर पार्टनर्स
5. ग्रेटर नोएडा पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350	मै. आरपीजी इंडस्ट्रीज लि.
6. जवाहरपुर टीपीएस	विदेशी	800	2896.000	पेसिफिक इलैक्ट्रीक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा
7. कोसीकला पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	60	210.000	मै. डीएसएम लि.
8. लोहारीनाम पासा		4x130	637.000	बोली के अधीन
9. गनेरीभासी एचईपी		4x130	637.000	बोली के अधीन
10. मुरादाबाद	भारतीय	100	350.000	मै. ग्लोबल बोर्डस
11. मुजफ्फरनगर पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000	मै. सुभाष प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग लि.
12. पालामनेरी एचईपी		416	1456	बोली के अधीन
13. पनकी पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000	मै. डालमिया ब्रादर्स प्रा. लि.
14. रेणुसागर	भारतीय	2x70	424.330	मै. हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज
15. रोसा टीपीएल	भारतीय	2x250+1x250	2587.470	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एड कैमिकल (I) एंड पावर जेनरेशन पीएलसी यू.के.
16. साहिबाबाद	भारतीय	100	350.00	मै. मोदी मिररलैर्स ब्लैक स्टोन
17. सिकन्दराबाद	भारतीय	100	350.00	मै. डालमिया ब्रादर्स प्रा. लि.
18. श्रीनगर एचईपी	भारतीय	330	1510.00	मै डन्कन एग्रो (I) लि.

1	2	3	4	5
19. तपोवन विष्णुगढ एचईपी	भारतीय	360	1260.00	बोली के अधीन
20. विष्णुप्रयाग एचईपी	भारतीय	4x100	1287.130	मै. जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
जोड :		5112.00	16828.930.	

* जहां कही भी राज्य/संप्रर्वतक ने अनंतिम लागत नहीं दिया है, 3.5 करोड़ रुपये/मे.वा. की पूंजी लागत माना गया है।

उर्वरक संवर्धन एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग का बंद किया जाना

3242. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के उर्वरक संवर्धन कृषि अनुसंधान प्रभाग के तुरंत बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल के वर्षो में निगम को हुए समग्र घाटे में निगम के उक्त प्रभाग का भी किसी तरह योगदान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निगम के उक्त प्रभाग को बंद जो जाने से कितने श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है; और

(च) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। गत तीन वर्षो के लिए एफ.पी.एंड.ए.आर.डी.की आय और व्यय के ब्यौरे नीचे दिए हैं:

वर्ष	आय	व्यय (रु. लाख)
1992-93	89.95	580.49
1993-94	64.10	461.11
1994-95	38.89	918.60

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सिद्धांत रूप में, सरकार द्वारा अनुमोदिन एचएफसी के लिए पुनरूद्धार पैकेज के अनुसार एफ. पी. एंड आर. डी. को प्रदान जनशक्ति को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआई एफआर) के अनुसार राज्य सरकारों को कृषि सरकारों को कृषि विस्तार कार्यो के प्रसार के लिए उनके द्वारा समाविष्ट किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में खनिज आधारित एकक

3243. श्री अन्ना जोशी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कुछ नये खनिज आधारित एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार का महाराष्ट्र में नये खनिज आधारित एकक स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, निजी उद्यमियों द्वारा ताप विद्युत उत्पादन, एकक, सीमेंट संयंत्र, ढलवां लोहा संयंत्र आदि जैसे कुछ खनिज आधारित एकक राज्य में स्थापित किये जा रहे हैं। भद्रावती, धुंगस एवं चन्द्रपुर जिले में गढ़चन्दूर के निकट के क्षेत्रों में इन नये खनिज आधारित एककों की स्थापना करने का प्रस्ताय है। चन्द्रपुर जिले के भद्रावती में वहां स्थित कोयला भंडारों के आधार पर मेसर्स निप्पोन कोल डिपोजिट्स लि. द्वारा 1000 मे.वा. वार्षिक क्षमता युक्त ताप विद्युत उत्पादन एकक स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार नन्दगांव–एकोडी तथा चन्दूर थूटरा के चूना पत्थर भंडारों के आधार पर मैसर्स रत्नागिरि बिल्डिंग प्रोडक्टस एवं मैसर्स मराठा सीमेंट लि. द्वारा 0.75 लाख टन एवं 1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता युक्त दो नये सीमेंट संयंत्रों की चन्द्रपुर जिले के गढ़चन्दूर के निकट स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। मैसर्स लायड्स स्टील लि. का चन्द्रपुर जिले में घुगस में 5 लाख टन वार्षिक क्षमता युक्त एक ढलवां लोहा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह ढलवां लोहा संयंत्र गढ़चिरोली जिले के लोह अयस्क भंडार पर आधारित है।

हिन्द महासागर समुदाय

3243. (क) श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंद महासागर समुदाय के विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिए हाल ही में कई बैठकें हुई ;

(ख) इस संबंध में उठाए गए कदमों का सक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटवर्ती देशों के आर्थिक तथा सांस्कृतिक संपर्क के लिये

भारत सरकार इस समुदाय के निर्माण को समर्थन देती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार तटवर्ती देशों के बीच परस्पर विचार–विमर्श के लिए सभी तटवर्ती देशों के विशेषज्ञों की बैठक बुलाने हेतु पहल करेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ) सरकार को इसकी जानकारी है और "हिन्द महासागर समुदाय" गठित करने की व्यापक संकल्पना और उसके अवयवों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई अनेक बैठकों में उपयुक्त रूप से भाग लिया और योगदान दिया। इनमें 19-22 नवम्बर, 1995 को "हिन्द महासागर समुदाय का गठन" विषय पर इंदिरा गांधी स्मारिका न्यास द्वारा आयोजित सम्मेलन तथा "हिन्द महासागर सहयोग" पर "वर्ल्ड फोक्स" पत्रिका द्वारा 24 जुलाई, 1995 को आयोजित संगोष्ठि शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे स्तर पर गैर सरकारी परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जिसमें हिन्द महासागर के 29 तटीय देश शामिल हैं सभी प्रमुख भारतीय चेम्बरों की ओर से "फिक्की" ने तथा अन्य भारतीय अनुसंधान निकायों की ओर से नीति अनुसंधान केन्द्र ने 12-13 दिसम्बर, 1995 को क्रमशः "हिन्द महासागर तटीय राष्ट्र परामर्शी व्यवसाय नेटवर्क" तथा "हिन्द महासागर अनुसंधान नेटवर्क" की गैर–सरकारी बैठकें आयोजित की। सरकार हिन्द महासागर के देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग एवं कार्यक्रम के क्षेत्रों की अकादमिक तथा व्यवसायी जांच का समर्थन करती है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा पोत जब्त करना

3244. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न संगठनों और गुजरात के संसद सदस्यों से 1 जनवरी, 1994 से 1 दिसंबर, 1995 की अवधि में ऐसे कई अभ्यावेदन/याचिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें बताया गया है कि पाकिस्तान के तटरक्षकों ने भारतीय पोतों और इन पर लदे करोड़ों रुपये के माल को जब्त कर लिया है और उन पोतों के नाविक दलों को पाकिस्तानी जेलों में बंदी बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने लोग पाकिस्तानी जेलों में वर्षवार बंद हैं;

(ग) उन लोगों को रिहा कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अभी तक कितने लोगों को रिहा कराया गया है और बाकी लोगों को कब तक रिहा करा लिया जायेगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं/मछेरों तथा मालवाहक नौकाओं/चालक दल के सदस्यों को पकड़ने/बंदी बनाने से संबंधित अनेक प्रतिवेदन विभिन्न सार्वजनिक, निकायों, राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से प्राप्त हुए हैं

प्राप्त सूचना के अनुसार 1994/1995 के दौरान पकडी गई 31 मछली पकड़ने वाली नौकाएं तथा 191 मछेरे तथा 1993 के दौरान पकड़ी गई 8 मालवाहक नौकाएं तथा 110 चालक दल के सदस्य अभी भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं/मछेरों को और मालवाहक नौकाओं/चालक दल के सदस्यों को पकड़ने/बंदी बनाने की सभी घटनाओं को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है और इन बंदियों तथा नौकाओं की रिहाई तथा स्वदेश वापिसी की मांग की है। सरकार के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 1990 के बाद से 311 मछेरे पाकिस्तान की जेलों से रिहा कर दिए गए हैं और भारत भेज दिए गए हैं। अन्य की रिहाई के लिए प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों को आवंटित आवास राज्य सरकारों को देना

3245. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों अथवा उनके मंत्रालय को आवंटित उन आवासों/कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जो संबंधित राज्य सरकारों को अथवा इस्पात संयंत्रों अथवा उद्योग से असम्बद्ध अन्य एजेंसियों/व्यक्तियों को दे दिए गए हैं;

(ख) क्या इनमें कोई किराया लिया जाता है और राज्य/संयंत्रवार कुल कितनी राशि प्राप्त होनी है;

(ग) क्या इस मामले में कोई समझौता हो गया था, यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी एस पी) के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है :

1. सेल

"सेल" के अधीन चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों (सहायक कंपनियों को छोड़कर) के संबंध में कंपनी के कर्मचारियों/एजेंसियों के अलावा केन्द्रीय/राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रम शैक्षिक/सामाजिक संगठन प्राइवेट इकाइयां आदि सहित को उपलब्ध कराए गए आवासों/क्वार्टरों का संयंत्र वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

संयंत्र/राज्य	उपलब्ध कराए गए क्वार्टरों की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र (मध्य प्रदेश)	2915
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	927

बोकारो इस्पात संयंत्र (बिहार)	3331
राउरकेला इस्पात संयंत्र (उड़ीसा)	1836

तथापि, वे एजेंसिया/व्यक्ति जिन्हें आवास उपलब्ध कराए गए है, किसी न किसी तरह से सयंत्र/संयंत्र के कर्मचारियों की सेवाए उपलब्ध करा रहे है?

2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी एस पी)

संयंत्र/राज्य	उपलब्ध कराए गए क्वार्टरों की संख्या
विशाखापटनम इस्पात सयंत्र (आंध प्रदेश)	80

डाकघर, बैंकों, दूरसंचार विभाग जैसे संगठनों को भी कुल 1782.64 वर्ग मीटर उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संगठनों जैसे संयुक्त श्रम आयुक्त, सरकारी लेखा परीक्षा, सी. आई. एस. एफ. स्कूलों आदि जो वी. एस. पी. के लिए कार्य कर रहे हैं, को भी आवास उपलब्ध कराए गए हैं तथा अधिकांश मामलों में ये सुविधाएं इस विशिष्ट शर्त पर उपलब्ध कराई गई है कि ये सेवाएं केवल तभी उपलब्ध कराई जाती जब उन्हें कार्यालय/रिहायशी आवास की सुविधा दी जाती।

(ख) जी, हां। विभिन्न एजेंसियों को आवंटित आवास के लिए किराया लिया जाता है। संगठन/एजेंसी को आवंटित आवास के स्वरूप पर निर्भर करते हुए किराए की मात्रा भिन्न-भिन्न हैं। कुछ मामलों में इस्पात संयंत्रों को उपलब्ध कराई गई सेवा के बदले में संगठनों को आवास का आवंटन किया गया है।

(ग) और (घ) आवास का आबंटन संबंधित संगठन/एजेंसी की आवश्यकतों की जांच के बाद किया जाता है तथा इसकी शर्तों के संबंध में संबंधित संयंत्र के प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

विश्वेश्वरैय्या आयरन एंड स्टील लिमिटेड

3246. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वेश्वरैयया आयरन एंड स्टील लिमिटेड (वी. आई. एस. एल.) कर्नाटक सरकार एवं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का संयुक्त उद्यम है;

(ख) यदि हां, तो "सेल" द्वारा इसका अधिग्रहण कब किया गया था;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि वी. आई. एस. एल. को औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन बोर्ड (वी. आई. एफ. आर.) को सौंपा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार से सहयोग प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। सेल ने 1 अगस्त, 1989 को वी. आई. एस. एल. का अधिग्रहण किया था।

(ग) और (घ) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ओ) के अनुसार वी. आई. एस. एल. एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं है। तथापि, वी. आई. एस. एल. की वित्तीय स्थिति अधिकांशतः कर्नाटक विद्युत बोर्ड (के. ई. बी) से अपर्याप्त विद्युत सप्लाई तथा विभिन्न राहतों की अनुपलब्धता के कारण निरंतर अधिक खराब होती गई। ये मुद्दे कर्नाटक सरकार के साथ उठाए गए है और इससे वी. आई. एस. एल. की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948

3247. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अधिक शक्तियां दिये जाने के कारण राज्यों को विद्युत संकट का सामना करना पड रहा है;

(ख) क्या 100 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए राज्यों को दी गई छूट मे विद्युत उत्पादन क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो 100 करोड रुपये की लागत से बनने वाली परियोजना की अधिकतम मेगावाट क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 में संशोधन करके क्या विद्युत उत्पादन क्षेत्र में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस संबंध मे क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 और इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय वाली राज्य बिजली बोर्ड उत्पादन कंपनी की प्रत्येक विद्युत स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष उसकी सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति की आवश्यकता वाली स्कीमों के संबंध में लागत की सीमा को 19.10.94 से 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) जी, हां। तथापि, इस परिवर्तन को अधिसूचित करने हेतु अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दान

3248. डा. रमेशचन्द्र तोमर :

श्री अमर पाल सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा 1995-96 के दौरान अब तक विभिन्न संगठनों को दिये गये 50 लाख और उनसे अधिक धनराशि के दान का ब्यौरा क्या है

(ख) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के संगठनों को दान की कितनी धनराशि दी गई और किस-किस प्रयोजनार्थ यह राशि दी गई,

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा उन संगठनों को भी दान दिया जाता है जो इन उपक्रमों के क्रिया-कलापों से संबंधित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1995-96 के बजट अनुमान के समय इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 50 लाख और अधिक के लिए मांगे गए बजटीय प्रावधानों और इस्पात मंत्रालय की वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान मांग में उपलब्ध करवाई गई राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। ये प्रावधान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनागत स्कीम के कार्यान्वयन के खर्चों को पूरा करने के लिए, नकद हानियों को पूरा करने और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1995-96 के बजट अनुमान के समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए प्रक्षेपण (मांग) करोड़ रुपए		उपलब्ध कराई गई राशि (करोड रुपए)	
1	2	3	4	5
	योजना	योजना भिन्न	योजना	योजना भिन्न
क.				
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना				
के कार्यान्वयन के लिए				
सहायता अनुदान				
1. बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज	6.30		2.00	
2. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	40.00		15.00	
3. भारत रिफैक्ट्रीज लि.	3.00		1.00	
4. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.				
इसकी सहायक कंपनी इंडियन				
आयरन एंड स्टील कं. (इरको) के लिए	30.00		10.00	
5. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.				
इसकी सहायक कंपनी विश्वेश्वरैयया				
आयरन एंड स्टील लि.	10.00		1.00	
6. मैंगनीज और (इंडिया) लि.	6.00		1.00	
पूंजीगत सेक्शन				

1		2	3	4	5
ख. ऋण और निवेश					
1.	बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज	3.00	5.00	3.00	0.01
2.	भारत रिफैक्ट्रीज लि.	17.75	3.00	6.00	0.01
3.	स्पंज आयरन इंडिया लि.	5.83	–	4.50	–
4.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	292.56	392.00	264.00	–
5.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	6.00	10.00	6.00	5.00
6.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.				
	इसकी सहायक कंपनी इंडियन आयरन	43.71	–	1.00	
	एंड स्टील कं. (इस्को) के लिए				

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1991-92 से 1995-96 (सितम्बर) तक निकायों/स्वैच्छिक संस्थानों को दिए गए दान का ब्यौरा

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड
वर्ष	राशि (रुपये)	संगठन का नाम
1	2	3
1991-92	1000000	नेशनल काउंसिल, वर्धवान
	500000	पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद
	1000000	मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार
	500000	मुख्यमंत्री राहत कोष, उड़ीसा
	500000	डूरंड फुटबाल टूर्नामेंट सोसाइटी
	500000	मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तर प्रदेश
	1200000	डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन, सिलचर
	कुल : 5200000	
1992-93	2500000	संजय गांधी मैमोरियल ट्रस्ट
	1120000	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
	500000	डूरंड फुटबाल टूर्नामेंट
	500000	इंडियन इन्स्टीटयूट आफ मैटल्स, कलकत्ता
	1000000	सोसायटी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट धनबाद
	500000	जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट सोसायटी
	1000000	मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार
	कुल : 7120000	

1	2	3
1993-94	1000000	इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन, कलकत्ता
	600000	डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन, हैलाकंडी और शिशु भारती स्कूल, सिलचर
	1000000	मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार
	1000000	इंडियन इंस्टीटयूट आफ मैनेजमैंट, कलकत्ता
	1000000	एकेडमी आफ एच. आर. डी. अहमदाबाद
	10000000	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
	660000	डा. विद्या सागर अस्पताल
	कुल : 15260000	
1994-95	500000	सेन्ट्रल एशिया कल्चरल एक्सपीडिशन
	1560720	नेशनल हार्ट इंस्टीटयूट, नई दिल्ली
	2000000	संजय गांधी मैमोरियल ट्रस्ट
	500000	इंडियन इंस्टीटयूट आफ मैटल्स दिल्ली चैप्टर
	5000000	रवि शंकर शुक्ला ग्रुप आफ हास्पिटल्स
	5000000	काचर कैन्सर हास्पिटल सोसायटी, सिलचर
	500000	मुख्यमंत्री राहत कोष, उड़ीसा
	500000	प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय जलदा
	500000	जिलाधीश, बलिया, उत्तर प्रदेश
	500000	इंस्टीट्यूट आफ लेबर स्टडीज, जमशेदपुर
	2500000	बिधान सिशु उद्यान, कलकत्ता
	*400000	संसद सचिवालय (श्री आर. वी. सूतर, स्कल्पचर)
	1000000	काउंसिल फार रूरल वैलफेयर, नई दिल्ली
	500000	होप सोसायटी फार हैण्डीकेप्ड ओरिएन्टेशन प्रोग्राम एण्ड एजूकेशन, दुर्गापुर
	कुल : 20960720	

* बोर्ड द्वारा 16.00 लाख रुपये के दान की मंजूरी दी गई है जिसमें से वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान 4.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए। शेष राशि अर्थात् 12.00 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 1995-96 में निर्मुक्त की जानी है।

1995-96	*12.00	लाख	संसद सचिवालय (श्री आर. वी. सूतर, स्कल्पचर)
	25.00	लाख	रोहितेश्वर सैकिया मैमोरियल इंडोर स्टेडियम, वजीरा
	5.00	लाख	मुख्यमंत्री राहत कोष, उड़ीसा
	35.00	लाख	रवि शंकर शुक्ला, अपोलो अस्पताल
	25.00	लाख	डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सिलचर

1			2	3
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम			राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	
	10.00	लाख	अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन	
	5.00	लाख	दीनउल इस्लाम सभा, कन्नौर	
	5.00	लाख	पीपुल फार एनीमल ट्रस्ट	
	100.00	लाख	राजीव गांधी फाउंडेशन	
	12.50	लाख	मैसर्स कलीडा इंडिया	
	10.00	लाख	ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन, ग्वालियर	
	10.00	लाख	मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार	
कुल :	254.50	लाख		
सकल योग :	73990720			

टिप्पणी : केवल 5 लाख रुपये से अधिक के दान के संबंध में ब्यौरा।

*श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा के लिए मंजूर की गई राशि 16 लाख रुपये हैं। इसमें से 4 लाख रुपये की राशि सकल्थर की 1994-95 के बजट से दी गई है। 2 लाख रुपये अगस्त 1995 में निर्मुक्त किए गए हैं। शेष 10 लाख रुपये का भुगतान वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान किया जाएगा।

1991-92	शून्य		
1992-93	20000000		किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापटनम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहयोग
कुल :	20000000		
1993-94	1000000		प्रधानमंत्री राहत कोष
कुल :	1000000		
1994-95	शून्य		
1995-96			डा. बी. आर. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी, हैदराबाद को 60 टन इस्पात
	50000		आई. आई. एम. दिल्ली चैप्टर को सहयोग
कुल :	500000 +60	टन	इस्पात
सकल योग :	2,10,50,000+60	टन	इस्पात
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम			कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
1991-92	शून्य		
1992-93	250000		मैसर्स ग्रे सेल्स, नई दिल्ली
कुल :	250000		
1993-94	2000000		प्रधानमंत्री राहत कोष
कुल :	2000000		
1994-95	1500000		कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल
	304400		वैनलॉक अस्पताल, मंगलौर

1			2	3
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम			मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	
	कुल :	1804400		
1995-96		1500000	मंगलौर विश्वविद्यालय	
		2000000	काचर कैन्सर हास्पिटल सोसायटी, सिलचर	
	कुल :	3500000		
	सकल योग :	75,54,400	रुपये	
1991-92		30000	प्रधानमंत्री राहत कोष	
		10000	प्रिन्सीपल हायर सैकेन्डरी स्कूल, बालाघाट	
		1000000	सैन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंस नागपुर	
		23400	महाराष्ट्र राज्य सरकार	
		400	सी.पी. क्लब, नागपुर	
	कुल :	1063800		
1992-93		15729	भीपतल रामदास	
	कुल :	15729		
1993-94		100000	प्रधानमंत्री राहत कोष	
		50000	ग्राम पंचायत स्कूल, बालाघाट	
		2000	जिला परिषद् स्कूल, डूंगरी, बुजुर्ग	
		28000	आर. एन. टी. स्कूल, उक्वा	
		5000	आर आई डिस्ट्रिक्स गवर्नर	
	कुल :	185000		
1994-95		501	एस. एफ. एस. एजूकेशन सोसायटी, नागपुर	
	कुल :	501		
1995-96		शून्य		
	सकल योग :	12,65,030	रुपये	
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम			एम. एस. टी. सी लिमिटेड	
1991-92		शून्य		
1992-93		शून्य		
1993-94		97000	प्रधानमंत्री राहत कोष	
		20000	भारत सेवाश्रम संघ।	
	कुल :	117000		
1994-95		शून्य		

1	2	3
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
1995-96	शून्य	
सकल योग :	117000	
1991-92		
1992-93		
1993-94	शून्य	
1994-95		
1995-96		
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड
1991-92	3000	आंध्र प्रदेश लॉन टेनिस एसोसिएशन
	25000	आंध्र प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन
योग :	28000	
1992-93		
1993-94		
1994-94	शून्य	
1995-96		
सकल योग :	28000	
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		मेटलजिर्कल एंड इंजिनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
1991-92	7650	चैशिरे होम इंडिया, रांची
	100000	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैटल्स
	5000	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस, बंगलौर
	24500	भारत सेवाश्रम संघ
	5000	दुर्गापुर माउंन्टेनीयर एसोसिएशन
	10000	प्रो. जी. एस. तेंदुलकर मैमोरियल ट्रस्ट
	10000	सैंटर माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद
योग :	162150	
1992-93	5400	चैशिरे होम्स, रांची
	5000	शहीद स्मारक समिति
	10000	डोलीमा डे स्कूल ट्रस्ट, कलकत्ता
	10000	इंडियन रैड क्रास सोसायटी, रांची

1	2	3
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
	2500	आल इंडिया कौमी एकता, समिति
	5000	रांची डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनैस कंट्रोल सोसाइटी, रांची
	5000	रामकृष्ण मिशन आश्रम
	39500	अन्य कार्यालयों द्वारा किया गया दान
	योग : 82400	
1993-94	3000	बिहार स्कूल आफ योगा, मुंगेर
	9000	चैशिरे होम, रांची
	6000	शहीद स्मारक समिति, रांची
	100000	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैटल्स, दिल्ली चैप्टर
	5000	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, रांची
	10000	रांची चिकित्सक संघ, रांची
	5000	अभिनव कला केन्द्र, रांची
	10000	बिरला जयंती समारोह, रांची
	24304	दि इंस्टीट्यूट आफ मैटल्स, कलकत्ता
	2000	अमर शहीर सेख बिखारी समिति, रांची
	5000	रामकृष्णन मिशन, मोराबादी
	5000	डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल, लोहारडागा
	38950	मेकन के अन्य कार्यालयों द्वारा दिया गया दान
	योग : 223254	
1994-95	35000	भारत रत्न, डा. बी. आर. अम्बेडकर इन्सटालेशन
	5400	चैशिरे होम, रांची
	5000	निर्मला कालेज
	5000	आई. आई. टी. खड़गपुर
	10000	सेंट सेवियर कालेज
	5000	डब्लयू. डब्लयू. एच. इंडिया
	5000	इंडियन इपिलिपसी एसोसिएशन, रांची चैप्टर
	5000	आर. के. मिशन आश्रम, रांची
	3000	कामता सेवा केन्द्र, देव
	2500	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी
	100000	चिनमोइया मिशन

1	2	3
		भारत रिफैक्ट्री लिमिटेड
	37300	अन्य स्थल कार्यालयों द्वारा
	योग : 218200	
1995-96	*13000	
	कुल योग : 699004	
* संगठनों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि दान की राशि कम है।		
1991-92		
1992-93		
1993-94	शून्य	
1994-95		
1995-96		
		नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन
1991-92	500	बलराम गोल्फ क्लब, हैदराबाद
	1000	– वही –
	500000	ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद
	योग : 501500	
1992-93	शून्य	
1993-94	1500000	प्रधानमंत्री राहत कोष
	200000	रामकृष्णा मठ, हैदराबाद
	10000	रामकृष्णा मठ, कलकत्ता
	योग : 1710000	
1994-95	10000	आल इंडिया एन एम डी सी वर्क्स फैडरेशन
	5000	उर्दू एजूकेशनल कमेटी, हैदराबाद
	5000	ओरिएन्टस न्यूजमेकर्स, हैदराबाद
	300000	माइनिंग, जीओलोजिकल एण्ड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कलकत्ता
	200000	माइनिंग, जीओलोजिकल एण्ड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कलकत्ता
	योग : 520000	
1995-96	200000	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैटल्स, दिल्ली चैप्टर, नई दिल्ली
	10000	चिल्ड्रन अकादमी आफ कल्चर, दुर्गापुर
	25000	इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस आन मिनरल प्रोसेसिंग एंड फयूचर ट्रेन्डस कानपुर
	51000	नेशनल फाउंडेशन फॉर काम्युनल हारमॉनी, नई दिल्ली
	योग : 286000	
	कुल योग: 3017500	

शिशु दुग्धाहार

3249. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 1995 को 'शिशु वर्ष' घोषित करने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत एक कृतिक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल ने दुग्ध और दुग्धोत्पादों के अंतर्गत शिशु दुग्ध के विनिर्माण और विपणन के लिए नए ब्रांडों को अनुमति देने संबंधी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिशु दुग्ध की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय शिशु दुग्ध आहार की कमी नहीं है। बहरहाल, शिशु बेबी फूड समेत दूध से बनने वाली वस्तुओं के निर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और कंपनियां घरेलू और निर्यात मांग के अनुसार इन उत्पादों का निर्माण कर सकती हैं।

पी.एफ.सी., पी.जी.सी. एवं टी.पी.सी. का विलय

3250. श्री एस. एम. लाल जान बाशा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार-का पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी. एफ. सी) पावर ग्रिड कारपोरेशन पी. जी. सी एवं एन. टी. पी. सी. जैसे निगमों का विलय करके एक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के निर्णय से क्या लाभ मिलने की संभावना हैं, और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विद्युत क्षेत्र में दक्षिणी कोरिया

3251. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एनरान" विवाद से भारत में चल रही दक्षिणी कोरियाई परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पडा है;

(ख) दक्षिणी कोरिया ने भारत मे कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वीकृति दी है;

(ग) क्या दक्षिणी कोरिया को ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है कि इन परियोजनाओं को बिना विलम्ब के कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय ये परियोजनाएं किन-किन चरणों में हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) अब तक भारत में केवल एक विद्युत परियोजना नामशः कोरबा ईस्ट टीपीएस (2x500 मे.वा.) को एक दक्षिणी कोरियाई कंपनी द्वारा अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) परियोजना ने अधिकतर स्वीकृतियां/निवेश प्राप्त कर ली हैं, जैसे विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर करना, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अतंर्गत प्रकाशन करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, नागर विमानन स्वीकृति प्राप्त करना, कंपनी का पंजीकरण करना, राज्य प्राधिकरणों द्वारा जल संबंधी लिंकेज स्थापित करना, भूमि उपलब्धता, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयले के आवंटन की पुष्टि करना और सिद्धांत रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करना।

परमाणु परीक्षण निषेध हेतु व्यापक संधि

3252. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षर कर्ताओं के बीच परमाणु परीक्षण निषेध हेतु व्यापक संधि के लिए चल रही कथित बातचीत की ओर आकृष्ट किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या अमरीकी प्रशासन ने ऐसी संधि के लिए भारत को विशेष शर्तों की कोई पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) संपन्न करने के लिए

जनवरी, 1994 के जेनेवा में 38 सदस्यीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) में विचार विमर्श चल रहा है। इस विचार–विमर्श में काफी प्रगति हुई है यद्यपि कुछ मुददों को सुलझाया जाना अभी शेष है। भारत इस विचार–विमर्श में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। आशा है कि 1996 में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि – संपन्न हो जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान द्वारा चीन को एफ-16 की आपूर्ति

3253. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा चीन को चोरी–छुपे एफ-16 और मिग विमानों के अंतरण संबंधी रिपोर्टो की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अमरीकी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(घ) क्या यह भी रिपोर्ट मिली है कि चीन ने परमाणु संयंत्रों की स्थापना एवं प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण हेतु पाकिस्तान को तकनीक तथा सामग्री उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) हमने इस आशय के समाचार देखें हैं कि पाकिस्तान ने चोरी–छिपे चीन को अमरीका निर्मित एफ-16 विमान हस्तांतरित किए हैं।

(ग) प्रेसलर संशोधन में एक बार छूट देते हुए पाकिस्तान को 368 मिलियन अमरीकी डालर के सैन्य उपकरण हस्तातरित करने की अनुमति देते हुए अमरीकी कांग्रेस द्वारा ब्राउन संशोधन पारित किए जाने के संदर्भ में अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य सहयोग की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार को रक्षा के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की जानकारी है जिसमें अत्याधुनिक मिसाइलों और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है। नाभिकीय हथियार विकसित करने के पाकिस्तान के प्रयासों में चीन के संभावित सहयोग का संकेत देते हुए समाचार समय–समय पर प्राप्त होते रहे हैं।

चीन और पाकिस्तान अन्य के अलावा पाकिस्तान में चश्मा में 300 मेगावाट का नाभिकीय संयंत्र विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं का उसकी वैध रक्षा आवश्यकताओं से अधिक वृद्धि करने में बाह्य मदद के संबंध में हमारी चिंताओं से चीन की सरकार को अवगत करा दिया गया है।

गुजरात में खोजे गये खनिज भंडार

3254. श्री एन. जे. राठवा :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात के पिछड़े/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में आज की तारीख तक किन–किन खनिजों का पता लगाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खनिजों के उत्पादन का राज्यवार/स्थानवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान खनिजों के निर्यात से सरकार द्वारा देशवार अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ) सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

'कृभको' के लिए डी. ए. पी. संयंत्र

3255. श्री राम निहोर राय : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से "कृभको" के लिए रूग्ण डी. ए. पी. संयंत्र को प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संभावना को पता लगाने के लिए किसी परामर्शदात्री कंपनी को नियुक्त किया गया था;

(घ) क्या इस संबंध में संबद्ध नियमों का पालन किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) इस संबंध में कराए गए अध्ययन का निष्कर्ष तथा परिणाम का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) अमरीका/रूस में फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र(त्रों) में साम्य साझा प्राप्त करने के लिए डयू डिलिजेंस प्रोसेस (विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना) प्रारंभ करने हेतु कृभको के प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदन के अनुसार अमरीका में एक संयंत्र का और रूस में दो संयंत्रों का चयन किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) डयू डिलीजेंस प्रोसेस की जांच कृभको के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गयी थी। समिति के मूल्यांकन के अनुसार अधिग्रहण की प्रौद्योगिकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। इसलिए कृभकों के निदेशक मंडल ने अंततः अमरीका अथवा रूस में फास्फेटिक उत्पादन सुविधाएं प्राप्त करने में कोई निदेश न करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महिलाओं को रोजगार

3256. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इन उद्योगों में आज की तारीख तक कितनी महिलाएं कार्यरत हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) अपेक्षाकृत कम निवेश से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अधिक रोजगार सृजन क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कार्यरत महिलाओं के बारे में कोई विशिष्ट आंकडे उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न उप–क्षेत्रों विशेष रूप से फल और सब्जी प्रसंस्करण, मत्स्य प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण, परम्परागत खाद्य उत्पादों इत्यादि में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही हैं। इसलिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहनों और योजना स्कीमों के द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिए कदम उठा रही है ताकि महिलाओं के लिए अधिक रोजगार उत्पन्न किये जा सकें।

इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों में महिलाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार ने महिला उद्योग निधि की स्थापना भी की है जिसके द्वारा महिला उद्यमियों को सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3257. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर निगरानी रखने हेतु विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार कार्यक्रम (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों, जो विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित है, उन्हें इन कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गये हैं। तथापि, मंत्रालय द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्गदर्शिकाएं और निर्देश जारी किए गए हैं। निगरारी प्रणाली में मौके पर निरीक्षण, आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रणाली, कार्यशालाओं बैठकों का आयोजन, समन्वय समितियों का गठन और कार्यक्रमों की निगरानी हेतु केन्द्र स्तर पर क्षेत्र अधिकारी प्रणाली शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोकिंग कोल की कमी

3258. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "बिजनेस स्टेंडर्ड" में (सेल) आउटपुट में हिट बाई कोकिंग कोल शारटिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति न किए जाने के कारण इस्पात उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष में अक्तूबर, 1995 तक कोल इंडियन लिमिटेड ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की मांग की तुलना में कितने प्रतिशत कोयले की आपूर्ति की?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अप्रैल से अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड स्रोतों से कोककर कोयले की प्राप्ति कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्ति कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए अनुपातिक वार्षिक आवंटन की लगभग 80% है। स्वदेशी कोककर कोयले की अपर्याप्त सप्लाई से "सेल" के इस्पात संयंत्रों में कोककर कोयले के स्टाक में कमी हुई है और उनके तकनीकी–आर्थिक प्राचल भी प्रभावित हुए हैं। कोककर कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए "सेल" के संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड तथा रेलवे के साथ सतत् आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। स्वदेशी कोककर कोयले की सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए संयत्रों को आयातित कोयले की उपलब्धता में भी वृद्धि की जा रही है।

शीरा विनियंत्रण आदेश

3259. श्री कुन्जी लाल : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 में शीरे के विनियंत्रण आदेश की घोषणा से

विभिन्न राज्यों में असंतुलन पैदा हो गया है तथा इस आदेश के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य उत्पाद शुल्क मंत्रियों के कार्यदल की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है तथा इसका नशाबंदी नीति पर क्या प्रभाव पडेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा 1993 में अधिसूचित शीरे के विनियंत्रण के बाद भी कुछ राज्य अपने–अपने राज्य विधानों के अंतर्गत शीरे की आपूर्ति और मूल्य पर नियंत्रण जारी रखे हुए हैं। उचित मूल्य पर शीरे की अनुपलब्धता के कारण अल्कोहल आधारित उद्योग संघों द्वारा उनके द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। शीरे और अल्कोहल पर राज्य आबकारी यत्रियों के कार्यदल की सिफारिशों मे मुख्य बात आंशिक वितरण नियंत्रण लागू करना था। बाद में राज्य आबकारी मंत्रियों की बैठक में कार्य दल की रिपोर्ट पर विचार किया गया था परतु कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों पर सर्वसम्मति नहीं थी।

गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नीति

3260. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना में गैर–सरकारी क्षेत्र को बढावा देने हेतु सरकार किसी नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गैर–सरकारी क्षेत्र को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर–सरकारी कंपनियों ने इस हेतु आवेदन पत्र किये हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ) निजी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की स्थापित क्षमता 1990-91 में 22.84 लाख मीटरी टन से 1994-95 में 33.06 लाख मीटरी टन बढ़ गई है। कार्यान्वयनाधीन तथा प्रस्तावित निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में सन् 2000-2001 तक नाइट्रोजन की क्षमता में 12.30 लाख मीटरी टन और वृद्धि होने की आशा है।

अभी हाल में प्रारंभ किए गए प्रवर्धन संबंधी उपायों में उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया जाना, विद्यमान एककों के नये संयंत्र लगाने/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी मालों के आयात तथा फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण के लिए फास्फोरिक एसिड के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त किया जाना नए उर्वरक परियोजनाओं/पुनरूद्धार के लिए वित्तीय संस्थाओं सरकार से लिए गए आवधिक ऋणों पर ब्याज दरों में 3% की रियायत, फास्फेटिक/पोटेसिक उर्वरकों तथा उनके कच्चे मालों के संबंध में रेल भाडा में कमी तथा स्वदेशी रूप से उत्पादित फास्फेटिक उर्वरकों के लिए विशेष रियायत योजना शामिल हैं। प्रतिधारण मूल्य सह–राजसहायता योजना जो इस समय यूरिया पर लागू है, उद्यमियों को निवेश पर उचित लाभ प्रदान करता है, भी क्षमता वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण कारक है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

3261. श्री राम कृष्ण कोंताला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कोई संयुक्त कंपनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव पर कब तक कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अपनी अर्थक्षमता में सुधार करने, नया निवेश प्राप्त करने, प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मक बनने के लिए विदेशी शिपयार्डों के साथ संयुक्त उपक्रम की संभावना का पता लगा रहा है। तथापि किसी प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सऊदी अरब द्वारा वीजा फीस में वृद्धि

3262. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सउदी अरब ने वीजा फीस में अत्यधिक वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) यह सच है में सऊदी अरब राज्य में निजी कंपनियों और कार्यालयों में नियोजन के लिए भारत से जाने वाले व्यक्तियों सहित सभी विदेशी कार्मिकों के लिए सऊदी अरब की सरकार ने वीजा फीस 50/- एस. आर. से बढ़ाकर 1000/- एस. आर. कर दी गई है।

(ग) यह मामला सऊदी अरब राज्य में संबद्ध अधिकारियों के साथ उठाया गया जिन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है कि संशोधित वीसा फीस सऊदी नियोजकों द्वारा वहन की जायेगी न कि अप्रवासी कार्मिकों द्वारा।

नई तरल ईंधन विद्युत नीति

3263. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री एस. एम. लालजान बाशा :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्युत उत्पादक संघ (पावर प्रोडयूसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया) ने हाल ही में सरकार की नई तरल ईंधन नीति के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में तरल ईंधन आधारित ऊर्जा संयंत्रों को बढावा देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह प्रस्ताव लागत प्रभावी होगा; और

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) भारतीय स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ (आईपीपीएआई) भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के संबंध मे समय–समय पर सुझाव भेजता है। ये सुझाव अधिकतर आई. पी. पी. ए. आई. द्वारा आयोजित सम्मेलनों और गोष्ठियों आदि में विचार–विमर्श किए जाने वाले प्रस्तावित मुद्दों के रूप में होते हैं अथवा ये उनके संपन्न हो चुके सम्मेलनों में हुए विचार–विमर्शों के उद्धरण होते हैं। भारत सरकार की हाल ही में घोषित तरल ईंधन नीति के संबंध में नवम्बर 95 में आयोजित "लिक्विड फयूल पावर स्टेशन पार्ट-2 विषय पर हुए अपने दो दिन के सम्मेलन में व्यक्त की गई टिप्पणियों को हाल ही में आई. पी. पी. ए. आई. ने सूचित किया है। भारत सरकार की नीति प्रक्षेपित करने, स्पष्टीकरण प्रदान करने, जहां भी मांग गए हो तथा उपयोगी सुझावों के लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से कभी–कभी भारत सरकार के अधिकारीगण इन सम्मेलनों में भाग लेते हैं।

(ग) यद्यपि अक्तूबर, 91 में घोषित भारत सरकार की निजी विद्युत नीति पर प्रतिक्रिया विभिन्न कोयला, लिग्नाइट, गैस आधारित तथा स्थापित की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं में उत्साहवर्धक रही है, फिर भी देखा गया है कि इन परियोजनाओं की निर्माण–अवधि अधिक है और ये परियोजनाएं 3 से 5 वर्षो के बाद ही प्रचालन में आ सकती हैं। निकट भविष्य में विद्युत की संभावित अत्यधिक कमी को देखते हुए शीघ्र एक क्षमता अभिवृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से पश्चाग्र प्रकार की डीजल ईंधन उत्पादन करने वाली यूनिटों को स्थापित करने (जिनकी निर्माणाधीन अपेक्षाकृत कम है) और भारी ईंधन तेलों यथा हेवी पेट्रोलियम स्टाक (एचपीएस), लो सल्फर हैवी स्टाक (एलएसएचएस), हैवी फरनेस आयल (एचएफओ) फरनेस आयल (एफओ) तथा प्राकृतिक गैस, मुख्य ईंधन के रूप में जहां भी उपलब्ध हो, का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि ईंधन के रूप में एच. एस. डी. (डीजल) की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(घ) और (ङ) तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं समेत सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए सांविधिक रूप से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। के.वि.प्रा. तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय, अन्य बातों के साथ–साथ लागत अनुमानों की युक्तिसंगतता की जांच करता है। 100 करोड रुपये तक की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं, जिनके लिए के.वि.प्रा. की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती है, के संबंध में यह प्रत्याशा की गई है कि परियोजनाओं के लागत अनुमानों की युक्तिसंगतता को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकारें/राज्य बिजली बोर्ड समझौता निष्पन्न करेंगे।

भारतीय सड़क निर्माण निगम में पदोन्नति

3264. श्री अनादि चरण दास :

श्री कड़िया मुण्डा :

श्री पीयूष तीरकी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम में दिसम्बर, 1992 दिसम्बर, 1993 तथा आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदवार पदोन्नति के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियों (चेन वेकैन्सिज) तथा बकाया (बैक लॉग) का ब्यौरा क्या है;

(ख) पात्रता अवधि पूरी करते की पदोन्नत किए गए सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या तथा वर्ष 1991 से 1993 तक पात्र अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों, जिनकी अभी पदोन्नति नहीं की गई है, की संख्या कितनी है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन रिक्तियों को भर्ती तथा पदोन्नति नियमों के अनुसार पात्र अ.जा./अ.ज.जा. में से कब तक भर लिया जायेगा;

(घ) क्या इस मुददे की जांच करने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार भारतीय सड़क निर्माण निगम द्वारा जल–भूतल परिवहन मंत्रालय को इस संबंध में दिए गए आश्वासनों को कब तक क्रियान्वित करेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) दिसम्बर, 1992 दिसम्बर, 1993 और आज की स्थिति के

अनुसार अनु.जा./अनु.जन.जा. की पद–वार पदोन्नति के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियों (चैन वैकेन्सिज) तथा बकाया (बैक लॉग) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सामान्य वर्ग के दो कर्मचारियों को पात्रता अवधि पूरी करने के पश्चात् पदोन्नति दी गई। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 4 पात्र कर्मचारियों को अभी पदोन्नति दी जानी है। उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) से (छ) इस समिति की सिफारिशों को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं.	वर्ग सीधी भर्ती	रिक्त पड़े आरक्षित (बकाया) पद अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1	2	3	4
1.	क्लर्क (टाइपिस्ट)	2	–
2.	डाक छांटने वाला	1	–
3.	इलेक्ट्रीशियन–प्लम्बर	1	–
4.	जेस्ट आपरेटर	1	–
5.	स्टाफ कार ड्राइवर	1	1
6.	रिकार्ड कीपर	1	–
7.	आर टी ओ	1	1
8.	सहायक	3	1
9.	कनिष्ठ आशुलिपिक	2	1
10.	टेलेक्स आपरेटर	1	–
11.	पी ए	1	1
12.	चीफ मेकेनिक	1	–
13.	वरिष्ठ सहायक	1	1
14.	वरिष्ठ सहायक (ए/सी एस)	2	1
15.	वरिष्ठ ड्राफ्समेन	1	–
16.	तकनीकी सहायक	1	1
17.	अनुभाग अधिकारी (ए/सी एस)	1	1
18.	अनुभाग अधिकारी (पी एंड ए)	1	–
19.	अनुभाग अधिकारी (सिविल)	1	1
20.	उप प्रबंधक (सिविल)	2	1
21.	उप प्रबंधक (इक्विप.)	1	1
22.	उप प्रबंधक (पी एंड ए)	1	–
23.	उप प्रबंधक (एफ एंड ए)	1	1
24.	प्रबंधक (सिविल)	1	1
25.	प्रबंधक (यांत्रिकी)	1	1
26.	प्रबंधक (पी)	1	1
27.	प्रबंधक (ए/सी एस)	2	1
28.	वरिष्ठ प्रबंधक (ए/सी एस)	1	1
29.	वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)	1	1
30.	उप महाप्रबंधक (इक्विप.)	1	–
31.	ए जी एम (पी)	1	–
	डी. पी. सी.		
32.	उपप्रबंधक (सी)	–	1
33.	अनुभाग अधिकारी (सी)	1	–
34.	वरि. ड्राफ्टमैन	–	–
35.	उप प्रबंधक (इक्विप.)	1	–
36.	सहायक फोरमैन	1	–
37.	ओ ई एम	–	1
38.	उप प्रबंधक (एफ एंड ए)	2	1
39.	अनुभाग अधिकारी (ए/सी एस)	1	–
40.	वरि. सहायक	2	–
41.	उप प्रबंधक (पी एंड ए)	1	1
42.	सहायक (पी एंड ए)	–	1
43.	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के नि. सचिव	1	–
44.	ए पी एस	1	1
45.	पी ए	2	–
46	लाइनज सुपरिटेन्डेंट	1	–
47.	संपर्क समन्वय सहायक	1	–
48.	इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर	1	–
49.	वरि. ड्राइवर	1	1
50.	ड्राइवर	1	1
51.	रिकार्ड कीपर	1	–
52.	चपरासी	–	1

[हिन्दी]

बैलाडिला खानें

3265. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलाडिला की खानों में पाये गये लौह अयस्क में से कितना लोहा उपलब्ध होगा और इसकी गुणवत्ता तथा देश के अन्य भागों में उपलब्ध लौह अयस्क की गुणवत्ता तथा उसमें लोहे की प्रतिशतता का अलग–अलग विवरण क्या है;

(ख) उक्त खानों से समझौतावार प्रत्येक देश की कितनी मात्रा में और भारतीय मुद्रा में कितनी कीमत का लौह अयस्क का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास पर्याप्त उत्खनन सुविधा मौजूद नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त खानों में लौह अयस्क कितनी मात्रा में उपलब्ध होने का अनुमान है और अब तक कितना निकाला गया है और अभी और कितना निकाला जा सकता है; और

(च) उक्त खानों में निकाले गये लौह अयस्क का नवीनतम बिक्री मूल्य कितना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) के अनुसार 1.4.90 को देश में लौह अयस्क के खनन योग्य भंडार संबंधी विवरण-I और II में संलग्न है।

भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 1.4.90 को बैलाडिला में लौह अयस्क का देशवार निक्षेप वार खनन योग्य भंडार का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान एन. एम. डी. सी. द्वारा बैलाडिला लौह अयस्क का देशवार निर्यात और भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) एन. एम. डी. सी. के पास बैलाडिला में अपनी प्रचालनरत खानों से लौह अयस्क का खनन करने के लिए पर्याप्त खनन सुविधाएं हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) को मददेनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1.4.90 की स्थिति के अनुसार आई. बी. एम. की मात्रा सूची के अनुसार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन. एम. डी. सी.) की तीन प्रचालनरत बैलाडिला लौह अयस्क खानों में लौह अयस्क का खनन योग्य अनुमानित भंडार लगभग 3400 लाख टन था। 1990-91 से 1994-95 के दौरान इन तीन खानों में लगभग 380 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ।

(च) वर्ष 1995-96 के लिए बैलाडिला लौह अयस्क के स्वदेशी विक्रय मूल्य नीचे दिए गए हैं :

(i)	केलिब्रेटिड डले अयस्क	400.29 रु. + रायल्टी के लिए 18 रु. प्रति टन।
(ii)	डले	349.31 रु. + रायल्टी के लिए 18 रु. प्रति टन।
(iii)	चूरा	235.59 रु. + रायल्टी के लिए 13 रु. प्रति टन।

विवरण -I

1.4.90 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क (हेमाटाइट) का खनन योग्य भंडार

(दस लाख टन)

क्रम संख्या	क्षेत्र/राज्य	उच्च ग्रेड (+65%)	मध्य ग्रेड (62-65%)	न्यून ग्रेड (-62%)	अवर्गीकृत	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	**क्षेत्र "ए"**					
	बिहार	85	1792	903	187	2967
	उड़ीसा	322	1288	752	305	2667
		407	3080	1655	492	5634
2.	**क्षेत्र "बी"**					
	मध्य प्रदेश	630	483	516	416	2045
	महाराष्ट्र	–	35	15	126	176
		630	518	531	542	2221

1	2	3	4	5	6	7
3.	**क्षेत्र ''सी''**					
	कर्नाटक	221	438	73	197	929
4.	**क्षेत्र ''डी''**					
	गोवा	14	153	465	130	762
5.	**क्षेत्र ''ई''**					
	आंध्र प्रदेश	7	5	32	3	47
	राजस्थान	–	–	7	2	9
		7	5	39	5	56
	कुल भारत	1279	4194	2763	1366	9602

टिप्पणी : खनन योग्य भंडार में प्रमाणित, संभाव्य एवं संभावित भंडार भी शामिल हैं।

स्रोत : आई. बी. एम.

विवरण -II

दिनांक 1.4.90 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) के खनन योग्य भंडार

(दस लाख टन)

क्रम सं.	राज्य	धातुकर्मीय ग्रेड	कोयला धोवनशाला ग्रेड	फाउंड्री ग्रेड	अवर्गीकृत	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	37.9	–	–	380.0	417.9
2.	बिहार	–	5.0	–	–	5.0
3.	गोवा	98.3	–	–	66.2	164.5
4.	कर्नाटक	1298.9	–	–	1219.3	2518.2
5	केरल	35.4	–	–	–	35.4
6.	राजस्थान	–	–	0.5	–	0.5
7.	तमिलनाडु	1.1	–	–	–	1.1
	कुल भारत	1471.6	5.0	0.5	1665.5	3142.6

टिप्पणी :

1. धातुकर्मीय ग्रेड : (क) लौहांश – न्यूनतम 38%

   (ख) आक्सीकृत स्थिति में होना चाहिए

2. कोयला धोवनशाला ग्रेड : (क) मैगनेटाइट अंश न्यूनतम 70 से 75% अथवा जैसा उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता हो।

3. खनन योग्य भंडार में प्रमाणित संभाव्य तथा संभावित भंडार भी शामिल हैं।

स्रोत : आई. बी. एम.

विवरण-III

दिनांक 1.4.90 की स्थिति के अनुसार बैलाडिला की खानों में लौह अयस्क का निक्षेपवार खनन योग्य भंडार

इकाई : हजार टन

	निक्षेप का नाम	कुल भंडार	ग्रेड
1.	बैलाडिला नं. 3	32810	अवर्गीकृत
2.	बैलाडिला नं. 5	124671	उच्च
		51180	नीली धूली
3.	बैलाडिला नं. 10	112710	न्यून
4.	बैलाडिला नं. 11 ए	11830	उच्च
5.	बैलाडिला नं. 11 बी	104170	उच्च
6.	बैलाडिला नं. 11 सी	125460	उच्च
7.	बैलाडिला नं. 14	24380	उच्च
		15155	नीली धूली
	कुल :	602.36 एम.टी.	

टिप्पणी :

1. उच्च ग्रेड (+)65% लौहांश
2. मध्यम ग्रेड 62-65% लौहांश
3. न्यून ग्रेड (-) 62% लौहांश

विवरण-IV

एम. एम. टी. सी. द्वारा निर्यात किए गए बैलाडिला के लौह अयस्क का ब्यौरा

वर्ष	देश	मात्रा (लाख एम.टी)	मूल्य (करोड रुपये)
1	2	3	4
डले			
1991-92	जापान	35.79	229.62
1992-93	जापान	31.09	233.47
1993-94	जापान	27.96	196.50
1994-95	जापान	26.58	176.83
चूरा			
1991-92	जापान	10.00	46.96
	दक्षिण कोरिया	4.67	23.39
1992-93	जापान	8.45	46.99
1993-94	जापान	8.86	69.98
	दक्षिण कोरिया	2.63	13.70
	चीन	2.12	11.20
1994-95	जापान	10.83	52.43
	दक्षिण कोरिया	1.32	6.18
	चीन	3.08	14.76

[अनुवाद]

खानों का निजीकरण

3266. **श्रीमती शीला गौतम :**

डा. मुमताज अंसारी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुल खानों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ) नई राष्ट्रीय नीति, 1993 द्वारा खनिज क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के विदोहन के लिए आरक्षित 13 खनिजों यानि लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, सल्फर, स्वर्ण हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, मोलिब्डेनम, टंगस्टन अयस्क, निकिल तथा प्लेटिनम ग्रुप की धातुओं को निजी क्षेत्र द्वारा विदोहन हेतु आरक्षण मुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकारें खनिज रियायतें देने के लिए आवेदन प्राप्त करती हैं तथा उन पर खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई करती है।

[हिन्दी]

डी. टी. सी. की बसें

3267. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न रूटों पर चल रही डी. टी. सी. की बसों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन बसों को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के पास प्रचालन योग्य बसें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण कुछेक रूटों पर बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं और अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त रूट सं० 175, 202, 214, 252, 256, 303, 314, 329, 334, 341, 362, 462, 508, 733 और 882 से बसें हटा ली गई हैं और इन रूटों पर रा. प. प्रा. द्वारा जारी परमिटों के अंतर्गत चलने वाली बसें लगा दी गई हैं।

(ग) से (ङ) दिल्ली परिवहन निगम के बेडे में सुधार होते ही प्रभावित रूटों पर सेवाएं पुनः प्रारंभ कर दी जाएंगी।

विवरण

विषय : ऐसे रूटों के ब्यौरे जहां दि.प.नि. सेवाएं बंद कर दी गई हैं

रूट सं.	बसें	रूट सं.	बसें	रूट सं.	बसें	रूट सं.	बसें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	6	1	42	1	569	3
3	1	24	1	91	1	709	1
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1	27	1	95	3	907	1
12	3	118	1	एम एस (+)(-)	43	908	1
13	2	163	4	235	1	937	3
16	3	203	3	945 पीटीएस	1	943	1
18	1	204	3	एम एस (+)(-)	2	944	1
19	1	244	3	981	1	954	1+2=3

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1	275	3	972	1	958	1
185	1	302	1	938	1	959	1
255	1	305	1	904	1	961	1
271	1	309	3	263	2	966	1
272	1	310	1	200	1	967	1
322	1	315	3	189	2	978	2
327	3	316	2	184	3	979	1
127	1	325	1	178	1	980	2
134	2	326	2	168	1	आरएल 93	4
147	3	330	2	160	4	जीएल 94	3
165	2	343	2	151	5	405	3
166	1	345	1	150	2	411	2
167	1	348	1	122	4	416	3
179	1	350	2	113	1	417	4
183	2	352	1	104	3	419	2
194	1	364	3	9	2	422	2
186	1	373	1	22	2	423	3
333	2	390	1	77	2	427	1
8	2	39	3	80	1	463	1
33	4	89	1	82	5	500	1
34	4	93	1	86	1	501	1
300	5	94	3	88	2	502	4
301	1	110	1	90	1	509	1
307	5	115	2	96	1	513	1
321	1	121	2	98	1	521	3
323	3	139	2	152	2	523	2
324	1	157	3	159	1	525	2
332	2	171	1	218	3	526	1
338	2	220	3	618	2	527	3
346	2	226	2	619	1	528	2
374	1	240	1	71	1	530	1

1	2	3	4	5	6	7	8
355	2	251	2	722	1	531	1
359	1	365	1	804	1	532	1
360	1	902	2	जी एल-82	2	533	1
361	1	948	1	219	5	535	4
384	2	973	1	229	3	544	2
जी एल-32	1	आर एल-1	1	231	5	548	1
जी एल-35	3	आर एल-2	2	539	2	580	1
				567	2	581	1
						690	3
आर एल-42	4	437	1	70	1	666(+)	3
एफ–1	2	441	1	72	1	702	2
एम–13	1	450	2	74	1	705	1
421	1	451	2	75	1	714	1
425	2	452	2	76	2	774	1
428	1	459	1	78	1	775	1
429	9	460	1	81	1	51	3
431	1	461	2	87	2	53	1
432	2	469	3	97	1	464	1
433	2	471	1	156	3	536	2
434	1	507	1	212	3	611	1
439	2	644	1	234	1	780	3
445	3	711	2	313	2	103	1
447	2	टीएम एस(+)	4	318	1	106	5
449	3	आर एल-45	1	351	3	107	1
469	1	जीएलटीएमएस	3	550	1	109	1
480	3	116	2	755	1	112	1
481	2	164	3	801	2	114	6
482	1	174	1	823	4	119	2
491	4	186	2	टीएमएस (+)(-)	9	130	1
492	1	197	1	56	1	131	2
504	2	247	1	66	2	133	3

1	2	3	4	5	6	7	8
514	2	808	1	207	2	135	1
540	1	846	1	323	1	136	2
541	2	901	2	372	2	161	1
864 एलटीडी	1	953	3	467	1	177	3
865 एलटीडी	1	977	2	511	1	188	2
26	1	962	1	515	2	701	2
45	4	969	1	516	4	708	1
304	1	970	1	517	2	924	3
364	3	971	2	519	3	941	1
400	2	170	2	524	1	977	1
402	1	173	2	537	2	100	1
403	2	232	2	560	1	102	6
404	1	568	4	602	1	117	2
407	1	906	1	603	2	124	2
408	2	909	3	604	1	125	3
410	2	911	2	605	2	126	2
414	1	921	1	616	1	128	2
415	1	930	1	620	1	129	1
418	5	932	1	621	1	137	3
424	4	951	2	622	3	138	1
जीएल-425	2	984	1	623	1	142	2
426	2	5	1	628	2	144	2
433 एसटी 1	1	28	2	631	2	145	2
435	1	29	6	632	1	146	1
436	1	45	2	640	1	148	1
		47	1	666 एसटी 1	1	149	2
162	1	281	1	810	1	829	1
172	1	312	2	824	2	833	1
176	2	317	3	825	3	834	2
180	2	320	3	850	1	836	2
181	1	335	3	869	1	844	1

1	2	3	4	5	6	7	8
187		आरएल–33	2	886	1	848	1
193	2	337	2	891	3	872	1
222	3	340	4	डी सेवा	1	873	1
223	3	342	4	आरएल- 78	7	878	1
225	3	354	3	एफ-4	2	884	1
237	2	357	2	एफ -5	2	922	2
259	4	358	2	818	1	आर एल-78	3
986	1	आरएल -24	2	835	3	209	1
जीएल-16	7	73	1	838	5	233	1
205	1	83	2	852	1	249	1
213	1	85	4	856	2	408	1
221	2	108	2	859	1	538	1
224	2	208	1	861	1	857	1
239	1	228	2	868	1	900	2
241	2	238	4	547	1	903	2
246	2	308	4	875	2	910	1
262	3	448	2	जी एल-83	3	912	2
331	2	518	1	एफ-6	1	913	3
353	2	713	1	863	4	917	2
374 लि	5	715	1	813	2	939	1
375	3	716	1	855	1	949	1
381	1	720	2	854	2	952	2
आर एल-21	3	723	1	845	1	953 एस टी	4
आर एल-23	1	718	2	851	7	956	2
2	2	721	4	832	1	960	1
215	4	731	1	807	3	629	1
216	5	732	1	578	2	793	2
217	3	727	4	707	1	805	1
		740	2	764	2	830	1
227	2	735	2	783	2	839	2
242	1	760	3	790	4	841	2

1	2	3	4	5	6	7	8
243	1	761	2	792	1	847	1
248	2	771	1	806	1	871	1
260	5	772	1	817	3	874	1
261	6	752	2	819	1	881	1
264	5	753	2	821	1	883	1
265	2	754	1	822	2	आर एल-71	1
270	5	770	1	826	2	आर एल-75	5
280	4	778	2	827	4		
		781	1	828	3		
				कुल बसें		1122	
				जोड़ : रूट		553	

[अनुवाद]

सड़क क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश

3268. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "हाईवेज टू ग्रेट ऐनदर स्केम" से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने उस किसी भी पार्टी को ठेके का 30 प्रतिशत देने का अधिकार बनाए रखा है जिनका व्यवहार्यता अध्ययन संबंधित पार्टी की कोटेशन राशि न्यूनतम न होते हुए भी स्वीकृत कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार बनाए रखी गई शक्ति के दुरूपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या उनके मंत्रालय ने बिना कोई भी कारण बताएं किसी भी आवेदन को अस्वीकृत कर देने की शक्ति भी स्वयं ले ली है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में लागत अनुमानों में अंतर, निविदा प्रक्रिया और निर्माण की अधिक लागत के कारण प्रयोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले अधिक पथकर के बारे में शंका व्यक्त की गई थी।

(ग) चूंकि यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं था, अतः इस मंत्रालय ने दिनांक 12.9.95 के इंडियन एक्सप्रेस में एक स्पष्टीकरण जारी किया था।

(घ) जी नहीं। सही तथ्य यह है कि ठेका देने के लिए सुस्पष्ट प्रक्रिया के जरिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोलियों का अनुपालन किया जाएगा और सरकार को बिना किसी लागत के व्यवहार्यता अध्ययन उपलब्ध करवाने वाले को बी ओ टी बोलीदाता के रूप में पूर्व अर्हता प्राप्त माना जाएगा और वह न्यूनतम बोलीदाता की शर्तों के अनुसार पथकर मार्ग की 30% लम्बाई दिए जाने का पात्र होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) लोक हित की रक्षा के लिए एक सामान्य खंड है।

पेट्रो रसायन परियोजनाओं संबंधी समिति

3269. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली पेट्रो रसायन परियोजनाओं के चयन हेतु एक विशेष समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समिति ने राजस्थान में पेट्रो रसायन परियोजनाओं की

स्थापना हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार ने 11.11.91 को पेट्रो रसायन सेक्टर से संबंधित एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। जिसके अध्यक्ष, डा. राकेश मोहन, आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय थे तथा सरकार एवं उद्योगों से इसमें सदस्य लिए गए थे। विशेषज्ञ दल के समक्ष कुछ कार्य इस प्रकार थे : (i) पेट्रो रसायन के परिप्रेक्ष में आयोजना से संबंधित कपूर समिति की मांग आपूर्ति विश्लेषण की समीक्षा और अद्यतन बनाना संशोधित औद्योगिक नीति प्रावधानों के संदर्भ में पेट्रो रसायन की दोनों इंकाइयों केकरों और मेजर डाउन स्ट्रीम में निवेश के लिए वातावरण की समीक्षा। केन्द्रीय बजट में घोषित अद्यतन परिवर्तनों तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित नई व्यापार नीति के संदर्भ में। विशेषकर निर्यात के लिए आयात नीति प्रशुल्क दरों और निर्यात अवसरों की समीक्षा।

(ii) न्यूनतम निर्धारित आर्थिक उपकार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा देश में प्रौद्योगिकी खपत के विकास की समीक्षा।

(iii) फीडस्टाक सप्लाई और कीमतों की समीक्षा।

समिति ने नवंबर, 1993 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशें किसी विशिष्ट परियोजना की मंजूरी के अथवा राजस्थान या किसी अन्य राज्य में पेट्रो रसायन परियोजना स्थपित करने से संबंधित नहीं हैं।

इंदिरा आवास योजना

3270. श्री मोहन रावले : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अब तक कितने मकान बनाए गए हैं;

(घ) योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध किये जाने का विचार है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 1995-96 के दौरान कितने मकानों का निर्माण किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) इंदिरा आवास योजना, जोकि जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना है, के लक्ष्य और उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मुक्त बन्धुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके साथ ही, इसका उद्देश्य बेरोजगार और अल्प–रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना और ग्रामीण गरीबों के लिए परिसंपत्तियों का सृजन भी करना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन में व्यापक सुधार लाना है।

(ख) और (ग) इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान 784.07 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई तथा गत तीन वर्षों के दौरान देशभर के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 9,24,907 मकानों का निर्माण किया गया है। (राज्यवार और वर्षवार दी गई धनराशि के ब्यौरे तथा निर्मित मकानों की संख्या संलग्न विवरण I और विवरण -II पर दी गई है।

(घ) और (ङ) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 1995-96 के दौरान, राज्यों को 10 लाख आवासों के निर्माण के लिए 1250 करोड़ रुपये (राज्य अंश के 250 करोड़ रुपए सहित) आबंटित किए गए हैं। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 1995-96 के लिए राज्य–वार आवंटन संलग्न विवरण-III तथा 1995-96 हेतु लक्ष्य विवरण-IV में दर्शाये गए हैं।

विवरण-I

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3796.43	1969.61	2667.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	32.72	25.80	25.80
3.	असम	145.92	648.39	713.70
4.	बिहार	1981.29	3863.31	5630.95
5.	गोवा	1.06	27.88	27.88

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	728.41	723.00	1106.83
7.	हरियाणा	107.29	173.67	191.17
8.	हिमाचल प्रदेश	45.03	88.58	88.58
9.	जम्मू व कश्मीर	23.14	125.74	248.30
10.	कर्नाटक	659.29	1322.50	1832.91
11.	केरल	210.87	499.06	529.61
12.	मध्य प्रदेश	2199.57	2495.78	3966.67
13.	महाराष्ट्र	1112.77	2147.14	3180.82
14.	मणीपुर	7.27	33.07	33.07
15.	मेघालय	50.91	38.69	38.70
16.	मिजोरम	30.64	16.30	16.30
17.	नागालैंड	53.73	41.48	41.48
18.	उड़ीसा	988.53	1597.81	2330.26
19.	पंजाब	154.69	130.74	185.94
20.	राजस्थान	914.97	1036.30	1506.86
21.	सिक्किम	7.26	15.10	15.10
22.	तमिलनाडु	858.53	1780.50	2220.23
23.	त्रिपुरा	39.46	42.95	42.95
24.	उत्तर प्रदेश	2349.29	4799.87	5950.14
25.	पश्चिम बंगाल	1401.67	1765.06	2432.84
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	2.00	15.27	15.27
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	8.32	8.29	8.29
29.	दमन व दीव	0.99	4.88	4.88
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.00	7.66	7.66
32.	पांडेचरी	7.05	14.95	14.95
	कुल :	17921.10	25460.00	35025.66

विवरण-II

1985-86 से 1994-95 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास

इकाइंया : संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10961	44897	57483
2.	अरूणाचल प्रदेश	218	120	219
3.	असम	1037	4304	6862
4.	बिहार	28189	88960	59216
५	गोवा	55	81	201
6.	गुजरात	4889	7117	7895
7.	हरियाणा	1002	1552	3536
8.	हिमाचल प्रदेश	351	629	953
9.	जम्मू व कश्मीर	425	390	1697
10..	कर्नाटक	7197	8820	13831
11.	केरल	4100	4827	3891
12.	मध्य प्रदेश	47156	48108	48967
13.	महाराष्ट्र	8778	16170	22812
14.	मणीपुर	213	209	17.
15.	मेघालय	432	318	241
16.	मिजोरम	224	310	368
17.	नागालैंड	1603	1516	895
18.	उड़ीसा	11303	10581	13297
19.	पंजाब	3359	2739	3849
20.	राजस्थान	10541	19958	28934
21.	सिक्किम	140	142	108
22.	तमिलनाडु	14409	33758	33176
23.	त्रिपुरा	343	636	.567
24.	उत्तर प्रदेश	22218	47722	17555
25.	पश्चिम बंगाल	13300	13389	15526
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	20	21	21
27.	चंडीगढ़	0	0	0

1	2	3	4	5
28.	दादर व नगर हवेली	52	60	58
29.	दमन व दीव	21	11	45
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडेचरी	47	48	0
	कुल :	192505	360847	377275

+ गोवा में शामिल है।

* शून्य/असूचित

विवरण-III

1995-96 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों की आवंटन

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इंदिरा आवास योजना हेतु निर्धारित निधियां केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7764
2.	अरूणाचल प्रदेश	80
3.	असम	2556
4.	बिहार	15229
5.	गोवा	86
6.	गुजरात	2850
7.	हरियाणा	685
8.	हिमाचल प्रदेश	274
9.	जम्मू व कश्मीर	556
10.	कर्नाटक	5213
11.	केरल	1897
12.	मध्य प्रदेश	9838
13.	महाराष्ट्र	8464
14.	मणीपुर	102
15.	मेघालय	120
16.	मिजोरम	50
17.	नागालैंड	128
18.	उड़ीसा	6299
19.	पंजाब	487
20.	राजस्थान	4087
21.	सिक्किम	47
22.	तमिलनाडु	7019
23.	त्रिपुरा	133
24.	उत्तर प्रदेश	18921
25.	पश्चिम बंगाल	6958
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	47
27.	दादर व नगर हवेली	26
28.	दमन व दीव	15
29.	लक्षद्वीप	24
30.	पांडेचरी	46
	कुल :	100000

विवरण-IV

1995-96 के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अंनतिम लक्ष्य

इकाइयां : संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य (बनाए जाने वाले आवासों की संख्या)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	77642
2.	अरूणाचल प्रदेश	797
3.	असम	25560

1	2	3
4.	बिहार	152292
5.	गोवा	861
6.	गुजरात	28501
7.	हरियाणा	6846
8.	हिमाचल प्रदेश	2736
9.	जम्मू व कश्मीर	5561
10.	कर्नाटक	52133
11.	केरल	24624*
12.	मध्य प्रदेश	98384
13.	महाराष्ट्र	84641
14.	मणीपुर	1022
15.	मेघालय	1195
16.	मिजोरम	504
17.	नागालैंड	1281
18.	उडीसा	62986
19.	पंजाब	7047**
20.	राजस्थान	40875
21.	सिक्किम	466
22.	तमिलनाडु	70187
23.	त्रिपुरा	1327
24.	उत्तर प्रदेश	189211
25.	पश्चिम बगाल	69579
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	377
27.	दादर व नगर हवेली	205
28.	दमन व दीव	121
29.	लक्षद्वीप	***
30.	पांडेचरी	369
	कुल :	1007331

* 707.14 लाख रुपये की तुलना में लक्ष्य भी शामिल है। 10 लाख कुओं की योजना के अंतर्गत आबंटन का 2/3 भाग इंदिरा आवास योजना हेतु उपयोग किए जाने की स्वीकृति है।

** इंदिरा आवास योजना के लिए प्रयोग में लाने हेतु अनुमति प्राप्त दस लाख कुओं की योजना के आबंटन के 272.28 लाख रुपये के एवज में लक्ष्य भी इसमें शामिल है।

*** सामान्य जवाहर रोजगार योजना हेतु निधियों के प्रयोग की अनुमति प्राप्त है।

इन्दिरा आवास योजना

3271. श्री सुधीर सावंत : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा कार्यरत जवानों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए इंदिरा आवास योजना का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां तो क्या इस संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिवर्ष 12000/- रुपये से ज्यादा पेंशन या वेतन मिलता है;

(घ) यदि हां तो सरकार का विचार इंदिरा आवास योजना को सशस्त्र बलों के कर्मियों पर किस प्रकार लागू करने का है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछड़े वर्ग के पास गांवों में जमीन नहीं है और इसलिए वे इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं;

(च) इस खामी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(छ) सिंधु दुर्ग तथा रत्नागिरी जिले में गत तीन वर्षों में कितनी इंदिरा आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) भूतपूर्व सैनिकों की जरूरतमंद विधवाओं अथवा काम करते हुए मारे गए सैन्य कर्मियों एवं अर्धसैनिक बलों के जरूरतमंद निकटतम संबंधियों को पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सुविधाओं को लागू किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) इन्दिरा आवास योजना के लाभ काम करने के दौरान मारे गये सैन्यकर्मियों एवं अर्धसैनिक बलों के परिवारों की आय के मानदंडों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी करते हों:

1. वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों,

2. वे आवास पुनर्वास की किसी अन्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हों, और

3. वे बेघर हों अथवा आवास चाहते हों या आवास को सुधारना

चाहते हों।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अन्य भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवानिवृत अर्धसैनिक बलों को भी प्राथमिकता दी जाती है, यदि वे इन्दिरा आवास योजना की सामान्य शर्तें पूरी करते हों तथा किसी अन्य आवास पुर्नवास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हों।

(ङ) और (घ) गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआं मज़दूरों एंव गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किए जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार उपरोक्त श्रेणी के लोगों को आवास स्थल प्रदान कर रही है और उस आवंटित भूमि पर इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया जाता है। कई मामलों में आवासों का निर्माण लाभार्थी के बेकार हो चुके वर्तमान आवासों की भूमि पर ही किया जाता है।

(छ) सिंधु दुर्ग एव रत्नागिरी जिलों में विगत तीन वर्षो के दौरान मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गयी है। हालांकि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण करने के लिए राज्यों को सरकार धन आवंटित कर रही है और लेकिन आवासों का निर्माण करने के लिए जिलेवार लक्ष्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

'एसियान' की सदस्यता

3272. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 'एसियान' की सदस्यता के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में इस विषय पर क्या स्थिति है; और

(ग) भारत को अभी तक 'एसियान' की सदस्यता ने मिलने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) आसियान, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय ग्रुप है, के क्रियाकलापों के साथ सम्बद्ध होने की भारत की हार्दिक इच्छा है। इस प्रकार भारत ने अप्रैल, 1993 में आसियान के साथ क्षेत्रीय वार्ता सहभागिता स्थापित की है और सहयोग के विस्तार के लिए चार क्षेत्र तय किये गये हैं। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं : व्यापार, पूंजीनिवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा पर्यटन। तथापि, भारत ने आसियान की सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वरोजगार संबंधी योजनाएं

3273. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कितने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक योजना से संबंधित प्रस्ताव मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) 1994-95 और 1995-96 (सितम्बर 1995 तक) के दौरान स्वरोजगार योजना अर्थात्, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अंतर्गत देश में क्रमशः 281874 और 38319 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से कोई स्वरोजगार योजना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, सामान्य ट्राइसेम योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज हेतु राज्य का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

परिषदों के नियंत्रण में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

3274. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी. आर. डी.ओ.) को पंचायत जिला परिषदों के संपूर्ण सर्वेक्षण, नियंत्रण और दिशा–निर्देशन के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां।

(ख) तदनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) संविधान के 73वें संशोधन के बाद राज्य के पंचायत मंत्रियों का एक सम्मेलन और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के

परियोजना निदेशकों की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें इस मामले पर विचार–विमर्श किया गया। इसमें महसूस किया गया कि जिला परिषदों एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के बीच निकटतम समन्वय होना अत्यावश्यक है। राज्यों को सलाह दी गयी है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां अब समग्र रूप से जिला परिषदों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में काम करेंगी। जिला परिषद् के अध्यक्ष ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की अधिशासी निकाय के पदेन अध्यक्ष होगें और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जिला कलक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अधिशासी निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/कार्यकारी निदेशकों के रूप में पदस्थापित किया जाएगा और वे ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की कार्यकारी समिति के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जहां ये पद जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त के पास नहीं होंगे, वहां जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अधिशासी निकाय के सदस्य सचिव होंगे।

गंधार गैस आधारित विद्युत परियोजना

3275. श्री शंकर सिंह बाघेला :

श्री काशी राम राणा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में गंधार गैस आधारित दो विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनसे उत्पादित विद्युत का 28 प्रतिशत गुजरात को मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा गुजरात की मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने गुजरात में 657 मे.वा. क्षमता की केवल एक कम्बाइंड साइकल गैस विद्युत परियोजना को स्वीकृत किया है, जो गंधार गैस फील्ड से ईंधन की आपूर्ति पर आधारित है। इस परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किया गया है। परियोजना को पहले ही चालू कर दिया गया है और यह प्रचालनाधीन है। परियोजना से गुजरात को 36.1% विद्युत आवंटित की गई है।

विद्युत पारेषण नेटवर्क

3276. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन नेटवर्क/मूलभूत ढांचे के अनुरूप विद्युत पारेषण नेटवर्क का विकास नही किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूरे देश में पारेषण की भरोसेमंद व्यवस्था करने हेतु सरकार की नेटवर्क बनाने की कोई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी लागत आएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की निकासी के लिए उपयुक्त सम्बद्ध पारेषण लिंकों हेतु योजना बनाई जाती है और एक सतत् प्रक्रिया के रूप में इनको क्रियान्वित किया जाता है। पारेषण नेटवर्क का और विस्तार करने/सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का निर्माण करने, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के आदान–प्रदान की सुविधा हेतु क्षेत्रीय ग्रिडों को अंतःसम्बद्ध करना और उपलब्ध विद्युत उत्पादन संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन किया जाना निहित है, के लिए पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रिडों को अंतःसम्बद्ध करके राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किए जाने के लिए जिन स्कीमों का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है, उनके बारे में ब्यौरा निम्नवत् है :

1. उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाला 500 मे.वा. एचवीडीसी, बैक–टू–बैक पारेषण लिंक विंध्याचल में पहले ही विद्यमान है।
2. दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों को जोडने वाला 1000 मे.वा. एचवीडीसी बैक–टू–बैक लिंक चन्द्रपुर में क्रियान्वयनाधीन है और इसे 1997-98 में चालू किए जाने की आशा है।
3. पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ने वाला 500 मे.वा. एचवीडीसी, बैक–टू–बैक लिंक, गाजवाका (विशाखापटनम) को 1998-99 में चालू किए जाने का अनुमोदन कर दिया गया है।

उपरोक्त तीनों स्कीमों की कुल अनुमानित लागत लगभग 1707 करोड़ रुपये बैठती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लिए इस्पात के कोटे का आवंटन

3277. श्री दत्ता मेघे : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से इस्पात के कोटे में वृद्धि करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य को कितनी मात्रा में इस्पात आवंटित किया गया है; और

(घ) राज्य सरकार तथा महाराष्ट्र के लोगों द्वारा इसके उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात (डी. सी. आई. एंड एस.) लघु उद्योग निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य लघु उद्योग निगमों द्वारा दर्ज कराई गई मांग और उनके द्वारा विगत में उठाए गए माल को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इस्पात का आवंटन करता है। गत दो वर्षों के दौरान विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम को इस्पात का आवंटन और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा नीचे दी गई है :

(टन)

	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1993-94	43395	32374
1994-95	58936	21945

[अनुवाद]

कर्नाटक में बिजली की कमी

3278. श्री जी. माडे गौड़ा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुल विद्युत परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग भी की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	येलाहांका डीजल पावर स्टेशन विस्तार (केईबी)	2x23.4
2.	मंगलौर टीपीएस (निजी)	4x250
3.	रायचूर टीपीएस यूनिट 5 एवं 6 (निजी)	2x210
4.	टोरैंगल्लू टीपीएस (निजी)	2x120

(ग) और (घ) सभी अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं का वित्त पोषण प्रासंगिक होगा।

फलों और सब्जियों की संस्थापित प्रसंस्करण क्षमता का आकलन

3279. श्री हरिन पाठक : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फलों और सब्जियों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने देश में फलों और सब्जियों की संस्थापित प्रसंस्करण क्षमता का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो अक्तूबर, 1995 तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संस्थापित क्षमता का पूरा–पूरा उपयोग किया गया तथा प्राप्त किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और क्षमता का कितने प्रतिशत वार्षिक उपयोग किया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1992-93 में फल और सब्जियों का क्रमशः 32.96 और 71.08 मिलियन टन उत्पादन हुआ।

(ख) से (ङ) चालू वर्ष में अक्तूबर, 1995 तक अनुमान है कि फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, इसमें तले और धूप में सुखाए गए उत्पाद शामिल हैं, की कुल स्थापित क्षमता लगभग 16.5 मिलियन टन है। हालांकि बहुत सी फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता का पूरा–पूरा उपयोग करने की गुंजाइश है लेकिन इस समय कुल मिलाकर स्थापित क्षमता का लगभग 48% का उपयोग किया जा रहा है। प्रसंस्करण योग्य फल और सब्जियों के सीमित मात्रा में और मौसम के दौरान ही मिलने, घरेलू बाजार को बढ़ाने के लिए किए गए अपर्याप्त प्रयासों और विभिन्न कारणों जिनमें कर और शुल्क शामिल हैं, से प्रसंस्कृत उत्पादों की कीमतें तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण स्थापित क्षमता का पूरा–पूरा उपयोग नहीं किया जाता ।

संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र

3280. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने एशिया – प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केन्द्र को भारत में स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या जवाबी कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस प्रस्ताव को समाप्त किए जाने

का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त केन्द्र की स्थापना भारत में कब तक की जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ङ) एशिया तथा प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र केन्द्र की स्थापना भारत में 1 नवम्बर, 1995 में हुई जिसके संस्थापक सदस्य थे इन्डोनेशिया, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, मंगोलिया, नौरू, नेपाल, श्रीलंका, उजबेकिस्तान, कोरिया गणराज्य और भारत। इस केन्द्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए गए निर्णय और उसके बाद नवम्बर, 1994 में इस बात के निर्धारण के अनुसरण में की गई कि ये केन्द्र भारत में स्थापित किया जाए। चीन ने भी इस केन्द्र की स्थापना उनके यहां किए जाने की पेशकश की थी। चीन की इच्छा को देखते हुए बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति (कोपस) इस बात के लिए सहमत हुई कि "इसकी शासी निकाय के अनुमोदन पर यह केन्द्रों के नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाएग ताकि इस क्षेत्र के संसाधनों एवं क्षमताओं का पूरा–पूरा इस्तेमाल किया जा सके" चीन अभी तक इस केन्द्र में शामिल नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

शिशु दुग्ध आहार

3281. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर गुजरात में कितने संयंत्र दुग्ध चूर्ण का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा 30 सितम्बर, 1995 तक प्रत्येक सयत्र द्वारा कितने दुग्ध चूर्ण का उत्पादन किया गया; और

(ग) इसकी आपूर्ति एवं माग का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) संगठित क्षेत्र में 80 संयंत्र हैं जो मिल्क पाउडर का उत्पादन करते है। इनमें से कुछ शिशु दुग्ध आहार का भी उत्पादन करते हैं। इस तरह के 8 संयंत्र गुजरात में स्थित हैं।

(ख) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान शिशु दुग्ध आहार समेत मिल्क पाउडर का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 1,65,000 मी. टन, 1,85,000 मी. टन और 1,95,000 मी. टन था और गत तीन वर्षों के दौरान और सितम्बर, 95 तक शिशु दुग्ध आहार का यूनिट वार अनुमानित उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों में शिशु दुग्ध आहार समेत मिल्क पाउडर की आपूर्ति व मांग तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच इन उत्पादों की आवाजाही के ब्यौरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते। फिर भी हाल के वर्षों में इन मदों की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

[अनुवाद]

सुकिण्डा में स्टेनलेस इस्पात संयंत्र लगाना

3282. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा मे सयुक्त क्षेत्र मे सुकिण्डा घाटी के समीप एक स्टेनलेस इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के संस्थापन में कौन–कौन सी कंपनियां (भारतीय और विदेशी दोनों) भागीदारी कर रही हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) संयुक्त क्षेत्र में उड़ीसा में सुकिण्डा घाटी के समीप एक बेदाग इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पाद अनाज और विपणन अधिनियम

3283. श्री शरत पटनायक : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पाद अनाज और विपणन अधिनियम के क्षेत्राधिकार में और वस्तुएं लाने के लिए इसमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन) अधिनियम 1937 (1937 का अधिनियम 1) (1986 तक यथासंशोधित) की धारा 6 में केन्द्र को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके और अधिक मदों को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है।

अन्य देशों द्वारा अधिकृत किये गये भारतीय क्षेत्र

3284. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का कुल भूमि क्षेत्र कितना था और इस समय भारत का कुल भूमि क्षेत्र कितना है;

(ख) भारतीय भूमि क्षेत्र के कम हो जाने के क्या कारण हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय भूमि पर कब्जा कर रखा है; और

(ग) अन्य देशों द्वारा अधिकृत की गई भारतीय भूमि को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) 1 सितंबर, 1947 को कुल भारतीय क्षेत्र 32,63,945 वर्ग कि.मी. था। इस समय कुल भारतीय क्षेत्र 32,87,263 वर्ग कि.मी. है।

(ख) उपरोक्त से देखा जा सकता है कि भू–भाग का कुल क्षेत्र कम होने के बजाए और बढा है। जम्मू एवं कशमीर का लगभग 38000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र चीन के अवैध कब्जे में हैं इसके अलावा पाकिस्तान ने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा करार के अंतर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का लगभग 5,180 वर्ग कि.मी. भारतीय भू–भाग अवैध रूप से चीन को दे दिया है। पाकिस्तान के अवैध एवं जबरन कब्जे में भारतीय राज्य जम्मू एवं कशमीर राज्य का लगभग 78,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है।

(ग) भारत और चीन सीमा के प्रश्न के एक न्यायोचित, न्यायसंगत एवं परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए काम करने के प्रति वचनबद्ध है और यह कार्य भारत चीन संयुक्त कार्यदल को सौंप दिया गया है। सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के साथ सभी मतभेद द्विपक्षीय बातचीत के जरिये शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए जाने अपेक्षित हैं।

असम में ''कापार्ट' योजना

3285. श्री प्रबीन डेका : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकी परिषद् (कापार्ट) योजना शुरु होने से अब तक इसके तहत असम में कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) ''कापार्ट'' के जरिये राज्य में किन–किन एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई तथा ये कहां–कहां स्थित हैं, और

(ग) इन एजेंसियों को परियोजना वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितनी प्रदान की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

भारतीय मिशनों के परिसर

3286. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन–किन देशो में भारतीय मिशन/वाणिज्य दूतावास किराये के परिसरों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन देशो में अपने भवनों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) इस समय 85 (पिचासी) भारतीय मिशनों/कोंसलावासो के परिसर किराए पर लिए गए हैं।

(ख) सरकार का प्रस्ताव है कि एक योजनाबद्ध तरीके से जितना संभव होगा उतने देशों में भारतीय मिशनों के लिए भवनों का निर्माण किया जाएगा। अथवा उनका अधिग्रहण किया जाएगा। इस समय नीचे लिखे देशों में भारतीय मिशनों के लिए भवन–निर्माण कार्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :

1.	सउदी अरब	2.	संयुक्त अरब अमीरात
3.	ओमान	4.	बंगलादेश
5.	बेलारूस	6.	उजबेकिस्तान
7.	चीन	8.	नेपाल
9.	ब्राजील	10.	कातर
11.	पोलैंड	12.	नाइजीरिया
13.	जर्मनी	14.	उक्रेन
15.	रूसी परिसंघ		

(ग) सउदी अरब में भवन निर्माण का कार्य चल रहा है और फरवरी, 1996 में पूरा हो जाएगा। उपर्युक्त देशों में से शेष सभी देशों में निर्माण के लिए प्राथमिक योजनाएं तैयार हैं और निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। बंगलादेश में निर्माण अपेक्षाओं पर वास्तुकार के साथ विचार–विमर्श हो रहा है।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

3287. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक का इस्पात उत्पादन का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या भारी संख्या में लघु इस्पात संयंत्र बंद हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोश मोहन देव) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1996-97 तक परिसज्जित इस्पात का प्रत्याशित उत्पादन लगभग 238 लाख टन है।

(ख) और (ग) 27.10.1995 की स्थिति के अनुसार कुल 183 चालू हुई विद्युत चाप भट्टी इकाइयों, जो लघु इस्पात संयंत्र के रूप में भी जानी जाती है, में से 92 इकाइयो के बंद हो जाने की सूचना है। विद्युत चाप

भट्टी उद्योग की विशेषता है कि उसमें छोटे–छोटे आकार वाली भट्ठियों की प्रधानता होती है जो आधुनिक प्रौद्योगिकीय को अपनाने में सक्षम नहीं होती। इसके साथ ही साथ इन इकाइयों को लम्बे समय से श्रमिक, वित्तीय तथा प्रबंधन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे अनेक इकाईयां बंद हो गयीं। इसके अतिरिक्त स्क्रैप जो उनका मूल कच्चा माल होता है की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाने तथा उच्च विद्युत शुल्क जैसे अन्य कारणों से उनके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

[हिन्दी]

भूमिगत जल-स्तर का नीचे जाना

3288. श्री पवन दीवान : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों में भूमिगत जल स्तर का ऊपर उठाने संबंधी कतिपय योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाएं भेजी गई हैं और इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2500.28 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली पांच योजनाएं भेजी गई हैं।

(ग) और (घ) ये योजनाएं तकनीकी जांच हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड को भेज दी गई हैं जो इन्हें राज्य सरकार के साथ परामर्श करके देख रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

3289. डा. साक्षीजी : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिये कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार/स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्रीराम लखन सिंह यादव) : (क) 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा जारी औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमकर्त्ता भारत में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बशर्ते कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हों। सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी एकक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, तथापि उनको प्रदत्त वित्तीय शक्तियों हेतु कुल मिलाकर वहन किए गए पूंजीगत व्यय के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त हों। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में रोजगार आश्वासन योजना

3290. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से केरल में अतिरिक्त रोजगार आश्वासन योजना खंडों के सृजन हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में अतिरिक्त खंडों का सृजन होने के बावजूद केरल में रोजगार आश्वासन योजना खंडों के लिए धन राशि का आवंटन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे कृपया संलग्न विवरण में देखें।

(ग) हाल ही में जम्मू व कश्मीर की अशांत हालतों को देखते हुए विशेष मामले के रूप में वहां के 5 खंडों में सुनिश्चित रोजगार योजना लागू की गयी है। केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है चूंकि वहां के हालात जम्मू व कश्मीर से काफी भिन्न हैं।

विवरण

से प्राप्त	जिला	क्रमांक	खंड
1	2	3	4
श्रीमती एम. टी. पद्मा	कोल्लम	1.	अंचल
मत्स्य मंत्री एवं सचिव	पत्तनमथिटटा	2.	रानी
ग्रामीण विकास, केरल	त्रिसूर	3.	चालाक्कुडी
	पल्लाकाड	4.	ओल्लकारा
		5.	कोल्लंमकोड
		6.	चित्तूर
		7.	नेम्मारा
		8.	मालामपुझा

1	2	3	4
	कोझीकोड	9.	थुनेरी
		10.	कुन्ननकुलम
		11.	कोडुवेल्ली
		12.	कुथुपरम्बू
		13.	त्रिक्कुर
	कसारागोड	14.	मेमजेशवरम
		15.	कांजनगाड
		16.	कसारागोड
	मालापुरम	17.	मानकाडा

रोजगार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3291. श्री राम कृपाल यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य–वार उन जिलों का ब्यौरा क्या है जो विशेष रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चुने गए हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में 10,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा;

(ख) क्या महाराष्ट्र में भूकंप प्रभावित लातूर जिले में दीन–हीन हो गये लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिये इस जिले को इस योजना के लिये चुनने का अधिकार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) विशेष रोजगार कार्यक्रम उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसने सूचित किया है कि पिछड़ेपन और व्यवहार्य खादी ग्रामोद्योग इकाईयों को शुरू करने हेतु अच्छे संस्थानों की उपलब्धता के मानदंड के आधार पर संलग्न विवरण के अनुसार अभी तक देश के 70 जिलों को कार्यान्वयन के लिए चुना गया है।

विवरण

खादी और ग्राम उद्योगों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कवर हेतु 70 जिलों की सूची

I. आंध्र प्रदेश

1. कुरनूल
2. अदिलाबाद
3. मेहबूब नगर
4. प्रकाशम
5. करीमनगर
6. पूर्वी गोदावरी
7. श्रीकाकुलम

II. अरूणाचल प्रदेश

8. चंमलांग

III असम

9. मारीगांव
10. लखिमपुर

IV. बिहार

11. सहरसा
12. गोडडा
13. मधुबनी
14. गया

V. गुजरात

15. बनासकांठा
16. पंचमहल
17. कच्छ

VI. हिमाचल प्रदेश

18. चंबा
19. कूल्लू एवं मंडी

VII. हरियाणा

20. रेवाड़ी

VIII. जम्मू व कश्मीर

21. अनंतनाग
22. जम्मू

IX. कर्नाटक

23. कोलर
24. रायचूर
25. धारवाड
26. चित्रदुर्ग

X. केरल

27. एल्लेप्पी
28. पठनामथित्ता
29. त्रिसूर
30. कोजीकोड

XI मध्य प्रदेश

31. सरगुजा
32. भिंड
33. गुना
34. रायपुर
35. झबुआ
36. बेतूल

XII. महाराष्ट्र

37. चंदरपुर
38. यवतमाल
39. बीड
40. नांदेड

XIII. मणिपुर

41. इम्फाल

XIV. मेघालय

42. पूर्वी गारो घाटी पश्चिमी गारो घाटी एवं दक्षिणी गारो घाटी

XV. मिजोरम

43. तुगलोई एवं आयजवल

XVI. नागालैंड

44. धीमापुर एवं कोहिमा

XVII. उड़ीसा

45. कालाहांडी
46. फूलबनी
47. कोरापुट

XVIII. पंजाब

48. होशियारपुर

XIX. राजस्थान

49. दौसा
50. टोंक
51. उदयपुर
52. जयपुर

XX. त्रिपुरा

53. त्रिपुरा (पश्चिम)

XXI. तमिलनाडु

54. रामनाथपुरम
55. थिरूलेलवेल्ली
56. धर्मपुरी
57. उत्तरी आरकोट
58. दक्षिणी आरकोट

XXII. उत्तर प्रदेश

59. माउ
60. अलमोड़ा एवं पिथौड़ागढ
61. चमौली एवं उत्तर काशी
62. मथुरा
63. शाहजहांपुर
64. झांसी
65. जौनपुर

XXIII. पश्चिम बंगाल

66. वीरभूम
67. उत्तरी 24 परगना एवं दक्षिणी 24 परगना
68. मालदा
69. नाडिया

XXIV. सिक्किम

70. सिक्किम

कानुपर में विद्युत आपूर्ति

3292. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि कानपुर (उ०प्र०) में समय से और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के मामले में, उपभोक्ताओं को अनियमित विद्युत बिल जारी करने के कारण और भुगतान की तारीख में जल्दी–जल्दी परिवर्तन करने आदि के कारण लोगों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) किसी राज्य के विभिन्न जिलों/शहरों मे विद्युत का वितरण और आपूर्ति करना राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादन यूनिटों से राज्य ग्रिड को विद्युत आपूर्ति के द्वारा राज्य सरकार के उत्पादन की अनुपूर्ति करती है। उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न उपायों में, विद्यमान क्षमता से उत्पादन को इष्टतम बनाना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, प्रभावी भार प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण उपाय एवं पडोसी राज्यों/प्रणाली से सहायता प्राप्त करना शामिल हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में आग लगने की घटना में जला कोयला

3293. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह पता है कि आस्ट्रेलिया एवं कनाडा से आयातित एम. वी. कोयले का भंडार, राउरकेला इस्पात संयंत्र मे स्टाकयार्ड मे 1993 से जल रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयातित एम. वी. कोयला जल चुका है;

(ग) आग बुझाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा क्या कार्रवाई करने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोई आयातित कोयला नहीं जला है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों का विकास

3294. श्री गुरूदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने पत्तनों तथा पत्तन–न्यासों के विकास/निजीकरण के संबंध में सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक ने भारतीय पत्तनों के संबंध में अनेक सुझाव दिए हैं। विकास के बारे में विश्व बैंक ने देश में विभिन्न महापत्तनों पर पत्तन सुविधाओं के आधुनिकीकरण, जहां आवश्यक हो बहुउद्देशीय टर्मिनलों को कंटेनर टर्मिनलों में परिवर्तित करने, बहुउद्देशीय सुविधाओं का विकास करने तथा अपेक्षाकृत नवीन सामान्य कार्गो बर्थों की पुनर्स्थापना एवं पुनः सुसज्जित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि प्रत्येक टर्मिनल में प्रचालन एकीकृत होने चाहिए ताकि तटीय हैंडलिंग, भंडारण और डिलीवरी में एक ही प्रभारी नाविक प्रचालक हो। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि पत्तन सुविधाओं/सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है।

राजमार्ग क्षेत्र नीति पैकेज

3295. श्री राम कापसे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने आपके मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये राजमार्ग क्षेत्र नीति पैकेज को स्वीकृत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय को भेजे गये पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या आपत्तियां उठायी गयी हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर

मूर्ति) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने कोई राजमार्ग क्षेत्र नीति पैकेज तैयार नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम को इस प्रयोजनार्थ संशोधित कर दिया गया है ताकि निजी क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा उसके किसी भाग के निर्माण, रख–रखाव, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय को ध्यान में रखकर उस द्वारा प्रदत्त सेवाओं और सुविधाओं के लिए ऐसी दरों पर कर वसूलने तथा उसे अपने पास रखने का हकदार होगा। इसे वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार कर लिया है।

भारतीय कंपनियों के साथ धोखाधड़ी

3296. श्री धर्मबिक्षम : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्यापारिक लेन–देन में विदेशी कंपनियों द्वारा कितनी भारतीय कंपनियों/संगठनों के साथ धोखाधड़ी की गई;

(ख) उक्त धोखाधड़ी में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) भारतीय कंपनियों की समस्याओं को हल करने के हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को धनाबंटन में एकरूपता

3297. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के धनाबटन में एकरूपता होती है;

(ख) यदि हां, तो केरल में प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद् को प्रति वर्ष औसतन कितना धन आंबटित किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद् की आय/व्यय पर कोई नियंत्रण रखा जाता है; और

(घ) यदि हां तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा धन के उपयोग की निगरानी के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा केरल सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना है। विभिन्न राज्यों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों की मार्फत कार्यान्वित किए जाते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में प्रत्येक जिले में खंडों की संख्या के आधार पर समान दर के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को निधियां आवंटित की जाती हैं। तथापि, जवाहर रोजगार योजना के मामले में राज्यों से जिलों को निधियों का आबंटन राज्य में कुल अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या की तुलना में एक जिले में ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या तथा उस जिले में कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन को समान तरजीह देने के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जाता है। 1995-96 के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर केरल में प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी/जिला परिषद् को निधियों का औसत आवंटन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 72.72 लाख रुपये और जवाहर रोजगार योजना के लिए 438.54 लाख रुपये बैठता है।

(ग) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों से केन्द्र सरकार द्वारा नियमित प्रगति रिपोर्टें और आडिट रिपोर्टें मांगी जाती हैं।

(घ) राज्य सरकारों के साथ–साथ केन्द्र द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग की सतत् और नियमित निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की गुणात्मक प्रगति का निरीक्षण करती हैं।

बकरेश्वर ताप विद्युत स्टेशन

3298. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से बकरेश्वर ताप विद्युत स्टेशन (बीटीपीएस) के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पश्चिमी बंगाल द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन स्पष्टीकरणों पर गौर किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) बकरेश्वर ताप विद्युत केन्द्र के मुख्य संयंत्र पैकेज के निविदा मूल्यांकन के संबंध में विद्युत मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार तथा पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड के साथ पत्र–व्यवहार कर रहा है।

[हिन्दी]

आगरा को विद्युत की आपूर्ति

3299. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के आगरा में लगातार तथा आवंछित रूप से विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत 172 करोड रूपये मूल्य की परियोजना के संबंध में उठाई गई आपत्तियों

का ब्यौरा क्या है तथा ताज के सुरक्षित क्षेत्र हेतु क्या प्रस्ताव है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उठायी गई आपत्तिया दूर कर दी गई है,

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी,

(घ) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ इस मुद्दे को परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाने हेतु उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने ग्रेटर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ताज ट्रेपिजियम क्षेत्र में वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए अपने प्रस्ताव में कुछेक संशोधित स्कीमें शामिल की थी। सी. ई. ए. की सलाह पर इस प्रकार की स्कीमों को शामिल नहीं किया गया और अब परियोजना की अनुमानित लागत 99.45 करोड़ रुपये है। परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए से कम होने के कारण परियोजना के लिए सी. ई. ए. का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

पावर फाइनेंस कारपोरेशन के कार्यकलाप और गतिविधियों का विस्तार

3300. श्री आर. सुरेश रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने रक्षित और स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को बिल में रियायत देने की सुविधाएं देने एवं संघटनात्मक ऋण (लोन सिंडीकेशन) देने का निर्णय लिया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पी. एफ. सी. वित्तीय भूमि, स्वतंत्र एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से भारत में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने वाले विदेशी उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थान के रूप में कार्य बल हेतु अपनी गतिविधियों और ग्राहक संख्या में विस्तार करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पी. एफ. सी. का विचार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा अपनी बढ़ती हुई गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उपयोग करने और धन एकत्रित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) बिल में छूट देने और ऋण समूहीकरण (लोन सिंडिकेशन) की सुविधा प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों में अन्य बातों के साथ–साथ, यह शर्त होगी कि विक्रेता की संस्था कम से कम 3 वर्ष से प्रचालन में होनी चाहिए उसका कार्य निष्पादन रिकार्ड और वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसने अपने अनुबंधित ऋणदाताओं के साथ चूक न की हो।

(ग) पी. एफ. सी. ने केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों सहित, नगरपालिका निकायों के अधीन यूटिलिटियों, संयुक्त क्षेत्र की यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के विद्युत विकासकर्ताओं को शामिल करके ग्राहक ऋणों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। तथापि, विदेशी विद्युत विकासकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस समय इसके पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जी, हां।

(च) पी. एफ. सी. ने विगत में, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है, परंतु अभी तक विदेशी वाणिज्यिक ऋण का सहारा नहीं लिया गया है। पी. एफ. सी. विद्युत क्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञीत वित्तीय संस्था के रूप में निधि की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न स्रोतों, जिसमें आई. बी. आर. डी., ए. डी. बी. और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार भी शामिल हैं, से संसाधन जुटाने के लिए सभी विकल्पों की जांच करेगा।

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

3301. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों द्वारा यथा प्रस्तावित केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किसने किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु राज्य वार स्वीकृति दी गई है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्य वार कुल कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई; और

(घ) राज्यों द्वारा इस संबंध में राज्यवार कितना खर्च किया गया तथा राज्यवार कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कितनी किलोमीटर सड़क निर्माणाधीन है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) इस मंत्रालय ने संसद सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर देश के ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट

3302. श्री चन्देश पटेल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. एम. एफ. एल./सी. एल. के उत्पादन के लिए शराब की बोतलों में भरने और इसका सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना हेतु लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के अनुसार आई. एम. एफ. एल./देशी शराब सहित मेथ एल्कोहल का उत्पादन, निवेश की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए, भारत सरकार के अनिवार्य लाइसेंसिंग के अधीन है। वैसे, इसके लिए नए आवेदन 16 मार्च, 1991 से भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बिजली की सहायता से/के बिना चलने वाली और क्रमशः 50/100 कामगारों को रोजगार देने वाली यूनिटों को ही इस संबंध में अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त है।

परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए पांच देशों की वार्ता

3303. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1995 में दो अमेरिकी सिनेटरों ने भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना पर चर्चा करने हेतु भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए होने वाली पांच देशों की वार्ता में भारत के भाग लेने के संबंध में भी कोई चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा व निष्कर्ष क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सेनेटर हेन्क ब्राउन और आरलेन स्पेकटर 25-28 अगस्त, 1995 को पर्यटन के लिए भारत आए थे और जयपुर जाते समय थोड़ी देर के लिए दिल्ली में ठहरे थे।

(ख) जी नहीं। प्रधान मंत्री के साथ शिष्टाचार के नाते की गई मुलाकात के दौरान केवल नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 1988 की कार्य योजना पर ही बात हुई थी। नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकने संबंधी पांच राष्ट्रों की बातचीत में भारत की भागीदारी के बारे में समाचार माध्यमों में दी गई खबरें गलत हैं और ये स्पष्टतः सेनेटर स्पेकटर की गलत फहमी पर आधारित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक ऊर्जा संबंधी पत्र

3304. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ऊर्जा पर एक पत्र प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र की ऊर्जा के उत्पादन, संरक्षण और पारेषण के संदर्भ में मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण और संरक्षण में सुधार लाने की दृष्टि से इसमें अनुशंसित उपायों पर अमल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) भारत सरकार को भारत के बारे में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई ऊर्जा संबंधी किसी विशेष रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, विश्व बैंक समय-समय पर इस विषय पर प्रकाशनों तथा लेखों की एक श्रृंखला को मुद्रित करता है। भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में इनका अध्ययन किया जाता है और इन पर कार्रवाई की जाती है तथा इनके सुझावों पर उचित विचार किया जाता है।

छोटी एवं मझोली विद्युत परियोजनाएं

3305. श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने विद्युत की कमी से निपटने के लिए छोटी एवं मझोली विद्युत परियोजनाओं को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार एवं परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय लेने से पूर्व केन्द्र सरकार के साथ इस बात पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) स्वीकृत और चालू छोटी और मझौली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारें, सभी सांविधिक और अन्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद इस प्रकार की विद्युत परियोजनाओं को

अधिष्ठापित करने के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हैं

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

क्र.सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
	जल विद्युत	
	हरियाणा	
1.	दादुपुर	4x1.5
	हिमाचल प्रदेश	
2.	घान्वी	3x7.5
3.	उहल-3	4.x17.5
4.	बनेर	3x4
5.	गाज	3x3.5
	जम्मू एवं कश्मीर	
6.	अपर सिन्ध-2	2x35
7.	अपर सिन्ध विस्तार	1x35
	राजस्थान	
8.	जाखम	2x2.5
	उत्तर प्रदेश	
9.	सोवला	2x3
	मध्य प्रदेश	
10.	बाणसागर टोन्स फैज 2 व 3	2x15+3x20
11.	बाणसागर टोन्स फैज 4	2x10
12.	राजघाट	3x15
13.	तावा एलबीसी (निजी)	2x6
	महाराष्ट्र	
14	भंडारडारा चरण-2	1x34
15.	सूर्या	1x6
16.	वारना	2x6
17.	दूधगंगा	2x12
18.	डिम्भे	1x5
19.	भिवपुरी पी एस एस (निजी)	1x90

1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
20.	सिंगुर	2x7.5
21.	सोयासिला	2x5
22.	बालीमेला में ए. पी. पावर हाउस	2.30
23.	गुंदूर कैनाल-1 (निजी)	3x1.25
24.	गुंदूर कैनाल-2 (निजी)	2x2.25
	कर्नाटक	
25.	डाण्डेली	2x30+3x50
26.	वृन्दावन	2x6
27.	भाद्रा आर वी सी विस्तार	1x6
	केरल	
28.	मालांकारा (मुवाथुपूझा)	2x3.5
29.	कक्काड	2x25
30.	पोरिंगलकुथु एलबी विस्तार	1x16
31.	कुटिटयाडी विस्तार	1x50
32.	अन्नाक्कायाम	2x4
	तमिलनाडु	
33.	लोअर भवानी डैम आरबीसी	2x4
34.	सथनुर डैम	1x7.5
35.	पार्सन्स वैली (कुण्डाह-5 विस्तार)	1x30
	बिहार	
36.	ईस्टर्न गण्डक	3x5
37.	सोनी इस्टर्न कैनाल	2x1.65
38.	चान्दिल	2x4
39.	नार्थ कोयल	2x12
	उड़ीसा	
40.	पोत्तेरू	2x6
41.	बारगढ़ कैनाल	3x3
	सिक्किम	
42.	राथांगचु	3x10
43.	रंगीत-3 (एनएचपीसी)	3x20

1	2	3
	पं. बंगाल	
44.	राम्मम चरण-2	4x12.5
45.	तीस्ता फाल्स 1-4	3x3x7.5
46.	राम्मम चरण	3x12
	अरूणाचल प्रदेश	
47.	नुरानांग	3x2
	असम	
48.	कारबी सांग्पी (लोअर बोरपानी)	2x50
49.	थानसिरी	15x1.33
50.	दाताईमा	3x2
51.	कोपिली विस्तार (नीपको)	2x50
	मिजोरम	
52.	सेरलुई-ख	2x4.5
	नागालैंड	
53.	लिकिम–रो	3x8
54.	दोयांग (नीपको)	3x25
	थर्मेल	
	राजस्थान	
55.	रामगढ विस्तार	1x35.5
	गुजरात	
56.	कच्छ लिग्नाइट	1x75
	कर्नाटक	
57.	कोलार, बिदर जामखंडी	12x6.48
	केरल	
58.	ब्रम्हापुरम डीजी	5x20
	पाण्डिचेरी	
59.	करैकाल सीसीजीटी	3x5+1x7.5
	त्रिपुरा	
60.	रोखिया चरण-1	2x8
61.	रोखिया चरण-2	2x8
62.	अगरतला जीटी	4x21

मुआवजा राशि के वितरण में ढिलाई बरतना

3306. श्री राम नाईक : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा राशि वितरण में ढिलाई बरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मुआवजा राशि वितरण में तत्परता बरतने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) पीड़ितों को मुआवजे का वितरण जो, उच्चतम न्यायालय द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कल्याण आयुक्त को समझौता धनराशि हस्तान्तरित करने के बाद अक्तूबर, 1992 से प्रारंभ हो सका, में तेजी लाई गई है। 7.11.95 तक निपटाए गए 2.55 लाख दावो में से 1.20 लाख मामलों पर अधिनिर्णयन जनवरी, 1995 में हुआ है। दावों के अधिनिर्णयन और मुआवजे के वितरण में शीघ्रता लाने के लिए कल्याण आयुक्त द्वारा लोक अदालतें स्थापित की गई हैं और पहले से कार्य कर रही 44 अदालतों के अलावा और अधिक अदालतों को स्थापित करने के लिए और अधिक न्यायिक अधिकारी देने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है। दावेदारों के लिए नोटिस प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्रों का सहयोग भी प्राप्त किया गया है और चाहे परिवार के एक ही सदस्य को नोटिस दिया गया हो, तो भी परिवार के सभी सदस्यों के मामले एक ही समय पर लिए जाते हैं।

स्पंज आयरन उद्योग

3307. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्पंज आयरन उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन संयंत्रों के लिए अधिक सस्ती दरों पर स्क्रैप आयरन के आयात की कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 21.3 लाख टन वार्षिक क्षमता की कोयले पर आधारित 15 स्पंज लोहा इकाइयां तथा 32.67 लाख टन वार्षिक क्षमता की गैस आधारित 3 स्पंज लोहा इकाइयां हैं। 1994-95 के दौरान 33.9 लाख टन उत्पादन हुआ था।

(ख) और (ग) चूंकि स्पंज लोहे के उत्पादन में स्क्रैप लोहे का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए सस्ते आयातित स्क्रैप लोहे के लिए कोई मांग नहीं की गई है।

गोवा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3308. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा

रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा राज्य के कितने ब्लाकों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ऐसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत गोवा राज्य में कितने ब्लाकों को शामिल किया गया है;

(ख) गोवा में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि, वास्तव में प्रयुक्त राशि और परिसंपत्तियों के मामले में प्राप्त उपलब्धियों, इससे प्रत्येक व्यक्ति को हुए लाभ और सृजित रोजगारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण के लिए प्रत्येक ब्लाक से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और कितने प्रस्ताव लम्बित हैं तथा इनके अस्वीकृत किए जाने/लंबित रखे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु समुचित निगरानी/मूल्यांकन किया गया है कि इसके अभीष्ट लाभ लक्षित समूहों/ग्रामीण गरीबों तक पहुंचे; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इन सभी योजनाओं की खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) गोवा राज्य के सभी खंडों में (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित की गई निधियां वास्तविक रूप से उपयोग की गई निधियों और भौतिक उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

कार्यक्रम	1994-95		
	आवंटन*	उपलब्धि*	
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	141.87	93.96	124 (व्यक्तिगत परिवार)
जवाहर रोजगार योजना	348.46	228.76	5.13 (लाख श्रम दिन)
इंदिरा आवास योजना	107.65	13.31	259 (निर्मित मकान)

* जुलाई, 95 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

– अक्तूबर, 95 तक जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को ऋण देने की कोई योजना नहीं है। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को ऋण देने का प्रावधान है परंतु ऋणों आदि हेतु प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या के बारे में केन्द्र स्तर पर जानकारी नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) जी हां, क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत पर्यवेक्षण और केन्द्र और राज्य अधिकारियों की समीक्षा बैठकों के साथ-साथ राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत इन योजनाओं की उचित और सहन निगरानी की जाती है। इसके अलावा, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन भी कराये जाते हैं।

चीन के नेताओं की यात्रा

3309. श्री सुलतान सलाउददीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चीनी नेताओं की सरकार से चर्चा करने हेतु निकट भविष्य में भारत यात्रा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करने वाले चीनी नेताओं/अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन यात्राओं के दौरान किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) चीन के कई उच्च नेताओं की निकट भविष्य में भारत यात्रा पर बातचीत हो रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ रेल मंत्री, पेट्रोलियम उपमंत्री तथा सार्वजनिक सुरक्षा उपमंत्री की यात्राएं शामिल हैं।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान चीन से भारत की महत्वपूर्ण यात्राओं में अन्य के साथ-साथ फरवरी, 1995 में सहायक संस्कृति मंत्री गोआ मुजिया की भारत यात्रा, मई 1995 में रेडियो फिल्म और टी. वी. उपमंत्री श्री तियान कोगभिंग की भारत यात्रा, जून 1995 में उपस्वास्थ्य मंत्री ही जीशेंग की भारत यात्रा, जून 1995 में श्रम मंत्री लीवोयोंग की भारत यात्रा, अगस्त, 1995 में विदेश उपमंत्री तेंग जियाशुआन की भारत यात्रा, नवंबर 1995 में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष किआओ शी की भारत यात्रा, नवंबर, 1995 में राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जू कैशुआन की भारत यात्रा, दिसम्बर, 1995 में चीन जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन की उपाध्यक्ष किआओ लिंगपिंग की भारत यात्रा तथा दिसम्बर, 1995 में कोयला मंत्री वांग सेनहाओ की भारत यात्रा शामिल हैं।

(घ) इन यात्राओं के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर तथा आपसी हित के अन्य मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इन यात्राओं से चीन के साथ भारत के संबंधों में और अधिक वृद्धि करने में मदद मिली।

[हिन्दी]

राजस्थान में परती भूमि विकास

3310. **श्री कुंजी लाल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में परती भूमि के विकास के लिए कोई योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में अमलीय मृदा और परती भूमि के विकास हेतु एवं पहाड़ी क्षेत्रों में वानिकी विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए चयनित जिलों के नाम क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितने हैक्टेयर भू-क्षेत्र को शामिल किया जाएगा;

(ङ) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(च) इन परियोजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कुमारस्वामी खान

3311. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से जिन्दल-विजयनगर इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए एन. एम. डी. सी. के कुमारस्वामी खानों को उसे हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हस्तांतरण करने के लिए शर्तें निर्धारित कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से एन. एम. डी. सी. को सलाह देने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वे कर्नाटक में कुमारस्वामी खान के सी ब्लाक को राज्य सरकार को दे दें ताकि राज्य सरकार उसे जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड को सौंप सके। इस संबंध में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र

3312. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए कौन-कौन सी योजनायें तैयार की गई है;

(ख) क्या इस राज्य में रुग्ण उर्वरक संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा जारी औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार, उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमकर्ता भारत में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो।

उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी एककों ने उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्य नीति अपनाई है :

(i) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार

(ii) नेफथा पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करके तथा वर्तमान संयंत्रों एवं कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में डूएल फयूल/फीड स्टाक सुविधा लगाए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए वरीयता प्राप्त फीड स्टॉक, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं को दूर करना, और

(iii) सस्ते तथा भारी मात्रा में कच्चे माल के भंडार वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्थापित किया जाना

इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मै. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. ने अपने थाल काम्पलेक्स में 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया तथा 2200 टन प्रतिदिन यूरिया की तीसरी स्ट्रीम स्थापित करने के लिए 28 नवम्बर, 1995 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआई एफआर) द्वारा महाराष्ट्र में स्थित उर्वरक एकक को रुग्ण घोषित किया जा रहा है, कि कोई सूचना इस मंत्रालय के पास नहीं है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति

3313. **श्री धर्मण्णा मौडय्या सादुल** :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की भारी कमी के कारण मध्य प्रदेश में हाल ही मे कुछ औद्योगिक इकाइयों को बंद करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध किसी अन्य स्रोत से बिजली की व्यवस्था करने के लिए उनके मंत्रालय के साथ इस मामले पर बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति करने की जिम्मेवारी संबधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डो की है, जो विभिन्न क्षेत्रों को उचित प्राथमिकता प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत की अत्यधिक कमी नहीं रही है, जबकि अप्रैल से अक्तूबर, 95 के दौरान ऊर्जा की कमी 6.1% रही है।

(घ) और (ङ) अप्रैल–अक्तूबर, 1995 के दौरान अन्य क्षेत्रों से मध्य प्रदेश ने निम्नलिखित सहायता प्राप्त की है :

निम्नलिखित से सहायता प्राप्त की गई है	मिलियन यूनिट
राजस्थान	268.0
उत्तरी क्षेत्र	84.0
एनटीपीसी (ओरैया)	135.5
आंध्र प्रदेश	2.2

जी-15 शिखर सम्मेलन

3314. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अर्जेन्टाइना में जी -15 देशो की हाल ही में आयोजित शिखर सम्मेलन में किन--किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ख) क्या इन देशों में निर्धनता, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के संबंध में क्या–क्या ठोस उपाय उठाये जाने का सुझाव दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ विकसित देशों से क्या सहयोग/सहायता मांगी जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) 5 से 7 नवंबर, 1995 तक ब्यूनस आयरस में संपन्न पांचवें जी-15 शिखर सम्मेलन मे निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :

(i) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की चुनौतियों, अर्थात् सार्वभौमिक और क्षेत्रीय एकीकरण, निर्धनता, बेरोजगारी तथा प्रवासनः और वित्तीय प्रवाह एवं बाह्य ऋण।

(ii) विकास हेतु नयी सहभागिता जिसमें संयुक्त राष्ट्र, ब्रेटोन वुड्स संस्थाएं विश्व व्यापार संगठन और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।

(iii) विकास शील देशों के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करना जिसमें दक्षिण– दक्षिण व्यापार और आर्थिक सहयोग; अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए विशिष्ट सहयोगी परियोजनाएं शामिल हैं।

(iv) आतंकवाद, नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार तथा भ्रष्टाचार रोकना।

(ख) शिखर सम्मेलन ने विकसित देशों से कहा है कि वे व्यापार प्रतिबंध लगाकर अथवा विकासशील देशों की ओर संसाधनों के प्रवाह को प्रतिबंधित करके विकासशील देशों में रोजगार के अवसरों को कम न करें। इस शिखर सम्मेलन ने इस बात का भी वचन लिया कि वे बेरोजगारी, निर्धनता और सामाजिक असमानताओं को उपलब्ध संसाधनों से समाप्त करेंगे। इस शिखर सम्मेलन ने इस बात की भी पुष्टि की कि और अधिक सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रूपरेखा, औद्योगिकीकरण, मानव संसाधन विकास तथा सरकार और व्यापारिक वर्ग के बीच रचनात्मक साझेदारी के तहत ठोस समस्टीगत आर्थिक नीतियों के आधार पर उचित आर्थिक विकास से इन समस्याओं का चिरस्थायी हल निकल आएगा।

(ग) शिखर सम्मेलन ने यह उम्मीद जाहिर की कि शीत युद्ध की समाप्ति के परिणामतः उदित नए राजनीतिक माहौल को चाहिए कि वह विकसित और विकासशील देशों के बीच अपेक्षाकृत अधिक सामंजस्य लाएं। इस शिखर सम्मलेन ने आह्वान किया कि विकसित देश विकासशील देशों को ओ. डी. ए. एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में और अधिक वित्तीय निवेश दें ताकि विश्वव्यापी प्रगति तथा आर्थिक विकास की विकासशील देशों में गति तेज हो सके और उसने यह मांग भी दोहराई कि अल्प विकसित तथा निम्न आय वाले देशो के बाह्य ऋण को समाप्त किया जाये अथवा उसे पर्याप्त रूप से कम किया जाए। विकासशील देशों की समान आकाक्षाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से शिखर सम्मेलन ने यह मांग की कि विनिमय और ब्याज की दरों में उचित स्थिरता लाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए जी-7 के देशों के साथ रचनात्मक बातचीत की जाए ताकि विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले पूंजीगत प्रवाह की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता को सीमित किया जा सके। शिखर सम्मेलन ने इस बात पर भी बल दिया कि औद्योगिककृत देशों की समस्टीगत आर्थिक नीतियों को सभी देशों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए विशेषकर विकासशील देशों के ताकि एक ऐसा पर्यावरण सृजित किया जा सके जिसका उद्देश्य सार्वभौम स्थायीत्व, आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश तथा विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि करना हो। इस शिखर सम्मेलन ने निश्चयपूर्वक यह भी कहा कि सामान्यीकृत वरीयता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और इसकी परिधि का विस्तार किया जाए।

राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

3315. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कुछेक अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग सीमित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विकास पर खर्च की गई धनराशि के साथ–साथ इस संबध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान इन जलमार्गो के विकास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी तटीय नहर के कोल्लाम कोट्टापुरम खंड (168 किमी.) चम्पाकारा नहर (14 किमी.) और उद्योग मंडल नहर (23 किमी) को फरवरी 1993 से राष्ट्रीय जलमार्ग -3 के रूप में घोषित किया जा चुका है। इस जलमार्ग के विकास के लिए अभी तक 2.58 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई. डब्लयू. ए. आई.) द्वारा किए गए मुख्य कार्य हैं – कोची कोट्टापुर (30 किमी.) को छोड़कर संपूर्ण जलमार्ग खंड में जलपाक्षिक सर्वेक्षण उद्योग मंडल और चम्पाकारा नहरों तथा पश्चिमी तटीय नहर के कायमकुलम क्षेत्र में खतरनाक गाद्यस्थलों का निकर्षण। बार्जेज के आवागमन को सुकर बनाने के लिए दिवा नौवालन उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। इन कार्यो के परिणामस्वरूप, जिसमें थोटापल्ली में बेकार पडे लॉक को बदलना शामिल है, नवंबर, 1994 से बार्जो के जरिए कोची और इडापल्लीकोटा के बीच पी. ओ. एल. की ढुलाई शुरू की गई है। पर्यावरण संबंधी अनुमति हेतु अध्ययन कार्य पूरा होने वाला है। तंग नहरों को चौड़ा करने और टर्मिनलों की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता का पता लगा लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी एक स्कीम को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(ग) आई. डब्ल्यू. ए. आई. ने अगले दो वर्षो में निम्नलिखित कार्य करने की योजना बनाई है बशर्ते निधियां उपलब्ध हो :

(i) भूमि अधिग्रहण तथा नहरों के तंग खंडों को चौड़ा करना।

(ii) राष्ट्रीय जलमार्ग -3 के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

(iii) पश्चिमी तटीय नहर के कोची कोल्लाम खंड, चम्पाकारा नहर, और उद्योग मंडल नहरों में न्यूनतम 2 मीटर गहरे और 32 मीटर चौड़े नौचालन चैनल की व्यवस्था।

(iv) खतरनाक खंडों में किनारे का बचाव।

(v) चम्पाकारा, उद्योग मंडल नहरों और कोची कोल्लाम खंड में 24 घंटे नौचालन सुविधा उपलब्ध करवाना।

(vi) त्रिकुन्नापपुरा लॉक में सुधार करना।

(vii) कोची, अलापुडा, और कोल्लाम में टर्मिनलों का निर्माण।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं का विस्तार

3316. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. टी. पी. सी. के पास आंध्र प्रदेश में अपनी विद्युत परियोजनाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन. टी. पी. सी. को निजी कंपनियों के सहयोग से काम करने की अनुमति देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का कोयला लिंकेज की शर्त पर 500 मे.वा. क्षमता की एक यूनिट जोड़कर आंध्र प्रदेश में स्थित अपनी विद्यमान रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना (2100 मे.वा) का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वी.प्रा.) के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाने वाली निम्नलिखित दो परियोजनाओं के संबध में व्यवहार्यता रिपोर्टें तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु के.वि.प्रा. के विचाराधीन हैं :

(1) जिला विशाखापटनम में स्थापित की जाने वाली कोयला आधारित सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना (2x500 मे.वा.)।

(2) जिला रंगारेड्डी में स्थापित की जाने वाली हैदराबाद में दो संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (650 मे.वा.)

(ग) और (घ) अन्य सार्वजनिक/निजी संस्थाओं के साथ संयुक्त क्षेत्र की विद्युत परियोजनाए अधिष्ठापित करने के लिए सरकार द्वारा एनटीपीसी को अनुमति प्रदान कर दी गई है। एनटीपीसी, स्पैक्ट्रस टैक्नालोजिज इनकोरपोर्टेड, यूएसए तथा जया फूड्स इन्डस्ट्रीज के सहयोग से आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में एक संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (208 मे. वा.) को संप्रवर्तित कर रही है। सप्रवर्तको के समझौते पर जून 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे।

रिहन्द सुपर ताप विद्युत संयंत्र (उत्तर प्रदेश)

3317. श्री राम निहोर राय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजापुर, उत्तर प्रदेश स्थित रिहन्द सुपर ताप विद्युत संयंत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को प्रतिवर्ष कितनी विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या इस विद्युत संयत्र से आसपास के गांवों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को भी विद्युत आपूर्ति की जाती है,

(घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र अवस्थित एन. टी. पी. सी. की रिहन्द ताप सुपर ताप विद्युत परियोजना (एन. टी.पी. सी.) (2x500 मे.वा.) अन्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

(ख) यू. पी. एस. ई. बी. को रिहन्द एस. टी. पी. एस. से किया जाने वाला आवंटन इसके विद्युत उत्पादन का 36.5% है। ऊर्जा की, की गई वार्षिक आपूर्ति वास्तविक निकासी के अनुसार प्रत्येक वर्ष मे भिन्न-भिन्न है।

(ग) से (ङ) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण करना राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड की जिम्मेदारी है।

ग्रामीण क्षेत्र महिला एवम् बाल विकास योजना

(डी. डब्ल्यू. ए. सी. आर. ए.)

3318. **श्री सुधीर सावंत** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में ग्रामीण क्षेत्र एवम् बाल विकास योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन महिलाओं और महिला समूहों की संख्या, क्या है जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है;

(ग) महिलाओं द्वारा किस तरह की परियोजनाएं अपनाई गई;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्र महिला एवम् बाल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला-मंडल को कोई सहायता दी जाती है;

(ङ) क्या इस योजना को मानव संसाधन विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना से सिंधु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में जिन महिलाओं और महिला समूहों को लाभ मिला है उनकी संख्या क्रमशः 2464 और 183 (अक्तूबर 1995 तक) है।

(ग) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा) के अंतर्गत हस्तशिल्प, हथकरघा चलाना, सिलाई, सिलाई कताई, परम्परागत खाद्य वस्तुएं, दुग्धशाला, मुर्गी-पालन, चमड़े का कार्य, प्लास्टिक कार्य और बने-बनाए वस्त्र आदि जैसी अनेक आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं।

(घ) जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को डवाकरा हेतु सहायता दी जाती है।

(ङ) और (च) डवाकरा में ट्राइसेम कार्यक्रम की सार्फत डवाकरा समूहों में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव संसाधन विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण परियोजनाओं के साथ डवाकरा योजना को जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

3319. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है तथा इन योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास योजना को शुरू करने हेतु धन राशि का निर्धारण, वितरण, आवश्यकता का आकलन किस आधार पर किया जाता है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) जवाहर रोजगार योजना की द्वितीय योजना के संबंध में धनराशि जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम देश में ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से है। आठवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि और अक्तूबर, 1995 तक खर्च की गयी राशि निम्नानुसार है :

योजना	8वीं योजना में निर्धारित राशि (करोड़ रुपये में)	अक्तूबर, 95 तक खर्च की गयी कुल राशि (करोड़ रुपये में)
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3350.00	2027.06
2. जवाहर रोजगार योजना	18400.00	11180.25

3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	5111.01*	2103.53
4.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	5100.00	2283.48

* 1993-94 से 1996-97 तक आवंटित राशि।

(ख) जवाहर रोजगार योजना एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धन का आवंटन देश के कुल ग्रामीण निर्धनों में से उस राज्य में रह रहे ग्रामीण निर्धनों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत, धन का आवंटन चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों के बीच उसके अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी तथा कृषि उत्पादकता को बराबर की तरजीह देते हुए किया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ब्लाकों को धन का आवंटन उस ब्लाक के ग्रामीण आबादी के उस अनुपात के आधार पर किया जाता है, जो सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल समस्त ब्लाकों की ग्रामीण आबादी में उस ब्लाक का प्रतिशत होता है।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धन के आबंटन का मानदंड निम्नानुसार है :

मानदंड	तरजीह (प्रतिशत)
ग्रामीण आबादी	35%
ग्रामीण क्षेत्र	20%
निर्धनता की स्थिति	20%
मरूभूमि विकास कार्यक्रम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विशेष श्रेणी पर्वतीय राज्यों में निम्नानुसार	
1. ग्रामीण आबादी	12.5%
2. ग्रामीण क्षेत्र	12.5%
कुल	100%

ये आवंटन राज्यों द्वारा उनके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मैचिंग प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ग) 1995-96 के दौरान राजस्थान राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आवंटित की गयी राशि के साथ-साथ भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

योजना	आवंटित की गयी राशि (लाख रुपये में)	निर्धारित किया गया भौतिक लक्ष्य
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4388.01	10118 (अक्तू. 95 तक कवर किए गए परिवारों की संख्या)
जवाहर रोजगार योजना	16539.01	335.06 (लाख श्रम दिन)
सुनि. रोजगार योजना	9075.00	125.20 (सृजित लाख श्रम दिन) (अक्तू. 95 तक रिलीज)
त्व. ग्रा. जलापूर्ति कार्य.	9739.00	4500 (संख्या)

(घ) जवाहर रोजगार योजना के द्वितीय चरण के लिए राजस्थान के चार जिलों यथा (i) उदयपुर (ii) बांसवाड़ा (iii) डुंगरपुर एवं (iv) बाड़मेर को धनराशि रिलीज नहीं की गयी है क्योंकि इन जिलो को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पूर्णरूपेण कवर कर लिया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में सड़क उपरिपुल

3320. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से सहायता-प्राप्त अहमदाबाद-बडोदरा- एक्सप्रेस एन.ई.-1 परियोजना पर सड़क उपरिपुल का निर्माण कार्य पूरा होने के अन्तिम चरण में है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से संशोधित आकलन के अनुसार धनराशि देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है और शेष अवधि के दौरान कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्नगत पूरी परियोजना के लिए मार्च, 1995 तक 149.05 करोड़ रु. की निधियां खर्च की गई हैं। तथापि, वित्त वर्ष 1995-96 के लिए इस प्रयोजनार्थ 10.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

राज्य विद्युत बोर्डों के लिए प्रति-गारंटी

3321. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर इन बोर्डों को प्रति-गारंटी देने की मंजूरी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप ऐसे राज्य विद्युत बोर्डों की कुल उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इटावा का उप--स्टेशन

3322. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में सैफई विद्युत उप--स्टेशन पर काम बंद करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य पुनः कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। जून 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार जिला इटावा, उत्तर प्रदेश के सैफई नामक स्थान में 220 के. वी. सब--स्टेशन का कार्य रोक दिया गया है।

(ग) निधियों की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना

3323. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिये विशिष्ट धनराशि के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) कुछेक सडकों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोडने के लिए विशेष निधि के आबंटन हेतु महाराष्ट्र सरकार से इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी एजेंसियों से प्राप्त दान

3324. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विदेशी एजेंसियों से दान स्वीकार करता है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर--सरकारी चैनलों के जरिए वितरित करने हेतु इस प्रकार प्राप्त दान को प्राप्त करने के लिये क्या मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान डालर/रुपये में इस प्रकार का कितना दान प्राप्त किया गया?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटन

3325. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किए गए धनराशि के आवंटन का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सुनिश्चित रोजगार योजना और (4) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम हैं इन योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आवंटनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दर्शाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निधियों का आबंटन

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 आवंटन	1993-94 आबंटन	1994-95 आवंटन
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	6293.76	10588.47	8344.00
2. अरूणाचल प्रदेश	720.90	725.99	623.00
3. असम	2029.06	3097.11	2747.00
4. बिहार	11297.89	13021.35	16232.00
5. गोवा	124.12	186.09	142.00
6. गुजरात	2156.44	2952.43	3063.00
7. हरियाणा	895.37	1364.77	736.00
8. हिमाचल प्रदेश	324.62	504.50	240.00
9. जम्मू एवं कश्मीर	587.28	750.04	1000.00
10. कर्नाटक	3174.42	5596.24	5603.00

1	2	3	4
11. केरल	1836.70	2334.06	2038.00
12. मध्य प्रदेश	8070.70	11365.45	10573.00
13. महाराष्ट्र	5962.53	9794.01	9096.00
14. मणीपुर	104.81	196.40	450.00
15. मेघालय	208.96	221.77	478.00
16. मिजोरम	216.59	288.98	201.00
17. नागालैंड	285.16	310.02	337.00
18. उड़ीसा	4171.31	7140.03	6769.00
19. पंजाब	1091.76	1301.27	523.00
20. राजस्थान	4464.73	5734.91	4393.00
21. सिक्किम	38.31	50.95	56.00
22. तमिलनाडु	4805.32	8194.13	7543.00
23. त्रिपुरा	630.25	865.27	643.00
24. उत्तर प्रदेश	16362.11	24733.04	20335.00
25. पश्चिम बंगाल	6561.68	7671.79	7478.00
26. अंड. व निको. द्वीपसमूह	58.45	65.44	71.00
27. दादर व नगर हवेली	10.80	16.70	15.00
28. दमन व द्वीव	22.95	14.00	28.00
29. लक्षद्वीप	9.94	9.37	7.00
30. पांडिचेरी	50.61	71.88	58.00
अखिल भारत	82567.53	119166.50	309822.00

विवरण-II

1992-93 और 1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन (रुपये लाख में)		
	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	18506	24691	26675
2. अरूणाचल प्रदेश	258	258	258
3. असम	5107	6484	7137
4. बिहार	38347	52418	56309
5. गोवा	338	279	279
6. गुजरात	7690	10340	11068
7. हरियाणा	1833	1737	1912
8. हिमाचल प्रदेश	1004	886	886
9. जम्मू एवं कश्मीर	1455	1940	2483
10. कर्नाटक	11502	16997	18329
11. केरल	6127	4991	5296
12. मध्य प्रदेश	25179	37153	39667
13. महाराष्ट्र	20653	29645	31808
14. मणीपुर	499	331	331
15. मेघालय	563	387	387
16. मिजोरम	196	163	163
17. नागालैंड	502	415	415
18. उड़ीसा	12830	21693	23303
19. पंजाब	1586	1307	1359
20. राजस्थान	12133	14024	15068
21. सिक्किम	186	151	151
22. तमिलनाडु	16440	20409	22202
23. त्रिपुरा	523	430	430
24. उत्तर प्रदेश	48813	54667	59501
25. पश्चिम बंगाल	20739	22551	24328
26. अंड. व निको. द्वीपसमूह	153	153	153
27. दादर व नगर हवेली	91	83	83
28. दमन व द्वीव	49	49	49
29. लक्षद्वीप	79	77	77
30. पांडिचेरी	232	149	149
कुल :	53645	324856	350256

विवरण-III

1993-94 और 1994-95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन

(रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निधियों का आवंटन 1993-94	1994-95
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3600.00	10390.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	240.00	960.00
3.	असम	2070.00	4632.00
4.	बिहार	4710.00	10390.00
5.	गुजरात	485.00	2880.00
6.	हरियाणा	1320.00	2880.00
7.	हिमाचल प्रदेश	35.00	500.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	835.00	2950.00
9.	कर्नाटक	2820 00	6550.00
10.	केरल	580.00	1360.00
11.	मध्य प्रदेश	5695.00	14536.00
12	महाराष्ट्र	2645.00	7222.00
13.	मणीपुर	660.00	990.00
14.	मेघालय	160.00	640.00
15.	मिजोरम	600.00	1600.00
16.	नागालैंड	840.00	1120.00
17.	उड़ीसा	4268.00	7884.00
18.	राजस्थान	3660.00	9900.00
19.	सिक्किम	116.00	160.00
20.	तमिलनाडु	1055.00	3942.00
21.	त्रिपुरा	610.00	1818.00
22.	उत्तर प्रदेश	2806.25	10990.00
23.	पश्चिम बंगाल	4055.00	7698.00
24.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	10.00	40.00
25	दादर व नगर हवेली	5.00	20.00
26.	दमन व द्वीव	5.00	0.00
27.	लक्षद्वीप	25.00	10.00
	कुल :	43910.25	112852.00

टिप्पणी : सुनिश्चित रोजगार योजना 1993-94 में शुरू की गई थी।

विवरण-IV

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आवंटन

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 आवंटन	1993-94 आवंटन	1994-95 आवंटन
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	25.470	41.240	46.440
2. अरूणाचल प्रदेश	4.620	7.460	8.420
3. असम	13.700	13.700	14.220
4. बिहार	29.990	48.560	54.690
5. गोवा	0.550	0.840	1.290
6. गुजरात	16.330	26.360	30.390
7. हरियाणा	9.990	16.520	20.080
8. हिमाचल प्रदेश	6.420	8.330	9.420
9. जम्मू एवं कश्मीर	19.160	23.030	25.990
10. कर्नाटक	23.420	33.120	42.720
11. केरल	11.910	19.280	21.720
12. मध्य प्रदेश	28.190	45.640	51.420
13. महाराष्ट्र	33.900	54.880	61.820
14. मणीपुर	3.080	3.080	3.090
15. मेघालय	4.200	4.200	4.200
16. मिजोरम	1.290	2.100	2.360
17. नागालैंड	4.220	4.220	4.220
18. उड़ीसा	13.350	21.600	24.340
19. पंजाब	4.240	6.880	7.750
20. राजस्थान	41.830	68.860	82.220

1	2	3	4
21. सिक्किम	3.720	3.720	3.720
22. तमिलनाडु	20.190	32.780	36.820
23. त्रिपुरा	3.500	3.500	3.500
24. उत्तर प्रदेश	47.240	76.480	86.160
25. पश्चिम बंगाल	18.240	29.520	33.260
26. अंड. व निको. द्वीपसमूह	0.400	0.400	0.380
27. दादर व नगर हवेली	0.130	0.200	0.220
28. दमन व द्वीव	0.220	0.950	0
29. लक्षद्वीप	0.100	0.100	0.100
30. पांडिचेरी	0.260	0.400	0.260
कुल :	390.000	600.330	681.600

[अनुवाद]

भारतीय समुद्री मछली पालन उद्योग

3326. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समुद्री मछली पालन उद्योग के लिए संयुक्त उद्यम के संबंध में अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्यन कार्य समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) इस संबंध मे सिफारिश वार क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

3327. श्री एन. जे. राठवा : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कुछ राज्यों के ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रस्ताव में गुजरात राज्य को शामिल किया गया है;

(ग) क्या विश्व बैंक के किसी दल ने इस संबंध में कुछ राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पेयजल सप्लाई हेतु परियोजना में सहायता देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है।

(ग) से (च) विश्व बैंक के दल ने पंजाब और उत्तर प्रदेश का दौरा किया है; जहां तक पंजाब की परियोजनाओं का संबंध है, विश्व बैंक के सुझाव के अनुसार प्रायोगिक परियोजना हेतु राज्य सरकार विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर रही है। विश्व बैंक की सहायता हेतु परियोजनाएं अलग-अलग परियोजना के गुणावगुण और राज्यों में विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर शुरू की जाती है।

[अनुवाद]

गांवों में स्वच्छ पेयजल और सफाई की व्यवस्था

3328. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गांवों में स्वच्छ पेय जलापूर्ति और सफाई संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों को क्या निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों ने अभी तक क्या प्रगति की है; और

(ग) यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक गांव में कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) राज्यों को दी गई मार्गदर्शिकाएं 1997 तक कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों के साथ-साथ अत्यधिक फलोराइड तथा पेयजल में संस्थिति की गुणवत्ता समस्याओं से प्रभावित बसावटों की कवरेज के लिए कार्य योजना तैयार करने से संबंधित हैं। राज्यों से सभी स्कूलों में स्वच्छ पेय जल सप्लाई तथा शौचालय सुविधाएं मुहैया कराने का भी अनुरोध किया गया है जहां फ़िलहाल ऐसी सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं।

(ख) 1995-96 के लिए कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई कवरेज के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि स्कूलों में स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में अनुदेश हाल ही में जारी किए गए हैं, अतः अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ग) कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों (0-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) की कवरेज हेतु कार्यक्रम को 1997 तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि इनके लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हों। आंशिक रूप से कवर बकाया बसावटों (10-40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) को बाद की अवधि में कवर किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं की व्यवस्था को वर्ष 2000 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

बसावटों का भौतिक लक्ष्य और कवरेज

(बसावटों/गांवों की संख्या)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	माह	लक्ष्य			कवरेज		
			कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर की गयी	कुल	कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	10/95	1536	1564	3100	803	823	1626
2.	अरूणाचल प्रदेश	10/95	150	0	150	20	0	30
3.	असम	10/95	1500	0	1500	212	0	212
4.	बिहार	9/95	10000	7621	17621	1791	1083	2374
5.	गोवा	10/95	21	33	54	4	18	22
6.	गुजरात	9/95	700	400	1100	185	125	310
7	हरियाणा	10/95	0	1000	1000	0	260	260
8.	हिमाचल प्रदेश	10/95	825	100	925	411	102	513
9	जम्मू एवं कश्मीर	11/95	350	0	350	182	0	182
10	कर्नाटक	10/95	3500	6914	10414	363	1876	2244
11.	केरल	10/95	301	764	1065	2	74	76
12	मध्य प्रदेश	9/95	9000	0	9000	5069	70	5139
13.	महाराष्ट्र	10/95	202	5798	6000	202	2630	2832
14.	मणीपुर	9/95	190	120	310	27	14	41
15.	मेघालय	10/95	526	80	606	11	0	11
16	मिजोरम	10/95	42	198	240	4	45	49
17.	नागालैंड	7/95	124	0	124	0	0	0
18	उड़ीसा	11/95	5000	1000	6000	3461	667	4131
19	पंजाब	10/95	684	0	684	158	0	158
20	राजस्थान	10/95	4000	500	4500	2066	558	2624

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	मिजोरम	10/95	50	38	88	17	8	25
22.	तमिलनाडु	10/95	548	1952	2500	520	584	1104
23.	त्रिपुरा	9/95	703	92	793	356	0	356
24.	उत्तर प्रदेश	10/95	10285	2668	12953	4184	5563	9747
25.	पश्चिम बंगाल	10/95	2205	3373	5572	1572	0	1672
26.	अंडा. व निको. द्वीपसमूह	9/95	0	15	15	0	6	6
27.	दादर व नगर हवेली	9/95	0	12	12	0	0	0
28.	दमन व द्वीव	9/95	0	29	29	0	11	11
29.	दिल्ली	10/95	0	0	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	10/95	0	5	5	0	2	2
31.	पांडिचेरी	9/95	0	28	28	0	9	0
	कुल :		52442.2	34304	86749	21233	14523	35766

* निम्नलिखित 'एन' श्रेणी शामिल हैं। समस्याग्रस्त गांवों की सूची (1985)

राज्य	लक्ष्य	कवरेज
असम	3	
गुजरात	9	
जम्मू एवं कश्मीर	45	4
महाराष्ट्र	22	
मेघालय	54	
राजस्थान	13	3
कुल :	146	7

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय नेटवर्क का विस्तार

3329. श्री झरखा पटनायक : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय नेटवर्क का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं, क्योंकि वर्तमान ढांचा पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3330. श्री प्रबीन डेका : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जन-जातियों को ऋण/रियायतें दी जाती हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या असम के जिले इस कार्यक्रम के दायरे में आते हैं;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को आय सृजित करने की परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए ऋण और सबसिडी दी जाती है।

1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम के सभी जिलों को सबसिडी हेतु 312.74 लाख रुपये (केन्द्र एवं राज्य अंश) की कुल निधियां दी गई थीं। बैंकों द्वारा 2359.85 लाख रुपये के ऋण भी दिए गए थे।

लाभार्थियों के कुल 61861 परिवारों को सहायता दी गई थी। जिनमें से 15037 परिवार अनुसूचित जनजाति के थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली के बिल

3331. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, रूद्रप्रयाग द्वारा बिजली के बिलों में की जा रही कथित हेराफेरी से अवगत है;

(ख) क्या फर्जी मीटर के आधार पर रातुरा, रूद्रप्रयाग के निवासियों से बिलों का भुगतान एकत्र किया जा रहा है तथा वहां स्थापित किए गए ऐसे मीटरों की संख्या क्या है, और

(ग) मीटर के कनेक्शन हेतु आवश्यक जमा शुल्क सहित आवेदन करने वाले उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें अभी तक मीटर के कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकार का मामला है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

विद्युत की आपूर्ति और खपत में अंतर

3332. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी. एच. डी. वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में विद्युत खपत और आपूर्ति का विश्लेषण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तरी राज्यों में विद्युत की आपूर्ति और खपत के मध्य कितना अंतर होने का अनुमान है;

(ग) क्या इससे उन राज्यों के आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जहां यह अंतर सर्वाधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) पी. एच. डी. चैम्बर और कामर्स और इंडस्ट्रीज फेडरेशन ने वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की स्थिति के संबंध में अध्ययन किया है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्यों में विद्युत आपूर्ति की प्रत्याशित स्थिति निम्नलिखित है :

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष (+)/ कमी (-)	(%)
चंडीगढ़	775	775	0	0.0
दिल्ली	13500	12903	-5.97	-4.4
हरियाणा	13100	11383	-1717	-13.1
हिमाचल प्रदेश	1950	2479	+529	+27.1
जम्मू और कश्मीर	4300	3445	-855	-19.9
पंजाब	21000	20050	-950	-4.5
राजस्थान	18300	16195	-2150	-11.5
उत्तर प्रदेश	39500	37089	-2411	-6.1
उत्तरी क्षेत्र	112425	104319	-8106	-7.2

(ग) यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न क्षेत्रों के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु पारस्परिक प्राथमिकता निर्धारित करे और राज्यों से अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रत्याशा की जाती है कि वे विद्युत आपूर्ति के मामले में विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दें और यह कार्य इस प्रकार हो कि आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पडे।

(घ) आवश्यकता और उपलब्धता के अंतर को समाप्त करने हेतु अधिशेष ऊर्जा वाली प्रणाली से कम ऊर्जा वाली प्रणाली को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, जब कभी भी प्रणाली की स्थितियां अनुमति प्रदान करती है, तब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश से सहायता प्राप्त की जाती है। उत्तरी क्षेत्र में घटकों को केन्द्रीय क्षेत्र

के केन्द्रों से अनावंटित उत्पादन से भी सहायता की जाती है, जो कि उनकी मौसमी आवश्यकता और कृषि क्षेत्र में मांग पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों के नजदीक परिसरीय विकास

3333. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश मे विभिन्न इस्पात संयत्रों ने परिसरीय विकास कार्यो पर कुल कितनी राशि खर्च की है;

(ख) क्या आस–पास के क्षेत्रों के निवासियों ने इन परिसरीय विकास कार्यो पर और अधिक राशि खर्च करने की कोई मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस्पात मत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयत्रो द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान परिसरीय विकास पर खर्च की कई कुल राशि नीचे दी गई है :

संयंत्र का नाम	खर्च की गई राशि		(लाख रुपये)
	1992-93	1993-94	1994-95
'सेल' के संयंत्र	297.18	280.50	425.30
वी. एस. पी.	274.00	419.00	107.00

(ख) और (ग) इस्पात संयंत्रों के आस–पास के क्षेत्रों का परिसरीय विकास के लिए और अधिक आबंटन करने हेतु निगमित कार्यालयों और संयंत्र स्थलों के स्थानीय प्रबंधन से समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यथासंभव अधिक से अधिक परियोजनाओं को समायोजित करने का प्रयास किया जाता है।

गांवों में सड़कें

3334. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने गांव निकटतम शहर से पक्की सडकों से नहीं जुडे हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा उन गांवों का शहर से पक्की सड़कों द्वारा जोडने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) यह मंत्रालय किसी भी राज्य में गांव को सड़कों से जोड़ने के बारे में जिलावार/क्षेत्रवार विस्तृत आंकड़े नहीं रखता है। गांवों को पक्की सडकों से जोडना राज्य का विषय है।

अमरीका के पूर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट की भारत यात्रा

3335. **श्री राम कापसे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के पूर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट श्री हेनरी किसिंगर ने नवंबर, 1995 में रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के आमंत्रण पर दिल्ली की यात्रा की;

(ख) क्या इस यात्रा के दौरान उनकी श्री किसिंगर के साथ कोई बैठक हुई;

(ग) क्या उन्होंने अमरीकी कांग्रेस में भारत की बात उठाने के लिए कोई सुझाव दिये हैं, और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शाक और फल प्रसंस्करण उद्योग

3336. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30 दिसम्बर, 1995 तक देश में राज्य सरकार के संगठनों और सहकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही शाक और फल प्रसंस्करण उद्योग की इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) हर राज्य में नोडल एजेंसी के अलावा कृषि उद्योग निगम, उद्योग विकास निगम, विपणन बोर्ड, सहकारी संगठन आदि जैसे राज्य सरकार के उपक्रम फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के विकास में लगे हुए हैं। दिसम्बर 1992, 1993-1994 और 30 सितंबर, 1995 को फल तथा सब्जी प्रसंस्करण के काम में लगी सहकारी क्षेत्र और सरकारी उपक्रमों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र
1992	107	94
1993	105	113
1994	107	150
1995	195	168

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश मे फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजना स्कीमे चला रहा है और उसने संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी है।

विवरण

8वीं योजना अवधि के शुरू में 4 वर्षों (30.9.95) तक के दौरान फल तथा सब्जी प्रसंस्करण योजना स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों को जारी की गई सहायता।

क्र.स.	राज्य	कुल जारी राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	299.47
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.02
3.	असम	118.75
4.	बिहार	64.50
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	13.30
7	हरियाणा	38.00
8.	हिमाचल प्रदेश	614.44
9	जम्मू एवं कश्मीर	35.00
10	कर्नाटक	244.72
11.	केरल	46.93
12.	मध्य प्रदेश	91.49
13	महाराष्ट्र	262.11
14	मणीपुर	6 16
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	284.16
17.	नागालैंड	83.05
18.	उड़ीसा	103.66
19.	पंजाब	210.66
20.	राजस्थान	2.51
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	64.82
23.	त्रिपुरा	6.00
24.	उत्तर प्रदेश	305.00
25.	पश्चिम बंगाल	65.77

[अनुवाद]

उड़ीसा को ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन

3337. कुमारी क्रिडा तोप्पो : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार के अंतर्गत उड़ीसा को कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिये कितनी राशि की मांग की गई?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हाबजीभाई पटेल) : (क) और (ख) उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सुनिश्चित रोजगार योजना और (4) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को कुल आवंटन और इसकी तुलना में उपयोग निम्नानुसार है :

क्रम सं.	योजना	आवंटन			उपयोगिता (लाख रुपये में)		
		1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3198.00	6826.00	6769.00	3373.97	5768.78	6034.80
2.	जवाहर रोजगार योजना	16036.90	27116.41	29128.16	13067.13	21493.65	25542.96
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	शुरू नहीं की गई	5335.00*	9855.00*	–	1280.35	11655.94
4.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	1335.00	2160.00	2434.00	1494.00	2162.50	2770.60

* (जारी)

(ग) उड़ीसा सरकार ने साक्षरता कार्यक्रम के अतर्गत 1500 प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार से 358 आंगन बाडी केन्द्रों के निर्माण के लिए अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इन योजनाओं के लिए 840.29 लाख रुपये की सहायता की मांग की है।

स्पंज आइरन का उत्पादन और निर्यात

3338. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्पज आइरन का निर्माण करने वाली कंपनियों की वर्तमान संख्या कितनी है, ये कहा–कहा पर स्थित हैं और उत्पादन इकाइयों के लिए ये कौन सा ईधन प्रयुक्त करती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्पंज आइरन का (टनों में) वर्ष वार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त तीन वर्षों के दौरान स्पंज आइरन का (टनों में) कितनी मात्रा मे निर्यात किया गया और इससे वर्षवार कितनी–कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान स्पंज आइरन के उत्पादन और निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) क्या स्पंज आइरन निर्माता संघ ने सरकार को हाल ही मे कोई ज्ञापन दिया है जिसमें स्पंज आइरन क्षेत्र के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए कुछ सुविधाओं की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 18 स्पंज लोहा इकाइयां सलग्न विवरण में सूचीबद्ध है।

(ख) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान स्पंज लोहे का उत्पादन क्रमशः 14.4, 23.9 तथा 33.9 लाख टन बताया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के लिए स्पंज लोहे का निर्यात तथा अनुमानित अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई हैं :

वर्ष	निर्यात (लाख टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये)
1992-93	2.0	105
1993-94	7.0	370
1994-95	6.6	350

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्पंज लोहे का संभावित उत्पादन तथा स्पंज लोहे का संभावित निर्यात क्रमशः 42.0 लाख टन तथा 9.0 लाख टन लोहे का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) सीमा शुल्क मे परिवर्तन करने के बारे में घरेलू इस्पात उत्पादकों/एसोसिएशनो से प्राप्त अभ्यावेदनो पर विचार किया जाता है और जहा आवश्यक होता है उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

विवरण

स्पंज लोहा इकाइयों की सूची तथा उनकी स्थान-स्थिति

क्र. सं०	इकाई का नाम	स्थान–स्थिति
क. कोयले पर आधारित		
1.	ओ. एस. आई. एल.	पलासदोगा, क्योंझर, उडीसा
2.	एस. आई. आई. एल.	कोठागुडम खम्मम, आंध्र प्रदेश
3.	इपिटाटा	जोडा क्योंझर, उडीसा
4.	बी. एस. आई. एल.	चन्दिल, बिहार
5.	सनफलैग आई एंड एस क. लि.	भंडारा, महाराष्ट्र
6.	गोल्डस्टार स्टील्स एड अलाएज लि.	विजयानगरम, आंध्र प्रदेश
7.	बेल्लारी स्टील्स एंड अलाएज लि.	बेल्लारी, कर्नाटक
8.	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	खरसिया रोड, रायगढ मध्य प्रदेश
9.	एच. ई. जी. लिमिटेड	दुर्ग, मध्य प्रदेश
10.	कुमार मेटालर्जिकल कार. लि.	नलगौंडा, आंध्र प्रदेश
11.	प्रकाश इडस्ट्रीज लिमिटेड	चम्पा, बिलासपुर, मध्य प्रदेश
12.	नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड	डगोरिया, बेठा तेहसील बिलासपुर, मध्य प्रदेश
13.	रायपुर स्टील्स एंड अलाएज लि.	रायपुर, मध्य प्रदेश
14.	मोनेट इस्पात लिमिटेड	खुरद, रायपुर, मध्य प्रदेश
15	तमिलनाडु स्पज लिमिटेड	हरतमट्टि, सेलम, तमिलनाडु
ख गैस पर आधारित		
1.	एस्सार गुंजरात	हजीरा सूरत, गुजरात
2.	विक्रम इस्पात लिमिटेड (ग्रासिम)	रायगढ, महाराष्ट्र
3.	निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड	अलीबाग रायगढ़, महाराष्ट्र

भूमि सुधार

3339. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आमूल–चूल भूमि सुधारों की योजना भेजी है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बोट्लिंग और ब्लेंडिंग प्लांट

3340. श्री चन्देश पटेल :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिलवासा में आई. एम. एफ. एल./सी. एल. के उत्पादन हेतु शराब की बोतलों में भरे जाने तथा इसका सम्मिश्रण तैयार करने वाले संयत्रों की स्थापना पर रोक लगाने हेतु कोई निर्देश/मार्ग निर्देश जारी किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस प्रतिबंध को हटाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ङ) जी नही। फिर भी आई. एम. एफ. एल. और देशी शराब समेत पेय अल्कोहल के निर्माण हेतु देश में कहीं भी यूनिट स्थापित करने के लिए 16 मार्च, 1991 से भारत सरकार नए आवेदन स्वीकार नहीं कर रही है।

व्यापक ऊर्जा नीति का बनाया जाना

3341. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियो के साथ व्यापक विद्युत नीति को तैयार करने तथा इस संबंध में व्यापक विद्युत नीति तथा कानून बनाने हेतु चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के साथ चर्चा हुई;

(ग) क्या कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किस हद तक कार्यान्वित किए जाने की सभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) उपयुक्त नीतिया तैयार करने और आवश्यक कानूनी परिवर्तन करने के लिए सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक विचार-विमर्श किए जाते है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सुधार बिल एक मुख्य परिणाम रहा है, जिसे उड़ीसा विधान सभा द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, ताकि उड़ीसा मे विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने संबंधी उपाय किये जा सकें।

'विद्युत क्षेत्र के लिए निवेश

3342. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यूनिडो ग्लोबल रिपोर्ट 1995 की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर यदि 6 प्रतिशत बनाये रखनी है तो अगले पन्द्रह वर्षो के दौरान भारत में विद्युत क्षेत्र को 200 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो उस अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के आवश्यक निवेश तथा आने वाले वर्षो मे विद्युत आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) निजी निवेश द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र को निजी क्षेत्र हेतु खोल दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायो मे, अन्य बातों के साथ-साथ, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू करना, अल्प निर्माणावधि वाली परियोजनाओ का क्रियान्वयन किया जाना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना, पारेषण एव वितरण हानियों मे कमी करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण उपायो का क्रियान्वयन किया जाना तथा अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अंतरण किया जाना शामिल है।

राज्यों द्वारा विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

3343. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं की जांच, आकलन, उन्हें अंतिम रूप और स्वीकृति देने संबंधी अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकारों को करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दिनांक 29.10.91 तथा 19.10.94 की

अधिसूचनाओं के द्वारा विद्युत स्कीमों के संबंध में पूंजीगत व्यय की सीमा बढाकर क्रमशः 25 करोड रुपये तथा 100 करोड रुपये कर दी है, इससे अधिक व्यय वाली स्कीमो के लिए के.वि.प्रा. की सहमति अपेक्षित होगी। राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर विद्युत परियोजनाओं की जांच करने, आकलन करने, उन्हें अंतिम रूप देने और स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए यह उपाय किया गया है।

कृभको अधिकारियों द्वारा दौरे

3344. श्री राम निहोर राय :

श्री छेदी पासवान :

श्री काशी राम राणा :

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कृभको' अधिकारियों ने विस्तृत अध्ययन करने हेतु विदेशों का कोई दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दौरों की कुल संख्या तथा गंतव्य स्थान के साथ व्यक्तियों की संख्या तथा उनके पदनाम क्या हैं;

(ग) इन दौरों में से कितने दौरे ओमान परियोजना के संबंध में किए गए,

(घ) इन दौरों पर कुल कितना खर्च हुआ और

(ङ) इन दौरों के उद्देश्य क्या थे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ) कृभको अधिकारियों ने ओमन और ईरान में प्रस्तावित संयुक्त उद्यमी और यू एस ए/रूस में विद्यमान डीएपी उत्पादन सुविधाओं के अधिग्रहण के प्रस्तावों के संबंध मे विस्तृत अध्ययन तथा बातचीत करने के लिए विदेशों का दौरा किया था। इस उद्देश्य के लिए अप्रैल, 1993 से अक्तूबर, 1995 तक की अवधि के दौरान कृभको के निदेशकों/कार्यकारियों ने यू. एस. ए., रूस, आबूधाबी, ओमान, ईरान, यू ए ई बहरीन, सउदी अरेबिया फ्रांस, जर्मनी, यू. के., और ईटली का 105 दौरे किये। इसमे ओमान इंडिया फर्टिलाइजर परियोजना के संबंध में 83 दौरे किये गये जिन पर 236.45 लाख रु. का व्यय हुआ।

ग्रेनाइट घोटाला

3345. श्री सुलतान सलाहुद्दीन ओवेसी क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ग्रेनाइट घोटाले के संबंध में विभिन्न राज्यों की ओर से अगस्त और सितंबर, 1995 के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रेनाइट की कथित तस्करी के मामले की कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में खनिज

3346. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में, विशेषतः आंध्र प्रदेश में खनन कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए स्वीकृति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांगो) : (क) जी, हां

(ख) आंध्र प्रदेश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य एजेंसियों द्वारा किये गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का अनुमान किया गया है :

खनिज	भंडार
गोल्ड	0.15 मिलियन टन
हीरा	10 किम्बरलाइट
कोयला	134.50 मिलियन टन
बेसमैटल	बेसमैटल के लिए जांच पड़ताल की गयी है और भंडारों का अनुमान अभी नहीं लगा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये, मार्च, 1993 में घोषित नई राष्ट्रीय खनिज नीति के अंतर्गत राज्य के विदोहन के लिये विशेष रूप से आरक्षित 13 खनिजों को निजी क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिए अनारक्षित किया गया है। वर्ष 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) निधि नियम 1957 में भी तदनुसार संशोधित कर दिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास योजनाएं

3347. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की ग्रामीण विकास संबंधी कितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु लम्बित पडी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ योजनाओं को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भूजल के स्तर को बढाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा केन्द्र को ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पांच योजनाएं भेजी गई हैं। इन योजनाओं को तकनीकी जांच हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड को भेजा गया है।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया से कोयला तथा लौह अयस्क

3348. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया से कोयला और लौह अयस्क मंगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुल निजी इस्पात निर्मात्री कंपनियों ने अपनी इस्पात निर्माण क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

तथापि, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और विशाखापटनम इस्पात संयंत्र आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात कर रहे हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

3349. श्री एन. जे. राठवा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम देश में और विशेष रूप से गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में संतोषजनक रूप से चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध मे चालू वर्ष के दौरान अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अभ्यावेदनों को कब तक निपटाया जाएग और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति राज्यों में धीमी है, जो इस प्रकार है :

वर्ष	भौतिक		केन्द्रीय प्रयोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	
	लक्ष्य	उपलब्धि	रिलीज	व्यय
			(रु. लाख में)	(रु. लाख में)
1992-93	90285	51272	1563.995	1002.37
1993-94	2211943	134190	2309.058	1908.07
1994-95	627276	592333	4764.914	4554.73
1995-96*	760187	236049	2268.379	1660.21

* केन्द्रीय प्रयोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एवं राज्य क्षेत्र की राशि के अंतर्गत संयुक्त लक्ष्य एवं उपलब्धि।

प्रगति की निगरानी शौचालयों के निर्माण के आधार पर की जाती है, न कि परियोजनाओं को पूरा होने के आधार पर।

1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों सहित गुजरात केन्द्रीय प्रयोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एवं राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1993-94	5367	4621
1994-95	25000	16804
1995-96	30000	17946**

** अक्तूबर, 1995 तक

(ग) और (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, उडीसा सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से अतिरिक्त सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि केन्द्रीय प्रयोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शिकाओं के तहत ही अतिरिक्त सहायता के लिए परियोजना का पुनर्प्रतिपादन करें। सिक्किम राज्य सरकार को कुछ विशेष अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने को कहा गया है। केन्द्रीय प्रयोजित स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत धीमी प्रगति और सामान्य आवंटन के कम उपयोग को देखते हुए असम उडीसा एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को अब तक कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गयी है। इस स्थिति की समीक्षा तभी की जाएगी, जब इन राज्यों द्वारा

उपलब्ध धन के प्रयोग की सही प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

3350. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री द्वारका नाथ दास :

श्री अन्ना जोशी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चौड़ा किए जाने वाले या चार 'लेन' में चौड़ाई बढ़ाई जाने वाले राजमार्गों के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र की लम्बाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी/विदेशी निवेश से राष्ट्रीय राजमार्गों के किन–किन खंडों के विकास हेतु सहायता मांगी गयी है तथा आठवीं योजना के अंतर्गत दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार लेन बनाए जाने के लिए संस्वीकृत/प्रस्तावित राजमार्ग खंडों से संबंधित विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) निधियां राज्यवार जारी की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार/स्कीमवार/8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और चार लेन बनाने के लिए वर्ष–वार आबंटित की गई निधियां संलग्न विवरण-II में हैं।

(ङ) निजी क्षेत्र की सहभागिता के अंतर्गत किसी खंड में चार लेन बनाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है।

विवरण-I

क्र.सं०	राज्य	रा.रा.सं.	खंड	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	मद्रास–विजयवाड़ा–इलुरू	87
2.	असम	37	गुवाहाटी–बाईपास	10
3.	बिहार	2	बरवाडडा – बारकड़	43
4.	गुजरात	8	अहमदाबाद–बम्बई	69
		8 सी	धिलोडा–सरखेज	9
5.	हरियाणा	8	दिल्ली–जयपुर	71
		10	दिल्ली – रोहतक	36
6.	कर्नाटक	4	बंगलौर–तुमकुर एवं बंगलौर मद्रास	65
7.	मध्य प्रदेश	6	रायपुर – दुर्ग	27
8.	महाराष्ट्र	4	बम्बई – पुणे	55
		8	बम्बई – मनोर	2
9.	राजस्थान	8	दिल्ली–जयपुर	55
10.	तमिलनाडु	7	कर्नाटक सीमा–डोसुर	8
11.	उत्तर प्रदेश	2	इलाहाबाद–शहरी संपर्क	14
		24	गाजियाबाद–हापुड़	21
12.	पश्चिम बंगाल	2	रानीगंज–पानागढ़	42

विवरण-II

क्र. सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93 विकास	1993-94 विकास	1994-95 विकास	1995-96 विकास (लाख रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	2600.00	4524.00	5194.50	5700.00
2.	असम	1275.00	1400.00	1485.00	1800.00
3.	बिहार	1385.00	1920.34	2221.00	2050.00
4.	गुजरात	4650.00	6200.00	7098.00	4600.00
5.	हरियाणा	1870.00	3200.00	5160.00	7300.00
6.	कर्नाटक	1880.00	2709.00	3189.00	2600.00
7.	मध्य प्रदेश	1915.00	1670.00	2347.39	2400.00
8.	महाराष्ट्र	3280.00	2831.00	3262.92	3059.00
9.	राजस्थान	3095.00	4028.00	4720.88	4800.00
10.	तमिलनाडु	1600.00	3064.00	2589.50	1100.00
11.	उत्तर प्रदेश	4995.00	4579.00	8455.68	7950.00
12.	पश्चिम बंगाल	2230.00	3500.00	3987.00	3600.00

विद्युत क्षेत्र में भारत दक्षिण अफ्रीका समझौता

3351. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) इस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना का कार्यान्वयन कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) विद्युत उत्पादन के संबंध में दक्षिण अफ्रीका के साथ सरकार से सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। सरकार को, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों के साथ हुए किसी समझौते की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तलचर सुपर ताप विद्युत परियोजना

3352. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उड़ीसा के तलचर में सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु कुल कितना निवेश स्वीकृत किया गया है;

(ख) विश्व बैंक, फ्रांस की सरकार, केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कितनी-कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ग) क्या सुपर ताप विद्युत परियोजना के संयंत्र की पहली इकाई स्थापित की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो ताप विद्युत संयंत्र की द्वितीय तथा अंतिम इकाई को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2x500 मे.वा.) की अनुमोदित लागत 1404.4 करोड़ रुपये है। तथापि, लोक निवेश बोर्ड द्वारा कंपनी दिनांक 22.11.95 को आयोजित बैठक में इस परियोजना का संशोधित लागत अनुमान, 1995 के तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर 2592.18 करोड़ रुपये माना गया है।

(ख) 2592.18 करोड़ रुपये की नवीनतम अनुमानित लागत के वित्तपोषण का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

केन्द्र सरकार, एनटीपीसी की इक्विटी और ऋण के द्वारा	1102.01
– विश्व बैंक : 367 मिलियन डालर	
– फ्रांसीसी सरकार : 536.34 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक	
	(करोड़ रुपये)
एनटीपीसी द्वारा सीधे उधार लेना	712.76
एनटीपीसी (आंतरिक संसाधन)	777.41
जोड़	2592.18

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दूसरी यूनिट को फरवरी, 1996 में चालू किए जाने की संभावना है। बायलर को नवंबर, 1995 में चलाया गया था और स्टीम ब्लोइंग का कार्य चल रहा है। टरबाइन को बारिंग गीयर पर डाल दिया गया है और उसे समकालिक किया जा रहा है।

सीमा सड़क विकास बोर्ड के श्रमिक

3353. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क विकास बोर्ड में मजदूरों के रूप में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीस वर्षों से काम कर रहे इन लोगों को अब तक स्थायी नहीं बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें स्थायी बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) 30 जून 1995 की स्थिति के अनुसार सीमा सड़क संगठन में कार्यरत कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के नैमित्तिक भुगतान वाले श्रमिकों की कुल संख्या 80164 थी।

(ख) से (घ) नैमित्तिक भुगतान वाले श्रमिकों को दैनिक अथवा मासिक वेतन दर पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें एक बार में छः महीने से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। चूंकि उनका रोजगार नैमित्तिक स्वरूप का है इसलिए उनकी सेवाएं जब और समय के लिए आवश्यक नहीं होती तो समाप्त कर दी जाती हैं। ऐसे नैमित्तिक भुगतान वाले श्रमिकों, जो आयु, शैक्षिक अर्हता और डाक्टरी मानक की अपेक्षा को पूरा करते हैं, को सीमा सड़क संगठन में ग्रुप (घ) के पदों की 2/3 रिक्तियों पर भर्ती करने में वरीयता दी जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग आवर्तक निधि

3354. **श्री शंकर सिंह बाघेला :**

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर अधिभार लगाकर एक राष्ट्रीय राजमार्ग आवर्तक निधि बनाने से संबंधित प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित निधि के निर्माण स्रोत और वित्त प्रबंध के बारे में राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्राधिकारियों को इस व्यवस्था से प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है;

(च) प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल, पर कितना अधिभार लगाए जाने की संभावना है; और

(छ) इस निधि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा तथा राज्यों को सड़कों के रख–रखाव हेतु इसका कितना प्रतिशत दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (छ) एक राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्रमी निधि की स्थापना का प्रस्ताव है। तथापि, यह प्रस्ताव संकल्पनात्मक स्तर पर है और अभी इसके ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

रोजगार आश्वासन योजना

3355. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत अधिक धनराशि देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त की 47.50 करोड़ रुपये की धनराशि 9.5.1995 को जारी की गई थी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिक निधियों के लिए अनुरोध किया है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज पहले से उपलब्ध निधियों के उपयोग और योजना के कार्यों हेतु लोगों की पंजीकरण की संख्या के आधार पर की जाती है। तदनुसार, केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त की 47.50 करोड़ रुपये की सहायता धनराशि उपलब्ध निधियों के उपयोग प्रमाण पत्र और अन्य ब्यौरों के राज्य सरकार से प्राप्त होने पर रिलीज की गई हैं। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य को 95.00 करोड़ रुपये रिलीज किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को हानि

3356. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्डों को कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1994-95 के लिए राज्य बिजली बोर्डों के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के आर्थिक सहायता और बिना आर्थिक सहायता के लाभ/हानियां निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये)

	आर्थिक सहायता समेत जैसाकि लेखों में उल्लेख किया गया है			बिना आर्थिक सहायता के		
	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
उ.प्र.रा.वि.बो.	67.09	213.86	61.23	-720.25	-691.46	-1090.20
म.प्र.बि. बोर्ड	83.71	101.01	118.24	-180.23	-279.04	-297.01

(ख) राज्य बिजली बोर्डों की हानियों के कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं, अलाभकारी टैरिफ, कृषि टैरिफ, ऋणों को इक्विटी में न बदला जाना, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां, पीएलएफ का निम्नस्तर, ताप विद्युत केन्द्रों में उच्च ईंधन खपत आदि।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को समय–समय पर निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है, यथा टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना, ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का नियमित भुगतान करना, संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) में सुधार लाना, टैम्पर प्रुफ मीटर लगाना, गैर कानूनी कनेक्शनों को काटना आदि।

विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य

3357. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किए गए आंतरिक अध्ययन से यह जाहिर होता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत क्षमता के निर्धारित लक्ष्य में से केवल 50 प्रतिशत ही उत्पादन हो पायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी उपक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी क्षेत्र के योगदान के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों के विद्युत संयंत्र निष्प्रभावी हो गए हैं तथा चालू वर्ष के दौरान ही पूरे देश में विद्युत की कमी जाहिर ही गई है; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किन–किन मुख्य बातों का सुझाव दिया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 30537.8 मे.वा. है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) द्वारा किए गए नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, आठवीं योजना अवधि के दौरान 20729.7 मे.वा. विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) इस समय देश में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन दोनों प्रकार की कमी विद्यमान हैं।

(ङ) ऐसी विद्युत परियोजनाएं, जोकि क्रियान्वयनाधीन हैं, जो समय से चालू करने के लिए विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) इन परियोजनाओं की सघनता से मानिटरिंग कर रहे हैं और संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाकर परियोजनाओं की समय से सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।

पनकी विद्युत गृह

3358. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर में हाल ही में कुछ ट्रांसफार्मरों के फुक जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके फुकने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पनकी विद्युत गृह में पर्याप्त तकनीकी जानकारी का अभाव था;

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जायेंगे; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु अन्य उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) कानपुर शहर में लगभग 1000 वितरण ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किए गए हैं जिनमें से अक्तूबर–नवंबर, 1995 के दौरान 39 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे। ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने का कारण ओवर लोडिंग था।

(ग) और (घ) पनकी विद्युत केन्द्र में पर्याप्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध है।

(ङ) विद्यमान ट्रांसफार्मरों की ओवर लोडिंग से बचने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 50 नए वितरण उप–केन्द्रों का निर्माण करने की योजना बनाई गई हैं।

11.04 म.पू.

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 19 दिसम्बर, 1995/28 अग्रहायण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।